vol 1

0001

सुनन नसाई

हदीस नं. **0626**

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

1

हदीस नम्बर 1 से 626

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خُدّامُ القُرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहक़ीक़ व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

1

हदीस नम्बर 1 से 626

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सुनन नसाई (जिल्द - 1)**
तालीफ़	**इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब नसाई (रह.)**
उर्दू तर्जुमा	**हाफिज मुहम्मद अमीन**
हिन्दी तर्जुमा	**दारूल-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत** **जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)**
तहक़ीक़ व तस्हीह	**हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.)**
नज़रे सानी	**मुहम्मद गुफरान अंसारी** (83022-58062)
लेज़र टाइपसेटिंग	**अब्दुल वाजिद,** (99506-96917)
मेनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर	**अली हम्जा,** (82338-55857) **अहमद अब्बास** (97397-31956)
प्रिण्टिंग	**आदर्श आफसेट**, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	**कमाल बाईण्डिंग हाउस** मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	608	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	अप्रेल 2021	क़ीमत	800/- (आठ सौ रुपये)

प्रकाशक	**मर्क़ज़ी अन्जुमन खुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
जेरे निगरानी	**शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान**

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

सल्फ़ी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद,
महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मकतबा अहसान
लखनऊ, यू.पी. फोन: 97931-18234

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

हुज़ैफा : मकतबा दारूस्सलाम,
इस्लामिया सीनियर धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन,
मऊ, (यूपी) 275101 फोन: 74287-38778

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.)
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves,
Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

तौसीफ बुक डिपो
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज,
कच्छ (गुजरात) 094291-17111

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड
नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते मज़ामीन

अर्ज़े नाशिर	16
अर्ज़े मुतर्जिम	19
मुअल्लिफ़ सुनन अन्नसाई	22
सुनन नसाई और इसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात	28
इस्तिलाहाते मुहद्दिसीन	40
कुतूबे अहादीस की किस्में	46
कुतूबे अहादीस के मुख़्तलिफ़ तब्क़ात या दर्जात	47
तहारत की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़, अक़साम और अहमियत व फ़ज़ीलत	50
बाब: 1 अल्लाह तआला के फ़रमान: 'जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरे और अपने हाथों को कुहनियों तक धोओ।' की तफ़्सीर	55
बाब: 2 जब रात को नींद से उठे तो मिस्वाक करे	56
बाब: 3 मिस्वाक कैसे करे?	56
बाब: 4 क्या हाकिम अपने मातहतों के सामने मिस्वाक कर सकता है?	57
बाब: 5 मिस्वाक करने की तर्ग़ीब	59
बाब: 6 कसरत से मिस्वाक करने की ताकीद	60
बाब: 7 रोज़ेदार को पिछले पहर मिस्वाक करने की इजाज़त है	60
बाब: 8 मिस्वाक हर वक़्त की जा सकती है	61
उमूरे फ़ितरत का बयान	62
बाब: 9 ख़त्ना करवाना	62
बाब: 10 नाख़ून तराशना	63
बाब: 11 बग़लों के बाल उखेड़ना	63
बाब: 12 ज़ेरे नाफ़ के बाल मूण्डना	64
बाब: 13 मूँछें काटना	65
बाब: 14 इन कामों के लिए मुद्दत का तअय्युन (मुक़र्रर करना)	65
बाब: 15 मूँछें ख़त्म करना और दाढ़ी रखना	66
बाब: 16 क़ज़ा-ए-हाजत के लिए दूर जाना	67
बाब: 17 दूर न जाने की रुख़्सत	68
बाब: 18 बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त की दुआ	69
बाब: 19 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना मना है	70
बाब: 20 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ पीठ करना भी मना है	71
बाब: 21 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ मुँह करने का हुक्म	72
बाब: 22 घरों में इसकी इजाज़त है	72
बाब: 23 क़ज़ा-ए-हाजत के दौरान में शर्मगाह को दायाँ हाथ लगाना मना है	73
बाब: 24 खुली जगह में खड़े होकर पेशाब करने की रुख़्सत	74
बाब: 25 घर में बैठ कर पेशाब करना	75
बाब: 26 ऐसी ओट की तरफ़ पेशाब करना जिससे पर्दा हासिल हो	76
बाब: 27 पेशाब (के छींटों) से बचना	78
बाब: 28 बर्तन में पेशाब करना	79
बाब: 29 थाल जैसे बर्तन में पेशाब करना	80
बाब: 30 बिल में पेशाब करना मकरूह है	81

बाब:31 ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है	81
बाब:32 गुस्ल ख़ाने में पेशाब करना मना है	82
बाब:33 पेशाब करते हुए शख़्स को सलाम कहना	83
बाब:34 वुज़ू के बाद सलाम का जवाब देना	83
बाब:35 हड्डी से सफ़ाई करना मना है	84
बाब:36 लीद के साथ सफ़ाई करना मना है	85
बाब:37 सफ़ाई में तीन ढेलों से कम पर इक्तिफ़ा (काफ़ी) करना मना है	85
बाब:38 (बहालते मजबूरी) दो ढेलों से सफ़ाई करने की रुख़सत	86
बाब:39 एक ढेले से सफ़ाई करने की रुख़सत	87
बाब:40 सफ़ाई के लिए सिर्फ़ ढेले काफ़ी हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं	88
बाब:41 पानी से इस्तिन्जा करना	89
बाब:42 दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत	90
बाब:43 इस्तिन्जा करने के बाद हाथ ज़मीन पर मलना	91
बाब:44 कम व ज़्यादा पानी की तहदीद (हद)	93
बाब:45 पानी में कोई हद बंदी नहीं	94
बाब:46 ठहरे हुए पानी का हुक्म	97
बाब:47 समन्दरी पानी का हुक्म	98
बाब:48 बर्फ़ से वुज़ू करने का बयान	99
बाब:49 बर्फ़ के पानी से वुज़ू करने का बयान	100
बाब:50 औलों के पानी से वुज़ू करने का बयान	101
बाब:51 कुत्ते के जूठे का बयान	102
बाब:53 जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे उसे मिट्टी से धोने का बयान	104
बाब:54 बिल्ली के जूठे का हुक्म	105
बाब:55 गधे के जूठे का हुक्म	106
बाब:56 हायज़ा औरत के जूठे का हुक्म	107
बाब:57 मर्दों-औरतों का इकट्ठे वुज़ू करना	107
बाब:58 जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी का हुक्म	108
बाब:59 पानी की कम से कम मिक़्दार जो आदमी को वुज़ू के लिए काफ़ी है	109
बाब:60 वुज़ू में नियत का मसला	110
बाब:61 बर्तन से (पानी ले लेकर) वुज़ू करना	111
बाब:62 वुज़ू शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए	112
बाब:63 ख़ादिम वुज़ू के दौरान में आज़ा पर पानी डाले तो कोई हर्ज नहीं	114
बाब:64 आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक दफ़ा धोना	114
बाब:65 आज़ा-ए-वुज़ू को तीन तीन बार धोना	115
वुज़ू का तरीक़ा	115
बाब:66 हथेलियाँ धोना	115
बाब:67 हथेलियाँ कितनी बार धोई जायें?	117
बाब:68 कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना	117
बाब:69 किस हाथ से कुल्ली करे?	119
बाब:70 नाक में अच्छी तरह पानी डालना	120
बाब:71 नाक में ख़ूब ज़ोर से पानी खींचना	120
बाब:72 नाक को झाड़ने का हुक्म	121
बाब:73 नींद से जागने के बाद नाक झाड़ने का हुक्म	122
बाब:74 नाक किस हाथ से झाड़े?	123
बाब:75 चेहरा धोना	124
बाब:76 चेहरा कितनी दफ़ा धोया जाये?	124

बाब:77 बाज़ूओं को धोना	126
बाब:78 वुज़ू का बयान	126
बाब:79 बाज़ू कितनी दफ़ा धोये जायें?	127
बाब:80 हाथ कहाँ तक धोये जायें?	128
बाब:81 सर के मसह का तरीक़ा	129
बाब:82 सर के मसह की तादाद	130
बाब:83 औरत भी अपने सर का मसह करे	131
बाब:84 कानों का मसह करना	133
बाब:85 कानों का मसह सर के साथ करना और इस बात की दलील कि कान सर का हुक्म रखते हैं	134
बाब:86 पगड़ी पर मसह करने का बयान	136
बाब:87 पगड़ी पर पेशानी समेत मसह का ज़िक्र	137
बाब:88 इमामे पर मसह कैसे किया जाये?	139
बाब:89 पाँव को धोना वाजिब है	140
बाब:90 किस पाँव को पहले धोये?	141
बाब:91 पाँव को दोनों हाथों से धोना	142
बाब:92 ऊँगलियों के ख़िलाल का हुक्म	143
बाब:93 पाँव कितनी बार धोये जायें?	144
बाब:94 पाँव कहाँ तक धोये जायें?	144
बाब:95 जूतों समेत वुज़ू करना	145
बाब:96 मोज़ों पर मसह का बयान	146
बाब:97 सफ़र में मोज़ों पर मसह करना	149
बाब:98 मुसाफ़िर के लिए मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत	150
बाब:99 मुक़ीम शख़्स के लिए मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत	152
बाब:100 वुज़ू टूटे बग़ैर दोबारा वुज़ू करने का तरीक़ा	153
बाब:101 हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करना	154
बाब:102 वुज़ू के बाद शर्मगाह पर पानी के छींटे मारना	155
बाब:103 वुज़ू से बचते हुए पानी से फ़ायदा उठाना	157
बाब:104 वुज़ू की फ़र्ज़ियत	159
बाब:105 वुज़ू करते वक़्त मुक़र्ररा हद से तजावुज़ करना (मना है)	159
बाब:106 वुज़ू मुकम्मल और अच्छी तरह करने का हुक्म	160
बाब:107 अस्बाग़ की फ़ज़ीलत	162
बाब:108 मसनून वुज़ू करने का सवाब	163
बाब:109 वुज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद क्या पढ़ा जाये?	166
बाब:110 वुज़ू का ज़ेवर	167
बाब:111 उस शख़्स का सवाब जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर दो रकअतें पढ़ीं	169
बाब:112 कौन सी चीज़ें वुज़ू तोड़ती हैं और कौनसी नहीं। मज़ी से वुज़ू करने का बयान	169
बाब:113 बोल व बराज़ (पेशाब व पाखाना) की वजह से वुज़ू	174
बाब:114 क़ज़ा-ए-हाजत की वजह से (भी) वुज़ू (वाजिब होता है)	175
बाब:115 हवा(ख़ारिज होने) की वजह से वुज़ू	175
बाब:116 नींद की वजह से वुज़ू	176
बाब:117 ऊंघ का बयान	176
बाब:118 अज़्वे मख़्सूस (शर्मगाह) को छूने से वुज़ू (टूट जाता है)	177

बाब: 114 अज़्वे-मख़्सूस को छूने से वुज़ू न करना	179
बाब: 120 आदमी अपनी औरत को बग़ैर शहवत के हाथ लगाये तो वुज़ू वाजिब नहीं	180
बाब: 121 बोसा देने के बाद वुज़ू न करना	183
बाब: 122 आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू	184
बाब: 123 आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू न करना	188
बाब: 124 सत्तू खाने के बाद कुल्ली करना	189
बाब: 125 दूध पीने के बाद कुल्ली करना	190
कौन सी चीज़ें गुस्ल वाजिब करती हैं और कौन सी नहीं?	191
बाब: 126 जब काफ़िर मुसलमान हो तो गुस्ल करे	191
बाब: 127 काफ़िर इस्लाम लाने का इरादा करे तो पहले गुस्ल करे (फिर इस्लाम लाये)	192
बाब: 128 मुश्रिक की लाश दबाने के बाद गुस्ल करना चाहिए	193
बाब: 129 जब मर्द व औरत की शर्मगाहें आपस में मिल जायें तो गुस्ल वाजिब हो जाता है	194
बाब: 130 मनी ख़ारिज होने से गुस्ल	195
बाब: 131 औरत ख़्वाब में वही कुछ देखे जो मर्द देखता है तो उस पर गुस्ल वाजिब है	196
बाब: 132 (उस शख़्स का हुक्म) जिसे एहतिलाम हो जाये और वह (जागने पर) पानी (मनी) न देखे	199
बाब: 133 मर्द और औरत की मनी में फ़र्क़	200
बाब: 134 हैज़ (के इख़्तिताम) से गुस्ल का ज़िक्र	200
बाब: 135 हैज़ का बयान	206
बाब: 136 इस्तिहाज़ा वाली औरत के गुस्ल का ज़िक्र	208
बाब: 137 बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले ख़ून पर गुस्ल करना	209
बाब: 138 हैज़ और इस्तिहाज़े के ख़ून का फ़र्क़	210
बाब: 139 जुन्बी को ठहरे पानी में गुस्ल करने की मुमानिअत	214
बाब: 140 ठहरे पानी में पेशाब करने, फिर उससे गुस्ल करने की मुमानिअत	214
बाब: 141 रात के शुरू ही में गुस्ल कर लेना	215
बाब: 142 गुस्ले जनाबत रात के शुरू में भी हो सकता है और आख़िर में भी	216
बाब: 143 गुस्ल करते वक़्त लोगों से पर्दा करने का बयान	216
बाब: 144 पानी की वह मिक़्दार जिस पर आदमी गुस्ल के लिए इक्तिफ़ा कर सकता है	217
बाब: 145 इस बात की दलील कि गुस्ल के लिए पानी की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं	220
बाब: 146 मर्द और उसकी बीवी का (एक साथ) एक बर्तन से गुस्ल करना	220
बाब: 147 जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल करने की मुमानिअत (मनाही)	223
बाब: 148 इसकी रुख़्सत	224
बाब: 149 ऐसे प्याले से गुस्ल करना जिसमें आटा गूंधा जाता हो	225
बाब: 150 गुस्ले जनाबत के वक़्त औरत का अपने सर की मेण्डियाँ न खोलने का ज़िक्र	225
बाब: 151 हाइज़ा औरत को गुस्ले एहराम के वक़्त मेण्डियाँ खोलने का हुक्म	226

बाब: 152 जुन्बी को अपने हाथ बर्तन में डालने से पहले धो लेने का बयान	227
बाब: 153 बर्तन में हाथ दाख़िल करने से पहले कितनी दफ़ा धोने चाहिए?	228
बाब: 154 जुन्बी को हाथ धोने के बाद अपने जिस्म से नजासत साफ़ करनी चाहिए	229
बाब: 155 जुन्बी को जिस्म से नजासत दूर करने के बाद दोबारा हाथ धोने चाहिए	230
बाब: 156 जुन्बी को गुस्ल से पहले वुज़ू भी करना चाहिए	231
बाब: 157 जुन्बी को (दौराने गुस्ल) अपने सर का ख़िलाल करना चाहिए	231
बाब: 158 जुन्बी के लिए सर पर कितना पानी बहाना काफ़ी है?	232
बाब: 159 गुस्ले हैज़ का तरीक़ा	233
बाब: 160 (मसनून) गुस्ल के बाद वुज़ू न करना	234
बाब: 161 (गुस्ल के आख़िर में) पाँव गुस्ल वाली जगह के बजाये दूसरी जगह धोये	234
बाब: 162 गुस्ल के बाद रूमाल इस्तेमाल न करना	235
बाब: 163 जुन्बी के लिए खाते वक़्त वुज़ू करना मुस्तहब है	236
बाब: 164 खाने के वक़्त जुन्बी का सिर्फ़ हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करना	237
बाब: 165 कोई चीज़ पीने से पहले जुन्बी का सिर्फ़ हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करना	237
बाब: 166 जुन्बी सोने का इरादा करे तो उसे वुज़ू कर लेना चाहिए	238
बाब: 167 जुन्बी सोने का इरादा करे तो शर्मगाह धोकर वुज़ू कर ले	238
बाब: 168 जुन्बी अगर वुज़ू न करे तो?	239
बाब: 169 जुन्बी जब दोबारा जिमा करना चाहे तो?	240
बाब: 170 गुस्ल करने से पहले कई बीवियों के पास आना	241
बाब: 171 जुन्बी के लिए क़ुर्आन मजीद पढ़ने की मुमानिअत	242
बाब: 172 जुन्बी को हाथ लगाना और उसके साथ उठना बैठना जायज़ है	243
बाब: 173 हैज़ वाली औरत से कोई काम करवाना	245
बाब: 174 हैज़ वाली औरत मस्जिद में चटाई बिछा सकती है	246
बाब: 175 हाइज़ा बीवी की गोद में सर रख कर क़ुर्आन मजीद पढ़ना	247
बाब: 176 हैज़ वाली औरत अपने ख़ाविन्द का सर धो सकती है	248
बाब: 177 हैज़ वाली औरत के साथ खाना पीना और उसका जूठा पीना	249
बाब: 178 हाइज़ा औरत के जूठे से फ़ायदा उठाना	250
बाब: 179 हालते हैज़ में बीवी के साथ लेटना	251
बाब: 180 हाइज़ा औरत (बीवी) के साथ नंगे जिस्म लेटना	253
बाब: 181 अल्लाह तआला के फ़रमान: 'ये लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं।' की तफ़्सीर	254

बाब: 182 जो आदमी बावुजूद जानने के कि अल्लाह तआला ने हैज़ की हालत में जिमा से रोका है, अपनी बीवी से इस हाल में जिमा करे तो उस पर क्या तावान आयेगा?	256
बाब: 183 औरत को एहराम की हालत में हैज़ आने लगे तो क्या करे?	256
बाब: 184 निफ़ास वाली औरत एहराम के वक़्त क्या करे?	257
बाब: 185 हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो?	258
बाब: 186 कपड़े को मनी लग जाये तो?	259
बाब: 187 कपड़े से मनी धोना	260
बाब: 188 मनी को कपड़े से खुरच कर साफ़ करना	261
बाब: 189 उस बच्चे का पेशाब जिसने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया	262
बाब: 190 लड़की का पेशाब	264
बाब: 191 जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब का हुक्म	264
बाब: 192 मअ्कूलुल्लह्म (जिनका गोश्त खाया जाता हो) जानवर का गोबर कपड़े को लग जाये तो ....?	268
बाब: 193 कपड़े को थूक लग जाये तो ...?	270
बाब: 194 तयम्मुम की इब्तिदा (शुरूआत)	271
बाब: 195 हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम करना	272
बाब: हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम करना	273
बाब: 196 सफ़र में तयम्मुम करना	275
बाब: 197 तयम्मुम की कैफ़ियत में इख़्तिलाफ़ का बयान	277
बाब: 198 तयम्मुम की एक और सूरत और हाथों पर फूँक मारना	277
बाब: 199 तयम्मुम की एक और सूरत	278
तयम्मुम की एक और सूरत	279
बाब: 200 एक और सूरत	280
बाब: 201 जुन्बी का तयम्मुम	281
बाब: 202 तयम्मुम मिट्टी से होना चाहिए	282
बाब: 203 एक तयम्मुम के साथ कई नमाज़ें	283
बाब: 204 जो आदमी पानी पाये न मिट्टी (तो क्या करे?)	284
पानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	287
बाब: 1 बुज़ाआ के कुएँ का ज़िक्र	304
बाब: 2 (क़लील और कसीर) पानी की तहदीद (हदबन्दी)	305
बाब: 3 ठहरे पानी में जुन्बी को गुस्ल करने की मुमानिअत (मनाही)	306
बाब: 4 समन्दरी पानी से वुज़ू	307
बाब: 5 बर्फ़ और औलों के पानी से वुज़ू करना	307
बाब: 6 कुत्ते का जूठा (पानी)	308
बाब: 7 कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो बर्तन को मिट्टी के साथ साफ़ करना	308
बाब: 8 बिल्ली का जूठा	310
बाब: 9 हैज़ वाली औरत का जूठा	311
बाब: 10 औरत (के वुज़ू या गुस्ल) से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करने की रुख़्सत	311
बाब: 11 औरत (के वुज़ू या गुस्ल) से बचे हुए पानी को इस्तेमाल करने का मना	312
बाब: 12 जुन्बी (के गुस्ल और वुज़ू) से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करने की रुख़्सत	312
बाब: 13 वुज़ू और गुस्ल के लिए इंसान को कितना पानी काफ़ी है?	313

इस्तिहाज़ा और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	330
निफ़ास और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	333
बाब: 1 हैज़ की इब्तिदा (का बयान) और हैज़ को निफ़ास कहा जा सकता है?	335
बाब: 2 इस्तिहाज़े का ज़िक्र और ख़ून हैज़ की इब्तेदा और इन्तेहा का बयान	336
बाब: 3 जिस मुस्तहाज़ा औरत को अपने हैज़ के दिन मालूम हों, वह हर महीने उन्हीं को हैज़ समझे	337
बाब: 4 हैज़ के लिए लफ़्ज़ क़रअ का इस्तेमाल	338
बाब: 5 इस्तिहाज़ा वाली औरत दो नमाज़ें जमा कर सकती है, जमा करे तो ग़ुस्ल भी करे	341
बाब: 6 हैज़ और इस्तिहाज़ा के ख़ून के दरम्यान फ़र्क़	342
बाब: 7 ज़र्द और मटियाला पानी	345
बाब: 8 हैज़ वाली औरत से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है और अल्लाह के फ़रमान : 'लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं ... की तफ़्सीर	346
बाब: 9 जो आदमी मुमानिअत के हुक्म को जानने के बावुजूद बीवी से हालते हैज़ में जिमा करे तो उस पर क्या वाजिब होता है?	347
बाब: 10 हैज़ वाली औरत के साथ हैज़ के कपड़ों में लेटना	348
बाब: 11 हालते हैज़ में ख़ाविन्द का अपनी बीवी के साथ एक कपड़े में सोना	348
बाब: 12 हैज़ वाली औरत के साथ नंगे जिस्म लेटना	349
बाब: 13 रसूलुल्लाह (ﷺ) की किसी बीवी को जब हैज़ आता तो आप क्या करते थे?	350
बाब: 14 हायज़ा औरत के साथ मिलकर खाना और उसका जूठा पीना	351
बाब: 15 हाइज़ा औरत के बचे हुए पानी से फ़ायदा उठाना	352
बाब: 16 आदमी अपनी हाइज़ा औरत की गोद में सर रख कर क़ुर्आन पढ़ सकता है	353
बाब: 17 हाइज़ा औरत को नमाज़ माफ़ है (क़ज़ा देने की ज़रूरत नहीं)	353
बाब: 18 हाइज़ा औरत से कोई ख़िदमत लेना	354
बाब: 19 हाइज़ा औरत मस्जिद में मुसल्ला बिछा सकती है।	355
बाब: 20 हाइज़ा औरत अपने ख़ाविन्द के सर को कन्घी कर सकती है जबकि वह मस्जिद में ऐतकाफ़ बैठा हो	355
बाब: 21 हाइज़ा औरत अपने ख़ाविन्द का सर धो सकती है	356
बाब: 22 हैज़ वाली ख़्वातीन का ईदैन में जाना और मुसलमानों की दुआ में शरीक होना	357
बाब: 23 औरत को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हैज़ शुरू हो जाये तो?	358
बाब: 24 निफ़ास वाली औरत एहराम के वक़्त क्या करे?	359
बाब: 26 हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो?	360
तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	369
ग़ुस्ल और तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	376

बाब: 1 जुन्बी को ठहरे पानी में गुस्ल करने की मुमानिअत का ज़िक्र	376
बाब: 2 (गुस्ल के लिए) हमाम में दाख़िल होने की रुख़्सत	378
बाब: 3 बर्फ़ और औलों से (पिघल जाने के बाद) गुस्ल करना	379
बाब: 4 ठण्डे पानी से गुस्ल करना	379
बाब: 5 नींद से पहले गुस्ले जनाबत कर लेना	380
बाब: 6 शुरू रात ही में गुस्ल कर लेना	380
बाब: 7 गुस्ल करते वक़्त पर्दा करना	381
बाब: 8 इस बात की दलील कि गुस्ल के लिए पानी की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं	383
बाब: 9 ख़ाविन्द बीवी का एक बर्तन से नहाना	384
बाब: 10 उस चीज़ की रुख़्सत	385
बाब: 11 ऐसे प्याले (बर्तन) से गुस्ल करना जिसमें गुंधे हुए आटे के निशान हों	385
बाब: 12 गुस्ले जनाबत के वक़्त औरत के लिए सर की मेण्डीयाँ (चोटियाँ) खोलना ज़रूरी नहीं	386
बाब: 13 जब कोई ख़ुश्बू लगा कर गुस्ल करे और ख़ुश्बू के असरात बाक़ी रह जायें तो?	387
बाब: 14 जुन्बी को जिस्म पर पानी बहाने से पहले नजासत वग़ैरह धो लेनी चाहिए	388
बाब: 15 शर्मगाह धोने के बाद हाथ ज़मीन पर मलना	388
बाब: 16 गुस्ले जनाबत में सबसे पहले वुज़ू किया जाये	389
बाब: 17 तहारत (वुज़ू और गुस्ल) में दायीं तरफ़ को तर्जीह देना	390
बाब: 18 गुस्ले जनाबत के वुज़ू में सर का मसह छोड़ देना	391
बाब: 19 गुस्ले जनाबत में सारे जिस्म का ज़ाहिरी चमड़ा तर करना	392
बाब: 20 जुन्बी के लिए अपने सर पर कितना पानी बहाना काफ़ी है	393
बाब: 21 हैज़ के बाद गुस्ल का तरीक़ा	394
बाब: 22 गुस्ल में एक दफ़ा पानी बहाना	395
बाब: 23 एहराम बाँधते वक़्त निफ़ास वाली ख़्वातीन का गुस्ल करना	395
बाब: 24 गुस्ल के बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं	396
बाब: 25 तमाम बीवियों के पास जाने के बाद एक ही गुस्ल करना	396
बाब: 26 मिट्टी से तयम्मुम करना	397
बाब: 27 तयम्मुम के साथ पढ़ी हुई नमाज़ के बाद पानी मिल जाये तो?	398
बाब: 28 मज़ी आने से वुज़ू करना	399
सुलैमान पर इख़्तिलाफ़ का बयान	400
बुकैर पर इख़्तिलाफ़ का बयान	401
बाब: 29 नींद की वजह से वुज़ू का हुक्म	403
बाब: 30 अज़्वे मख़्सूस को हाथ लगाने से वुज़ू करना	404
नमाज़, और उसकी फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत	406
नमाज़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	409
बाब: 1 नमाज़ की फ़र्ज़ीयत का बयान और हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) की हदीस़ की सनद में रावियों के इख़्तिलाफ़ और उस (के मतन) में उनके लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	409
बाब: 2 नमाज़ कहाँ फ़र्ज़ हुई?	421

बाब: 3 नमाज़ कैसे फ़र्ज़ हुई?	422
बाब: 4 दिन और रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं?	425
बाब: 5 पाँच नमाज़ों की अदायगी पर बैत (अहद) करना	428
बाब: 6 पाँच नमाज़ों की पाबन्दी करना (ज़रूरी है)	429
बाब: 7 पाँच (फ़र्ज़) नमाज़ों की अदायगी की फ़ज़ीलत	430
बाब: 8 नमाज़ छोड़ने वाले का हुक्म	431
बाब: 9 नमाज़ के बारे में पूछ गछ होगी	432
बाब: 10 जो शख़्स नमाज़ की (सही) अदायगी करे, उसका सवाब	434
बाब: 11 हज़र में ज़ुहर की नमाज़ कितनी रकअत होगी?	435
बाब: 12 सफ़र के दौरान में ज़ुहर की नमाज़	435
बाब: 13 अस्र की नमाज़ की फ़ज़ीलत	433
बाब: 14 नमाज़े अस्र की पाबन्दी	436
बाब: 15 जिस शख़्स ने अस्र की नमाज़ छोड़ दी	438
बाब: 16 हज़र में अस्र की नमाज़ की रकआत कितनी हैं?	439
बाब: 17 सफ़र में अस्र की नमाज़ कितनी है?	440
बाब: 18 मग़रिब की नमाज़	442
बाब: 19 नमाज़ ईशा की फ़ज़ीलत	443
बाब: 20 सफ़र में ईशा की नमाज़ कितनी होगी	444
बाब: 21 नमाज़ बा'जमाअत की फ़ज़ीलत	445
बाब: 22 क़िब्ला कब मुक़र्रर हुआ?	447
बाब: 23 वह हालत जिसमें क़िब्ले की बजाये किसी और तरफ़ नमाज़ पढ़ना जायज़ है	448
बाब: 24 पूरी कोशिश के बावजूद नमाज़ के बाद ग़लती का पता चले (तो दोहराने की ज़रूरत नहीं)	450
औक़ाते नमाज़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	452
औक़ाते नमाज़ का बयान	517
बाब: 1 हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) की इमामत, और पाँचों नमाज़ के औक़ात की हद बन्दी	517
बाब: 2 ज़ुहर की नमाज़ का अव्वल वक़्त	518
बाब: 3 सफ़र में ज़ुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ना	521
बाब: 4 सर्दियों में ज़ुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ना	521
बाब: 5 गर्मी ज़्यादा हो तो ज़ुहर को ठण्डा करके पढ़ना	522
बाब: 6 नमाज़े ज़ुहर का आख़िरी वक़्त	523
बाब: 7 अस्र की नमाज़ का अव्वल वक़्त	526
बाब: 8 अस्र को जल्दी पढ़ना मसनून है	527
बाब: 9 अस्र को देर से पढ़ने पर सख़्ती	530
बाब: 10 नमाज़े अस्र का आख़िरी वक़्त	532
बाब: 11 जिसने अस्र की दो रकआत पा लीं (उसने नमाज़ पा ली)	534
बाब: 12 नमाज़े मग़रिब का अव्वल वक़्त	537
बाब: 13 मग़रिब को जल्दी पढ़ना	538
बाब: 14 मग़रिब को ताख़ीर से पढ़ना	539
बाब: 15 मग़रिब का आख़िरी वक़्त	540
बाब: 16 मग़रिब की नमाज़ के बाद सोने की कराहत	543
बाब: 17 ईशा की नमाज़ का अव्वल वक़्त	544
बाब: 18 ईशा की नमाज़ जल्दी पढ़ना	546
बाब: 19 शफ़क़ (ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद की सुर्ख़ी) का बयान	547
बाब: 20 ईशा की नमाज़ देर से पढ़ना मुस्तहब है	548

बाब:21	ईशा की नमाज़ का आख़िरी वक़्त	552
बाब:22	ईशा की नमाज़ को अ़तमा (अंधेरे की नमाज़) कहना	555
बाब:23	ईशा की नमाज़ को अतमा कहना मकरूह है	556
बाब:24	सुबह की नमाज़ का अव्वल वक़्त	557
बाब:25	हज़र में नमाज़े सुबह अन्धेरे में पढ़नी चाहिए	558
बाब:26	सफ़र में भी नमाज़े सुबह अन्धेरे में पढ़नी चाहिए	559
बाब:27	फ़ज्र की नमाज़ रोशनी में भी पढ़ी जा सकती है	560
बाब:28	जिस शख़्स ने सुबह की नमाज़ से एक रकअ़त पा ली...?	561
बाब:29	सुबह की नमाज़ का आख़िरी वक़्त	562
बाब:30	जिसने किसी नमाज़ की एक रकअ़त पा ली	563
बाब:31	वह औक़ात जिनमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है	565
बाब:32	सुबह की नमाज़ के बाद नफ़ल पढ़ना मना है	568
बाब:33	सूरज के तुलूअ़ होते वक़्त नमाज़ पढ़ना मना है	569
बाब:34	ऐन निस्फ़ुन्नहार के वक़्त नमाज़ की मुमानिअ़त	570
बाब:35	अ़स्र की नमाज़ के बाद (नफ़ल) नमाज़ मना है	570
बाब:36	अ़स्र के बाद नमाज़ की रुख़्सत	574
बाब:37	ग़ुरूबे शम्स से पहले नमाज़ की रुख़्सत	578
बाब:38	(नमाज़) मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ने की रुख़्सत	579
बाब:39	सुबह तुलूअ़ होने के बाद नमाज़ (सुन्नते फ़ज्र)	580
बाब:40	सुबह की नमाज़ तक नफ़ल नमाज़ पढ़ी जा सकती है	580
बाब:41	मक्का मुकर्रमा में तमाम औक़ात में नमाज़ पढ़ना जायज़ है	582
बाब:42	मुसाफ़िर ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ें किस वक़्त इकट्ठी करे?	583
बाब:43	जमा करने के तरीक़े की वज़ाहत	585
बाब:44	जिस वक़्त मुक़ीम भी दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकता है	587
बाब:45	मुसाफ़िर मग़रिब व ईशा की नमाज़ें किस वक़्त जमा करे?	588
बाब:46	किस हालत में दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकता है?	593
बाब:47	हज़र में दो नमाज़ें जमा करना	594
बाब:48	अ़रफ़ात में ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ें जमा करना	595
बाब:49	मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और ईशा की नमाज़ें जमा करना	596
बाब:50	(मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और ईशा को) कैसे जमा किया जाये?	598
बाब:51	नमाज़ों को उनके असल औक़ात पर पढ़ने की फ़ज़ीलत	599
बाब:52	जो आदमी नमाज़ भूल जाये तो...?	601
बाब:53	जो आदमी नमाज़ से सोया रहे तो ?	601
बाब:54	जिस नमाज़ से सोया रहा, अगले दिन उस नमाज़ के वक़्त दोबारा पढ़ना	603
बाब:55	फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा कैसे दी जाये?	605

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

अर्ज़े नाशिर

अस्हाबुल हदीस़ का ये शर्फ़ व इम्तियाज़ है कि बर्रे स़ग़ीर पाक व हिन्द (मुत्तहिदा हिन्दूस्तान) में, जहाँ तक़लीदी मज़हब का दौर दौरा था और अहादीस़ से यक्सर बे ऐतनाई (बेपरवाही) थी, उन्होंने अ़मल बिलहदीस़ के जज़्बे को फ़रोग़ दिया, इसके लिये उ़लमा-ए-हक़, दाइयान व मुबल्लिग़ीन और दीगर अ़वाम व ख़्वास़ को बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ीं, जान जोखों से गुज़रना और इब्तिला व आज़माइश की पुर ख़ार वादियों को तय करना पड़ा लेकिन अल्लाह की रज़ा की ख़ातिर इस्लाम के अ़हदे अव्वल की तरह उन्होंने इन तकालीफ़ को ख़न्दा पेशानी से बर्दाश्त किया और हर मैदान में अ़मल बिलहदीस़ की तहरीक को पूरी जद्दो जहद से जारी रखा। क़दम क़दम पर रूकावटें थीं लेकिन शम्अ़े रिसालत के उन परवानों ने उनकी क़तअ़न परवाह नहीं की और तदरीस के ज़रिये से, तहरीर व तस़नीफ़ के ज़रिये से, वाज़ तब्लीग़ के ज़रिये से, मसाजिद व मदारिस और मराकिज़े दीनिया के क़याम के ज़रिये दावते हक़ के मिशन को आगे ही बढ़ाते रहे। अलग़र्ज़ उन्होंने दावत व तब्लीग़ के हर ज़रिये को इख़्तियार किया और इस राहे हक़ में जो भी आज़माइश आई उसे बर्दाश्त किया। जायदादें ज़ब्त हुईं तो जबीनें शिकन आलूद न हुईं, (सल्वट न पड़ी) मुक़द्दमात का सामना करना पड़ा तो हिम्मतें पस्त न हुईं, मुआ़शरती बायकाट हुये तो हौस़ले न हारे और तअ़न व तशनीअ़ के तीरों से सीने छलनी और दिल फ़िगार (घायल) किये गये तो उस पर भी उफ़ न की बल्कि ये रूकावटें और आज़माइशें महमीज़ का काम देती रहीं क्योंकि उनका अ़ज़्म व हौस़ला बुलन्द था।

इन मसाइ-ए-हस्ना (नेक कोशिश) का जो नतीजा निकला, गुलशने इस्लाम में जो बर्ग व बार (फूल व पत्ते) निकले और पाक व हिन्द के ख़्वाबीदा (सोए हुए) मुसलमानों में बेदारी की जो लहर पैदा हुई, उसकी एक मुख़्तस़र सी झलक मौलाना सय्यद सुलेमान नदवी (رحمه الله) के इस मुक़द्दमे में देखी जा सकती है जो 'तराजुमे हदीस़ हिन्द' के आग़ाज़ में उन्होंने तहरीर किया है जिसमें उन्होंने फ़रमाया है:

'इस तहरीक के जो अस़रात पैदा हुये और उस ज़माने से आज तक हमारे दौरे अदबार की साकिन सतह में इससे जो जुम्बिश हुई, वह भी हमारे लिये बजाये ख़ूद मुफ़ीद और लाइक़े शुक्रिया है। बहुत सी बिदअ़तों का इस्तीस़ाल हुआ। (जड़ उखड़ी) तौहीद की हक़ीक़त निखारी गई, क़ुर्आन पाक की तालीम व तफ़हीम का आग़ाज़ हुआ। क़ुर्आन पाक से बराहे रास्त हमारा रिश्ता दोबारा जोड़ा गया, हदीस़े नबवी की तालीम व तदरीस और तालीफ़ व इशाअ़त की कोशिशें कामयाब हुईं और दावा किया जा सकता है कि सारी दुनिया-ए-इस्लाम में हिन्दूस्तान ही को सिर्फ़ इस तहरीक की बदौलत ये दौलत नस़ीब हुई, और फ़िक़्ह के

बहुत से मसलों की छानबीन हुई। सबसे बड़ी बात ये है कि दिलों से इत्तिब-ए-नुबूवत का जो जज़्बा कम हो गया था वह सालहा साल तक के लिये दोबारा पैदा हो गया।

इसक तहरीक की बुनियाद तीन चीज़ों पर थी (1) नसबे इमारत (2) ज़कात की मर्कज़ियत (3) इस्लाम से तमाम बेरूनी असरात को मिटा कर उसको फिर अपनी असली हालत पर लौटाना।

उलमा-ए-अहले हदीस की तदरीसी व तसनीफ़ी ख़िदमत भी क़द्र के क़ाबिल है। पिछले अहद में नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान मरहूम के क़लम और मौलाना सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन दहेलवी(رحمه الله) की तदरीस से बड़ा फ़ैज़ पहुँचा। भोपाल एक ज़माने तक उलमा-ए-हदीस का मर्कज़ रहा। क़नूज, सहसवान और आज़म गढ़ के बहुत से नामवर अहले क़लम इस इदारे में काम कर रहे थे। शैख़ हुसैन अरब यमनी इन सब के सरख़ील (क़ाइद) थे। और देहली में मौलाना सय्यद मुहम्मद नज़ीर हुसैन साहब की मसनदे दर्स बिछी थी और जौक़ दर जौक़ तालिबीने हदीस मश्रिक़ व मग़रिब से उनकी दर्सगाह का रुख़ कर रहे थे। उनकी दर्सगाह से जो नामवर उठे उनमें से एक मौलाना इब्राहीम साहब आरवी थे जिन्होंने सबसे पहले अरबी तालीम और अरबी मदारिस में इस्लाह का ख़्याल क़ाइम किया और मदरसा अहमदिया की बुनियाद डाली। इस दर्सगाह के दूसरे नामवर मौलाना शम्सुल हक़ साहब मरहूम (साहबे औनुल मअबूद) हैं जिन्होंने कुतुबे हदीस की जमा व इशाअत को दौलत और ज़िन्दगी का मक़सद क़रार दिया और इसमें वह कामयाब हुये। इस दर्सगाह के एक और नामवर तर्बीयत याफ़्ता हमारे ज़िला (आज़म गढ़) में मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारक पूरी थे जिन्होंने तदरीस व तहदीस के साथ साथ जामेअ तिर्मिज़ी की शरह 'तोहफ़्तुल अहवज़ी' (अरबी) लिखी।

इस तहरीक का एक और फ़ायदा ये हुआ कि मुद्दत का ज़ंग तबीयतों से दूर हुआ और ये जो ख़्याल पैदा हो गया था कि अब तहक़ीक़ का दरवाज़ा बन्द और नये इज्तिहाद का रास्ता मस्दूद (बन्द) हो चुका है, रफ़अ (ख़त्म) हो गया और लोग अज़ सरे नो तहक़ीक़ व काविश के आदी होने लगे, कुर्आन पाक और अहादीसे मुबारका से दलाइल की ख़ू पैदा हुई और क़ील व क़ाल के मक्दद गढ़ों की बजाये हदीस के असली चश्म-ए-मुसफ़्फ़ा (पाकीज़ा) की तरफ़ वापसी हुई।' (मुक़द्दमा 'तराजिम उलमा-ए-हदीस 'हिन्द' मौलिफ़ा इमाम ख़ां नोशहरवी, मरहूम, सफ़ा:31-33)

उलमा-ए-अस्हाबुल हदीस की इस मसाइ-ए-हस्ना की एक सूरत अहादीस की किताबों की शरह व तौज़ीह भी थी, जैसे सुनन अबू दाऊद की शरह 'औनुल मअबूद' ग़ायतुल मक़सूद' जामेअ तिर्मिज़ी की शरह 'तोहफ़्तुल अहवज़ी' सुनन दारेकुतनी की शरह 'अत्तअलीक़ अल्मुग़नी' सुनन नसाई की शरह 'अत्तअलीक़ातुस्सल्फ़िय्यह' इब्ने माजा की शरह 'अन्जाजुल हाज़ा' और दीगर कुछ शुरूहात व हवाशी हैं जैसा कि मौलाना नदवी (رحمه الله) के मज़कूरा इक़्तिबास में भी इस तरफ़ इशारा है।

ये सारा काम अरबी ज़बान में है जिसका फ़ैज़ अरब तक भी पहुँचा। इसके अलावा मक़ामी ज़बान उर्दू में भी अमल बिलहदीस़ पर बहुत सा लिटरेचर शाया हुआ। उनमें एक नुमायाँ काम कुतुबे सित्तह (स़हीह बुख़ारी व स़हीह मुस्लिम और सुनन अरबआ) के उर्दू तराजिम और उनके फ़वाइद भी थे। और ये इस्लाम के चौदह सौ साला अ़हद में मजमूआ हाए अहादीस़ के पहले तराजिम थे जो दुनिया की किसी भी ज़बान में हुये जिसका शर्फ़ अहले हदीस़ को हासिल हुआ।

मज़कूरा छः किताबों में से पाँच के तर्जुमे मौलाना वहीदुज़्ज़मां हैदराबादी (رحمه الله) ने नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (رحمه الله) वाली-ए-भोपाल के अयमा (कहने) और तआवुन से किये, और मोत्ता इमाम मालिक का तर्जुमा किया। जामेअ तिर्मिज़ी का तर्जुमा उनके भाई मौलाना बदीउज़्ज़माँ ने किया।

इन तराजिम से उर्दू दां तबक़े को बहुत फ़ायदा हुआ, अवाम व ख़्वास़ ने फ़ैज़ उठाया और अ़मल बिलहदीस़ की तहरीक को बड़ा फ़रोग़ मिला। जज़ाहुमुल्लाह अहसनुल जज़ाअ.

तक़रीबन एक स़दी से ये तराजिम मुतदावल हैं और अ़वाम व ख़्वास़ का मरजिअ़ है। लेकिन अब एक तो उनकी ज़बान काफ़ी पुरानी हो गई है, इसलिये एक अ़र्से से ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि उर्दू ज़बान के जदीद उस्लूब में नये सिरे से ये तर्जुमे किये जायें। दूसरे, शैख़ नास़िरूद्दीन अल्बानी (رحمه الله) और उनके तलामिज़े की कोशिशों से तहक़ीक़ हदीस़ का जो ज़ौक़ पूरे आ़लमे इस्लाम में आम हुआ है, उसके पेशे नज़र बजा तौर पर लोगों के अन्दर ये तड़प पैदा हुई कि काश सुनने अरबआ (अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा और तिर्मिज़ी) में जो ज़ईफ़ रिवायात हैं, उनकी निशानदेही भी कर दी जाये। तीसरे, ज़ईफ़ रिवायात की बुनियाद पर जो अहकाम व मसाइल मुसलमान भाईयों और बहनों में फैले हुये हैं, उनकी तर्दीद व वज़ाहत भी हो जाये क्योंकि ज़ईफ़ अहादीस़ की निस्बत ही रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मशकूक है तो उससे अहकाम व मसाइल का इस्तिम्बात क्यूँ कर स़ही होगा? इसलिये उ़लमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन व किबार मुहद्दिसीन का यही फ़ैस़ला है कि ज़ईफ़ हदीस़ पर अ़मल करना जायज़ नहीं, न फ़ज़ाइले आ़माल में और न किसी और मसले में।

इस अ़ज़ीम ख़िदमत पर, जिसकी सआदत अल्लाह ने मुझे अ़ता फ़रमाई है, मेरा सर बारगाहे इलाही में सज्दा रेज़ है, मेरी जबीने नियाज़ उसके फ़ज़ल व करम की मेहराब में झुकी हुई है और मेरा हर मूए तन बदन पा ज़बान सपास है।

- नाशिर

अर्जे मुतर्जिम

जून 1999 ई. में जनाबे गिरामी क़द्रे मोहतरम हाफ़िज़ सलाउद्दीन यूसुफ़ साहब और उनके साथी ने मुझ नाचीज़ को सुनन नसाई के तर्जुमा व फ़वाइद पर काम करने की रग़बत दिलाई, मैंने भी उनकी हौसला अफ़ज़ाई से काम करने की हामी भर ली मैं इल्मी तौर पर अपने आपको इसका अहल न समझता था मगर उनकी हौसला अफ़ज़ाई से मैंने ये काम करने की हामी भर ली। उनकी हिदायात ये थीं कि ये काम उर्दू ख़्वां तालीम याफ़्ता तबक़े और अवामुन्नास की ज़रूरियात के पेशे नज़र किया जाये जिसमें मुग़लक़ (पैचीदा) इबारात और पेचीदा मुबाहिस़ से इज्तिनाब किया जाये। वाज़ेह और मतलब ख़ेज़ तर्जुमा हो और पेश आमद मसले की मुख़्तसर तफ़हीम भी। सादा दलाइल हों ताकि एक आम क़ारी बग़ैर किसी मुश्किल के रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रामीन को उनकी असली हालत में समझ सके। मैंने इसी अन्दाज़ में इस काम को सरअंजाम देने की कोशिश की है। मैं अपनी इस कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा हूँ? इसका फ़ैसला क़ारेईन के सुपुर्द। मैंने इस सिलसिले में जो तरीक़ेकार इख़्तियार किया है, उसके बुनियादी ख़ुतूत ये हैं:

① चूंकि ये तर्जुमा व फ़वाइद आम क़ारेईन के लिये हैं, लिहाज़ा इनमें अरबियत के निकात या लुग़वी मुबाहिस़ से क़सदन परहेज़ किया गया है। दलाइल आम फ़हम अन्दाज़ में बयान किये गये हैं। उसूले हदीस़ या उसूले फ़िक़्ह के फ़नी मुबाहिस़ से ज़्यादा इअ्तिना (तवज्जह) नहीं किया गया ताकि क़ारी परेशान न हो।

② अहादीस़ की सेहत व ज़ुअफ़ की बाबत बहस़ नहीं की गई मगर ये कि किसी हदीस़ को तर्जीह देना मक़सूद हो। हाँ, अलबत्ता अहादीस़ की तहक़ीक़ व तख़रीज इदारे ने अलग तौर पर फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ हज़रत मौलाना हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई (رحمه الله) से करवाई है जो हाशिये में दर्ज है, वहाँ से इस्तिफ़ादा किया जाये।

③ अहादीस़ में इख़्तिलाफ़ की सूरत में मामूली ज़ुअफ़ (कमज़ोरी) की वजह से किसी हदीस़ को तर्क करने की बजाये तत्बीक़ की कोशिश की गई है। मुहद्दिस़ीने किराम का तरीक़ा यही रहा है कि मामूली ज़ुअफ़ का अंजिबार (जोड़) अगर कसरते तुर्क़ या शवाहिद व तवाबेअ (तबअ) की वजह से हो जाये या तत्बीक़ मुमकिन हो तो वह किसी हदीस़ को तर्क नहीं करते।

④ इज्माई मसाइल में इज्मा सहाबा व ताबेईन की सख़्ती से पाबन्दी की गई है और किसी इख़्तिलाफ़ करने वाले के इख़्तिलाफ़ को मोतबर नहीं समझा गया। ग़ैर इज्माई मसाइल में उमूमी तौर पर जुम्हूर अहले इल्म (सहाबा व ताबेईन) की राय को तर्जीह दी गई है क्योंकि अहले इल्म की कसरत भी एक बड़ी कुव्वत है जिसे नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता। उसूले हदीस में भी कसीर सिक़्ह रावियों या वुसूक़ के मुक़ाबले में एक सिक़्ह रावी की बात को बवजह-ए-मुख़ालिफ़त व मनाफ़ात के शाज़ कह कर रद्द कर दिया जाता है।

⑤ इस्तिदलाल व इस्तिन्बात में ज़वाहिर नुसूस के साथ साथ मक़ासिदे शरअ को मद्दे नज़र रखा गया है और ऐसी तावीलात व तौजीहात से गुरेज़ किया गया है जो नुसूस के ज़ाहिरी मफ़ाहीम या मक़ासिदे शरअ से मुताबिक़त नहीं रखतीं।

⑥ अहले ज़ाहिर के लफ़्ज़ी जुमूद और अहले राय की मूशगाफ़ियों को, ख़ुसूसन जब उस तरीक़ से जुम्हूर अहले इल्म की मुख़ालिफ़त की गई हो, लायक़े ऐतना (तवज्जह) नहीं समझा गया बल्कि फ़ुक़्ह-ए-मुहद्दिसीन का अन्दाज़ इख़्तियार किया गया है।

⑦ जिन मसाइल में दोनों तरफ़ दलाइल हों, वहाँ कोशिश की गई है कि जो मौक़फ़ अक़रब इल्लस्सवाब या नुसूस के ज़ाहिरी मफ़हूम के मुताबिक़ है, उसे ही इख़्तियार किया जाये, और एक जानिब को इख़्तियार करने में तशद्दुद से काम न लिया जाये, जैसे: वह मसाइल जो सहाबा व ताबेईन में मुख़्तलिफ़ फ़ेह रहे हैं और जिनमें दोनों तरफ़ अकाबिर सहाबा व ताबेईन हैं, ऐसे मसाइल में किसी एक राय पर तशद्दुद के बजाये नर्म अन्दाज़ इख़्तियार किया गया हैं दूसरे फ़रीक़ पर तअ़न व तशनीअ़ नहीं की गई। फ़ुक़्ह-ए-मुहद्दिसीन का यही अन्दाज़ है जिसे उनकी तसानीफ़ में साफ़ देखा जा सकता है, जैसे: सहीह बुख़ारी या जामेअ़ तिर्मिज़ी वग़ैरह। इस सिलसिले में इमाम हिन्दे हज़रत शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) की तसरीहात इन्तिहाई क़ाबिले क़द्र हैं। उनकी बुलन्द पाया किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा इख़्तिलाफ़ी मसाइल की हक़ीक़त को समझने के लिये इन्तिहाई मुफ़ीद है। माज़ी क़रीब में हज़रतुल उस्ताज़ शैख़ुश्शुयूख़ मुहद्दिसुल अस्र हाफ़िज़ मुहम्मद गोन्दलवी (رحمه الله) इसी फ़िक्र के अलम बरदार रहे हैं और यही हक़ व सवाब की राह है जो जुमूद व तअ़स्सुब से पाक है। जज़ाहुमुल्लाह ......!

⑧ इज्तिहाद व इस्तिन्बात के इख़्तिलाफ़ में तमाम अहले इल्म व तक़वा का एहतिराम क़ायम रहना चाहिए। इसकी वजह से किसी को सब्ब व शितम का निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हर राय और इस्तिन्बात में ग़लती और ख़ता का इम्कान होता है। इन इख़्तिलाफ़ात की बिना पर किसी अहले इल्म पर

तअ़न व तशनीअ़ या तन्ज़ करना सूए अदब है जो इल्म की बरकत और हिदायत से महरूमी का सबब है। अल्इयाज़बिल्लाह.

⑨ कुछ अहले इल्म व तक़वा अपनी जलालते क़द्र के बावजूद कुछ मसाइल में तफ़र्रुद (अकेले) का शिकार हो गये और उनकी राय जमीअ़ अहले इल्म से मुख़ालिफ़ हो गई और उसकी बुनियाद महज़ लफ़्ज़ी इस्तिदलाल या क़यासे अ़क़्ली पर है। ऐसी राय को उनका एहतिराम व अदब क़ायम रखते हुये लायक़े तवज्जह नहीं समझा जायेगा चाहे वह अ़मल में आये क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने तफ़र्रुद और शुज़ूज़ से मना फ़रमाया है और जमाअ़त के साथ रहने का हुक्म दिया है। ऐसी लग़ज़िशों को किसी की इल्मी वजाहत के ज़ोर पर क़ाबिले अ़मल व तस्लीम क़रार नहीं दिया जा सकता।

⑩ किसी एक फ़िक़्ही मस्लक की तंग नाए में फँसने के बजाये फ़िक़्हियात में (ख़ुज़ मा सफ़ावदअ़ मा कदिर) के उ़सूल पर अ़मल किया गया है जो कि मुहद्दिसीन का तुर्रा-ए-इम्तियाज़ है।

अहले इल्म से उम्मीद है कि इस फ़क़ीर को इसकी ग़लतियों पर मुतनब्बह फ़रमाया जायेगा और इस्लाह की ख़ैरख़्वाहाना कोशिश की जायेगी।

अल्लाहुम्मा अन्फ़अ़्नी बिमा अ़ल्लमतनी व अ़ल्लमनी मा यन्फ़अ़्नी व ज़िद्नी इल्मा!

मुहम्मद अमीन अ़फ़ाल्लाह अन्हू

मुअल्लिफ़ सुनन अन्नसाई

अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब अन्नसाई (ﷺ)

✦ **नाम व नसब :** अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब बिन अली बिन सिनान बिन बहर बिन दीनार अन्नसाई, अलख़ुरासानी।

✦ **निस्बत नसाई की वजह तस्मिया :** नसाई 'निसा' की तरफ़ निस्बत है। अहले अरब कुछ औक़ात हमज़ह को वाव से बदल कर नस्वी भी पढ़ते हैं जो कि क़यास के मुताबिक़ राजेह है लेकिन मशहूर नसाई ही है। इब्ने ख़ल्कान (ﷺ) के नज़दीक 'नून' और 'सीन' दोनों पर फ़तहा है और 'हमज़ह' मक्सूर है। ये सरख़िस के क़रीब ख़ुरासान का एक मशहूर शहर है जिसे फ़ीरोज़ बिन यज़दगर्द ने आबाद किया था।

✦ **विलादत :** आप 214 या 215 हिजरी में पैदा हुये। इमाम नसाई (ﷺ) से सवाल किया गया कि आपका सने विलादत क्या है? आपने फ़रमाया: 'ग़ालिबन मेरी तारीख़ पैदाइश 215 हिजरी है।' (तहज़ीबुल तहज़ीब: 1/33) आपके सने विलादत के बारे में एक क़ौल ये है कि आप 225 हिजरी में पैदा हुये। (अलवाफ़ी बिलवफ़यात लिस्सफ़दी: 6/216) लेकिन इस क़ौल को इमाम सख़ावी ने क़तई तौर पर ग़लत क़रार दिया है।

✦ **रहलत इल्मी :** इमाम नसाई (ﷺ) ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? इसकी तफ़्सील नहीं मिलती। ख़ुरासान और मावराअन्नहर का इलाक़ा हमेशा से इल्म व फ़न और अरबाबे कमाल का मर्कज़ रहा है। तारीख़े इस्लाम के सैकड़ों नामवर उलमा व फ़ुज़ला इसी ख़ाक से उठे हैं। इमाम नसाई (ﷺ) भी इसी ज़रख़ेज़ ख़ाके पाक के माय-ए-नाज़ फ़र्ज़न्द थे। अन्दाज़ा है कि इब्तेदाई तालीम आपने यहीं से हासिल की होगी।

इमाम नसाई (ﷺ) जिस दौर में पैदा हुये उस दौर में तलबे हदीस और तहसीले इल्म के लिये दूर दराज़ के इलाक़ों का सफ़र करना मुसलमान अहले इल्म का एक शआर बन चुका था। सैकड़ों, हज़ारों मील सफ़र पा प्यादा तय करना, बर्रे आज़मों और समन्दरों को पार करना, उनके यहाँ मामूली बात थी। इसी तर्ज़े अमल को इख़्तियार करते हुये आप भी बक़ौल अल्लामा ज़हबी (ﷺ) सबसे पहले 230 हिजरी में सिमाअे हदीस के लिये क़ुतैबा बिन सईद (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये, उस

वक़्त आपकी उम्र 15 साल थी, उनके पास एक साल दो माह क़ियाम रहा। फिर आप नीशापूर तशरीफ़ ले गये। वहाँ आपने इस्हाक़ बिन इब्राहीम हन्ज़ली (इब्ने राहवेह), अबुल हसन बिन मन्सूर, मुहम्मद बिन राफ़ेअ वग़ैरह और उनके हम अस्र शुयूख़ से इस्तिफ़ादा किया। तलबे हदीस के लिये आपने बहुत से शहरों का सफ़र किया। ख़ुरासान, इराक़, हिजाज़, जज़ीरा, शाम, सग़ूर और मिस्र वग़ैरह बहुत से शहरों के अकाबिर शुयूख़ और असातिज़ा से इस्तेफ़ादा किया, फिर मुस्तक़िल तौर पर मिस्र को अपनी इल्मी सरगर्मियों का मर्कज़ बनाया और यहीं सुकूनत इख़्तियार कर ली। फिर बिल आख़िर ज़िल्क़अ्दा 302 हिजरी में मिस्र से दमिश्क़ आ गये।

✦ **असातिज़ा-ए-किराम :** इमाम नसाई (رحمه الله) के असातिज़ा का हल्क़ा बहुत वसीअ है। आपने बड़े बड़े असातिज़ा-ए-फ़न और असातीने इल्म से इस्तेफ़ादा किया। आपके असातिज़ा के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) रक़मतराज़ (लिखते) हैं: 'आपने अनगिनत लोगों से सिमाअ़े हदीस किया है।' (तहज़ीबुत्तहज़ीब: 1/32) चन्द एक असातिज़ा व शुयूख़ के अस्मा-ए-गिरामी दर्ज ज़ेल हैं:

अ़ली बिन हजर, हिशाम बिन अ़म्मार, ईसा बिन ज़ग़बा, मुहम्मद बिन नस्र मरूज़ी, इस्हाक़ बिन मूसा अन्सारी, इब्राहीम बिन सअ़द जोहरी, इब्राहीम बिन याक़ूब जोज़जानी, अहमद बिन बुकार, हसन बिन मुहम्मद इब्ने ज़ाफ़रानी, अ़म्र बिन ज़रारह, अबू यज़ीद जरमी, यूनुस बिन अ़ब्दुल आला, मुहम्मद बिन अ़ब्दुल आला, हारिस बिन मिस्कीन, हन्नाद बिन सरी, मुहम्मद बिन बश्शार, अबू दाऊद सजिस्तानी, याहया बिन दरसत, नस्र बिन अ़ली जहज़मी, याक़ूब दौरक़ी, यूसुफ़ बिन वाज़ेहुल मौदब, और मुहम्मद बिन सना (رحمه الله), और हिजाज़, इराक़, शाम, मिस्र, सग़ूर, ख़ुरासान, जज़ीरा और दीगर इलाक़ों के बेशुमार मुहद्दिसीन से आपने इस्तिफ़ादा किया। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इमाम बुख़ारी (رحمه الله) को भी आपके शुयूख़ व असातिज़ा में शुमार किया है।

✦ **तलामिज़े :** आपके शागिर्दों में आ़लमे इस्लाम और दुनिया-ए-इल्मे हदीस के मुख़्तलिफ़ गोशों के लोग मिलते हैं। तहज़ीबुल कमाल में अ़ल्लामा मज़ी (رحمه الله) ने इनके शागिर्दों और तलामिज़े (शागिर्द) की एक तवील फ़ेहरिस्त दी है। इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी चन्द एक के अस्मा-ए-गिरामी दर्ज करने के बाद फ़रमाया: 'इनसे सिमाअ़े हदीस करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनका शुमार नहीं हो सकता।' (तहज़ीबुत्तहज़ीब: 1/32) चन्द तलामिज़े के नाम दर्ज ज़ेल हैं:

अबू बशर दोलाबी, अबू जाफ़र तहावी, अबू अली नीशापूरी, अबू बक्र अहमद बिन मुहम्मद बिन इस्हाक़ अद्देनवरी (इब्नुस्सुन्नी), अबू बक्र मुहम्मद बिन अहमद बिन अलहिदाद, अब्दुल करीम बिन अबू अब्दुर्रहमान नसाई, अबुल क़ासिम सुलेमान बिन अहमद तबरानी, अबू जाफ़र अहमद बिन मुहम्मद बिन इस्माईल नहास नहवी, हसन बिन ख़िज्र (अस्सुयूती), हसन बिन रशीक़, अब्यज़ बिन मुहम्मद बिन अब्यज़, और मुहम्मद बिन मुआविया बिन अल्अहमर उन्दुलुसी वग़ैरहुम (رحمہم اللہ).

✦ **सुनन नसाई के रावी :** हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمہ اللہ) के बक़ौल आपसे सुनन नसाई रिवायत करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, उनमें से मशहूर तरीन नीचे दिये गये दस अफ़राद हैं:

(1) अब्दुल करीम बिन अबू अब्दुर्रहमान नसाई, (2) अबू बक्र अहमद बिन मुहम्मद बिन इस्हाक़ (इब्नुस्सुन्नी), (3) अबू अली हसन बिन ख़िज़्र (अस्सुयूती), (4) हसन बिन रशीक़ अस्करी, (5) अबुल क़ासिम हमज़ह बिन मुहम्मद बिन अली अलकिनानी, (6) मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़करिया बिन हैवया, (7) मुहम्मद बिन मुआविया बिन अहमर, (8) मुहम्मद बिन क़ासिम अलउन्दुलुसी, (9) अली बिन अबू जाफ़र तहावी, (10) अबू बक्र अहमद बिन मुहम्मद बिन अलमहंदस ..... (رحمہم اللہ).

✦ **हीला-ए-मुबारक :** अल्लाह तआला ने जिस तरह इमाम नसाई (رحمہ اللہ) को मअनवी और बातिनी महासिन (खूबियों) से हिस्सा-ए-वाफ़िर अता किया था इसी तरह हुस्ने ज़ाहिरी की नेमत भी भरपूर अन्दाज़ में अता फ़रमाई थी। इन्तिहाई ख़ूबसूरत व शकील थे। चेहरा बड़ा बारौब, निहायत पुर शिक्वा और रोशन था। रंग निहायत सुर्ख़ व सफ़ेद था यहाँ तक कि बुढ़ापे के बावजूद भी हुस्से तरोताज़गी में फ़र्क़ नहीं आया था।

✦ **ज़ुहद व तक़वा :** इमाम नसाई (رحمہ اللہ) यक्ता-ए-रोज़गार और शब ज़िन्दादार थे। अक्सर सौमे दाऊदी पर अमल पेरा रहे, यानी एक दिन रोज़ा रखते और दूसरे दिन तर्क करते। कसरत से हज्जे बैतुल्लाह के लिये तशरीफ़ ले जाते थे। हाफ़िज़ मुहम्मद बिन मुज़फ़्फ़र (رحمہ اللہ) बयान फ़रमाते हैं कि मैंने मिस्र में अपने मशाइख़ को ये बयान करते सुना है कि आपके दिन का बहुत ज़्यादा हिस्सा इबादत में गुज़रता था।

✦ **आम हालात :** इमाम साहब (رحمہ اللہ) सुन्नते रसूल के शैदाई (शौक़ीन) थे। तादम वापसें आपने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की सुन्नतों को क़ायम किये रखा। बादशाहों और फ़रमां रवाओं की

महाफ़िल से गुरेज़ करते थे, गोया कि उनका ये तुर्रा-ए-इम्तियाज़ था। 'मैं ख़ाक नशीं हूँ मेरी जागीर मुसल्ला, शाहों को सलामी मेरे मस्लक में नहीं।'

हाफ़िज़ इब्ने कसीर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि आमिल बिस्सुन्नह होने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ख़ुश ख़ूराक थे। अक्सर मुर्ग़ तनावुल फ़रमाते और नबीज़ (खजूर का शरबत) पीते थे। इमाम नसाई (رحمه الله) के घर चार औरतें और दो लोण्डियाँ थीं लेकिन इन्तिहाई अद्ल व इन्साफ़ से काम लेते हुये आपने अपनी बीवियों और लोण्डियों के बीच बारी मुक़र्रर कर रखी थी। चार बीवियाँ और लोण्डियाँ होने के बावजूद आपकी औलाद में से सिर्फ़ साहबज़ादा अब्दुल करीम का नाम मालूम हो सका है। बहुत क़वी, शुजाअ, नज़र और बहादुर थे। आपकी जुरअत व दिलेरी पर आपकी शहादत का वाक़िया बहुत वाज़ेह है। (तहज़ीबुल कमाल: 1/156, 157)

✦ अइम्मा-ए-जिरह व तअदील की नज़र में इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़ाम व मर्तबा : इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (رحمه الله) का अइम्मा-ए-फ़न की नज़र में बहुत बुलन्द मक़ाम है।

- इमाम दारेक़ुतनी (رحمه الله) फ़रमाते हैं : 'इमाम नसाई (رحمه الله) अपने दौर के तमाम मुहद्दिसीन से (शैख़ैन के बाद) बुलन्द मक़ाम व मर्तबा रखते हैं।'

- हाफ़िज़ अबू अली नेशापूरी कहते हैं : 'बग़ैर किसी तक़ाबुल और मुक़ाबले के इमाम साहब (رحمه الله) हदीस में इमाम होने का दर्जा रखते हैं।'

- हाफ़िज़ शम्सुद्दीन ज़हबी (رحمه الله) रक़मतराज़ हैं : 'आप हदीस, इलल हदीस और इल्मुर्रिजाल में इमाम मुस्लिम, तिर्मिज़ी, और अबू दाऊद से ज़्यादा माहिर हैं और अबू ज़रआ व इमाम बुख़ारी (رحمه الله) के हमसर और बराबर हैं। मज़ीद फ़रमाते हैं: 'तीसरी सदी के आख़िर में इमाम नसाई (رحمه الله) से ज़्यादा हाफ़िज़ुल हदीस कोई नहीं था।' (सीर आलामुन्नुबला: 14/13)

- अबू बक्र बिन अलहदाद शाफ़ेई (رحمه الله) कहते हैं : 'मैंने अपने और अल्लाह तआला के बीच इमाम नसाई (رحمه الله) को हुज्जत बना लिया है।'

- हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं : 'फ़ने रिजाल में माहिरीन की एक जमाअत ने आपको इमाम मुस्लिम बिन हिजाज (رحمه الله) पर फ़ौक़ियत दी है यहाँ तक कि इमाम दारेक़ुतनी (رحمه الله) वग़ैरह ने आपको इमामुल अइम्मा अबू बक्र बिन ख़ुज़ैमा, साहिबे सहीह से भी मुक़द्दम रखा है।'

अगरचे जुम्हूर के नज़दीक के क़ौल मरजूह है और क़ाबिले इल्तिफ़ात (तवज्जह) नहीं बहरहाल इससे इमाम नसाई का मक़ाम व मर्तबा बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो जाता है।

✦मस्लक इमाम नसाई और तशय्युअ का इल्ज़ाम : दीगर अइम्मा-ए-हदीस़ और मुहद्दिसीने इज़ाम की तरह इमाम नसाई (رحمه الله) भी ख़ालिसतन मुतीअे क़ुर्आन व हदीस़ थे। किसी ख़ास़ फ़िक़्ही मक्तबे फ़िक्र के हामिल न थे, इसके बावजूद उनके फ़िक़्ही मस्लक के बारे में उलमा की राय मुख़्तलिफ़ हैं कि अइम्मा-ए-मुज्तहिदीन में से किस की तरफ़ उनका इन्तिसाब है। शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'आप शाफ़ेई मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे जैसा कि आपके मनासिक से पता चलता है।'

शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस़ दहेलवी (رحمه الله) उन्हें शवाफ़ेअ में शुमार करते हैं, इसी तरह नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान (رحمه الله) भी। फ़ैजुल बारी में अनवर शाह कशमीरी (رحمه الله) का क़ौल है कि कुछ लोगों ने इमाम नर्सा और अबू दाऊद (رحمه الله) को शाफ़ेई कहा है लेकिन हक़ ये है कि वह हम्बली थे। शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) ने भी इसकी तस़रीह की है जबकि क़रीने स़वाब, राजेह और दुरुस्त बात ये है कि आपका मस्लक किताब व सुन्नत ही था। इमाम मौस़ूफ़(رحمه الله) क़ुर्आन व हदीस़ पर किसी की बात और ज़ाती राय को तर्जीह नहीं देते थे। सुनन नसाई के कई मक़ामात पर तराजिमुल अबवाब से इस बात का जायज़ा लिया जा सकता है। हाँ, वाक़ेआती सूरत में बरबनाये दलील कभी उनकी मुवाफ़िक़त शाफ़ेई अलैहिर्रहमा से और कभी इमामुस्सुन्नह अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) के मस्लक व मज़हब से हो जाती और ये बईद नहीं, बहरहाल आप (رحمه الله) तक़लीदी जमूद से यक़ीनन मुबर्रा थे।

जहाँ तक इल्ज़ामे तशय्युअ का ताल्लुक़ है तो वह सरासर बेबुनियाद है। वाक़िया ये है कि जब आप मुल्के शाम तशरीफ़ ले गये तो वहाँ ख़ारजियत का ज़ोर था। हज़रत अली (رضي الله عنه) के मुख़ालिफ़ भारी अक्स़रियत में मौजूद थे। आपने लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिये किताब 'ख़स़ाइस़े अली' तस़नीफ़ की जिसकी पादाश में आप पर शीअयत का इल्ज़ाम लग गया जो बिल्कुल झूठ पर मबनी था क्योंकि बाद में आपने फ़ज़ाइले स़हाबा पर एक मुस्तक़िल किताब तस़नीफ़ फ़रमाई। (तहज़ीबुल कमाल: 1/157)

✦ वफ़ात : जब मिस्र में आपके इल्म व अदब का चर्चा ख़ूब हुआ तो हासिदीन ने हसद करना शुरू कर दिया। आप वहाँ से फ़िलिस्तीन के शहर रमला आ गये। यहाँ चूंकि बनू उमय्या की तवील हुकूमत के सबब ख़ारजियत और नास़बियत का ज़ोर था, लोग हज़रत अली (رضي الله عنه) के बारे में बदगुमान थे, लिहाज़ा आप दमिश्क़ तशरीफ़ ले गये, मिम्बर पर बिराजमान होकर किताब 'ख़स़ाइस़े अली' की क़िराअत शुरू

की, अभी थोड़ी सी ही पढ़ी थी कि लोगों ने इस्तिफ़सार करना शुरू कर दिया कि अमीर मुआविया के बारे में भी कुछ लिखा है? इमाम साहब (رحمه الله) ने उनकी मन्शा के ख़िलाफ़ जवाब दिया, अवाम मुश्तअल (गुस्से में) हो गये और आपको मारा, पीटा। नाज़ुक जगहों पर सख़्त चोटें आईं, बेहोशी की हालत में लोग उठाकर घर लाये। होश आने पर आपको महसूस हुआ कि शायद मैं ज़िन्दा न रह सकूँ तो बतौर वसियत आपने फ़रमाया कि मुझे मक्का मुअज़्ज़मा ले चलो। मेरा मदफ़न और जाए वफ़ात वही होना चाहिए। कहा जाता है कि आपकी वफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा में हुई और आपको सफ़ा व मरवा के दरम्यान दफ़न किया गया। 'इस ख़ाक के ज़र्रों से हैं शर्मिन्दा सितारे, इस ख़ाक में पोशीदा है वह साहिबे इसरार।'

दूसरी रिवायत ये भी बयान की जाती है कि आपको मक्का मुअज़्ज़मा ले जाने के लिये उठाया गया तो आपका इन्तिक़ाल रास्ते में फ़िलिस्तीन के शहर रमला में हो गया। आपकी वसियत के मुताबिक़ आपकी लाश मक्का मुकर्रमा पहुँचाई गई। आपकी वफ़ात 13 सफ़र 303 हिजरी पीर के दिन हुई। उस वक़्त आपकी उमर 88 साल थी। आपकी वफ़ात के बारे में अगरचे और भी अक़वाल हैं लेकिन इमाम ज़हबी (رحمه الله) ने 13 सफ़र 303 हिजरी ही को सही क़रार दिया है। 'आसमां तेरी लहद पर शबनम अफ़शानी करे, सब्ज़ा-ए-नूरुस्ता इस घर की निगेहबानी करे।'

✦ **तसनीफ़ी व तालीफ़ी ख़िदमात :** इमाम नसाई (رحمه الله) ने मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत पर माया-ए-नाज़ क़ाबिले क़द्र कुतुब तसनीफ़ फ़रमाई हैं, चन्द एक के नाम नीचे दिये गये हैं:

अस्सुननिल कुब्रा, ख़साइसे अली, फ़ज़ाइलु सहाबा, अमलिल यौमि वल्लेलह, किताबुल तफ़्सीर, अलजुमआ, मनासिकुल हज, अलकना, अज़्ज़ुअफ़ा वल्मतरूकून, अत्तम्यीज़, मुअज्जम शुयूख़, किताबुल तब्क़ात, अलतसनीफ़ फ़ी मुअरिफ़तुल अख़वा वलअख़वात, मुसनद मालिक बिन अनस, मुसनद हदीसुल ज़ुहरी बअललह, मुसनद हदीस शुअबा बिन अलहिजाज, किताबुल इग़राब, अलजिरह वत्तअदील, फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन, वफ़ातुन्नबिय्यी व इम्लातिहिल हदीसिय्या, और शुयूख़ अज़्ज़ुहरी.

इसके अलावा और भी बहुत सी कुतुब हैं जो शैख़ के रसूख़ फ़िल इल्म, इमामत और जलालते शान पर दलालत करती हैं।

सुनन नसाई और इसकी इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात

✦ **सुनन की तारीफ़ :** उलमा-ए-हदीस़ की इस्तिलाह में 'सुनन' वह किताब है जिसमें किताबुत्तहारत से लेकर किताबुल वस़ाया तक के अहकाम की अहादीस़, फ़िक़्ही अन्दाज़ और तर्तीब से जमा की गई हों।

✦ **सुनन नसाई :** सुनन नसाई को कई उलमा ने दीगर सिहाह की तरह अलस़हीह के नाम से मौसूम किया है जिनमें इब्ने मुन्दा, इब्ने सिकन, दारेक़ुतनी, अबू अली नेशापूरी, ख़तीब बग़दादी, इब्ने अदी और हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمهم الله) जैसे मुहद्दिस़ीन शामिल हैं। इसे अस्सुनन अस्सुग़रा भी कहते हैं ताकि सुननिल कुब्रा और इसके दरम्यान तमीज़ हो सके। इसे अलमुज्तबा का नाम भी दिया जाता है जो कि फ़रमाने ईलाही : (फ़ज्तबाहु रब्बुहु ....) से माख़ूज़ है क्योंकि इमाम स़ाहब(رحمه الله) ने इसे सुननिल कुब्रा से मुन्तख़ब और पसन्द किया है। इसे अलमुज्तबा भी कहते हैं जो 'उसने फल चुना और काटा' से माख़ूज़ है। चूंकि इमाम स़ाहब (رحمه الله) ने अपने गुलिस्ताने हदीस़ (सुननिल कुब्रा) से इसे चुना और अख़ज़ किया है, इसलिये इस पर अलमुज्तबा के नाम का इत्लाक़ भी दुरुस्त है।

✦ सुनन नसाई की क़द्र व मन्ज़िलत और उलमा की स़ना ख़्वानी :

- इमाम सल्फ़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'सुनन नसाई उन पाँच किताबों में शामिल है जिनकी स़ेहत पर उलमा-ए-मश्रिक़ व मग़रिब का इत्तिफ़ाक़ है।'

- इब्ने रशीद कहते हैं : 'सुनन पर जितनी कुतुब तस़नीफ़ हुई हैं इमाम नसाई की किताब हसन तर्तीब व तस़नीफ़ में सबसे अनोखी और निराली शान वाली है। मज़ीद फ़रमाते हैं कि इसका अक्स़र हिस़्सा स़हीहैन के तरीक़-ए-तस़नीफ़ को शामिल है क्योंकि उनकी बयानकर्दा इलल ऐसी नादिर और मुहकम हैं गोया इत्तिलाआते ग़ैब से हैं।'

- सुनन नसाई की क़द्र व मन्ज़िलत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इमाम तजीबी (رحمه الله) इब्नुल अख़्ज़र सुयूती के हवाले से ज़िक्र करते हैं कि अबू अली ने ख़्वाब में अल्लाह के रसूल (ﷺ) की ज़ियारत की और देखा कि आप (ﷺ) के सामने बहुत ज़्यादा किताबें थीं और उनमें सुनन नसाई (अलमुज्तबा) भी मौजूद थी।

- इमाम हाकिम रक़मतराज़ हैं : 'इमाम नसाई की फ़ुक़ाहते हदीस़ बहुत ज़्यादा मुसल्लम है। जो भी उनकी सुनन का मुताला करता है उनके हुस्ने कलाम से हैरान व शशदर रह जाता है।'

✦सुनन नसाई(मुज्तबा) इमाम नसाई(رحمه الله) की तस़नीफ़ है या इब्नुस्सुन्नी(رحمه الله) की

इस बारे में दो राय हैं : (1) ये इब्नुस्सुन्नी (رحمه الله) की तालीफ़ है। इसके क़ायल अल्लामा ज़हबी और इब्ने नासिरूद्दीन दमिश्क़ी वग़ैरह हैं। इमाम ज़हबी (رحمه الله) तारीख़े इस्लाम में लिखते हैं कि हमारे यहाँ मुतदावल (मशहूर) व मारूफ़ जो सुनन नसाई है ये इब्नुस्सुन्नी की तस़नीफ़ है। (2) ये इमाम नसाई की अपनी तस़नीफ़ है। अक्सर उलमा की यही राय है और यही दुरुस्त है। इसके क़ाइलीन में इब्ने कस़ीर, इब्ने अस़ीर, इराक़ी, सख़ावी और दीगर मुहद्दिस़ीन(رحمه الله) शमिल हैं और इसे इमाम नसाई की तस़नीफ़ स़ाबित करने पर नीचे दिये गये दलाइल पेश करते हैं:

-अमीर रमला वाली हिकायत की सुनन कुब्रा देखने के बाद उसने उसके इख़्तिस़ार का तक़ाज़ा किया ...... अल्अख़.

ये वाक़िया अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन इससे ये वाज़ेह होता है कि उसने महज़ स़ही रिवायात के इस्तिख़राज का कहा था लेकिन सुनन सुग़रा में ऐसी रिवायात भी हैं जिन्हें इमाम स़ाहब (رحمه الله) ने ख़ुद मालूल कहा है। अगर ये इब्नुस्सुन्नी की तस़नीफ़ होती तो वह इन रिवायात को ख़ुद ही मालूल क़रार देते न कि इमाम नसाई।

-इब्ने ख़ैर (رحمه الله) कहते हैं कि अबू अली ग़सानी (رحمه الله) ने कहा : किताबुल ईमान और किताबुस्सुलह मुसन्नफ़ की अलग तस़ानीफ़ नहीं हैं बल्कि ये सुनन सुग़रा ही का हिस़्सा हैं जिसका आपने सुनन कुब्रा से इख़्तिस़ार किया है।

-क़दीम क़लमी नुस्ख़े से भी ये बात वाज़ेह होती है कि ये इमाम नसाई (رحمه الله) ही की तस़नीफ़ है, इब्ने सुन्नी महज़ उसके एक रावी हैं।

-इब्ने अस़ीर (رحمه الله) ने जब सुनन सुग़रा को जामेउल उस़ूल में शामिल किया तो उसकी सनद इब्नुस्सुन्नी के वास्ते से इमाम नसाई (رحمه الله) तक बयान की है। अगर ये इब्नुस्सुन्नी (رحمه الله) की तस़नीफ़ होती तो इब्ने अस़ीर का इमाम नसाई (رحمه الله) तक सनद बयान करने की क्या वजह है।

-इब्नुस्सुन्नी का सुनन सुग़रा के कई मक़ामात पर बयान है कि मैंने उसका इमाम स़ाहिब से सिमाअ़ किया है। अगर ये उनकी अपनी ही तस़नीफ़ होती तो इमाम स़ाहब से सिमाअ़ के क्या मानी?

सुननिल कुब्रा भी इमाम नसाई (رحمه الله) की माय-ए-नाज़ तस़नीफ़ है। मौजूदा मुतदावल सुननिल नसाई जिसे सुननिल सुग़रा, और अलमुज्तबा, या अलमुज्तबा भी कहा जाता है, इसी सुननिल कुब्रा से मुन्तख़ब है, चुनांचे इमाम इब्ने कस़ीर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'मतलब ये कि इमाम नसाई

(ﷺ) ने पहले सुननिल कुब्रा तालीफ़ की, और फिर उसी में से सुननिस्सुग़रा मुन्तख़ब की जो हज्म में सुनन कुब्रा से कई हिस्से कम है। (अलबिदाया: 11/123)

जब इन दोनों किताबों, यानी सुननिल कुब्रा और सुननिस्सुग़रा का मुलाहिज़ा और मुक़ाबला किया जाये तो सुननिल कुब्रा चन्द उमूर में सुननिस्सुग़रा से मुमताज़ मालूम होती है, जैसे:

① सुननिल कुब्रा में चन्द कुतुब ज़्यादा हैं जो कि सुननिस्सुग़रा में नहीं हैं, जैसे: किताबुल सीर, अलमनाक़िब, अन्नअूत, अत्तिब्ब, अलफ़राइज़, अलवलीमा, अत्तअबीर, फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन और अलइल्म वग़ैरह।

② इमाम नसाई ने सुननिल कुब्रा में अपनी कुछ वह किताबें भी ज़म कर दी हैं जो कि अलग और मुस्तक़िल तालीफ़ात थीं, जैसे: किताब फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन, इसी की बाबत ज़रकशी ने अपनी किताब 'अलबुरहान फ़ी उ़लूमुल क़ुर्आन' में दावा किया है कि ये इमाम नसाई की मुस्तक़िल अलग तालीफ़ है। इसी तरह 'ख़साइस अ़ली' को भी सुननिल कुब्रा में 'फ़ज़ाइलुस्सहाबा' में ज़म कर दिया है। ये भी इमाम साहब की अलग मुस्तक़िल तालीफ़ थी। इसी तरह अपनी एक और मुस्तक़िल तालीफ़ 'किताबुल तफ़्सीर' को भी 'अलकुब्रा' में शामिल कर दिया है। इसकी बाबत इमाम ज़हबी (ﷺ) का दावा है कि ये भी मुस्तक़िल तालीफ़ थी।

③ सुननिल कुब्रा में अस्सुग़रा की निस्बत जिस तरह कुछ कुतुब ज़्यादा हैं उसी तरह कुछ अबवाब और अहादीस भी ज़्यादा हैं, जैसे: 'सियाम यौमुल अरबआ, तहरीमु सियाम यौमुल फ़ित्र व यौमुन्नहर, सियाम यौमि अ़रफ़ा अलफ़ज़ल फ़ी ज़ालिक, इफ़्तार यौमि अ़रफ़ा बिअ़रफ़ह, अत्ताकीद फ़ी सौमु यौमे आ़शूरा, सियामु सित्तह अय्यामि मिन शव्वाल, सियामुल हय्यि अ़निल मय्यित, सियामुल मुहर्रम, सियामू शाबान, इत्तिसालुस्साइम, अस्सिवाकु लिस्साइम, अस्सअूत लिस्साइम, अल्क़ब्लतु फ़ी शहरि रमज़ान और मा युजिब अ़ला मंय्युजामिअ इम्रअतिही' वग़ैरह इस तरह सुननिल कुब्रा में सुनिस्सुग़रा की निस्बत इक्सठ अबवाब ज़्यादा हैं।

④ सुननिल कुब्रा में कभी कभी इमाम साहब 'बलाग़ात' भी बयान करते हैं, जेसे: बलग़नी अ़न इब्ने वहब, अ़न मुख़रमा, बिन बुकैर अ़न अबीहि, क़ाल: समिअ़तु सुलैमान बिन यसार अन्नहु समिअ़ल हकम अज़्ज़ुरक़ी ...... अलख़

⑤ जिस तरह सुननिल कुब्रा में कुछ अबवाब व अहादीस और कुतुब, अलमुज्तबा की निस्बत ज़्यादा हैं इसी तरह सुननिस्सुग़रा, यानी अलमुज्तबा में भी कुछ मक़ामात पर अलकुब्रा की निस्बत कुछ

तराजिम व अबवाब, और अहादीस़ व इस्तिन्बातात ज़्यादा हैं, जैसे: इमाम स़ाहब सुननिल कुब्रा के 'किताबुत्तहारात' में एक तर्जुम्तुल बाब लाये हैं 'अन्नह्यु अन इस्तिक़बाल अलक़िबला व इस्तिदबारिहा इन्दल हाजत, वल्अम्रू बिइस्तिक़बालिल मशरिक़ वलमग़रिब' और इस तर्जुम्तुल बाब के तहत हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) की बयान कर्दा दो अहादीस़ लाये हैं, लेकिन इमाम स़ाहब ने जब 'अलमुज्तबा' में यही मसला बयान फ़रमाया है तो वहाँ तीन तराजिम लाये हैं एक 'अन्नह्यु अन इस्तिक़बाले क़िब्ला इन्दल हाजत' दूसरा 'अन्नह्यु अन इस्तिदबारल क़िब्ला इन्दल हाजत' और तीसरा 'अलअमरू बिल्इस्तिकबालल मशरिक़ वलमग़रिब इन्दल हाजत' ऐसी मिस़ालें 'अलमुज्तबा' में कई मक़ामात पर बिखरी पड़ी हैं बिलख़ुसूस सुननिस्सुग़रा की इब्तिदा-ए-कुतुब, जैसे: 'अत्तहारत, अस्स़लात, अल्हज्ज और अस्सौम' वग़ैरह में।

⑥ सुननिस्सुग़रा में स़ेहते अहादीस़ का एहतिमाम, अलकुब्रा की निस्बत कहीं ज़्यादा है। यही वजह है कि बड़े बड़े अइम्मा-ए-हदीस़ अहले इल्म ने फ़रमाया है कि स़ेहत व क़ुबूलियते अहादीस़ के ऐतबार से, स़हीह बुख़ारी व स़हीह मुस्लिम के बाद सुनन नसाई (सुग़रा) ही का दर्जा है। ऊपर दी गई तफ़्स़ील से बख़ूबी मालूम होता है कि 'सुननिल सुग़रा' का इन्तिख़ाब स़िर्फ़ 'सुननिल कुब्रा' से नहीं बल्कि उसके अ़लावा बहुत सा इन्तिख़ाब दूसरी कुतुब से भी है। वल्लाहु आलम! यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इमाम नसाई (رحمه الله) ने सुननिल कुब्रा के होते हुये सुननिस्सुग़रा का इन्तिख़ाब क्यूँ किया?

शायद, वल्लाहु आलम! इसका सबब ये हो कि इमाम नसाई और दीगर मुअल्लिफ़ीने कुतुबे सित्तह (رحمه الله) तक़रीबन हम अ़स्र हैं, ताहम इमाम नसाई (رحمه الله) की वफ़ात बाक़ी अइम्मा-ए-ख़म्सा के बाद हुई, इसलिये उन्हें अपने हम अ़स्र दीगर मुअल्लिफ़ीने की तालीफ़ात देखने का मौक़ा मयस्सर आ गया। उन्होंने इन तस़ानीफ़ की ख़ूबियाँ और उनके महासिन अपनी तालीफ़ में जमा करने के लिये 'सुननिस्सुग़रा' तालीफ़ की बिलख़ुसूस अमीरूल मोमिनीन फ़ील हदीस़ हज़रत इमाम बुख़ारी(رحمه الله) की माय-ए-नाज़ इल्हामी तस़नीफ़ 'अल्जामेअ़ अस्स़हीह' (स़हीह बुख़ारी) की ख़ूबियाँ अपनी किताब में समेटने की कोशिश ज़रूर की।

रसूलुल्लाह (ﷺ) मन्स़बे रिसालत के ऐतबार से अहकामे शरीयत की बाबत दिये गये मुज्मल अहकामे क़ुर्आन के मुबिय्यीन और शारेह हैं जैसा कि इरशादे बारी तआला है: (व अन्ज़लना इलैकज़्ज़िक्र्इ लितुबय्यि-न लिन्नासि मा नुज़्ज़िल इलैहिम) (अन्नहल: 16/44) इसलिये अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस़ हज़रत इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने अपनी स़ही में तराजिम अलकुतुब वलअबवाब की इब्तिदा, मुमकिन हद तक आयाते क़ुर्आनी से की है, बाद में उन आयात की तफ़्सीर व तशरीह और

उनके मानी व मफ़ाहीम के बयान के लिये उन आयात के मुताल्लिक़ा अहादीस लाये हैं और ये उनके फ़हम और तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन की इन्तिहा है। लगता है कि इमाम नसाई (ﷺ) ने इस राज़ को पा लिया था, चुनांचे उन्होंने अपनी दूसरी तालीफ़ 'अलमुज्तबा' में इसका इल्तिज़ाम किया जबकि ये चीज़ 'सुननिल कुब्रा' की तालीफ़ में मफ़्क़ूद है।

इस सबब और वजहे तालीफ़ की वाज़ेह मिसाल 'सुननिल कुब्रा' और 'सुननिस्सुग़रा' का पहला तर्जुम्तुल बाब हैं और वह इस तरह कि इमाम साहब 'सुननिल कुब्रा' की इब्तिदा करते हुये यूँ रक़म तराज़ हैं:

किताबुत्तहारत : वुज़ू उन्नाइम इज़ा क़ा-म इलस्सलात.

लेकिन जब उन्होंने 'सुननिस्सुग़रा' का इन्तिख़ाब फ़रमाया तो उसकी इब्तिदा इस तरह से की किताबुत्तहारत : तअ्वीलु कौलुहू अज़्ज़ व जल्ल : इज़ा कुम्तुम इलस्सलाति फ़ग़्तसिलु वुजूहकुम व ऐदियकुम इलल मराफ़िक़....) (अलमाइदा: 5/6)

इससे फ़र्क़ वाज़ेह हो जाता है और हमारी बात की ताईद होती है। वल्लाहु आलम!

✦ **इमाम नसाई (ﷺ) का फ़न जिरह व तअदील में तशद्दुद** : हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि इमाम नसाई (ﷺ) जिरह व तअदील में बहुत सख़्त थे। ये उनका तशद्दुद ही था कि बहुत से ऐसे किबार मुहद्दिसीन, जिनकी रिवायात शैख़ैन (इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम (ﷺ)) ने बयान की हैं लेकिन इमाम साहब (ﷺ) के नज़दीक वह मजरूह थे, इसलिये उनसे रिवायात तर्क कर दीं। इमाम दारेक़ुतनी (ﷺ) ने ऐसे अश्ख़ास की एक फ़ेहरिस्त मुरत्तब की है जिनसे शैख़ैन ने तो रिवायात ली और बयान की हैं जबकि इमाम नसाई ने उन्हें ज़ईफ़ क़रार दिया है। हाफ़िज़ इब्ने ताहिर कहते हैं कि मैंने सअद बिन अली ज़न्जानी से ऐसे रावी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया जिसे उन्होंने सिक़्ह लेकिन इमाम नसाई (ﷺ) ने ज़ईफ़ क़रार दिया था तो ज़न्जानी(ﷺ) ने जवाबन फ़रमाया: 'मेरे बेटे, रिजाले हदीस के बारे में इमाम नसाई की शर्तें बुख़ारी व मुस्लिम से भी कड़ी हैं (इसलिये फ़ुलां रावी को उन्होंने ज़ईफ़ क़रार दिया है)'

✦ **कुतुब में ज़ईफ़ रिवायात का इन्द्राज?** : ये एक सवाल है और इसका जवाब मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ से दिया गया है, जिसकी तफ़्सील आप सुनन अबू दाऊद उर्दू, तबअ दारुस्सलाम: (1/70, 71) में मुलाहिज़ा कर सकते हैं। यहाँ सुनन नसाई ही के हवाले से चन्द जवाबात देने की कोशिश की जायेगी:

- चन्द लोगों ने ज़ईफ़ रिवायात पर अपने मस्लक की बुनियाद रख कर अपने मुद्दे को साबित करने की कोशिश की है। इमाम साहब (رحمه الله) ने वाज़ेह फ़रमा दिया कि ये रिवायात कमज़ोर और ज़ईफ़ हैं, लिहाज़ा ये क़ाबिले अमल व इस्तिदलाल नहीं।

- जब किसी मसले में उन्हें सही हदीस़ नहीं मिली तो बक़ौले कुछ: उन्होंने लोगों की राय की बजाये ज़ईफ़ रिवायात को तर्जीह दी।

- अगर इमाम नसाई (رحمه الله) ने इन्तिहा दर्जे की ज़ईफ़ हदीस़ बयान की है तो इससे उनका मक़सूद तल्बा को मुतनब्बह करना है कि ये रिवायत क़तई तौर पर क़ाबिले हुज्जत नहीं, इसलिये इससे एहतिराज़ करना चाहिए।

- दीगर मुहद्दिसीन की तरह इमाम साहब (رحمه الله) ने अपनी सुनन पर सही का इत्लाक़ नहीं किया, लिहाज़ा कुल्ली सेहत आपकी किताब की शर्त क़रार नहीं पाती, इसलिये उन्होंने ज़ईफ़ रिवायात मअ़ इलल बयान करने में कोई हर्ज महसूस नहीं किया।

अब सवाल ये है कि क्या ज़ईफ़ रिवायात पर अमल हो सकता है या नहीं? इस बारे में राजेह मौक़फ़ यही है कि ज़ईफ़ रिवायत, ख़्वाह उसका ताल्लुक़ अहकाम से हो या फ़ज़ाइले आमाल से, नाक़ाबिले अमल और नाक़ाबिले हुज्जत है क्योंकि जब इसकी निस्बत ही रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित न हुई तो ख़्वाहमख़्वाह ज़न मरजूह (गुमान) की बिना पर इसको अक़ीदा व अमल में लाना दुरुस्त नहीं। (इन्नज़्ज़न्न ला मुबिन मिनल हक़्क़ि शैआ) (अन्नज्म: 83/28)

ऊपर दिया गया यही मौक़फ़ इमाम इब्ने हज़्म, शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) और कुछ दीगर मुतक़द्दिमीन व मुताख़िरीन मुहक़्क़िक़ीन का है। मज़ीद तफ़्सील केलिये देखिये: (मुक़द्दमा सहीह मुस्लिम, सफ़ा: 19, तबअ़ दारुस्सलाम, व क़वाइदुल तहदीस़ लिलक़ासमी, सफ़ा: 113, वलक़ाइदतुल जलीला, सफ़ा: 84, व सहीहुल जामेअ़ लिल अल्बानी: 1/46, व सुनन अबू दाऊद (उर्दू) तबअ़ दारूस्सलाम, 1/71-72)

✦ **सुनन नसाई की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात** : इमाम साहब की सुनन नसाई (मुज्तबा) नीचे दी गई ख़ूबियों की बिना पर दीगर कुतुबे हदीस़ से मुमताज़ है:

① सहीहैन के बाद दीगर सुनन व मसानीद की निस्बत ग़ायत दर्जे सेहत का इल्तिज़ाम

② किताबुत्तत्बीक़ (रुकूअ़ के वक़्त घुटनों में हाथ देने) का बेशुमार कुतुबे हदीस़ में बयान नहीं, ये इम्तियाज़ सिर्फ़ सुनन नसाई के हिस्से में आया है।

③ अश्टाम वग़ैरह का बयान भी किसी किताब में नहीं, इसका सहरा भी इमाम साहब(ﷺ) के सर है।

④ हदीस बयान करते वक़्त आग़ाज़े सनद में अख़बरना और अख़बरनी का इस्तेमाल भी सुनन नसाई के ख़्वास और इम्तियाज़ात में से है।

⑤ दीगर कुतुबे हदीस में मौज़ूआत (मन घड़त रिवायात) भी मौजूद हैं लेकिन सुनन नसाई में एक रिवायत भी मौज़ूअ और मन घड़त नहीं है। इब्ने जोज़ी ने दावा किया था कि नसाई शरीफ़ में एक रिवायत मौज़ूअ है लेकिन इमाम ज़हबी, सुयूती और इब्ने हजर (ﷺ) ने सख़्ती से इसका रद्द किया और ये फ़ैसला सादिर फ़रमाया कि सुनन नसाई में कोई रिवायत मौज़ूअ नहीं है।

✦ **इमाम नसाई (ﷺ) का मन्हज व उस्लूब (अन्दाज़):** सुनन नसाई (मुज्तबा) को इमाम साहब (ﷺ) ने एक ख़ास मन्हज और अन्दाज़ पर तसनीफ़ किया है जिसके मुताल्लिक़ इमाम सख़ावी (ﷺ) रक़मतराज़ हैं: सुनन नसाई (मुजतबा) ग़ौर व फ़िक्र करने वाले के लिये अनोखी और आम फ़हम है। इसके उन्वान व मौज़ूआत बिल्कुल आसान और कसीर तादाद में हैं। बहुत ज़्यादा लअ़ल व जवाहिर पर ये किताब मुश्तमिल है। निहायत ग़ौर व ख़ोज़ से इसका मुताला करने वाला इन्सान इसके खुले हुये गलहाये रंगा रंग से मुअत्तर हो जाता है। सुननिन्नसाई में इमाम साहब(ﷺ) का मन्हज बयान करते हुये इमाम सख़ावी (ﷺ) वग़ैरह ने मज़ीद लिखा है:

(1) इमाम साहब ग़रीब व मुश्किल अल्फ़ाज़ की तफ़्सीर व तौज़ीह करते हैं, जैसे हदीस में आया है: (ला तुज़रिमूहु) इमाम साहब ने इसकी तौज़ीह ये फ़रमाई : (ला तक़तअूहु)

(2) मुहमल (तर्क किये हुये) रावियों का तअय्युन करते हैं, जैसे सनद में आया है: (मिन जिहति बक्रि) तो साथ तौज़ीह कर दी कि यहाँ बक्र से मुराद इब्ने मुज़्र है। एक सनद में अ़ब्दुल्लाह आया तो फ़रमाया: ये इब्नुल क़िब्तिया है।

(3) सनद व मतन में मौजूद मुबहम रावी का नाम ज़िक्र करते हैं। - सनद की मिसाल : मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहमान, अ़न रजुलु अ़न जाबिर दूसरी जगह पर अ़न रजुलु को वाज़ेह किया कि ये मुहम्मद बिन अ़म्र बिन हसन है। - मतन की मिसाल : हदीस में (फ़क़ाम इलैहि रजुलुन) आया तो रजुलुन की वज़ाहत कर दी कि ये ख़रबाक़ बिन अ़म्र असलमी (ﷺ) थे।

(4) जो आदमी कुन्नियत के साथ मारूफ़ हो और सनद में उसका नाम ज़िक्र हो तो उसकी कुन्नियत ज़िक्र करते हैं। इसी तरह जो आदमी नाम के साथ मारूफ़ हो और सनद में उसकी कुनियत का ज़िक्र हो

तो उसका नाम ज़िक्र कर देते हैं, जैसे: सनद में ज़करिया बिन यहया आया तो उसकी कुन्नियत बताई कि ये अबू कामिल है। मज़ीद बताया कि ज़कवान जो सनद में आया है इससे मुराद अबू सालेह है और दूसरी जगह ज़कवान से मुराद अबू अम्र हैं। इसी तरह सनद में 'अबू मुईद' आया तो उसकी वज़ाहत की कि ये हफ़्स बिन गैलान है। मज़ीद वाज़ेह किया कि अबू हिशाम से मुराद मुग़ीरा बिन सलमा हैं।

(5) मुत्तफ़क़ और मुफ़्तरक़ (अलग) की तरफ़ भी इमाम साहब (رحمه الله) इशारा करते हैं। मुराद इससे ये है कि एक नाम में छ: रावी मुश्तरक हैं, उनमें से कुछ सिक़ह और कुछ ज़ईफ़ हैं तो इमाम साहब सनद में मज़कूर आदमी के बारे में बताते हैं कि ये आदमी सिक़ह है।

(6) जिससे बहुत से रावी मुराद हो सकते हैं वहाँ इसका तअय्युन करना भी उनके मन्हज का हिस्सा है, जैसे: हारून बिन अबू वकीअ के बारे में फ़रमाया कि ये हारून बिन अन्तरह है।

(7) जहाँ किसी सूरत भी इल्तिबास ख़त्म न हो रहा हो तो वज़ाहत करते हैं, जैसे इब्ने मुबारक की सनद में एक रावी का नाम अबू जाफ़र आया तो आपने वज़ाहत कर दी कि ये अबू जाफ़र अलफ़राअ नहीं बल्कि कोई और है।

(8) इमाम साहब मुन्क़तअ को मुर्सल भी कह देते हैं और इस मुर्सल को क़रीने की वजह से मुत्तसल पर तर्जीह भी दे देते हैं।

(9) इमाम साहब की हत्तुल मक़दूर ये कोशिश होती है कि हर बाब में सही रिवायात ही जमा की जायें लेकिन नागुज़ीर सूरते हाल में ऐसे रावियों की रिवायात भी दर्ज कर देते हैं जिनके ज़ुअफ़ और उनकी रिवायात के तर्क पर उलमा-ए-मुहद्दिसीन का इज्मा न हो चुका हो।

(10) कुछ औक़ात इमाम साहब किसी मसले में सही रिवायात दर्ज करते हैं लेकिन इसके बाद उन मज़ीद फ़वाइद की वजह से जो सही हदीस में नहीं होते ज़ईफ़ रिवायत भी दर्ज कर देते हैं।

(11) बसा औक़ात हदीस बयान करने के बाद अपना कलाम भी तहरीर करते हैं जो हदीस को समझने में मददगार व मुआविन साबित होता है।

(12) कई मक़ामात पर ऐसी दो रिवायात जो सही हैं और बाहम मुतआरिज़ (एक दूसरे के ख़िलाफ़) हैं, उन्हें भी ज़िक्र कर दिया है, इससे उनका मक़सूद ये होता है कि इस रिवायत में मज़कूर अमल को दोनों तरह कर सकते हैं, इसमें जवाज़ है, या उनके दरम्यान तत्बीक़ देने के लिये बयान करते हैं, जैसे: बिस्मिल्लाहिर्रहमा निर्रहीम को सिर्री और जहरी दोनों तरह पढ़ने का जवाज़ है।

(13) अक्सर अहादीस़ पर इमाम स़ाहब (ﷺ) हुक्म लगाते हैं और इस्तिलाही अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे: (हाज़ा हदीसुन मुन्करून, ग़ैरू महफ़ूज़, लैस, बिस़ाबिति, ज़ईफ़ुन, अख़्तअ फ़ीही फ़ुलानुन, हाज़ा हदीसुन स़हीहुन)

(14) सनद व मतन के इख़्तिलाफ़ को भी नज़र अन्दाज़ नहीं करते बल्कि इस पर मुस्तज़ाद (मज़ीद) ये कि राजेह मरजूह की निशानदेही भी कर देते हैं।

(15) मुअल्लक़ रिवायात बयान करने से बहुत ज़्यादा एहतिराज़ किया है। सुनन नसाई (मुज्तबा) में सिर्फ़ दो जगह पर मुअल्लक़ की सूरत नज़र आई है, इसमें भी ये एहतिमाल है कि वह मुत्तस़ल ही हों।

✦ शैख़ैन और इमाम नसाई (ﷺ) के मन्हज में मुशाबिहत :

① शैख़ैन और इमाम नसाई (ﷺ) के मन्हज बयाने हदीस़ में चन्द ऐतबार से मुशाबिहत पाई जाती है। इमाम नसाई भी इमाम बुख़ारी की तरह एक हदीस़ तकरार के साथ अपनी सुनन में बयान करते हैं और हर जगह उस हदीस़ पर नया बाब क़ायम कर के मसाइल का इस्तेन्बात करते हैं। इसकी मिस़ाल वह हदीसे आयशा है जिसमें वह बयान फ़रमाती हैं कि एक रात नबी (ﷺ) मेरे घर में सोये हुये थे, रात को उठे और बक़ीअ की तरफ़ चले ...... अलख़, इमाम नसाई (ﷺ) ने इसे (अलअम्र बिल इस्तिग़फ़ारिलिल मोमिनीन) में ज़िक्र किया है। और दूसरी जगह यही रिवायत ज़िक्र करने के बाद और मसाइल का इस्तिन्बात किया है, यानी यही रिवायत दोबारा किताबुन्निकाह के बाबुल ग़ैरह में ज़िक्र की और दोनों जगह अलग अलग मसाइल का इस्तिख़राज किया है।

② इमाम बुख़ारी व मुस्लिम (ﷺ) की तरह आप भी दो सनदों के दरम्यान 'ह' का इज़ाफ़ा करते हैं ताकि दोनों सनदें अलग अलग रहें।

③ इमाम बुख़ारी (ﷺ) की तरह आप ने भी कुछ जगह रिवायत बिलमअनी बयान की है।

④ इमाम मुस्लिम (ﷺ) के साथ मुशाबिहत इस ऐतबार से है कि एक रिवायत अगर दो असातिज़ा से बयान की है तो बयान करने के बाद आप भी इमाम मुस्लिम की तरह तौज़ीह करते हैं कि ये अल्फ़ाज़ फ़ुलां उस्ताज़ के बयानकर्दा हैं और ये फ़ुलां के।

⑤ स़ैग़ा-ए-तहदीस़ के मामले में भी जा-बजा आपकी इमाम मुस्लिम के साथ मुशाबिहत है।

⑥ अगर एक हदीस़ दो रावियों की बयान कर्दा है तो इमाम नसाई, इमाम मुस्लिम (رحمہ اللہ) की तरह तौज़ीह कर देते हैं कि फ़ुलां रावी ने क़ालन्नबिय्यु (ﷺ) कहा है और फ़ुलां रावी ने क़ाल रसूलुल्लाह(ﷺ) कहा है।

⑦ आम व ख़ास़, मुज्मल व मुबय्यिन और नासिख़ व मन्सूख़ वग़ैरह के बयान करने में भी आप इमाम मुस्लिम (رحمہ اللہ) के बहुत ज़्यादा मुशाबह हैं।

अलग़र्ज़ इमाम नसाई का मन्हज बयाने हदीस़, अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस़ इमामुल अइम्मा बुख़ारी व इमाम मुस्लिम (رحمہ اللہ) के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबिहत रखता है। यही वजह है कि बहुत से मुहद्दिसीने इज़ाम बुख़ारी व मुस्लिम के बाद इमाम नसाई को मरजिअ (मरकज़) तस्लीम करते और आपकी सुनन नसाई (सुग़रा) पर भरपूर ऐतमाद करते हैं।

✦ **सुननिन्नसाई (मुज्तबा) की शुरुहात :** शरह लिअबिल अ़ब्बास, शरह सिराजुद्दीन इब्ने मुलक़न, ज़हरूर्रबा अ़ली अल्मुज्तबा, हाशियतुस्सिन्धी, ज़ख़ीरतुल अ़क़्बा फ़ी शरह अलमुज्तबा लिमुहम्मद बिन अ़ली बिन आदम अतुयूबी, तअ़लीक़ातुस्सल्फ़िया, अलइमआन फ़ी शरह मुसन्नफ़ अन्नसाई लिअबी अ़ब्दुर्रहमान, बज़ल अलइहसान बितक़रीब सुननिन्नसाई अबी अ़ब्दुर्रहमान, लिअबी इस्हाक़ अलहुवैनी अलअस़री, उर्दू तर्जुमा: अ़ल्लामा वहीदुज़्ज़माँ, उर्दू तर्जुमा: हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन (رحمہ اللہ).

हदीस की किस्में

- क़ौली हदीस़
- फ़ेअली हदीस़
- तक़रीरी हदीस़
- शमाइले नबवी

हदीस़ की किस्में - निस्बत के ऐतबार से

- हदीसे़ कुदसी
- मरफ़ूअ
- मौक़ूफ़
- मक़तूअ

हदीस की किस्में - रावियों की तादाद के ऐतबार से

- मुतवातिर
- ख़बरे वाहिद
  - मशहूर
  - मुस्तफ़ीज़
  - अज़ीज़
  - ग़रीब
    - ग़रीबे मुतलक़
    - ग़रीबे निसबी

मक़बूल हदीस की किस्में

- स़ही लिज़ातिही
- स़ही लिग़ैरिही
- हसन लिज़ातिही
- हसन लिग़ैरिही

मक़बूल हदीस के दर्जात

- मुत्तफ़क़ अलैह
- अफ़रादे बुख़ारी
- अफ़रादे मुस्लिम
- सही अला शर्तिहिमा
- सही अला शर्तिल बुख़ारी
- सही अला शर्ते मुस्लिम
- सही अला शर्ते ग़ैरिहिमा

(1) मरदूद हदीस की किस्में-इन्क़ताअे सनद के ऐतबार से

- मुअल्लक़
- मुर्सल
- मुअज़ल
- मुन्क़तअ
- मुदल्लस
- मुर्सले ख़फ़ी
- मअलूल या मुअल्ल

(2) मरदूद हदीस की किस्में-रावी के आदिल न होने की वजह से

- रिवायतुल मुब्तदिअ
- रिवायतुल फ़ासिक़
- मतरूक
- मोज़ूअ

(3) मरदूद हदीस की अक़साम-रावी के ज़ाबित न होने की वजह से

- मुसहफ़
- मक़लूब
- मुदरज
- अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद
- शाज़
- मुन्कर
- रिवायतु सय्यिइल हिफ़्ज़
- रिवायतु कसीर अल ग़फ़ला
- रिवायतु फ़ाहिशुल ग़लत
- रिवायतु मुख़्तलित
- मुज़तरिब
- मुअलल

(4) मरदूद हदीस की अक़साम-रावी के मजहूल होने की वजह से

- रिवायतु मजहूलुल हाल
- रिवायतु मजहूलिल ऐन
- मुब्हम

इस्तिलाहाते मुहद्दिसीन

❶ **हदीस़ की तारीफ़ :** रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुताल्लिक़ रावियों के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा है, वह हदीस़ कहलाता है। हदीस़ को कुछ दफ़ा सुन्नत, ख़बर और अस़र भी कहा जाता है।

❷ **बुनियादी अक़साम (किस्में):**

☆ **क़ौली हदीस़:** वह हदीस़ जिसमें आप का फ़रमान मज़कूर हो।

☆ **फ़ेअली हदीस़:** वह हदीस़ जिसमें आपका अमल मज़कूर हो।

☆ **तक़रीरी हदीस़:** वह हदीस़ जिसमें आपका किसी बात पर ख़ामोश रहना मज़कूर हो।

☆ **शमाइले नबवी:** वह अहादीस़ जिनमें आपके आदाब व अख़्लाक़ या बदनी औस़ाफ़ मज़कूर हों।

नोट : किसी हदीस़ की अस़ल इबारत 'मतन' कहलाती है। मतन से पहले, रावियों के सिलसिले को सनद कहते हैं। सनद का कोई रावी हज़फ़ न हो तो वह 'मुत्तस़िल' होती है वरना 'मुनक़तअ'.

❸ **निस्बत के ऐतबार से हदीस़ की अक़साम किस्में:**

☆ **हदीसे क़ुदसी:** अल्लाह तआला का वह फ़रमान जिसे नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अल्लाह तआला से रिवायत किया हो, रावियों के ज़रिये से हम तक पहुँचा हो और क़ुर्आन मजीद में मौजूद न हो।

☆ **मरफ़ूअ:** वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल, फ़ेअल या तक़रीर को रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब किया गया हो।

☆ **मौक़ूफ़:** वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल, फ़ेअ़ल या तक़रीर को स़हाबी की तरफ़ मन्सूब किया गया हो।

☆ **मक़तूअ:** वह हदीस़ जिसमें किसी क़ौल या फ़ेअल को ताबेई या तबअ़ ताबेई की तरफ़ मन्सूब किया गया हो।

❹ **रावियों की तादाद के ऐतबार से हदीस़ की किस्में:**

☆ **मुतवातिर:** वह हदीस़ जिसमें तवातुर की चार शर्तें पाई जायें।

1. उसे रावियों की बड़ी तादाद रिवायत करे।
2. इंसानी अक़्ल व आदत उनके झूठा होने को मुहाल समझे।
3. ये कस़रत अ़हदे नुबूवत से लेकर स़ाहिबे किताब मोहद्दिस़ के ज़माने तक सनद के हर तब्क़े में पाई जाये।
4. हदीस़ का ताल्लुक़ इंसानी मुशाहिदे या समाअ़त से हो।

नोट : रावियों की जमाअ़त जिसने एक उस्ताद या ज़्यादा उस्ताद से हदीस़ का सिमाअ़ किया हो 'तब्क़ा' कहलाती है।

☆ **ख़बरे वाहिद:** वह हदीस़ जिसमें मुतवातिर हदीस़ की शर्तें जमा न हों। उसकी चार क़िस्में हैं:

❁ **मशहूर:** वह हदीस़ जिसके रावियों की तादाद हर तब्क़े में दो से ज़्यादा हो मगर यकसां न हो, मस़लन किसी तब्क़े में तीन, किसी में चार और किसी में पाँच रावी उसे बयान करते हों।

❁ **मुस्तफ़ीज़:** वह हदीस़ जिसके रावी हर तब्क़े में दो से ज़्यादा और यकसां तादाद में हों या सनद के अव्वल व आख़िर में उनकी तादाद यकसां हो।

❁ **अ़ज़ीज़:** वह हदीस़ जिसके रावी किसी तब्क़े में स़िर्फ़ दो हों।

❁ **ग़रीब:** वह हदीस़ जिसे बयान करने वाला किसी ज़माने में स़िर्फ़ एक रावी हो। अगर वह स़हाबी या ताबेई है तो उसे ग़रीब मुतलक़ कहेंगे और अगर कोई और रावी है तो उसे ग़रीब निसबी कहेंगे।

नोट : ऊपर दी गई अक़्साम में से मुतवातिर हदीस़ इल्मुल यक़ीन की हद तक सच्ची होती है। बाक़ी अक़्साम मक़्बूल या मरदूद हो सकती हैं।

❺ क़बूल व रद्द के ऐतबार से हदीस़ की किस्में :

☆ **मक़बूल:** वह हदीस़ जो वाजिबुल अ़मल हो।

☆ **मरदूद:** वह हदीस़ जो मक़बूल न हो।

❻ मक़बूल हदीस़ की अक़्साम व दर्जात (शराइते क़बूलियत के ऐतबार से) :

(1) सही लिज़ातिही (2) सही लिग़ैरिही (3) हसन लिज़ातिही (4) हसन लिग़ैरिही

☆ **सही लिज़ातिही :** वह हदीस जिसमें सेहत की पाँच शर्तें पाई जायें।

❀ उसकी सनद मुत्तसिल हो, यानी हर रावी ने उसे अपने उस्ताद से अख़ज़ किया हो।

❀ उसका हर रावी आदिल हो, यानी कबीरा गुनाहों से बचता हो, सग़ीरा गुनाहों पर इसरार न करता हो, शाइस्ता तबीयत का मालिक और बा अख़्लाक़ हो।

❀ और कामिलुज़ ज़ब्त हो, यानी हदीस को तहरीर या हाफ़िज़े के ज़रिये से कमा हक़्क़हू महफ़ूज़ करे और आगे पहुँचाये।

❀ वह हदीस शाज़ न हो।

❀ मालूल न हो। (शाज़ और मालूल की वज़ाहत आगे आ रही है।)

☆ **हसन लिज़ातिही :** वह हदीस जिसके कुछ रावी सही हदीस के रावियों की निस्बत ख़फ़ीफ़ुज़ ज़ब्त (हल्के ज़ब्त वाले) हों, बाक़ी शर्तें वही हों।

नोट : हसन लिज़ातिही का दर्जा सही लिग़ैरिही के बाद है मगर तारीफ़ात को आसान तर करने के लिये तर्तीब बदली गई है।

☆ **सही लिग़ैरिही :** जब हसन हदीस की एक से ज़ायद सनद हों तो वह हसन के दर्जे से तरक़्क़ी करके सही के दर्जे तक पहुँच जाती है। उसे सही लिग़ैरिही कहते हैं क्योंकि वह अपने ग़ैर (दूसरी सनदों) की वजह से दर्जा-ए-सेहत को पहुँची।

☆ **हसन लिग़ैरिही :** वह हदीस जिसकी कई सनदें हों, हर सनद में मामूली ज़ोअ़फ़ हो मगर कई सनदों से उस ज़ोअ़फ़ की तलाफ़ी हो जाये तो वह हसन लिग़ैरिही के दर्जे को पहुँच जाती है।

❼ **सही हदीस की किस्में व दर्जात :** (कुतूबे हदीस में पाये जाने के ऐतबार से)

☆ **मुत्तफ़क़ अ़लैहि:** वह हदीस जो सही बुख़ारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाये, मुत्तफ़क़ अ़लैहि कहलाती है और सेहत के सबसे आ़ला दर्जे पर होती है।

☆ **अफ़रादे बुख़ारी:** हर वह हदीस जो सही बुख़ारी में पाई जाये, सही मुस्लिम में न पाई जाये।

☆ **अफ़रादे मुस्लिम:** हर वह हदीस़ जो स़ही मुस्लिम में पाई जाये, स़ही बुख़ारी में न पाई जाये।

☆ **स़ही अ़ला शर्तिहमा:** वह हदीस़ जो स़ही बुख़ारी व स़ही मुस्लिम दोनों में न पाई जाये लेकिन दोनों अइम्मा की शराइत के मुताबिक़ स़ही हो।

☆ **स़ही अ़ला शर्तिल बुख़ारी:** वह हदीस़ जो इमाम बुख़ारी की शराइत के मुताबिक़ स़ही हो मगर स़ही बुख़ारी में मौजूद न हो।

☆ **स़ही अ़ला शर्ते मुस्लिम:** वह हदीस़ जो इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक़ स़ही हो मगर स़ही मुस्लिम में मौजूद न हो।

☆ **स़ही अ़ला शर्ते ग़ैरिहिमा:** वह हदीस़ जो इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम के अ़लावा दीगर मुहद्दिस़ीन की शराइत के मुताबिक़ स़ही हो।

❽ मरदूद हदीस़ की अक़साम इन्क़ताअ़े सनद की वजह से:

☆ **मुअ़ल्लक़:** वह हदीस़ जिसकी सनद का इब्तेदाई हिस्सा या सारी सनद ही (अ़मदन) हज़फ़ कर दी गई हो।

☆ **मुर्सल:** वह हदीस़ जिसे ताबेई बिला वास्ता रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करे।

☆ **मुअ़ज़ल:** वह हदीस़ जिसकी सनद के दरम्यान से दो या दो से ज़्यादा रावी इकट्ठे हज़फ़ हों।

☆ **मुनक़तअ़:** वह हदीस़ जिसकी सनद के दरम्यान से एक या एक से ज़ाइद रावी मुख़्तलिफ़ मक़ामात से हज़फ़ हों।

☆ **मुदल्लस:** वह हदीस़ जिसका रावी किसी वजह से अपने उस्ताद या उस्ताद के उस्ताद का नाम (या तारीफ़) छुपाये लेकिन सुनने वालों को ये तास्सुर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया सनद मुत्तसिल ही है हालांकि उस सनद में रावियों की मुलाक़ात और सिमा तो साबित होता है मगर मुतअ़ल्लिक़ा रिवायत का सिमाअ़ नहीं होता।

☆ **मुर्सले ख़फ़ी:** वह हदीस़ जिसका रावी अपने ऐसे हम अ़स्र से रिवायत करे जिससे उसकी मुलाक़ात स़ाबित न हो।

☆ **मअ़लूल या मुअ़ल्लल:** वह हदीस़ जो बज़ाहिर मक़बूल मालूम होती हो लेकिन उसमें ऐसी

पोशीदा इल्लत या ऐब पाया जाये जो उसे ग़ैर मक़बूल बना दे। इन ऊयूब व एलल का पता चलाना माहिरीने फ़न ही का काम है, हर शख़्स के बस की बात नहीं।

⑨ मरदूद हदीस़ की किस्में रावी के आदिल न होने की वजह से:

☆ **रिवायतुल मुबतदिअ:** वह हदीस़ जिसका रावी बिदअते मुकफ्फ़िरा का क़ाइल व फ़ाइल हो लेकिन अगर रावी की बिदअत, मुकफ्फ़िरा न हो और वह आदिल व ज़ाबित भी हो तो फिर उसकी रिवायत मोतबर होगी। याद रहे बिदअते मुकफ्फ़िरा (काफिर बनाने वाली बिदअत) से इरतेदाद लाज़िम आता है।

☆ **रिवायतुल फ़ासिक़:** वह हदीस़ जिसका रावी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो लेकिन हदे कुफ़्र को न पहुँचे।

☆ **मतरूक:** वह हदीस़ जिसका रावी आम बोल चाल में झूठ बोलता हो और मुहद्दिसीन ने उसकी रिवायत को क़बूल करने से इंकार कर दिया हो।

☆ **मोज़ूअ:** वह हदीस़ जिसके रावी ने किसी मौक़े पर हदीस़ के मामला में झूठ बोला हो, ऐसे रावी की हर रिवायत को मौज़ूअ (मनघड़त) कहते हैं।

⑩ मरदूद हदीस़ की अक़साम रावी के ज़ाबित न होने की वजह से :

☆ **मुसहफ़:** वह हदीस़ जिसके किसी लफ़्ज़ की ज़ाहिरी शक्ल तो दुरूस्त हो मगर नुक़्तों, हरकात या सुकून वग़ैरह के बदलने से उसका तलफ़्फ़ुज़ बदल गया हो।

☆ **मक़लूब:** वह हदीस़ जिसके अल्फ़ाज़ में रावी की भूल से तक़दीम व ताख़ीर वाक़ेअ हो गई हो या सनद में एक रावी की जगह दूसरा रावी रखा गया हो।

☆ **मुदरज:** वह हदीस़ जिसमें किसी जगह रावी का अपना कलाम अमदन या सहवन दर्ज हो जाये और उस पर अल्फ़ाज़े हदीस़ होने का शुब्हा होता हो।

☆ **अलमज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद:** जब दो रावी एक ही सनद बयान करें, उनमें एक सिक़ा और दूसरा ज़्यादा सिक़ा हो। अगर सिक़ा रावी उस सनद में एक रावी का इज़ाफ़ा बयान करे तो उसकी रिवायत को मज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद कहते हैं।

☆ **शाज़:** वह हदीस़ जिसका रावी सिक़ा हो और बयाने हदीस़ में अपने से ज़्यादा सिक़ा या अपने जैसे बहुत से सिक़ा रावियों की मुख़ालिफ़त करे (शाज़ के बिलमुक़ाबिल हदीस़ को महफ़ूज़ कहते हैं)

☆ **मुन्कर:** वह हदीस़ जिसका रावी ज़ईफ़ हो और बयाने हदीस़ में एक या ज़्यादा सिक़ा रावियों की मुख़ालिफ़त करे (मुन्कर के बिलमुक़ाबिल हदीस़ को मारूफ़ कहते हैं)

☆ **रिवायतु सय्यिइल हिफ़्ज़:** वह हदीस़ जिसका रावी सय्यिउल हिफ़्ज़, यानी पैदाइशी तौर पर कमज़ोर हाफ़िज़े वाला हो।

☆ **रिवायतु कस़ीरूल ग़फ़ला:** वह हदीस़ जिसका रावी शदीद ग़फ़लत या कस़ीर ग़लतियों का मुर्तकिब हो।

☆ **रिवायतु फ़ाहिशुल ग़लत:** वह हदीस़ जिसके रावी से फ़ाश क़िस्म की ग़लतियाँ सरज़द हों।

☆ **रिवायतुल मुख़तलित:** वह हदीस़ जिसका रावी बुढ़ापे या किसी हादसे की वजह से याददाश्त खो बैठे या उसकी तहरीर करदा अहादीस़ ज़ाया हो जायें।

☆ **मुज़तरिब:** वह हदीस़ जिसकी सनद या मतन में रावियों का ऐसा इख़्तिलात वाक़ेअ (मौजूद) हो जो हल न हो सके।

❶❶ मरदूद हदीस़ की किस्में रावी के मज्हूल होने की वजह से:

☆ **रिवायतु मज्हूलिल ऐ़न:** वह हदीस़ जिसका रावी मज्हूलुल ऐ़न हो, यानी इसके मुताल्लिक़ अइम्मा-ए-फ़न का कोई ऐसा तबस़रह न मिलता हो जिससे उसके सिक़्ह या ज़ईफ़ होने का पता चल सके और उससे रिवायत करने वाला भी सिर्फ़ एक ही शागिर्द हो जिसके बाइस़ उसकी शख़्सियत मज्हूल ठहरती हो।

☆ **रिवायतु मजहूलुल हाल:** वह हदीस़ जिसका रावी मजहूलुल हाल हो, यानी उसके मुताल्लिक़ अइम्मा-फ़न का कोई तब्स़रा न मिलता हो और उससे रिवायत करने वाले कुल दो आदमी हों जिसके बाइस़ उसकी शख़्सियत मालूम और हालत मजहूल ठहरती हो। ऐसे रावी को मस्तूर भी कहते हैं।

☆ **मुबहम:** वह हदीस़ जिसकी सनद में किसी रावी के नाम की स़राहत न हो।

क़ुतूबे अहादीस़ की किस्में

- **कुतूबे स़िहाह :** हर वह किताब जिसके मुअल्लिफ़ ने अपनी किताब में स़ही रिवायात लाने का इल्तेज़ाम किया हो और 'स़ही' के लफ़्ज़ को किताब के नाम का हिस्सा बनाया हो। ऐसी किताब की रिवायात कम अज़ कम उसके मुअल्लिफ़ के नज़दीक स़ही होती हैं। और अगर वह ख़ुद ही किसी हदीस़ की इल्लत बयान कर दे तो उससे उस किताब के स़ही होने पर हर्फ़ नहीं आता।
- **स़िहाहे सित्ता :** हदीस़ की छः कुतूब स़ही बुख़ारी, स़ही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, जामेअ तिर्मिज़ी और सुनन इब्ने माजा स़िहाहे सित्ता कहलाती हैं। इन्हें 'उसूले सित्ता' या 'कुतूबे सित्ता' भी कहा जाता है। पहली दो किताबें 'स़हीहैन' कहलाती हैं और ये सिर्फ़ अपने मुअल्लिफ़ीन के नज़दीक ही स़ही नहीं हैं बल्कि पूरी उम्मत के नज़दीक स़ेहत के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। इन पर ऐतराज़ बराए ऐतराज़ करने वाला शख़्स़, शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस़ देहलवी (रह.) के बक़ौल, इज्मा-ए-उम्मत का मुख़ालिफ़ और बिदअ़ती है जबकि आख़री चार किताबों को सुनन अरबअ़ा कहते हैं। गो इन में ज़ईफ़ हदीस़ मौजूद हैं, ताहम स़ही हदीस़ों की कस़रत की वजह से अकस़र उ़लमा इन्हें 'स़िहाहे सित्ता' में शुमार करते हैं।
- **जामेअ :** जिस किताब में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मौज़ूआत (मस़लन अ़क़ाइद, अहकाम, तफ़्सीर, जन्नत, दोज़ख़ वग़ैरह) से ताल्लुक़ रखने वाली अहादीस़ रिवायत की गई हों, मस़लन स़ही बुख़ारी और जामेअ़ तिर्मिज़ी वग़ैरह।
- **सुनन :** जिस किताब में सिर्फ़ अ़मली अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस़ जमा की गई हों, मस़लन सुनन अबू दाऊद।
- **मुसनद :** जिस किताब में एक स़हाबी या कई स़हाबा की रिवायात को अलग-अलग जमा किया गया हो, मस़लन मुसनद अहमद, मुसनद हुमैदी।
- **मुस्तख़रज :** जिस किताब में मुस़न्निफ़ किसी दूसरी किताब की हदीस़ों को अपनी सनदों से रिवायत करे, जैसे मुस्तख़रज इस्माईल अ़ला स़ही अलबुख़ारी।
- **मुस्तदरक :** जिस किताब में मुस़न्निफ़ ऐसी रिवायात जमा करे जो किसी दूसरे मुसन्निफ़ की शराइत के मुताबिक़ हो लेकिन उसकी किताब में न हों, मस़लन मुसतदरक हाकिम।
- **मौजम :** जिस किताब में मुस़न्निफ़ एक ख़ास़ तर्तीब के साथ अपने हर उस्ताद की रिवायात को अलग अलग जमा करे, मस़लन मौजम तबरानी।

● **अरबईन :** जिस किताब में किसी एक या मुख़्तलिफ़ मौज़ूआत पर चालीस अहादीस़ जमा की गई हों, मस़लन अरबईन नववी, अरबईन स़नाई वग़ैरह।

● **जुज़ :** वह किताब जिसमें सिर्फ़ एक रावी या एक मौज़ूअ की रिवायात जमा की गई हों, जैसे इमाम बुख़ारी (रह.) की 'जुज़उ रफ़उलयदैन' और 'जुज़उल क़िराअति ख़ल्फ़ूल इमाम' या इमाम बैहक़ी (रह.) की 'किताबुल क़िराअत ख़ल्फ़ूल इमाम' वग़ैरह।

कुतूबे अहादीस़ के मुख़्तलिफ़ तब्क़ात या दर्जात

❶ पहला तबक़ा स़ही बुख़ारी, स़ही मुस्लिम और मौता इमाम मालिक पर मुश्तमिल है। मौता इमाम मालिक ज़माना-ए-तालीफ़ के लिहाज़ से स़हीहैन से मुतक़द्दिम, लेकिन मर्तबा व मक़ाम के लिहाज़ से तीसरे नम्बर पर है। इमाम मालिक (रह.) और उनके हम ख़्याल उ़लमा की राय के मुताबिक़ इसकी तमाम अहादीस़ स़ही हैं। दूसरे मुहद्दिसीन के नज़दीक इसकी मुनक़तअ या मुर्सल रिवायात (मुख़्तलिफ़ किताबों में) दीगर सनदों से मुत्तस़िल हैं (लेकिन सिर्फ़ इत्तेस़ाले सनद स़ेहते हदीस़ के लिए काफ़ी नहीं होता)

❷ दूसरा तबक़ा सुनन अरबआ पर मुश्तमिल है। कुछ के नज़दीक मुसनद अहमद और सुनन दारमी भी ग़ालिबन इसी तबक़े में शामिल हैं। इनके मुअल्लिफ़ीन इल्मे हदीस़ में बड़े विद्वान थे, स़काहत व अ़दालत और ज़ब्ते हदीस़ में मारूफ़ थे। उन्होंने जिन मक़ास़िद और शराइत को मद्दे नज़र रखा, उनको पूरा करने में कोताही नहीं की। उनकी किताबों को हर दौर के मुहद्दिसीन और दीगर अहले इल्म में बेपनाह पज़ीराई मिली।

❸ वह मसानीद, जवामेअ और मुस़न्नफ़ात जो स़िहाहे सित्ता से पहले या उनके ज़माने में या उनके बाद लिखी गईं। इनके मुअल्लिफ़ीन की ग़र्ज़ महज़ अहादीस़ को जमा करना था। यही वजह है कि उनमें हर क़िस्म की अहादीस़ पाई जाती हैं। मुहद्दिसीन में गोया किताबें अजनबी नहीं, ताहम ज़्यादा मारूफ़ व मक़बूल भी नहीं, चुनांचे जो अहादीस़ पहले दो तबक़ों की किताबों में मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ़ इसी तबक़े की किताबों में पाई जाती हैं, फ़ुक़हा ने उनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया और मुहद्दिसीन ने भी उनकी स़ेहत व सिक़्म, क़बूल व रद्द, और तशरीह व तौज़ीह का ज़्यादा एहतिमाम नहीं किया, मस़लन 'मुस़न्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, मुस़न्नफ़ इब्ने अबी शैबा, मुसनद तयालिसी, बैहक़ी, तहावी और तबरानी वग़ैरह।

❹ वह क़िताबें जिनके मुअल्लिफ़ीन ने ज़माना-ए-दराज़ के बाद उन अहादीस़ को जमा किया जो पहले

दो तबक़ों की किताबों में नहीं थीं बल्कि ऐसे मजमूओं में पाई जाती थीं जिनकी (इल्मी दुनिया में) कोई वुक़अत (तवज्जह) न थीं। ये अहादीस़ उमूमन वाइज़ीन के इस्तेदलालात, हुकमा के अक़वाले ज़र्री और इस्राईली रिवायात पर मुश्तमिल हैं जिन्हें ज़ईफ़ रावियों ने सहवन या अमदन अहादीसे नबविया से ख़लत मलत कर दिया या किताब व सुन्नत के कुछ एहतिमालात हैं जिन्हें कुछ जाहिल सूफ़िया ने बिलमानी रिवायत कर दिया और उन्हें मरफ़ूअ अहादीस़ समझ लिया गया या चंद अहादीस़ से जुम्ले मुन्तख़ब करके एक नई हदीस़ बना दी गई वग़ैरह। मस़लन इब्ने हिब्बान की 'किताबुज़ ज़ुअफ़ा' इब्ने अदी की 'अलकामिल' और 'ख़तीब बग़दादी, अबू नुऐम अस़बहानी, इब्ने असाकिर, जोज़क़ानी, इब्ने नजार और दैलमी की किताब। इसी तरह 'मुसनद ख़्वारज़मी' इब्ने जौज़ी और मुल्ला अली क़ारी की 'अलमौज़ूआत' वग़ैरह भी इसी तबक़े में शामिल हैं।

5. इस तबक़े की किताबों में वह अहादीस़ शामिल हैं जो फ़ुक़हा, सूफ़िया मुअर्रिख़ीन और मुख़्तलिफ़ फ़ुनून के माहिरीन की ज़बानों पर मशहूर थीं, नीज़ वह अहादीस़ भी शामिल हैं जो बेदीन ज़बान दानों ने कलामे बलीग़ से वज़अ कीं और उनके लिए सनदें भी घड़ लीं।

- पहले और दूसरे तबक़े की किताबों पर मुहद्दिस़ीन को कामिल ऐतमाद है। उन्हें हमेशा इन किताबों से वाबस्तगी रही है।
- तीसरे तबक़े की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना उन माहिरीने हदीस़ का काम है जो रावियों के हालात और हदीस़ के मख़्फ़ी इल्लतों के जानने वाले हों। उमूमन ऐसी अहादीस़ ख़ुद दलील नहीं बन सकीं, अलबत्ता किसी मक़बूल हदीस़ की ताईद में पेश की जा सकती हैं।
- पहले दो तबक़ों की अहादीस़ की तक़वीयत में चौथे तबक़ा की अहादीस़ को जमा करना और उनसे इस्तेदलाल करना उलमा मुताख़िख़रीन का महज़ तकल्लूफ़ है। अहले बिदअत इसी क़िस्म की अहादीस़ से अपने अपने मज़ाहिब की ताईद में शवाहिद मुहय्या करते हैं लेकिन मुहद्दिस़ीन के नज़दीक इस तबक़ा की अहादीस़ से इस्तेदलाल करना स़ही नहीं है। (मुलख़्ख़स़ अज़ हुज्ज़तुल्लाहिल बालिगा)

मस़ादिर और मराजेअ का मफ़हूम :

- **मस़ादिर :** वह कुतूब जिनमें मुसन्निफ़ीन ने अहादीस़ को अपनी सनदों के साथ रिवायत किया हो। ऊपर दिये गये तबक़ात में जो दर्जा बंदी की गई है उनमें उमूमन मस़ादिर ही मुराद हैं।
- **मराजेअ :** वह कुतूब जिनमें अहादीस़ को मुख़्तलिफ़ मस़ादिर से मुन्तख़ब करके जमा किया

गया हो। उनकी तीन किस्में हैं:

1. वह मराजेअ़ जिनमें सिर्फ़ स़ही अहादीस़ को जमा किया गया है, मस़लन 'अल्लुअ्लुअ् वल् मरजान फ़ीमत्तफ़क़ा अ़लैहिश्शैख़ान' और 'उ़म्दतुल अहकाम' वग़ैरह।
2. वह मराजेअ़ जिनमें उ़मूमन मुस्तनद मस़ादिर से अहादीस़ मुन्तख़ब की गई हैं लेकिन उनमें ज़ईफ़ अहादीस़ भी मौजूद हैं, जैसे 'मिश्कातुल मस़ाबीह' रियाज़ुस्स़ालेहीन' अत्तरग़ीबु वत्तरहीब, बुलूग़ुल मराम' वग़ैरह।
3. वह मराजेअ़ जिनमें किसी मेअ़यार और तहक़ीक़ के बग़ैर बहुत से मुस्तनद और ग़ैर मुस्तनद मस़ादिर से अहादीस़ लेकर जमा कर दी गई हों, मस़लन 'कन्ज़ुल उम्माल' वग़ैरह।

नोट : दूसरी और तीसरी क़िस्म के मराजेअ़ में मज़कूर किसी हदीस़ से तहक़ीक़ के बग़ैर इस्तेदलाल करना दुरूस्त नहीं है।

दो मक़बूल अहादीस़ के ज़ाहिरी तआ़रूज़ (जाहिरी इख़्तिलाफ़) को दूर करने की मुख़्तलिफ़ स़ूरतें:

- सबसे पहले उनका कोई ऐसा मुश्तरक मफ़हूम मुराद लिया जायेगा जिससे हर हदीस़ पर अ़मल करना मुमकिन हो जाये और इस सिलसिले में उस मफ़हुम को तर्जीह दी जायेगी जो किसी तीसरी हदीस़ में बयान हुआ हो या फ़ुक़हा-ए-मुहद्दिस़ीन ने उसे बयान किया हो।
- अगर ऐसा न हो सके तो फिर ये तहक़ीक़ की जायेगी कि क्या उनमें से कोई हदीस़ मन्सूख़ तो नहीं है। इस स़ूरत में मन्सूख़ को छोड़ कर नासिख़ पर अ़मल किया जायेगा।
- अगर नस्ख़ का स़बूत न मिले तो फिर एक हदीस़ को किसी मस्लक का लिहाज़ किये बग़ैर महज़ वजूहे तर्जीह (फ़न्नी ख़ुबियों) की बिना पर तर्जीह दी जायेगी और दूसरी हदीस़ को छोड़ दिया जायेगा, मस़लन कोई हदीस़ स़ेहत के आ़ला दर्जा पर फ़ायज़ हो या आ़ला तबक़े की किसी किताब में मरवी हो तो कमतर दर्जे या तबक़े की हदीस़ को छोड़ दिया जायेगा ... वग़ैरह वग़ैरह।

नोट : अगर मक़बूल और मरदूद हदीस़ों का तआ़रूज़ आयेगा तो वहाँ मरदूद हदीस़ को रद्द करके सिर्फ़ मक़बूल हदीस़ पर अ़मल किया जायेगा।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

तहारत की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़, अक़साम और अहमियत व फ़ज़ीलत

- **लुग़वी तारीफ़ :** लफ़्ज़ (الطهارة) तफ़ईल से इस्म मुस्दर है, जिसके (طَهَّرَ يُطَهِّرُ تَطْهِيرًا وَطَهَارَةً) हम वजन (كَلَّمَ يُكَلِّمُ تَكْلِيمًا وَكَلَامًا) मानी हैं: मेल कुचैल, गंदगी और नजासत पाकीज़गी और सफ़ाई हासिल करना। (सुबुलुस्सलाम)
- **इस्तिलाही तारीफ़ :** हदीसे असग़र (बे'वुज़ू होने) और हदीसे अकबर (जनाबत, एहतिलाम, हैज़ और निफ़ास) की सूरत में मसनून तरीक़े से पानी से वुज़ू और ग़ुस्ल करने या पानी की ग़ैर मौजूदगी या उसके इस्तेमाल पर ताकत न रखने की सूरत में पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम करने को तहारत कहते हैं।
- **तहारत की अक़साम (क़िस्में) :** तहारत की दो क़िस्में है - **(1) तहारते हक़ीक़ी :** हदीसे असग़र और हदीसे अकबर की सूरत में पानी के साथ वुज़ू और ग़ुस्ल करना, तहारते हक़ीक़ी है। **(2) तहारते हक्मी:** हदीसे असग़र और हदीसे अकबर की हालत में पानी की ग़ैर मौजूदगी या उसके इस्तेमाल पर ताकत न रखने की सूरत में पाक मिट्टी के साथ तयम्मुम करना, तहारते हक्मी है।
- **तहारत व नज़ाफ़त (साफ़ सुथरा रहने) की अहमियत व फ़ज़ीलत :** इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्त-ए-हयात है। इसमें इंसानी फ़ितरतें सलीमा के हर तक़ाज़े और ज़रूरत का मुकम्मल हल मौजूद है। इंसान के तबई (फितरी) तक़ाज़ों को नज़र अन्दाज़ नहीं किया गया बल्कि उसकी फितरी ज़रूरतों को मुकम्मल तौर पर पूरा किया गया है, फिर इंसान को उन्हीं आमाल का मुकल्लफ़ ठहराया गया है जिनको वह आसानी के साथ निभा सके क्योंकि असल हकीम व बुर्दबार तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। शरई अहकाम में क़ुदरते इलाही और उसी की तदबीर व हिकमत बतलाने वाली है, इसलिए बग़ैर किसी कमी-बेशी के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम में वह रहनुमा उसूल मुक़र्रर फ़रमाये जिनमें आखिरत की कामयाबी के साथ दुनियावी फ़वाइद भी छुपे हुए हैं। इनमें से एक अहम ज़ाब्ता, तहारत व सफ़ाई का एहतिमाम भी है क्योंकि पाकीज़गी और उसका हुसूल ऐन इंसानी फ़ितरत है, इसीलिए अहादीस में कहीं 'दस चीज़ें फितरी कामों में से है। (सहीह मुस्लिम: 261) और कहीं पाँच चीज़ें फ़ितरी उमूर में से है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5889 व सहीह मुस्लिम, हदीस: 257) वग़ैरह की तालीम देकर बदन को पाक रखने पर ज़ोर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि ज़ाते बारी तआला ख़ुद तो जमील (खूबसूरत) हो लेकिन जमाल (ख़ूबसूरती) को पसन्द न करे क्योंकि आबिद (इबादत गुज़ार) को माबूद के सामने दिन रात की मुख़्तलिफ़ घड़ियों में अपनी जबीने न्याज़ (आजिज़ी से झुकने वाली पेशानी) झुकाने का हुक्म है और नजासत और पलीदी की सूरत में आबिद और माबूद का आपस

में ताल्लुक़ कैसे जुड़ सकता है? हदीस में आता है: **'अल्लाह तआला इन्तिहाई ख़ूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसन्द करता है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 91) क़ुर्आन मजीद में है: **'अल्लाह तआला ख़ूब तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसन्द करता है।'** (अल बक़र: 2/222)

नबी (ﷺ) के जमाने में पानी की कमी थी, लोग बोल व बराज़ (पेशाब व पाख़ाने) से फ़राग़त के बाद ढेले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अहले क़ुबा इस वक़्त के बावुजूद पानी ही से हुसूले तहारत की कोशिश करते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी ख़स्लत और कमाल हुसूले तहारत की बिना पर क़ुर्आन मजीद में उनकी तारीफ़ फ़रमाई है: **'इसमें ऐसे आदमी हैं जो ख़ूब तहारत हासिल करना पसन्द करते हैं, और अल्लाह अच्छी तरह पाक रहने वालों से मुहब्बत करता है।'** (तौबा: 9/108) सफ़ाई और तहारत का हुक्म देते हुए रसूलुल्लाह (ﷺ) से अल्लाह तआला फ़रमाता है: **'अपने कपड़ों को पाक रखिये और गन्दगी से दूर रहिये।'** (अल मुद्दस्सिर: 74/4-5)

इसीलिए इस्लाम के अहम रूक्न नमाज़ के लिए तहारत को शर्त क़रार दिया गया है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने तहारत की तर्ग़ीब के साथ साथ ख़ुद भी अमलन उम्मत के सामने इसका मुज़ाहिरा किया है। हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करते और उसका शौक़ दिलाते, घर आते वक़्त और सुबह को बेदार होने के बाद मिस्वाक का एहतिमाम करते, आपने इसे अल्लाह तआला की रज़ाजूई (ख़ुश्नूदी) और मुँह की सफ़ाई का ज़रिया क़रार दिया है। वुज़ू टूटने के बाद उसी लम्हे दोबारा वुज़ू करने वाले को मोमिन क़रार दिया, फ़रमाया: **'मोमिन ही वुज़ू की हिफ़ाज़त (और उस पर हमेशगी) करता है।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 277, व सहीह अत्तरग़ीब वत्तरहीब: 1/198)

मूँछें कतराने, दाढ़ी बढ़ाने, मिस्वाक करने, वुज़ू करते वक़्त नाक में पानी चढ़ाने, कुल्ली करने, ख़त्ना कराने, नाख़ून तराशने, ज़ेरे नाफ़ बाल मूंडने, बग़लों की सफ़ाई करने, इस्तिन्जा (पेशाब पाख़ाना से पाकी हासिल) करने और बदन की मुख़्तलिफ़ हड्डियों के जोड़ धोने को इस्लाम ने उमूरे फ़ितरत (फ़ितरी कामों) में शुमार किया है। गोया इनकी सफ़ाई का एहतिमाम इंसानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है और इनमें सुस्ती का मुज़ाहिरा गन्दगी की पैदावार में इज़ाफ़े का बाइस है, इसलिए मूँछें, नाख़ून, बग़लों और ज़ेरे नाफ़ बालों को छोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत चालीस दिन क़रार दी।

ज़ुहैर बिन अबू अल्क़मा फ़रमाते हैं: नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में एक सहाबी मेले कुचैले कपड़े पहन कर परागन्दा हालत में आया तो आपने पूछा: **'तेरे पास माल है?'** उसने जवाब दिया: जी हाँ, हर क़िस्म का माल मौजूद है। तब आपने फ़रमाया: **'तो फिर उसके असरात भी तुम पर नज़र आने चाहिए क्योंकि अल्लाह तआला ये पसन्द करता है कि उसके बन्दे पर उसकी नेमतों के अच्छे असरात नज़र आयें।'** (मजमूअ अज़्ज़वाइद: 5/132, रक़म: 8583, सिलसिलतुल अहादीस

अस्सहीहा: 3/311) लिहाज़ा परागन्दा हालत में रहना अल्लाह तआला को पसन्द नहीं और न ये किसी विलायत (अल्लाह के दोस्त होने) और अल्लाह के यहाँ किसी तक़र्रुब (करीब होने) की दलील है जैसा कि आज कल बहुत से नाम निहाद सूफ़ी जो विलायत और तक़र्रुब का झाँसा देकर नंग-धडंग और गन्दगी में लत पत 'तरीक़त' (तज़्किय-ए-नफ़्स) पर अमल पैरा हैं। ये सरासर इस्लाम के निज़ामे तहारत के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जूते की सफ़ाई का हुक्म है जबकि ज़रूरत के पेशे नज़र इसमें नमाज़ पढ़ने का इरादा हो। ग़र्ज़ ये कि तमाम कामों में सफ़ाई और तहारत को लाज़िमी क़रार दिया गया है, मिसाल के तौर पर चंद अहम काम इस तरह है:

(1) गुस्ल ख़ाने में पेशाब करने से मना फ़रमाया है।

(2) ज़रूरत के पेशे नज़र अगर किसी बर्तन में पेशाब किया है तो उसे जल्द बहा दिया जाये, ज़्यादा देर रखने से गन्दगी और बदबू फैलेगी जिससे रहमत के फ़रिश्ते घर में दाख़िल नहीं होंगे।

(3) बर्तनों की सफ़ाई का एहतिमाम, जैसे अगर बर्तन कुत्ता चाट जाये तो सात दफ़ा धोने का हुक्म, बर्तनों को ढाँक कर रखने का हुक्म।

(4) सायेदार दरख़्त के नीचे पेशाब करने से मना किया गया है। मुम्किन है कोई उसकी छाँव में बैठना चाहे।

(5) आबाद रास्ते में बोल व बराज़ (पेशाब-पाखाना) करना मना है। इससे आने जाने वालों को अज़ियत (तकलीफ़) होगी और ये बाइसे लानत है।

(6) पानी के होज़, घाट, कुओं और आम खड़े (रुके) पानी में पेशाब करना मना है।

(7) पेशाब के छींटों से बचाव का एहतिमाम, वरना इस पर सख़्त अज़ाब होगा।

(8) बैठ कर और नर्म जगह पेशाब किया जाये, ताकि कपड़े गन्दगी से महफ़ूज़ रहें।

(9) जुन्बी का ग़ुस्ल करने में हद से ज़्यादा सुस्ती करना नापसन्दीदा है क्योंकि इसकी वजह से रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। (सहीह अत्तरग़ीब वत्तरहीब: 1/184)

(10) तहारत व सफ़ाई के एहतिमाम की ख़ातिर ग़ुस्ले जनाबत का इस्लाम के दीगर अरकान के साथ ज़िक्र किया गया है: **'और तू जनाबत से ग़ुस्ल करे।'** (सहीह अत्तरग़ीब वत्तरहीब: 1/199)

(11) वुज़ू से जहाँ नाक, मुँह, गले, आँखों और कान वग़ैरह की सफ़ाई होती है, वहाँ इसके कसीर फ़ज़ाइल भी बयान किये गये ताकि मज़ीद नज़ाफ़त (साफ़-सुथरा रहने) का एहतिमाम हो।

(12) तहारत और वुज़ू के एहतिमाम को दुख़ूले जन्नत (जन्नत में दाखिले) और दरजात की बुलन्दी का बाइस बनाया जैसा कि हज़रत बिलाल (ﷺ) के वाक़िये से मालूम होता है। (सहीह अत्तरग़ीब वत्तरहीब: 1/199)

(13) तहारत व पाकीज़गी का एहतिमाम और फिर उसके लिए दुआ गो रहना मसनून है जैसा कि **'और मुझे बहुत ज़्यादा पाक रहने वालों में से बना दे'** से साबित होता है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 55)

(14) एहतिलाम, जनाबत और हैज़ व निफ़ास के बाद ग़ुस्ल का हुक्म और ख़ुरूजे मज़ी (मज़ी निकलने) वदी और रतूबत (नमी) के बाद वुज़ू का हुक्म अज़मते तहारत की वाज़ेह दलील है।

(15) बच्चे और बच्ची के पेशाब की वजह से तहारत का हुक्म, अगरचे बच्ची के पेशाब की वजह से कपड़े को धोने का हुक्म है और बच्चे के पेशाब की सूरत में चुल्लू भर पानी से छींटे मार लेना ही काफ़ी है, लेकिन हुसूले तहारत हर हाल में लाज़िमी है।

(16) ज़मीन की पाकीज़गी का हुक्म जैसा कि ऐराबी (बद्दू) के पेशाब पर पानी का डोल बहाने का हुक्म है।

(17) यहाँ तक कि मुर्दा हलाल जानवर की कच्ची खाल की तहारत के लिए दबाग़त (चमड़ा रंगने) को लाज़िम क़रार दिया।

(18) गोबर और हड्डी से इस्तिन्जा और तहारत हासिल करना मना है।

अलहासिल : दीने फ़ितरत, इस्लाम दूसरे तमाम दीन व धर्म पर इन कामों में बरतर है। यहूदियत, ईसाइयत, मजूसियत, हिन्दू मत, बुध मत और सिख मज़हब में तहारत व नज़ाफ़त (साफ़ सफ़ाई) का ये एहतिमाम बिल्कुल मफ़क़ूद (बेवुजूद, गायब) है। इन मज़ाहिब के हामिल, हैवानों की सी ज़िन्दगी गुज़ारते हैं बल्कि कुछ कामों में उनसे भी बढ़ कर हैं। इस्लाम की ये वह इम्तियाज़ी ख़ूबी (पहचान) है जिस पर मुश्रिकीन को ताज्जुब हुआ और उन्होंने ताना देते हुए हज़रत सलमान फ़ारसी(ﷺ) से कहा: हम देखते हैं कि तुम्हारा नबी तुम्हें क़ज़ा-ए-हाजत के आदाब तक सिखाता है। उन्होंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट और शर्मिन्दगी के मुदब्बिराना अन्दाज़ में तहम्मुल (सब्र) से जवाब दिया: हाँ, आप (ﷺ) ने हमें दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करने और पेशाब-पाख़ाने के वक़्त क़िब्ला रुख़ होने से मना फ़रमाया है और ये कि हममें से कोई तीन ढेलों से कम में इस्तिन्जा न करे और गोबर या हड्डी से भी इस्तिन्जा न करे। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 262).

ये इस्लाम ही का ख़ास्सह (ख़ुसूसियत) है कि उसने तहारत व पाकीज़गी को निस्फ़ (आधा) ईमान या ईमान का एक हिस्सा क़रार दिया। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'सफ़ाई निस्फ़ ईमान है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 223) बहरहाल सफ़ाई का एहतिमाम ईमान है और ईमान ही जन्नत में दाखिले का बाइस है।

सुनन नसाई का अन्दाज़े तालीफ़ (तर्तीब देने का काम) फ़िक़ही किताबों जैसा है जिनमें सिर्फ़ शरीअत के आमाल का बयान होता है। आमाल की दो क़िस्में हैं: इबादात और मामलात। चूंकि इबादात हुक़ूक़ुल्लाह हैं, इसलिए उनका दर्जा मुक़द्दम है। इबादात में सबसे अहम इबादत नमाज़ है जो हर आक़िल बालिग़

मुसलमान पर होशो-हवास आने से दम निकलने तक फ़र्ज़ है, और ये तमाम इबादात की जामेअ (अस़ल) है, इसलिए इबादात में इसे मुक़द्दम किया जाता है। नमाज़ की शर्तों में से तहारत सबसे अहम है, लिहाज़ा इसका तज़किरा सबसे पहले होता है। तहारत से मुराद ये है कि नमाज़ी का जिस्म, लिबास और मकान नजासत से पाक हों।

ज़रूरी है कि जिस्म ज़ाहिरी और मअ़न्वी (पौशीदा, अस़ल) नजासत से पाक हो। मअ़न्वी नजासत से मुराद बेवुज़ू होना और जुन्बी होना है। आइन्दा अहादीस़ में दोनों क़िस्म की नजासत से तहारत का ज़िक्र है। मअ़न्वी नजासत से तहारत का ज़िक्र पहले किया गया है क्योंकि इसका नमाज़ से ख़ुसूसी ताल्लुक़ है।

قَالَ الشَّيْخُ، الْإِمَامُ، الْعَالِمُ، الرَّبَّانِيُّ، الرُّحْلَةُ، الْحَافِظُ، الْحُجَّةُ الصَّمَدَانِيُّ، أَبُوعَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَحْمَدُبْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَحْرِ النَّسَائِيُّ، رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

इमाम नसाई (رَحِمَهُ اللهُ) के शागिर्दे रशीद शैख़ अबूबक्र इब्ने सुन्नी फ़रमाते हैं: शैख़ुल इस्लाम इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब बिन अ़ली बिन बहर नसाई (رَحِمَهُ اللهُ) ने फ़रमाया जो कि इल्मे हदीस़ में लोगों के मुक़्तदा (पेशवा, रहनुमा) थे। बाअ़मल आ़लिम और अल्लाह वाले थे। लोग दूर दूर से उनकी ख़िदमत में तल्बे इल्म (इल्म हासिल करने) की ख़ातिर हाज़िर होते थे। वह हदीस़ के हाफ़िज़ और इल्मे हदीस़ में हुज्जत थे।

वज़ाहत : 'अश्शैख़' ये लफ़्ज़ अरबी ज़बान में उस्ताद के लिए बोला जाता है, और अपने फ़न में कामिल आ़लिम को भी एहतिरामन 'शैख़' कहा जाता है। अगरचे लुग़वी तौर पर 'बूढ़े' को कहा जाता है मगर यहाँ ये मानी मुराद नहीं। 'अलहाफ़िज़' और 'अलहुज्जह': उसूले हदीस़ में 'हाफ़िज़' उसको कहा जाता है जिसे एक लाख अहादीस़ हिफ़्ज़ (हदीसें याद) हों। और 'हुज्जत' वह होता है जिसे तीन लाख अहादीस़ ज़बानी याद हों। और 'हाकिम' वह होता है जिसे सब अहादीस़ मत्न व अस्नाद समेत हिफ़्ज़ हों। याद रहे कि मुहद्दिसीन के नज़दीक 'हिफ़्ज़े हदीस़' से मुराद ही ये है कि हदीस़ को सनद और मतन समेत याद किया जाये, नीज़ हदीस़ की स़ेहत व सक़म (स़ही व ग़लत, ज़ईफ़) का भी इल्म हो, ग़र्ज़ हदीस़ से मुताल्लिक़ पूरी मालूमात हों। 'अन्नसाई' ये इमाम स़ाहब के पैदाइशी शहर की तरफ़ निस्बत है ये इलाक़ा ख़ुरासान (तुर्कमेनिस्तान) में मरू के क़रीब एक शहर है। इस शहर का नाम नसा या नसाअ है इसकी निस्बत से इमाम स़ाहब को निस्वी या नसूई कहा जाता है। 'अर्रब्बानी, अस़्स़मदानी' ये दोनों लफ़्ज़ हम मानी हैं। 'रब्बानी' 'रब' की तरफ़ और 'स़मदानी' 'स़मद' की तरफ़ मन्सूब है। 'रब' और 'स़मद' अल्लाह तआ़ला के सिफ़ाती नाम हैं। गोया इन दोनों का मानी हुआ 'अल्लाह वाला' इसी लिए तर्जुमे में एक का तर्जुमा काफ़ी समझा गया है। दोनों में निस्बत के वक़्त 'अन' का इज़ाफ़ा कर दिया गया है ताकि मानी में मुबालग़ा हो।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

كتاب الطهارة

तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب: (۱)
تَأْوِيلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ﴾

बाब : (1)
अल्लाह तआला के फ़रमान: 'जब तुम नमाज़ के लिए उठो तो अपने चेहरे और अपने हाथों को कुहनियों तक धोओ।' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

(1) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नींद से बेदार हो तो अपना हाथ वुज़ू के पानी में न डाले, यहाँ तक कि उसे तीन दफ़ा धो ले क्योंकि तुममें से कोई नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुज़ारी है। (रात भर कहाँ कहाँ लगता रहा है।)'

(1) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 278, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सद ये मालूम होता है कि वुज़ू करने के लिए बर्तन में हाथ डालने से पहले उन्हें तीन दफ़ा धो लेना चाहिए, उसके बाद वुज़ू की शुरूआत करना चाहिए। **(2)** इससे ये मसला भी अख़ज़ होता (निकाला जाता) है कि वुज़ू का पानी नजिस (नापाक) न हो जैसा कि दूसरी हदीस़ों में इसकी स़राहत आई है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 185, 186 व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 235) **(3)** इस हदीस़ में रात की नींद से उठने के बाद हाथ धोने का ज़िक्र है, मगर ये इल्लत (वजह) आम है और यही सूरत दिन की नींद में भी पेश आ सकती है, इसलिए आम तौर पर इल्लत की वजह से हर नींद के बाद हाथ धोना ज़रूरी हैं। **(4)** वुज़ू का मक़स़द सिर्फ़ शरई तहारत ही नहीं बल्कि जिस्मानी स़फ़ाई भी है। **(5)** नज़र न आने वाली नजासत (नापाकी), जैसे: पेशाब ख़ुश्क हो जाये, या मशकूक चीज़ लग जाये तो उन्हें तीन दफ़ा धोना बेहतर है,

इस तरह वह पाक हो जायेगी, अलबत्ता अगर नजासत नज़र आ रही हो या महसूस हो रही हो तो उसका ज़ायल (दूर) करना ज़रूरी है।

बाब : (2) जब रात को नींद से उठे तो मिस्वाक करे

بَاب : (٢) السِّوَاكِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

(2) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) रात को नींद से उठते, तो अपने दहन मुबारक (मुँह) को मिस्वाक के ज़रिये से साफ़ फ़रमाते।

(2) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 245, मुस्लिम, हदीस: 255, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 2.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नींद से बेदारी के बाद मिस्वाक करना मुस्तहब है, मगर ये वुज़ू का हिस्सा नहीं क्योंकि नबी (ﷺ) के हर वुज़ू में मिस्वाक का ज़िक्र नहीं, अगरचे आप (ﷺ) ने हर वुज़ू के साथ मिस्वाक की ताकीद फ़रमाई है। (2) मिस्वाक इस्मे आला (ज़र्फ़ या चीज़ का नाम है) है, यानी जिस चीज़ से भी मुँह की सफ़ाई मुम्किन हो, ख़्वाह वह दरख़्त की लकड़ी हो या बालों वाला ब्रश या कोई महलूल वग़ैरह। लेकिन अफ़ज़ल ये है कि मिस्वाक पेलू के दरख़्त की हो क्योंकि इसमें सुन्नत पर अमल के साथ साथ तिब्बी फ़वाइद का हुसूल भी है। वल्लाहु आलम! (3) 'يَشُوصُ' के मानी दाँतों को मलने और साफ़ करने के हैं। इमाम ख़त्ताबी (رحمه الله) इस मलने की कैफ़ियत की बाबत लिखते हैं कि दाँतों को मिस्वाक के साथ अर्ज़ के बल साफ़ करना 'شَوص' कहलाता है। और एक क़ौल ये भी है कि मिस्वाक के साथ दाँतों को ऊपर से नीचे की जानिब साफ़ करना शूस है। तफ़्सील के लिए देखिये (ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन अन्नसाई लिल अलअमा अली बिन आदम इतयूबी: 1/226)

बाब : (3) मिस्वाक कैसे करे?

بَاب : (٣) كَيْفَ يَسْتَاكُ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ

(3) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास गया तो आप दाँत साफ़ फ़रमा रहे थे और मिस्वाक का सिरा

أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَنُّ وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُولُ " عَأْعَأْ " .

आपकी ज़बाने मुबारक पर था और आप (आ आ) कर रहे थे।

(3) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 244, मुस्लिम, हदीस: 254, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 3.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मिस्वाक का मक़सद मुँह की सफ़ाई है, लिहाज़ा मिस्वाक इस अन्दाज़ से की जाये कि न सिर्फ़ दाँतों की सफ़ाई हो, बल्कि ज़बान और हलक़ भी हर क़िस्म की गन्दगी से साफ़ हो जायें। (2) मिस्वाक करते वक़्त अगरचे चेहरा मुतग़य्युर (बदलने) का इम्कान होता है, मगर इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए और न इसे ख़िलाफ़े मुरव्वत और अपनी शख़्सियत के ख़िलाफ़ ही समझना चाहिए बल्कि बिला झिझक हर किसी के सामने मिस्वाक की जा सकती है।

بَاب : (۴)
هَلْ يَسْتَاكُ الْإِمَامُ بِحَضْرَةِ رَعِيَّتِهِ

बाब : (4)
क्या हाकिम अपने मातहतों के सामने मिस्वाक कर सकता है?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا

(4) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं नबी (ﷺ) के पास आया, जबकि मेरे साथ दो अशअरी और भी थे। एक मेरे दाएँ था और दूसरा मेरे बाएँ। और अल्लाह के रसूल (ﷺ) मिस्वाक फ़रमा रहे थे। उन दोनों ने आप (ﷺ) से कोई ओहदा माँगा। मैंने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा नबी बना कर भेजा! उन्होंने मुझे अपने दिली इरादे से मुत्तलअ (ख़बरदार) नहीं किया और न मुझे अन्दाज़ा ही था कि ये कोई ओहदा माँगेंगे। मुझे यूँ लगता है कि मैं अब भी देख रहा हूँ कि आपकी मिस्वाक आपके होंट मुबारक के नीचे है और होंट सिकुड़ा हुआ है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ हम सरकारी

شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ " إِنَّا لاَ - أَوْ لَنْ - نَسْتَعِينَ عَلَى الْعَمَلِ مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ " . فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رضى الله عنهما .

मन्सब पर किसी ऐसे शख़्स का तआवुन हासिल नहीं करते (या हरगिज़ नहीं करेंगे) जो उसका तलबगार हो लेकिन (ऐ अबू मूसा!) तू (ओहदे पर) जा।' फिर आप (ﷺ) ने उन्हें (अबू मूसा को हाकिम बना कर) यमन भेज दिया। फिर आप(ﷺ) ने उनके पीछे हज़रत मुआज़ बिन जबल (رضي الله عنه) को भी भेज दिया।

(4) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:6923, मुस्लिम, हदीस: 1733, 1825, सुनन अलकुब्रा अन्नसाई, हदीस: 8.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मसलतुल बाब (इमाम का अपनी रिआया या किसी अज़ीमुश्शान शख़्सियत का अपने अक़ीदतमंद अफ़राद के सामने मिस्वाक करना उसकी शान के ख़िलाफ़ नहीं और न ये ख़िलाफ़े शरअ है) के अलावा इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि किसी ओहदे की तलब बज़ाते ख़ुद जायज़ नहीं, बल्कि उसे हाकिम की राय पर छोड़ देना चाहिए, अलबत्ता अगर हाकिम ख़ुद किसी मन्सब या ओहदे के लिए दरख़्वास्तें तलब करे तो अपने आपको पेश करना जायज़ है, जैसे जंगे ख़न्दक़ के मौक़े पर आप (ﷺ) ने पूछा: क़ुरैश की ख़बर कौन लायेगा? तो हज़रत ज़ुबैर (رضي الله عنه) ने अपने आप को पेश किया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2846) गोया आज कल नौकरियों के लिए दरख़्वास्त देने का तरीक़ेकार दुरुस्त है, अलबत्ता हुसूले इक़्तिदार (हासिल करने) की ख़ातिर अपने आपको पेश करना दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! **(2)** किसी ओहदे के तालिब या हरीस (लालची) को ओहदा न दिया जाये क्योंकि अव्वलन तो हरीस (लालची) आदमी अपने ओहदे से इन्साफ़ नहीं कर सकेगा बल्कि उसे शान व शौकत या दौलत के हुसूल का ज़रिया बनायेगा। दूसरा ऐसे आदमी को अल्लाह तआला की तरफ़ से मदद और तौफ़ीक़ नहीं मिलेगी जैसा कि सहीह अहादीस में वारिद है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6622, सहीह मुस्लिम, हदीस: 1652) लेकिन अगर कोई शख़्स ये समझता है कि कोई दूसरा आदमी उस ज़िम्मेदारी को सही तरह नहीं निभा सकेगा तो वह उस ज़िम्मेदारी को कमा हक़्क़हू निभाने की ख़ातिर उसका मुतालबा कर सकता है, जैसे हज़रत यूसुफ़(عليه السلام) ने कहा था: 'मुझे इस ज़मीन के ख़ज़ानों पर मुक़र्रर कर दीजिए, बेशक मैं पूरी हिफ़ाज़त करने वाला, ख़ूब जानने वाला हूँ।' (यूसुफ़ 12:55) इसी तरह हज़रत उस्मान बिन अबू अलआस(رضي الله عنه) ने अर्ज़ की, मुझे अपनी क़ौम का इमाम बना दीजिए। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम उनके इमाम हो और उनके ज़ईफ़ तरीन का ख़याल रखना।' (सुनन अबू दाऊद, हदीस: 53....) **(3)** मिस्वाक दाएँ बाएँ के अलावा ऊपर नीचे के रुख़ पर भी की

जाये ताकि मिस्वाक के रेशों से दाँतों के दरम्यान फँसी हुई गन्दगी भी निकल सके, हदीस में लफ़्ज़ 'قلصت' इस पर दलालत करता है।

बाब : (5)
मिस्वाक करने की तर्ग़ीब

باب : (٥)
اَلتَّرْغِيبُ فِي السِّوَاكِ

(5) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मिस्वाक मुँह की सफ़ाई व पाकीज़गी और रब तआला की रज़ामंदी का ज़रिया है।'

(5) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/124, अबी लैला: 8/315, हदीस: 4916, सुननिल कुब्रा अन्नसाई, हदीस: 4, बुख़ारी, हदीस: 1934, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 135.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) मिस्वाक से मुँह पाक व साफ़ हो जाता है और इंसान अल्लाह तआला से मुनाजात और तिलावते कलाम पाक के मुनासिबे हाल हो जाता है और फ़रिश्ते उसके क़रीब आते हैं क्योंकि वह बदबू और हर उस चीज़ से तकलीफ़ महसूस करते हैं जिससे इंसान तकलीफ़ महसूस करते हैं। एक रिवायत में है कि जब इंसान क़ुर्आन पढ़ता है तो फ़रिश्ता उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और क़ुर्आन सुनता है यहाँ तक कि क़ुर्आन सुनते सुनते उसके इतना क़रीब हो जाता है कि अपना मुँह पढ़ने वाले के मुँह पर रख देता है, फिर पढ़ने वाला जो आयत भी पढ़ता है तो वह फ़रिश्ते के अंदर चली जाती है, इसीलिए फ़रमाया कि क़ुर्आन पढ़ते वक़्त मुँह को साफ़ रखो (सिलसिल्तुल अहादीस अस्सहीहा: 3/214, 215, हदीस: 1213) **(2)** मिस्वाक हर वक़्त इस्तेमाल करना मुस्तहब है। **(3)** तिब्बी नुक़्त-ए-नज़र से ये खाना हज़म करने में बेहतरीन मुआविन (मददगार) है। **(4)** इस बाब का मक़सद ये है कि मिस्वाक फ़ज़ीलत वाली चीज़ है, मगर फ़र्ज़ नहीं और न ये वुज़ू का जुज़ है। लेकिन एक ही वक़्त में दीनी व दुनियावी फ़वाइद के हुसूल का ज़रिया ज़रूर है।

बाब : (6)
कसरत से मिस्वाक करने की ताकीद

باب : (٦)
اَلْإِكْثَارُ فِي السِّوَاكِ

خْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْحَبْحَابِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ أَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ " .

(6) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मैंने मिस्वाक के बारे में तुम्हें बहुत ताकीद की है।'

(6) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 888, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 5.

फ़वाइद व मसाइल : 'الشرح الكبير' की तख़रीज करते हुए अल्लामा इब्ने मल्क़न (رحمه الله) मिस्वाक से मुताल्लिक़ आख़िरी हदीस के बाद फ़रमाते हैं कि इस मसले में मुसन्निफ़ ने सौ से ज़्यादा हदीसें ज़िक्र की है। और ये बहुत बड़ी तादाद है। फिर कहते हैं: ये ताज्जुब की बात है, एक ही सुन्नत से मुताल्लिक़ इस क़द्र अहादीस मन्क़ूल है। जबकि बहुत से लोग बल्कि अक्सर फ़ुक़हा इस सुन्नत को छोड़ देते हैं। देखिये (अलबद्रुलमुनीर: 3/223) अगरचे ये तादाद सहीह व ज़ईफ़ हर क़िस्म की हदीसों समेत बनती है, लेकिन उनसे इस अज़ीम सुन्नत की अहमियत बिल्कुल वाज़ेह है।

बाब : (7)
रोज़ेदार को पिछले पहर मिस्वाक करने की इजाज़त है

باب : (٧)
اَلرُّخْصَةُ فِي السِّوَاكِ بِالْعَشِيِّ لِلصَّائِمِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

(7) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये बात न होती कि मैं अपनी उम्मत पर मशक़्क़त डाल दूंगा, तो मैं उन्हें हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।'

(7) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 887, मुस्लिम: हदीस:252, मोत्ता: 1/66, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 6.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से स़ाबित हुआ कि मिस्वाक करना फ़र्ज़ है न जुज़ वुज़ू, (वुज़ू का हिस्सा) अलबत्ता ये अ़मल ताकीद किया गया और मुस्तहब है। **(2)** 'हर नमाज़ के वक़्त' के उ़मूम के तहत पिछले पहर की नमाज़ें (ज़ुहर व अ़स्र) भी आ जाती हैं, लिहाज़ा हर नमाज़ी मिस्वाक कर सकता है, रोज़ेदार हो या ग़ैर रोज़ेदार, जबकि इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने रोज़ेदार के लिए पिछले पहर मिस्वाक करने को अच्छा नहीं समझा कि उससे ख़ुलूफ़ (मुँह की वह बू जो मादा ख़ाली होने की वजह से रोज़ेदार के मुँह से निकलती है) ज़ायल होने का ख़तरा है जो कि अल्लाह तआ़ला को महबूब है, मगर हक़ीक़त ये है कि मिस्वाक से मेल कुचैल और बदबू दूर होती है (जो अल्लाह तआ़ला को नापसन्द है) न कि ख़ुलूफ़ क्योंकि इसका ताल्लुक़ तो मादे से है। **(3)** कुछ अहले इल्म का क़ौल है कि 'हर नमाज़ के वक़्त' से मुराद वुज़ू के वक़्त मिस्वाक करना है न कि ऐन नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त क्योंकि इस सूरत में कुल्ली किये बग़ैर मुँह की गन्दगी ख़त्म न होगी। लेकिन ऊपर बयान की गई तौजीह ज़ाहिर नस़ (दलील) के ख़िलाफ़ है। और दूसरी बात ये है कि जो शख़्स़ इल्तिज़ाम (पाबंदी) से मिस्वाक करता है उसका मुँह गन्दगी से उ़मूमन स़ाफ़ ही होता है, लिहाज़ा इस मसले में वारिद अहादीस़ के अल्फ़ाज़ मुख़्तलिफ़ हैं, कुछ में 'عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ' और कुछ में 'عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ' और कुछ के अल्फ़ाज़ हैं 'مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ' इसलिए इन रिवायात के ज़ाहिर के पेशे नज़र अक्स़र उ़लमा का यही मौक़फ़ है कि ऐन नमाज़ के वक़्त भी मिस्वाक करना मुस्तहब है। इस तरीक़े से नबी-ए-करीम (ﷺ) से मन्क़ूल दोनों अहादीस़ पर अ़मल हो जाता है जबकि कराहत का मौक़फ़ उनके यहाँ बेदलील है। वल्लाहु आ़लम! तफ़्स़ील के लिए देखिये: (अत्तालीक़ातुस्सल्फ़िया: 1/15, तबआ़ जदीद)

बाब : (8)
मिस्वाक हर वक़्त की जा सकती है

باب : (٨)
اَلسِّوَاكُ فِي كُلِّ حِينٍ

(8) क़ाज़ी शुरेह से रिवायत है, वह कहते हैं कि मैंने हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से पूछा कि नबी (ﷺ) जब घर में दाख़िल होते तो सबसे पहले कौनसा काम करते थे? उन्होंने फ़रमाया: मिस्वाक करते।

(8) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 253, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 7.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ، - وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ - عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये बाब पिछले बाब का तसल्सुल (सिलसिलेवार) भी हो सकता है कि आप (ﷺ) जब भी घर तशरीफ़ लाते, मिस्वाक करते। ज़ाहिर है आप अक्सर रोज़ेदार होते थे, लिहाज़ा रोज़ेदार हर वक़्त मिस्वाक कर सकता है। (2) 'हर वक़्त में' उ़रफ़ी इस्तिग़राक़ (उ़मूम) है न कि हक़ीक़ी। वरना बहुत से औक़ात अ़क्लन व शरअ़न मुस्तस़ना (अलग किया गया) हैं, जैसे: नमाज़ व क़िराअत के दरम्यान, खाना खाते हुए, बातें करते हुए और क़ज़ा-ए-हाजत वग़ैरह के दौरान में वग़ैरह। वल्लाहु आ़लम!

ذِكْرُ الْفِطْرَةِ

उमूरे फ़ितरत का बयान

باب : (٩) اَلاِخْتِتَانُ

बाब : (9) ख़त्ना करवाना

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الاِخْتِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ " .

(9) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें फ़ितरी (कुदरती) हैं: ख़त्ना कराना, ज़ेरे नाफ़ के बाल मूण्डना, मूँछें काटना, नाख़ून तराशना और बग़लों के बाल उखेड़ना।'

(9) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5888-5890, मुस्लिम, हदीस़: 257/50, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 10.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन कामों को फ़ितरत क़रार देने से मुराद ये है कि इंसान की फ़ितरते सलीमा (स़ही ग़लत में तमीज़ करने की कुदरत) इन चीज़ों का तक़ाज़ा करती है। दीने इस्लाम को भी इसलिए फ़ितरत कहा गया है कि वह इंसानी फ़ितरत के तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ है। (2) इन उमूर को फ़ितरत क़रार देने की ये वजह भी है कि अल्लाह तआ़ला ने शुरू से ही हर नबी और रसूल को इन उमूर का हुक्म दिया, गोया ये अहकाम ऐसे फ़ितरी और जिबिल्ली (कुदरती) हैं कि इन पर इंसानों की पैदाइश हुई। फ़ितरत के मानी पैदाइश हैं। (3) ख़त्ने को फ़ितरी उमूर में इसलिए शामिल किया गया है कि ख़त्ना न कराने की सूरत में क़ल्फ़ा (मर्द की शर्मगाह पर बढ़ी हुई चमड़ी) तहारत में मानेअ़ (रुकावट) बन सकता है, पेशाब के क़तरे इसमें अटक सकते हैं और जिमाअ़ के बाद हशफ़ा की स़फ़ाई न हो सकेगी। तहारत से क़तअ़ नज़र क़ल्फ़ा जराशीम की आमाजगाह भी बन सकता है, लिहाज़ा क़ल्फ़े (मर्द की शर्मगाह का अगला हिस्सा) को काट देना अ़क़्ली और फ़ितरी तक़ाज़ा है।

बाब : (10)नाख़ून तराशना

باب: (١٠) تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ

(10) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें फ़ितरी हैं: मूँछों को काटना, बग़लों के बाल उखेड़ना, नाख़ून तराशना, ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ करना और ख़त्ना कराना।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ".

(10) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/229, तिर्मिज़ी, हदीस: 2756, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 11.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाख़ून तराशने को फ़ितरी उमूर में इसलिए दाख़िल किया गया है कि नाख़ून गन्दगी और मेल कुचैल को जमा रखने का ज़रिया बन सकते हैं, जो तहारत से मानेअ (पाकी हासिल करने में रुकावट) है, नीज़ देखने में भी बुरे लगते हैं और हैवानात के साथ तश्बीह (मानिन्द) होती है, हालांकि अल्लाह तआला ने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा फ़रमाया है, इरशादे बारी तआला है: 'यक़ीनन हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा फ़रमाया है।' (सूरह अत्तीन: 95/4) ज़्यादा बड़े नाख़ून किसी को या अपने आपको ज़ख़्मी कर सकते हैं, इसलिए फ़ितरते सलीमा का तक़ाज़ा है कि ज़्यादा नाख़ून तराश दिये जायें। **(2)** इंसानियत के शुरूआती जमाने में जब औज़ार ईजाद न हुए थे, नाख़ून ज़िब्ह वग़ैरह के काम आते थे। अब आलात की मौजूदगी में इस इस्तेमाल की न सिर्फ़ ज़रूरत बाक़ी नहीं रही बल्कि ये क़बीह (बुरा) और मम्नूअ (मना किया गया) भी है, इसीलिए नाख़ून और दाँत से ज़िब्ह करने को शरीयते इस्लामिया ने नाजायज़ क़रार दिया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2488, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1968)

बाब : (11) बग़लों के बाल उखेड़ना

باب: (١١) نَتْفُ الإِبْطِ

(11) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें फ़ितरत से हैं: ख़त्ना कराना, ज़ेरे नाफ़ के बाल मूण्डना, बग़लों के बाल उखेड़ना, नाख़ून काटना और मूँछें

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ " .

तराशना।'

(11) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5889, मुस्लिम, हदीस: 257, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 9.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बग़लों के बाल गिलटियों (वो सख़्त किस्म का उभार जो किसी बीमारी की वजह से शरीर में पैदा हो जाये/मोठ) की हिफ़ाज़त के लिए होते हैं। उन्हें गर्म रखते हैं मगर चूंकि काम काज के दौरान में बाज़ू नंगे हो जाते हैं, बग़लें नज़र आती हैं जिससे बग़लों के बाल बुरे महसूस होंगे, नीज़ उनमें मेल कुचैल भी जमा हो जाता है। पसीना ज़्यादा आता है और बाल सफ़ाई से मानेअ (रुकावट) होंगे, इसलिए इंसानी फ़ितरत तक़ाज़ा करती है कि बग़लों को बालों से साफ़ रखा जाये। (2) अहादीस में बग़लों के बाल मूण्डने की बजाये उखेड़ने का ज़िक्र है, ये इसलिए कि मूण्डने से बाल ज़्यादा और मोटे हो जाते हैं जब कि उखाड़ने से बाल कम और बारीक हो जाते हैं। इनमें नर्मी रहती है, चुभते नहीं पसीने और बदबू में कमी होती है, नीज़ बग़ल के बाल उखाड़ने से तकलीफ़ भी नहीं होती, लिहाज़ा उन्हें मूण्डने की बजाये उखेड़ना बेहतर है, अलबत्ता अगर कोई शख़्स बाल उखेड़ने से तकलीफ़ महसूस करे तो मूण्ड भी सकता है क्योंकि असल मक़सद तो बालों की सफ़ाई है।

باب : (١٢)
حَلْقُ الْعَانَةِ

बाब : (12)
ज़ेरे नाफ़ के बाल मूण्डना

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْفِطْرَةُ قَصُّ الأَظْفَارِ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ".

(12) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नाख़ून तराशना, मूँछें काटना और ज़ेरे नाफ़ के बाल मूण्डना फ़ितरत (का तक़ाज़ा) है।'

(12) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5890, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 12.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ करना इसलिए फ़ितरत में शामिल है कि जिमाअ के वक़्त बड़े बाल गन्दगी में लत-पत हो सकते हैं। सफ़ाई मुश्किल होगी ख़ुसूसन जब पानी न हो या कम हो। लिहाज़ा उन्हें मूण्डना ज़रूरी है ताकि नजासत और बदबू से बचा जा सके। (2) हदीस में हलक़ का लफ़्ज़ आया है। मगर इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि किसी भी तरीक़े से इन बालों को साफ़

किया जा सकता है। मूण्ड कर या दवाई लगा कर या उखेड़ कर या काट कर तिब्बी नुक़्त-ए-नज़र से मूण्डना ही मुफ़ीद है। इससे कुव्वते मर्दाना बढ़ती या क़ायम रहती है, नीज़ इस हुक्म में मर्द व औरत बराबर हैं। (3) शर्मगाह में सिर्फ़ अगली शर्मगाह शामिल है जबकि कुछ उलमा के नज़दीक इसमें, अगली पिछली दोनों शर्मगाहें शामिल हैं। वल्लाहु आलम!

बाब : (13) मूँछें काटना

باب: (۱۳) قَصُّ الشَّارِبِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " .

(13) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपनी मूँछें न काटे, वह हममें से नहीं।'

(13) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: हदीस: 2761, अन्नसाई (अस्सुग़रा), हदीस: 5050, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1481.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मूँछें, बुलूग़त (बालिग होने) का निशान है, इससे बच्चे और बड़े में तमीज़ होती है, मगर ये मुँह के ऊपर होती हैं, ज़्यादा बड़ी हो जायें तो खाने पीने की चीज़ों को लगेंगी। ख़ुद भी भरी हुई होंगी और खाने पीने की चीज़ें भी गर्दो गुब्बार वग़ैरह समेत पेट में जायेंगी, लिहाज़ा ऊपर वाले होंट से नीचे मूँछों को काटना अक़्ली तक़ाज़ा है। शरीयते इस्लामिया का हुक्म भी यही, अलबत्ता मूँछों के किनारे जो दाढ़ी से मिल जायें, बग़ैर काटे रखे जा सकते हैं। **(2)** इस हदीस में पाँच फ़ितरी उमूर ज़िक्र किये गये हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ ये पाँच चीज़ें ही फ़ितरत में दाख़िल हैं बल्कि दूसरी अहादीस में इनके अलावा कुछ और चीज़ों का भी ज़िक्र है, जैसे: एक रिवायत में है: 'दस चीज़ें फ़ितरत से हैं।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 261) इनका ज़िक्र इन्शाअल्लाह अपने मक़ाम पर आयेगा।

बाब : (14) इन कामों के लिए मुद्दत का तअय्युन (मुक़र्रर करना)

باب: (۱۴) اَلتَّوْقِيتُ فِي ذٰلِكَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ وَقَّتَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ

(14) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मूँछें काटने, नाख़ुन तराशने, ज़ेरे नाफ़ के बाल मूण्डने और बग़लों के बाल उख़ेड़ने के लिए ये मुद्दत मुक़र्रर

صلى الله عليه وسلم فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الإِبْطِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا . وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

की है कि हम चालीस दिन से ज़्यादा न गुज़रने दें। और एक दफ़ा रावी ने चालीस रात कहा।

(14) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 258, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 15.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दिन और रात एक दूसरे को लाज़िम हैं, लिहाज़ा दिन कहा जाये या रात, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। **(2)** चालीस दिन आख़िरी हद है, वरना जब भी ज़रूरत महसूस हो, यानी तबीयत को घिन्न आये या गन्दगी और मेल कुचैल जमा होने लगे, तो सफ़ाई की जा सकती है, बाल हों या नाख़ून।

باب : (١٥)
إِحْفَاءُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللُّحَى

बाब : (15)
मूँछें ख़त्म करना और दाढ़ी रखना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى " .

(15) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मूँछें ख़ूब मुण्डवाओ और दाढ़ी बढ़ाओ।'

(15) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5893, मुस्लिम, हदीस: 259, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 13.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में 'أحفوا الشوارب' 'मूँछें ख़ूब मुण्डवाओ।' के अल्फ़ाज़ हैं, जब कि इससे पहली रिवायात में काटने का ज़िक्र है, गोया यहाँ मुबालग़ा मक़सूद है, वरना मुराद काटना ही है। ये भी कहा जा सकता है कि दोनों तरीक़े जायज़ हैं। अगरचे इमाम मालिक (رحمه الله) ने मूँछें मूण्डने को नापसन्द किया है कि इससे मर्द का इम्तियाज़ (फ़र्क़) ख़त्म हो जाता है, नीज़ इसमें औरत से मुशाबिहत है। इमाम मालिक (رحمه الله) के इस इस्तिदलाल को नज़र अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, ख़ुसूसन जब कि मज़कूरा (ज़िक्र की गई) तत्बीक़ (एक-दूसरे से मिलता-जुलता होना) मुम्किन है। **(2)** दाढ़ी रखने या बढ़ाने का मतलब ये है कि उसे मूँछों की तरह काटा न जाये क्योंकि दाढ़ी मर्द की ख़ुसूसियत है। और उसे मूण्डना या काटना औरत की मुशाबिहत है और ये हराम है।

बाब : (16)
क़ज़ा-ए-हाजत के लिए दूर जाना

باب : (١٦)
اَلْإِبْعَادُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَاجَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخَطْمِيُّ، عُمَيْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادٍ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَلاَءِ وَكَانَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ .

(16) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू क़ुराद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मैदान में गया और आप जब क़ज़ा-ए हाजत का इरादा फ़रमाते तो दूर जाते।

(16) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 334, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 17.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ قَالَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ - وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ - فَقَالَ " ائْتِنِي بِوَضُوءٍ " . فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَارِئُ .

(17) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) जब क़ज़ा-ए-हाजत के लिए जाते तो दूर जाते। उन्होंने कहा: एक दफ़ा आप(ﷺ) एक सफ़र में थे कि क़ज़ा-ए-हाजत के लिए गये तो मुझसे फ़रमाया: 'मेरे पास वुज़ू के लिए पानी लाओ।' मैं पानी लाया तो आपने वुज़ू फ़रमाया और मोज़ों पर मसह किया।

शैख़ इब्ने सुन्नी (رحمه الله) ने फ़रमाया: (सनद में मजकूर रावी इस्माईल से मुराद (इस्माईल अलक़ारी) इब्ने जाफ़र बिन अबू कसीर हैं।

(17) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1, इब्ने माजा, हदीस: 331, तिर्मिज़ी, हदीस: 20, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/30, हदीस: 50, वलबग़वी (शरह अस्सुन्नह: 1/373, हदीस: 184) हाकिम: 11/140, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 16, मुसनद अहमद: 4/244, 249, 450, सिहह अन्नववी फ़िल्मज्मूअ: 2/77.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये मक़ूला शैख़ इब्ने सुन्नी के किसी शागिर्द का है। शैख़ इब्ने सुन्नी, इमाम नसाई (رحمه الله) के शागिर्द है। जिन्होंने इमाम साहब से सुनन नसाई का ये नुस्ख़ा नक़ल किया और आगे बयान फ़रमाया। **(2)** क़ज़ा-ए-हाजत के लिए आबादी से बाहर जाना या बंद कमरा (लेटरीन) इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि लोगों की निगाहों से दूर हो, उन्हें बदबू महसूस न हो और बीमारियाँ न फैलें क़ज़ा-ए-हाजत की आवाज़ का सुनाई देना भी मायूब है। आज कल लेटरीन अगरचे घरों के अंदर होती हैं, मगर वह इन तमाम मक़ासिद को बतरीक़ एहसन पूरा करती है। जो दूर जाने से मक़सूद हैं, लिहाज़ा इनका इस्तेमाल बतरीक़ ऊला दुरुस्त है।

बाब : (17)
दूर न जाने की रुख़सत

باب : (١٧)
اَلرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذٰلِكَ

(18) हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ चल रहा था कि आप एक क़ौम के कूड़े करकट के ढेर के पास पहुँचे तो आपने खड़े खड़े पेशाब किया। (आपके पेशाब करने से पहले) मैं एक तरफ़ हटा तो आपने मुझे बुलाया। मैं आपकी ऐड़ीयों के पास (दूसरी तरफ़ मुँह करके खड़ा रहा यहाँ तक कि आप फ़ारिग़ हो गये। फिर आपने वुज़ू फ़रमाया और अपने मोज़ों पर मसह किया।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَدَعَانِي وَكُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

(18) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 224, मुस्लिम, हदीस: 273, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 18.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत मुख़्तसर है जिससे कुछ ग़लत फ़हमियों का इम्कान है, इसलिए तर्जुमे में क़ौसीन (ब्रकेट) के ज़रिये वज़ाहत करने की कोशिश की गई है। सही सूरते वाक़िया ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कूड़े के ढेर पर पेशाब करने का इरादा ज़ाहिर फ़रमाया तो हज़रत हुज़ैफ़ा(رضي الله عنه) हस्बे मामूल आपसे दूर होने लगे, लेकिन चूंकि आपको सिर्फ़ पेशाब की हाजत थी, जिसमें आवाज़ या बदबू का इम्कान न था (ख़ुसूसन क़ियाम की हालत में) इसलिए आपने उन्हें कहा: 'ऐ हुज़ैफ़ा! मुझे औट (पर्दा) करो।' वह आपसे क़रीब पिछली तरफ़ दूसरी जानिब मुँह करके खड़े हो गये। (एड़ियों के क़रीब से मुराद

मुत्लक़ क़रीब है न कि हक़ीक़तन एड़ियों से एड़ियाँ मिलाकर।) इस तरह आपकी तरफ़ नज़र का इम्कान न रहा और पूरा पर्दा हो गया। **(2)** नबी-ए-करीम (ﷺ) की आम आदत बैठ कर पेशाब करने ही की थी मगर इस वाक़िये में आपने खड़े होकर पेशाब किया। इसकी मुख़्तलिफ़ अक़्ली व नक़्ली वज़ाहत की गई हैं, जैसे: ढेर की गन्दगी से बचने के लिए क्योंकि ढेर पर बैठने की सूरत में कपड़ों या जिस्म को गन्दगी लग सकती थी या इसलिए कि पेशाब की धार दूर करे। बैठने की सूरत में पेशाब क़रीब गिरता और वापस पाँव की तरफ़ आता, नीज़ छींटे भी पड़ते या घुटने में तकलीफ़ की वजह से बैठना मुश्किल था जैसा कि बैहक़ी की एक ज़ईफ़ रिवायत में हैं (सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी 1/101) या कमर दर्द के इलाज के लिए जैसा कि अतिब्बा का ख़्याल था। बहरहाल मज़कूरा तौजीहात की रोशनी में उमूमी राय यही है कि आपके खड़े होकर पेशाब करने की इनमें से कोई न कोई वजह ज़रूर थी, लेकिन तहक़ीक़ ये है कि इन मज़कूरा वजह में से नबी-ए-करीम(ﷺ) के बारे में कोई एक वजह भी बसनद सही साबित नहीं, इसलिए इसके मुक़ाबले में एक दूसरी राय भी है जिसे इमाम नववी (رحمه الله) वग़ैरह ने इख़्तियार किया है और वह ये है कि आपने खड़े होकर पेशाब सिर्फ़ जवाज़ को बयान करने के लिए किया है जबकि आपकी आम आदत बैठ कर ही पेशाब करने की थी। देखिये (सहीह मुस्लिम, हदीस: 274, मअ शरह अन्नववी) हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इसके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ فَعَلَ ذٰلِكَ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ....' 'ज़्यादा वाज़ेह बात ये है कि आपका ये अमल सिर्फ़ बयाने जवाज़ के लिए था....' (फ़तहुल बारी: 1/430) नीज़ हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इस बारे में मन्कूल तौजीहात को गोया क़ाबिले हुज्जत नहीं समझा, बहरहाल अगर कोई शख़्स ज़रूरत के पेशे नज़र या कभी कभार बिला ज़रूरत ही जवाज़ को पेशे नज़र रखते हुए खड़े होकर सुन्नत पर अमल की ख़ातिर पेशाब कर लेता है तो इन्शाअल्लाह जायज़ होगा। वल्लाहु आलम। **(3)** बाब का मक़सद ये है कि अगर आवाज़ या बदबू का ख़दशा न हो तो पेशाब के लिए सिर्फ़ पर्दा काफ़ी है, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है।

बाब : (18)
बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त की दुआ

باب : (١٨)
اَلْقَوْلُ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ

(19) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब बैतुल ख़ला में दाख़िल होते, तो फ़रमाते:
'اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ' **'ऐ अल्लाह!**

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ

صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " .

मैं शरारती जिन्नों और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(19) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 142, व मुस्लिम, हदीस: 375, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 19.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दुख़ूल से मुराद इराद-ए-दुख़ूल है जैसा कि सहीह बुख़ारी की रिवायत में सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 142) लिहाज़ा ये दुआ बैतुल ख़ला में दाख़िल होने से पहले पढ़नी चाहिए। बैतुल ख़ला तो गन्दगी वाली जगह है और अल्लाह तआला के नाम की तक़दीस व तन्ज़ीया ज़रूरी है, अलबत्ता अगर कोई भूल जाये और दाख़िल होने के बाद या नंगा होने के बाद याद आये तो इसमें सहाबा व ताबेईन का इख़्तिलाफ़ है कि दिल में पढ़ ले या रहने दे। या अगर अभी कपड़े नहीं उतारे तो बाहर आकर दुआ पढ़ कर दाख़िल हो जाये। **(2)** (الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) ख़बाइस ख़बिसतुन की जमा है, मुराद जिन्नियाँ हैं। ख़ुबुस 'बा' के ज़म्मा (पेश) के साथ हो तो ख़बीस की जमा है, मुराद जिन्न हैं। अगर 'बा' के सुकून के साथ हो तो इससे मुराद हर नापसन्दीदा और मक्रूह चीज़ है। इस तरह इसके तहत तमाम शरीर जिन्न, जिन्नियाँ, गन्दे अख़लाक़ व आमाल और हर क़िस्म के नाज़ैबा कलिमात व अक़वाल दाख़िल हैं, लिहाज़ा अगर इस ज़ब्त के साथ दुआ पढ़ी जाये तो इंसान मज़कूरा हर क़िस्म के शर और मकरूहात से महफ़ूज़ रहता है जबकि जिन्न और जिन्नियों से बचाव की ख़ातिर इस हालत में बतौरे ख़ास दुआ की तल्क़ीन इसलिए है कि उन्हें गन्दगी और बदबू से कुछ न कुछ मुनासिबत है और इस मौक़े पर वह नुक़सान भी पहुँचा सकते हैं। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (शरह अत्तिर्मिज़ी लिअहमद शाकिर: 1/10)

باب : (١٩)
اَلنَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

बाब : (19)
क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना मना है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ، لَهُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ

(20) राफ़ेअ बिन इस्हाक़ से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) को शहर मिस्र में ये कहते सुना: अल्लाह की क़सम! मैं नहीं जानता कि इन बैतुल ख़लाओं को क्या करूं (जो कि क़िब्ला रुख़ बने हुए हैं) हालांकि अल्लाह के

رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، وَهُوَ بِمِصْرَ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا " .

रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब तुममें से कोई बोल व बराज़ (पेशाब-पाखाना) के लिए जाये, तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे, न बैठे।'

(20) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/414 (रिवायत इब्नुल क़ासिम, सफ़ा: 177, हदीस: 124, व रिवायत यहया: 1/193)

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की रिवायत में मिस्र की बजाये शाम का ज़िक्र है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 394, सहीह मुस्लिम, हदीस: 364) मुम्किन है दोनों जगह ये सूरते हाल पेश आई हो वरना सहीहैन की रिवायत को तरजीह होगी। **(2)** 'मुँह करे' न बैठ' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ तो हर जगह मुमानिअत पर दलालत करते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) का फ़तवा भी यही है, एहतियात भी इसी में है, अगरचे इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने इस हुक्म को सहरा के साथ ख़ास क़रार दिया है, यानी इमारत (चार दीवारी) के अंदर क़िब्ला रुख़ हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। मगर हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (رضي الله عنه) ने तो बैतुल ख़ला में भी क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना मना समझा है। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।

باب : (٢٠) اَلنَّهْيُ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

बाब : (20) क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ पीठ करना भी मना है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " .

(21) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बोल व बराज़ के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करो न पीठ बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ़ करो।'

(21) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 394, मुस्लिम, हदीस: 264, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 20.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ करो' इन अल्फ़ाज़ का ताल्लुक़ उन लोगों से है जिनका क़िब्ला मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ नहीं जैसे कि अहले मदीना हैं, उनका क़िब्ला जुनूब की जानिब है। पाक व हिन्द के लोग शुमाल या जुनूब को मुँह करेंगे। **(2)** खुले मैदान में क़ज़ा-ए हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करना भी मना है और पीठ करना भी क्योंकि ऐसा करना एहतिरामे क़िब्ला के मनाफ़ी है जबकि चार दीवारी के अंदर क़िब्ला रुख़ मुँह या पीठ हो सकती है जैसा कि कुछ अहादीस़ में आता है, लेकिन अफ़ज़ल और एहतियात के क़रीब यही है कि वहाँ भी मुँह या पीठ करने से बचा जाये। वल्लाहु आलम!

باب : (٢١)
اَلْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

बाब: (21)
क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ मुँह करने का हुक्म

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ " .

(22) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है, रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाजत करे तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह न करे बल्कि मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ मुँह करे।' (बशर्ते कि क़िब्ला मश्रिक़ या मग़रिब की तरफ़ न हो।)

(22) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस़: 5/416, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 21.

باب : (٢٢)
اَلرُّخْصَةُ فِي ذٰلِكَ فِي الْبُيُوتِ

बाब : (22)
घरों में इसकी इजाज़त है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى

(23) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने कहा: मैं अपने घर की छत पर चढ़ा तो मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को दो कच्ची ईंटों पर बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह किये हुए क़ज़ा-ए-हाजत करते देखा।

ظَهْرِ بَيْتِنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ .

(23) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 145, मुस्लिम, हदीस: 266, मोत्ता: 193, 194, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 22.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'घर' से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की हमशीरा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़सा (ﷺ) का हुज्र-ए-मुबारका है। **(2)** बैतुल मक्दिस मदीना मुनव्वरा से शुमाल की जानिब है, यानी मक्का मुकर्रमा से बिल्कुल उलट जानिब, लिहाज़ा आपकी पीठ क़िब्ले की जानिब थी। **(3)** इस रिवायत से इमाम शाफ़ेई (ﷺ) और दूसरे मुहद्दिसीन ने इस्तिदलाल किया है कि इमारत के अंदर क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करना जायज़ है वरना आप (ﷺ) इस तरह न बैठते और ये बेहतरीन तत्बीक़ है जिससे तमाम रिवायात क़ाबिले अमल ठहरती हैं, बजाये इसके कि किसी रिवायत को मन्सूख़ कहा जाये या आपका ख़ास्सह (जो आपके लिए ख़ास हो) क़रार दिया जाये, नीज़ ख़ुद हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से यही मतलब मन्क़ूल है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 11) अलबत्ता एहतियात, यानी चार दीवारी के अंदर भी बचना बेहतर है।

باب : (٢٣) النَّهْيِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

बाब: 23 क़ज़ा-ए-हाजत के दौरान में शर्मगाह को दायाँ हाथ लगाना मना है

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ الْقَنَّادُ - قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " .

(24) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई पेशाब करे तो अपने आज़ा-ए-तनासुल (शर्मगाह) को दायें हाथ से न पकड़े।'

(24) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 153, मुस्लिम, हदीस: 267, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 29.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में, अगरचे पेशाब की हालत का ज़िक्र है, मगर बराज़ (पाख़ाना, लेटरीन) की हालत का हुक्म भी बदर्ज-ए-ऊला यही है जैसा कि हदीस में आता है: 'और इससे भी (हमें मना फ़रमाया) कि हम दायें हाथ से इस्तिन्जा करें।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 262)

और इस्तिन्जे से मुराद ख़ास तौर पर इज़ाल-ए-नज्व (बराज़) है। (2) दायें हाथ को नजासत से बचाना ज़रूरी है क्योंकि खाना वग़ैरह असलन इससे खाया जाता है, अगरचे बिलबअ़ बायाँ हाथ भी साथ लगाया जा सकता है, कई बार खाते वक़्त बायें हाथ से मदद लेना ज़रूरी होता है। (3) अगरचे गन्दगी वाला हाथ धोने से पाक हो जाता है, मगर ये सही ज़ायके के ख़िलाफ़ है कि खाने वाले हाथ को गन्दगी से आलूदा किया जाये यहाँ तक कि लेटरीन और वुज़ू का लोटा तक अलग रखा जाता है, हालांकि अक़्लन कोई फ़र्क़ नहीं। गोया कि ये मसला अक़्ली से बढ़ कर फ़ितरी और ज़ौक़ी है और शरीयत ज़ौक़े सलीम का भी बहुत लिहाज़ रखती है।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى، - هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ " .

(25) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई बैतुल ख़ला में दाख़िल हो तो अपने आज़ा-ए-तनासुल को दायाँ हाथ न लगाये।'

(25) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 29.

باب : (٢٤)
اَلرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ فِي الصَّحْرَاءِ قَائِمًا

बाब : (24)
खुली जगह में खड़े होकर पेशाब करने की रुख़सत

أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

(26) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूल (ﷺ) एक क़ौम के कूड़े करकट के ढेर पर आये और वहाँ खड़े-खड़े पेशाब किया।

(26) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस: 18 में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 24.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत और इसकी तफ़हीम पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 18 **(2)** इस बाब की पहली हदीस सुलैमान आमश, अबू वाइल से और वह हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से बयान करते हैं और दूसरी हदीस में अबू वाइल के शागिर्द मन्सूर हैं, इसमें मन्सूर ने अबू वाइल से सिमाअ़ की

सराहत फ़रमाई है और तीसरी हदीस़ में सुलैमान और मन्सूर दोनों अबू वाइल से बयान करते हैं लेकिन मन्सूर ने सिर्फ़ आपके पेशाब करने का ज़िक्र किया है जबकि सुलैमान ने इसके बाद मोज़ों पर मसह करने का भी ज़िक्र फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا .

(27) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक क़ौम के कूड़े करकट के ढेर पर आये और वहाँ खड़े-खड़े पेशाब किया।

तख़रीज: (सनद स़ही) पिछली हदीस़ में गुज़र चुका है।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَهْزٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَشَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا . قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْصُورٌ الْمَسْحَ .

(28) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) एक क़ौम के कूड़े करकट के ढेर की तरफ़ चले। फिर खड़े-खड़े पेशाब किया। रावी ए हदीस़ सुलैमान ने अपनी रिवायत में कहा: और आपने अपने मोज़ों पर मसह किया। जबकि (उनके साथी) मन्सूर ने मसह का ज़िक्र नहीं किया।

(28) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़: 18 में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 23.

باب : (٢٥) اَلْبَوْلُ فِي الْبَيْتِ جَالِسًا

बाब : (25) घर में बैठ कर पेशाब करना

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ جَالِسًا .

(29) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि जो शख़्स तुमसे बयान करे कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने खड़े होकर पेशाब किया तो उसकी तस्दीक़ न करो। आप बैठ कर ही पेशाब करते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 12, इब्ने माजा, हदीस़: 307 (सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/101, 102) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 25.

फ़वाइद व मसाइल : हज़रत आयशा (ﷺ) ने आपका आम मामूल बयान किया है। पिछली रिवायात में खड़े होकर पेशाब करने का जो ज़िक्र है वह घर से बाहर की बात है। ज़ाहिर है कि हज़रत आयशा (ﷺ) को इसका इल्म न था, लिहाज़ा इससे सही हदीस की नफ़ी नहीं होती। दोनों अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। इमाम नसाई (ﷺ) ने बाब में 'फ़िल्बैति' का इज़ाफ़ा करके इसी तरफ़ इशारा फ़रमाया है। वल्लाहु आलम!

बाब : (26)
ऐसी औट की तरफ़ पेशाब करना जिससे पर्दा हासिल हो

باب : (٢٦)
اَلْبَوْلُ إِلَى سُتْرَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ فَقَالَ " أَوَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ " .

(30) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हसना (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये जब कि आपके हाथ में ढाल जैसी कोई चीज़ थी। आपने उसे नीचे रखा और उसकी औट में बैठ कर पेशाब किया। लोगों में से एक शख़्स कहने लगा: देखो! आप इस तरह पेशाब कर रहे हैं जैसे औरत पेशाब करती है। आपने उसकी बात सुन ली और फ़रमाया: 'क्या तुझे इल्म नहीं कि बनी इस्राईल के एक शख़्स को क्या सज़ा मिली थी? उन्हें जब पेशाब लग जाता तो वह क़ैंची से (उतना कपड़ा) काटते थे, चुनांचे उनके साथी ने उन्हें रोका तो उसे क़ब्र में अज़ाब दिया गया।'

(30) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 346, अबू दाऊद, हदीस: 22, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 26, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 3117, हाकिम: 1/184, वज़्ज़हबी, इब्ने हजर, वल दारकुतनी (फ़तह: 1/328).

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़कूरा रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक्क़िक़ ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि सहीह बुख़ारी में इसी मफ़हूम की एक रिवायत इसकी शाहिद है जबकि शैख़ अल्बानी (ﷺ) इसकी बाबत लिखते हैं कि मज़कूरा रिवायत मौक़ूफ़न सही है, अलबत्ता मौसूलन

सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम में है। बहरहाल मज़कूरा बहस से यही मालूम होता है कि मज़कूरा रिवायत सही, क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम! (2) 'जैसे औरत पेशाब करती है।' ये तश्बीह बैठ कर पेशाब करने में हो सकती है और पर्दे में भी। कुछ का ये कहना है कि ये अल्फ़ाज़ कहने वाला शख़्स आपका तर्बियत याफ़्ता न होगा बल्कि कोई ग़ैर मुस्लिम होगा या मुनाफ़िक़ या नौमुस्लिम क्योंकि कुछ अहादीस से पता चलता है कि ये बात कहने वाला मुसलमान था। बल्कि कुछ अहादीस से तो ये ज़ाहिर होता है कि ये बात सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने आपस में की थी। देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/328) और उसका मक़सद हरगिज़ आपकी तहक़ीर या नऊज़ुबिल्लाह आपकी गुस्ताख़ी न थी, सहाब-ए-किराम (ﷺ) से तो इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, सही बात ये है कि बोल व बराज़ के आदाब तो आप (ﷺ) ने सिखलाये हैं। इस्लाम ने इन आदाब को ख़ूब बयान किया है, जबकि ज़मान-ए-जाहिलियत में इन आदाबे क़ज़ा-ए-हाजत की कुछ भी परवाह न थी। औट और पर्दे का भी एहतिमाम न करते थे। खड़े होकर एक दूसरे के सामने ही पेशाब कर लेते थे और सहाब-ए-किराम (ﷺ) भी इसी माहौल में पले बढ़े थे तो शुरू शुरू में आपको इस अन्दाज़ में पेशाब करते देख कर हैरत का इज़हार किया और ताज्जुब से ये बात कही कि ऐसे तो औरत पेशाब करती है। मर्द तो मर्द ही होते हैं। उन्हें इस औट और फिर बैठ कर पेशाब करने की क्या ज़रूरत? बरहाल बाद में जब आप (ﷺ) ने उनकी इस्लामी तर्बियत फ़रमाई तो जाहिलियत के ये तमाम तौर-तरीक़े और आदात ख़त्म हो गईं। (3) 'कैंची से काटने' इससे मुराद कपड़ा है जिसे पेशाब लग जाता था न कि जिस्म क्योंकि ये तकलीफ़ मा ला युताक़ है, यानी नाक़ाबिले अमल चीज़ है वरना बोल व बराज़ तो निकलते ही जिस्म से हैं और मजबूरन जिस्म को लगते हैं, तभी इस्तिन्जा करना पड़ता है। इसकी बाबत मज़ीद तहक़ीक़ कुछ इस तरह से है कि अबू दाऊद की एक रिवायत में (जिल्द) चमड़े के अल्फ़ाज़ हैं और अबू दाऊद ही की एक दूसरी रिवायत में (जसद) जिस्म का ज़िक्र है। जसद के लफ़्ज़ को अल्बानी (رحمه الله) ने मुन्कर क़रार दिया है और जिल्द से मुराद चमड़े का लिबास है जो पहना जाता है। इस तरह काटी जाने वाली चीज़ जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि लिबास (कपड़ा या चमड़ा) होता था जिसे पेशाब लग जाता था। सहीह बुख़ारी की रिवायत से भी इस बात की ताईद होती है। इस रिवायत के अल्फ़ाज़ हैं: 'जब उनमें से किसी के कपड़े को पेशाब लग जाता तो वह उसे काट देते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 226)

बाब : (27)
पेशाब (के छींटों) से बचना

باب : (٢٧)
اَلتَّنَزُّهُ عَنِ الْبَوْلِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " . ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ " لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا " . خَالَفَهُ مَنْصُورٌ رَوَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ طَاوُسًا .

(31) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) दो क़ब्रों के पास से गुज़रे, तो फ़रमाया: 'तहक़ीक़ इन क़ब्र वालों को अ़ज़ाब हो रहा है और इन्हें किसी भारी काम (कि जिससे बचना नामुम्किन हो) की वजह से अ़ज़ाब नहीं हो रहा। इस क़ब्र वाला तो अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और उस क़ब्र वाला चुग़लियाँ खाता था। फिर आपने खजूर की ताज़ा शाख़ मंगवाई और उसे चीर कर दो हिस्से कर दिया। फिर एक इस क़ब्र पर गाड़ दी और एक दूसरी पर। फिर फ़रमाया: 'उम्मीद है जब तक ये ख़ुश्क नहीं होतीं, इनसे अ़ज़ाब में तख़फ़ीफ़ (कमी) की जायेगी।' इस रिवायत को बयान करते हुए मन्सूर ने आमश की मुख़ालिफ़त की है कि उसने ये रिवायत मुजाहिद बवास्ता इब्ने अ़ब्बास बयान की है, यानी मुजाहिद और इब्ने अ़ब्बास के दरम्यान में ताऊस का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।

(31) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 218, मुस्लिम, हदीस: 292, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 27.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ लोग (فِي كَبِيرٍ) 'भारी कामों की वजह से' के मानी करते हैं 'बड़े गुनाह' यानी उन लोगों को अ़ज़ाब तो हो रहा था, लेकिन ऐसे गुनाहों की वजह से नहीं जो कि बड़े और ख़तरनाक हों, बल्कि मामूली गुनाहों की वजह से अ़ज़ाब हो रहा था' हालांकि इन अल्फ़ाज़ का ये मफ़हूम है ही नहीं। सही और दुरुस्त मफ़हूम यही है कि ये दोनों काम, यानी 'पेशाब से बेएहतियाती और चुग़लख़ोरी' बड़े कबीरा और ख़तरनाक गुनाह हैं। इस बात की वज़ाहत हदीस शरीफ़ में मौजूद है।

देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 216) हाँ अल्फ़ाज़ का ये मतलब ज़रूर है कि ये दोनों काम कोई इतने भारी और मुश्किल नहीं कि अमल न हो सकता हो और उनसे बचा न जा सकता हो। इन कामों से बचना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं थी। हक़ीक़तन ये दोनों काम कबीरा गुनाह हैं। **(2)** छड़ी या शाख़ का रखना दरअसल फ़ेअली शफ़ाअत थी कि या अल्लाह इतनी देर तक इनसे अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाये छड़ी रखना सिर्फ़ मुद्दत के तअय्युन के लिए था जैसा कि सरीह अल्फ़ाज़ हैं। वरना छड़ी का अज़ाब में कमी से कोई ताल्लुक़ नहीं कि उसे सुन्नत समझ कर अब भी ऐसा किया जाये, अलबत्ता हज़रत बुरैदा (ﷺ) से छड़ी रखने की वसियत मज़कूर है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1361) इसके पेशे नज़र कुछ की राय ये है कि छड़ी रखना तो जायज़ है, मगर इसका तख़फ़ीफ़े अज़ाब से कोई ताल्लुक़ नहीं। मुअख़्ख़र अज़्ज़िक्र बात तो ठीक है लेकिन हक़ ये है कि ये सहाबी का इज्तिहाद है क्योंकि तख़फ़ीफ़ अज़ाब में निरी छड़ी का कोई कमाल नहीं था, असल में रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल की बरकत और अल्लाह तआला से क़ुरबत की बिना पर आपको तख़फ़ीफ़े अज़ाब की उम्मीद थी। दूसरी बात ये है कि ये आपका मोअज्ज़ा था, किसी और शख़्स के लिए हालाते क़ुबूर का कश्फ़ व ज़ुहूर नामुम्किन है। जब क़ब्र की कैफ़ियत का पता ही नहीं तो छड़ी काटने के क्या मानी? हाँ! बतौर निशानी कोई पत्थर या छड़ी वग़ैरह ज़रूरत के पेशे नज़र आरज़ी (वक़्ती) तौर पर नसब (गाढ़ी) की जा सकती है। वल्लाहु आलम!

बाब : (28)
बर्तन में पेशाब करना

باب : (۲۸)
اَلْبَوْلِ فِي الْإِنَاءِ

(32) हज़रत उमैमा बिन्ते रुक़ेक़ा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के पास लकड़ी का एक प्याला था जिसमें आप (रात के वक़्त) पेशाब करते थे और उसे अपनी चारपाई के नीचे रख लेते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 24, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 141, हाकिम: 1/167, वज़्ज़हबी, नववी, इब्ने हजर, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 34.

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ.

फ़वाइद व मसाइल : घर में पेशाब के लिए मुअय्यन जगह न हो या वहाँ पहुँचना मुम्किन न हो तो चारपाई के क़रीब किसी बर्तन में पेशाब कर लेना और सुबह होते ही उसे बाहर उण्डेल देना, घर को पलीदी से बचाने का एक अच्छा तरीक़ा है, वरना जगह जगह पेशाब होगा और सारा घर पलीद होगा,

अलबत्ता ये ज़रूरी है कि पेशाब को बर्तन में ज़्यादा देर तक न रहने दिया जाये क्योंकि बदबू के अलावा ये ख़दशा भी है कि कोई पालतू जानवर उसे पानी समझ कर पी ले या बर्तन से टकरा जाये और पेशाब घर में गिर जाये, लिहाज़ा सुबह होते ही उसे घर से बाहर या मख़्सूस जगह में गिरा दिया जाये।

बाब : (29)
थाल जैसे बर्तन में पेशाब करना

باب : (۲۹)
الْبَوْلُ فِي الطَّسْتِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَزْهَرُ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ فَإِلَى مَنْ أَوْصَى قَالَ الشَّيْخُ أَزْهَرُ هُوَ ابْنُ سَعْدٍ السَّمَّانُ .

(33) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: लोग कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत अली को वसियत की। हक़ीक़त ये है कि आपने थाल मंगवाया कि उसमें पेशाब करें, मगर (इससे पहले ही) आपका जिस्म ढीला पड़ गया। (आप फ़ौत हो गये) मुझे पता भी न चला, तो आपने किस को वसियत की?

शैख़ इब्ने सुन्नी ने कहा: सनद में मज़कूर रावी अज़हर से मुराद अज़हर बिन सअद सम्मान (घी फ़रोश) हैं।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4459, मुस्लिम, हदीस: 1636, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 6451.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (طشت) एक थाल की तरह का बर्तन होता था जिसका पेंदा क़रीब होता था और मुँह खुला। इस क़िस्म के बर्तन में पेशाब करने से छींटे पड़ने का एहतिमाल होता है, इसलिए ये बाब क़ायम फ़रमाया कि अगर एहतियात से पेशाब किया जाये, छींटे न पड़ें तो कोई हर्ज नहीं। **(2)** इस हदीस में वसियत से वसियते ख़िलाफ़त मुराद है जैसा कि राफ़ज़ियों का अक़ीदा है, इसलिए वह हज़रत अली (ﷺ) को 'वसी' कहते हैं। हज़रत आयशा (ﷺ) का मक़सद ये है कि वसियत तो वफ़ात के वक़्त होती है और उस वक़्त आपका सर मुबारक मेरी गोद में था। वहीं आपकी वफ़ात हुई। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1389) लिहाज़ा वसियत कब की? 'यानी आपने कोई वसियत नहीं की' न आपको इसका मौक़ा ही मिला।

बाब : (30)
बिल में पेशाब करना मकरूह (मना) है

بَاب : (٣٠)
كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

(34) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स बिल (ज़मीनी सुराख़) में पेशाब न करे।' शागिर्दों ने क़तादा से पूछा कि बिल में पेशाब करना क्यों मना है? तो उन्होंने कहा: कहा जाता है कि सुराख़ जिन्नों की रिहाइशगाहें हैं।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ " . قَالُوا لِقَتَادَةَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .

(34) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 30, सहीह अन्नववी (अलमजमूअ: 2/82) हाकिम: 1/186.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम मुशाहदाती सूरते हालत यही है कि ज़मीन के सुराख़ कीड़े मकोड़ों, साँप और बिच्छू वग़ैरह मूज़ी जानवरों के घर होते हैं। बिल में पेशाब करने की सूरत में वह बाहर निकलेंगे। उन्हें नाहक़ तकलीफ़ होगी और वह इश्तिआल (गुस्से) में आकर पेशाब करने वाले या किसी और को नुक़सान पहुँचा सकते हैं, इसलिए इससे मना कर दिया गया। **(2)** हज़रत क़तादा (رحمه الله) ने इन सुराख़ों को जिन्नों के घर बतलाया है जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि बिलों में जिन्न भी रहते हैं। **(3)** आम तौर पर सुराख़ तंग होते हैं उनमें पेशाब करने की सूरत में क़वी इम्कान है कि पेशाब की धार इधर उधर होने से छींटे पड़ने लगें, मना की वजह ये भी हो सकती है। वल्लाहु आलम!

बाब : (31)
ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है

بَاب : (٣١)
اَلنَّهْيُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

(35) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .

(35) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 281, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 35.

फ़ायदा : ठहरे हुए पानी में पेशाब किया जाये, तो वह नजासत भी पानी के साथ रुकी रहेगी। इससे तअफ़्फ़ुन और बदबू पैदा होगी। ज़्यादा आदमियों के पेशाब करने से पानी का रंग, बू और ज़ायक़ा भी बदल सकता है, जिससे पानी पलीद हो जायेगा और क़ाबिले इस्तेमाल न रहेगा। जारी (बहते हुए) पानी में ये ख़दशात नहीं, लिहाज़ा इन्तिहाई मजबूरी के वक़्त जारी पानी में पेशाब किया जा सकता है।

باب : (٣٢)
كَرَاهِيَةُ الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

बाब : (32)
गुस्ल ख़ाने में पेशाब करना मना है

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ " .

(36) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: तुममें से कोई अपने गुस्ल की जगह में पेशाब न करे क्योंकि उमूमन वस्वसे उसी से पैदा होते हैं।'

(36) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 21, अबू दाऊद, हदीस: 27, इब्ने माजा, हदीस: 304, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1252, हाकिम: 1/167, 185, ज़हबी, अन्नववी फ़िल्मज्मूअ: 2/91, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 36 (सियर आलामुन्नबला: 7/74), बैहक़ी: 1/98.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुस्ल वाली जगह में पेशाब करना मना है क्योंकि बाद में गुस्ल का पानी वहाँ गिरेगा और छींटे उड़ेंगे, नीज़ पानी मिलने से नजासत फैल जायेगी। वैसे भी अक़्ले सलीम तक़ाज़ा करती है कि नजासत वाली जगह पर तहारत और तहारत वाली जगह पर नजासत न की जाये। इससे तबीअते इंसानी को घिन्न आती है चाहे नजासत लगने का एहतिमाल न भी हो, जैसे कोई अक़्लमंद शख़्स नजासत के क़रीब बैठ कर खाना पीना गवारा नहीं करता, इसी तरह का ये मसला है। कुछ फ़ुक़हा का ख़्याल है कि अगर वहाँ पेशाब जमा न होता हो, तो पेशाब करने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये फ़ितरते सलीम के ख़िलाफ़ है और इस्लाम दीने फ़ितरत है, नीज़ ये नस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के उमूम के भी मुख़ालिफ़ लगता है। **(2)** शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने 'فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ' के अल्फ़ाज़ के सिवा बाक़ी पूरी हदीस को सही क़रार दिया है। और उन्हीं की राय मज़बूत लगती है क्योंकि इस जुम्ले की ताईद दीगर शवाहिद से नहीं होती। वल्लाहु आलम! देखिये: (सहीह सुनन अन्नसाई: हदीस: 36)

बाब : (33)
पेशाब करते हुए शख़्स को सलाम कहना

بَاب : (٣٣)
اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنْ يَبُوْلُ

(37) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास से गुज़रा जबकि आप पेशाब कर रहे थे, चुनांचे उसने आपको सलाम कहा, मगर आपने उसे सलाम का जवाब नहीं दिया।

(37) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 370.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَقَبِيصَةُ، قَالاَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) नजासत वाली हालत में अल्लाह का ज़िक्र मुनासिब नहीं, इसलिए पेशाब और पाख़ाना करते हुए सलाम का जवाब देना और ज़िक्र व अज़कार करना दुरुस्त नहीं। जब वह जवाब नहीं दे सकता तो उसे सलाम भी नहीं कहना चाहिए, गोया जिस हालत में सलाम का जवाब देना मना है उस हालत में उसे सलाम कहना भी दुरुस्त नहीं, सिवाये हालते नमाज़ के कि उसमें हाथ के इशारे से सलाम का जवाब देना मसनून है। (2) अहले इल्म फ़रमाते हैं: जिस तरह क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त सलाम का जवाब देना दुरुस्त नहीं उसी तरह इस हालत में छींक मारने वाले का जवाब देना या ख़ुद अलहम्दुलिल्लाह कहना और अज़ान का जवाब देना भी दुरुस्त नहीं। ऐसे ही हालते जिमाअ में इन बातों से रुके रहना चाहिए।

बाब : (34)
वुज़ू करने के बाद सलाम का जवाब देना

بَاب : (٣٤)
رَدُّ السَّلَامِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

(38) हज़रत मुहाजिर बिन कुन्फ़ुज़ (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को सलाम कहा जब कि आप पेशाब कर रहे थे, तो आपने सलाम का जवाब न दिया यहाँ तक कि वुज़ू करने लगे और जब वुज़ू मुकम्मल किया तो सलाम का जवाब दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنٍ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتَّى تَوَضَّأَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ .

(38) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 17, इब्ने माजा, हदीस: 350, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/103, इब्ने हिब्बान, हदीस: 189, 190, वल हाकिम: 1/167, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 37, पिछली हदीस देखें: 36.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पेशाब करते शख़्स को सलाम कहना मुनासिब तो नहीं, लेकिन अगर किसी ने ग़लती से सलाम कह दिया तो पेशाब से फ़राग़त के बाद जवाब दिया जा सकता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) उमूमन बावुज़ू रहते थे, इसलिए आपने फ़ोरन वुज़ू फ़रमाया, फिर जवाब दिया। हर आदमी के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं क्योंकि सलाम, जवाबे सलाम और ज़िक्र व विर्द के लिए वुज़ू शर्त नहीं, नीज़ जब सलाम कहने के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी नहीं तो जवाब देने के लिए भी ज़रूरी नहीं। **(2)** हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ के नज़दीक इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है और वह फ़रमाते हैं कि इस हदीस के दीगर शवाहिद भी मिलते हैं, लेकिन इनके सही और ज़ईफ़ होने की तरफ़ इशारा नहीं किया, ग़ालिबन उन्हीं शवाहिद की वजह से शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस हदीस को सही क़रार दिया है। याद रहें मज़कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावुजूद दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले अमल है। मज़ीद देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, रक़म: 834)

बाब : (35)
हड्डी से सफ़ाई करना मना है

باب : (٣٥)
اَلنَّهْيُ عَنِ الاِسْتِطَابَةِ بِالْعَظْمِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ .

(39) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई शख़्स हड्डी या लीद से सफ़ाई करे।

तख़रीज : (सनद सही) तहावी: 1/123, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 38, व सहीह अज़्ज़हबी: 2/503, 504, अबी नुऐम: 2/129, 130, राजेह अलइसाबा: 4/149.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नजासत से सफ़ाई, बिलउमूम पानी या मिट्टी के साथ ही होती है क्योंकि ये दोनों शरअन व दस्तूरन मुतहर हैं। सफ़ाई के अलावा बदबू भी ख़त्म करते हैं। बाक़ी चीज़ें मुकम्मल सफ़ाई करती हैं न बदबू ही ख़त्म करती हैं। **(2)** हड्डी में जज़्ब करने की सलाहियत नहीं, बल्कि वह

सख़्त होती है, लिहाज़ा वह सही सफ़ाई न कर सकेगी और गोबर या लीद तो ख़ुद भी नजिस या नजासत की तरह हैं। इनसे क्या सफ़ाई होगी? इसके अलावा हड्डी और लीद जिन्नों, और उनके जानवरों की ख़ुराक भी हैं, लिहाज़ा उन्हें गन्दगी से आलूदा करना मना है, अहादीस में इसकी सराहत है।

बाब : (36) लीद के साथ सफ़ाई करना मना है

باب : (٣٦) اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلاَءِ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ " وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

(40) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ। तुम्हें तालीम देता हूँ। जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाजत को जाये, तो क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे न बैठे और न अपने दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करे।' और अल्लाह के रसूल (ﷺ) तीन ढेलों (से सफ़ाई करने) का हुक्म देते थे और लीद और हड्डी (के साथ सफ़ाई) से मना फ़रमाते थे।

(40) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 8, इब्ने माजा, हदीस: 313, 312, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/43, 44, हदीस: 80, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 128.

फ़वाइद व मसाइल : मज़कूरा रिवायत से लीद और हड्डी से सफ़ाई की मुमानिअत के साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि औलाद पर वालिदैन की इताअत वाजिब है और वालिदैन का भी ये हक़ है कि अपनी औलाद को अदब सिखायें और दीनी तालीम से बहरावर (पहचान कराना) फ़रमायें।

बाब : (37) सफ़ाई में तीन ढेलों से कम पर इक्तिफ़ा (काफ़ी) करना मना है

باب : (٣٧) اَلنَّهْيُ عَنِ الْاِكْتِفَاءِ فِي الْاِسْتِطَابَةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،

(41) हज़रत सलमान फ़ारसी (ﷺ) से रिवायत है कि, एक आदमी ने उनसे कहा: तहक़ीक़ तुम्हारा नबी तो तुम्हें हर चीज़ सिखाता है यहाँ तक कि

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا أَوْ نَكْتَفِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ . ج

क़ज़ा-ए-हाजत करना भी। उन्होंने फ़रमाया: हाँ! आपने हमें मना फ़रमाया है कि हम क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह करें या दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करें या तीन ढेलों से कम पर इक्तिफ़ा करें।

(41) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 262, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 40.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये आदमी मुश्रिक था और उसने ये जुम्ला तहक़ीर व मज़ाक़ के अन्दाज़ में कहा था जिसे हज़रत सलमान फ़ारसी (ﷺ) ने कमाले हिकमत से संजीदा अन्दाज़ में पेश फ़रमाया। जज़ाहुल्लाहु अहसनिल जज़ा **(2)** मज़कूरा अहादीस से जहाँ ये मसला साबित हुआ कि गोबर और लीद से सफ़ाई करना और फिर इस ग़र्ज़ के लिए दाएँ हाथ का इस्तेमाल ममनूअ (मना) है। वहाँ ये मसला भी साबित होता है कि कम अज़ कम तीन पत्थरों या ढेलों से इस्तिन्जा करना ज़रूरी है, इससे कम पत्थरों से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत है, अगरचे कई बार सफ़ाई एक या दो पत्थरों से भी मुम्किन हो। और यक़ीनन इस तादाद के हुक्म में कोई न कोई हिकमत ज़रूर है, नज़ाफ़ते (सफ़ाई) मज़ीद की हिकमत तो समझ में आती ही है जबकि हुसूले नज़ाफ़त की ख़ातिर तीन से ज़्यादा ढेलों का इस्तेमाल, जब तीन से सफ़ाई हासिल न हो, हस्बे ज़रूरत मतलूब है। लेकिन ताक़ अदद को मल्हूज़ रखा जाये जैसा कि हदीस में इसकी सराहत है: 'जो ढेले इस्तेमाल करे तो चाहिए कि ताक़ इस्तेमाल करे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 161)

بَاب : (٣٨)
اَلرُّخْصَةُ فِي الْاِسْتِطَابَةِ بِحَجَرَيْنِ

बाब : (38)
(बहालते मजबूरी) दो ढेलों से सफ़ाई करने की रुख़सत

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ،

(42) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से **रिवायत है कि नबी (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत को गये और मुझे हुक्म दिया कि मैं तीन ढेले लाऊं। मुझे दो ढेले तो मिल गये तीसरा तलाश किया मगर न मिला। सो मैंने लीद का टुकड़ा उठा लिया और**

يَقُولُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الْغَائِطَ وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُ بِهِنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ " هَذِهِ رِكْسٌ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرِّكْسُ طَعَامُ الْجِنِّ .

उन्हें नबी (ﷺ) के पास ले आया। आपने ढेले तो ले लिए, जबकि लीद फेंक दी और फ़रमाया: 'ये तो पलीद है।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई) (رحمه الله) ने फ़रमाया: (रिक्सुन) के मानी 'जिन्नों की ख़ुराक' है।

(42) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 156, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 43.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) हदीस में मज़कूर लफ़्ज़ (رِكْس) का मतलब बयान कर रहे हैं, मगर ये मानी लुग़त की किसी किताब में नहीं पाया जाता। मुम्किन है इमाम साहब का मतलब ये हो कि लीद से इस्तिन्जा न करने की वजह ये है कि वह जिन्नों की ख़ुराक है, न ये कि वह पलीद है। वल्लाहु आलम! **(2)** सुनन नसाई की इस हदीस में तो यहाँ इतने ही अल्फ़ाज़ हैं मगर मुसनद अहमद में इसके बाद ये अल्फ़ाज़ भी हैं कि आपने फ़रमाया: 'एक ढेला और ला।' (मुसनद अहमद: 1/450) इससे गोया दो ढेलों पर इक्तिफ़ा साबित न हुआ बल्कि इससे तो तीन ढेलों की शर्तें अख़ज़ होती है। अगर बिलफ़र्ज़ मजबूरी की हालत में दो या एक ढेला ही हो तो उन्हें भी मुख़्तलिफ़ अतराफ़ से एहतियात के साथ तीन दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (अत्तिबयान फ़ी तख़रीज व तबवीब अहादीस बुलूग़ुल मराम: 2/213, 214)

باب :(٣٩) الرُّخْصَةُ فِي الْاسْتِطَابَةِ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ

बाब : (39) एक ढेले से सफ़ाई करने की रुख़सत

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ" إِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " .

(43) हज़रत सलमा बिन क़ैस (رضي الله عنه) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू ढेले इस्तेमाल करे तो ताक़ इस्तेमाल कर।'

(43) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 27, इब्ने माजा, हदीस: 406, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 45.

फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस से एक ढेले के काफ़ी होने पर इस्तिदलाल करना कमज़ोर है क्योंकि यहाँ एक ढेले की सराहत नहीं। इमाम साहब का इस्तिदलाल 'ताक़' के लफ़्ज़ से है कि वह एक को भी शामिल है, हालांकि दूसरी अहादीस में तीन से कम की सरीह नफ़ी है जैसा कि गुज़िश्ता हदीस (41) में

और सहीह मुस्लिम में हज़रत सलमान (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें तीन ढेलों से कम से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 264) किसी एक हदीस को दूसरी हदीस से क़तअ नहीं किया जा सकता। रिवायात को मिलाने से पता चलता है कि यहाँ 'ताक़' से मुराद तीन या तीन से ऊपर ताक़ अदद है क्योंकि उसूल ये है कि मतलूक़ दलील को मुक़य्यद पर महमूल किया जाता है और वह ये है कि अहादीस में कम अज़ कम तीन पत्थरों पर इक्तिफ़ा करने की इजाज़त है इससे कम पर नहीं क्योंकि ऐसा करना शरअन मना है, अलबत्ता मजबूरी की हालत में कि जब तीन ढेले न मिलते हों तो दो या एक ढेला इस्तेमाल करना जायज़ है या एक ढेला तीन दफ़ा इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए कि आम हालात को मजबूरी की सूरतों पर महमूल नहीं किया जा सकता। वल्लाहु आलम!

बाब : (40) सफ़ाई के लिए सिर्फ़ ढेले काफ़ी हैं, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं

باب : (٤٠) اَلِاجْتِزَاءُ فِي الْاِسْتِطَابَةِ بِالْحِجَارَةِ دُونَ غَيْرِهَا

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِهَا فَإِنَّهَا تَجْزِي عَنْهُ " .

(44) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई क़ज़ा-ए-हाजत को जाये तो अपने साथ तीन ढेले ले जाये और उनसे सफ़ाई करे, वह उसे काफ़ी होंगे।'

(44) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 40, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 42, व सहीहा दारक़ुतनी: 1/54, 55.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ढेले इस्तिन्जा के लिए काफ़ी हैं, बशर्ते कि उनसे पूरी सफ़ाई हो जाये, यानी न तो गन्दगी का असर बाक़ी रहे और न बदबू। अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये कि ढेलों से सही सफ़ाई न हो सके या बदबू ज़ायल न हो तो पानी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। (2) मिट्टी में सफ़ाई करने और बदबू ख़त्म करने की ख़ासियत रखी गई है, इसलिए पानी की ग़ैर मौजूदगी में इससे तहारत हासिल करना शरअन व अक़्लन दुरुस्त है। इसी तरह मिट्टी की ग़ैर मौजूदगी में जो भी चीज़ नजासत के ज़ायल (ख़त्म) करने और तहारत के हुसूल में मुफ़ीद साबित हो, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे रूई और टिसू पेपर वग़ैरह। वल्लाहु आलम!

बाब : (41)
पानी से इस्तिन्जा करना

باب : (۴۱)
اَلْاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ

(45) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतुल ख़ला में दाख़िल होते तो मैं और मेरे साथ मुझ जैसा कोई और लड़का पानी का बर्तन उठाता, आप उस पानी से इस्तिन्जा करते।

(45) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 150, मुस्लिम, हदीस: 271, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 47.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ أَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ مَعِي نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि ढेले इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि बराहे रास्त पानी से इस्तिन्जा किया जा सकता है और यही अफ़ज़ल है। हदीस में आयत: 'इसमें ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसन्द करते हैं।' की सही शाने नुज़ूल यही बयान हुई है कि अहले क़ुबा सिर्फ़ पानी के साथ इस्तिन्जा करते थे। और आयत में इस तहारत की बिना पर उनकी तारीफ़ फ़रमाई गई है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 44) जब कि कुछ हज़रात इस नज़रिये के हामिल हैं कि ये एक मशरूब है और खाने पीने में इसका इस्तेमाल होता है, नीज़ ढेले इस्तेमाल किये बग़ैर बराहे रास्त पानी इस्तेमाल करने से पानी भी गन्दा हो जायेगा और हाथ भी आलूदा होंगे, इनका ख़्याल है कि अगर ढेले इस्तेमाल करने के बाद पानी इस्तेमाल किया जाये तो ये तमाम क़बाहतें ख़त्म हो जायेंगी। **(2)** अहले क़ुबा की तारीफ़ में जो आयत नाज़िल हुई, उसकी वजह उनका पत्थरों और फिर पानी से इस्तिन्जा करना न थी क्योंकि इस मफ़हूम की रिवायत मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। देखिये: (मजमूअ अज़्ज़वाइद: 1/29, हदीस: 1053) इसलिए मुस्तहब सिर्फ़ पानी से इस्तिन्जा करना ही है। वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि आदमी अपने मातहत आज़ाद लोगों से ख़िदमत ले सकता है, नीज़ नेक लोगों की ख़िदमत करना दुरुस्त है।

(46) हज़रत आयशा (ﷺ) ने औरतों से फ़रमाया: अपने ख़ाविन्दों से कहो कि वह पानी से सफ़ाई किया करें। मुझे ये बात कहते हुए उनसे शर्म आती है। बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) पानी से

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ

فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ .

सफ़ाई किया करते थे।

(46) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 19, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 46 (मुसनद अहमद: 6/113)

फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस से भी यही मसला अख़ज़ होता है कि पानी से इस्तिन्जा करना अफ़ज़ल है क्योंकि नबी-ए-करीम (ﷺ) की भी आदत मुबारका यही थी, नीज़ ये भी मालूम हुआ कि सिर्फ़ पानी से इस्तिन्जा करना मकरूह नहीं है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/329, तहत हदीस: 150)

باب : (٤٢) اَلنَّهْيُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

बाब : (42) दाएँ हाथ से इस्तिन्जा करने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ " .

(47) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई पिये तो बर्तन में (पीते हुए) साँस न ले और जब क़ज़ा-ए-हाजत करे तो दाएँ हाथ से अपनी शर्मगाह न छूए और न दाएँ हाथ से इस्तिन्जा ही करे।'

(47) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस: 24, देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 41.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बर्तन में साँस लेने से मुराद ये है कि पीते पीते साँस ले, ये ममनूअ है। शायद ये मुमानिअत इसलिए हो कि इस सूरत में नाक से साँस के साथ ग़लाज़त (गन्दगी) ख़ारिज होने का एहतिमाल होता है कि जिससे मशरूब गन्दा हो जायेगा, नीज़ साँस के साथ फेंफड़े के फ़ासिद माद्दों की आमेज़िश (मिलावट) होती है वह भी पानी में शामिल हो जायेंगे, नीज़ इसमें जानवरों से मुशाबिहत है, वह पीते पीते साँस लेते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि साँस लेने के लिए बर्तन को मुँह से अलग किया जाये। **(2)** चूंकि दायाँ हाथ खाने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इससे इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया। और अक़्ले सलीम भी इस चीज़ का तक़ाज़ा करती है कि खाने और इस्तिन्जे के लिए एक ही हाथ का इस्तेमाल न हो।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الإِنَاءِ وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ .

(48) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई शख़्स बर्तन में साँस ले, अपनी शर्मगाह को दाएँ हाथ से छूए या दाएँ हाथ से सफ़ाई (इस्तिन्जा) करे।

(48) तख़रीज : (सनद सही) पीछे की हदीस़ देखें।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، وَاللَّفْظُ، لَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ . قَالَ أَجَلْ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَقَالَ" لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ " .

(49) हज़रत सलमान फ़ारसी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मुश्रिकीन ने (इस्तिहज़ाअन् - हँसी उड़ाते हुए) कहा: हम देखते हैं कि तुम्हारा नबी तुम्हें क़ज़ा-ए-हाजत का तरीक़ा भी बताता है। उन्होंने फ़रमाया: हाँ! आपने मना फ़रमाया है कि 'कोई शख़्स दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करे या क़िब्ला रुख़ बैठे।' और आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स तीन से कम ढेलों से इस्तिन्जा न करे।'

(49)तख़रीज:(सनद सही) ये हदीस़: 41 में गुज़र चुका है।

باب : (٤٣) دَلْكِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ

बाब : (43) इस्तिन्जा करने के बाद हाथ ज़मीन पर मलना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ .

(50) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने वुज़ू फ़रमाया, (इससे पहले) जब इस्तिन्जा से फ़ारिग़ हुए तो हाथ ज़मीन पर मला।

(50) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 45, इब्ने माजा: 358, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 48, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 138.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पानी के साथ धोने से कई बार हाथ से बदबू नहीं जाती। मिट्टी पर मलने से बदबू ख़त्म हो जाती है और अगर कोई चिकनाई वाली नजासत हो तो चिकनाई भी ख़त्म हो जाती है। आज कल साबुन वग़ैरह मलने से ये मक़सद हासिल हो सकता है, मिट्टी ज़रूरी नहीं क्योंकि मक़सद तो पाकीज़गी और सफ़ाई है। **(2)** शर्मगाह और हाथ का दर्जा एक नहीं, लिहाज़ा हाथ की ख़ुसूसी सफ़ाई ज़रूरी है क्योंकि हाथ खाने, पीने, क़ुर्आन पढ़ने और औरादो वज़ाइफ़ (विर्द-वज़ीफ़े) में भी इस्तेमाल होता है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَى الْخَلاَءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ ثُمَّ قَالَ " يَا جَرِيرُ هَاتِ طَهُورًا ". فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الأَرْضَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

(51) हज़रत जरीर (ﷺ) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के साथ था। आप बैतुल ख़ला में गये, क़ज़ा-ए-हाजत की, फिर आपने फ़रमाया: 'ऐ जरीर! पानी लाओ।' मैं पानी लाया। आपने उससे इस्तिन्जा किया, फिर अपना हाथ ज़मीन पर मला।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) ने फ़रमाया: ये हदीस़ शरीक की रिवायत से ज़्यादा दुरुस्त है। वल्लाहु आलम!

(51) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 359, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) शरीक की रिवायत से मुराद ऊपर वाली रिवायत (50 नम्बर) है जिसे शरीक ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत ज़ाहिर किया है जबकि ये रिवायत अबान से है। अबान ने इस रिवायत को हज़रत जरीर (ﷺ) की रिवायत बयान किया है जबकि इमाम साहब का मक़सद ये है कि ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की बजाये हज़रत जरीर से होनी चाहिए, अलबत्ता इस सूरत में ये रिवायत मुन्क़तअ होगी क्योंकि मुहद्दिसीन के फ़ैसले के मुताबिक़ अबान के उस्ताद इब्राहीम बिन जरीर का अपने वालिद हज़रत जरीर (ﷺ) से सिमाअ साबित नहीं है। इससे मालूम हुआ कि इमाम नसाई (رحمه الله) का इस रिवायत को ज़्यादा सही कहने से ये मक़सूद नहीं कि ये रिवायत सही है बल्कि उनका मक़सूद ये है कि इस रिवायत में बजाये हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के हज़रत जरीर का ज़िक्र दुरुस्त है। कुछ मुहद्दिसीन ने दोनों रिवायात को सही क़रार दिया है, यानी ये रिवायत हज़रत जरीर से भी मन्क़ूल है और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से भी क्योंकि शरीक हिफ़्ज़ व ज़ब्त में अबान से कम नहीं बल्कि इमाम

मुस्लिम ने शरीक की रिवायात सहीह मुस्लिम में बयान की हैं। वल्लाहु आलम! (2) 'قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ' ये मक़ूला ख़ुद इमाम नसाई (ﷺ) का भी हो सकता है, यानी अपने आपको कुन्नियत के साथ ग़ायबाना अन्दाज़ में ज़िक्र फ़रमाया और ये भी मुम्किन है कि उनके शागिर्द शैख़ इब्ने सुन्नी का मक़ूला हो। पहली बात ज़्यादा क़रीने क़यास है। वल्लाहु आलम!

बाब : (44)
कम व ज़्यादा पानी की तहदीद (हद)

باب : (٤٤)
التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

(52) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस पानी के बारे में पूछा गया जिस पर आम जानवर और दरिन्दे (पानी पीने और नहाने के लिए) आते जाते रहते हैं। आपने फ़रमाया: 'जब पानी दो मटके (या उससे ज़्यादा) हो तो वह (ज़िक्र की गई चीज़ों से) पलीद नहीं होता।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 63, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 50, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 118, हाकिम: 1/132, 133, शाफ़ेई, अहमद, इब्ने ख़ुज़ैमा.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ . فَقَالَ " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद माइ कसीर (ज़्यादा पानी) की हद बयान करना है, जो मामूली नजासत से पलीद नहीं होता बशर्ते कि रंग, बू और ज़ायक़ा न बदले। (2) (قُلَّة) बड़े मश्के को कहते हैं, इसके छोटे और बड़े होने की वजह से इसकी मिक़्दार में इख़्तिलाफ़े राय वाक़ेअ हुआ है। लेकिन अरब में हज्र (शहर या बस्ती का नाम) के मटके मशहूर व मारूफ़ थे। शाइर ने अपने अशआर में बकसरत इसका इस्तेमाल किया है और इम्साल (मिसालों) में भी इसे बहुत बयान किया है। हदीस में बयान शुदा मटके से यही हज्र का मटका मुराद है, दूसरा कोई मटका मुराद नहीं हो सकता। और उनके मटके में अढ़ाई सौ (250) रतल पानी के समाने की गुंजाइश थी, लिहाज़ा दो क़िलों के पानी की मिक़्दार पाँच सद रतल हुई जो मौजूदा ज़माने के पैमाने के मुताबिक़ दो सो सताईस किलोग्राम होती है। (3) शरीयत ने क़लील पानी और कसीर पानी के हुक्म में फ़र्क़ किया है। क़लील (कम) पानी तो थोड़ी सी नजासत से भी पलीद हो जाता है, ख़्वाह रंग, बू और ज़ायक़ा तब्दील न भी हो, मगर कसीर (ज़्यादा) पानी उस वक़्त तक पलीद नहीं होता जब तक नजासत की वजह से उसका रंग या बू या

ज़ायक़ा तब्दील न हो जाये। ज़ाहिर है क़लील पानी बर्तन में होगा और बर्तन वाले पानी की हिफ़ाज़त मुम्किन और आसान है जबकि कसीर पानी किसी खुली जगह में होगा और खुले पानी की हिफ़ाज़त मुम्किन नहीं। हवा और बारिश के ज़रिये से उसमें मुख़्तलिफ़ चीज़ें गिरती रहती हैं। जानवरों और परिन्दों की नजासत भी उसमें गिरती रहती है। अगर थोड़ी सी नजासत से उसे पलीद क़रार दे दिया जाता तो लोगों को इन्तिहाई तंगी का सामना करना पड़ता। तंगी दूर करना भी शरीयत का मुस्तक़िल ज़ाब्ता है, लिहाज़ा खुला पानी उस वक़्त तक पाक रहता है जब तक उसमें इतनी ज़्यादा नजासत न मिल जाये कि रंग, बू और ज़ायक़ा तक बदल जाये। **(4)** इस हदीस़ में अगरचे रंग, बू और ज़ायक़े का ज़िक्र नहीं, मगर दूसरी अहादीस़ में स़राहतन मज़कूर है। फ़तवा देते हुए किसी एक रिवायत को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता, बल्कि पेश आने वाले मसले से मुताल्लिक़ तमाम आयात व अहादीस़ और आस़ार को मद्दे नज़र रख कर ही नतीजा अख़्ज़ किया जा सकता है। **(5)** उलम-ए-अहनाफ़ ने इस तहदीद को तो तस्लीम नहीं किया मगर अपनी तरफ़ से दो दर दो (10 x 10) की हद मुक़र्रर की है, इसके अलावा इनमें आपस में सख़्त इख़्तिलाफ़ भी है यहाँ तक कि उनके फ़ुक़हा के क़लील व कसीर पानी की तहदीद के मुताल्लिक़ चौदह अक़वाल हैं। **(6)** पानी से मुताल्लिक़ तफ़्सीली अहकाम व मसाइल की बाबत किताबुल मयाह का इब्तिदाइया देखिये।

बाब : (45) पानी में कोई हद बंदी नहीं

باب: (٤٥) تَــرْكُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعُوهُ لاَ تُزْرِمُوهُ " . فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي لاَ تَقْطَعُوا عَلَيْهِ .

(53) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक देहाती आदमी ने मस्जिदे नबवी में पेशाब करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसकी तरफ़ बढ़े (ताकि उसे रोकें) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे रहने दो और उसका पेशाब न रोको।' जब वह पेशाब से फ़ारिग़ हुआ तो आपने पानी से भरा हुआ डोल मंगवाया और पेशाब पर बहा दिया।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) ने फ़रमाया: (ला तुज़्रिमूह) के मानी हैं: 'उसका पेशाब न रोको।'

(53) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 284, बुख़ारी, हदीस़: 6025, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 51.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस बाब में कुछ रिवायात ऐसी भी है जो मज़कूरा अहादीस़ (पिछले बाब के तहत) में बयान शुदा तहदीद से ख़ाली या ज़ाहिरन उसके ख़िलाफ़ महसूस होती हैं। इनमें से एक हदीस़ हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से जामेअ तिर्मिज़ी, सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई के कुछ नुस्ख़ों में मरवी है, फ़रमाते हैं: 'अल्लाह के रसूल (ﷺ) से पूछा गया कि हम बुज़ाअह के कूएँ से वुज़ू कर लिया करें? क्योंकि इसमें हैज़ के चिथड़े, कुत्तों का गोश्त और बदबूदार चीज़ें फेंकी जाती है। तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: '(इतना खुला) पानी ताहिर और मुतहर रहता है, ऐसी कोई चीज़ उसे पलीद नहीं करती।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 66, सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 66) **(2)** बिअ्रे बुज़ाअह एक मुहल्ले का कुआँ था जिसके इर्द गिर्द मुंडेर (चारदीवारी) बुलन्द न होने की वजह से मज़कूरा चीज़ें आँधी या बारिशी पानी की वजह से कूएँ में गिर जाती थीं न कि उन्हें जानबूझकर डाला जाता था क्योंकि स़हाब-ए-किराम (ﷺ) जैसी जमाअत से इसका तस़व्वुर भी नामुम्किन है और फिर बाद में उन चीज़ों को कुएँ से निकाल भी दिया जाता था जैसा कि रिहाइशी इलाक़ों के कुओं में होता है बल्कि मज़ीद पानी निकाल कर गन्दगी के अस़रात भी ख़त्म कर दिये जाते हैं। इन वज़ाहती क़ुयूद को ज़हन में रख कर हदीस़ को पढ़ा जाये। **(3)** उस कुएँ का पानी ज़ाहिर है कस़ीर पानी था और दो क़ुले से ज़्यादा था, लिहाज़ा ये पलीद चीज़ें निकाले जाने और उनके अस़रात ख़त्म किये जाने के बाद जब पानी का रंग, बू और ज़ायक़ा स़ही रहता था, तो पानी पलीद होने की कोई वजह न थी। **(4)** हज़रत अनस (ﷺ) की हदीस़ को कुछ हज़रात ने क़ुलतैन वाली रिवायत के मुख़ालिफ़ समझा है क्योंकि एक डोल पानी हर हाल में क़ुलतैन (बीस मन पानी की मिक़्दार) से कम है। और पेशाब पर डालने से वह पानी पलीद नहीं हुआ बल्कि जगह भी पाक हो गई। लेकिन ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि किसी गन्दगी पर पानी डालना अलग बात है और पानी पर गन्दगी का वाक़ेअ होना अलग बात है। और क़ुलतैन वाली हदीस़ पानी में गन्दगी पड़ने की स़ूरत है, लिहाज़ा इनमें कोई तआरूज़ (टकराव) नहीं, जैसे हर दरिन्दा जो हराम है उसका झूठा पलीद है, मगर बिल्ली का झूठा पाक है। ख़ास़ चीज़ के हुक्म में कोई ख़ुस़ूस़ी मस़लिहत हो सकती है जो आम ज़ाब्ते को ख़त्म नहीं कर सकती। इस मसले में चूंकि पेशाब ज़मीन में जज़्ब हो चुका था और ऐसी ज़मीन को नजासत से मुकम्मल तौर पर पाक करना मुम्किन न था, लिहाज़ा लोगों की तंगी के पेशे नज़र एक डोल बहाना काफ़ी समझा गया जिससे ज़मीन की बालाई सतह पर बाक़ी बचे हुए पेशाब के अस़रात ज़ायल हो जाये। और पानी के साथ नीचे चले जायें और सतह ज़मीन स़ाफ़ हो जाये। **(5)** ये हदीस़ नबी-ए-करीम (ﷺ) के हुस्ने अख़्लाक़ की आला मिस़ाल है कि आप उसकी बद तहज़ीब हरकत पर गुस्से में नहीं आये बल्कि उसे माज़ूर समझ कर अपने पास बुलाया और प्यार से मसला समझाया। इस हुस्ने सुलूक का उस शख़्स़ ने बाद में ऐलानिया इज़हार किया।

(54) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। आप (ﷺ) ने पानी का एक डोल लाने का हुक्म दिया जिसे उस पर बहा दिया गया।

(54) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 221, मुस्लिम, हदीस: 284, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 52, तोहफ़तुल अशराफ़ 1/428, हदीस: 1657.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ بَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ .

(55) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि एक देहाती मस्जिद में आया और पेशाब करने लगा। लोग उसे डाँटने लगे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे कर लेने दो।' लोगों ने उसे कुछ न कहा यहाँ तक कि वह पेशाब से फ़ारिग़ हो गया, फिर आपने एक डोल पानी मंगवाया और उसे उस पर बहा दिया गया।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 221, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 53, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الْمَسْجِدِ فَبَالَ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اتْرُكُوهُ " . فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِدَلْوٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ .

फ़ायदा : उस शख़्स का नाम ज़ुल्ख़ुवैसिरह था, चूंकि वह पेशाब शुरू कर चुका था और जगह भी पलीद हो चुकी थी, इसलिए उसे रोकना बेफ़ायदा था, अब उसे रोकते तो मुम्किन था कि पेशाब न रुकता और वह चलते चलते बाक़ी मस्जिद भी पलीद कर डालता या पेशाब रुक जाता तो उसके मसाने (पेशाब की थैली) में ख़राबी वाक़ेअ हो जाती। गोया नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दो मुतहक़्क़िक़ (साबित शुदा) ख़राबियों और मफ़ासिद में से उस मुफ़सदे को बर्दाश्त और इख़्तियार करने की तल्क़ीन की जो निस्बतन दूसरे से क़बाहत में कम था और वह था मस्जिद में पेशाब करना, जबकि दौराने पेशाब में देहाती को पेशाब करने से रोकना, ये इससे भी बढ़ कर उसके लिए अज़ियतनाक था और मस्जिद में मज़ीद आलूदगी (गन्दगी) फैलने का डर भी था, लिहाज़ा इस दलील को मद्दे नज़र रखते हुए उलम-ए-इस्लाम ने इस हदीस से अख़फ़ अज़्ज़ररेन यानी ख़फ़ीफ़ तरीन ज़रर (हल्का नुक़सान) और अज़ियत को बड़ी अज़ियत और क़बाहत के मुक़ाबले में इख़्तियार करने का क़ायदा इस्तिख़राज किया (निकाला) है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ " .

(56) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक बदवी मस्जिद में खड़ा हुआ और उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। लोगों ने उसे जा लिया तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे कुछ न कहो और उसके पेशाब पर पानी का एक डोल बहा दो। तुम्हें नर्मी और आसानी के लिए भेजा गया है, न कि सख़्ती और तंगी के लिए।'

(56) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 220, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 54.

फ़वाइद व मसाइल : ये रिवायत बज़ाहिर उन रिवायात के ख़िलाफ़ है जिनमें ज़मीन के ख़ुश्क होने को उसकी पाकीज़गी कहा गया है मगर कहा जा सकता है कि वह रिवायात उस ज़मीन के बारे में हैं जिसकी नजासत का उसी वक़्त पता न चले और ख़ुश्क हो जाये और ये रिवायात उस ज़मीन के बारे में है जिसकी नजासत का उसी वक़्त पता चल जाये जैसा कि मज़कूरा वाक़िये में है। या इस रिवायत में वक़्ती तहारत का ज़िक्र है और उन रिवायात में मुस्तक़िल तहारत का। किसी रिवायत को छोड़ देने से बेहतर है कि उस पर मख़्सूस हालत में अमल किया जाये रिवायात के दरम्यान तत्बीक़ देना उनमें से किसी के तर्क (छोड़ देने) से बहुत औला है। वल्लाहु आलम!

باب : (٤٦) الْمَاءِ الدَّائِمِ

बाब : (46) ठहरे हुए पानी का हुक्म

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ " . قَالَ عَوْفٌ وَقَالَ خِلاَسٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(57) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स ठहरे हुए पानी में पेशाब हरगिज़ न करे (हो सकता है) कि फिर बाद में उससे वुज़ू कर ले।'

रावी-ए-हदीस औफ़ ने कहा: ख़िलास ने भी हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से ऐसी रिवायत बयान की है।

(57) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 282, मुसनद अहमद: 2/259, 492, 529, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 55, 56.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया इस रिवायत में औफ़ के दो उस्ताद हैं, मुहम्मद बिन सीरीन और ख़िलास। और ये दोनों हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ये हदीस़ बयान करते हैं। (2) ठहरे पानी में पेशाब करने से इसलिए मना किया था कि ये पानी की नजासत (नापाकी) का सबब बन सकता है क्योंकि बार बार पेशाब करने या कई लोगों के पेशाब करने से पानी का रंग, बू या ज़ायक़ा बदल सकता है। इस तरह पानी नाक़ाबिले इस्तेमाल हो जायेगा। वुज़ू और ग़ुस्ल करने वालों को दिक़्क़त पेश आयेगी।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَعْقُوبُ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ بِدِينَارٍ .

(58) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई ठहरे पानी में बिल्कुल पेशाब न करे (हो सकता है) कि फिर बाद में उससे ग़ुस्ल करे।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) ने फ़रमाया: (मेरे उस्ताद) याक़ूब बिन इब्राहीम ये हदीस़ दीनार लिए बग़ैर बयान नहीं करते थे।

(58) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस़: 20/169, 170, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 57.

फ़वाइद व मसाइल : तालीमे हदीस़ पर उजरत लेने के बारे में अहले इल्म में इख़्तिलाफ़ है। कुछ के नज़दीक उजरत लेना जायज़ नहीं और कुछ इसे जायज़ समझते हैं। ख़ुसूसन जब मुहद्दिस़ तदरीसे हदीस़ के अलावा कोई दूसरा काम न करे। याक़ूब दौरक़ी के नज़दीक इस पर उजरत लेना जायज़ है, इसलिए वह ये हदीस़ बयान करने पर उजरत लेते थे। और रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान: 'बेशक जिन चीज़ों पर तुम उजरत ले सकते हो, उनमें सबसे ज़्यादा उसकी हक़दार अल्लाह की किताब है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 5737) से भी इसका जवाज़ साबित होता है, लिहाज़ा ज़रूरत के पेशे नज़र तदरीसे हदीस़ पर उजरत लेने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन बिला ज़रूरत और कशाइश (कुशादगी) के बावुजूद उसकी हिर्स व तमअ (लालच) रखना इख़्लास के मनाफ़ी है, लिहाज़ा इससे इज्तिनाब करना (बचना) चाहिए। वल्लाहु आलम!

बाब : (47) समन्दरी पानी का हुक्म

باب : (٤٧) فِي مَاءِ الْبَحْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ

(59) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, एक आदमी ने नबी (ﷺ) से पूछा कि हम समन्दरी सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा बहुत पानी ले

بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .

जाते हैं, चुनांचे अगर हम उससे वुज़ू करें तो प्यासे रह जायें, तो क्या हम समन्दरी पानी से वुज़ू कर लिया करें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'समन्दर का पानी ताहिर (पाक) व मुतह्हिर (पाक करने वाला) है और इसमें मर जाने वाले जानवर हलाल हैं।'

(59) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 69, अबू दाऊद, हदीस: 83, इब्ने माजा, हदीस: 386/3246, मोत्ता: 1/22, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 58, बुख़ारी, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सवाल का सबब ये था कि समन्दरी पानी सख़्त नमकीन होता है और इसमें समन्दरी जानवर और मुसाफ़िर मरते रहते हैं। उनकी गन्दगी भी वहीं रहती है। हो सकता है कि शरअन नाक़ाबिले इस्तेमाल हो, मगर नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने वज़ाहत फ़रमा दी कि इन सब के बावुजूद समन्दरी पानी पाक है और दूसरी चीज़ों को भी पाक करने की अहलियत रखता है क्योंकि ये माए-कसीर (बहुत सारा पानी) है, नीज़ अल्लाह तआला ने इस पानी में ऐसे अजज़ा (हिस्से) शामिल फ़रमाये हैं कि इस पानी में गन्दगी करने के बावुजूद बदबू पैदा नहीं होती। रंग, बू और ज़ायक़ा भी नहीं बदलता। **(2)** 'الْحِلُّ مَيْتَتُهُ' यानी समन्दरी जानवर, जो समन्दर में मर जायें, हलाल हैं। इस जुमले का एक फ़ायदा तो ये है कि चूंकि समन्दरी जानवर हलाल हैं (मरने के बाद भी) लिहाज़ा उनकी मौत से पानी पलीद नहीं होता। दूसरा फ़ायदा ये है कि एक मज़ीद हुक्म मालूम हो गया कि अगर दौराने सफ़र में खाने के लिए ऐसा जानवर मिल जाये तो उसे बिला तरदीद खाया जा सकता है। ये बहस कि इस 'मुरदार' से सिर्फ़ मछली मुराद है या हर समन्दरी जानवर? अपने मक़ाम पर आगे आयेगी। इन्शाअल्लाह। **(3)** सवाल करने वाले आदमी का नाम अब्दुल्लाह मदलजी था। तफ़्सील के लिए देखिये: (औनुल माबूद: 1/152, हदीस: 83)

باب: (٤٨) الْوُضُوءِ بِالثَّلْجِ

बाब : (48) बर्फ़ से वुज़ू करने का बयान

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ

(60) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब नमाज़ शुरू फ़रमाते

بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي سُكُوتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ قَالَ " أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " .

तो कुछ देर चुप रहते थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों। आप तकबीरे तहरीमा और क़िरअत के दरम्यान ख़ामोशी के वक़्त क्या पढ़ते हैं? आपने फ़रमाया: 'मैं कहता हूँ:

(اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ)

'ऐ अल्लाह! मेरे और मेरी ग़लतियों के दरम्यान इतना फ़ासला कर दे जितना फ़ासला तूने मश्रिक़ और मग़रिब के दरम्यान किया है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरी ग़लतियों से इस तरह साफ़ फ़रमा दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मेल कुचैल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरी ग़लतियों से बर्फ़, पानी और औलों के साथ धो दे।'

(60) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 744, मुस्लिम, हदीस: 598, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 60.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस की बाब से मुताबिक़त वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बर्फ़ को पानी के बराबर ज़िक्र फ़रमाया है, लिहाज़ा इससे वुज़ू हो सकता है। (2) इस दुआ में पानी, बर्फ़ और औलों के ज़िक्र से मक़सूद ये है कि मेरे गुनाहों को हर मुम्किन तरीक़े से मुझसे दूर फ़रमा दे! इनसे अल्लाह तआला की रहमत की मुख़्तलिफ़ सूरतों की तरफ़ भी इशारा हो सकता है।

باب : (۴۹)
اَلْوُضُوءُ بِمَاءِ الثَّلْجِ

बाब : (49)
बर्फ़ के पानी से वुज़ू करने का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(61) हज़रत आयशा (ؓ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) दुआ पढ़ा करते थे:

(اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي

عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ " .

مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ)

'ऐ अल्लाह! मेरी ग़लतियों को बर्फ़ के पानी और औलों से धो दे और मेरे दिल को ग़लतियों से यूँ पाक फ़रमा दे जैसे तूने सफ़ेद कपड़ा मेल कुचैल से साफ़ रखा है।'

(60) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 6375, मुस्लिम, हदीस: 589, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 59.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बर्फ़ के पानी से वुज़ू करना जायज़ है जैसा कि पिछली हदीस में इसकी वज़ाहत गुज़र चुकी है। **(2)** इंसान को हमेशा इस्तिग़फ़ार (माफ़ी) करते रहना चाहिए और दिल को गुनाहों की मेल कुचैल से साफ़ रखने की दुआ भी करनी चाहिए क्योंकि ये तमाम आज़ा (अंगों) का सरदार है और दूसरे आज़ा की दुरुस्ती का टिकाव भी इसी पर है जैसा कि सहीहैन में है: 'ख़बरदार! बेशक जिस्म में एक टुकड़ा है जब वह दुरुस्त रहे तो सारा जिस्म दुरुस्त रहता है अगर वह ख़राब हो जाये तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। ख़बरदार! वह (टुकड़ा) दिल है।' (सहीह बुख़ारी: हदीस: 52, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1599)

باب : (٥٠)
الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَرَدِ

बाब : (50)
औलों के पानी से वुज़ू करने का बयान

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ شَهِدْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ

(62) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ﷺ) ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को एक मय्यत का जनाज़ा पढ़ते सुना, तो मैंने आपकी ये दुआ सुनी, आप कह रहे थे:

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)

'ऐ अल्लाह! इसको माफ़ कर दे, इस पर रहम फ़रमा, इसको आफ़ियत (सलामती) दे और इससे दरगुज़र फ़रमा, इसकी मेहमानी अच्छी फ़रमा,

بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ " .

इसकी क़ब्र को फ़राख़ (वसीअ) कर दे, इसे पानी बर्फ़ और औलों से धो डाल। और इसको ग़लतियों से यूँ पाक साफ़ फ़रमा जैसे सफ़ेद कपड़े को मेल कुचैल से साफ़ किया जाता है।'

(62) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 963, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 2111.

बाब : (51)कुत्ते के जूठे का बयान

بَاب : (٥١) سُؤْرُ الْكَلْبِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

(63) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कुत्ता तुम्हारे बर्तन में पी ले तो उसे सात मर्तबा धोना चाहिए।'

(63) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 172, मुस्लिम, हदीस: 279/90, मोत्ता: 1/34.

फ़वाइद व मसाइल : हदीस से मालूम होता है कि अगर बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे तो बर्तन और मशरूब दोनों पलीद हो जायेंगे। मशरूब को गिरा दिया जाये और बर्तन सात दफ़ा धोया जाये। जब बर्तन पलीद होगा तो मशरूब बदर्जा औला पलीद होगा क्योंकि कुत्ते की ज़बान तो मशरूब को लगती है। बहरहाल हदीस में भी इसकी सराहत मौजूद है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चाहिए कि उसे उण्डेल दे।' (सहीह मुस्लिम: हदीस: 279) नीज़ ये हदीस आगे भी आ रही है। अहनाफ़ सात दफ़ा की बजाये तीन दफ़ा धोना ज़रूरी समझते हैं, मगर ये सरीह नस के ख़िलाफ़ है। जिस तरह शरीयत ने कुछ चीज़ों की तहारत में तख़्फ़ीफ़ (कमी) रखी है, उसी तरह कुछ चीज़ों की तहारत में तशदीद (सख़्ती) भी रखी है, इसलिए दोनों को तस्लीम करना यकसाँ ज़रूरी है।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ثَابِتًا، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ

(64) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कुत्ता तुममें से किसी का बर्तन चाट जाये तो वह उसे सात दफ़ा धोये।'

(64) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस:

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .

2/271, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 66.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هِلاَلُ بْنُ أُسَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(65) हज़रत अबू सलमा (رحمه الله) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से वह नबी (ﷺ) से इसी के मिस्ल (जैसी) रिवायत करते हैं।

(65) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 2/271, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 67.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ عَلِيَّ بْنَ مُسْهِرٍ عَلَى قَوْلِهِ فَلْيُرِقْهُ .

(66) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह डाल कर पिये, तो वह उस (मशरूब) को गिरा दे और बर्तन सात दफ़ा धोये।'

अबू अब्दुर्रहमान - इमाम नसाई (رحمه الله) ने फ़रमाया: मैं नहीं जानता कि किसी रावी ने (फ़ल्युरिक़्हु) 'तो वह उसे गिरा दे।' के अल्फ़ाज़ ज़िक्र करने में अली बिन मुस्हिर की मुवाफ़िक़त की हो। (मक़सूद ये है कि ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ अली बिन मुस्हिर ही बयान करते हैं।)

(66) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 279, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 65.

फ़वाइद व मसाइल : गोया इस हदीस में 'मशरूब को गिराने' के अल्फ़ाज़ को इमाम नसाई(رحمه الله) ने शाज़ क़रार दिया है, यानी ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ एक रावी ज़िक्र करता है। इसके बाक़ी साथी ज़िक्र नहीं करते जिससे शुब्हा पड़ता है कि शायद इस रावी को ग़लती लगी है। राजेह बात ये मालूम होती है कि ये अल्फ़ाज़ शाज़ नहीं हैं क्योंकि किसी रावी की ज़्यादती सिर्फ़ उस वक़्त मरदूद होती है जब वह दूसरों की मुख़ालिफ़त कर रहा हो और यहाँ कोई वजहे मुख़ालिफ़त नहीं। वल्लाहु आलम!

बाब : (53)
जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे उसे मिट्टी से धोने का बयान

باب : (٥٣)
تَعْفِيرِ الْإِنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ بِالتُّرَابِ

(67) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने कुत्तों के क़त्ल का हुक्म दिया, अलबत्ता शिकारी और बकरियों की हिफ़ाज़त के लिए कुत्ता रखने की इजाज़त दी। और आपने फ़रमाया: 'जब कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे सात दफ़ा धोओ और आठवीं मर्तबा मिट्टी भी मलो।'

(67) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 280, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 70.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया था, फिर आपने क़त्ल करने से रोक दिया क्योंकि अल्लाह तआला की पैदा करदा किसी मख़्लूक़ को साफ़ तौर पर ख़त्म करना दुरुस्त नहीं। हर मख़्लूक़ के पैदा करने में कोई न कोई मसलिहत है अगरचे कोई मख़्लूक़ ज़ाहिरन जिन्से इंसानी के लिए नुक़सानदेह ही महसूस होती हो। ये हुक्म अब भी हालात के ताबेअ है। **(2)** ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि कुत्ते का मुँह, उसका लुआब दहन और उसका झूठा नजिस व नापाक है और यही उसके सारे बदन के नजिस व नापाक होने पर दलालत करती है और बर्तन के सात मर्तबा धोने को वाजिब ठहराती है और मिट्टी के साथ साफ़ करना भी वाजिब है। मुहक़्क़िक़ीन की राय यही है। **(3)** शिकार की ग़र्ज़ से और खेती और जानवरों की हिफ़ाज़त के लिए कुत्ता रखना ज़रूरत है, लिहाज़ा शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। इन मक़ासिद के सिवा किसी और मक़सद के लिए, जैसे: शौक़ के तौर पर या किसी और वजह से कुत्ता रखना जायज़ नहीं है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स माल मवेशी के तहफ़्फ़ुज़ (हिफ़ाज़त), शिकार या खेती की देख भाल के सिवा कुत्ता रखता है, उसके सवाब में से हर रोज़ एक क़ीरात सवाब कम हो जाता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2322, सहीह मुस्लिम, हदीस: 1575) नीज़ शिकार और रखवाली वग़ैरह के

लिए रखे गये कुत्ते के झूठे और बर्तन वग़ैरह का भी वही हुक्म है जो आम कुत्ते का है। इसके अलावा घरों में कुत्ते का होना फ़रिश्त-ए-रहमत से महरूमी का सबब है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2806) **(4)** जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डाले उसे सात बार धोना ज़रूरी है, इसके अलावा उस बर्तन को एक मर्तबा मिट्टी से माँजना भी ज़रूरी है। मिट्टी का इस्तेमाल शुरू में भी हो सकता है और आख़िर में भी क्योंकि सहीह मुस्लिम में 'पहली बार मिट्टी से मल कर धोओ।' के अल्फ़ाज़ हैं और सहीह मुस्लिम की मज़कूरा रिवायत में 'इसे आठवीं मर्तबा मिट्टी से मल कर धोओ।' इन दोनों अहादीस़ के दरम्यान कोई तआरूज़ नहीं है क्योंकि सात बार पानी से धोने के साथ साथ जब एक बार मिट्टी इस्तेमाल की जायेगी तो ये मिट्टी का इस्तेमाल आठवीं बार धोना है। **(5)** मिट्टी नजासत की बू, लेस (चिपचिपाहट) और जराशीम ख़त्म करती है। पानी के साथ कभी-कभी ये चीज़ें ख़त्म नहीं होतीं, अलबत्ता ज़ाहिरी नजासत ख़त्म हो जाती है, लिहाज़ा पानी के अलावा एक दफ़ा (कम अज़ कम) मिट्टी या उसके क़ायम मक़ाम कोई भी केमिकल वग़ैरह लगाना ज़रूरी है।

बाब : (54) बिल्ली के जूठे का हुक्म

باب: (٥٤) سُؤْرُ الْهِرَّةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ - قَالَتْ كَبْشَةُ - فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " .

(68) कब्शह बिन्ते कअब से रिवायत है कि हज़रत अबू क़तादा(ﷺ) मेरे पास आये, फिर कब्शह ने ऐसे अल्फ़ाज़ कहे जिनका मतलब ये है कि मैंने उनके लिए बर्तन में वुज़ू का पानी डाला। चुनांचे एक बिल्ली आई और उससे पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने बिल्ली के लिए बर्तन झुका दिया (ताकि वह आसानी से पी ले) बिल्ली ने पानी पी लिया। कब्शह ने कहा कि उन्होंने मुझे देखा कि मैं (हैरानी से) उनकी तरफ़ देख रही हूँ तो कहने लगे: ऐ भतीजी! क्या तुझे इस पर ताज्जुब है? मैंने कहा: जी हाँ! वह कहने लगे कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा बिल्ली पलीद नहीं क्योंकि ये तुम पर आने जाने वाले नौकरों और नौकरानियों (या साइलीन) की तरह है।'

(68) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 75, तिर्मिज़ी, हदीस: 92, इब्ने माजा, हदीस: 368, मोत्ता: 1/22, 23, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 63, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, हदीस: 121, हाकिम, ज़हबी.

फ़वाइद व मसाइल : बिल्ली दरिन्दों में शामिल है और दरिन्दों का जूठा पलीद होता है, मगर बिल्ली चूंकि घरेलू और पालतू जानवर है, घरों में इसका कसरत से आना जाना रहता है, उसे रोका भी नहीं जा सकता और ये आम तौर पर बर्तनों में मुँह डालती रहती है, इस मजबूरी के पेशे नज़र इसका जूठा पलीद नहीं कहा गया। वैसे भी ये साफ़ सुथरा रहने वाला जानवर है। मुँह को ख़ास तौर पर साफ़ रखती है, अलबत्ता अगर इसके मुँह पर ज़ाहिरी नजासत लगी हो और वह किसी बर्तन में मुँह डाल दे तो वह यक़ीनन पलीद हो जायेगा। लेकिन बिलावजह शुकूक व शुब्हा का शिकार नहीं होना चाहिए, आम ज़ाब्ता वही है जो ज़िक्र हो चुका।

बाब : (55) गधे के जूठे का हुक्म

بَاب : (٥٥) سُؤْرِ الْحِمَارِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَتَانَا مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ .

(69) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि हमारे पास अल्लाह के रसूल (ﷺ) का मुनादी आया और उसने कहा (ऐलान किया) तहक़ीक़ अल्लाह तआला और उसका रसूल तुम्हें घरेलू गधो का गोश्त खाने से रोकते हैं क्योंकि गधे पलीद हैं। (या ये गोश्त हराम है)

(69) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2991, मुस्लिम, हदीस: 1940, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 64.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये जंगे ख़ैबर की बात है जब मुसलमानों ने नबी-ए-करीम (ﷺ) की इजाज़त के बग़ैर और ग़नीमत तक़सीम होने से पहले गधे पकड़ कर ज़िब्ह कर लिए थे बल्कि उनका गोश्त पकाना शुरू कर दिया था। **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) ने शायद इस रिवायत के अल्फ़ाज़ (إنها رجس) से गधे के जूठे के पलीद होने पर इस्तिदलाल किया है, मगर जो उसके जूठे की तहारत के क़ायल हैं, उनका कहना है कि आप (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने अक्सर गधे को बतौर सवारी इस्तेमाल किया है, ज़ाहिर है इसका लुआब और पसीना वग़ैरह कपड़ों को लगता होगा और आपने कभी भी गधे के लुआब से परहेज़ का हुक्म नहीं दिया और यही बात उम्मत के हक़ में

ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आप (ﷺ) ने हमेशा उम्मत से तंगी को दूर करने ही की कोशिश की है और 'يسّروا ولا تعسّروا' 'आसानी करो, मुश्किलात पैदा न करो' की तल्क़ीन करते रहे।

باب : (٥٦)
سُؤْرِ الْحَائِضِ

बाब : (56)
हायज़ा औरत के जूठे का हुक्म

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ .

(70) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं किसी हड्डी से गोश्त नोचती तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) उस जगह अपना मुँह मुबारक रखते जहाँ मैंने रखा था, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। और मैं बर्तन से पानी पीती तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) उस जगह अपना मुँह रखते थे जहाँ मैंने लगाया था, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

(70) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 300, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 62.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ और जनाबत की हालत ज़ाहिरी पलीदी नहीं, लिहाज़ा हायज़ा और जुन्बी का जूठा पाक है। **(2)** इस हदीस से नबी-ए-अकरम (ﷺ) के कमाल हुस्ने मुआशरत (गुज़र बसर) का दर्स मिलता है। **(3)** आदमी अपनी बीवी से जिमाअ के अलावा हर वह मामला कर सकता है जिससे दोनों को ख़ुशी हासिल हो।

باب : (٥٧)
وُضُوءِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا

बाब : (57)
मर्दों और औरतों का इकट्ठे वुज़ू करना

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ

(71) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में आदमी और औरतें इकट्ठे वुज़ू कर लिया करते थे।

(71) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 193, मोत्ता: 1/24, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 72.

ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمِيعًا .

फ़ायदा : इस बाब का मक़सद ये है कि पानी में हाथ डालने से पानी जूठा नहीं हो जाता कि दूसरा शख़्स उसे इस्तेमाल न कर सके, इसलिए एक ही वक़्त में कई अफ़राद (मर्द व औ़रत) एक बर्तन में हाथ डाल कर वुज़ू कर सकते हैं, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर औ़रत ग़ैर मुहतात क़िस्म की हो तो उसके वुज़ू करने के बाद मर्द उस पानी से वुज़ू न करे क्योंकि वह छींटों वग़ैरह से परहेज़ नहीं करेगी। याद रहे कि इस हदीस़ में मर्द व औ़रत से मुराद एक घर के मर्द और औ़रत (मियाँ बीवी) हैं न कि मुख़्तलिफ़ घरों के ग़ैर मेहरम क्योंकि इस्लाम में मर्दोज़न (मर्द व औ़रत) के इख़्तिलात (मेल-जोल) की इजाज़त नहीं। या फिर इस हदीस़ में उस वक़्त का ज़िक्र है जबकि अभी पर्दे के अहकाम नाज़िल नहीं हुए थे। वल्लाहु आ़लम! यही राय हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इख़्तियार की है। देखिये: (फ़तहुल बारी: 1/392, हदीस़: 193)

बाब : (58)
जुन्बी के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी का हुक्म

باب : (٥٨)
فَضْلِ الْجُنُبِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ .

(72) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि मैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक ही बर्तन से ग़ुस्ल किया करते थे।

(72) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 250, मुस्लिम, हदीस़: 319, इब्ने अबी शेबा, सुननिल क़ुबरा अन्नसाई, हदीस़: 73.

फ़ायदा : जुन्बी के इस्तेमाल के बाद बचा हुआ पानी क़ाबिले इस्तेमाल है, वह पलीद नहीं होगा, चाहे जुन्बी मर्द हो या औ़रत, दोनों के लिए हुक्म बराबर है।

बाब : (59) पानी की कम से कम मिक़्दार जो आदमी को वुज़ू के लिए काफ़ी है

باب : (٥٩) الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ

(73) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक मुद पानी से वुज़ू फ़रमा लिया करते थे और पाँच मुद के साथ ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे।

(73) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 201, मुस्लिम, हदीस: 325, मुसनद अहमद: 3/112, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 74.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सूद ये है कि अगर किसी के पास मज़कूरा मिक़्दार में पानी है, तो वह तय्यमुम नहीं कर सकता। ये मतलब नहीं कि इस मिक़्दार से कम व ज़्यादा से वुज़ू और ग़ुस्ल नहीं किया जा सकता। (2) (مَكُّوك) एक पैमाना है जिसकी तफ़्सीर एक दूसरी हदीस में मुद से की गई है। बर्तन की सूरत में इसमें हर चीज़ की मिक़्दार मुख़्तलिफ़ होती है, मगर वज़न की सूरत में ये निस्फ़ किलो से कुछ ज़्यादा होता है।

(74) हज़रत उम्मे उमारह बिन्ते कअब (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने वुज़ू का इरादा फ़रमाया, तो आपके पास एक बर्तन में पानी लाया गया जो दो तिहाई मुद के बराबर था। शोबा कहते हैं: मुझे याद है कि आपने (दौराने वुज़ू में) अपने बाज़ू मल मल कर धोये और अपने कानों के अन्दरूनी हिस्से का मसह किया। और बाहरी हिस्से के मसह का मुझे याद नहीं।

(74) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 94, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 76.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِي، وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ بِنْتُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ قَدْرَ ثُلُثَيِ الْمُدِّ . قَالَ شُعْبَةُ فَأَحْفَظُ أَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَجَعَلَ يَدْلُكُهُمَا وَيَمْسَحُ أُذُنَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَلاَ أَحْفَظُ أَنَّهُ مَسَحَ ظَاهِرَهُمَا .

फ़वाइद व मसाइल : पहली रिवायत में एक मुद पानी से वुज़ू करने का ज़िक्र था। इसमें एक मुद से भी कम पानी से वुज़ू का ज़िक्र है जिससे ये मालूम हुआ कि लोगों और हालतों के मुख़्तलिफ़ होने के साथ ये मिक़्दार की हदबंदी नहीं जैसा कि नबी (ﷺ) के अमल से साबित है, आप कभी कम पानी इस्तेमाल कर लेते और कभी ज़्यादा। लेकिन इस्राफ़ (बेकार ख़र्च) से बचना ज़रूरी है।

باب: (٦٠) النِّيَّةِ فِي الْوُضُوءِ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، ح وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " .

बाब : (60) वुज़ू में नियत का मसला

(75) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने कहा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आमाल का ऐतबार नियत से है। हर आदमी को उसकी नियत के मुताबिक़ अज्र मिलेगा, चुनांचे जिस शख़्स की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की ख़ातिर है तो उस आदमी की हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ समझी जायेगी और जिस शख़्स की हिजरत दुनिया हासिल करने या किसी औरत से निकाह करने की ख़ातिर है तो उसकी हिजरत उस चीज़ की तरफ़ समझी जायेगी जिसकी ख़ातिर उसने हिजरत की।'

(75) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 54, मुस्लिम, हदीस: 1907, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 78.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस दीने इस्लाम की चंद असासी बुनियादी अहादीस में से है जिन पर दीन की बुनियाद है। आमाल से नेक आमाल ही मुराद हैं, यानी उनकी सेहत व ऐतबार के लिए नियत का ख़ालिस होना शर्त है, बख़िलाफ़ बुरे आमाल के कि वह अच्छी नियत से अच्छे नहीं बन सकते जबकि नेक आमाल ख़राब नियत से बुरे बन सकते हैं। (2) इस हदीस की रूह से नियत के बग़ैर कोई अमल मोतबर नहीं जिनमें वुज़ू भी दाख़िल है और यही जुम्हूर अहले इल्म व फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का

मस्लक है मगर अहनाफ़ के नज़दीक वुज़ू नियत के बग़ैर भी मोतबर है क्योंकि ये असल इबादत नहीं, बल्कि असल इबादत (नमाज़ वग़ैरह) के लिए वसीला है, हालांकि सहीह अहादीस की रूह से वुज़ू गुनाहों की माफ़ी और दर्जात के हुसूल का भी सबब है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 832) और ये बग़ैर नियत के मुम्किन नहीं।

बाब : (61)
बर्तन से (पानी ले लेकर) वुज़ू करना

باب : (٦١)
اَلْوُضُوءُ مِنَ الْإِنَاءِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ .

(76) हज़रत अनस (﵁) से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को देखा जबकि अस्र की नमाज़ का वक़्त हो चुका था। लोगों ने वुज़ू के लिए पानी तलाश किया मगर न मिला तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास कुछ पानी लाया गया। आपने अपना हाथ मुबारक उस बर्तन में रखा और लोगों को वुज़ू करने का हुक्म दिया, चुनांचे मैंने देखा कि पानी आपकी उंगलियों के नीचे से (चश्मे की तरह) फूट रहा था यहाँ तक कि सब लोगों ने वुज़ू कर लिया।

(76) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 169, मुस्लिम, हदीस: 2279, मोत्ता: 1/32.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मतलब ये है कि बर्तन से चुल्लू लेकर वुज़ू किया जा सकता है। अगरचे इस तरीक़े से बार बार हाथ को बर्तन में दाख़िल करना पड़ेगा और उसके साथ हाथ को लगा हुआ साबिक़ा पानी भी बर्तन में गिरेगा, मगर इसमें कोई हर्ज नहीं। **(2)** इस क़िस्म के वाक़ियात सहीह अहादीस में मज़कूर हैं कि थोड़ा पानी बहुत से लोगों को किफ़ायत कर गया यहाँ तक कि लोगों ने अपनी आँखों से पानी को बढ़ता देखा। तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़बा शरह सुनन नसाई: 2/290, 291) इसी तरह कई दफ़ा थोड़ा खाना भी बहुत से अफ़राद को काफ़ी हो गया जैसा कि अहादीस में इसकी सराहत मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4102) लिहाज़ा इन मोअज्ज़ात का इंकार करना दोपहर के वक़्त सूरज का इंकार करने के मुतरादिफ़ (बराबर) है। इस चीज़ को बरकत

कहा गया है और ये अल्लाह तआला की तरफ़ से होती है। जब किसी चीज़ की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ कर दी जाती है तो वहाँ इस जहान के पैमाने काम नहीं करते। अगर मनी के एक नज़र न आने वाले जरसूमे (कीड़े) से इतना बड़ा इंसान बन सकता है, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा दरख़्त वुजूद में आ सकता है, तो इन वाक़ियात पर क्या ताज्जुब है? वक़्त, जगह और हद हमारे लिए हैं, अल्लाह तआला इनसे बहुत बुलन्द व बाला है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَأُتِيَ بِتَوْرٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ " حَىَّ عَلَى الطَّهُورِ وَالْبَرَكَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . قَالَ الأَعْمَشُ فَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ .

(77) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷻ) से रिवायत है कि हम नबी (ﷺ) के साथ थे। लोगों को पानी न मिला तो आपके पास पानी का एक थाल लाया गया, चुनांचे आपने अपना हाथ उसमें रखा। अल्लाह की क़सम! मैंने आपकी उंगलियों के दरम्यान से पानी फूटता (निकलता) देखा। आप फ़रमाते थे: 'आओ इस पाक पानी पर और अल्लाह (ﷻ) की बरकत की तरफ़।'

आमश कहते हैं: सालिम बिन अबू जअद ने मुझे बताया कि मैंने हज़रत जाबिर (ﷻ) से पूछा कि तुम उस दिन कितने थे? उन्होंने फ़रमाया: पन्द्रह सौ।

(77) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 1/401, 402, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, बुख़ारी, हदीस: 3579, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 80.

बाब : (62) वुज़ू शुरू करते वक़्त बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए

باب : (٦٢) التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوءِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ طَلَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(78) हज़रत अनस (ﷻ) से मन्क़ूल है कि नबी(ﷺ) के कुछ सहाबा ने वुज़ू का पानी तलाश किया तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुममें से किसी के पास कुछ पानी है?' (पानी लाया गया) तो आपने अपना हाथ पानी में

وَضُوءًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مَاءٌ " . فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَيَقُولُ " تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ " . فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ . قَالَ ثَابِتٌ قُلْتُ لأَنَسٍ كَمْ تُرَاهُمْ قَالَ نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ.

रख दिया और फ़रमाया: 'अल्लाह का नाम लेकर वुज़ू करो।' चुनांचे मैंने आपकी उंगलियों के दरम्यान से पानी निकलता देखा यहाँ तक कि सब ने वुज़ू कर लिया। (हज़रत अनस (ﷺ) के शागिर्द) साबित ने कहा कि मैंने हज़रत अनस(ﷺ) से पूछा आपके ख़याल में वह कितने होंगे? तो उन्होंने फ़रमाया: तक़रीबन सत्तर (70).

(78) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 3/165, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 144, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 84.

फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस से वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने की शर्त साबित होती है, अलबत्ता इख़्तिलाफ़ इस मसले में ये है कि क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है या सुन्नत? जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है क्योंकि वह मज़कूरा हदीस और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस को सुन्नत और शर्त पर महमूल करते हैं जबकि इमाम हसन, इस्हाक़ बिन राहवेह और अहले ज़ाहिर का मौक़फ़ ये है कि वुज़ू में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है, अगर कोई जानबूझ कर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वुज़ू नहीं होगा, उसे दोबारा वुज़ू करना चाहिए। देखिये: (सहीह अत्तर्ग़ीब: 1/201) क्योंकि वह इस हदीस: 'जिसने वुज़ू में बिस्मिल्लाह न पढ़ी उसका वुज़ू ही नहीं।' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 45) को और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस को वुजूब पर महमूल करते हैं। इमाम इस्हाक़ (رحمه الله) मज़ीद फ़रमाते हैं कि अगर कोई वुज़ू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाये या किसी तावील की बिना पर वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता तो उसका वुज़ू हो जायेगा। देखिये: (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 25) बहरहाल दलाइल की रूह से राजेह बात यही मालूम होती है कि वुज़ू में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है जैसा कि इमाम इस्हाक़ (رحمه الله) वग़ैरह का मौक़फ़ है और हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का तक़ाज़ा भी यही है। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (सबीलुस्सलाम: 1/82 व इरवाउलग़लील: 1/122)

بَاب: (٦٣) صَبِّ الْخَادِمِ الْمَاءَ عَلَى الرَّجُلِ لِلْوُضُوءِ

बाब : (63) ख़ादिम वुज़ू के दौरान में आज़ा पर पानी डाले तो कोई हर्ज नहीं

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَيُونُسَ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يَقُولُ سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَضَّأَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ .

(79) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से मन्क़ूल है मैंने ग़ज़्व-ए-तबूक में वुज़ू के दौरान में रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ा-ए-मुबारका पर पानी डाला, फिर आपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया।

अबू अब्दुर्रहमान - इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इमाम मालिक (رحمه الله) ने (अब्बाद बिन ज़ैद के बाद) उरवा बिन मुग़ीरह का ज़िक्र नहीं किया।

(79) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 182, मुस्लिम, हदीस: 274, 421, मोत्ता: 1/35, 36.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत को इमाम मालिक, यूनुस और अम्र बिन हारिस तीन शख़्सों ने इमाम ज़ोहरी से बयान किया है। आख़िरी दो तो अब्बाद बिन ज़ैद के बाद उरवा बिन मुग़ीरह का ज़िक्र करते हैं, मगर इमाम मालिक (رحمه الله) ने इनका ज़िक्र नहीं किया। ज़ाहिर है कि तर्जीह दो रावियों की बात को होगी। **(2)** वुज़ू के दौरान में इस क़िस्म की ख़िदमत ली जा सकती है। इससे वुज़ू के सवाब में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा क्योंकि वुज़ू नाम है आज़ा को धोने का और ये काम तो वुज़ू करने वाला ख़ुद ही कर रहा है, अलबत्ता तआवुन करने वाला अपनी नियत के मुताबिक़ अज्र का हक़दार होगा।

بَاب: (٦٤) اَلْوُضُوءُ مَرَّةً مَرَّةً

बाब : (64) आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक दफ़ा धोना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ

(80) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि क्या मैं तुम्हें अल्लाह के रसूल (ﷺ) के वुज़ू के बारे में न बताऊं? फिर (ये कह कर) उन्होंने

أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक दफ़ा धोया।

(80) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 157, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 85.

باب: (٦٥) الْوُضوءِ ثَلاثًا ثَلاثًا

बाब : (65) आज़ा-ए-वुज़ू को तीन तीन बार धोना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا يُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

(81) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने आज़ा-ए-वुज़ू को तीन तीन बार धोया। और वह इस काम को नबी (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब करते थे।

(81) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 414, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 88.

फ़ायदा : इमाम बुख़ारी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक बार धोना फ़र्ज़ और दो दो या तीन तीन मर्तबा धोना सुन्नत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 135) देखिये मुहद्दिसीन की तरह इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने इस पर अबवाब भी क़ायम किये हैं। मुलाहिज़ा कीजिये: (सहीह बुख़ारी: हदीस: 157-158) हदीस में आता है कि जो शख़्स तीन से ज़्यादा दफ़ा धोता है, वह सुन्नत से तजावुज़ और इन्हिराफ़ (नाफ़रमानी) करके अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 140, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 135)

صِفَةُ الْوُضُوءِ

वुज़ू का तरीक़ा

باب: (٦٦) غَسْلُ الْكَفَّيْنِ

बाब : (66) हथेलियाँ धोना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ

(82) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से रिवायत है कि हम एक सफ़र में नबी (ﷺ) के साथ थे कि आपने (मुतवज्जा करने के लिए) अपनी छड़ी मेरी पुश्त (पीठ) से लगाई, फिर आप एक तरफ़ को

الْمُغِيرَةِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَجُلٍ، حَتَّى رَدَّهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَلاَ أَحْفَظُ حَدِيثَ ذَا مِنْ حَدِيثِ ذَا - أَنَّ الْمُغِيرَةَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَقَرَعَ ظَهْرِي بِعَصًا كَانَتْ مَعَهُ فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ حَتَّى أَتَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الأَرْضِ فَأَنَاخَ ثُمَّ انْطَلَقَ . قَالَ فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ " أَمَعَكَ مَاءٌ " . وَمَعِي سَطِيحَةٌ لِي فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَذَكَرَ مِنْ نَاصِيَتِهِ شَيْئًا وَعِمَامَتِهِ شَيْئًا - قَالَ ابْنُ عَوْنٍ لاَ أَحْفَظُ كَمَا أُرِيدُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ - ثُمَّ قَالَ " حَاجَتَكَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ فَجِئْنَا وَقَدْ أَمَّ النَّاسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَذَهَبْتُ لأُوذِنَهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا .

चले। मैं भी आपके साथ चला यहाँ तक कि आप एक (मुनासिब) जगह पहुँचे। आपने अपना ऊँट बिठाया और पैदल चल दिये यहाँ तक कि मुझसे ओझल हो गये। फिर वापस तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तेरे पास पानी है?' मेरे पास मेरा मशकीज़ा था। मैं वह आपके पास ले आया और मैंने पानी डालना शुरू किया। आपने अपने हाथ और चेहरा धोया। बाज़ू धोने लगे तो आप पर तंग आस्तीनों वाला शामी जुब्बा था। आपने अपना हाथ जुब्बे के नीचे से निकाला। इस तरह अपना चेहरा और बाज़ू धोये और अपने कुछ सर (पेशानी) और बाक़ी पगड़ी पर मसह किया। इब्ने औन ने कहा: जिस तरह मैं चाहता हूँ मुझे उस तरह याद नहीं है। फिर आपने अपने मोज़ों पर मसह किया। फिर आपने फ़रमाया: 'तू भी क़ज़ा ए-हाजत कर ले।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे हाजत नहीं है। फिर हम (क़ाफ़िले के पास) आये तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़(ﷺ) लोगों के आगे खड़े इमामत करा रहे थे और सुबह की एक रकअत पढ़ा चुके थे। मैंने उन्हें इत्तिला देना चाही, मगर आपने मुझे रोक दिया। जो नमाज़ हमने (जमाअत के साथ) पाई पढ़ ली और जो गुज़र चुकी थी, उसे (बाद में) अदा कर लिया।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 182, मुस्लिम, हदीस: 274/79, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 111.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वुज़ू की शुरुआत हथेलियाँ धोने से होती है। (2) इस हदीस से मालूम हुआ कि अफ़ज़ल इंसान मफ़ज़ूल के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। मज़ीद इस वाक़िये से हज़रत

अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) की फ़ज़ीलत भी साबित होती है कि उन्हें नबी-ए-अकरम (ﷺ) की इमामत का शर्फ़ हासिल हुआ। ये अशर-ए-मुबश्शरा में से हैं और क़दीमुल इस्लाम (पुराने मुस्लिम) सहाबी हैं। **(3)** इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि कुफ़्फ़ार की तैयारशुदा चीज़ें इस्तेमाल करना जायज़ है जबकि उनमें हराम चीज़ें न हों क्योंकि आपने शामी जुब्बा पहना हुआ था और शाम उस वक़्त दारुल कुफ़्र था। **(4)** इस हदीस में इन लोगों का भी रद्द है जो सूरह मायदा की आयते वुज़ू से मोज़ों पर मसह करने को मन्सूख़ क़रार देते हैं, इसलिए कि वह आयत ग़ज़्व-ए-मरैसीअ़ (शाबान 5 या 6 हिजरी) के मौक़े पर नाज़िल हुई और ये ग़ज़्व-ए-तबूक (रजब 9 हिजरी) का वाक़िया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब!

बाब : (67)
हथेलियाँ कितनी बार धोई जायें?

باب : (٦٧)
كَمْ تُغْسَلَانِ

(83) हज़रत अबू औस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को देखा, आपने (अपनी हथेलियों पर) तीन दफ़ा पानी बहाया।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَوْكَفَ ثَلاَثًا .

(83) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 8/4, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 87, सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1037.

बाब : (68)
कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना

باب : (٦٨)
اَلْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ

(84) हज़रत हुमरान बिन अबान से रिवायत है कि मैंने हज़रत उ़स्मान बिन अफ़्फ़ान (ﷺ) को देखा। आपने वुज़ू किया और अपने हाथों पर तीन दफ़ा पानी डाला और उन्हें धोया। फिर आपने कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया। फिर अपना चेहरा तीन मर्तबा धोया। फिर अपना दायाँ बाज़ू कुहनी तक तीन दफ़ा धोया। फिर बायाँ बाज़ू भी

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ

इसी तरह धोया। फिर अपने सर का मसह किया। फिर अपना दायाँ पाँव तीन दफ़ा धोया और फिर बायाँ पाँव भी इसी तरह धोया। फिर कहने लगे: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को देखा, आपने मेरे वुज़ू की तरह वुज़ू किया, फिर आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू करे, फिर दो रकअतें इस तरह अदा करे कि अपने दिल में कोई बात न करे, उसके गुज़िश्ता सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(84) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1934, मुस्लिम, हदीस: 226.

تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़मज़ा और इस्तिन्शाक़ का ज़िक्र अगरचे क़ुर्आन मजीद में सराहतन नहीं है, मगर हदीसों में इनका बकसरत ज़िक्र आया है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब तुममें से कोई एक वुज़ू करे तो उसे चाहिए कि अपनी नाक में पानी डाले, फिर उसे झाड़े।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 140) मज़ीद आपने फ़रमाया: 'नाक में पानी चढ़ाने में मुबालग़ा कर मगर ये कि तू रोज़े से हो।' इन हदीसों में नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म है और हुक्म वुजूब का तक़ाज़ा करता है, नीज़ कुल्ली के मुताल्लिक़ फ़रमाया: 'जब तू वुज़ू करे तो कुल्ली कर।' इस हदीस से ये भी पता चला कि आप (ﷺ) ने वुज़ू में कुल्ली करने का हुक्म दिया है जिससे कुल्ली का वुजूब साबित होता है। क़ुर्आन मजीद में 'फ़ग़सिलु वुजूहकुम' चेहरा धोने का हुक्म है जबकि चेहरे में नाक और मुँह भी शामिल है, लिहाज़ा इनका हुक्म भी वुजूब का होगा। अलग नामों की वजह से असल मसम्मी से ख़ारिज न होंगे, जैसा रुख़सार और आँखें चेहरे से ख़ारिज नहीं होते। मज़मज़ा और इस्तिन्शाक़ के वुजूब की मोइद ये दलील भी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूरी ज़िन्दगी उनका इल्तिज़ाम किया है। आपसे या सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से कहीं ये नहीं मिलता कि कभी आपने उन्हें छोड़ा हो, नीज़ आपका वुज़ू फ़रमाना हुक्मे वुज़ू वाली आयत की अमली तफ़्सीर था, इसलिए इनका हुक्म भी वुजूब ही का होगा। जिन उलमा ने 'अशरुम्मिनस्सुनन' की बिना पर मज़मज़ा और इस्तिनशाक़ को सुन्नत क़रार दिया है क्योंकि इस हदीस में मज़मज़ा और इस्तिनशाक़ का भी ज़िक्र है, इसी हदीस में बाक़ी उमूरे फ़ितरत के बारे में इनका क्या ख़्याल है? क्योंकि इन उमूरे फ़ितरत को बजा लाना ज़रूरी है, जैसे ज़ेरे नाफ़ के बालों का मूंडना और बग़लों की सफ़ाई वग़ैरह तो क्या उन्हें छोड़ा भी जा सकता है? तो अगर सुन्नत से इनकी मुराद

इस्तिलाही सुन्नत जो फ़ुक़हा के यहाँ वाजिब के मुक़ाबले में होती है तो ये बात स़राहतन मज़कूरा दलाइल की रोशनी में मरजूह (झुकी हुई) है। बहरहाल वुज़ू और गुस्ल में दोनों का बजा लाना ज़रूरी है। अगर उन्हें वुज़ू में तर्क कर दिया जाये तो वुज़ू बातिल होगा और दोबारा वुज़ू करना चाहिए। ये मौक़फ़ जलील अइम्मा की एक जमाअ़त का है, जैसे इमाम अहमद, इस्हाक़ और अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक (ﷺ) वग़ैरह। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 27) **(2)** फ़ितरी तौर पर भी मज़मज़ा और इस्तिन्शाक़ ज़रूरी हैं क्योंकि नमाज़ के तमाम विर्द व ज़िक्र की अदायगी मुँह और नाक के ज़रिये से ही होती है। अगर ये दो अंग स़ाफ़ न किये गये तो न सिर्फ़ ये कि अदायगी में ख़राबी वाक़ेअ होगी बल्कि क़रीबी नमाज़ियों और फ़रिश्तों को बदबू से तकलीफ़ भी होगी। **(3)** 'उसके गुज़िश्ता सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' इससे मुराद क़ाबिले माफ़ी गुनाह हैं, जैसे: स़गीरा, जबकि कबीरा की माफ़ी के लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। **(4)** वुज़ू के बाद दो रकअ़तें पढ़ना मुस्तहब है। और ये जिस वक़्त भी वुज़ू किया जाये उस वक़्त पढ़ी जा सकती हैं। **(5)** इस हदीस़ से ये भी स़ाबित हुआ कि वुज़ू करते हुए तर्तीब का लिहाज़ रखना ज़रूरी है।

बाब : (69)
किस हाथ से कुल्ली करे?

(85) हुमरान से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत उस़्मान (ؓ) को देखा, आपने पानी मंगवाया और बर्तन से अपने दोनों हाथों पर पानी डाला और उन्हें तीन दफ़ा धोया। फिर अपना दायाँ हाथ पानी में दाख़िल किया और कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया। फिर अपना चेहरा तीन दफ़ा धोया और अपने दोनों बाज़ूओं को कुहनियों तक तीन मर्तबा धोया। फिर अपने सर का मसह किया। फिर दोनों पाँव तीन तीन दफ़ा धोये। फिर उन्होंने कहा: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को देखा, आपने मेरे इस वुज़ू जैसा वुज़ू किया और फ़रमाया: 'जो शख़्स़ मेरे इस वुज़ू जैसा वुज़ू करे,

باب : (٦٩)
بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَتَمَضْمَضُ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، ـ هُوَ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ عَنْ - شُعَيْبٍ، - هُوَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ

رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَىْءٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

फिर खड़ा होकर दो रकअत नमाज़ पढ़े और उसकी अदायगी में अपने दिल में कोई बात न करे, उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(85) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : 'कुहनियों तक' से मुराद कुहनियों समेत धोना है क्योंकि यहाँ (إلى) 'तक' (مع) 'समेत' के मानी में है। देखिये: (ज़खीरतुल अक़बा शरह सुनन अन्नसाई: 2/276)

باب : (٧٠)
(إِتِّخَاذُ) الاِسْتِنْشَاقِ

बाब : (70)
नाक में अच्छी तरह पानी डालना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَعْنٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَسْتَنْثِرْ "

(86) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स वुज़ू करे, तो उसे चाहिए कि अपने नाक में पानी डाले और फिर (उसे) अच्छी तरह साफ़ करे।'

(86) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 162, मुस्लिम, हदीस: 237, मोत्ता: 1/19, वल कुब्रा, हदीस: 98.

باب : (٧١)
اَلْمُبَالَغَةُ فِي الاِسْتِنْشَاقِ

बाब : (71)
नाक में ख़ूब ज़ोर से पानी खींचना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا

(87) हज़रत लक़ीत बिन सबिरह (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मुझे वुज़ू के (सही तरीक़े) के बारे में बताइयें। आपने फ़रमाया: 'आज़ा-ए-वुज़ू को

وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ "أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " .

मुकम्मल (अच्छी तरह) धो और नाक में पानी डालने में मुबालग़ा कर, सिवाए इसके कि तू रोज़े से हो।'

(87) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 142, 143, 145, 2366, 3973, सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 38, 788, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, हाकिम: 1/147, 148, ज़हबी वग़ैरहुम वयअ्ति तरफुहू तरफ़ा: 114, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस:98.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्तिनशाक़ का मक़सद नाक की सफ़ाई है और ये उस वक़्त तक मुम्किन नहीं जब तक नाक के आख़िरी सिरे तक पानी न पहुँचाया जाये। इसके लिए ज़रूरी है कि साँस को पानी के साथ ज़ोर से खींचा जाये, अलबत्ता रोज़े की हालत में ज़्यादा ज़ोर लगाने से ख़दशा है कि पानी हलक़ में चला जायेगा, लिहाज़ा रोज़े की हालत में एहतियात रखे और कम ज़ोर लगाये। **(2)** इससे मालूम हुआ कि अगर इस्तिन्शाक़ के दौरान में पानी हलक़ में चला जाये तो रोज़ा टूट जायेगा। अहनाफ़ व मवालिक का यही मज़हब है मगर इमाम शाफ़ेई (ﷺ) के नज़दीक ख़ता माफ़ है और रोज़ा नहीं टूटेगा। ताहम राजेह बात ये मालूम होती है कि अगर भूल चूक से इस्तिन्शाक़ के दौरान में पानी हलक़ में चला जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि सहवन् और निस्यानन् माफ़ है, अलबत्ता अगर जानते बूझते इस्तिन्शाक़ के दौरान पानी हलक़ में उतर जाये तो रोज़ा टूट जायेगा। वल्लाहु आलम!

باب : (٧٢) اَلْأَمْرُ بِالِاسْتِنْثَارِ

बाब : (72) नाक को झाड़ने का हुक्म

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " .

(88) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स वुज़ू करे, उसे चाहिए कि वह नाक झाड़े। और जो शख़्स (इस्तिन्जा के लिए) ढेले इस्तेमाल करे, उसे चाहिए कि वह ताक़ इस्तेमाल करे।'

(88) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 161, मुस्लिम, हदीस: 237, मोत्ता: 1/19, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 95.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नाक की सफ़ाई तभी मुम्किन है जब पानी नाक में चढ़ाने के बाद साँस और हाथ की मदद से नाक को झाड़ा जाये ताकि पानी के साथ साथ नाक की ग़लाज़त (गन्दगी) भी बाहर आ जाये। सोने के दौरान में तो लाज़िमन नाक के ऊपर वाले हिस्से में ग़लाज़त जमा हो जाती है, इसलिए नाक झाड़ने का हुक्म दिया गया है। (2) इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इस्हाक़(رحمهما الله) ने नाक साफ़ करने को वाजिब क़रार दिया है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ उनकी ताईद करते हैं, नीज़ बाब के तर्जुमे से भी इस मौक़फ़ की ताईद होती है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ "

(89) हज़रत सलमा बिन क़ैस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू वुज़ू करे तो नाक झाड़ और जब तू (क़ज़ा-ए-हाजत के बाद) ढेले इस्तेमाल करे तो ताक़ इस्तेमाल कर।'

(89) **तख़रीज : (सनद सही)** तिर्मिज़ी, हदीस: 27, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 44.

باب : (٧٣) الْأَمْرِ بِالْاِسْتِنْثَارِ عِنْدَ الْاِسْتِيقَاظِ مِنَ النَّوْمِ

बाब : (73) नींद से जागने के बाद नाक झाड़ने का हुक्म

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ "

(90) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स नींद से जागे और वुज़ू करे तो वह तीन बार नाक को झाड़े क्योंकि शैतान उसकी नाक की जड़ में रात गुज़ारता है।'

(90) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 3295, मुस्लिम, हदीस: 238, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 96.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सहीह बुख़ारी में भी इसी तरह है। इसके अलावा सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, सुनन बैहक़ी वग़ैरह में भी ये रिवायत (فتوضأ) के साथ है लेकिन सहीह मुस्लिम में (فتوضأ) के बग़ैर है। जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि तीन मर्तबा नाक झाड़ने का हुक्म नींद से बेदार होने वाले

हर एक के लिए है। और इसी को हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी तर्जीह दी है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 6/413, हदीस: 3295) सहीह बुख़ारी और सुनन नसाई वग़ैरह के अल्फ़ाज़ से ये तशरीह होती है कि ये हुक्म उस शख़्स के लिए है जो नींद से उठ कर वुज़ू करे, तो वह ये अमल करे। गोया ये हुक्म ताकीद के तौर पर उनके लिए है जो रात को उठ कर वुज़ू करें, वरना तीन मर्तबा नाक में पानी चढ़ाने और तीन मर्तबा नाक झाड़ने का हुक्म हर वुज़ू करने वाले के लिए हैं। कुछ अइम्मा के ख़्याल में दोनों अहादीस के पेशे नज़र .... ये हुक्म दोनों के लिए है, सो कर उठने वाले के लिए भी और वुज़ू करने वाले के लिए भी। एक तीसरी राय ये भी है कि (فتوضأ) के बग़ैर ये रिवायत सिर्फ़ एक ही रावी की है जब कि दूसरे अक्सर रावी (فتوضأ) के साथ बयान करते हैं, इसलिए ये रिवायत इस इज़ाफ़े के साथ ही राजेह मालूम होती है। इस सूरत में इस हदीस का ये हुक्म सिर्फ़ उन लोगों के लिए होगा जो उठ कर नमाज़ पढ़ना चाहें और उसके लिए वह वुज़ू करें हर बेदार होने वाले के लिए ये हुक्म नहीं होगा कि वह उठ कर तीन मर्तबा नाक झाड़े। **(2)** शैतान के रात गुज़ारने से मुराद यही है कि शैतान सारी रात नाक की जड़ में बसर करता है। मुहद्दिसीन ने भी इन अल्फ़ाज़ को हक़ीक़ते ज़ाहिरी पर महमूल किया है क्योंकि ये उसके लिए जिस्म में दाख़िल होने का वाहिद रास्ता है जिससे वह दिल तक पहुँचता है। और नाक झाड़ने से मक़सूद उसके असरात ख़त्म करना है।

बाब : (74)
नाक किस हाथ मे झाड़े?

باب : (٧٤)
بِأَيِّ الْيَدَيْنِ يَسْتَنْثِرُ

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى فَفَعَلَ هَذَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هَذَا طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ .

(91) हज़रत अली (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि उन्होंने वुज़ू का पानी मंगवाया, फिर उससे कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया और अपने बायें हाथ से झाड़ा। ये काम तीन दफ़ा किया, फिर फ़रमाया: ये है अल्लाह के नबी (ﷺ) का वुज़ू।

(91) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 112, सहीह इब्ने हिब्बान, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 94.

फ़ायदा : नाक झाड़ना ग़लाज़त (गन्दगी) की सफ़ाई है, लिहाज़ा ये बायें हाथ ही से मुनासिब है, बख़िलाफ़ मुँह की सफ़ाई के कि वह दायें हाथ से होनी चाहिए क्योंकि मुँह का मक़ाम बहुत बुलन्द है, नीज़ वह खाने की जगह है, वहाँ बायाँ हाथ मुनासिब नहीं।

باب : (٧٥) غَسْلِ الْوَجْهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ أَتَيْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِهِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ بِهِ الْمَاءَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَيَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ هَذَا .

बाब : (75) चेहरा धोना

(92) हज़रत अब्दे ख़ैर से मन्क़ूल है कि हम हज़रत अली बिन अबू तालिब (ﷺ) के पास आये। आप नमाज़ पढ़ चुके थे। आपने वुज़ू का पानी मंगवाया। हमने कहा: आप इससे क्या करेंगे जबकि आप तो नमाज़ पढ़ चुके हैं? दरअसल आप हमें वुज़ू सिखाना चाहते थे, चुनांचे आपके पास एक पानी का बर्तन और एक थाल लाया गया। आपने बर्तन से हाथ पर पानी डाला और उसे तीन दफ़ा धोया। फिर उसी हथेली से तीन दफ़ा कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया जिससे पानी लेते थे, फिर अपना चेहरा तीन बार धोया, अपना दायाँ बाज़ू तीन दफ़ा धोया और अपना बायाँ बाज़ू तीन दफ़ा धोया और एक बार अपने सर का मसह किया, फिर अपना दायाँ पाँव तीन दफ़ा धोया और बायाँ पाँव भी तीन दफ़ा धोया, फिर फ़रमाया: जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) का वुज़ू जानना पसन्द करता है, वह जान ले कि वह ऐसा था।

(92) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 49, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 77, पीछे की हदीस देखें।

باب : (٧٦) عَدَدُ غَسْلِ الْوَجْهِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ

बाब : (76) चेहरा कितनी दफ़ा धोया जाये?

(93) हज़रत अब्दे ख़ैर से रिवायत है कि हज़रत अली (ﷺ) के पास एक कुर्सी लाई गई, आप उस पर बैठ गये, फिर पानी का एक थाल मंगवाया,

عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّهُ أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَأَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ - وَأَشَارَ شُعْبَةُ مَرَّةً مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ - ثُمَّ قَالَ - لاَ أَدْرِي أَرَدَّهُمَا أَمْ لاَ - وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا طُهُورُهُ . وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ لَيْسَ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ .

आपने अपने हाथों पर तीन दफ़ा पानी उण्डेला, फिर एक ही चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया। ये तीन बार किया। और अपना चेहरा तीन दफ़ा धोया और अपने बाज़ू तीन तीन दफ़ा धोये, फिर कुछ पानी लिया और सर का मसह किया, शोबा ने एक बार पेशानी से लेकर सर के आख़िर तक इशारा किया, फिर कहा: मुझे मालूम नहीं कि फिर (हाथों को) लौटाया था या नहीं। और तीन तीन दफ़ा अपने पाँव धोये, फिर फ़रमाया: जो शख़्स पसन्द करता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का वुज़ू देखे तो वह जान ले कि ये आप का वुज़ू है।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान - नसाई (رحمه الله) लिखते हैं: (सनद में) ये ग़लती है। सही नाम ख़ालिद बिन अ़ल्क़मा है न कि मालिक बिन उ़रफ़ुतह।

(93) **तख़रीज : (सनद सही)** सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 163, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) सनद में हज़रत शोबा ने अपने उस्ताद का नाम मालिक बिन उ़रफ़ुतह ज़िक्र किया है, लेकिन ये उनकी ग़लती हैं मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ है कि उनका नाम ख़ालिद बिन अ़ल्क़मा है। शोबा अगरचे आ़ला पाये के मुहद्दिस हैं मगर ग़लती हर एक से मुम्किन है। साबिक़ा दो अहादीस में ज़ाइद और अबू उ़वाना ने सही नाम बयान किया है, लिहाज़ा इमाम साहब ने वज़ाहत फ़रमा दी। **(2)** (بِكَفٍّ وَاحِدٍ) इसका एक तर्जुमा तो 'एक हथेली से' है, यानी कुल्ली और इस्तिन्शाक़ दोनों दाहिने हाथ से किये। दूसरा तर्जुमा है एक ही चुल्लू से, यानी एक दफ़ा पानी लेकर कुछ हिस्सा मुँह में और कुछ हिस्सा नाक में डाला, और यही दुरुस्त है। इसे वसल कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله) इसकी बाबत लिखते हैं कि कुछ उ़लमा ने अलग अलग पानी लेना बेहतर क़रार दिया है और कुछ ने एक ही चुल्लू से दोनों अ़मल करने को बेहतर क़रार दिया है। इमाम शाफ़ेई(رحمه الله) इसकी बाबत यूँ फ़रमाते हैं कि अगर दोनों काम एक ही चुल्लू से कर लिये जायें तो जायज़ है लेकिन हमें अलग अलग पानी लेना ज़्यादा पसन्द है। देखिये: (जामेअ़

तिर्मिज़ी, हदीस: 28) ताहम हदीस की रू से ज़्यादा बेहतर यही है कि एक ही चुल्लू से कुल्ली की जाये और नाक में पानी डाला जाये क्योंकि एक ही चुल्लू से कुल्ली करने और नाक में पानी डालने वाली रिवायात सनद के लिहाज़ से ज़्यादा क़वी और मुस्तनद हैं। वल्लाहु आलम!

बाब : (77)
बाज़ूओं को धोना

باب : (٧٧)
غَسْلُ الْيَدَيْنِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا دَعَا بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدٍ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَيَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهَذَا وَضُوؤُهُ .

(94) हज़रत अब्दे ख़ैर से रिवायत है कि मैंने हज़रत अली (ﷺ) को देखा, आपने कुर्सी मंगवाई, उस पर बैठे, फिर एक थाल में पानी मंगवाया और अपने हाथ तीन दफ़ा धोये, फिर एक ही हाथ से तीन दफ़ा कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर अपना चेहरा और बाज़ू तीन तीन दफ़ा धोये, फिर अपना हाथ बर्तन में डूबोया और अपने सर का मसह किया, फिर अपने पाँव तीन तीन दफ़ा धोये, फिर फ़रमाया: जो शख़्स अल्लाह के रसूल (ﷺ) का वुज़ू देखना पसन्द करे, तो वह जान ले कि ये आप का वुज़ू है।

(94) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 164, पीछे की हदीस देखें।

बाब : (78)
वुज़ू का बयान

باب : (٧٨)
صِفَةِ الْوُضُوءِ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي شَيْبَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُ قَالَ

(95) हज़रत हुसैन बिन अली (ﷺ) से रिवायत है कि मेरे वालिद हज़रत अली (ﷺ) ने मुझसे वुज़ू का पानी मंगवाया, मैंने पानी आपके क़रीब किया, आपने पहले अपनी हथेलियाँ तीन दफ़ा धोईं, इससे पहले कि उन्हें पानी में दाख़िल करें,

أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيٌّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، قَالَ دَعَانِي أَبِي عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ فَقَرَّبْتُهُ لَهُ فَبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ نَاوِلْنِي فَنَاوَلْتُهُ الإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ لاَ تَعْجَبْ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي صَنَعْتُ يَقُولُ لِوُضُوئِهِ هَذَا وَشُرْبِ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمًا .

फिर आपने तीन बार कुल्ली की और तीन बार नाक साफ़ किया फिर चेहरा तीन मर्तबा धोया, फिर दायें हाथ को कुहनी समेत तीन दफ़ा धोया, फिर बायें को इसी तरह धोया, फिर अपने सर का एक दफ़ा मसह किया, फिर दायाँ पाँव टख़नों समेत तीन दफ़ा धोया, फिर इसी तरह बायाँ धोया, फिर सीधे खड़े हो गये और फ़रमाया: मुझे बर्तन पकड़ाओ। मैंने आपको बर्तन पकड़ाया जिसमें आपके वुज़ू से बचा हुआ पानी था। आपने वह खड़े खड़े पिया। मुझे ताज्जुब हुआ। जब आपने मुझे देखा, तो फ़रमाया: ताज्जुब न कर, क्योंकि मैंने तेरे नाना नबी-ए-अकरम (ﷺ) को देखा कि आप इसी तरह करते थे जिस तरह तूने मुझे करते देखा है। आप (हज़रत अली) का इशारा वुज़ू और खड़े होकर वुज़ू का पानी पीने की तरफ़ था।

(95) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 117, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 100.

باب: (٧٩)
عَدَدُ غَسْلِ الْيَدَيْنِ

बाब : (79)
बाज़ू कितनी दफ़ा धोये जायें?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، - وَهُوَ ابْنُ قَيْسٍ - قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى

(96) हज़रत अबू हय्या बिन क़ैस से रिवायत है कि मैंने हज़रत अली (ﷺ) को देखा कि आपने वुज़ू का आग़ाज़ किया, तो अपनी हथेलियों को धोया यहाँ तक कि उन्हें अच्छी तरह साफ़ किया, फिर तीन दफ़ा कुल्ली की और फिर तीन मर्तबा

أَنْقَاهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُورِهِ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ طَهُورُ النَّبِيِّ ﷺ.

नाक में पानी चढ़ाया, तीन मर्तबा अपना चेहरा धोया और तीन तीन दफ़ा अपने बाज़ू धोये, फिर अपने सर का मसह किया, फिर टख़नों समेत अपने पाँव धोये, फिर खड़े हुए और अपने वुज़ू से बचा हुआ पानी लिया और खड़े खड़े पिया, फिर फ़रमाया: मैंने अच्छा समझा कि तुम्हें दिखाऊं कि नबी (ﷺ) का वुज़ू कैसा था?

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 116, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 101, सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 48.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'वुज़ू का पानी खड़े होकर पिया' कुछ अहले इल्म वुज़ू वग़ैरह का बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना मसनून समझते हैं जबकि कुछ उलमा समझते हैं कि खड़े होकर पीना सिर्फ़ बयाने जवाज़ के लिए था, इसे आदत न बनाया जाये। और जिन अहादीस में खड़े होकर पानी पीने से सख़्ती से रोका गया है तो वह इस नह्य (मुमानिअत) को तन्ज़ीहा (अपने आपको रोकने) पर महमूल करते हैं, यानी बेहतर है कि बैठ कर पिया जाये लेकिन अगर कभी कभार खड़े खड़े भी पानी पी लिया जाये तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ये भी जायज़ है जैसा कि मज़कूरा हदीस से साबित होता है। बयाने जवाज़ से इनकी यही मुराद है। **(2)** हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इस मसले में वारिद मुख़्तलिफ़ मुतआरिज़ (एक दूसरे के बरख़िलाफ़) अहादीस का जायज़ा लेते हुए फ़रमाते हैं: 'दुरुस्त बात ये है कि इन अहादीस में मौजूद मुमानिअत तन्ज़ीहा पर महमूल है और रसूलुल्लाह (ﷺ) का खड़े होकर पानी पीना बयाने जवाज़ के लिए था।' (फ़तहुलबारी: 10/104, हदीस: 5617) वल्लाहु आलम!

بَاب: (٨٠) حَدِّ الْغَسْلِ

बाब : (80) हाथ कहाँ तक धोये जायें?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،

(97) हज़रत अम्र बिन यहया माज़िनी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम (رضي الله عنه), जो नबी (ﷺ) के सहाबी और अम्र बिन यहया के नाना थे, से गुज़ारिश की: क्या आप मुझे दिखा सकते

أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वुज़ू कैसे फ़रमाया करते थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) ने कहा: हाँ, फिर उन्होंने वुज़ू का पानी मंगवाया और अपने हाथ पर डाला और दोनों हाथ दो दो मर्तबा धोये, फिर तीन दफ़ा कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर तीन दफ़ा अपना चेहरा धोया, फिर अपने दोनों बाज़ू दो दो मर्तबा कुहनियों समेत धोये, फिर दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया कि दोनों हाथों को आगे पीछे लाये, मसह की शुरुआत सर के अगले हिस्से से की, फिर हाथों को अपनी गुद्दी की तरफ़ ले गये, फिर वापस लाये यहाँ तक कि उस जगह पहुँच गये जहाँ से मसह की इब्तिदा की थी, फिर अपने दोनों पाँव धोये।

(97) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 185, मुस्लिम, हदीस: 235, मौत्ता: 1/18.

फ़ायदा : इस हदीस से पता चला कि अगरचे 'أقبل وأدبر' का मफ़हूम मुशतरक (अलग-अलग) है, यानी अक़बला से मुराद पीछे से आगे की तरफ़ आना और अद्बरा का मफ़हूम सर के अगले हिस्से से पीछे गुद्दी की तरफ़ हाथों को ले जाना है। लेकिन हदीस में मौजूद तफ़्सील (بدأ بمقدم رأسه) से दूसरे मफ़हूम की ताईद होती है, यानी यहाँ (أقبل) से मुराद सर के अगले हिस्से से गुद्दी की तरफ़ दोनों हाथों का ले जाना है और (وأدبر) से मुराद पीछे से हाथों को अगली जानिब लाना है। नबी ए-अकरम (ﷺ) के सर के मसह का उमूमी तरीक़ा यही था। वल्लाहु आलम!

باب : (٨١) صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ

बाब : (81) सर के मसह का तरीक़ा

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، - هُوَ ابْنُ أَنَسٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ

(98) हज़रत यहया माज़िनी से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम (رضی اللہ عنہ) से गुज़ारिश की और आप अम्र बिन यहया के नाना थे: क्या आप मुझे दिखा सकते हैं

- وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى - هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वुज़ू कैसे फ़रमाया करते थे? हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा: हाँ। फिर आपने वुज़ू का पानी मंगवाया और अपने दाएँ हाथ पर डाला और दोनों हाथ दो दो मर्तबा धोये, फिर तीन दफ़ा कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर तीन दफ़ा अपना चेहरा धोया, फिर अपने दोनों बाज़ू दो दो मर्तबा कुहनियों समेत धोये। फिर दोनों हाथों से अपने सर का मसह किया इस तरह कि दोनों हाथ आगे पीछे लाये, मसह की इब्तिदा सर के अगले हिस्से से की, फिर हाथों को अपनी गुद्दी की तरफ़ ले गये, फिर वापस लाये यहाँ तक कि उस जगह पहुँच गये जहाँ से मसह की इब्तिदा की थी, फिर अपने दोनों पाँव धोये।

(98) **तख़रीज : (सनद सही)** सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 103, मोत्ता: 1/18.

फ़ायदा : इस हदीस में सर के मसह का तफ़्सीली ज़िक्र है कि पूरे सर का मसह किया जायेगा। आपके वुज़ू की हर हदीस में पूरे सर के मसह ही का ज़िक्र है, इसी लिए इमाम मालिक (رحمه الله) ने पूरे सर का मसह फ़र्ज़ क़रार दिया है और यही सही है। अहनाफ़ ने चौथाई सर (किसी भी जानिब) के मसह को काफ़ी कहा है मगर दलाइल की रू से ये मौक़फ़ कमज़ोर है। इसी तरह इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का ख़्याल कि 'चंद बालों पर भी मसह हो जाये तो काफ़ी है।' लेकिन अहनाफ़ और शवाफ़ेअ का मौक़फ़ इन सहीह अहादीस के मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं रखता, लिहाज़ा मुकम्मल सर का मसह करना ज़रूरी है। वल्लाहु आलम!

बाब : (82) सर के मसह की तादाद

باب : (٨٢) عَدَدُ مَسْحِ الرَّؤُسِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، - الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ -

(99) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضي الله عنه) .... जिन्हें ख़्वाब में अज़ान सुनाई गई थी ..... मन्क़ूल है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को वुज़ू करते देखा, चुनांचे आपने अपना चेहरा तीन

قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ .

दफ़ा धोया और दोनों बाज़ू दो दफ़ा धोये। पाँव को भी दो मर्तबा धोया और अपने सर का मसह दो दफ़ा किया।

(99) तख़रीज : **(सनद सही)** सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 171, तोहफ़तुल अशराफ़ 4/343.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़्वाब में अज़ान सुनाये जाने की तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी। वैसे ये अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद अज़ान वाले नहीं जिन्हें अज़ान सुनाई गई थी, वह अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अ़ब्दे रब्बा हैं और ये अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आ़सिम हैं। यहाँ पर (रावी-ए-हदीस) सुफ़ियान बिन उ़यैना (رحمه الله) से ग़लती हुई है। इसकी वज़ाहत ख़ुद इमाम नसाई (رحمه الله) ने अपनी सुनन में और इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने अपनी सहीह में फ़रमाई है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 1506, व सहीह बुख़ारी, हदीस: 1012) **(2)** 'सर का मसह दो दफ़ा किया।' इससे मुराद एक दफ़ा दोनों हाथों को आगे से शुरू करके गुद्दी तक ले जाना और दूसरी दफ़ा पीछे से इसी तरह आगे लाना है। इसे दो दफ़ा कहें या एक दफ़ा, कोई फ़र्क़ नहीं क्योंकि हाथों को पानी एक दफ़ा ही लगाया जाता है, इसलिए इसे आ़म तौर पर एक दफ़ा ही कहा जाता है और यही मुकम्मल मसह है। **(3)** हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने पूरी हदीस को सही क़रार दिया है जबकि शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस हदीस के तुर्क़ का बड़ी बारीक बीनी से जायज़ा लेकर हदीस में वारिद अल्फ़ाज: 'पाँव दो दफ़ा धोये और अपने सर का मसह दो दफ़ा किया।' को सुफ़ियान बिन उ़यैना का शदीद वहम क़रार दिया है क्योंकि वह इन अल्फ़ाज़ के बयान करने में सख़्त इज़्तिराब (बेचैनी) का शिकार थे, इसलिए शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने मज़कूरा अल्फ़ाज़ के साथ रिवायत को शाज़ क़रार दिया है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 109)

بَاب : (٨٣) مَسْحُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

बाब : (83) औरत भी अपने (पूरे) सर का मसह करे

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ

(100) हज़रत अबू अ़ब्दुल्लाह सालिम सब्लान हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत करते हैं .... और हज़रत आयशा (رضي الله عنها) उनकी अमानत दारी से बहुत ख़ुश थीं और उनसे उजरत पर काम करवाया करती थीं ... वह कहते हैं कि मुझे

أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، سَالِمٌ سَبَلَانُ قَالَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَعْجِبُ بِأَمَانَتِهِ وَتَسْتَأْجِرُهُ فَأَرَتْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَتْ وَاسْتَنْثَرَتْ ثَلَاثًا وَغَسَلَتْ وَجْهَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا وَوَضَعَتْ يَدَهَا فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا ثُمَّ مَسَحَتْ رَأْسَهَا مَسْحَةً وَاحِدَةً إِلَى مُؤَخَّرِهِ ثُمَّ أَمَرَّتْ يَدَيْهَا بِأُذُنَيْهَا ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْخَدَّيْنِ قَالَ سَالِمٌ كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا مَا تَخْتَفِي مِنِّي فَتَجْلِسُ بَيْنَ يَدَيَّ وَتَتَحَدَّثُ مَعِي حَتَّى جِئْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقُلْتُ ادْعِي لِي بِالْبَرَكَةِ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَتْ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ أَعْتَقَنِي اللَّهُ . قَالَتْ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . وَأَرْخَتِ الْحِجَابَ دُونِي فَلَمْ أَرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

हज़रत आयशा (ﷺ) ने दिखलाया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) कैसे वुज़ू फ़रमाया करते थे। उन्होंने तीन दफ़ा कुल्ली की और नाक झाड़ा और अपना चेहरा तीन दफ़ा धोया, फिर अपना दायाँ और बायाँ हाथ (बाज़ू) तीन तीन दफ़ा धोया, फिर हज़रत आयशा ने अपना हाथ सर के अगले हिस्से पर रखा और पीछे तक पूरे सर का एक दफ़ा मसह किया, फिर उन्होंने अपने हाथ अपने कानों पर फेरे, फिर रुख़सारों पर फेरे।

सालिम ने कहा: मैं जब मुकातब था तो आपके पास आया करता था, वह मुझसे पर्दा नहीं करती थीं बल्कि मेरे सामने बैठ कर मुझसे बातें किया करती थीं यहाँ तक कि मैं एक दिन उनके पास आया और मैंने कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मेरे लिए बरकत की दुआ फ़रमाये। वह कहने लगीं: क्या बात है? मैंने कहा: अल्लाह तआला ने मुझे आज़ाद फ़रमा दिया है। वह कहने लगीं: अल्लाह तआला तुम्हारे लिए बरकत फ़रमाये। इसके बाद पर्दा लटका लिया और उस दिन के बाद मैंने उन्हें नहीं देखा।

(100) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 104, अबी दाऊद, हदीस: 3928, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1214.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रावी का नाम सालिम, सबलान इन का लक़ब और अबू अ़ब्दुल्लाह इनकी कुन्नियत है। ये गुलाम थे, बाद में आज़ाद हुए। **(2)** (مُكَاتَب) उस गुलाम को कहा जाता है जो अपना मुआवज़ा अदा करने का मुआहिदा अपने मालिक से कर ले। ऐसा गुलाम जब तक मुआवज़ा अदा न कर दे, वह उस मालिक का गुलाम ही रहता है। चूंकि गुलामों से पर्दा ज़रूरी नहीं, इसलिए हज़रत आयशा (ﷺ) का सालिम से बेहिजाब बात करना क़ाबिले ऐतराज़ नहीं (इसी तरह लौण्डियों पर भी पर्दा वाजिब नहीं) ज्यूंही सालिम आज़ाद हुआ, आपने उनसे फ़ोरन पर्दा कर लिया। **(3)** मज़कूरा

रिवायत काबिले हुज्ज़त है अगरचे ऊमूमी रिवायात में मसह का ये तरीक़ा मन्कूल नहीं, लेकिन चूंकि ये तरीक़ा भी मुस्तनद ज़रिये से साबित है, इसलिए इंसान कभी कभार इस सुन्नते मसह को भी इख़्तियार कर सकता है। **(4)** इमाम नसाई (رحمه الله) की बाब बन्दी से यूँ लगता है कि वह इस अन्दाज़े मसह को सिर्फ़ औरत के साथ ख़ास समझते हैं लेकिन साइल के सवाल और उसके जवाब में हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का वुज़ू करके दिखाना और फिर इस मसह के तरीक़े की निस्बत नबी-ए अकरम(ﷺ) की तरफ़ करना इस बात की दलील है कि ये तरीक़ा मर्द व औरत सब के लिए यकसाँ क़ाबिले अमल हैं औरत की तख़सीस मरजूह है। वल्लाहु आलम!

बाब : (84)
कानों का मसह करना

باب : (٨٤)
مَسْحُ الأُذُنَيْنِ

(101) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को वुज़ू करते देखा, चुनांचे आपने हाथ धोये, फिर आपने एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया और एक बार अपना चेहरा धोया और अपने दोनों बाज़ू एक एक दफ़ा धोये और अपने सर और दोनों कानों का एक दफ़ा मसह किया।

(रावी-ए-हदीस) अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं: मुझे इब्ने अज्लान से सुनने वाले ने ख़बर दी कि इस हदीस में ये अल्फ़ाज़ भी हैं: 'और अपने दोनों पाँव धोये।'

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً . قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَجْلاَنَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .

(101) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 137, तिर्मिज़ी: 36, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 14.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) 'एक चुल्लू से' इससे वसल (ख़ूब मिलाना) साबित होता है जो कि मसनून है, अगरचे अहनाफ़ इसे सुन्नत नहीं समझते। जिसकी तफ़्सील हदीस: 93 के फ़वाइद में गुज़र चुकी है। **(2)** इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि अगर आज़ा-ए-वुज़ू को एक एक मर्तबा धोया जाये तो भी वुज़ू मुकम्मल है।

बाब : (85) कानों का मसह सर के साथ करना और इस बात की दलील कि कान सर का हुक्म रखते हैं

باب : (٨٥) مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ مَعَ الرَّأْسِ وَمَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُمَا مِنَ الرَّأْسِ

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ بَاطِنِهِمَا بِالسَّبَّاحَتَيْنِ وَظَاهِرِهِمَا بِإِبْهَامَيْهِ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى .

(102) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने वुज़ू फ़रमाया, चुनांचे एक चुल्लू पानी लिया, उससे कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे अपना चेहरा धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे अपना दायाँ हाथ धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे बायाँ हाथ धोया, फिर अपने सर और कानों का मसह किया। कानों के अन्दरूनी जानिब का मसह शहादत की उंगलियों से और बैरूनी जानिब का अंगूठों से किया। फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे दायाँ पाँव धोया, फिर एक चुल्लू पानी लिया और उससे बायाँ पाँव धोया।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 36, इब्ने माजा, हदीस: 439, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 105.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَتَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا اسْتَنْثَرَ

(103) हज़रत अब्दुल्लाह सुनाबिही (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब मोमिन बन्दा वुज़ू करते हुए कुल्ली करता है तो उसके मुँह की ग़लतियाँ उसके मुँह से निकल जाती हैं, फिर जब वह नाक झाड़ता है तो नाक की ग़लतियाँ नाक से निकल जाती हैं, फिर जब वह मुँह धोता है तो चेहरे की ग़लतियाँ चेहरे से यहाँ तक कि आँखों की पलकों से निकल जाती हैं, फिर जब वह

अपने हाथ धोता है तो हाथों की ग़लतियाँ उसके हाथों से यहाँ तक कि हाथों के नाखुनों के नीचे से निकल जाती हैं, फिर जब वह अपने सर का मसह करता है तो उसके सर की ग़लतियाँ सर से यहाँ तक कि उसके कानों से निकल जाती हैं, फिर जब वह अपने पाँव धोता है तो उसके पाँव की ग़लतियाँ पाँव से यहाँ तक कि पाँव के नाख़ूनों के नीचे से निकल जाती हैं, फिर उसका मस्जिद की तरफ़ चलना और उसकी नमाज़ (इन दो कामों का सवाब) उसके लिए ज़्यादा होते हैं।

कुतैबा ने यूँ बयान किया

(عَنِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) यानी सुनाबिही से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया।

خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ يَدَيْهِ فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلاَتُهُ نَافِلَةً لَهُ " . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ .

(103) तख़रीज : (सनद हसन) मोत्ता: 1/31, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 106.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहब का आख़िरी जुम्ले (قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ) से मक़सूद ये है कि इस रिवायत में मेरे दो उस्ताद में से एक, यानी उत्बा बिन अब्दुल्लाह ने (أَنَّ رَسُولَ اللهِ) कहा जब कि दूसरे उस्ताद कुतैबा ने (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) कहा, अगरचे इस लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का सनद या मतन हदीस पर ज़र्रा भर भी असर नहीं पड़ता मगर मुहद्दिसीन का ये कमाल हिफ़्ज़ व ज़ब्त है कि वह अपने उस्ताद के मामूली से इख़्तिलाफ़ को भी नज़र अन्दाज़ नहीं करते इससे उनकी दयानत दारी का अन्दाज़ा हो सकता है। رحمهم الله رحمة واسعة **(2)** 'ग़लतियाँ निकल जाती हैं।' इससे मुराद ग़लतियों के असरात हैं क्योंकि गुनाहों के असरात मुताल्लक़ा आज़ा में जा गुज़ीन हो (मिल) जाते हैं। वुज़ू के साथ जिस तरह जिस्म ज़ाहिरी नजासत और मेल कुचैल से पाक हो जाता है, उसी तरह आज़ा-ए-वुज़ू गुनाहों के असरात से पाक हो जाते हैं। नतीज़तन जिस्म ज़ाहिरी और मानवी तौर पर, यानी मेल कुचैल और गुनाहों दोनों से साफ़ हो जाता है। **(3)** इस हदीस में सर और कानों का मसह इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। हक़ीक़तन भी कानों का मसह अलग नहीं होता बल्कि सर वाले पानी ही से कानों का मसह किया जाता है। अगरचे इमाम

शाफ़ेई (ﷺ) कानों के लिए अलग पानी लेने के क़ाइल हैं मगर ये सही हदीस़ के ख़िलाफ़ है। गोया कान सर ही में दाख़िल हैं। इस मफ़हूम की एक स़रीह रिवायत भी मौजूद है। (الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ) 'कान सर में शामिल हैं।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 134, व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 443) कुछ लोग इस बात के क़ाइल हैं कि कानों का सामने वाला हिस्सा मुँह में दाख़िल है, लिहाज़ा इसे मुँह के साथ धोया जाये और पिछला हिस्सा सर में दाख़िल है, लिहाज़ा इसका सर के साथ मसह किया जाये। इसी तरह कुछ लोग कानों को चेहरे की तरह धोने के क़ाइल हैं मगर उनकी बुनियाद क़यास पर है। स़ही व स़रीह अहादीस़ के मुक़ाबले में क़यास की कोई हैसियत नहीं बल्कि वह मज़मूम है। **(4)** जिस दलील की तरफ़ इमाम स़ाहब ने बाब में इशारा फ़रमाया है, वह ये लफ़्ज़ है: (خَرَجَتِ الْخَطَايَامِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ) इन्हीं अल्फ़ाज़ में सर की ग़लतियों का कानों से निकलना बताया गया है। मालूम हुआ कानों का हुक्म सर वाला है, यानी मसह। **(5)** (نَافِلَةً) यानी रिफ़अ़े दर्जात का सबब बन जायेंगे।

बाब : (86) पगड़ी पर मसह करने का बयान

باب : (٨٦) الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ .

(104) हज़रत बिलाल (ؓ) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) को मोज़ों और पगड़ी पर मसह करते देखा।

(104) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 275, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 123, 124.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (الخمار) से मुराद सर ढाँपने वाली चीज़ है, यहाँ मुराद पगड़ी और इमामा है। आम ओढ़नी मुराद नहीं है। **(2)** स़िर्फ़ पगड़ी पर मसह मुख़्तलिफ़ फ़ीह मसला है। इस हदीस़ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि स़िर्फ़ पगड़ी पर भी मसह हो सकता है। इसके इंकार के कोई मानी नहीं हैं। रही अहनाफ़ की ये बात की स़िर्फ़ पगड़ी पर मसह की रिवायत को पेशानी समेत पगड़ी पर मसह की रिवायत पर महमूल किया जाये तो ये तत्बीक़ उस वक़्त मुम्किन हो सकती है जब रावी-ए-क़िस्सा एक ही स़हाबी होता, लेकिन इस सूरत में भी दुरुस्त राय यही है कि ये बईद नहीं कि स़हाबी ने दो

मुख़्तलिफ़ हालात का मुशाहिदा किया हो, फिर उन्हें इसी तरह बयान कर दिया हो, कभी इस तरह और कभी उस तरह जैसा कि कुसूफ़े शम्स वग़ैरह की बाबत मरवी है जबकि यहाँ तो दोनों क़िस्म के मसहों का तज़किरा करने वाले सहाबा भी मुख़्तलिफ़ हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि ये दोनों तरीक़े नबी-ए-अकरम (ﷺ) से साबित हैं और सहाबा ने दोनों तरीक़ों का मुशाहिदा किया है। इसके अलावा जैसा हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा की रिवायत के पेशे नज़र पेशानी समेत पगड़ी पर मसह करना जायज़ है उसी तरह हज़रत बिलाल (ﷺ) से मरवी हदीस से सिर्फ़ पगड़ी पर मसह करना भी जायज़ है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़सील के लिए देखिये: (इब्ने हज़्म: 2/58)

وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

(105) हज़रत बिलाल (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) को मोज़ों पर मसह करते देखा है।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद, हदीस: 6/15.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفَّيْنِ .

(106) हज़रत बिलाल (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पगड़ी और मोज़ों पर मसह करते देखा है।

(106) तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद, हदीस: 6/13, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 125, 104.

باب : (٨٧)
الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ مَعَ النَّاصِيَةِ

बाब : (87)
पगड़ी पर पेशानी समेत मसह का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ

(107) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने वुज़ू किया और आपने अपनी पेशानी, पगड़ी और मोज़ों पर मसह फ़रमाया।

، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ وَعِمَامَتَهُ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ .

(रावी-ए-हदीस़) बक्र ने कहा: तहक़ीक़ मैंने ये हदीस़ बराहेरास्त हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) के बेटे से भी सुनी है।

(107) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 274/83, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 107.

फ़ायदा : इस हदीस़ की सनद में रावी बक्र बिन अ़ब्दुल्लाह मुज़नी ने अपने उस्ताद हज़रत हसन बस़री बयान किये हैं जिससे मालूम होता है कि ये रिवायत उन्होंने ख़ुद इब्ने मुग़ीरह से नहीं सुनी, इसलिए वज़ाहत कर दी कि मैंने पहले ये रिवायत हज़रत हसन बस़री के वास्ते से सुनी थी, फिर बराहेरास्त इब्ने मुग़ीरा से भी सुनी, इसलिए दोनों तरह बयान कर दी। क़ुर्बान जायें मुहद्दिस़ीन की इस दयानत और अमानत पर। رحمهم الله رحمة واسعة

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ " أَمَعَكَ مَاءٌ " . فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ .

(108) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से मरवी है कि (एक सफ़र में) अल्लाह के रसूल (ﷺ) (लोगों से) पीछे रह गये। मैं भी आपके साथ रहा। जब आप क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: 'क्या तेरे पास पानी है?' चुनांचे मैं आपके पास लोटा लाया तो आपने अपनी हथेलियाँ धोईं और चेहरा धोया, फिर अपने बाज़ूओं से कपड़ा हटाने लगे मगर जुब्बे की आस्तीन तंग थी तो आपने जुब्बे को कंधों पर डाल लिया, फिर अपने बाज़ू धोये और अपनी पेशानी, पगड़ी और मोज़ों पर मसह फ़रमाया।

(108) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 108, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : 'आपने जुब्बे को कंधों पर डाल लिया।' जुब्बा तो आपने पहले से पहना हुआ था। इस जुम्ले का मतलब ये है कि आस्तीनें तंग होने की वजह से आपने बाज़ू नीचे से निकाल लिये। अब जुब्बा सिर्फ़ कंधों पर रह गया और आस्तीनें बाज़ूओं से ख़ाली हो गईं। इमाम स़ाहब ने यहाँ मुख़्तसर हदीस़ बयान की है, मुकम्मल हदीस़ फ़वाइद के साथ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस़: 82.

बाब : (88)
इमामे (पगड़ी) पर मसह कैसे किया जाये?

باب : (٨٨)
كَيْفَ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ

(109) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) बयान करते हैं कि दो बातें ऐसी हैं जिनकी बाबत मैं कभी किसी से नहीं पूछूँगा, जब कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से उनका ख़ुद मुशाहिदा किया है। एक तो ये कि हम आपके साथ एक सफ़र में थे तो आप क़ज़ा-ए-हाजत के लिए गये, फिर वापस तशरीफ़ लाकर वुज़ू किया और अपनी पेशानी और पगड़ी के दोनों तरफ़ का मसह फ़रमाया और अपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया उन्होंने कहा: (दूसरी बात) इमाम का अपनी रइयत (जनता) में से किसी आदमी के पीछे (उसकी इक़्तिदा में) नमाज़ पढ़ना। तो मैंने उसका भी अल्लाह के रसूल (ﷺ) से मुशाहिदा किया (देखा)। आप एक सफ़र में थे कि नमाज़ का वक़्त हो गया और नबी (ﷺ) को (क़ज़ा-ए-हाजत से वापसी में) देर हो गई। सहाबा ने जमाअत खड़ी कर ली और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) को आगे कर लिया। उन्होंने नमाज़ पढ़ाई। (इस दौरान में) अल्लाह के रसूल (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आये और आपने इब्ने औफ़ (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। जब अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने सलाम फेरा तो नबी(ﷺ) उठे और बक़िया नमाज़ अदा की।

(109) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 1645, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 112, मुसनद अहमद: 4/244, 249, मुस्लिम, हदीस: 274.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ خَصْلَتَانِ لاَ أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا بَعْدَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَبَرَزَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَجَانِبَىْ عِمَامَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالَ وَصَلاَةُ الإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ فَشَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَقَدَّمُوا ابْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى خَلْفَ ابْنِ عَوْفٍ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوْفٍ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى مَا سُبِقَ بِهِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी-ए-अकरम (ﷺ) से सर के मसह के मुताल्लिक़ तीन क़िस्म की अहादीस़ स़ाबित हैं। इनमें से एक ये हदीस़ है जिसमें पेशानी के साथ पगड़ी पर मसह करने की भी वज़ाहत है, जिससे पता चला कि ये कैफ़ियत नबी (ﷺ) से स़ाबित है और यही इमाम नसाई (رحمه الله) की ग़र्ज़ मालूम होती है। सिर्फ़ पेशानी और उसके बक़द्र सर का मसह करना मशरूअ नहीं है अगरचे इस रिवायत से अहनाफ़ ने दलील ली है कि सिर्फ़ पेशानी पर या पेशानी के बक़द्र (सर का चौथाई हिस्सा) मसह फ़र्ज़ है, हालांकि अगर ऐसा होता तो फिर आप (ﷺ) को पगड़ी पर मसह करने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा तरीक़ा ये है कि सिर्फ़ पगड़ी पर मसह कर लिया जाये, और ये जायज़ है जैसा कि इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) ने ज़ादुल मआद: (1/194) में ज़िक्र किया है। और गुज़िश्ता हदीस़ (नम्बर: 104) के फ़वाइद में वज़ाहत की गई है। और तीसरा पूरे सर के मसह करना जबकि सर पर पगड़ी न हो। ये तीनों तरीक़े नबी-ए-अकरम (ﷺ) से स़ाबित हैं। (2) इससे ये भी पता चला कि मुक़्तदी इमाम को जिस हाल में पाये, इमाम के साथ मिल जाये और जो नमाज़ गुज़र चुकी हो, वह इमाम के सलाम फेरने के बाद अदा करे। (3) जब इमाम रातिब (मुक़र्ररह इमाम) किसी बिना पर अव्वल वक़्त से देर कर दे तो कोई दूसरा आदमी उसकी जगह नमाज़ पढ़ा सकता है।

बाब : (89)
पाँव को धोना वाजिब है

بَابُ : (٨٩)
إِيجَابِ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

(110) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि अबुल क़ासिम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस ऐड़ी के लिए (जो ख़ुश्क रह जाये) वैल, यानी आग है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 165, मुस्लिम, हदीस़: 242/29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 113.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ " وَيْلٌ لِلْعَقِبِ مِنَ النَّارِ".

(111) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को वुज़ू करते देखा। आपने देखा कि उनकी ऐड़ियाँ ख़ुश्क हैं तो आपने फ़रमाया: 'इन ऐड़ियों के लिए आग की तबाही है, वुज़ू अच्छी तरह किया करो।'

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ

هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ "

(111) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 241, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 114.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) इस बाब के तहत ये अहादीस लाकर साबित करना चाहते हैं कि वुज़ू में पाँव धोना वाजिब है क्योंकि अगर पाँव पर मसह का हुक्म होता और उसे धोना वाजिब न होता तो आप (ﷺ) ऐड़ियों के ख़ुश्क रह जाने पर इस क़द्र सख़्त वईद न सुनाते। जब सिर्फ़ ऐड़ियों के ख़ुश्क रह जाने पर इस क़द्र सख़्त वईद है तो पूरा पाँव न धोना और सिर्फ़ मसह पर काफ़ी करना किस तरह दुरुस्त हो सकता है, अलबत्ता वुज़ू करने के बाद पहनी हुई जुराबों और मोज़ों पर मसह की इजाज़त रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित है: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 182, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 274, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस:99) **(2)**(वैलुल्लिल अअ़क़ाब... आखिर तक) बद्दुआ भी हो सकती है और ख़बर भी।

باب : (٩٠)
بِأَيِّ الرِّجْلَيْنِ يَبْدَأُ بِالْغَسْلِ؟

बाब : (90)
किस पाँव को पहले धोये?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - وَذَكَرَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَنَعْلِهِ وَتَرَجُّلِهِ . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَمِعْتُ الأَشْعَثَ بِوَاسِطٍ يَقُولُ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فَذَكَرَ شَأْنَهُ كُلَّهُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بِالْكُوفَةِ يَقُولُ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ .

(112) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जहाँ तक मुम्किन होता वुज़ू फ़रमाने, जूता पहनने, और कंघी करने में दायीं तरफ़ से शुरू करना पसन्द फ़रमाते। शोबा कहते हैं: मैंने अशअस को वासित (अरब के शहर का नाम) में कहते हुए सुना कि नबी (ﷺ) तमाम उमूर में दायीं तरफ़ पसन्द करते थे। फिर मैंने उन्हें कूफ़ा में कहते हुए सुना कि आप हस्बे इस्तिताअत दायीं जानिब पसन्द करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 168, मुस्लिम, हदीस: 268, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 116.

बयान हुआ है, उसकी बाबत दुरुस्त राय ये मालूम होती है कि दोनों हाथों से पाँव धोना जायज़ है क्योंकि इसकी मुमानिअत की कोई दलील नहीं है, अलबत्ता मुस्तहब और औला यही है कि पाँव को बायें हाथ से धोया जाये क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर अच्छा अमल दाएँ हाथ से या दायीं तरफ़ से किया करते थे और इसके अलावा कोई भी काम बायीं तरफ़ से बाएँ हाथ से किया करते थे, नीज़ पाँव को धोने से मक़सूद उमूमन मेल कुचैल दूर करना है जिसे बाएँ हाथ ही से दूर करना बेहतर और मुस्तहब मालूम होता है, अलबत्ता दोनों हाथों से धोना भी जायज़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (92) ऊँगलियों के ख़िलाल का हुक्म

باب : (۹۲) اَلْأَمْرُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ

(114) हज़रत लक़ीत बिन सब्रा (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तू वुज़ू करे तो अच्छी तरह वुज़ू कर और ऊँगलियों के दरम्यान ख़िलाल कर।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، وَكَانَ، يُكْنَى أَبَا هَاشِمٍ ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطٍ ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ " .

(114) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 117, अबू दाऊद, हदीस: 142.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़िलाल से मुराद ये है कि पाँव की ऊँगलियों के दरम्यान हाथ की छोटी ऊँगली (छंगलिया) दाख़िल करके ऐसी जगह पानी पहुँचने को यक़ीनी बनाये जहाँ पानी न पहुँचने का इम्कान हो। **(2)** ख़िलाल हाथ की ऊँगलियों में भी करना चाहिए। इसी तरह दाढ़ी का ख़िलाल भी मसनून है। अगरचे दाढ़ी के अंदर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके बालों को तर करना मसनून है। ग़र्ज़ ये कि आज़ा-ए-वुज़ू की जिस जगह भी पानी लगने का इम्कान न हो वहाँ कोशिश से पानी पहुँचाया जाये क्योंकि एक तो ये अस्बाग़ अलवुज़ू से है और दूसरा गुनाहों के ख़ात्मे का सबब भी।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि हदीस़ में दोनों लफ़्ज़ हैं एक का ज़िक्र एक मौक़े पर हो गया और दूसरे का दूसरे मौक़े पर, ये दोनों अल्फ़ाज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि नतीजा एक ही है। **(2)** दीगर पसन्दीदा कामों की तरह वुज़ू में भी धोये जाने वाले आज़ा में दायीं जानिब से शुरू करना मुस्तहब है। अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में नेक और जन्नती लोगों के लिए 'दायीं तरफ़ वाले' (अल वाक़िया: 56/27) का लक़ब पसन्द फ़रमाया है। क़ुदरती तौर पर उमूमन दायीं जानिब में बायीं से ज़्यादा क़ुव्वत होती है। इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: शरीयत का ये मुसल्लमा उसूल (माना हुआ उसूल) है कि पसन्दीदा और अच्छे कामों में दायीं जानिब से इब्तिदा करना मुस्तहब है, जैसे: लिबास पहनना, मस्जिद में दाख़िल होना, कंघी करना और नमाज़ में सलाम फेरना वग़ैरह और जो काम इसके बरअक्स (बरख़िलाफ़) हैं, उन्हें बायीं जानिब से शुरू करना मुस्तहब है, जैसे: बैतुल ख़ला में जाना, मस्जिद से निकलना और लिबास उतारना वग़ैरह। देखिये: (शरह मुस्लिम लिन्नववी: 3/205, हदीस़: 268)

बाब : (91)
पाँव को दोनों हाथों से धोना

باب : (٩١)
غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ بِالْيَدَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، - يَعْنِي عُمَارَةَ - قَالَ حَدَّثَنِي الْقَيْسِيُّ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَأُتِيَ بِمَاءٍ فَقَالَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّةً وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِيَمِينِهِ كِلْتَيْهِمَا .

(113) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू क़ुराद क़ैसी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। आपके पास कुछ पानी लाया गया तो आपने बर्तन से अपने हाथों पर पानी डाला और उन्हें एक दफ़ा धोया, फिर अपने चेहरे और दोनों बाज़ूओं को एक एक दफ़ा धोया। और अपने दोनों पाँव अपने दोनों हाथों से धोये।

(113) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस़: 5/368, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 16.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने मज़कूरा रिवायत को सनदन सही क़रार दिया है, हालांकि इसकी सनद में उमारह बिन उस्मान बिन हुनैफ़ रावी मज्हूल है। शैख़ अलबानी (رحمه الله) ने भी इसे सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है। दलाईल की रू से उन्हीं की राय दुरुस्त मालूम होती है। तफ़्सील के लिए देखिये: (इब्ने अबी हातिम: 1/57, मुसनद अहमद: 38/200) **(2)** रिवायत में जो मसला

बाब : (93)
पाँव कितनी बार धोये जायें?

باب : (٩٣)
عَدَدُ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(115) हज़रत अबू हय्या अल्वादिई से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अली (ﷺ) को वुज़ू करते देखा कि आपने अपनी हथेलियों को तीन मर्तबा धोया, तीन मर्तबा कुल्ली की, तीन मर्तबा नाक में पानी चढ़ाया, अपना चेहरा तीन मर्तबा और अपने बाज़ू भी तीन तीन मर्तबा धोये। अपने सर का मसह किया और अपने पैरों को तीन तीन दफ़ा धोया, फिर फ़रमाया: ये रसूलुल्लाह(ﷺ) का वुज़ू है।

(115) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 116, तिर्मिज़ी, हदीस: 48, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 162, अगली हदीस: 136 में देखें, पिछली हदीस: 96 में देखें।

फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि सुनन अबू दाऊद और जामेअ तिर्मिज़ी की तहक़ीक़ में इसे सही क़रार दिया है, नीज़ हदीस में मज़कूर मसले की दीगर सही अहादीस से ताईद भी होती है। याद रहें राजेह और दुरुस्त बात यही मालूम होती है कि मज़कूरा रिवायत मअनन् (मानी के ऐतबार से) सही है। वल्लाहु आलम। और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने भी इसे सही क़रार दिया है।

बाब : (94)
पाँव कहाँ तक धोये जायें?

باب : (٩٤)
حَدِّ الْغَسْلِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ

(116) हज़रत उस्मान (ﷺ) के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत हुमरान से मन्क़ूल है, उन्होंने बयान किया कि हज़रत उस्मान (ﷺ) ने वुज़ू का पानी मंगवाया और वुज़ू किया, अपनी हथेलियाँ तीन

يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" .

दफ़ा धोईं। फिर कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, फिर चेहरा तीन दफ़ा धोया, फिर दायाँ बाज़ू कुहनी समेत तीन मर्तबा धोया, फिर बायाँ बाज़ू भी इसी तरह धोया, फिर अपने सर का मसह किया, फिर अपना दायाँ पाँव टख़नों समेत तीन मर्तबा धोया, फिर बायाँ पाँव इसी तरह धोया, फिर कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा, आपने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया, फिर उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू किया, फिर खड़े होकर दो रकअतें इस तरह अदा करे कि उनकी अदायगी के दौरान में अपने दिल से कोई बात न करे तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(116) **तख़रीज :** (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 226, बुख़ारी, हदीस: 159.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है, देखिये: (हदीस: 84) इमाम साहब इस हदीस को दोबारा लाकर ये बताना चहाते हैं कि पाँव को टख़नों समेत धोया जायेगा, ये नहीं कि वुज़ू करते वक़्त कुहनियों और टख़नों को तर्क कर दिया जायेगा। (2) ये भी मालूम हुआ कि जब पाँव नंगे हों, यानी मोज़ें या जुराबें न पहनी हों तो बजाये मसह करने के, उन्हें धोना चाहिए। वल्लाहु आलम!

بَاب : (٩٥) الْوُضُوءِ فِي النِّعَالِ

बाब : (95) जूतों समेत वुज़ू करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ، جُرَيْجٍ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ،

(117) हज़रत उबैद बिन जुरैज फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से कहा: मैं देखता हूँ कि आप साफ़ चमड़े के जूते पहनते हैं और उनमें वुज़ू करते हैं। उन्होंने फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल

قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَتَتَوَضَّأُ فِيهَا . قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُهَا وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا.

(ﷺ) को ये पहनते और इनमें वुज़ू करते देखा है।

(117) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस:166, मुस्लिम, हदीस:1187, मोत्ता:1/333, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 118.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जूतों में वुज़ू' का मतलब ये है कि अगर जूते पहने हुए हों और वह बंद न हों बल्कि चप्पल नुमा हों जिनमें वुज़ू किया जा सकता हो तो पाँव को धोना ज़रूरी है। (2) (النعال السبتية) से मुराद साफ़ चमड़े के जूते हैं। चमड़े को दबाग़त देकर (रंग कर) बालों से मुकम्मल साफ़ कर लिया जाता है, इस तरह चमड़ा साफ़ होने के साथ साथ नर्म भी हो जाता है। ये जूते ख़ूब सूरत और आरामदेह होते हैं।

باب : (٩٦) الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

बाब : (96) मोज़ों पर मसह का बयान

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ أَتَمْسَحُ فَقَالَ قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ . وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يُعْجِبُهُمْ قَوْلُ جَرِيرٍ وَكَانَ إِسْلاَمُ جَرِيرٍ قَبْلَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَسِيرٍ .

(118) हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (ﷻ) से मरवी है कि उन्होंने वुज़ू किया और अपने मोज़ों पर मसह किया। उन्हें कहा गया कि क्या आप मोज़ों पर मसह करते हैं? तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को मसह करते हुए देखा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷻ) के शागिर्दों को जरीर की ये रिवायत बहुत पसन्द आती थी क्योंकि हज़रत जरीर (ﷻ) नबी (ﷺ) की वफ़ात से थोड़ा अर्सा पहले इस्लाम लाये थे।

(118) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 387, मुस्लिम, हदीस: 272, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 121.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मोज़ों पर मसह करना अहले सुन्नत का इज्माई मसला है। शीया हज़रात हर हाल में नंगे पाँव पर मसह के क़ायल हैं और ख़्वारिज हर हाल में पाँव धोने ही के क़ायल हैं। अहले सुन्नत चंद शर्तों के साथ मोज़ों पर मसह के क़ायल व फ़ाइल हैं और यही दुरुस्त है। (2) कुछ हज़रात जो मसह के क़ायल नहीं, उनका कहना है कि मोज़ों के मसह की रिवायात सूरह मायदा के नुज़ूल से पहले की हैं क्योंकि सूरह मायदा में वुज़ू और ख़ुसूसन पाँव धोने का हुक्म है। इसका जवाब ये है कि मोज़ों पर मसह के जवाज़ के रावी सय्यदना जरीर (ﷻ) भी हैं और ये नबी (ﷺ) की वफ़ात से सिर्फ़

चालीस (40) दिन पहले मुसलमान हुए। इनका आपको मसह करते देखना क़तई दलील है कि मोज़ों पर मसह मन्सूख़ नहीं। यही वजह है कि सय्यदना इब्ने मसऊद (ﷺ) के शागिर्द, हज़रत जरीर (ﷺ) की हदीस़ से बहुत ख़ुश होते थे क्योंकि इससे मस्लक अहले सुन्नत की ज़बरदस्त ताईद होती है, नीज़ ये क़ुर्आनी हुक्म के मुनाफ़ी भी नहीं बल्कि क़ुर्आन के अल्फ़ाज़ (وَامْسَحُوْا بِرُءُ وْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ) (अल मायदा: 5/6) में (أرجلكم) की एक क़िरअत मजरूर की भी है। और उलमा इसमें ये तत्बीक़ देते हैं कि अगर इसे मजरूर पढ़ा जाये तो इसका मतलब मोज़ों पर मसह करना होगा। क़ुर्आन मजीद और सब अहादीस़ को मिलाने से यही नतीजा निकलता है कि पाँव नंगे हों तो धोये जायें अगर जुराबों और मोज़ों में हों तो उन पर मसह किया जाये। इस तरह आयते वुज़ू और अहादीस़ पर अमल हो जायेगा। शीया और ख़्वारिज की बात मानने से बहुत सी स़ही रिवायात का इंकार करना पड़ता है और ये गुमराही है।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

(119) हज़रत अम्र बिन उमय्या ज़मरी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने वुज़ू किया और अपने मोज़ों पर मसह किया।

(119) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 204, 205, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 126.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ- وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ نَافِعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبِلاَلٌ الأَسْوَاقَ فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً مَا صَنَعَ فَقَالَ بِلاَلٌ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ صَلَّى .

(120) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) और हज़रत बिलाल (ﷺ) स़वाफ़ में दाख़िल हुए तो आप क़ज़ा-ए-हाजत के लिए गये, फिर बाहर निकले तो उसामा ने कहा: मैंने बिलाल से पूछा कि आपने क्या किया? बिलाल (ﷺ) ने कहा: नबी(ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिए गये, फिर वुज़ू फ़रमाया, अपने चेहरे और दोनों हाथों को धोया, अपने सर का मसह फ़रमाया और मोज़ों पर मसह फ़रमाया, फिर नमाज़ पढ़ी।

तख़रीज : (सनद स़ही) हाकिम, हदीस़: 1/151, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 185, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 175, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 127.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (أسواف) से मदीना मुनव्वरा का हरम मुराद है। **(2)** सहाब-ए किराम(ﷺ) हर वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहवाल मालूम करने की जुस्तजू में लगे रहते थे ताकि वह उन्हें अपना कर दुनिया व आख़िरत की भलाइयाँ हासिल कर सकें।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

(121) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मोज़ों पर मसह फ़रमाया।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 202, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 128.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ .

(122) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मोज़ों पर मसह के बारे में फ़रमाया कि इसमें कोई हर्ज नहीं।

(122) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 129.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ تَلَقَّيْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهِ الْجُبَّةُ

(123) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिए निकले, चुनांचे जब वापस तशरीफ़ लाये तो मैं पानी का लोटा लेकर आपको मिला और मैंने आपके आज़ा-ए-वुज़ू पर पानी डाला तो आपने हथेलियाँ धोईं, फिर अपना चेहरा धोया, फिर बाज़ू धोने लगे, मगर जुब्बा तंग था, चुनांचे आपने दोनों हाथ जुब्बे के नीचे से निकाले और उन्हें धोया, फिर मोज़ों पर मसह किया, फिर

فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِنَا .

आपने हमें नमाज़ पढ़ाई।

(123) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 274, बुख़ारी, हदीस: 363.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ فَصَبَّ عَلَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

(124) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) अल्लाह के रसूल (ﷺ) के बारे में बयान करते हैं कि आप क़ज़ा-ए-हाजत के लिए निकले तो मुग़ीरा भी पानी का लोटा लेकर आपके साथ गये। जब आप क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ हुए तो उन्होंने आज़ा-ए-वुज़ू पर पानी बहाया, आपने वुज़ू किया और अपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया।

(124) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 122, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (٩٧)
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ

बाब : (97)
सफ़र में मोज़ों पर मसह करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقَالَ " تَخَلَّفْ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ " . فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ وَمَضَى النَّاسُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ فَلَمَّا رَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْهَا فَضَاقَتْ عَلَيْهِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ

(125) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (ﷺ) से मरवी है कि मैं एक सफ़र में नबी (ﷺ) के साथ था तो आपने फ़रमाया: 'ऐ मुग़ीरह! तुम ठहरो। और ऐ लोगो! तुम चलो।' मैं ठहर गया और मेरे पास पानी का एक लोटा था और लोग चले गये, फिर अल्लाह के रसूल (ﷺ) कज़ा-ए-हाजत के लिए गये जब वापस तशरीफ़ लाये तो मैंने आपके आज़ा-ए-वुज़ू पर पानी बहाना शुरू कर दिया। आप पर एक रूमी जुब्बा था जिसकी आस्तीनें तंग थीं। आपने अपना बाज़ू आस्तीन से निकालना चाहा, मगर आस्तीन तंग थी तो आपने अपना हाथ जुब्बे के नीचे से निकाल लिया, चुनांचे आपने

مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ .

अपना चेहरा और बाज़ू धोये और सर का मसह किया और अपने मोज़ों पर मसह फ़रमाया।

(125) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 82, 109, ये हदीस: 108 में पीछे गुज़र चुका है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर वक़्त बावुज़ू रहना मुस्तहब है। **(2)** ग़ैर मुल्की लिबास पहनना जायज़ है, बशर्ते कि वह इस्लामी शआइर और सक़ाफ़त के ख़िलाफ़ न हो और ग़ैर मुसलमानों की नक़्क़ाली का मुज़हर (बयान करने वाला) भी न हो। **(3)** मोज़ों पर मसह के लिए शर्त है कि पहले उन्हें वुज़ू करके पहना हुआ हो जैसा कि दूसरी रिवायात में इसकी सराहत मिलती है, देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 206, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 274)

باب : (٩٨) التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ

बाब : (98) मुसाफ़िर के लिए मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ، قَالَ رَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ .

(126) हज़रत सफ़वान बिन अस्साल (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) ने हमें इजाज़त दी कि जब हम मुसाफ़िर हों तो तीन दिन रात तक अपने मोज़ें न उतारें। (बल्कि मसह करते रहें)

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 96, 3535, इब्ने माजा, हदीस: 478, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 144.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرُّهَاوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، وَزُهَيْرٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ سَأَلْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ عَنِ الْمَسْحِ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(127) हज़रत ज़िर्र बिन हुबैश से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैंने हज़रत सफ़वान बिन अस्साल (ﷺ) से मोज़ों पर मसह करने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) हमें हुक्म देते थे कि जब हम मुसाफ़िर हों तो तीन दिन तक बोल व बराज़ और नींद की वजह से मोज़ें न उतारें बल्कि उन पर मसह करते रहें, मगर जनाबत की बिना पर उतारने होंगे।

يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَنْ نَمْسَحَ عَلَى خِفَافِنَا وَلاَ نَنْزِعَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ .

(127) तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 145, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मोज़ों पर मसह हज़र और सफ़र दोनों हालतों में जायज़ है। कुछ लोग इसे सफ़र के साथ ख़ास करते हैं लेकिन इस बात की कोई दलील नहीं है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से सफ़र व हज़र दोनों हालतों में मसह करने का सुबूत मिलता है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (ज़ख़ीरतुल अक़बा शरह सुनन नसाई: 3/86-95) **(2)** चूंकि मुसाफ़िर को सफ़र में काफ़ी मसरूफ़ियत होती है, इसलिए उसकी मजबूरी का लिहाज़ रखते हुए उसके लिए मुद्दते मसह ज़्यादा रखी गई। आम हालात में मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और तीन रातें मसह करने की इजाज़त है। अगर सफ़री मशक़्क़त ज़्यादा हो, क़ाफ़िले से पीछे रह जाने का अन्देशा हो या अगर उन्हें रोका जाये तो इस वजह से वह अज़ियत महसूस करें, या कोई ऐसी सूरत लाहक़ हो जाये कि वाक़िअतन जुराबों या मोज़ों को उतारने और फिर वुज़ू करने में वक़्त यक़ीनी हो तो उमूमी मुअय्यना मुद्दत से ज़यादा मुद्दत तक भी मसह किया जा सकता है, ये हालते मजबूरी में एक रुख़्सत है। इस रुख़्सत की दलील सुनन इब्ने माजा की सही हदीस है। हज़रत उक़्बा बिन आमिर (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि वह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) के पास मिस्र से आये, उन्होंने पूछा: तूने कब से ये मोज़ें नहीं उतारे, उन्होंने जवाब दिया: जुमे से जुमे तक, हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया: तूने सुन्नत तरीक़े को पा लिया है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 558) कुछ रिवायात से ज़ाहिर होता है कि वह फ़तहे दमिश्क़ की ख़ुशख़बरी लेकर आये थे। रहा ये ऐतराज़ कि मुसाफ़िर के लिए तो तीन दिन रात मसह करने की रुख़्सत है जबकि इस हदीस से तो एक हफ़्ते तक मसह का जवाज़ बल्कि ज़रूरियात के तहत मज़ीद अय्याम की रुख़्सत भी मिलती है तो दोनों हदीसों के दरम्यान तत्बीक़ यूँ मुम्किन है कि आम हालात में सिर्फ़ इतनी ही रुख़्सत है, अलबत्ता मज़कूरा उज़्र की सूरत में ज़्यादा देर तक भी मसह किया जा सकता है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (तैसीरूल फ़िक़ह अलजामेअ लिल इख़्तियारात अल फ़िक़हा: 1/159, वसहीहा लिल अल्बानी: 6/239) **(3)** मुद्दते मसह वुज़ू टूटने के बाद पहले मसह से शुमार होगी जैसे कि मसह की अहादीस के उमूम से ज़ाहिर होता है। **(4)** मसह वुज़ू में होगा न कि गुस्ल में। अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाये तो मोज़ें उतारने होंगे।

बाब : (99) मुक़ीम शख़्स के लिए मोज़ों पर मसह करने की मुद्दत

باب : (٩٩) اَلتَّوْقِيتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضي الله عنه - قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ يَعْنِي فِي الْمَسْحِ .

(128) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुसाफ़िर के लिए तीन दिन रात और मुक़ीम के लिए एक दिन रात मोज़ों पर मसह की मुद्दत मुक़र्रर फ़रमाई।

(128) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 276.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتِ ائْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي . فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا .

(129) शुरैह बिन हानी से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से मोज़ों पर मसह के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत अली के पास जाओ, बिलाशुब्हा वह इस मसले को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं हज़रत अली (ﷺ) के पास गया और उनसे मसह के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें इरशाद फ़रमाते थे कि मुक़ीम एक दिन रात और मुसाफ़िर तीन दिन रात मोज़ों पर मसह कर सकता है।

(129) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 131, मुस्लिम, हदीस: 276.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत आयशा (ﷺ) ने ख़ुद जवाब देने की बजाये हज़रत अली (ﷺ) की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई क्योंकि आप (ﷺ) का उमूमी मसह घर से बाहर ही था, इसलिए हज़रत आयशा को मसह के मसाइल से मुताल्लिक़ पूरी मालूमात शायद न हों। (2) मुक़ीम से मुराद वह शख़्स है जो अपने घर में ठहरा हुआ हो या सफ़र के दौरान में किसी जगह इक़ामत की नियत से रिहाइश इख़्तियार कर ले। (3) जिस मसले का इल्म न हो, उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म से पूछ लेना चाहिए।

बाब : (100)
वुज़ू टूटे बग़ैर दोबारा वुज़ू करने का तरीक़ा

باب : (١٠٠)
صِفَةُ الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أُتِيَ بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ فَشَرِبَ قَائِمًا وَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ هَذَا وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ .

(130) हज़रत नज़ाल बिन सब्रह से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अली (ﷺ) को देखा कि आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए बैठ गये। जब अस्र का वक़्त हुआ तो आपके पास पानी का एक थाल लाया गया। आपने उससे एक चुल्लू पानी लिया और अपने चेहरे, बाज़ूओं, सर और पाँव पर मल लिया, फिर बचा हुआ पानी खड़े होकर पी लिया और फ़रमाया कि लोग इसे नापसन्द करते हैं जबकि मैंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) को ऐसा करते देखा है और ये उस शख़्स का वुज़ू है जिसका पहला वुज़ू नहीं टूटा।

(130) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5616, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 133.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिस शख़्स का वुज़ू क़ायम है, उसे नया वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। ये मसला मुत्तफ़क़ अलैह है मगर सवाब या सफ़ाई की ख़ातिर कोई वुज़ू पर वुज़ू करना चाहे तो कर सकता है क्योंकि वुज़ू बजाते गुनाहों के कफ़्फ़ारे का सबब बनता है और इससे इंसान की बख़्शिश होती है और यही दुरुस्त राय है। इस बारे में बहुत ज़्यादा अहादीस़ मरवी है। **(2)** जिस शख़्स का पहला वुज़ू क़ायम है, उसे मुकम्मल वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। हल्का सा वुज़ू भी कर ले तो कोई हर्ज नहीं। धोने और पानी बहाने की बजाये गीला हाथ लगाना भी काफ़ी है और हर जगह हाथ पहुँचाना भी ज़रूरी नहीं। **(3)** इस हदीस़ से खड़े होकर पानी पीने का जवाज़ साबित होता है, अगरचे अफ़ज़ल यही है कि बैठ कर पिया जाये। मज़ीद तफ़्सील के लिए हदीस़: 96 के फ़वाइद देखिये।

बाब : (101) हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करना (मुस्तहब है)

باب : (١٠١) اَلْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِإِنَاءٍ صَغِيرٍ فَتَوَضَّأَ . قُلْتُ أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَأَنْتُمْ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ نُحْدِثْ قَالَ وَقَدْ كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ .

(131) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी(ﷺ) के पास (पानी का) एक छोटा सा बर्तन लाया गया और आपने वुज़ू फ़रमाया। शागिर्द ने पूछा कि क्या नबी (ﷺ) हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू फ़रमाते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! शागिर्द ने कहा और आप लोग यानी स़हाबा भी? आपने फ़रमाया: हम तो जब तक बेवुज़ू नहीं होते थे, नमाज़ें पढ़ते रहते थे और एक वुज़ू से कई कई नमाज़ें पढ़ लिया करते थे।

(131) तख़रीज : **(सनद स़ही)** बुख़ारी, हदीस़: 214.

फ़ायदा : नबी-ए-अकरम (ﷺ) भी हमेशा हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू नहीं फ़रमाया करते थे। कभी कभी आपसे एक वुज़ू के साथ ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना भी मज़कूर है जैसा कि आइन्दा अहादीस़ में है, यानी उमूमन आप स़वाब और स़फ़ाई की ख़ातिर वुज़ू फ़रमा लिया करते थे।

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا أَلاَ نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ فَقَالَ " إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاَةِ " .

(132) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) बैतुल ख़ला से बाहर तशरीफ़ लाये और आपको खाना पेश किया गया। स़हाबा ने पूछा कि हम आपके लिए वुज़ू का पानी न लायें? आपने फ़रमाया: 'मुझे वुज़ू का हुक्म सिर्फ़ उस वक़्त है जब मैं नमाज़ के लिए उठूं।'

तख़रीज : **(सनद स़ही)** अबू दाऊद, हदीस़: 3760, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1847, स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 35.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ के वक़्त वुज़ू का हुक्म भी तब है अगर वह बेवुज़ू हो या उसे हुक्म इस्तिहबाब पर महमूल किया जायेगा। (2) अगर हाथ स़ाफ़ हों तो खाने के वक़्त दोबारा धोने का एहतिमाम ज़रूरी नहीं, बेहतर हैं। (3) हर वक़्त बावुज़ू रहना मुस्तहब है मगर वाजिब नहीं।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ . قَالَ " عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ " .

(133) हज़रत बुरैदा (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) हर नमाज़ के लिए वुज़ू फ़रमाया करते थे। जब फ़तहे मक्का का दिन था तो आपने कई नमाज़ें एक वुज़ू से पढ़ीं। हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने कहा: आपने ऐसा काम किया है जो आप इससे पहले नहीं करते थे। आपने फ़रमाया: 'ऐ उमर! मैंने जानबूझ कर ऐसे किया है।'

(133) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 277, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 134.

फ़ायदा : 'आप उससे पहले नहीं करते थे।' हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) ने ये बात उमूमी आदत का लिहाज़ रखते हुए या अपने इल्म के मुताबिक़ कही वरना फ़तह मक्का से पहले भी आपसे कुछ औक़ात ये साबित है, जैसे: ख़ैबर के मौक़े पर जबकि आपको सत्तू पेश किये गये। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 209)

باب : (١٠٢) النَّضْحِ

बाब : (102) वुज़ू के बाद शर्मगाह पर पानी के छींटे मारना

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - وَوَصَفَ شُعْبَةُ - نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ السُّنِّيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ رضى الله عنه .

(134) हज़रत सुफ़ियान सक़फ़ी (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब वुज़ू फ़रमाते तो पानी का एक चुल्लू लेते और उसे ऐसे करते। शोबा ने उसका तरीक़ा बयान करते हुए कहा: यानी अपनी शर्मगाह पर छिड़क लेते। मैंने ये बात इब्राहीम नख़ई को बताई तो उन्होंने इसे बहुत सराहा।

शैख़ इब्ने सुन्नी (رحمہ اللہ) ने कहा: (सनद में मज़कूर) हकम से मुराद हकम बिन सुफ़ियान सक़फ़ी हैं। (हकम बिन सुफ़ियान को कुछ रावियों ने सुफ़ियान बिन हकम भी कहा है। ये सहाबी हैं और इनसे सिर्फ़ यही एक हदीस मन्क़ूल है।)

तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 166, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 135, सहीह हाकिम: 1/171.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शर्मगाह पर छींटे मारना वुज़ू का हिस्सा नहीं है, ताहम मसनून अमल है। **(2)** इस अमल की हिकमत ये हो सकती है कि कभी इंसान को किसी मर्ज़ वग़ैरह की वजह से ये शुब्हा पड़ जाता है कि पेशाब का कोई क़तरा निकला है, ऐसा इंसान माज़ूर है, लिहाज़ा इस उज़्र के पेशे नज़र या शुब्हा दूर करने के लिए ये तरीक़ा तजवीज़ किया गया कि वुज़ू के बाद शर्मगाह पर छींटे मारे जायें तो शुब्हा दूर हो जायेगा। इन्शाअल्लाह। **(3)** जिस आदमी को ऊपर दी गई सूरते हाल पेश आये वह ऐसा कर ले और जिसे ये सूरत पेश न आये उसके लिए भी चुल्लू भर पानी से छींटे मारना मसनून है क्योंकि मज़कूरा वजह और इल्लत (सबब) हदीस से साबित नहीं है। **(4)** कुछ मुहक़्क़िक़ीन का ख़्याल है कि वह आदमी जो तन्दुरुस्त हो और सुल्सलबोल (पेशाब की थैली में एक बीमारी जिससे पेशाब कतरा-कतरा निकलता है।) का मरीज़ भी न हो, और पेशाब से अच्छी तरह फ़राग़त के बग़ैर ही खड़ा हो जाता हो, नीज़ उसे वुज़ू करने के बाद या नमाज़ के दौरान क़तरा करने का यक़ीन भी हो तो ऐसे आदमी को छींटे किफ़ायत न करेंगे बल्कि उसके लिए ज़रूरी है कि वह पेशाब से आलूदा मक़ाम धोये और फिर वुज़ू करके नमाज़ पढ़े क्योंकि पेशाब नजिस है, ख़्वाह वह क़तरा हो या उससे ज़्यादा। दलाइल के ऐतबार से मौक़फ़ मज़बूत और राजेह मालूम होता है। वल्लाहु आलम। **(5)** (تَوَضَّأَ) के मानी होंगे, जब वुज़ू से फ़ारिग़ होते।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، - وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ - قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ . قَالَ أَحْمَدُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

(135) हज़रत हकम बिन सुफ़ियान (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने वुज़ू किया और अपनी शर्मगाह पर छींटे मारे।

उस्ताद अहमद बिन हरब ने (وَنَضَحَ فَرْجَهُ) के बजाये (فَنَضَحَ فَرْجَهُ) कहा।

(135) तख़रीज : (सनद हसन) पीछे की हदीस देखें।

फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत इमाम नसाई (رحمه الله) ने अपने दो उस्ताद अब्बास बिन मुहम्मद दूरी और अहमद बिन हरब से बयान की है जैसा कि सनद पढ़ने से मालूम होता है। ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ से

इमाम साहब का मक़सद ये है कि मेरे एक उस्ताद ने (وَنَضَحَ فَرْجَهُ) कहा, दूसरे उस्ताद ने (فَنَضَحَ فَرْجَهُ) कहा। गोया 'वाव' और 'फ़ा' का फ़र्क़ है। 'फ़ा' तर्तीब का तक़ाज़ा करती है, यानी आप (ﷺ) ने ये काम वुज़ू की तकमील के बाद किया। 'वाव' में ये मफ़हूम नहीं होता। ऐसे बारीक इख़्तिलाफ़ात को ज़ब्त करना मुहद्दिसीन की अमानत व दयानत और मेहनत शाक़ा (सख़्त मेहनत) की वाज़ेह दलील है।

बाब : (103)
वुज़ू से बचते हुए पानी से फ़ायदा उठाना

باب : (١٠٣)
الْاِنْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْوُضُوءِ

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ وَقَالَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا صَنَعْتُ .

(136) हज़रत अबू हय्या से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने हज़रत अली (رضی الله عنه) को देखा, आपने आज़ा-ए-वुज़ू को तीन तीन दफ़ा धोया, फिर खड़े होकर वुज़ू से बचा हुआ पानी पिया और फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने ऐसे ही किया जैसे मैंने किया।

(136) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 48, ये हदीस: 115 में गुज़र चुका है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि जिस पानी को वुज़ू करते हुए हाथ लगा हो, वह पलीद नहीं होता, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ तक कि पिया भी जा सकता है जैसा कि हदीस के अल्फ़ाज़ से वाज़ेह है। **(2)** वुज़ू के बाद पानी पीना कोई सुन्नत नहीं क्योंकि उमूमी तौर पर नबी (ﷺ) के वुज़ू की रिवायात में इसका ज़िक्र नहीं, न ये वुज़ू का हिस्सा है, अलबत्ता अगर किसी को पानी पीने की ज़रूरत हो तो वह पी सकता है, नीज़ अगर कोई इत्तिबा के जज़्बे से कभी कभार ऐसे कर लेता है तो यक़ीनन् ये नबी-ए-अकरम (ﷺ) से कमाल दर्जे की मोहब्बत का इज़हार है और उसकी नियत और अमल की बिना पर उसके लिए सवाब की उम्मीद भी है। इन्शाअल्लाह!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَأَخْرَجَ

(137) हज़रत अबू जुहेफ़ा (رضی الله عنه) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) को (मक्का के मक़ाम) बतहा में देखा। हज़रत बिलाल (رضی الله عنه) आपके वुज़ू से बचा हुआ पानी लेकर (ख़ैमे से) निकले। लोग तेज़ी से उनकी तरफ़ भागे। मुझे भी उसमें से कुछ

بِلَالٌ فَضْلَ وَضُوئِهِ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَنِلْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَرَكَزْتُ لَهُ الْعَنَزَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَالْحُمُرُ وَالْكِلَابُ وَالْمَرْأَةُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

पानी मिल गया। फिर आप (ﷺ) के लिए एक नेज़ा गाड़ दिया गया और आपने (उसे सामने रख कर) लोगों को नमाज़ पढ़ाई। गधे, कुत्ते और औरतें आपके (सुतरे के) आगे से गुज़रती थीं।

(137) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 503/251, बुख़ारी, हदीस: 3566, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 136.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहब मज़कूरा रिवायत इस बाब के तहत लाकर ये बतलाना चाहते हैं कि माए मुस्तमिल (इस्तेमाल किया हुआ पानी) पाक है और उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। माए मुस्तमिल की बाबत मज़ीद तफ़्सील के लिए किताबुल मयाह का इब्तिदाइया देखिये। **(2)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) से शदीद मोहब्बत थी जिसका इज़हार इस हदीस से भी है कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) आप (ﷺ) के वुज़ू से बचे हुए पानी को अपने जिस्म वग़ैरह पर बतौर तबर्रुक मलते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ास है क्योंकि आपके बाद क़ुरूने औला में से किसी से भी ये नहीं मिलता कि किसी ने किसी सहाबी या ताबेई से बतौर तबर्रुक ये अमल किया हो। **(3)** सुतरे के आगे से किसी चीज़ का गुज़रना नमाज़ के लिए नुक़सानदेह नहीं, सुतरे के बग़ैर मज़कूरा चीज़ों का गुज़रना नुक़सानदेह है, इसलिए सुतरे का एहतिमाम करना नबी-ए-अकरम (ﷺ) की सुन्नत है और मज़कूरा चीज़ों से बचाव का एक उम्दा तहफ़्फ़ुज़ भी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِّي فَوَجَدَانِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ .

(138) हज़रत जाबिर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैं बीमार हो गया तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) मेरी बीमारपुर्सी के लिए तशरीफ़ लाये तो मुझे बेहोश पाया। आपने वुज़ू फ़रमाया और वुज़ू का पानी मुझ पर डाला।

(138) तख़रीज : (सनद सहीह) बुख़ारी, हदीस: 6723, 7309, मुस्लिम, हदीस: 1616, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 11134.

फ़ायदा : ज़ाहिर तो ये है कि इस पानी से मुराद वह पानी है जिससे आपने वुज़ू फ़रमाया, गोया माए मुस्तमिल पाक होता है, नीज़ इससे बचा हुआ पानी भी मुराद हो सकता है।

बाब : (104)
वुज़ू की फ़र्ज़ियत

باب : (١٠٤)
فَرْضِ الْوُضُوءِ

(139) हज़रत अबू मलीह अपने वालिद मुहतरम से बयान करते हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला कोई नमाज़ बग़ैर तहारत (वुज़ू) के क़ुबूल नहीं फ़रमाता और न हराम माल से सदक़ा क़ुबूल फ़रमाता है।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ " .

(139) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 59, इब्ने माजा, हदीस: 271, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 172, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 145.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ क़ुबूल न करने का मतलब ये है कि नमाज़ सही नहीं होती, फ़रीज़ा अदा नहीं होता और सवाब भी नहीं होता, लिहाज़ा वुज़ू और जनाबत की हालत में ग़ुस्ल नमाज़ के लिए शर्त है। वुज़ू के बग़ैर नमाज़ का शरअन कोई वुजूद नहीं। **(2)** ग़ुलूल ख़ुफ़िया तरीक़े से ख़यानत को कहते हैं। यहाँ मुत्लक़ ख़यानत मुराद है, यानी हराम तरीक़े से हासिल शुदा माल क्योंकि हर हराम के हुसूल में किसी न किसी ख़यानत का इर्तिकाब होता है।

बाब : (105)
वुज़ू करते वक़्त मुक़र्ररा हद से तजावुज़ करना (मना है)

باب : (١٠٥)
اَلْاِعْتِدَاءُ فِي الْوُضُوءِ

(140) अम्र बिन शुऐब अपने बाप और वह अपने दादा से बयान करते हैं कि एक देहाती नबी(ﷺ) के पास आया। वह आपसे वुज़ू का तरीक़ा पूछता था। आपने उसे तीन तीन दफ़ा आज़ा-ए-वुज़ू धोकर दिखाये, फिर फ़रमाया: 'वुज़ू इस तरह है। जिसने इससे ज़्यादा किया,

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ

الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ " .

उसने बुरा किया, हद से बढ़ा और ज़ुल्म का इर्तिकाब किया।'

(140) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 135, इब्ने माजा, हदीस: 422, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 173, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद वग़ैरहुम.

फ़ायदा : तीन दफ़ा धोने से मेल कुचैल दूर हो जाता है, बशर्ते कि अच्छी तरह धोये, लिहाज़ा इससे ज़्यादा धोने से कोई फ़ायदा न होगा बल्कि पानी ज़ाया होगा। इस्राफ़ की आदत पड़ेगी और तबियत वहमी हो जायेगी, अलबत्ता अगर आज़ा-ए-वुज़ू में से कोई आज़ा ज़्यादा गुबार आलूद हो या नजासत और ग़लाज़त (गन्दगी) लग गई हो तो चाहिए कि वुज़ू से पहले ही उसे ज़ायल (खत्म) कर लिया जाये और अच्छी तरह धो लिया जाये ताकि वुज़ू शुरू करने के बाद इंसान किसी तरह भी मज़कूरा वईद का मुर्तकिब न हो।

باب : (١٠٦) اَلْأَمْرُ بِإِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

बाब : (106) वुज़ू मुकम्मल और अच्छी तरह करने का हुक्म

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَهْضَمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنَّا جُلُوسًا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَىْءٍ دُونَ النَّاسِ إِلاَّ بِثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ فَإِنَّهُ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَلاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَلاَ نُنْزِيَ الْحُمُرَ عَلَى الْخَيْلِ .

(141) अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضی اللہ عنہ) के पास बैठे थे कि आपने फ़रमाया: अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन चीज़ों के सिवा हमें लोगों से अलग कोई ख़ुसूसी हुक्म नहीं दिया। आपने हमें हुक्म दिया कि हम वुज़ू मुकम्मल और अच्छी तरह करें, सदक़ा न खायें और गधों की घोडियों से जुफ़्ती न करायें।

(141) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 426, अबू दाऊद, हदीस: 808, तिर्मिज़ी, हदीस: 1701, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 138.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सदक़ा व ज़कात की हुरमत के अलावा बाक़ी मज़कूरा चीज़ें अहले बैत से ख़ास नहीं, सिर्फ़ सदक़ा व ज़कात न खाने में उन्हें इन्फ़रादियत है। बाक़ी मज़कूरा मसाइल महज़ ताकीद मज़ीद के मानी में हैं। **(2)** 'गधों की घोड़ियों से जुफ़्ती (नर व मादा का जिन्सी मेलाप कराना) न

करायें।' क्योंकि घोड़ा नस्ल के ऐतबार से आला और मुबारक जानवर है, इसलिए घोड़ी से ख़च्चर हासिल करना आला और उम्दा पर अदना और कमतर को तर्जीह देना है, इसलिए पसन्दीदा नहीं है, ताहम ख़च्चर ख़रीदना और उस पर सवारी करना ममनूअ नहीं है क्योंकि नबी-ए-अकरम(ﷺ) को ख़च्चर का तोहफ़ा मिला तो आपने क़ुबूल फ़रमाया और बार बार उस पर सवारी भी की, नीज़ अल्लाह तआला ने सूरह नहल आयत: 8 में ख़च्चरों की सवारी और उनके बाइसे ज़ीनत होने को अपनी नेमत शुमार किया है। कुछ उलमा इसके मुताल्लिक़ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) का इसे बतौर सवारी इस्तेमाल करना इस बात की दलील है कि इसमें एक दर्जा कराहत तो है मगर इसकी अफ़ज़ाइश का मुरव्वजह (राइज) तरीक़ा जायज़ है और हदीस़ में नह्य हुरमत के लिए नहीं बल्कि आरज़ू के लिए है, लेकिन दलाइल की रू से बेहतर और राजेह मौक़फ़ ये है कि इस तरीक़े से इसका हुसूल महल्ले नज़र है, अलबत्ता ख़च्चर से फ़ायदा उठाया जा सकता है जैसा कि फ़रमाने इलाही और रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल से साबित है, नीज़ नबी-ए-अकरम (ﷺ) के फ़रमान: 'ये काम बेइल्म लोग करते हैं।' (मुसनद अहमद: 1/98, सुनन नसाई, हदीस़: 2601) से ज़ाहिर होता है कि बाशऊर और अच्छे लोग ये काम नहीं करते। गोया इसमें एक लिहाज़ से तम्बीह का पहलू है। याद रहे हमारे लिए इनसे पैदा होने वाले ख़च्चर से फ़ायदा उठाना बिल्कुल जायज़ है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये (सुनन लिल्ख़त्ताबी: 2/21, तहावी: 3/273, सुनन नसाई: 3/238, 245)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " .

(142) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वुज़ू मुकम्मल और अच्छी तरह करो।'

(142) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस़: 111 में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 137.

फ़ायदा : अस्बाग़ से मुराद ये है कि आज़ा को अच्छी तरह एहतिमाम के साथ मुकम्मल तौर पर धोया जाये ताकि कोई अज़्व (अंग) या उसका कोई हिस्सा ख़ुश्क न रह जाये और कई बार मशक़्क़त के बावुजूद और ना चाहते हुए भी (إنما يفعل ذلك الذين لايعلمون) का एहतिमाम करना फ़ज़ीलत का अमल है जैसा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान है: 'क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल न बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह तआला ख़ताएँ मिटा देता है और दर्जात बुलन्द फ़रमाता है?' सहाबा (رضي الله عنهم) ने अर्ज़ किया: अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? आपने फ़रमाया: 'मशक़्क़त के बावुजूद और ना चाहते हुए भी मुकम्मल और पूरा वुज़ू करना।' देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 251)

बाब : (107)
अस्बाग़ की फ़ज़ीलत

باب : (١٠٧)
الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " .

(143) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें उन चीज़ों की ख़बर न दूं जिनके साथ अल्लाह तआला ग़लतियाँ मिटाता और दर्जात बुलन्द फ़रमाता है? (सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? आपने फ़रमाया:) 'मशक़्क़त और ना चाहते हुए वुज़ू मुकम्मल और अच्छी तरह करना, मस्जिद की तरफ़ दूर से चल कर जाना और नमाज़ के बाद अगली नमाज़ का (मस्जिद में बैठ कर) इन्तिज़ार करना। ये है रिबात। ये है रिबात। ये है रिबात।'

(143) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 251, मोत्ता: 1/161, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 139.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रिबात से मुराद है, दुशमन को डराने के लिए और उसके हमले से बचने के लिए सरहद पर मुस्लह (कमर बस्ता, हथियार बन्द) होकर तैयारी की हालत में ठहरना। ऊपर दी गई हदीस में नमाज़ के बाद अगली नमाज़ के इन्तिज़ार में मस्जिद में बैठने को रिबात कहा गया है क्योंकि शैतान भी तो इंसान का दुशमन है। **(2)** शैतान से बचने के लिए मस्जिद महफ़ूज़ मोर्चे की तरह है। **(3)** वुज़ू करने और मस्जिद की तरफ़ जाने से शैतानी असरात (गुनाह वग़ैरह) झड़ते हैं, फिर पिछली नमाज़ भी अस्लाह (हथियार) की तरह है जब कि अगली नमाज़ का इन्तिज़ार शैतान को डराना और अपने आपको चौकन्ना और महफ़ूज़ करना है, इसलिए इस फ़ेअल को रिबात से कामिल तश्बीह दी गई है, और ये सवाब के लिहाज़ से भी रिबात की तरह है।

बाब : (108)
मसनून वुज़ू करने का स़वाब

باب : (١٠٨)
ثَوَابُ مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ

(144) हज़रत आसिम बिन सुफ़ियान सक़फ़ी(ﷺ) से रिवायत है कि हम सलासिल (एक चश्मे का नाम) की जंग को गये मगर जंग न मिल सकी। (क्योंकि आसिम और उनके कुछ साथी बाद में पहुँचे थे, चुनांचे) वह लोग कुछ अर्सा महाज़ पर मोर्चाज़न रहे (लेकिन जंग की दोबारा नोबत न आई) फिर वह हज़रत मुआविया(ﷺ) के पास लौट आये। उस वक़्त उनके पास हज़रत अबू अय्यूब और हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) बैठे थे। आसिम ने कहा: अबू अय्यूब! इस साल हम जिहाद से महरूम रह गये, हमें बतलाया गया है कि जो आदमी चार मस्जिदों (मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी, मस्जिद अक़्सा और मस्जिद क़ुबा) में नमाज़ पढ़े, उसके गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। हज़रत अबू अय्यूब(ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ भतीजे! मैं तुझे इससे आसान तर काम बताता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स वुज़ू करे जिस तरह हुक्म है और नमाज़ पढ़े जैसे उसे हुक्म दिया गया है तो उसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' (फिर उक़्बा की तरफ़ मुतवज्जा होकर फ़रमाया:) ऐ उक़्बा! क्या ऐसे ही है? उन्होंने फ़रमाया: 'हाँ'

तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1396, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 140, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 166.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلاَسِلِ فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ عَاصِمٌ يَا أَبَا أَيُّوبَ فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسَاجِدِ الأَرْبَعَةِ غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ . فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَدُلُّكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلٍ " . أَكَذَلِكَ يَا عُقْبَةُ قَالَ نَعَمْ .

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ، أَخْبَرَ أَبَا بُرْدَةَ، فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ " .

(145) हज़रत उस्मान (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने उस तरह वुज़ू मुकम्मल किया जिस तरह अल्लाह तआला ने उसे हुक्म दिया है तो उसके लिए पाँच नमाज़ें दरम्यान वाले गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जायेंगी।'

(145) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 231.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ، - رضى الله عنه - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنِ امْرِئٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا " .

(146) हज़रत उस्मान (ﷺ) से मन्क़ूल है, वह बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो आदमी वुज़ू करे और अच्छी तरह करे, फिर नमाज़ पढ़े, उसके लिए अगली नमाज़ तक के गुनाह माफ़ फ़रमा दिये जाते हैं यहाँ तक कि उस नमाज़ को पढ़ ले।'

(146) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 160, मुस्लिम, हदीस: 227, मोत्ता: 1/30, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 274.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस के ज़ाहिर से यही साबित होता है कि इन आमाल से साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, ख़्वाह सग़ीरा हों या कबीरा और यक़ीनन ये अल्लाह तआला की वसीअ रहमत और अज़ीम क़ुदरत का लाज़िमा है, और (مِنْ عَمَلٍ) 'कोई भी अमल हो।' से इसी मौक़फ़ की ताईद होती है। लेकिन जुम्हूर उलमा ने दीगर रिवायात को मद्दे नज़र रखते हुए कहा है कि यहाँ गुनाहों से सग़ीरा गुनाह मुराद हैं, बशर्ते कि कबीरा गुनाह से इज्तिनाब करे। कबीरा गुनाह की माफ़ी के लिए तौबा ज़रूरी है। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/342, हदीस: 159, शरह मुस्लिम लिन्नववी: 3/141, हदीस: 228) **(2)** आइन्दा नमाज़ तक के गुनाहों की माफ़ी का मतलब ये है कि अल्लाह तआला उन पर मुवाख़िज़ा नहीं फ़रमायेगा।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، - هُوَ ابْنُ سَعْدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى، سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْوُضُوءُ قَالَ " أَمَّا الْوُضُوءُ فَإِنَّكَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَغَسَلْتَ كَفَّيْكَ فَأَنْقَيْتَهُمَا خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِكَ وَأَنَامِلِكَ فَإِذَا مَضْمَضْتَ وَاسْتَنْشَقْتَ مَنْخِرَيْكَ وَغَسَلْتَ وَجْهَكَ وَيَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَمَسَحْتَ رَأْسَكَ وَغَسَلْتَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اغْتَسَلْتَ مِنْ عَامَّةِ خَطَايَاكَ فَإِنْ أَنْتَ وَضَعْتَ وَجْهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَرَجْتَ مِنْ خَطَايَاكَ كَيَوْمَ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ " . قَالَ أَبُو أُمَامَةَ فَقُلْتُ يَا عَمْرُو بْنَ عَبَسَةَ انْظُرْ مَا تَقُولُ أَكُلُّ هَذَا يُعْطَى فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي وَدَنَا أَجَلِي وَمَا بِي مِنْ فَقْرٍ فَأَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَقَدْ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

(147) हज़रत अबू उमामा बाहिली (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अ़म्र बिन अ़बसा (ﷺ) को फ़रमाते सुना, वह कह रहे थे कि मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! वुज़ू कैसे किया जाये? (या वुज़ू का मक़ाम क्या है?) आपने फ़रमाया: 'वुज़ू का मर्तबा ये है कि जब तू वुज़ू में अपनी हथेलियाँ धोता है और उन्हें अच्छी तरह स़ाफ़ करता है तो तेरी ग़लतियाँ तेरे नाख़ूनों और पोरों के दरम्यान से निकल जाती हैं, फिर जब तू कुल्ली करता है और अपने नथुनों को स़ाफ़ करता, अपना चेहरा और कुहनियों समेत बाज़ू धोता है, अपने सर का मसह करता है और टख़नों समेत पाँव धोता है तो तू अपनी अक्स़र ग़लतियों से धुल जाता है, फिर अगर तू अल्लाह तआ़ला के सामने अपना चेहरा रखे (नमाज़ पढ़े) तो तू अपनी ग़लतियों से इस तरह निकल आता है जैसे आज ही तुझे तेरी माँ ने जना हो।'

अबू उमामा कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अ़म्र बिन अ़बसा! ग़ौर फ़रमाये! आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सब कुछ एक मज्लिस में मिल जाता है? वह फ़रमाने लगे: अल्लाह की क़सम! तहक़ीक़ मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत क़रीब आ गई है। मैं फ़क़ीर नहीं कि (माल हासिल करने के लिए) रसूलुल्लाह (ﷺ) पर झूठ बोलूं। अल्लाह की क़सम! यक़ीनन मेरे कानों ने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी है और मेरे दिल ने इसे याद रखा है।

(147) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 573 में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 177, स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 294/832.

बाब : (109)
वुज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद क्या पढ़ा जाये?

باب : (١٠٩)
اَلْقَوْلُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ

(148) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी वुज़ू करे और अच्छी तरह करे, फिर पढ़े:

(أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)

'मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई बरहक़ माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े चोपट खोल दिये जाते हैं। जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाये।'

(148) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 334, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 141.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، وَأَبِي، عُثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِّحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ अहादीस़ में कलिम-ए-शहादत के बाद ये कलिमात पढ़ने का ज़िक्र भी मिलता है: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ) (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 55) 'या अल्लाह! मुझे बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों और पाक रहने वालों में से बना दे।' लिहाज़ा 'कलिम-ए-शहादत' के साथ इन अल्फ़ाज़ को भी पढ़ना जायज़ है, लेकिन वुज़ू के बाद दुआ पढ़ते हुए आसमान की तरफ़ मुँह करना और ऊँगली से इशारा करना किसी सहीह हदीस़ से साबित नहीं, लिहाज़ा इस अमल से इज्तिनाब करना चाहिए। **(2)** 'जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो।' ये और इस क़िस्म के दूसरे वादे मशरूत हैं, यानी बशर्ते कि उससे कोई ऐसा काम सादिर न हुआ हो जो अदमे मग़फ़िरत या दुख़ूले जहन्नम का लाज़िमी सबब हो। वल्लाहु आलम!

बाब : (110) वुज़ू का ज़ेवर

باب: (١١٠) حِلْيَةُ الْوُضُوءِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ خَلَفٍ، - وَهُوَ ابْنُ خَلِيفَةَ - عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا الْوُضُوءُ فَقَالَ لِي يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ هَا هُنَا لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هَذَا الْوُضُوءَ سَمِعْتُ خَلِيلِي ﷺ يَقُولُ " تَبْلُغُ حِلْيَةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ " .

(149) हज़रत अबू हाज़िम से मन्क़ूल है कि मैं हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के पीछे था और वह नमाज़ के लिए वुज़ू कर रहे थे। वह बाज़ू धो रहे थे यहाँ तक कि बग़लों तक पहुँच गये। मैंने कहा: ऐ अबू हुरैरह! ये कैसा वुज़ू है? आप फ़रमाने लगे: ओ फ़र्रूख़ की नस्ल! (अज्मीयों!) तुम यहाँ हो? अगर मुझे इल्म होता कि तुम यहाँ हो, तो मैं हरगिज़ ये वुज़ू न करता। मैंने अपने ख़लील (ﷺ) को ये फ़रमाते सुना है: मोमिन का ज़ेवर वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक वुज़ू का पानी पहुँचेगा।'

(149) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 250, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 142.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यहाँ ज़ेवर से मुराद हक़ीक़ी ज़ेवर ही है, कुछ का क़ौल है कि यहाँ ज़ेवर से मुराद नूर है जो क़यामत के दिन इस उम्मत के अफ़राद को इम्तियाज़ के तौर पर अता किया जायेगा, यानी उनके चेहरे और हाथ पाँव नूर से चमकते होंगे। इसी से उनकी पहचान होगी। **(2)** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बाज़ूओं को बग़लों तक धोना उनका इज्तिहाद है और उन्होंने अपने इस इज्तिहाद की वजह भी ज़िक्र कर दी क्योंकि अगरचे अमल मसनून होता तो यक़ीनन उनकी इस नाराज़ी की कोई वजह न होती, इसलिए उन्होंने फ़रमाया: 'अगर मुझे इल्म होता कि तुम यहाँ हो तो मैं हरगिज़ ये वुज़ू न करता।' लिहाज़ा अफ़ज़ल वुज़ू वही है जो अमलन नबी-ए-अकरम (ﷺ) से मुख़्तलिफ़ अहादीस में मन्क़ूल है और उसी पर इक्तिफ़ा करना मुस्तहब है। **(3)** फ़र्रूख़ हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) के एक बेटे का नाम है जिनकी अक्सर नस्ल अज्मी है। गोया कि बनी फ़र्रूख़ से मुराद अज्मी हैं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ

(150) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) कब्रिस्तान की तरफ़ गये और फ़रमाया: 'तुम पर सलामती हो, ऐ मोमिन लोगों के शहर (ऐ मोमिन लोगों के शहर के

إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ قَالَ " بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانِي الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي خَيْلٍ بُهْمٍ دُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ " . قَالُوا بَلَى . قَالَ " فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ " .

बासियों!) और यक़ीनन हम इन्शाअल्लाह तुम्हें आ मिलेंगे। मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं अपने भाईयों को देख लेता।' सहाबा ने अर्ज़ की कि ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम आपके भाई नहीं? आपने फ़रमाया: 'तुम तो मेरे सहाबा हो। मेरे भाई वह हैं जो अभी तक पैदा नहीं हुए और मैं हौज़े कौसर पर उनका पेश रू होऊँगा।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप अपनी उम्मत के उन लोगों को कैसे पहचानेंगे जो आपके बाद आयेंगे? आपने फ़रमाया: 'बताओ अगर एक आदमी के घोड़े सफ़ेद माथे और सफ़ेद हाथ पाँव वाले हों, जबकि दूसरे घोड़े ख़ालिस स्याह हों तो क्या वह अपने घोड़ों को नहीं पहचान लेगा।' उन्होंने कहा: क्यों नहीं, (ज़रूर पहचान लेगा।) आपने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा वह लोग क़यामत के दिन रोशन चेहरों और चमकते हाथ पाँव के साथ आयेंगे और मैं हौज़े कौसर पर उनका पेश रू होऊँगा।'

(150) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 249, मोता: 1/28, 29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 143.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पेश रू' से मुराद वह शख़्स है जो क़ाफ़िले से पहले आगे जाकर उनके पड़ाव और दूसरी ज़रूरियात का इन्तिज़ाम करता है। **(2)** आप (ﷺ) के सहाबा का मर्तबा आपके भाईयों से बुलन्द है क्योंकि भाई तो सब उम्मती हैं और सहाबा सिर्फ़ आपके फ़ैज़ याफ़्ता। **(3)** ये हदीस मसनून तरीक़े से क़ब्रों की ज़ियारत करने की मशरूइयत पर दलालत करती है, और इससे ये भी मालूम हुआ कि अहले क़ब्रो को सलाम कहना और उनके लिए दुआ करना मसनून अमल है। **(4)** नेक लोगों से मुलाक़ात की ख़्वाहिश करना और उनकी ख़ूबियाँ बयान करना दुरुस्त है। **(5)** इस हदीस से उम्मते मुहम्मदिया अला साहिबिस्सलात वस्सलाम की फ़ज़ीलत भी वाज़ेह होती है और हौज़े कौसर पर आप (ﷺ) पेश रू होंगें सुब्हानल्लाह! इस उम्मत को ये शर्फ़ व फ़ज़ल मुबारक हो जिनके पेश रू इमामे कायनात (ﷺ) होंगे।

बाब : (111) उस शख़्स का सवाब जिसने अच्छी तरह वुज़ू किया, फिर दो रकअतें पढ़ीं

باب : (۱۱۱) ثَوَابِ مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، وَأَبِي، عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " .

(151) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छी तरह बेहतरीन वुज़ू करे, फिर दो रकअत इस तरह पढ़े कि दिल और चेहरे की (ज़ाहिरन व बातिनन) तवज्जोह इन्हीं (दो रकअत) की तरफ़ हो, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।'

(151) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 234, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 178.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वुज़ू ख़ूब अच्छे तरीक़े से करना चाहिए। **(2)** वुज़ू के बाद दो रकअतें पढ़ना मुस्तहब है और उन्हें मुकम्मल ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ से अदा करना चाहिए क्योंकि ये जन्नत वाजिब करने का ज़रिया हैं। **(3)** जो शख़्स ये अमल करता है, उसके लिए ईमान पर मौत आने की ख़ुशख़बरी भी है क्योंकि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन जान ही दाख़िल होगी।

बाब : (112) कौन सी चीज़ें वुज़ू तोड़ती हैं और कौनसी नहीं। मज़ी से वुज़ू करने का बयान

باب : (۱۱۲) مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَمَا لاَ يَنْقُضُ؛ اَلْوُضُوءُ مِنَ الْمَذْيِ

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً

(152) हज़रत अली (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मुझे मज़ी बहुत आया करती थी। चूंकि नबी (ﷺ) की साहबज़ादी मेरे निकाह में थी, लिहाज़ा मुझे आपसे ये मसला पूछते शर्म आती थी, चुनांचे मैंने

وَكَانَتِ ابْنَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَحْتِي فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِي سَلْهُ . فَسَأَلَهُ فَقَالَ " فِيهِ الْوُضُوءُ " .

अपने पहलू में बैठे एक शख़्स से कहा कि आपसे (ये मसला) पूछे। उसने आपसे पूछा तो आपने फ़रमाया: 'उसके निकलने से वुज़ू वाजिब होता है। (गुस्ल नहीं)'

(152) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 269, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 147.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़ी वो लेसदार पतला सा पानी है जो शहवत के वक़्त जोश के बग़ैर शर्मगाह से निकलता है। बसा औक़ात उसके निकलने का एहसास भी नहीं होता। उसके निकलने से शहवत ख़त्म होती है न उसके निकलने से गुस्ल वाजिब होता है। **(2)** पहलू में बैठे हुए शख़्स हज़रत मिक़्दाद (ﷺ) थे। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 132, स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 203) सुनन नसाई की रिवायत में है कि हज़रत अ़ली ने हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) को कहा कि वह पूछें। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 154) लेकिन शैख़ अल्बानी (ﷺ) इसके मुताल्लिक़ लिखते हैं कि हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) से इस मसले के मुताल्लिक़ पूछने वाली रिवायत मुन्कर है। महफ़ूज़ रिवायत वही है जिसमें हज़रत अ़ली ने हज़रत मिक़्दाद को नबी (ﷺ) से पूछने का कहा है। देखिये (ज़ईफ़ सुनन नसाई, रक़म: 154, 155) जबकि कुछ रिवायात में आता है कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ने ये मसला ख़ुद पूछा। इमाम इब्ने हिब्बान (ﷺ) इनके दरम्यान तत्बीक़ देते हुए कहते हैं कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ने पहले हज़रत मिक़्दाद को कहा होगा और बाद में हज़रत अ़म्मार को कह दिया और फिर ख़ुद भी पूछ लिया होगा। लेकिन जिन रिवायात में हज़रत अ़ली (ﷺ) के ख़ुद पूछने का ज़िक्र है, वह उनके अपने क़ौल के ख़िलाफ़ है जो स़ही रिवायात में मन्क़ूल है कि मैंने ख़ुद पूछने में शर्म महसूस की क्योंकि आप (ﷺ) की बेटी फ़ातिमा (ﷺ) मेरे निकाह के अ़क़्द में थीं, लिहाज़ा जिन रावियों ने सवाल की निस्बत हज़रत अ़ली (ﷺ) की तरफ़ की है, वह इसलिए कि अस़ल मसला हज़रत अ़ली(ﷺ) को दरपेश था और वह इस मौक़े पर हाज़िर थे जैसा कि इमाम अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने आइश बिन अनस के वास्ते से बयान किया है कि हज़रत अ़ली, मिक्दाद और अस्वद (ﷺ) ने आपस में मज़ी का ज़िक्र किया तो अ़ली (ﷺ) ने कहा: मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती है, तुम दोनों नबी (ﷺ) से इसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करो तो उन दोनों में से एक ने पूछा। इस बिना पर सवाल की निस्बत हज़रत अ़म्मार (ﷺ) की तरफ़ मिजाज़ी है, दर हक़ीक़त हज़रत मिक़्दाद (ﷺ) ही ने मसला दरयाफ़्त किया था जैसा कि स़हीहैन की रिवायत से स़ाबित है। मज़ीद देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/293, हदीस़: 269)

(153) हज़रत अली (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत मिक़्दाद (ﷺ) से कहा: जब कोई आदमी अपनी बीवी से दिल लगी करे और उसे मज़ी आ जाये जब कि उसने जिमा नहीं किया (तो वह क्या करे?) आप ये मसला नबी (ﷺ) से पूछें क्योंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में है, इसलिए मुझे शर्म आती है। हज़रत मिक़्दाद ने पूछा तो आपने फ़रमाया: 'वह अपनी शर्मगाह वग़ैरह धो ले और नमाज़ वाला वुज़ू कर ले।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ يُجَامِعْ فَسَلِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَابْنَتُهُ تَحْتِي . فَسَأَلَهُ فَقَالَ " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

(153) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 208, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 148.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़कूरा रिवायत को हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे सही क़रार दिया है, नीज़ इस हदीस में भी वही मसला बयान हुआ है जो गुज़िश्ता हदीस में बयान हुआ हैं। याद रहे मज़कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावुजूद मअनन् (मानी के ऐतबार से) सही है। तफ़्सील के लिए देखिये: (इरवाउल ग़लील, रक़्म: 27, 125, सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, रक़्म: 153) **(2)** (مَذَاكِيرَهُ) इससे मुराद आज़ा-ए मख़्सूस, ख़सीयतैन और इर्द गिर्द की जगह है क्योंकि मज़ी आज़ा से निकल कर इधर उधर लग जाती है या उसके लगने का क़वी एहतिमाल है, इसलिए मुनासिब है कि आज़ा के साथ साथ अतराफ़ को भी धो ले ताकि शक व शुब्हा की गुंजाइश न रहे। ख़सीयतैन को धोने से मज़ी भी मुन्क़तअ हो जायेगी, ये इज़ाफ़ी फ़ायदा हैं वाजिब तो उतनी जगह ही धोना है जहाँ मज़ी लगी हो, अलबत्ता इमाम अहमद(رحمه الله) अज़्वे-मख़्सूस और ख़सीयतैन को धोना ज़रूरी समझते हैं, ज़ाहिर अल्फ़ाज़ इसी की ताईद करते हैं बल्कि एक रिवायत में ख़सीयतैन के धोने का सराहतन हुक्म मज़कूर है जिसे शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने सही क़रार दिया है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 208) **(3)** इस हदीस में सराहत के साथ हुस्ने मुआशरत का सबक़ दिया गया है कि आदमी अपनी बीवी के रिश्तेदारों के सामने उसके साथ तन्हाई वाले मामलात का तज़किरा न करे।

(154) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मुझे मज़ी बहुत आया करती थी, चुनांचे आप (ﷺ) की बेटी के मेरे निकाह में

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ

عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَجْلِ ابْنَتِهِ عِنْدِي فَقَالَ " يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ " .

होने की वजह से मैंने हज़रत अ़म्मार बिन यासिर(ﷺ) को कहा कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस मसले की बाबत पूछें तो आपने फ़रमाया: 'इस (मज़ी) से वुज़ू काफ़ी है।'

(154) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस़: 4/320, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 150.

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا أُمَيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَنَّ رَوْحَ بْنَ الْقَاسِمِ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْىِ فَقَالَ " يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ " .

(155) हज़रत अ़ली (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने हज़रत अ़म्मार (ﷺ) से कहा कि वह अल्लाह के रसूल (ﷺ) से मज़ी के बारे में पूछें। आपने फ़रमाया: 'वह अपनी शर्मगाह वग़ैरह धो ले और वुज़ू कर ले।'

(155) तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 151.

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْوَزِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، - وَهُوَ ابْنُ أَنَسٍ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيًّا، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

(156) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत अ़ली (ﷺ) ने उससे कहा कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस आदमी के बारे में पूछें जो अपनी बीवी से क़रीब होता है तो उससे मज़ी निकलती है तो उस पर क्या वाजिब है? चूंकि आपकी बेटी मेरे निकाह में है, इसलिए मुझे ये पूछते हुए शर्म आती है, चुनांचे मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई ये सूरते हाल पाये तो वह अपनी शर्मगाह धो ले और नमाज़ वाला वुज़ू कर ले।'

(156) तख़रीज : (सनद सहीह) अबू दाऊद, हदीस़: 207, इब्ने माजा, हदीस़: 505, मोत्ता: 1/40, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, मुस्लिम, हदीस़: 303.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़ी नजिस है लेकिन इसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। अगर इसका निकलना यक़ीनी है और ख़ारिज हो चुकी हो तो मज़कूरा अहादीस़ की रोशनी में शर्मगाह और आस-पास के आलूदा मक़ाम को धोना ज़रूरी है बल्कि कुछ अहादीस़ से ख़ुस्यतैन को धोने का वुजूब भी साबित होता है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 208) और जिस कपड़े को मज़ी लगी हो तो स़ही अहादीस़ की रोशनी में उसके धोने में तख़्फ़ीफ़ (छूट) है, यानी मुतास्सिरा मक़ाम पर पानी का एक चुल्लू भर कर छींटे भी मार लिए जायें तो तहारत हास़िल हो जाती है जैसा कि हज़रत सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) ने आप (ﷺ) से कपड़ों पर मज़ी लगने के मुताल्लिक़ पूछा कि इस सूरत में तहारत कैसे हास़िल होगी तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तेरे ख़्याल में जहाँ मज़ी लगी हो तो तेरे लिए चुल्लू भर पानी लेकर कपड़ों पर छींटे मार लेना काफ़ी है।' मालूम हुआ कि कपड़े पर लगी मज़ी के इज़ाले के लिए कम अज़ कम ये शरई रुख़सत मौजूद है। अगर कोई धोना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है, बहरहाल मज़कूरा सूरत से तहारत हास़िल हो जायेगी। यही मौक़फ़ इमाम अहमद बिन हम्बल(رحمه الله) का भी है जबकि इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का मौक़फ़ है कि हर सूरत में कपड़े को धोया ही जाये। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 115) लेकिन दुरुस्त मौक़फ़ इमाम अहमद (رحمه الله) का है और इसकी हदीस़ से ताईद भी होती है। गोया अहादीस़ में जहाँ धोने का हुक्म है, वहाँ मुराद शर्मगाह है और जहाँ छींटों का ज़िक्र है वहाँ मुराद कपड़ों पर छींटे मारना है। याद रहे कि पानी में हाथ डूबो कर कपड़े पर मारे हुए छींटे किफ़ायत नहीं करते क्योंकि हदीस़ में 'एक चुल्लू' की क़ैद है। वल्लाहु आलम! **(2)** कुछ अहादीस़ में (نضح) का लफ़्ज़ है अगरचे इससे मुराद धोना और छींटे मारना, दोनों हो सकते हैं लेकिन चूंकि कुछ रिवायात में (رش) के अल्फ़ाज़ भी हैं, इसलिए मुराद यही है कि कपड़ों पर छींटे काफ़ी हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذْىِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " فِيهِ الْوُضُوءُ " .

(157) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मुझे हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) की वजह से शर्म आती थी कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से मज़ी के बारे में पूछूं, चुनांचे मैंने मिक़्दाद बिन अस्वद (ﷺ) से कहा तो उन्होंने आपसे पूछा। आपने फ़रमाया: 'इसमें वुज़ू है।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 132, मुस्लिम, हदीस़: 303/18, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 149.

बाब : (113) बोल व बराज़ (पेशाब व पाखाना) की वजह से वुज़ू

باب : (١١٣)
الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يُحَدِّثُ قَالَ أَتَيْتُ رَجُلاً يُدْعَى صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقَعَدْتُ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ . قَالَ إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ . فَقَالَ عَنْ أَىِّ شَىْءٍ تَسْأَلُ قُلْتُ عَنِ الْخُفَّيْنِ . قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَهُ ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ .

(158) हज़रत ज़िर्र बिन हुबैश से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैं एक आदमी के पास गया जिन्हें सफ़वान बिन अस्साल कहा जाता था। मैं (इन्तिज़ार में) उनके दरवाज़े पर बैठ गया। आप बाहर तशरीफ़ लाये तो पूछा: कैसे आये हो? मैंने कहा: तलबे इल्म के लिए। उन्होंने फ़रमाया: फ़रिश्ते तालिबे इल्म के तल्बे इल्म पर रज़ामंदी का इज़हार करते हुए अपने पर झुकाते हैं। फिर उन्होंने पूछा: तुम क्या पूछना चाहते हो? मैंने कहा: मोज़ों के बारे में। उन्होंने फ़रमाया: जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ (किसी सफ़र में) होते थे तो आप हमें फ़रमाते थे कि हम तीन दिन तक पेशाब या पाख़ाने और नींद की वजह से मोज़ें न उतारें लेकिन जनाबत की वजह से उतारने होंगे।

(158) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 127 में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 146.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि पेशाब, पाख़ाने और नींद की वजह से वुज़ू टूट जाता है, नया करना पड़ेगा, वरना मोज़ें उतारने के ज़िक्र का कोई फ़ायदा नहीं। **(2)** कुछ का कहना है कि फ़रिश्तों के पर झुकाने से मुराद ताज़ीम व एहतिराम है, जैसे क़ुर्आन मजीद में है: 'और उन दोनों (वालिदैन) के लिए न्याज़मंदी से आजिज़ी का बाज़ू झुकाये रख।' (बनी इस्राईल: 17/24) वल्लाहु आलम! **(3)** इस हदीस में तालिबे इल्म का शर्फ़ व मर्तबा भी बयान हुआ है कि फ़रिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं। **(4)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अहले इल्म से सवाल पूछने के लिए उनका अदब व एहतिराम मल्हूज़ रखना ज़रूरी है, इसलिए कि उलमा अम्बिया के वारिस हैं।

बाब : (114) क़ज़ा-ए-हाजत की वजह से (भी) वुज़ू (वाजिब होता है)

باب : (۱۱۴) اَلْوُضُوءُ مِنَ الْغَائِطِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ عَسَّالٍ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَهُ ثَلاَثًا إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ ‏.‏

(159) हज़रत सफ़वान बिन अस्साल (﵁) बयान करते हैं कि जब हम किसी सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ होते थे तो आप हमें इरशाद फ़रमाते थे कि हम तीन दिन तक पेशाब, पाख़ाने और नींद की वजह से मोज़ें न उतारें, लेकिन जनाबत की वजह से उतारना पड़ेंगे।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : (115) हवा (ख़ारिज होने) की वजह से वुज़ू

باب : (۱۱۵) اَلْوُضُوءُ مِنَ الرِّيحِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ - وَعَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ، - وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ - قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ ‏"‏ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا ‏"‏ ‏.‏

(160) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (﵁) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास उस आदमी का मसला पेश किया गया, जो नमाज़ के दौरान में कोई चीज़ महसूस करे (उसे शक पड़े कि हवा ख़ारिज हुई है तो क्या करे?) तो आपने फ़रमाया: 'वह नमाज़ से न निकले यहाँ तक कि बू पाये या (हवा निकलने की) आवाज़ सुने।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 137, मुस्लिम, हदीस: 361, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 152.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर नमाज़ के दौरान में हवा निकलने का शुब्हा पड़े तो महज़ वहम और शक की बुनियाद पर नमाज़ से नहीं निकलना चाहिए जब तक यक़ीन न हो जाये कि हवा ख़ारिज हुई है क्योंकि फ़िक़्ह का क़ायदा है कि चीज़ें अपनी असल ही पर रहती हैं जब तक उसके बरअक्स का यक़ीन न हो। यक़ीन शक से ज़ाइल नहीं होता। (अल अशबा वन्नज़ाइर) **(2)** इस हदीस से ये भी मालूम हुआ

कि हवा निकलने से वुज़ू टूट जाता है तभी तो नमाज़ से निकलने का कहा गया है। (3) अगर किसी चीज़ का इल्म न हो तो उसके मुताल्लिक़ पूछने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। सहाबा-ए-किराम (ﷺ) को जिस क़िस्म का मसला दरपेश होता, वह फ़ौरन रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछते थे।

बाब : (116) नींद की वजह से वुज़ू

باب: (١١٦) اَلْوُضُوءُ مِنَ النَّوْمِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

(161) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स नींद से जागे तो अपना हाथ बर्तन में न डाले यहाँ तक कि पहले उस पर तीन दफ़ा पानी डाल कर धो ले क्योंकि वह नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ बसर की। (रात भर कहाँ कहाँ लगता रहा है।)'

(161) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 153, ये हदीस: 1 में गुज़र चुका है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि नींद से वुज़ू टूट जाता है तभी तो जागने के बाद पानी के बर्तन का ज़िक्र है। **(2)** नींद से इस बिना पर वुज़ू टूटता है कि इसमें जिस्म से हवा ख़ारिज होने का इम्कान बढ़ जाता है और सोने वाले को इसका पता नहीं चलता, इसी तरह अगर ऊंघ इस दर्जा ग़ालिब हो कि शऊर व इदराक ही ख़त्म हो जाये तो ये भी नींद है और मुत्लक़ नींद नाक़िज़े वुज़ू है। ख़्वाह जिस हालत में भी आ जाये, क्योंकि मुत्लक़ नींद आने पर वुज़ू के टूटने की हदीसें मौजूद हैं। लेकिन अगर नींद में हवास क़ाइम हों, शऊर ज़िन्दा हो तो हमारी ज़बान में इसे ऊंघ कहते हैं, ये किसी भी हालत में आ जाये, वुज़ू नहीं टूटता। वल्लाहु आलम!

बाब : (117) ऊंघ का बयान

باب: (١١٧) النُّعَاسِ

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

(162) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब किसी शख़्स को नमाज़ में ऊंघ आने लगे तो वह नमाज़ छोड़

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ لَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لاَ يَدْرِي " .

कर पलट जाये। हो सकता है कि वह अंजाने में अपने आपको बद्दुआ दे बैठे।'

(162) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़ 212, मुस्लिम, हदीस़: 786, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 154, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 907.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से मालूम होता है कि ऊंघ वुज़ू को नहीं तोड़ती क्योंकि नबी (ﷺ) ने नमाज़ छोड़ने की ये वजह बयान की है कि हो सकता है, नमाज़ी अपने आपको बेख़्याली की हालत में बद दुआ दे बैठे, ये नहीं कि उसका वुज़ू टूट गया है, और इस रिवायत का ये मतलब नहीं कि ऊंघ आते ही नमाज़ छोड़ दे बल्कि नमाज़ मुख़्तसर करके नमाज़ से फ़ारिग़ हो और फिर लेट जाये, अलबत्ता अगर नींद का ग़ल्बा इतना ज़्यादा हो कि दुआएँ और सूरतें पढ़नी मुश्किल हों तो नमाज़ छोड़ कर पहले नींद पूरी करे, फिर नमाज़ पढ़े। हदीस़ से यही सूरत मालूम होती है। वल्लाहु आलम! **(2)** इस हदीस़े मुबारका में इबादत के दौरान में हुज़ूरे क़ल्ब और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ की तर्ग़ीब दिलाई गई है।

باب : (۱۱۸) اَلْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

बाब : (118) अज़्वे मख़्सूस (शर्मगाह) को छूने से वुज़ू (टूट जाता है)

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ فَقَالَ مَرْوَانُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوُضُوءُ . فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ . فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ

(163) हज़रत उ़रवा बिन ज़ुबैर से मरवी है, उन्होंने कहा: मैं मरवान बिन हकम के पास गया, चुनांचे हमने आपस में उन चीज़ों का ज़िक्र किया जिनसे वुज़ू वाजिब होता है। मरवान ने कहा: शर्मगाह को छूने से भी वुज़ू वाजिब हो जाता है। मैंने कहा: मुझे तो इस बात का इल्म नहीं। मरवान ने कहा: मुझे हज़रत बुसरा बिन्ते स़फ़वान (ﷺ) ने बताया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब तुममें से कोई अपनी शर्मगाह को छू बैठे तो उसे चाहिए कि वुज़ू करे।'

(163) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 181, मोत्ता: 1/42, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 159, तिर्मिज़ी, हदीस़: 82, 84, इब्ने माजा, हदीस़: 479.

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

फ़ायदा : अज़्वे- मख़्सूस या शर्मगाह की नौईयत ऐसी नहीं है कि उस जगह हाथ लगाने के बाद उस हाथ को खाने या क़िराअते कुर्आन या नमाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाये। ऐसा करना फ़ितरते सलीमा के ख़िलाफ़ है, इसलिए ज़रूरी है कि हाथ लगने के बाद वुज़ू किया जाये, बशर्ते कि कपड़े के बग़ैर हाथ लगे। कुछ हज़रात ने शहवत और ग़ैर शहवत में फ़र्क़ किया है, यानी अगर कपड़े के ऊपर से शहवत की हालत हाथ लगाये, तब वुज़ू टूटता है जबकि जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक अगर कपड़े के ऊपर से हाथ लगे तो वुज़ू नहीं टूटता और अगर कपड़े वग़ैरह के बग़ैर नंगे आज़ा पर हाथ लग जाये तो वुज़ू टूट जाता है। लेकिन अहनाफ़ किसी सूरत में भी वुज़ू के क़ायल नहीं। उनकी दलील आगे (हदीस़: 165) आ रही है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ لاَ وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ . فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ " . قَالَ عُرْوَةُ فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلاً مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا عَمَّا حَدَّثَتْ مَرْوَانَ

(164) हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर से मन्क़ूल है, उन्होंने कहा: मरवान ने मदीने की इमारत (गर्वनरी) के दौरान में ज़िक्र किया कि जब आदमी अपना हाथ अज़्वे-मख़्सूस को लगाये तो उसे इसके बाद वुज़ू करना चाहिए। मैंने इसका इंकार किया और कहा: जिसने अपने अज़्वे मख़्सूस को हाथ लगाया उस पर कोई वुज़ू नहीं है। तो मरवान ने कहा कि मुझे बुसरा बिन्ते स़फ़वान (ﷺ) ने बयान किया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को उन चीज़ों का ज़िक्र करते हुए सुना जिनसे वुज़ू करना पड़ता है, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अज़्वे-मख़्सूस को छूने से भी वुज़ू करे।' उरवा ने कहा कि मैं मरवान से बहस़ करता रहा यहाँ तक कि उसने अपने मुहाफ़िज़ दस्ते से एक आदमी बुलाया और उसे बुसरा के पास भेजा। उसने उनसे उस रिवायत के बारे में सवाल किया जो उन्होंने मरवान को बयान की थी तो हज़रत बुसरा (ﷺ) ने वही रिवायत सुना कर भेजा जो मरवान ने मुझे उनके

فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ .

नाम से बयान की थी।

(164) **तख़रीज : (सनद स़ही)** पीछे की हदीस़ देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) (أفضى إليه بيده) के अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि शर्मगाह छूने से वुज़ू वाजिब होता है, बशर्ते कि हाथ और आज़ा-ए-तनासुल दोनों नंगे हों। **(2)** मरवान हज़रत मुआविया(ﷺ) के दौर में मदीने के गर्वनर थे, इल्मी शख़्सियत थे, मुहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह रावी हैं। उम्र के लिहाज़ से कुछ सहाबा के बराबर थे मगर ताइफ़ में रहने की वजह से रिवायत का शर्फ़ हासिल करने से महरूम रहे। यज़ीद की वफ़ात के बाद ख़लीफ़ा भी बने बल्कि बनू उमय्या के दौरे ख़िलाफ़त के ख़ात्मे तक उनकी औलाद ही ख़िलाफ़त करती रही। चूंकि ये सियासत में आगे थे, इसलिए मुतनाज़आ (इख़्तिलाफ़ी) शख़्सियत बन गये।

باب : (۱۱۹)
تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ ذَٰلِكَ

बाब : (114)
अज़्वे-मख़सूस को छूने से वुज़ू न करना

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ مُلاَزِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " وَهَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ " .

(165) हज़रत तल्क़ बिन अ़ली (ﷺ) से रिवायत है उन्होंने कहा: हम वफ़द की सूरत में अपने इलाक़े से निकले यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास पहुँचे, चुनांचे हमने आपकी बैत की और आपके साथ नमाज़ पढ़ी। नमाज़ ख़त्म होने के बाद एक बदवी सा आदमी आया और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! उस आदमी के बारे में क्या हुक्म है जो नमाज़ में अपने अ़ज़्वे-तनासुल को छू बैठता है। आपने फ़रमाया: 'वह भी तेरे जिस्म का एक टुकड़ा ही तो है।'

(165) **तख़रीज : (सनद स़ही)** तिर्मिज़ी, हदीस़: 85, अबू दाऊद, हदीस़: 182, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 160, इब्ने हिब्बान: 2/224, हदीस़: 1119.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रिवायत के अन्दाज़ से मालूम होता है कि शर्मगाह छूने से वुज़ू नहीं टूटेगा। अहनाफ़ ने इसी रिवायत को दलील बना कर मस्स ज़कर (शर्मगाह छूने) को नवाक़िज़ (टूटने) में शुमार

नहीं किया मगर ये रिवायत बहुत पहले की है क्योंकि हज़रत तल्क़ बिन अ़ली (ﷺ) आये तो मस्जिदे नबवी तामीर हो रही थी। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनसे गारा बनाने की ख़िदमत भी ली थी। गोया ये रिवायत हिजरत के पहले साल की है और बुसरा की रिवायत बहुत बाद की है क्योंकि बुसरा बिन्ते स़फ़वान (ﷺ) ने फ़तह मक्का वाले साल 8 हिजरी को इस्लाम क़ुबूल किया था, और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के साल 7 हिजरी को इस्लाम लाये हैं, वह भी शर्मगाह छूने से वुज़ू टूटने का ज़िक्र करते हैं। याद रहे दलाइल के ऐतबार से यही मौक़फ़ राजेह है कि अगर कपड़े के बग़ैर शर्मगाह को छूया जाये तो उससे वुज़ू टूट जाता है क्योंकि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी रिवायत में इस बात की स़राहत मौजूद है। देखिये: (मुसनद अहमद: 2/333) अ़ल्लामा स़न्आनी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि हज़रत बुसरा वाली रिवायत की ताईद दूसरी अहादीस़ से भी होती है जिन्हें सतरह (17) स़हाबा बयान करते हैं। इनमें से एक रावी तल्क़ बिन अ़ली भी हैं जिनसे शर्मगाह छूने से वुज़ू न टूटने की रिवायत मन्क़ूल है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 3/326-372, हदीस़: 164) **(2)** मर्द और औ़रत इस हुक्म में बराबर हैं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'जो मर्द और औ़रत अपनी शर्मगाह को हाथ लगाये, उसे चाहिए कि वुज़ू करे।' (मुसनद अहमद: 2/333) **(3)** इस मसले में अगली और पिछली शर्मगाह का एक ही हुक्म है। **(4)** अपनी शर्मगाह की तरह दूसरे की शर्मगाह को हाथ लगाने से भी वुज़ू टूट जाता है। **(5)** औ़रतें घरों में बच्चों को इस्तिन्जा वग़ैरह कराती हैं तो उसके मुताल्लिक़ यही मौक़फ़ राजेह है कि उसे भी नाक़िज़े वुज़ू (वुज़ू टूटने में) शुमार किया जाये। तफ़्सील के लिए देखिये: (अलमजमूअ़: 2/30, अलमुग़नी: 1/244)

बाब : (120)
आदमी अपनी औ़रत को बग़ैर शहवत के हाथ लगाये तो वुज़ू वाजिब नहीं

باب: (١٢٠)
تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ

(166) हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं कि बेशक अल्लाह के रसूल (ﷺ) नमाज़ पढ़ते होते और मैं आपके सामने इस तरह लेटी होती जैसे जनाज़ा होता है यहाँ तक कि जब आप वित्र पढ़ने का इरादा फ़रमाते तो मुझे पाँव लगा कर जगा देते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي وَإِنِّي

لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ .

(166) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 6/259, मुस्लिम, हदीस: 744/135.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُمُونِي مُعْتَرِضَةً بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ .

(167) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: (यूँ समझो कि) तुम मुझे देख रहे हो कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सामने लेटी होती और अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ते होते। जब आप सज्दा करने का इरादा फ़रमाते तो मेरा पाँव हाथ से दबाते, मैं पाँव सिकुड़ लेती, फिर आप सज्दा फ़रमाते।

(167) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 519, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 157.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلاَىَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

(168) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सामने सोई होती थी और मेरे पाँव आपके क़िब्ले में होते थे। जब आप सज्दा फ़रमाते तो मेरे पाँव दबा देते। मैं उन्हें सिकुड़ लेती। जब आप खड़े होते तो फिर बिछा लेती। इन दोनों घरों में चिराग़ नहीं होते थे।

(168) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 382, मुस्लिम, हदीस: 512/272, मोत्ता: 1/117, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 156.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، وَنُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ فَقَدْتُ النَّبِيَّ

(169) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक रात मैंने नबी (ﷺ) को अपने साथ न पाया तो मैंने अपने हाथों से आपको तलाश करना शुरू कर दिया, चुनांचे मेरा हाथ आपके पाँव को लगा जो सीधे खड़े थे, जब कि आप सज्दे में थे और पढ़ रहे थे:

(أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)

صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

'(ऐ अल्लाह!) मैं तेरे गुस्से से (बचने के लिए) तेरी रज़ामंदी और तेरी सज़ा से (बचने के लिए) तेरी माफ़ी की पनाह हासिल करता हूँ। और तेरे ग़ज़ब से (बचने के लिए) तेरी रहमत की पनाह में आता हूँ। मैं तेरी पूरी तारीफ़ नहीं कर सकता। तू उसी तरह है जिस तरह तूने ख़ुद अपनी तारीफ़ की है।'

(169) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 486, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 158.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई चारों अहादीस बाब के मज़मून पर दलालत करती हैं, यानी आप (ﷺ) ने ज़रूरत के पेशे नज़र नमाज़ के दौरान में हज़रत आयशा (رضي الله عنها) को छूआ और नमाज़ पढ़ते रहे, गोया वुज़ू न टूटा। चौथी हदीस में है कि हज़रत आयशा ने आप (ﷺ) को छूआ और नमाज़ में कोई फ़र्क़ न पड़ा। **(2)** ये बाब क़ायम करने की वजह ये है कि कुछ फ़ुक़हा, जैसे: इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) इस बात के क़ायल हैं कि औरत को छूने से वुज़ू टूट जाता है। ज़ख़ीर-ए-हदीस में तो कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसमें औरत को छूने से वुज़ू टूटने का सराहतन या इशारतन ज़िक्र हो बल्कि इसके ख़िलाफ़ बहुत सारी अहादीस हैं, अलबत्ता क़ुर्आन मजीद की एक आयत के अल्फ़ाज़: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (अल मायदा: 5/6) से इस्तिदलाल किया जाता है मगर ये इस्तिदलाल अक़्लन और नक़्लन बईद है। यहाँ ये अल्फ़ाज़ जिमा का मफ़हूम मुराद लेने के लिए आये हैं न कि मुत्लक़ छूने के लिए, और ये मानी मुराद लेने से इन तमाम अहादीस की ग़ैर मुनासिब तावीलें करनी पड़ेंगी या उन्हें छोड़ना पड़ेगा। दोनों सूरतें अच्छी नहीं। **(3)** इमाम नसाई (رحمه الله) के बाब और अहादीस से वाज़ेह है कि औरत को हाथ लगाने से वुज़ू नहीं टूटेगा, चाहे शहवत से हो (जैसा कि अगले बाब में वज़ाहत है) या बग़ैर शहवत के जैसा कि इस बाब की अहादीस से मालूम होता है। **(4)** इन रिवायात से मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे लेटा हुआ होना, ख़्वाह उसकी बीवी ही हो कोई हर्ज वाली बात नहीं, अलबत्ता नमाज़ी के आगे से गुज़रना एक अलग चीज़ है, इससे नमाज़ी के ख़ुशूअ में फ़र्क़ पड़ेगा और गुज़रने वाला सख़्त गुनाहगार होगा। **(5)** सज्दे में पाँव गाड़ना (सीधे खड़े रखना) मुस्तहब है। **(6)** सज्दे में दुआ करना मुस्तहब अमल है क्योंकि ये क़ुबूलियते दुआ की हालत है। **(7)** अल्लाह तआला के ग़ुस्से और उसके अज़ाब से पनाह माँगते रहनी चाहिए। **(8)** अल्लाह तआला की अज़मत व किब्रियाई बयान करते हुए मख़्लूक़ का उसकी कमा हक़्क़हू तारीफ़ करने से आजिज़ी का ऐतराफ़ करते रहना चाहिए।

बाब : (121)
बोसा देने के बाद वुज़ू न करना

باب : (١٢١)
تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

(170) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) अपनी कुछ बीवियों को बोसा देते, फिर नमाज़ पढ़ते और नया वुज़ू न फ़रमाते थे। इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि इस मसले में इससे बेहतर कोई रिवायत नहीं, अगरचे इसकी सनद मुर्सल (मुन्क़तअ) है (क्योंकि इब्राहीम तैमी का हज़रत आयशा (ﷺ) से सिमाअ साबित नहीं है) आमश ने इस हदीस को हबीब बिन अबी साबित अन आयशा की सनद से बयान किया है।

यहया बिन सईद क़त्तान (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये रिवायत और इसी सनद (हबीब अन उरवा अन आयशा) से मन्क़ूल एक और रिवायत: 'इस्तिहाज़ा वाली औरत नमाज़ पढ़ती रहे अगरचे ख़ून चटाई पर गिरता हो।' दोनों ग़ैर मोतबर हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مُرْسَلاً وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ هَذَا وَحَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ تُصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ لاَ شَىْءَ .

(170) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 178, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 155, तिर्मिज़ी, हदीस: 86, इब्ने माजा, हदीस: 506 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल: (1) 'मुर्सल (मुन्क़तअ) है' इमाम नसाई (رحمه الله) ने अगरचे इस हदीस को मुन्क़तअ क़रार दिया है, मगर दारक़ुतनी वग़ैरह में ये रिवायत मुत्तसल सनद से भी मरवी है, लिहाज़ा ये हदीस हुज्जत है। **(2)** 'दोनों ग़ैर मोतबर हैं।' क्योंकि हबीब का उरवा से सिमाअ साबित नहीं। इमाम तिर्मिज़ी और इमाम बुख़ारी (رحمه الله) का यही ख़याल है। लेकिन इमाम अबू दाऊद (رحمه الله) ने इस सनद को सही क़रार दिया है, नीज़ इस हदीस के शवाहिद भी मौजूद हैं, इसलिए ये हदीस क़ाबिले इस्तिदलाल है। **(3)** इस रिवायत से मालूम होता है कि औरत को शहवत के साथ छूने से भी वुज़ू नहीं टूटता, बशर्ते कि मज़ी न निकले। **(4)** कुछ बीवियों से मुराद हज़रत आयशा (ﷺ) ही हैं। देखिये: (सुनन दारक़ुतनी: 1/137)

बाब : (122) आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू

باب : (١٢٢) الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

(171) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: 'आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करो।'

(171) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 352, तिर्मिज़ी, हदीस: 180.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

(172) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: 'आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।'

(172) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 179, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ - قَالَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

(173) अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को मस्जिद की छत पर वुज़ू करते देखा, उन्होंने फ़रमाया: मैंने पनीर के टुकड़े खाये थे, इसलिए मैंने वुज़ू किया क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करने का हुक्म देते सुना है।

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ مُضَرَ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَكَلْتُ أَثْوَارَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأْتُ مِنْهَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

(174) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि क्या मैं उस खाने की वजह से वुज़ू करूं जिसे मैं अल्लाह की किताब में हलाल पाता हूँ सिर्फ़ इस बिना पर कि वह आग पर पका है? हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बहुत सी कंकरियाँ जमा कीं और फ़रमाया: मैं इन कंकरियों की तादाद के बराबर गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 2/529, इब्ने माजा, हदीस: 485, तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद: 1/266.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، يَقُولُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَتَوَضَّأُ مِنْ طَعَامٍ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلاَلاً لأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصًى فَقَالَ أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

(175) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।'

(175) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 183.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

(176) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।'

(176) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 4/28, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 182.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، - قَالَ مُحَمَّدٌ الْقَارِيُّ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " .

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَرَمِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " .

(177) हज़रत अबू तलहा अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।'

(177) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 181.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ" تَوَضَّئُوا مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ " .

(178) हज़रत अबू तलहा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर उस चीज़ (के खाने) से वुज़ू करो जिसे आग ने पकाया हो।'

(178) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 4/28.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

(179) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: 'हर उस चीज़ (के खाने) से वुज़ू करो जिसे आग ने पकाया हो।'

(179) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 351, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 185.

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

(180) अबू सुफ़ियान बिन सईद बिन अख़नस बिन शरीक़ नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मुहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (ﷺ) के पास गये। उम्मे हबीबा (ﷺ) उनकी ख़ाला थीं। उन्होंने उनको

أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ بْنِ شَرِيقٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ خَالَتُهُ فَسَقَتْهُ سَوِيقًا ثُمَّ قَالَتْ لَهُ تَوَضَّأْ يَا ابْنَ أُخْتِي فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

सत्तू पिलाये, फिर फ़रमायाः ऐ भाँजे! वुज़ू करो क्योंकि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमायाः 'हर उस चीज़ (के खाने) से वुज़ू करो जिसे आग ने पकाया हो।'

(180) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 195, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 186.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الأَخْنَسِ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَهُ وَشَرِبَ سَوِيقًا يَا ابْنَ أُخْتِي تَوَضَّأْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " .

(181) अबू सुफ़ियान बिन सईद बिन अख़नस से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मुहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा (رضي الله عنها) ने उससे कहा, जब कि उसने सत्तू पिये थेः ऐ भाँजे! वुज़ू कर क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुनाः 'आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू करो।'

(181) तख़रीज : (सनद सही) पीछे की हदीस देखें।

फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीसों से मालूम होता है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करना चाहिए मगर इस हुक्म को वुजूब पर महमूल करना मुश्किल है क्योंकि वुज़ू तो किसी पलीद चीज़ निकलने से टूटता है न कि पाक चीज़ खाने से जैसा कि हदीस नम्बर 174 में हज़रत इब्ने अब्बास(رضي الله عنه) ने इश्काल (सूरत) ज़ाहिर फ़रमाया है, लिहाज़ा इन अहादीस को या तो इस्तिहबाब पर महमूल किया जायेगा या ये हुक्म मन्सूख़ है जैसा कि आइन्दा बाब की अहादीस से मालूम होता है कि शुरू दौर में आपने ये हुक्म दिया था बाद में आपने ख़ुद ही इस हुक्म पर अमल नहीं किया। (देखियेः हदीसः 185) और सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) ने भी इस पर अमल छोड़ दिया और यही जुम्हूर फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन का मस्लक और यही राजेह है। वल्लाहु आलम!

बाब : (123) आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू न करना

باب : (١٢٣) تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفًا فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً .

(182) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने कन्धे का गोश्त खाया, फिर आपके पास बिलाल आये तो आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गये और पानी को छूआ तक नहीं।

(182) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 491, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 187.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلاَمٍ ثُمَّ يَصُومُ . وَحَدَّثَنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(183) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (कभी कभी) सुबह के वक़्त एहतिलाम नहीं बल्कि जिमा से जुन्बी होते थे, फिर (इसी तरह) रोज़ा रख लेते थे। और इस हदीस के साथ उन्होंने हमें ये हदीस भी बयान की कि एक दफ़ा उन्होंने नबी (ﷺ) को पहलू का भुना हुआ गोश्त पेश किया, आपने उसमें से कुछ खाया, फिर नमाज़ के लिए उठ खड़े हुए और वुज़ू नहीं फ़रमाया।

(183) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1109, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 189.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एहतिलाम या जिमा की बिना पर जनाबत किसी भी वक़्त हो सकती है, इसलिए शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि अगर किसी को ये सूरते हाल आ गई और वह रोज़ा रखना चाहता है, गुस्ल का वक़्त नहीं, अगर गुस्ल करता है तो सहरी रह जायेगी तो उसे इजाज़त है कि इसी तरह रोज़ा रख ले और बाद में नमाज़ से पहले नहा ले। अगर रोज़े के दौरान में भी किसी को एहतिलाम हो जाये तो रोज़े को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। **(2)** (لَمْ يَمَسَّ مَاءً) ज़ाहिर मानी भी मुराद हो सकता है। गोया

कुल्ली भी नहीं की क्योंकि कुल्ली फ़र्ज़ नहीं और मुम्किन है कि ये किनाया हो वुज़ू न करने से, यही बात वाज़ेह है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(184) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने रोटी और गोश्त खाया, फिर नमाज़ के लिए उठ खड़े हुए और वुज़ू नहीं फ़रमाया।

(184) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/366, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 190, पीछे की हदीस़ देखें।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

(185) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि इन दो कामों में से अल्लाह के रसूल (ﷺ) का आख़िरी काम ये था कि आप आग पर पकी हुई चीज़ (खाने) से वुज़ू नहीं फ़रमाते थे।

(185) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 192, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 188, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : दो कामों से मुराद आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करना और न करना है, गोया वुज़ू करने का हुक्म मन्सूख़ है, हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) की रिवायत भी इसी तरफ़ इशारा कर रही है क्योंकि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) फ़तह मक्का के बाद मदीना आये थे।

باب: (۱۲۴) اَلْمَضْمَضَةُ مِنَ السَّوِيقِ

बाब : (124) सत्तू खाने के बाद कुल्ली करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ،

(186) हज़रत सुवैद बिन नोमान (ﷺ) से रिवायत है कि वह (सुवैद) ग़ज़्व-ए-ख़ैबर के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले यहाँ तक

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَتَمَضْمَضَ وَتَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

कि जब लश्कर सहबा में पहुँचा, और वह ख़ैबर से क़रीब तरीन इलाक़ा है, तो आपने अस्र की नमाज़ पढ़ाई, फिर आपने अपना अपना ज़ादेराह लाने का हुक्म दिया तो सिर्फ़ सत्तू ही लाये गये, आपने हुक्म दिया तो सत्तू पानी में भिगोये गये, फिर आपने खाये और हमने भी खाये, फिर आप मग़रिब की नमाज़ के लिए उठ खड़े हुए। आपने सिर्फ़ कुल्ली की और हमने भी कुल्ली ही की, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई और वुज़ू नहीं किया।

(186) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 209, मोत्ता: 1/26, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 191.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि सत्तू मुँह में रह जाते हैं। कुल्ली के बग़ैर मुँह साफ़ नहीं होता, लिहाज़ा इसके बाद कुल्ली कर लेनी चाहिए ताकि मुँह साफ़ हो जाये और नमाज़ की अदायगी में ख़लल न पड़े। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता है कि आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू करना ज़रूरी नहीं। **(3)** सफ़र में ज़ादेराह लेना तवक्कल के मनाफ़ी नहीं। **(4)** एक वुज़ू से एक से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ना दुरुस्त है।

باب : (۱۲۵)
اَلْمَضْمَضَةُ مِنَ اللَّبَنِ

बाब : (125)
दूध पीने के बाद कुल्ली करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " .

(187) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने दूध पिया, फिर पानी मंगवाया और कुल्ली की, फिर आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ इसमें चिकनाहट होती है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 211, मुस्लिम, हदीस: 358, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 192.

फ़ायदा : दूध के असरात ख़ुसूसन चिकनाहट और मिठास मुँह में रह जाते हैं, लिहाज़ा दूध पीने के बाद कुल्ली करना मुस्तहब है।

कौन सी चीज़ें गुस्ल वाजिब करती हैं और कौन सी नहीं?

ذِكْرُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ

बाब : (126)
जब काफ़िर मुसलमान हो तो गुस्ल करे

بَاب : (١٢٦)
غُسْلُ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَغَرِّ، - وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ - عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

(188) हज़रत क़ैस बिन आसिम से मन्क़ूल है कि वह मुसलमान हुए तो नबी (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि पानी और बैरी के पत्तों से गुस्ल करें।

(188) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 355, तिर्मिज़ी, हदीस: 605, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 254, 255, इब्ने हिब्बान, हदीस: 234, इब्ने जारूद, हदीस: 14, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 193.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये गुस्ल जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक मुस्तहब है ताकि उसे एहसास हो कि मैं अन्दरूनी और बैरूनी तौर पर दोनों तरह की नजासत और मेल कुचैल से पाक साफ़ हो गया हूँ बल्कि कुछ रिवायात के मुताबिक़ हजामत और ख़त्ने कराने का भी हुक्म है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत कलीब (رضي الله عنه) को, जब वह मुसलमान हुए, हुक्म फ़रमाया: 'अपने से कुफ़्र के बाल उतार दो।' आप (ﷺ) ने एक और सहाबी को हुक्म फ़रमाया: 'अपने से कुफ़्र के बाल ज़ायल करो (हजामत कराओ) और ख़त्ना कराओ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 383) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस हदीस को हसन क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद लिल अल्बानी, रक़म: 383) और कपड़े भी तब्दील करवाये जायें ताकि उसे मुकम्मल तौर पर तब्दीली का एहसास हो और वह अपने आपको कुफ़्र की आलूदगी से पाक महसूस करे। मेल कुचैल भी दूर हो जायेगी। **(2)** बेरी के पत्ते मेल कुचैल दूर करने के लिए ही हैं। आज कल साबुन ये काम दे सकता है। **(3)** इमाम अहमद (رحمه الله) के नज़दीक ये गुस्ल वाजिब है, इसलिए कि आपने इसका हुक्म फ़रमाया और हुक्म वुजूब का तक़ाज़ा करता है और काफ़िर आम तौर पर गुस्ले जनाबत नहीं करते, करें भी तो सही नहीं करते, लिहाज़ा वह जुन्बी ही रहते हैं, इसलिए पाक होने के लिए गुस्ल वाजिब है। हदीस के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ भी इनकी ताईद करते हैं, इसलिए वुजूबे गुस्ल का मौक़फ़ ही क़वी है। वल्लाहु आलम!

باب : (۱۲۷)
تَقْدِيمُ غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُسْلِمَ

बाब : (127) काफ़िर इस्लाम लाने का इरादा करे तो पहले ग़ुस्ल करे (फिर इस्लाम लाये)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ إِنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ الْحَنَفِيَّ انْطَلَقَ إِلَى نَجْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ . مُخْتَصَرٌ .

(189) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि सुमामा बिन उसाल हनफ़ी (ﷺ) मस्जिद से क़रीब एक जमा शुदा पानी की तरफ़ गये और ग़ुस्ल किया, फिर मस्जिद में दाख़िल हुए और कहा: (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) 'मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं, वह यकता है, उसका कोई शरीक नहीं और मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं।' ऐ मुहम्मद! अल्लाह की क़सम! इससे पहले रूए अर्ज़ पर कोई चेहरा आपके चेहरे से बढ़ कर मुझे नापसन्द नहीं था मगर अब आपका चेहरा तमाम चेहरों से मुझे महबूब तरीन हो गया है, नीज़ आपके सवार मुझे पकड़ लाये हैं जबकि मैं उमरे के इरादे से जा रहा था। अब आपका क्या फ़रमान है? आपने उसे (मुबारकबाद और) ख़ुशख़बरी दी और उसे उमरा करने का हुक्म दिया। ये रिवायत मुख़्तसर है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 462, मुस्लिम, हदीस: 1764, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 194.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में ये वाक़िया ज़्यादा तफ़सील के साथ मज़कूर है, इसके मुक़ाबले में सुनन नसाई की रिवायत मुख़्तसर है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4372, सहीह मुस्लिम, हदीस: 1764) **(2)** ग़ुस्ल तो इस्लाम लाने के बाद ही करना चाहिए क्योंकि

काफ़िर का गुस्ल मोतबर नहीं मगर जब इंसान इस्लाम लाने का इरादा कर ले तो हक़ीक़तन वह दिली तौर पर मुसलमान बन जाता है, सिर्फ़ ऐलान बाक़ी होता है, लिहाज़ा ये गुस्ल शरई तौर पर दुरुस्त होगा, हाँ बाद में शहादतैन का इक़रार और सिर्फ़ उसका ऐलान ही बाक़ी रह जाता है जैसा कि ऊपर दी गई हदीस़ से इसकी तस्दीक़ होती है। (3) नेक काम की नज़र या नेक काम का आग़ाज़ कुफ़्र की हालत में किया हो तो इस्लाम लाने के बाद उसे पूरा करना मज़ीद ताकीदी हो जाता है। (4) काफ़िर का मस्जिद में दाख़िल होना जायज़ है। (5) काफ़िर को क़ैद करना, फिर बग़ैर फ़िद्ये के उसे छोड़ना जायज़ है।

बाब : (128) मुश्रिक की लाश दबाने के बाद गुस्ल करना चाहिए

باب : (١٢٨)
اَلْغُسْلُ مِنْ مُوَارَاةِ الْمُشْرِكِ

(190) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि मैं नबी (ﷺ) के पास गया और कहा: अबू तालिब फ़ौत हो गये हैं। आपने फ़रमाया: 'जाओ उसे दबा आओ।' हज़रत अली (ﷺ) ने कहा: बिलाशुब्हा वह मुश्रिक फ़ौत हुए हैं। आपने फ़रमाया: 'जाओ उसे दबा आओ।' जब मैंने उन्हें दबा दिया तो मैं आप (ﷺ) के पास वापस आया। आपने मुझसे फ़रमाया: 'गुस्ल करो।'

(190) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 3214, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 195.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ نَاجِيَةَ بْنَ كَعْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَبَا طَالِبٍ مَاتَ . فَقَالَ " اذْهَبْ فَوَارِهِ " . قَالَ إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا . قَالَ " اذْهَبْ فَوَارِهِ " . فَلَمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي " اغْتَسِلْ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से सराहतन मालूम होता है कि अबू तालिब कुफ़्र व शिर्क पर फ़ौत हुए। बेटे और भतीजे से बढ़ कर किस की गवाही मोतबर है? (2) अगर कोई शख़्स़ कुफ़्र व शिर्क पर फ़ौत हुआ हो तो उसके मुसलमान विरसा पर ये हुक्म आइद होता है कि उसकी लाश को दफ़ना दें लेकिन उसके कफ़न दफ़न में इस्लामी तरीक़-ए-कार इख़्तियार न किया जाये बल्कि ग़ैर मसनून तरीक़े से धोने और ढाँपने के बाद उसकी लाश को दबा दिया जाये। मसनून वुज़ू, गुस्ल, मसनून कफ़न, क़िब्ला रुख़ और दुआओं वग़ैरह से इज्तिनाब किया जाये। (3) चूंकि काफ़िर पलीद है, मरने के बाद मज़ीद पलीद हो जाता है, लिहाज़ा उसे लाने और दबाने के बाद गुस्ल किया जाये ताकि जो छींटे जिस्म या कपड़ों पर पड़े हैं, उनका इज़ाला हो जाये। अक्स़र अहले इल्म ने इस गुस्ल को इस्तिहबाब पर

महमूल किया है मगर ग़ुस्ल की इल्लत का लिहाज़ किया जाये, ख़ुसूसन जबकि ग़ुस्ल करने का हुक्म भी है तो उसे वाजिब कहना ही अक़रब इलस्सवाब मालूम होता है। वल्लाहु आलम! (4) अपने क़रीबी रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आना चाहिए अगरचे वह काफ़िर ही हों।

बाब : (129)
जब मर्द व औरत की शर्मगाहें आपस में मिल जायें तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है

باب : (١٢٩)
وُجُوبِ الْغُسْلِ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

(191) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब आदमी औरत की चार शाख़ों (हाथ पाँव) के दरम्यान बैठ कर कोशिश करे तो ग़ुस्ल वाजिब हो गया।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 291, मुस्लिम, हदीस: 348, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 197.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .

फ़ायदा : (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ) ये अल्फ़ाज़ किनाया हैं जिमा से, यानी जब मर्द जिमा शुरू कर दे और दुख़ूल हो जाये, ख़्वाह थोड़ा हो या ज़्यादा तो दोनों मियाँ बीवी पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है, इन्ज़ाल (मनी का ख़ुरूज) हो या न हो क्योंकि जिमा दुख़ूल का नाम है, न कि इन्ज़ाल का। हद का ताल्लुक़ भी दुख़ूल से है, इन्ज़ाल से नहीं। इन्ज़ाल तो मख़फ़ी चीज़ है।

(192) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब आदमी औरत की चार शाख़ों (हाथ पाँव) के दरम्यान बैठे, फिर कोशिश करे तो ग़ुस्ल वाजिब हो गया।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये सनद ग़लत है। सही सनद यूँ है:

(أشعث عن الحسن عن أبي هريرة) नज़्र बिन शुमेल वग़ैरह ने इस हदीस को शोबा से इसी तरह बयान किया

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الْجُوزَجَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ

الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَغَيْرُهُ كَمَا رَوَاهُ خَالِدٌ .

है जिस तरह ख़ालिद ने बयान किया है।

(192) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 198, पीछे की हदीस देखें।

फ़ायदा : ख़ालिद से मरवी साबिक़ा हदीस में हसन बसरी का वास्ता है जबकि इस हदीस में उनके बजाये इब्ने सीरीन का ज़िक्र है। इमाम नसाई (رحمه الله) तम्बीह फ़रमा रहे हैं कि इस हदीस में इब्ने सीरीन का ज़िक्र दुरुस्त नहीं, यहाँ 'हसन' होना चाहिए क्योंकि इसे रिवायत: 191 की मुताबिअत हासिल है।

باب : (١٣٠)
اَلْغُسْلُ مِنَ الْمَنِيِّ

बाब : (130)
मनी ख़ारिज होने से गुस्ल

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، -رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ وَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " .

(193) हज़रत अली (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि मुझे मज़ी बहुत ज़्यादा आती थी तो मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम मज़ी देखो तो अपने आज़ा (वग़ैरह) को धो लो और नमाज़ वाला वुज़ू करो लेकिन जब तुम ज़ोर से मनी निकालो तो गुस्ल करो।'

(193) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 206, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 199, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1099.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़ी का मसला तो पीछे (हदीस 152, 153 के तहत) गुज़र चुका है। 'मनी गाढ़ा, लैसदार सफ़ेद पानी होता है जो ज़ोर से उछल कर निकलता है क्योंकि हज़रत अली (رضي الله عنه) की हदीस में (فضخ الماء) 'उछल कर निकलने' की क़ैद मौजूद है, इस सूरत में शहवत भी यक़ीनी अम्र है, इसके निकलने से शहवत ख़त्म हो जाती है। **(2)** हदीस: 'ख़ुरूजे मनी से गुस्ल है' अगरचे मुत्लक़ है इसे मुक़य्यद हदीस पर महमूल किया जायेगा। **(3)** मनी का निकलना, ख़्वाह जिमा से हो या एहतिलाम से या वैसे शहवत से, गुस्ल को वाजिब कर देता है, अलबत्ता अगर किसी को बग़ैर शहवत के किसी बीमारी

की बिना पर या क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त ज़ोर लगाने से मनी निकल आये तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता। लेकिन एहतिलाम में जिस तरह भी मनी ख़ारिज हो जाये, शहवत से या गर्मी से, ख़्वाह याद हो या न हो, ज़ोर से निकले या आराम से, हर हाल में ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) के नज़दीक मनी बीमारी से या जैसे भी निकले, ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है लेकिन हदीस़ के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के मुक़ाबले में ये मौक़फ़ महल्ले नज़र है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَائِدَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ " .

(194) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि मुझे मज़ी बहुत ज़्यादा आती थी, चुनांचे मैंने नबी(ﷺ) से पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तुम मज़ी देखो तो अपने आज़ा को धोकर वुज़ू कर लो और जब तुम ज़ोर से मनी निकालो तो ग़ुस्ल कर लो।'

(194) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 200, पीछे की हदीस देखें।

باب : (١٣١) غُسْلُ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ

बाब : (131) औरत ख़्वाब में वही कुछ देखे जो मर्द देखता है तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ " إِذَا أَنْزَلَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ " .

(195) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि उम्मे सुलैम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से औरत के बारे में पूछा जो ख़्वाब में वही कुछ देखती है जो मर्द देखता है तो आपने फ़रमाया: 'जब वह पानी निकाले तो ग़ुस्ल करे।'

(195) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 311, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 202.

फ़ायदा : ख़्वाब मर्द और औरत दोनों को आ सकता है। ख़्वाब में जिमा वाला अमल भी नज़र आ सकता है मगर गुस्ल तब वाजिब होता है जब मनी निकले, ख़्वाह मर्द हो या औरत। अगर मनी न निकले तो, ख़्वाह ख़्वाब में उसने मुकम्मल जिमा भी किया हो, गुस्ल वाजिब न होगा। और अगर ख़्वाब के बग़ैर बिला शहवत सोते में मनी निकल जाये तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, मर्द हो या औरत। गोया एहतिलाम में गुस्ल का सबब मनी का निकलना ही है, चाहे मनी मर्द की निकले या औरत की।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَعَمْ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أُفٍّ لَكِ أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ " .

(196) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) ने अल्लाह के रसूल(ﷺ) से बात चीत की। हज़रत आयशा भी पास बैठी हुई थीं। उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला हक़ बात से नहीं शर्माता। आप बताइयें, अगर कोई औरत नींद में वह कुछ देखती है जो मर्द देखता है तो क्या वह गुस्ल करे? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ'। हज़रत आयशा (ﷺ) ने कहा: अफ़सोस तुझ पर! क्या औरत भी ये कुछ देखती है? तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुए और फ़रमाया: 'तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों, (बच्चे में औरत की) मुशाबिहत कैसे होती है?'

(196) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 314, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 203.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (أُفٌ لَكِ) हज़रत आयशा (ﷺ) को इस बात का इल्म न होगा और उनके तजुर्बे से ये बात न गुज़री होगी। वैसे भी औरतों को एहतिलाम बहुत कम होता है, ख़ुसूसन ख़्वाब में मनी का निकलना तो शाज़ व नादिर है। (2) (تَرِبَتْ يَمِينُكِ)'तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।' मानी के लिहाज़ से तो ये बदुआ ही है। लेकिन अहले अरब ये और इस तरह के दीगर मुहावरे, जैसे: (قَتَلَهُ اللهُ) (مَاأَشْجَعَهُ) (لَا أُمَّ لَهُ) (ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ)वग़ैरह इस्तेमाल करते थे। और वह इससे उनके हक़ीक़ी मानी मुराद नहीं लेते थे बल्कि किसी चीज़ का इंकार करने, उसकी मज़म्मत करने, उस पर रग़बत दिलाने या ताज्जुब के लिए बोलते थे। वल्लाहु आलम! देखिये (शरह मुस्लिम लिन्नववी: 3/285, हदीस: 311) (3) (فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ) ये आप (ﷺ) ने अक़्ली दलील दी है कि अगर औरत को

इन्ज़ाल नहीं होता और उसका पानी नहीं निकलता तो बच्चे में उससे मुशाबिहत कहाँ से आ जाती है? जब कि कई बच्चों की माओं से भी बहुत मुशाबिहत होती है।

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ قَالَ " نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ " . فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَفِيمَ يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ " .

(197) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला हक़ बात से नहीं शर्माता, क्या औरत पर ग़ुस्ल वाजिब है जब उसे एहतिलाम हो जाये? आपने फ़रमाया: 'हाँ' जब वह पानी (मनी) देखे।' हज़रत उम्मे सलमा हँसने लगीं और कहने लगीं: क्या औरत को भी एहतिलाम होता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तो किस वजह से बच्चा औरत के मुशाबह होता है?'

(197) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 130/3328, मुस्लिम, हदीस: 313, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 201.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन रिवायत में इमाम ज़ोहरी और हिशाम बिन उरवा के माबैन इख़्तिलाफ़ है कि ये मकालमा हज़रत आयशा का है या उम्मे सलमा (ﷺ) का? इमाम अबू दाऊद(ﷺ) के नज़दीक ज़ोहरी की रिवायत राजेह है, यानी ये मकालमा हज़रत आयशा (ﷺ) और उम्मे सुलैम (ﷺ) के माबैन हुआ उन्होंने इसके शवाहिद भी ज़िक्र किये हैं। मगर क़ाज़ी अय्याज़ की तहक़ीक़ के मुताबिक़ ये मकालमा उम्मे सलमा और उम्मे सुलैम (ﷺ) के दरम्यान हुआ, इस तरह हिशाम बिन उरवा की रिवायत राजेह होगी और इमाम बुख़ारी (ﷺ) का मीलान भी इसी तरफ़ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 130) ताहम अल्लामा नववी (ﷺ) ने दोनों रिवायतों के माबैन यूँ तत्बीक़ दी है कि ऐन मुम्किन है कि उम्मे सलमा और आयशा (ﷺ) दोनों ही इस मौक़े पर मौजूद हों और दोनों ने ताज्जुब का इज़हार किया हो। वल्लाहु आलम! (शरह मुस्लिम लिन्नववी: 3/286, हदीस: 331 व औनुल माबूद: 1/403, हदीस: 237) **(2)** उम्मे सुलैम का ये जुम्ला जो उन्होंने अपने सवाल से पहले कहा कि 'अल्लाह तआला हक़ से नहीं शर्माता।' उनके कमाल हुस्ने अदब पर दलील है, यानी जो बात उरफ़न ज़बान पर नहीं लाई जाती और मुझे इसकी शरअन ज़रूरत है, वह बताई जाये। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि अन्सार की औरतें कितनी अच्छी हैं कि दीन की समझ बूझ हासिल करने में हया उन्हें आड़े नहीं आती। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 130)

(198) हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस औरत के बारे में पूछा जिसे नींद में एहतिलाम हो जाता है। आपने फ़रमाया: 'जब वह पानी (मनी) देखे तो गुस्ल करे।'

(198) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 602, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 204.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ، قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْتَلِمُ فِي مَنَامِهَا فَقَالَ " إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ " .

बाब : (132) (उस शख़्स का हुक्म) जिसे एहतिलाम हो जाये और वह (जागने पर) पानी (मनी) न देखे

باب : (١٣٢) الَّذِي يَحْتَلِمُ وَلَا يَرَى الْمَاءَ

(199) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पानी (गुस्ल) पानी (मनी निकलने) से वाजिब होता है।

(199) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 607, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 205.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُعَادٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इब्तिदा-ए-इस्लाम में ये रुख़सत थी कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी से वज़ीफ़-ए-ज़ोजियत अदा करते हुए इन्ज़ाल से पहले ही बीवी से अलग हो जाता तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं था। इस कैफ़ियत को बलीग़ अन्दाज़ में बयान किया है कि 'पानी पानी से है।' यानी गुस्ल मनी के ख़ारिज होने से वाजिब होता है। मगर ये हुक्म मन्सूख़ हो गया। बाद में नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद हर सूरत में गुस्ल वाजिब क़रार दे दिया। मनी का ख़ुरूज हो या न हो। जैसा कि इमाम मुस्लिम (رحمه الله) ने इस हदीस़ के मन्सूख़ होने और मर्द व औरत के ख़त्ने मिलने से गुस्ल वाजिब होने पर बाब क़ायम किया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 328) **(2)** 'पानी (गुस्ल) पानी (मनी निकलने) वाजिब होता है।' इसका एक मतलब ये है कि अगर ख़्वाब में कोई ऐसी सूरते हाल नज़र आये कि उसे महसूस हो कि एहतिलाम हुआ है लेकिन बेदार होने पर जिस्म या कपड़ों वग़ैरह पर तरी वग़ैरह के असरात नुमायाँ हों तो गुस्ल वाजिब होगा लेकिन अगर तरी वग़ैरह के असरात

न हों तो गुस्ल की ज़रूरत नहीं। इस मानी के लिहाज़ से ये हदीस मन्सूख़ नहीं, इसलिए इमाम नसाई (رحمه الله) ने इससे इस्तिदलाल करते हुए ये बाब क़ायम किया है।

बाब : (133)
मर्द और औरत की मनी में फ़र्क़

باب : (١٣٣)
الْفَصْلِ بَيْنَ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ

(200) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मर्द की मनी गाढ़ी सफ़ेद और औरत की मनी पतली और ज़र्द होती है। इन दोनों में से जो ग़ालिब आ जाये, उसी से (बच्चे की) मुशाबिहत होती है।'

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ كَانَ الشَّبَهُ " .

(200) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 311, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 206.

फ़ायदा : जिमा से मर्द और औरत की मनी मिल जाती है। मनी दरअसल ज़रासीम का मजमूआ होता है, जिस मनी के जरसूमें क़वी होंगे, वह दूसरी पर ग़ालिब आ जायेगी और बच्चे की मुशाबिहत उससे होगी। कुछ ने (سَبَقَ) के मानी पहले निकलना भी किये हैं। वल्लाहु आलम!

बाब : (134)
हैज़ (के इख़्तिताम) से गुस्ल का ज़िक्र

باب : (١٣٤)
ذِكْرُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

(201) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ) से मरवी है कि वह नबी (ﷺ) के पास आईं और बताया कि मुझे इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून) आता है। उन्होंने बताया कि नबी (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'ये तो एक रग (का ख़ून) है। जब तुझे हैज़ का ख़ून आये तो नमाज़ छोड़ दे और जब हैज़ आना बंद हो जाये तो नहा धोकर नमाज़ शुरू कर दे। (ख़्वाह इस्तिहाज़े का ख़ून आ ही रहा हो।)'

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ

فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي " .

(201) **तख़रीज : (सनद सही)** अबू दाऊद, हदीस: 281, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 209.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ वो ख़ून है जो हर जवान औरत को रहम से हर माह बा'क़ायदगी के साथ चंद दिन आता है। ये औरत की सेहत की अलामत है। इस ख़ून की बंदिश या बे'क़ायदगी औरत के मरीज़ होने पर दलालत करती है। ये ख़ून आ रहा हो तो जिमा, नमाज़ और रोज़े की मुमानिअत है। हैज़ ख़त्म हो जाये, यानी ये ख़ून आना बंद हो जाये तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। ग़ुस्ल करने के बाद ये तमाम काम जायज़ हो जाते हैं। (2) इस्तिहाज़ा उस ख़ून को कहते हैं जो उन मुअय्यना (मुक़र्ररह) दिनों के अलावा रहम से आये, चूंकि यह बीमारी है, लिहाज़ा इसमें ऊपर दिये गये काम जायज़ रहते हैं और इससे ग़ुस्ल भी वाजिब नहीं होता। (3) (عرق) के मानी हैं जो रहम के क़रीब होती है, इससे ये ख़ून आता है।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي " .

(202) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब हैज़ का ख़ून आना शुरू हो जाये तो नमाज़ (वग़ैरह) छोड़ दो और जब ख़ून आना रुक जाये तो ग़ुस्ल करो।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 626, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 210, बुख़ारी, 327, मुस्लिम, हदीस: 334.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

(203) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (ﷺ) को सात साल इस्तिहाज़ा (बे'क़ायदा ख़ून) आता रहा। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बात की शिकायत की तो आपने फ़रमाया: 'ये हैज़ नहीं बल्कि ये तो एक रग (का ख़ून) है, लिहाज़ा (हैज़ ख़तम होने के बाद) नहा धोकर नमाज़ वग़ैरह पढ़ती रहो। (ख़्वाह इस्तिहाज़े का ख़ून आता रहे।)'

صلى الله عليه وسلم " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي " .

(203) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 327, मुस्लिम, हदीस: 334, इब्ने माजा, हदीस: 626, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 211.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ، وَالأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو مُعَيْدٍ - وَهُوَ حَفْصُ بْنُ غَيْلاَنَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَهِيَ أُخْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاتْرُكِي لَهَا الصَّلاَةَ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّي وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ أَحْيَانًا فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ وَهِيَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءَ وَتَخْرُجُ فَتُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَا يَمْنَعُهَا ذَلِكَ مِنَ الصَّلاَةِ .

(204) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) की बीवी और ज़ैनब बिन्ते जहश (ﷺ) की बहन उम्मे हबीबा (ﷺ) को इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून) आता था तो उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये मसला पूछा, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये (बेक़ायदा ख़ून) हैज़ नहीं है बल्कि ये तो एक रग (का ख़ून) है। जब तुझे हैज़ का (बाक़ायदा) ख़ून आना रुक जाये तो नहा धोकर नमाज़ पढ़ा कर और जब हैज़ का ख़ून आना शुरू हो जाये तो नमाज़ छोड़ दिया कर।' हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि वह हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ती थीं। कभी कभी वह अपनी बहन ज़ैनब बिन्ते जहश, जो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के निकाह में थीं, के हुजरे में टब में ग़ुस्ल करतीं तो (इस्तिहाज़े के) ख़ून की सुर्ख़ी पानी के रंग पर ग़ालिब आ जाती। वह जातीं (मस्जिद में) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़तीं। ये (इस्तिहाज़े के ख़ून का आना) उन्हें नमाज़ से न रोकता था।

(204) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 212, पीछे की हदीस देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुस्तहाज़ा का हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता अफ़ज़ल और मुस्तहब है। हज़रत उम्मे हबीबा (﵂) का हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करना इस बात की दलील है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के फ़रमान से ये बात समझी है, तभी वह इस्तिहबाबन और अफ़ज़लियत को पाने की ख़ातिर हर नमाज़ के वक़्त ग़ुस्ल कर लिया करती थीं, और इस बात की ताईद दीगर अहादीस़ से होती है जबकि कुछ का ये कहना कि उन्हें हदीस़ के मानी व मुराद समझने में ग़लती लगती होगी, दुरुस्त नहीं क्योंकि ये मौक़फ़ बे दलील है। वल्लाहु आलम! **(2)** इस्तिहाज़ा वाली औरत को लंगोट वग़ैरह बाँध कर मस्जिद में जाना जायज़ है ताकि ख़ून नीचे गिरे न कपड़े ख़राब हों। **(3)** हज़रत उम्मे हबीबा (﵂) का टब में ग़ुस्ल करना ख़ून की रंगत देख कर ये मालूम करने के लिए था कि हैज़ बंद हुआ या नहीं वरना टब में बैठ कर ग़ुस्ल करना तहारत के ख़िलाफ़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، - خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " .

(205) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि उम्मे हबीबा (﵂) जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की साली और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (﵁) की बीवी थीं, वह सात साल तक इस्तिहाज़ा में मुब्तला रहीं। उन्होंने नबी (ﷺ) से इसकी बाबत पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये हैज़ का ख़ून नहीं, बल्कि ये तो किसी रग का ख़ून है। तुम (हैज़ ख़त्म होने पर) ग़ुस्ल कर लिया करो और नमाज़ पढ़ा करो (ख़्वाह इस्तिहाज़ा जारी रहे।)'

(205) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 213, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ . فَقَالَ " إِنَّمَا ذَلِكِ

(206) हज़रत आयशा (﵂) बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे (ख़ून) इस्तिहाज़ा आता है। आपने फ़रमाया: 'ये तो एक रग (का ख़ून) है। तुम (हैज़ के इख़्तिताम पर) ग़ुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो।' तो वह हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल कर लिया करती थीं।

عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

(206) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 334/63, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस:207.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدَّمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي " .

(207) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि उम्मे हबीबा (﵂) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ून (इस्तिहाज़ा) के बारे में सवाल किया। हज़रत आयशा (﵂) ने फ़रमाया कि मैंने उनका टब ख़ून से भरा हुआ देखा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'तुम उतने अर्से तक (नमाज़ वग़ैरह से) रुकी रहो, जितने अर्से तक तुम्हें हैज़ आया करता था, फिर गुस्ल कर लो (ख़्वाह ख़ून इस्तिहाज़ा जारी हो।)'

(207) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 334/65, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस:208.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ख़ून से भरा हुआ' इससे मुराद पानी है जिसमें ख़ून शामिल होने की वजह से रंगत ख़ून जैसी थी वरना वह पानी ही होता था। मक़सद ये है कि उन्हें बहुत ख़ून (इस्तिहाज़ा) आता था। **(2)** 'तुम्हें हैज़ आया करता था।' गोया पहले उन्हें सिर्फ़ हैज़ आता था, बाद में बीमारी शुरू हुई। मतलब है, पहले जितने दिन हैज़ आया करता, उतने दिन हैज़ के शुमार करो, उसके बाद गुस्ल करके नमाज़ वग़ैरह पढ़ा करो। **(3)** मुस्तहाज़ा के लिए गुस्ल करना मुस्तहब और अफ़ज़ल है ज़रूरी नहीं जैसा कि इसकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا .

(208) इमाम नसाई (﵀) फ़रमाते हैं, हमें ये हदीस क़ुतैबा ने एक बार फिर बयान फ़रमाई तो (यज़ीद बिन अबी हबीब और अराक बिन मालिक के दरम्यान) जाफ़र बिन रबीआ का ज़िक्र नहीं किया।

(208) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، تَعْنِي أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ لْتُصَلِّي " .

(209) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) के दौर में एक औरत को कस़रत से (ख़ून) इस्तिहाज़ा आया करता था तो हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने उसके लिए नबी(ﷺ) से मसला पूछा तो आपने फ़रमाया: 'वह उन दिनों को याद करे जिनमें उसे बीमारी लगने से पहले हैज़ आया करता था तो महीने में से इतने दिन वह नमाज़ छोड़े रखे। जब वह दिन गुज़र जायें तो वह गुस्ल कर ले, फिर लंगोट बाँध ले और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दे।

(209) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 274, मोत्ता: 1/62, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 214, अबी दाऊद, हदीस़: 281.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इस रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन ये रिवायत मअ़नन् स़हीह है क्योंकि दीगर अहादीस़ से इसकी ताईद होती है, और हदीस़ के कुछ हिस्से के शवाहिद का ख़ुद मुहक़्क़िक़े किताब ने भी ऐतराफ़ किया है और हज़रत आ़यशा (ﷺ) की रिवायत भी इसकी शाहिद बनती है। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 323) मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (मुसनद अहमद: 44/123) **(2)** जिस औरत को पहले बाक़ायदगी से हैज़ आता था बाद में इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून) शुरू हुआ तो वह उन्हीं दिनों को हैज़ शुमार करे जिन दिनों में उसे पहले हैज़ आता था, उन्हीं में नमाज़ छोड़ें उसके अलावा बाक़ी दिनों में ख़ून आने के बावुजूद नमाज़ वग़ैरह पढ़ती रहे, अलबत्ता हैज़ के दिन ख़त्म होने पर वह गुस्ल करे, मज़ीद गुस्ल की ज़रूरत नहीं। और अगर उसे शुरू ही से बेक़ायदा ख़ून आता रहा है तो वह रंग देख कर हैज़ और इस्तिहाज़ा के दरम्यान फ़र्क़ करे, लेकिन अगर रंग से भी पहचान न हो तो वह महीने में से कोई छ: या सात दिन हैज़ समझ ले या क़रीबी रिश्तेदार ख़्वातीन की माहाना आ़दत को अपना लिया करे, फिर गुस्ल कर के नमाज़ शुरू करे। **(3)** लंगोट इसलिए बाँधना होगा कि ख़ून के क़तरे कपड़ों और जिस्म को ख़राब न करें।

बाब : (135) हैज़ का बयान

باب: (۱۳۵) ذِكْرُ الْأَقْرَاءِ

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لاَ تَطْهُرُ فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرُ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ "

(210) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश जो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) के निकाह में थीं, उन्हें इस्तिहाज़े की तकलीफ़ हो गई और वह कभी ख़ून से पाक नहीं होती थीं। उनकी ये हालत रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने ज़िक्र की गई तो आपने फ़रमाया: 'ये हैज़ नहीं बल्कि (शैतान की तरफ़ से) रहम में एक कचूका है, लिहाज़ा वह अपने हैज़ की वह मिक़्दार याद करे जिसमें उसे हैज़ आया करता था, चुनांचे इस दौरान में वह नमाज़ छोड़ दे, फिर इस (हैज़ गुज़र जाने) के बाद वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल करे।

(210) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 218.

फ़ायदा : मुस्तहाज़ा के लिए हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल की हदीस को हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने क़वी क़रार दिया है और इसे क़ाबिले हुज्जत क़रार देते हुए, इस हदीस को ज़ईफ़ क़रार देने वालों का तआक़ुब किया है और आख़िर में हदीस इक्रिमा और इसके दरम्यान तत्बीक देते हुए इस अम्र को इस्तिहबाब पर महमूल किया है, यानी इस्तिहाज़ा में मुब्तला औरत के लिए हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना अफ़ज़ल तो है वाजिब नहीं ताकि दीगर रिवायात से इख़्तिलाफ़ पैदा न हो। मज़ीद तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुलबारी: 1/427, सहीह सुनन अबी दाऊद लिलअल्बानी: 2/83, हदीस: 203)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى

(211) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (ﷺ) को सात साल तक इस्तिहाज़ा जारी रहा तो उन्होंने नबी(ﷺ) से पूछा। आपने फ़रमाया: 'ये हैज़ नहीं बल्कि ये तो एक रग (का ख़ून) है तो आपने उन्हें

الله عليه وسلم فَقَالَ " لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحَيْضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

हुक्म दिया कि अपने हैज़ के वक़्त नमाज़ वग़ैरह छोड़ दें, फिर (हैज़ गुज़र जाने के बाद) वह ग़ुस्ल करें, और नमाज़ पढ़ें।' चुनांचे उम्मे हबीबा (ﷺ) हर नमाज़ के वक़्त ग़ुस्ल करती थीं।

(211) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 203 में देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 215.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْ أَنَّهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " هَذَا الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَقْرَاءَ حِيَضٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ .

(212) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (ﷺ) से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आयें और ख़ून की शिकायत की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो एक रग (का ख़ून) है। तुम ख़्याल रखना जब तुम्हारे हैज़ के दिन आ जायें तो नमाज़ न पढ़ो और जब गुज़र जायें तो नहा धोकर आइन्दा हैज़ तक नमाज़ पढ़ो।'

ये हदीस दलील है कि (قرء) से मुराद हैज़ है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि इस हदीस को हज़रत उरवा से हिशाम बिन उरवा ने भी बयान किया है लेकिन उन्होंने वह अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये जो मुन्ज़िर ने ज़िक्र किये हैं।

(212) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 280, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 216.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद ये है कि ये हदीस उरवा ने बराहेरास्त हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (ﷺ) से नहीं सुनी जैसा कि मुन्ज़िर की रिवायत से ज़ाहिर होता है बल्कि उन्होंने ये हदीस दरअसल हज़रत आयशा (ﷺ) से सुनी है जैसा कि आइन्दा हदीस: 213 से समझ में आ रहा है। गोया मुन्ज़िर की रिवायत मुन्क़तअ है, नीज़ हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने मुन्ज़िर को मज्हूल अल्हाल क़रार दिया है, इसलिए मज़कूरा रिवायत सनद के ऐतबार से ज़ईफ़ है, ताहम मअनन् सही है क्योंकि अगली सही रिवायत इसी के हम मानी है, नीज़ शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इस हदीस को सही क़रार दिया है, देखिये: (सहीह सुनन नसाई, लिलअल्बानी, रक़म: 221)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

(213) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (ﷺ) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आईं और कहने लगीं: तहक़ीक़ मुझे इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून कसरत से आता) है, मैं कभी ख़ून से पाक नहीं होती तो क्या मैं नमाज़ छोड़े रखूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, ये तो एक रग (का ख़ून) है, ये हैज़ नहीं। जब तुम्हें हैज़ का ख़ून आये तो नमाज़ छोड़ दो और जब हैज़ का ख़ून बंद हो जाये तो नहा धोकर नमाज़ शुरू कर दो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 228, मुस्लिम, हदीस: 333, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 217.

फ़ायदा : इससे पहली तीन रिवायात में (قرء) हैज़ के मानी में आया है। और यही इमाम नसाई(رحمه الله) का मक़सूद है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने (قرء) से तुहुर मुराद लिया है। लुग़त के लिहाज़ से ये लफ़्ज़ दोनों मानी में इस्तेमाल होता है। मौक़ा महल की मुनासिबत से दोनों में से कोई मानी मुराद लिया जा सकता है। मुहक़्क़िक़ीन का यही मौक़फ़ है।

باب : (١٣٦)
ذِكْرُ اغْتِسَالِ الْمُسْتَحَاضَةِ

बाब : (136)
इस्तिहाज़ा वाली औरत के गुस्ल का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ امْرَأَةً، مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِيلَ لَهَا إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ فَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا

(214) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक औरत को रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून आता) था। उसे कहा गया: तहक़ीक़ ये एक सरकश रग है। और उसे हुक्म दिया गया कि ज़ुहर को मुअख़्ख़र करे और अस्र को मुकद्दम करे और इन दोनों के लिए एक गुस्ल करे। इसी तरह मग़रिब को मुअख़्ख़र करे और ईशा को जल्दी पढ़े और दोनों के लिए एक गुस्ल करे और सुबह की नमाज़ के लिए एक गुस्ल करे।

غُسْلاً وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا .

(214) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 294.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उसे कहा गया' ज़ाहिर है कहने वाले रसूलुल्लाह (ﷺ) ही थे क्योंकि आपके दौर में सहाब-ए-किराम (ﷻ) आप ही से मसला पूछा करते थे। वल्लाहु आलम! **(2)** 'सरकश रग' चूंकि इस्तिहाज़ा शुरू हो जाये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता, इसीलिए रग को सरकश कहा गया है। कुछ ने इसके मानी 'न रुकने वाली' किये हैं, ये मानी भी दुरुस्त हैं। **(3)** इस हदीस में मुस्तहाज़ा औरत को एक दिन में तीन गुस्ल करने की हिदायत की गई है मगर ये मुस्तहब और इख़्तियारी चीज़ है, वाजिब नहीं क्योंकि कुछ रिवायात में ये लफ़्ज़ भी हैं: 'अगर तू ताक़त रखे।' देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 287) वरना वाजिब तो सिर्फ़ वुज़ू है। **(4)** एक नमाज़ को मुअख़्ख़र करना और दूसरी को जल्दी पढ़ना, ये जमा सूरी है, यानी पहली नमाज़ अपने आख़िरी वक़्त में और दूसरी नमाज़ अपने अव्वल वक़्त में। इसी तरह दोनों नमाज़ें अपने अपने असल वक़्त ही में पढ़ी जायेंगी। सिर्फ़ ज़ाहिरन जमा की गई हैं।

باب : (١٣٧) الاِغْتِسَالِ مِنَ النِّفَاسِ

बाब : (137) बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले ख़ून पर गुस्ल करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ " مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ " .

(215) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷻ) से हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस के वाक़िये के बारे में रिवायत है कि ज़ुल्हुलैफ़ा में जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷻ) से फ़रमाया: 'इन्हें कहो कि गुस्ल करके एहराम बाँधें।

(215) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1210, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 219.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (ﷻ) को निफ़ास का ख़ून आने की वजह से गुस्ल करने का हुक्म दिया है जिससे वाज़ेह होता है कि ये ख़ून नजिस और पलीद है

जिस तरह ख़ूने हैज़ नजिस होता है क्योंकि इसकी नजासत पर भी उलम-ए-किराम का इज्मा है। रहा ये ऐतराज़ कि ख़ून तो अभी मुन्क़तअ नहीं हुआ, लिहाज़ा नबी-ए-अकरम (ﷺ) के इस हुक्म का महल क्या है? लगता है कि आप (ﷺ) ने अस्न-ए-निफ़ास गुस्ल का हुक्म बतौर नज़ाफ़त के दिया है क्योंकि हालते एहराम में नज़ाफ़त मतलूब है, लिहाज़ा जब इस हालत में गुस्ल का हुक्म है तो ख़ून मुन्क़तअ होने के बाद तो बिलऔला उसे ये हुक्म होगा ताकि कमाले तहारत हासिल हो जाये, ग़ालिबन इमाम नसाई (رحمه الله) की यही मुराद है। इस तरह हदीस़ और बाब में बाहम मुताबिक़त की सूरत निकल आती है क्योंकि इमाम साहब ने भी (الاغتسال من النفاس) कहा है, यानी ख़ून निफ़ास की वजह से गुस्ल का बयान, न कि उनकी ग़र्ज़ ये है कि गुस्ल का हुक्म सिर्फ़ ख़ून मुन्क़तअ होने के वक़्त है। इस सूरत में वाक़ेई बाब की हदीस़ से मुताबिक़त नहीं होती जैसा कि इमाम सिन्धी (رحمه الله) समझते हैं। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई: 4/297) **(2)** हैज़ या निफ़ास वाली औरत के लिए गुस्ल करने के बाद हज या उमरे का एहराम बाँध कर तल्बीया पुकारना मशरूअ है।

बाब : (138)
हैज़ और इस्तिहाज़े के ख़ून का फ़र्क़

باب : (١٣٨)
الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ

(216) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (رضي الله عنها) ने कहा कि मुझे इस्तिहाज़े का ख़ून आता था तो मुझसे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब हैज़ का ख़ून आ रहा हो और ये स्याही माइल ख़ून होता है जो पहचाना जाता है, तो नमाज़ से रुक जाओ और जब दूसरा ख़ून (इस्तिहाज़े का) हो तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ा करो ये तो रग (का ख़ून) है।'

(216) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 201 में देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 220.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ - فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ - فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ का ख़ून शुरुआत में ज़्यादा स्याही माइल होता है। आहिस्ता आहिस्ता रंग हल्का होता जाता है। आख़िर में सुर्ख़ हो जाता है। **(2)** इस्तिहाज़ा वाली औरत हर नमाज़

के लिए नया वुज़ू करेगी, ताहम जमा सूरी और जमा हक़ीक़ी में एक ग़ुस्ल और एक वुज़ू से दो नमाज़ें पढ़ी जायें। वल्लाहु आलम। हर नमाज़ के लिए वुज़ू करने का हुक्म इसलिए है कि हक़ीक़तन ख़ून जारी होने की वजह से उसका वुज़ू नहीं होता, मगर शरीयत ने मजबूरी की बिना पर नमाज़ की अदायगी के लिए उसे बावुज़ू फ़र्ज़ किया है। नमाज़ की अदायगी के बाद चूंकि ज़रूरत न रही, लिहाज़ा असल हुक्म लौट आया, यानी अदम तहारत। **(3)** हर वह शख़्स जिसका वुज़ू क़ायम न रहता हो, जैसे: हर वक़्त पेशाब के क़तरे गिरते रहें या हवा ख़ारिज होती रहे वग़ैरह तो उसके लिए हुक्म यही है कि एक वुज़ू से एक नमाज़ पढ़े, फिर नया वुज़ू करे।

قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، هَذَا مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، مِنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(217) मुहम्मद बिन मुसन्ना ने कहा, हमें ये रिवायत (216) इब्ने अबी अदी ने अपनी किताब से बयान की और ये रिवायत (217) अपने हिफ़्ज़ से बयान की। हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश(ﷺ) को इस्तिहाज़ा आता था तो उन्हें अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हैज़ का ख़ून स्याह होता है जो पहचाना जाता है। जब ये ख़ून आये तो नमाज़ से रुक जाओ और जब दूसरा ख़ून हो तो (हर नमाज़ के लिए) वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ो।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (ﷺ) बयान करते हैं कि इस हदीस को बहुत से रावियों ने बयान किया है, लेकिन किसी ने वह अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये जो इब्ने अबी अदी ने ज़िक्र किये हैं। वल्लाहु तआला आलम!

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 286, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 221, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन दो रिवायात (216, 217) की सनद में इख़्तिलाफ़ हैं रिवायत 216 में हज़रत उरवा बराहेरास्त हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश (ﷺ) से बयान कर रहे हैं, जबकि रिवायत 217 में दोनों के दरम्यान हज़रत आयशा का वास्ता मौजूद है। पहली रिवायत किताब से बयान की गई और दूसरी हिफ़्ज़ से। दोनों तरह ही दुरुस्त है क्योंकि हज़रत उरवा की मुलाक़ात हज़रत आयशा (ﷺ) से भी है

और हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश से भी। ऐन मुम्किन है कि दोनों से रिवायत सुनी हो। चूंकि इब्ने अबी अ़दी सिक़ह रावी हैं, लिहाज़ा ये इम्कान क़ाबिले तर्जीह है। अगरचे इब्ने अल्क़त्तान ने पहली रिवायत को मुन्क़तअ क़रार दिया है जबकि शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे हसन सही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिए देखिये: (इरवाउलग़लील, रक़म: 204) **(2)** मुम्किन है, इमाम नसाई (رحمه الله) का इशारा (دَمٌ) (الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ) वाले अल्फ़ाज़ की तरफ़ हो। **(3)** हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़े से मुताल्लिक़ तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिए किताब 'अलहैज़ वलइस्तिहाज़ा' का इब्तिदाइया देखिये।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ " . قِيلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ " ذَلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " وَتَوَضَّئِي " . غَيْرَ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ " وَتَوَضَّئِي " .

(218) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश को इस्तिहाज़ा आता था। उन्होंने नबी (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इस्तिहाज़े के मर्ज़ में मुब्तला हूँ, मैं कभी पाक नहीं होती तो क्या नमाज़ छोड़ दूं? आपने फ़रमाया: 'ये तो रग (का ख़ून) है, हैज़ नहीं। जब हैज़ आने लगे तो नमाज़ छोड़ दिया करो और जब वह रुक जाये तो ख़ून के असरात धो लो (ग़ुस्ल करो) और (नमाज़ के लिए) वुज़ू करो क्योंकि ये रग (का ख़ून) है, हैज़ नहीं।' रावी से कहा गया: (हैज़ के इख़्तिताम पर) ग़ुस्ल होगा? तो उसने कहा: इसमें तो कोई शक ही नहीं कर सकता।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं नहीं जानता कि हम्माद बिन ज़ैद के अ़लावा किसी रावी ने इस हदीस़ में (وَتَوَضَّئِي) 'वुज़ू करो' के अल्फ़ाज़ ज़िक्र किये हों। जबकि इस हदीस़ को हिशाम बिन उ़रवा से बहुत से रावियों ने बयान किया है मगर किसी ने ये लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया।

(218) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 228, मुस्लिम, हदीस़: 323, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 222.

फ़ायदा : इस दावे में इमाम नसाई (ﷺ) के साथ इमाम मुस्लिम और इमाम बैहक़ी (ﷺ) भी शामिल हैं, मगर हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने इस बात की तर्दीद फ़रमाई है और हम्माद बिन ज़ैद के मुताबईन ज़िक्र किये हैं। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/531, हदीस: 302) लिहाज़ा इमाम नसाई का ये दावा दुरुस्त नहीं। वैसे भी हम्माद बिन ज़ैद सिक़ह रावी हैं। और सिक़ह रावी कुछ ज़्यादा अल्फ़ाज़ बयान करे तो वह क़ाबिले तस्लीम होते हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

(219) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं कभी ख़ून से पाक नहीं होती तो क्या नमाज़ छोड़ ही दूं? आपने फ़रमाया: 'ये तो रग (का ख़ून) है, हैज़ (का) नहीं है, लिहाज़ा जब हैज़ आना शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो, फिर जब हैज़ के दिन गुज़र जायें तो ख़ून के असरात धो लो, यानी गुस्ल करो और नमाज़ शुरू कर दो।'

(219) तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 306, मोत्ता: 2/61, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 223.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . قَالَ خَالِدٌ فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ " وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

(220) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) मैं कभी पाक नहीं होती तो क्या बिल्कुल नमाज़ छोड़ दूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' ये तो एक रग (का ख़ून) है, हैज़ नहीं है, लिहाज़ा जब हैज़ का ख़ून आने लगे तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाये तो ख़ून के आसार धो कर (गुस्ल करके) नमाज़ शुरू कर दो।'

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 306, मुस्लिम, हदीस: 333, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 224.

باب : (١٣٩) النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

बाब : (139) जुन्बी को ठहरे पानी में गुस्ल करने की मुमानिअ़त

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ " .

(221) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई शख़्स जुन्बी हो तो ठहरे हुए पानी में गुस्ल न करे।'

(221) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 283.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ठहरे पानी में दाख़िल होकर जुन्बी का नहाना पानी को नाक़ाबिले इस्तेमाल बना सकता है। अगरचे एक आदमी के नहाने से रंग, बू और ज़ायके में तब्दीली नहीं होगी मगर इजाज़त की सूरत में तो जितने आदमी भी चाहें, नहा सकते हैं। इस तरह रंग, बू और ज़ायक़ा बदलने का इम्कान पैदा हो जाता है। **(2)** नजासत से क़तअ़ नज़र पीने वालों के लिए उस पानी का इस्तेमाल तबअ़न गवारा न होगा जिसमें जुन्बी लोग नजासत समेत नहाते हों।

باب : (١٤٠) النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَالاِغْتِسَالِ مِنْهُ

बाब : (140) ठहरे पानी में पेशाब करने, फिर उससे गुस्ल करने की मुमानिअ़त

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " .

(222) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई ठहरे हुए पानी में हरगिज़ पेशाब न करे कि फिर उसमें गुस्ल करेगा।'

(222) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 2/394, हुमैदी, हदीस: 975, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 225, बुख़ारी, हदीस: 239, मुस्लिम, हदीस: 282.

फ़ायदा : जब ठहरे पानी में जुन्बी का ग़ुस्ल करना दुरुस्त नहीं, तो उसमें पेशाब करना तो बदर्जे-ए औला मना होगा, ख़्वाह बाद में ग़ुस्ल करे या न करे क्योंकि कोई और आदमी भी तो ग़ुस्ल कर सकता है। ग़ुस्ल का ज़िक्र तो तक़बीह (नागवारी) के लिए है, यानी ये तसव्वुर कैसा क़बीह होगा कि वहीं पेशाब किया हो और वहीं ग़ुस्ल शुरू कर दे, ख़्वाह ये शख़्स करे या कोई और। बहरहाल इस हदीस़ से खड़े पानी में पेशाब करने की हुरमत साबित होती है। (मज़ीद देखिये, हदीस़: 35)

बाब : (141)
रात के शुरू ही में ग़ुस्ल कर लेना

باب : (١٤١)
ذِكْرِ الْاِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

(223) हज़रत ग़ुज़ैफ़ बिन हारिस़ से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात के किस हिस्से में ग़ुस्ल फ़रमाया करते थे? उन्होंने फ़रमाया: आप कभी रात के शुरू में ग़ुस्ल फ़रमाते और कभी आख़िर में। मैंने कहा: हर तारीफ़ अल्लाह की जिसने इस मामले में वुसअत रखी।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَىُّ اللَّيْلِ كَانَ يَغْتَسِلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ آخِرَهُ . قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

(223) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 226, इब्ने माजा, हदीस़: 1354, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 227.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सूद ये है कि अगर आदमी रात के शुरू में जिमा या एहतिलाम के साथ जुन्बी हो जाये तो क्या उसे उसी वक़्त ग़ुस्ल करना ज़रूरी है या सुबह की नमाज़ तक ताख़ीर कर सकता है? हज़रत आयशा (ﷺ) के जवाब से मालूम होता है कि सुबह तक ताख़ीर की गुंजाइश है, अगरचे अफ़ज़ल यही है कि जल्दी ग़ुस्ल कर लिया जाये। वल्लाहु आलम। **(2)** मुसलमान को चाहिए कि अपने रोज़मर्रा के मामूलात में नबी-ए-अकरम (ﷺ) का उस्व-ए-हस्ना अपनाए और अगर मालूम न हो तो उसके मुताल्लिक़ अहले इल्म से दरयाफ़्त करे।

باب : (١٤٢) الاِغْتِسَالُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ

बाब : (142) गुस्ले जनाबत रात के शुरू में भी हो सकता है और आख़िर में भी

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها فَسَأَلْتُهَا قُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ . قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

(224) ग़ुज़ैफ़ बिन हारिस़ बयान करते हैं कि मैं हज़रत आयशा (ﷺ) के पास गया और उनसे पूछा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) रात के शुरू में गुस्ल फ़रमाया करते थे या रात के आख़िर में? हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: दोनों वक़्त, कभी रात के शुरू ही में गुस्ल फ़रमा लेते और कभी आख़िरी रात को गुस्ल फ़रमाते। मैंने कहा: हर तारीफ़ अल्लाह की जिसने इस मामले में वुसअ़त रखी है।

(224) तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 226, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (١٤٣) ذِكْرُ الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ

बाब : (143) गुस्ल करते वक़्त लोगों से पर्दा करने का बयान

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ " وَلِّنِي قَفَاكَ " . فَأُوَلِّيهِ قَفَاىَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ .

(225) हज़रत अबू सम्ह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) की ख़िदमत किया करता था। जब आप गुस्ल का इरादा फ़रमाते तो मुझसे फ़रमाते: 'मेरी तरफ़ अपनी पीठ कर लो।' मैं आपकी तरफ़ पीठ कर लेता। इस तरह मैं आपको पर्दा भी कर देता।

(225) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 376, इब्ने माजा, हदीस़: 526, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 228, व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हाकिम: 1/166, बुख़ारी: 1/38.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) नंगे बदन गुस्ल नहीं फ़रमाया करते थे बल्कि इज़ार बाँध कर गुस्ल फ़रमाया करते थे जैसा कि अहादीस़ में स़राहतन ज़िक्र है मगर फिर भी आप पसन्द नहीं फ़रमाते थे

कि बाक़ी मान्दा नंगे जिस्म पर भी किसी की नज़र पड़े। ख़ादिम को इस तरह खड़ा करते कि न तो उसकी नज़र पड़ती न किसी दूसरे की, क्योंकि वह ख़ादिम आपके लिए पर्दे के क़ायम मक़ाम होता था। (2) गुस्ल करते वक़्त पर्दे का एहतिमाम करना चाहिए। (3) बालिग़ आदमी के मक़ामे सतर को देखना जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، رضى الله عنها أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتْهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمَتْ فَقَالَ " مَنْ هَذَا " . قُلْتُ أُمُّ هَانِئٍ . فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ مُلْتَحِفًا بِهِ .

(226) हज़रत उम्मे हानी (ﷺ) से रिवायत है कि मैं फ़तह मक्का के दिन नबी (ﷺ) के पास गई तो मैंने आपको ग़ुस्ल करते पाया जब कि हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने आपको एक कपड़े से पर्दा कर रखा था। मैंने सलाम कहा तो आपने फ़रमाया: 'कौन'? मैंने कहा: उम्मे हानी! जब आप ग़ुस्ल से फ़ारिग़ हुए तो आपने एक कपड़े में आठ रकआत पढ़ीं जब कि वह (कपड़ा) आपने कन्धों पर लपेट रखा था।

(226) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 280, मुस्लिम, हदीस: 336, मोत्ता: 1/152, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 229.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्मे हानी (ﷺ) हज़रत अली (ﷺ) की हमशीरा और रसूलुल्लाह(ﷺ) की चचाज़ाद बहन थीं। (2) ये आठ रकअत नमाज़ सलातु ज़ुहा (चाश्त की नमाज़) थी। (3) एक कपड़े में भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है, बशर्ते कि उससे कन्धों से लेकर घुटनों के नीचे तक जिस्म ढाँप लिया जाये, बाक़ी जिस्म नंगा हो तो कोई हर्ज नहीं। (4) ग़ुस्ल करने वाला हस्बे ज़रूरत कलाम कर सकता है।

باب : (١٤٤)
ذِكْرِ الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ

बाब : (144)
पानी की वह मिक़्दार जिस पर आदमी ग़ुस्ल के लिए इक्तिफ़ा कर सकता है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، قَالَ أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ

(227) मूसा जुहनी से रिवायत है कि हज़रत मुजाहिद के पास एक प्याला लाया गया। मेरे अन्दाज़े के मुताबिक़ वह आठ रतल था। मुजाहिद कहने लगे कि मुझसे हज़रत आयशा (ﷺ) ने

ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا .

बयान किया: बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) इतने पानी से ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे।

(227) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 6/51, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 230.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आठ रतल इराक़ी साअ के बराबर हैं। हिजाज़ी साअ के लिहाज़ से ये तक़रीबन डेढ़ साअ के बराबर हैं। हिजाज़ी साअ वज़न के लिहाज़ से तक़रीबन ढाई किलो होता है, गोया पानी की मिक़्दार तक़रीबन चार किलो थी। **(2)** इस हदीस में ग़ुस्ल के लिए पानी की मिक़्दार आठ रतल तक़रीबन डेढ़ साअ बयान हुई है जबकि सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में है: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) एक साअ (तक़रीबन ढाई किलो) पानी से ग़ुस्ल और एक मुद से वुज़ू कर लिया करते थे।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 201, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 325) और सुनन अबू दाऊद में वुज़ू के लिए पानी की मिक़्दार एक मुद के दो तिहाई जितना बयान हुई है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 94) इन तमाम रिवायात का मक़सद ग़ुस्ल और वुज़ू के लिए पानी की मिक़्दार की हदबंदी नहीं और न इन रिवायात में बाहमी तआरूज़ (आपस में टकराव) है बल्कि मुख़्तलिफ़ हालात में ज़रूरत के मुताबिक़ पानी कम और ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। इन रिवायात में तर्ग़ीब दी गई है कि पानी कम अज़ कम इस्तेमाल करना चाहिए, बेजा इस्तेमाल न हो कि वह इस्राफ़ और ज़ाया (बर्बादी) की हद को पहुँच जाये और इतना कम भी न हो कि उससे ग़ुस्ल या वुज़ू के बजाये मसह ही समझा जाये। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرَ صَاعٍ وَسَتَرَتْ سِتْرًا فَاغْتَسَلَتْ فَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثًا .

(228) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि मैं और हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का रज़ाई भाई हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के पास गये, चुनांचे हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के भाई ने उनसे नबी (ﷺ) के ग़ुस्ल के बारे में सवाल किया तो उन्होंने एक बर्तन मँगवाया जिसमें एक साअ पानी था, फिर उन्होंने पर्दा लटकाया और ग़ुस्ल फ़रमाया और अपने सर पर तीन दफ़ा पानी डाला।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 251, मुस्लिम, हदीस: 320, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 232.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने ये ग़ुस्ल पर्दे में कपड़ों समेत किया, सिर्फ़ ये

बताने के लिए कि इतने पानी से ग़ुस्ल मुम्किन है। इसमें न तो कोई बेपर्दगी थी और न वह उन्हें नज़र आईं, लिहाज़ा इसमें कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं जैसा कि मुन्करीने हदीस़ वग़ैरह बावर करा कर अहादीस़ में तशकीक (शक) पैदा करने की मज़मूम सई करते हैं। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि क़ौल के साथ साथ अमल करके दिखाना तालीम के ज़्यादा मुनासिबे हाल है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

(229) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक प्याले से ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे जो एक फ़रक़ के बराबर था, नीज़ मैं और आप (ﷺ) (एक साथ) एक बर्तन में ग़ुस्ल कर लिया करते थे।

(229) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 72, में देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 231.

फ़ायदा : हदीस़ में (فرق) का लफ़्ज़ है। ये हिजाज़ी स़ाअ के लिहाज़ से तीन स़ाअ का होता है जिसका वज़न तक़रीबन साढ़े सात किलो के बराबर बनता है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ .

(230) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक मुद से वुज़ू और पाँच मुद से ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे।

(230) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 201, मुस्लिम, हदीस़: 325, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 75, हदीस़: 73 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है। देखिये फ़वाइद हदीस़: 73.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ تَمَارَيْنَا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ جَابِرٌ يَكْفِي مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ مِنْ مَاءٍ . قُلْنَا مَا

(231) हज़रत अबू जाफ़र (मुहम्मद बाक़िर) (رحمه الله) कहते हैं कि हमारा हज़रत जाबिर (ﷺ) के पास ग़ुस्ल के बारे में इख़्तिलाफ़ हो गया। हज़रत जाबिर फ़रमाने लगे: ग़ुस्ले जनाबत के लिए एक स़ाअ पानी काफ़ी है। हमने कहा: एक दो स़ाअ तो काफ़ी नहीं हो सकते।

يَكْفِي صَاعٌ وَلاَ صَاعَانِ . قَالَ جَابِرٌ قَدْ كَانَ يَكْفِي مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكُمْ وَأَكْثَرَ شَعْرًا .

हज़रत जाबिर (ﷺ) कहने लगे उस शख़्सियत को तो एक स़ाअ काफ़ी था जो तुमसे बेहतर और तुमसे ज़्यादा बालों वाले थे, यानी रसूलुल्लाह(ﷺ)।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 252, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 233, मुस्लिम, हदीस़: 329.

باب : (١٤٥) ذِكْرِ الدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا وَقْتَ فِي ذٰلِكَ

बाब : (145) इस बात की दलील कि गुस्ल के लिए पानी की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ، جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ قَدْرُ الْفَرَقِ .

(232) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि मैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे जो तक़रीबन एक फ़रक़ के बराबर होता था।

(232) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/199, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 135.

फ़ायदा : इस्तिदलाल लफ़्ज़ 'तक़रीबन' से है, यानी गुस्ल के लिए कोई ख़ास़ मिक़्दार मुअय्यन नहीं, कमी बेशी हो सकती है। पीछे गुज़र चुका है कि एक (फ़र्क़) तक़रीबन तीन स़ाअ का होता है।

باب : (١٤٦) ذِكْرِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

बाब : (146) मर्द और उसकी बीवी का (एक साथ) एक बर्तन से गुस्ल करना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

(233) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) और मैं एक बर्तन से गुस्ल कर लिया करते थे। हम एक साथ उससे चुल्लू भरते थे।

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا .

(233) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7339, मोत्ता: 1/59, हदीस: 147, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 236.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मियाँ बीवी के इकट्ठे नहाने पर कोई अक़्ली ऐतराज़ है न शरई, हाँ ये बात ज़रूर है कि गुस्ल करते वक़्त पानी एहतियात से इस्तेमाल किया जाये और उसे आलूदा होने से बचाया जाये। **(2)** ये भी साबित हुआ कि जुन्बी के हाथ डालने से पानी पलीद नहीं होगा, नीज़ गुस्ले जनाबत से बचे हुए पानी से मज़ीद गुस्ल हो सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

(234) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि तहक़ीक़ मैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ले जनाबत कर लिया करते थे।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 263, मुस्लिम, हदीस: 321/45, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 237.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ .

(235) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैंने अपने आप को देखा, मैं और अल्लाह के रसूल(ﷺ) गुस्ल करते वक़्त बर्तन अपनी अपनी तरफ़ खींचते थे।

(235) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 299.

फ़ायदा : 'अपनी अपनी तरफ़ खींचते थे।' इसका मतलब ये है कि पानी आसानी से और क़रीब से लिया जा सके या ख़ुश तबई के तौर पर। मियाँ बीवी में ऐसी खींचा तानी उनकी बाहमी बेतकल्लुफ़ी और प्यार मोहब्बत की निशानी है, जो शरअन क़बीह है न अक़्लन और न उरफ़न, बल्कि महमूद और पसन्दीदा है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، -

(236) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल कर लिया करते थे।

رضی الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

(236) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 234.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي خَالَتِي، مَيْمُونَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

(237) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं कि मुझे मेरी ख़ाला, उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना(ﷺ)' ने बताया कि बेशक वह और अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक ही बर्तन से ग़ुस्ल कर लिया करते थे।

(237) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 322, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 138.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ، يَقُولُ حَدَّثَنِي نَاعِمٌ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سُئِلَتْ أَتَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ كَيِّسَةً رَأَيْتُنِي وَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنٍ وَاحِدٍ نُفِيضُ عَلَى أَيْدِينَا حَتَّى نُنْقِيَهُمَا ثُمَّ نُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ . قَالَ الأَعْرَجُ لاَ تَذْكُرُ فَرْجًا وَلاَ تَبَالَهُ .

(238) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा(ﷺ) से पूछा गया: क्या औरत (बीवी) मर्द के साथ ग़ुस्ल कर सकती है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, जब वह समझदार हो। मैंने अपने आपको देखा कि मैं और अल्लाह के रसूल(ﷺ) एक टब से ग़ुस्ल कर लिया करते थे। पहले हम अपने हाथों पर पानी बहा कर उन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लेते, फिर अपने बाक़ी जिस्म पर पानी बहाते।

आरज (रावी) ने कहा: औरत शर्मगाह की तरफ़ तवज्जो दे, न हिमाक़त से काम ले।

(238) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/323, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 239.

फ़ायदा : हदीस के रावी आरज दरअसल हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के फ़रमान: 'समझदार' की तफ़्सीर कर रहे हैं कि औरत ग़ुस्ल के वक़्त मर्द की शर्मगाह की तरफ़ तवज्जो न दे और पानी लेते और जिस्म पर डालते वक़्त हिमाक़त न करे, यानी छींटों से बर्तन के पानी को बचाये, वग़ैरह।

बाब : (147) जुन्बी के ग़ुस्ल से बचे हुए पानी से ग़ुस्ल करने की मुमानिअत (मनाही)

باب: (١٤٧) ذِكْرِ النَّهْيِ عَنِ الاِغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .

(239) हुमैद बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो नबी (ﷺ) के साथ रहा है, जिस तरह ह़ज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) चार साल तक नबी (ﷺ) के साथ रहे हैं। उसने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि कोई आदमी हर रोज़ कंघी करे या अपने ग़ुस्ल ख़ाने में पेशाब करे या मर्द औरत के बचे हुए पानी से और औरत मर्द के बचे हुए पानी से ग़ुस्ल करे बल्कि दोनों इकट्ठे चुल्लू भरें।

(239) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 81, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 240.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर रोज़ कन्घी करना इस बात की दलील है कि उस शख़्स़ की ज़रूरत से ज़्यादा तज़ईन (सजावट) की तरफ़ तवज्जो है जब कि ये चीज़ बहुत सी मुआशरती (समाजी) और अख़्लाक़ी ख़राबियों की बुनियाद है। ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से मन्क़ूल है, कहते हैं: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कन्घी करने से मना फ़रमाया है मगर एक दिन छोड़ कर।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4159) यानी बिला नाग़ा रोज़ाना कन्घी करने से मना फ़रमाया है। इस हदीस़ की सनद में अगरचे ख़फ़ीफ़ (हल्का) सा ज़ोफ़ (कमज़ोरी) है लेकिन ये सुनन नसाई की दर्ज ज़ेल रिवायत से ख़त्म हो जाता है जिसकी स़ेहत को मुहक़्क़िक़े किताब ने भी तस्लीम किया है और वह ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के एक स़हाबी मिस्र पर मुक़र्रर गर्वनर (आ़मिल) के यहाँ तशरीफ़ ले गये और वह भी स़हाबी-ए-रसूल थे। देखते हैं कि उनके बाल बिखरे हुए हैं, पूछा: क्या वजह है, आपको परगन्दा हाल देखता हूँ जबकि आप अमीर हैं। उन्होंने जवाब दिया: 'अल्लाह के नबी (ﷺ) हमें (إرفاه) से रोका करते थे, हमने कहा: (إرفاه) से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमाया: रोज़ाना कन्घी करना।' (सुनन नसाई, हदीस़: 5061) इस हदीस़ में भी रोज़ाना कन्घी करने से मुमानिअत का ज़िक्र है, ख़ुसूसन इस नह्य (मनाही) की वजह से स़हाबी-ए-रसूल फ़ुज़ाला बिन

उबैद (ﷺ) भी बावुजूद ये कि अज़ीम ओहदे पर फ़ाइज़ थे रोज़ाना कन्घी नहीं करते थे, हालांकि उन्हें बाल बड़े होने की वजह से इसकी सख़्त ज़रूरत भी थी। ये इस बात की क़वी दलील है कि रोज़ाना कन्घी करना ममनूअ है और इसमें एक दर्जा ज़ुहद व वरअ का भी पहलू नुमायाँ है जो यक़ीनन ऐसे अफ़राद के लिए मतलूब है क्योंकि अक्सर औक़ात इसी बनाव सिंगार में लगे रहना कम अज़ कम दीनदार लोगों का शेवा नहीं है, नीज़ इसमें मुमानिअत आम है जो उम्मत के हर फ़र्द को शामिल है। इस मुमानिअत में मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, तख़सीस की दलील मालूम नहीं जबकि जुम्हूर उलम-ए-किराम इस नह्य को ज़जर व तौबीख़ पर महमूल करते हैं कि इससे मुराद अक्सर व बेशतर इसी अमल में मसरूफ़ रहना क़ाबिले मज़म्मत है न कि इससे हक़ीक़ी हुरमत मुराद है कि इंसान रोज़ाना कन्घी नहीं कर सकता। बहरहाल अहादीस के ज़ाहिर और सहाबी-ए-रसूल (ﷺ) के अमल से मुमानिअत ही साबित होती है। वल्लाहु आलम! तफ़सील के लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 501) **(2)** गुस्ल ख़ाने में पेशाब से मुताल्लिक़ देखिये: हदीस 36 अगली हदीस में जुन्बी के गुस्ल से बचे हुए पानी के इस्तेमाल की रुख़सत का इस्बात होता है, इसलिए इस हदीस में इससे मुमानिअत इस्तिहबाब पर महमूल होगी, यानी इससे बचना बेहतर है, ताहम इस्तेमाल करना जायज़ है।

बाब : (148)
इसकी रुख़सत

باب : (١٤٨)
الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

(240) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल करते थे। मैं आपसे जल्दी (गुस्ल) करने की कोशिश करती और आप मुझसे जल्दी करते यहाँ तक कि आप फ़रमाते: 'मेरे लिए पानी रहने दो।' और मैं कहती: आप मेरे लिए पानी छोड़ दें। (रावी-ए-हदीस) सुवैद ने (यूँ) कहा: आप मुझसे जल्दी करते और मैं आपसे जल्दी करती, चुनांचे मैं कहती: आप मेरे लिए (पानी) छोड़ दें। आप मेरे लिए (पानी) छोड़ दें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى يَقُولَ " دَعِي لِي " . وَأَقُولُ أَنَا دَعْ لِي . قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ دَعْ لِي دَعْ لِي .

(240) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 321/46, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मियाँ बीवी इकट्ठे ग़ुस्ल कर रहे हों तो इस सूरते हाल का पैदा होना कोई क़ाबिले ताज्जुब या क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। ख़ुसूसन जब कि मियाँ बीवी के दरम्यान ख़ुश तबई शरीयत में भी क़ाबिले तारीफ़ है। (2) इस रिवायत से समझा जाता है कि आप दोनों एक के बाद एक पानी लेते थे जिसने बाद में पानी लिया, उसने जुन्बी के बचे हुए पानी से ग़ुस्ल किया।

باب : (١٤٩) ذِكْرِ الاِغْتِسَالِ فِي الْقَصْعَةِ الَّتِي يُعْجَنُ فِيهَا

बाब : (149) ऐसे प्याले से ग़ुस्ल करना जिसमें आटा गूंधा जाता हो

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ .

(241) हज़रत उम्मे हानी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत मैमूना (ﷺ) ने ऐसे प्याले से ग़ुस्ल किया जिसमें गूंधे हुए आटे का असर (निशान) था।

(241) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 378, 415, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 242.

फ़ायदा : जिस बर्तन में आटा गूंधा जाये, उसमें सफ़ाई के बावुजूद आटे के कुछ न कुछ निशानात रह जाते हैं लेकिन चूंकि ये क़लील होते हैं। वैसे भी आटा पाक चीज़ है, लिहाज़ा ऐसे बर्तन में पानी डालना और उससे वुज़ू और ग़ुस्ल करना दुरुस्त है। इमाम साहब (رحمه الله) का इस तबवीब (बाब बन्दी) से यही मक़सद है।

باب : (١٥٠) ذِكْرِ تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ ضُفُرِ رَأْسِهَا عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

बाब : (150) ग़ुस्ले जनाबत के वक़्त औरत का अपने सर की मेण्डियाँ न खोलने का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ

(242) नबी (ﷺ) की ज़ौज-ए-मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने गुज़ारिश की कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने सर की मेण्डियाँ मज़बूती से बाँधती हूँ तो

سَلَمَةَ، - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهَا عِنْدَ غَسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَى جَسَدِكِ " .

क्या ग़ुस्ले जनाबत के वक़्त उन्हें खोलूँ? आपने फ़रमाया: 'तुम्हें इतना काफ़ी है कि अपने सर पर पानी के तीन चुल्लू डाल लिया करो, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहा लो।'

(242) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 230, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 243.

باب : (١٥١)
ذِكْرِ الأَمْرِ بِذَلِكَ لِلْحَائِضِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ لِلإِحْرَامِ

बाब : (151)
हाइज़ा औरत को ग़ुस्ले एहराम के वक़्त मेण्डियाँ खोलने का हुक्म

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، وَهِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، حَدَّثَاهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ " . فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

(243) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदा के साल निकले। मैंने उमरे का एहराम बाँधा, चुनांचे मैं मक्का आई तो हैज़ की हालत में थी, लिहाज़ा मैं बैतुल्लाह का तवाफ़ कर सकी न सफ़ा मरवा की सई। मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से इसकी शिकायत की। आपने फ़रमाया: 'सर के बाल खोल लो। (ग़ुस्ल करके) कन्घी कर लो और हज का एहराम बाँध लो लेकिन उमरा छोड़ दो।' मैंने इसी तरह किया जब हमने हज मुकम्मल कर लिया तो आपने मुझे (मेरे भाई) अब्दुर्रहमान बिन अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) के साथ तन्ईम की तरफ़ भेजा तो मैंने उमरा किया। आपने फ़रमाया: 'ये तुम्हारे (इस) उमरे की जगह है।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمہ اللہ) बयान करते हैं

بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ " هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ إِلاَّ أَشْهَبُ .

कि, ये हदीस मालिक अन हिशाम बिन उरवा की सनद से ग़रीब है क्योंकि अशहब के सिवा किसी ने इसे (इस तरह) बयान नहीं किया।

(243) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1556, मुस्लिम, हदीस: 1211, मोता: 1/410, 411.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहब का मक़सूद ये है कि अशहब ने (इस हदीस में) इमाम मालिक के उस्ताद इब्ने शिहाब ज़ोहरी के साथ हिशाम बिन उरवा को भी बतलाया है जब कि आम रिवायत इस रिवायत में इमाम मालिक के उस्ताद सिर्फ़ ज़ोहरी ही को बताते हैं। जब किसी रावी की ताईद कोई और साथी न करे तो उसकी रिवायत को 'ग़रीब' कहा जाता है। **(2)** हैज़ की हालत में चूंकि बैतुल्लाह में दाख़िला मना है, लिहाज़ा हाइज़ा औरत को तवाफ़ मना है और सई चूंकि तवाफ़ के ताबेअ है, इसलिए वह भी मना है। **(3)** तन्ईम मक्का से मदीना मुनव्वरा के रास्ते पर क़रीब तरीन हिल है, यानी यहाँ हरम ख़तम होता है। नबी (ﷺ) ने हज़रत आयशा (ﷺ) के लिए ये ख़ुसूसी हुक्म फ़रमाया कि वह तन्ईम से एहराम बाँध कर आ जायें और उमरा कर लें क्योंकि हज़रत आयशा (ﷺ) का हैज़ की वजह से उमरा रह गया था। ये इजाज़त हर शख़्स के लिए नहीं है कि वह तन्ईम से एहराम बाँध कर आ जाये और उमरा कर ले, जैसा कि आफ़ाक़ से जाने वाले बहुत से हाजी ऐसा करते हैं और कुछ उलमा इसके जवाज़ का फ़तवा भी देते हैं। लेकिन ये जवाज़ महले नज़र है क्योंकि इसकी कोई दलील नहीं है। सही बात यही है कि दोबारा उमरे के लिए मीक़ात पर जाकर वहाँ से एहराम बाँध कर आना ज़रूरी है। या फिर मज़कूरा हदीस के पेशे नज़र तन्ईम से एहराम बाँधने की ये इजाज़त सिर्फ़ उन ख़्वातीन के लिए है जो मख़्सूस अय्याम की वजह से उमरा न कर सकी हों। वल्लाहु आलम। **(4)** चूंकि हज का एहराम कई दिन जारी रहता है, लिहाज़ा मेण्डियाँ खोल कर अच्छी तरह गुस्ल करने का हुक्म दिया ताकि बाद में तंगी न हो। इस गुस्ल का हैज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं बल्कि ये सफ़ाई के लिए होता है और ये हर मुहरिम के लिए मुस्तहब है।

باب : (۱۵۲)
ذِكْرُ غَسْلِ الْجُنُبِ (يَدَيْهِ) قَبْلَ أَنْ (يُدْخِلَهُمَا) الْإِنَاءَ

बाब : (152)
जुन्बी को अपने हाथ बर्तन में डालने से पहले धो लेने का बयान

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا

(244) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो

حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وُضِعَ لَهُ الإِنَاءُ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ حَتَّى إِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ بِالْيُمْنَى وَغَسَلَ فَرْجَهُ بِالْيُسْرَى حَتَّى إِذَا فَرَغَ صَبَّ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جَسَدِهِ .

आपके लिए बर्तन रखा जाता, आप हाथों को बर्तन में डालने से पहले उन पर पानी बहाते। जब हाथ धो लेते तो फिर अपना दायाँ हाथ बर्तन में डालते, फिर दाएँ से पानी डालते और बाएँ से अपनी शर्मगाह धोते। जब इससे फ़ारिग़ होते तो दाएँ हाथ से बाएँ पर पानी डाल कर दोनों हाथों को धोते, फिर तीन दफ़ा कुल्ली करते और नाक में पानी चढ़ाते, फिर अपने सर पर तीन दफ़ा दोनों हाथ भर कर पानी डालते, फिर (बाक़ी) जिस्म पर बहाते।

(244) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/161. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : जुन्बी का हाथ आम तौर पर पलीद हो जाता है, ख़्वाह जिमा हो या एहतिलाम, लिहाज़ा उसे बर्तन में दाख़िल करने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। वुज़ू और ग़ुस्ल के दौरान में बर्तन दाएँ हाथ के ज़रिये से पानी लेना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो दोनों हाथों से एक साथ भी पानी लिया जा सकता है।

باب : (١٥٣)
ذِكْرِ عَدَدِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إِدْخَالِهِمَا الإِنَاءَ

बाब : (153)
बर्तन में हाथ दाख़िल करने से पहले कितनी दफ़ा धोने चाहिए?

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ -

(245) हज़रत अबू सलमा से मन्क़ूल है, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह(ﷺ) के ग़ुस्ले जनाबत के बारे में पूछा

رضی الله عنها - عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

तो उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) अपने हाथों पर तीन दफ़ा पानी डालते, फिर अपनी शर्मगाह धोते, फिर अपने हाथ धोते, फिर कुल्ली करते और नाक में पानी चढ़ा कर नाक को साफ़ करते, फिर अपने सर पर तीन दफ़ा पानी डालते, फिर अपने बाक़ी जिस्म पर पानी बहाते।

तख़रीज : **(सनद हसन)** ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : ये हदीस कुछ मुख़्तसर है। दीगर अहादीस में ग़ुस्ल से पहले पाँव धोने के अलावा मुकम्मल वुज़ू का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 249)

بَاب : (١٥٤) إِزَالَةُ الْجُنُبِ الْأَذٰى عَنْ جَسَدِهِ بَعْدَ غَسْلِ يَدَيْهِ

बाब : (154) जुन्बी को हाथ धोने के बाद अपने जिस्म से नजासत साफ़ करनी चाहिए

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُؤْتَى بِالْإِنَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَصُبُّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ مَا عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

(246) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि मैं हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के पास गया और उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) के पास बर्तन लाया जाता, आप अपने दोनों हाथों पर तीन दफ़ा पानी बहाते, फिर उन्हें धोते, फिर अपने दाएँ हाथ से अपने बाएँ हाथ पर पानी डालते और अपनी शर्मगाह और रानों पर जो कुछ होता उसे धोते, फिर अपने हाथ धोते, फिर कुल्ली करते और नाक में पानी चढ़ा कर नाक को ख़ूब अच्छी तरह साफ़ करते, फिर अपने सर पर तीन दफ़ा पानी डालते, फिर बाक़ी सारे जिस्म पर पानी बहाते।

(246) तख़रीज : **(सनद सही)** सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 244, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (١٥٥) إِعَادَةِ الْجُنُبِ غَسْلَ يَدَيْهِ بَعْدَ إِزَالَةِ الأَذَى عَنْ جَسَدِهِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ وَصَفَتْ عَائِشَةُ غُسْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ - قَالَ عُمَرُ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ يُفِيضُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ يَتَمَضْمَضُ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاَثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ .

बाब : (155)
जुन्बी को जिस्म से नजासत दूर करने के बाद दोबारा हाथ धोने चाहिए

(247) हज़रत आयशा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) का ग़ुस्ले जनाबत बयान फ़रमाया, कहा: आप अपने हाथों को तीन दफ़ा धोते, फिर अपने दाएँ हाथ से बाएँ पर तीन दफ़ा पानी डाल कर अपनी शर्मगाह और दूसरी लगी हुई रतोबत (गन्दगी) धोते, (रावी-ए-हदीस़) उ़मर बिन उ़बैद कहते हैं कि मेरे इ़ल्म के मुताबिक़ उन्होंने (उस्ताद) ने यही कहा, फिर अपने दाएँ हाथ से बाएँ पर तीन दफ़ा पानी डालते, फिर तीन दफ़ा कुल्ली फ़रमाते और तीन दफ़ा नाक में पानी चढ़ा कर उसे स़ाफ़ करते, फिर अपना चेहरा और दोनों बाज़ू तीन दफ़ा धोते, फिर अपने सर पर तीन दफ़ा पानी बहाते, फिर अपने (सारे जिस्म) पर पानी बहाते।

(247) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 245 में देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 245.

फ़ायदा : पहली दफ़ा हाथ धोना तो हाथों की स़फ़ाई के लिए था ताकि बर्तन का पानी गन्दा न हो। शर्मगाह और रानों को धोने के बाद फिर हाथ धोना वुज़ू का जुज़ है, लिहाज़ा हाथ दोबारा धोये जायेंगे। सबसे आख़िर में पाँव धोयेंगे जिसका इन रिवायत में ज़िक्र नहीं, अलबत्ता दीगर रिवायात में है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 249)

बाब : (156) जुन्बी को ग़ुस्ल से पहले वुज़ू भी करना चाहिए

باب : (١٥٦) ذِكْرُ وُضُوءِ الْجُنُبِ قَبْلَ الْغُسْلِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ الْمَاءَ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ .

(248) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत फ़रमाते तो सबसे पहले अपने हाथ धोते, फिर वुज़ू फ़रमाते जिस तरह नमाज़ के लिए वुज़ू फ़रमाया करते थे, फिर अपनी उंगलियाँ पानी में डालते और उनसे बालों की जड़ों में ख़िलाल करते, फिर अपने सर पर तीन चुल्लू पानी डालते, फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहाते।

(248) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 248, मोत्ता: 1/44, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 246, मुस्लिम, हदीस: 316.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दूसरी सही रिवायात में सराहत है कि आप (ﷺ) ग़ुस्ल से पहले वुज़ू फ़रमाते, मगर पाँव छोड़ देते और मुकम्मल ग़ुस्ल कर लेने के बाद, जिस जगह ग़ुस्ल करते, उससे हट कर पाँव धोते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 257, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 217) **(2)** ग़ुस्ल करने से पहले तीन चुल्लू डालना और सारे जिस्म पर कम से कम एक मर्तबा पानी बहाना ज़रूरी है।

बाब : (157) जुन्बी को (दौराने ग़ुस्ल) अपने सर का ख़िलाल करना चाहिए

باب : (١٥٧) تَخْلِيلِ الْجُنُبِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، - رضى الله عنها - عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ

(249) हज़रत उरवा बयान करते हैं कि मुझे हज़रत आयशा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के ग़ुस्ले जनाबत की बाबत बयान किया कि आप (ﷺ) (सबसे पहले) अपने हाथ धोते थे और वुज़ू फ़रमाते और अपने सर के बालों में (कन्घी) उंगलियाँ फेरते थे, (यहाँ तक कि बाल गीले हो

وَيَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .

जाते) फिर अपने सारे जिस्म पर पानी बहाते।

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : बाल बड़े हों तो कई बार पानी बालों पर से फिसल जाता है और जड़ें और चमड़ा ख़ुश्क रह जाते हैं इसलिए ज़रूरी है कि बालों में गीली उंगलियाँ फेरी जायें। इस तरह बाल अलग अलग हो जायेंगे, गंजलक (गंजापन) नहीं रहेंगे। उनसे पानी गुज़रना आसान हो जायेगा, जड़ें और चमड़ा तर हो जायेगा, लिहाज़ा ज़रूरी है कि जहाँ पानी न पहुँचने का ख़दशा हो, वहाँ क़सदन पहुँचाया जाये, ऐसा न हो कि जनाबत ज़ायल न हो और गुस्ल बे'फ़ायदा रह जाये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشَرِّبُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثًا .

(250) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) (पहले) अपने सर के बालों को ख़िलाल से अच्छी तरह तर कर लेते थे, फिर सर पर तीन चुल्लू (पानी) डालते।

(250) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 104, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : (158) जुन्बी के लिए सर पर कितना पानी बहाना काफ़ी है?

باب : (١٥٨) ذِكْرِ مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ " .

(251) हज़रत जुबेर बिन मुत्इम (ﷺ) से मरवी है कि कुछ लोगों ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास गुस्ल के बारे में इख़्तिलाफ़ किया। किसी ने कहा कि मैं तो इतनी इतनी दफ़ा (सर को) धोता हूँ, चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तो अपने सर पर सिर्फ़ तीन चुल्लू पानी बहाता हूँ।'

(251) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 327, बुख़ारी, हदीस: 254, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 247.

फ़ायदा : अगर मसनून तरीक़े के मुताबिक़ पहले वुज़ू किया जाये, फिर बालों का ख़िलाल करके जड़ें तर कर ली जायें तो सर पर तीन चुल्लू पानी बहाना ही काफ़ी होगा। कोई जगह और कोई बाल ख़ुश्क न रहेगा,

और पानी की बचत भी होगी। इन रिवायात में ग़ुस्ले जनाबत से पहले नमाज़ वाला वुज़ू करने का बयान तो है लेकिन इनमें से किसी में भी सर के मसह का ज़िक्र नहीं है। गोया मसह की बजाये सर पर तीन चुल्लू पानी बहाना ज़रूरी है, इसी तरह पाँव भी नहीं धोने, बल्कि पाँव ग़ुस्ल करने के बाद आख़िर में धोये जायेंगे, अलबत्ता ये ज़रूरी है कि दौराने ग़ुस्ल में अगली और पिछली शर्मगाह को हाथ न लगे वरना वुज़ू बरक़रार नहीं रहेगा, इसलिए रिवायात में सराहत है कि वुज़ू करने से पहले शर्मगाह अच्छी तरह धो ले। इस ऐतबार से ग़ुस्ले जनाबत में ये ज़रूरी है कि पहले शर्मगाह साफ़ करे, फिर हाथ धोकर वुज़ू करे, इसमें सर में मसह करने की बजाये तीन लप पानी डाले, फिर पूरा ग़ुस्ल कर ले और आख़िर में दोनों पाँव धो ले।

बाब : (159)
ग़ुस्ले हैज़ का तरीक़ा

باب : (١٥٩)
ذِكْرِ الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، - وَهُوَ ابْنُ صَفِيَّةَ - عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فَأَخْبَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ " خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فَتَطَهَّرِي بِهَا " . قَالَتْ وَكَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا فَاسْتَتَرَ كَذَا ثُمَّ قَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا " . قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ فَجَذَبْتُ الْمَرْأَةَ وَقُلْتُ تَتَّبِعِينَ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ .

(252) हज़रत आयशा (﵂) से मन्क़ूल है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) से ग़ुस्ले हैज़ के बारे में पूछा तो आपने उसे बताया कि कैसे ग़ुस्ल करे, फिर फ़रमायाः 'कस्तूरी लगा हुआ रूई का एक टुकड़ा ले लो और उससे सफ़ाई कर लो।' उसने कहाः इससे कैसे सफ़ाई करूं? आपने अपना चेहरा ढाँप लिया और फ़रमायाः 'सुब्हानल्लाह तुम इसके साथ सफ़ाई कर लो।' हज़रत आयशा(﵂) ने कहाः मैंने उस औरत को अपनी तरफ़ खींचा और कहा कि उसे ख़ून के निशानात पर लगा लो।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 314, मुस्लिम, हदीसः 332, सुननेल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 248.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ का ख़ून चूंकि बदबूदार होता है, इसलिए बेहतर है कि ग़ुस्ल के अलावा ख़ून वाली जगह की मज़ीद सफ़ाई की जाये, जैसेः ख़ुश्बू लगाई जाये ताकि बदबू ज़ायल हो जाये। इस सुन्नत पर अमल ग़ालिबन छोड़ ही दिया गया है। ख़्वातीन को चाहिए कि इस सुन्नत का एहया करें। यक़ीनन जहाँ इससे सफ़ाई हासिल होगी, वहाँ सवाब भी मिलेगा। **(2)** औरतों से मुताल्लिक़ा पोशीदा मसाइल बताते हुए किनायात का इस्तेमाल मुस्तहब है। **(3)** मसला दरयाफ़्त करने

वालों के साथ नर्मी का बर्ताव करना चाहिए। **(4)** नबी-ए-अकरम (ﷺ) साहबे ख़ुल्क़े अज़ीम और शर्म व हया के पैकर थे।

बाब : (160) (मसनून) गुस्ल के बाद वुज़ू न करना

باب : (١٦٠) تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ بَعْدِ الْغُسْلِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ، -وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضي الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ .

(253) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं फ़रमाते थे।

(253) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 107, इब्ने माजा, हदीस: 579, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 249, सहीह हाकिम, हदीस: 250, बैहक़ी: 1/201, 202, इब्ने हज़्म।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मसनून गुस्ल की इब्तिदा ही वुज़ू से होती है, लिहाज़ा गुस्ल के बाद वुज़ू की कोई ज़रूरत नहीं रहती, बशर्ते कि उसने वुज़ू के बाद दौराने गुस्ल में अगली और पिछली शर्मगाह को हाथ न लगाया हो वरना वुज़ू दोबारा करना पड़ेगा। **(2)** इसी तरह अगर उसने मसनून गुस्ल न किया हो, यानी गुस्ल की इब्तिदा वुज़ू से न की हो, तब भी उसे गुस्ल के बाद वुज़ू करना पड़ेगा।

बाब : (161) (गुस्ल के आख़िर में) पाँव गुस्ल वाली जगह के बजाये दूसरी जगह धोये

باب : (١٦١) غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ الَّذِي يَغْسِلُ فِيهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي خَالَتِي، مَيْمُونَةُ قَالَتْ أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ

(254) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) बयान फ़रमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के गुस्ले जनाबत के लिए पानी क़रीब किया। आपने अपनी हथेलियों को दो या तीन बार धोया, फिर अपना दायाँ हाथ बर्तन में दाख़िल किया और उससे अपनी शर्मगाह पर पानी डाला, फिर

مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ بِيَمِينِهِ فِي الْإِنَاءِ فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ غَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ قَالَتْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ .

उसे बाएँ हाथ से धोया, फिर बायाँ हाथ ज़मीन पर मारा और उसे ज़ोर से रगड़ा, फिर नमाज़ वाला वुज़ू किया, फिर अपने सर पर दोनों हाथ भर भर कर तीन दफ़ा पानी डाला, फिर अपने बाक़ी (सारे) जिस्म को धोया, फिर उस जगह से एक तरफ़ हट कर अपने पाँव धोये, फिर मैं आपके पास रूमाल लाई तो आपने वापस कर दिया।

(254) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 317, बुख़ारी, हदीस: 249, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 251.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मिट्टी पर हाथ रगड़ना बदबू और लेस को ख़त्म करता है और आलूदगी के वस्वसे को भी दूर कर देता है, लिहाज़ा इस्तिन्जे के बाद ये मुस्तहब है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में फ़र्श कच्चे होते थे, लिहाज़ा गुस्ल का पानी पाँव में जमा हो जाता था। उसी जगह पाँव धोने में कोई फ़ायदा न था, लिहाज़ा आप (ﷺ) एक तरफ़ हट कर पाँव धोते थे, अलबत्ता अगर पानी जमा न होता हो तो उसी जगह पाँव धोये जा सकते हैं। **(3)** गुस्ल या वुज़ू के बाद रूमाल इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) का रूमाल पेश करना, इसके जवाज़ की दलील है कि आपके घर में रूमाल था। बाक़ी रहा आपका वापस करना तो वह किसी और वजह से होगा, जैसे: आप चाहते होंगे कि पानी कुछ देर जिस्म पर रहे ताकि ठण्डक महसूस हो, वग़ैरह। **(4)** रूमाल पानी के साथ साथ मेल कुचैल को भी अच्छी तरह साफ़ कर देता है और यही गुस्ल से मतलूब है, और गुस्ल के बाद पानी का जिस्म पर रहना शरअन मतलूब नहीं और ये रह भी नहीं सकता, हवा या कपड़ों से जल्द या देर से ख़ुश्क हो ही जायेगा। **(5)** जो शख़्स टब वग़ैरह से चुल्लू भर कर पानी लेना चाहे, उसे चाहिए कि अपनी हथेलियाँ पहले धो ले ताकि पानी आलूदा (गन्दा) न हो। **(6)** शर्मगाह धोने के लिए दाएँ हाथ से बाएँ पर पानी डालना चाहिए।

باب : (١٦٢)
تَرْكِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْغُسْلِ

बाब : (162)
गुस्ल के बाद रूमाल इस्तेमाल न करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ،

(255) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने गुस्ल फ़रमाया और बाद में रूमाल लाया गया तो आपने उसे क़ुबूल न

عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ فَأُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ وَجَعَلَ يَقُولُ بِالْمَاءِ هَكَذَا .

फ़रमाया बल्कि पानी को हाथों के साथ इस तरह झाड़ने लगे।

(255) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 250, हदीस: 408 में देखें।

फ़ायदा : हाथों से पानी झाड़ने से ये साबित हुआ कि वुज़ू या गुस्ल के बाद पानी आज़ा पर बाक़ी रहना ज़रूरी नहीं, इसे साफ़ किया जा सकता है, हाथों से या रूमाल और तोलिये वग़ैरह से। कुछ लोगों ने इस रिवायत से तोलिये का इस्तेमाल नापसन्दीदा क़रार दिया है मगर ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है।

باب : (١٦٣)
وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

बाब : (163)
जुन्बी के लिए खाते वक़्त वुज़ू करना मुस्तहब है

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ عَمْرٌو كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ - زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ - وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .

(256) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) ... और अम्र ने कहा: रसूलुल्लाह(ﷺ) .... जब जनाबत की हालत में खाने या सोने का इरादा फ़रमाते तो वुज़ू फ़रमा लेते। अम्र ने अपनी हदीस में ये लफ़्ज़ ज़्यादा बयान किये कि नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमा लेते थे।

(256) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 305/22, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 252, 253.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये वुज़ू ज़रूरी नहीं, मुस्तहब है क्योंकि एक रिवायत में (لَا يَمَسُّ مَاءً) 'पानी न छूते थे।' (मुसनद अहमद: 6/43) के अल्फ़ाज़ भी हैं। अगरचे ये वुज़ू जुन्बी को पाक तो नहीं करेगा मगर सफ़ाई जिस क़द्र भी हो सके, अच्छी बात है। **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) इस हदीस की सनद में मौजूद इख़्तिलाफ़ की तरफ़ इशारा फ़रमा रहे हैं कि जब इस हदीस को हुमैद बयान करता है तो

(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله) कहता है जबकि अम्र ने अपनी सनद में (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) (عليه وسلم) कहा है। ये है मुहद्दिसीन (رحمهم الله) का नक़ल सनद में हज़्म व एहतियात। रहा अल्फ़ाज़े हदीस का ज़ब्त व इत्क़ान (क़ायम रखना) तो इसमें वह अपनी मिसाल आप थे। (رحمه الله)

बाब : (164) खाने के वक़्त जुन्बी का सिर्फ़ हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करना

باب : (١٦٤) اِقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلٰى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ .

(257) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब जनाबत की हालत में सोने का इरादा करते तो वुज़ू फ़रमाते और जब खाने का इरादा करते तो हाथ धो लेते।

(257) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 223, इब्ने माजा, हदीस: 593, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 254, ज़हबी: 2/34, मुस्लिम, हदीस: 305.

फ़वाइद व मसाइल : (1) खाने पीने के वक़्त हाथ धोना कम अज़ कम ऐसा अमल है जो जुन्बी को करना चाहिए। **(2)** हालते जनाबत में हाथ धोये बग़ैर खाना पीना तो क़तअन फ़ितरते सलीमा के ख़िलाफ़ है और शरीयत फ़ित्तरत ही का दूसरा नाम है, ताहम आम हालात में खाने पीने के वक़्त हाथ धोने ज़रूरी नहीं हैं जबकि वह साफ़ हों।

बाब : (165) कोई चीज़ पीने से पहले जुन्बी का सिर्फ़ हाथ धोने पर इक्तिफ़ा करना

باب : (١٦٥) اِقْتِصَارِ الْجُنُبِ عَلٰى غَسْلِ يَدَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(258) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब जनाबत की हालत में सोने का इरादा फ़रमाते तो वुज़ू फ़रमाते और जब खाने या पीने का इरादा फ़रमाते तो अपने हाथ धोते, फिर खाते पीते।

وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ - قَالَتْ - غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ .

(258) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 255, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

بَاب : (١٦٦) وُضُوءِ الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

बाब : (166) जुन्बी सोने का इरादा करे तो उसे वुज़ू कर लेना चाहिए

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .

(259) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सोने का इरादा फ़रमाते और जुन्बी होते तो सोने से पहले नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमा लेते थे।

(259) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 305, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ " .

(260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने गुज़ारिश की कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! क्या हममें से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? आपने फ़रमाया: 'बशर्ते कि वुज़ू कर ले।'

(260) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 306, बुख़ारी, हदीस़: 289.

بَاب : (١٦٧) وُضُوءِ الْجُنُبِ وَغَسْلِ ذَكَرِهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ

बाब : (167) जुन्बी सोने का इरादा करे तो शर्मगाह धोकर वुज़ू कर ले

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ

(261) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने ज़िक्र किया कि

لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ " .

(कभी) मैं रात को जुन्बी हो जाता हूँ (तो क्या करूं?) आपने फ़रमाया: 'अपनी शर्मगाह धो लो, वुज़ू कर लो, फिर सो जाओ।'

(261) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 290, मुस्लिम, हदीस: 306, मोत्ता: 1/47, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 256.

फ़ायदा : जुन्बी के लिए सोने से पहले कम अज़ कम शर्मगाह धोना या साफ़ करना ज़रूरी है। बाक़ी रहा वुज़ू तो ये मुस्तहब चीज़ है जैसा कि पीछे गुज़र चुका है। कुछ ने वाजिब भी कहा है कि हो सकता है, उसे मौत आ जाये।

باب : (١٦٨)
فِي الْجُنُبِ إِذَا لَمْ يَتَوَضَّأْ

बाब : (168)
जुन्बी अगर वुज़ू न करे तो?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ " .

(262) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस घर में (रहमत के) फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर, कुत्ता या जुन्बी हो।'

(262) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 227, हदीस: 4152 में देखें, इब्ने माजा, हदीस: 3650, सहीह हाकिम: 1/171, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 257.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वुज़ू करने से जनाबत ख़त्म तो नहीं होती मगर एक क़िस्म की तहारत हासिल हो ही जाती है। ख़ुसूसन जुन्बी के आज़ा-ए-वुज़ू तो पाक हो ही जाते हैं, लिहाज़ा जुन्बी के लिए आइन्दा नमाज़ तक ग़ुस्ल में रिआयत है, अलबत्ता वुज़ू कर ले और ये अफ़ज़ल है जिस तरह कि दीगर अहादीस में आता है। अगर शर्मगाह वग़ैरह धोकर बिला वुज़ू भी सो जाये तो कोई हर्ज नहीं और ये भी जायज़ है। हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) सो जाया करते थे

जबकि आप जुन्बी होते और पानी को छूते तक नहीं थे। ये हदीस सही है, शैख़ अहमद शाकिर (ﷺ) ने इन्तिहाई मुहक़्क़िक़ाना दक़ीक़ इल्मी उस्लूब में तफ़्सीलन इस हदीस की हुज्जियत का इस्बात किया है। तफ़्सील के लिए देखिये: (शरह तिर्मिज़ी शाकिर: 1/202), और आख़िर में उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि इंसान बाइख़्तियार है। वुज़ू करके सोना अफ़ज़ल और बिला वुज़ू आप(ﷺ) का सो जाना बयाने जवाज़ की ख़ातिर था। मज़कूरा हदीस को शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने भी सही क़रार दिया है ओर यही बात हक़ है। वल्लाहु आलम। इस मौक़फ़ की मज़ीद ताईद उस हदीस से भी होती है जिसमें हज़रत उमर (ﷺ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) से दरयाफ़्त फ़रमाते हैं: क्या हममें से कोई जनाबत की हालत में (बिला वुज़ू) सो सकता है? आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सो सकता है, अगर चाहे तो वुज़ू कर ले।' गोया वुज़ू करना उसकी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। देखिये: (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 221, 222) मज़ीद देखिये: (सहीह मवारिदुज़्ज़मआन लिलअल्बानी, हदीस: 195) **(2)** फ़रिश्तों से रहमत के फ़रिश्ते मुराद हैं न कि मुतलक़ फ़रिश्ते क्योंकि मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते या कातिब फ़रिश्ते भी इस हालत में इंसान के पास आ जाते हैं जनाबत के बावुजूद इंसान के पास रहते हैं। शैख़ अल्बानी (ﷺ) के नज़दीक ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दुरुस्त बात ये है कि (ولاجنب) के इज़ाफ़े के बग़ैर बाक़ी हदीस सही है क्योंकि सहीहैन की रिवायत से इसकी ताईद होती है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3225, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2106, व ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, हदीस: 30) लिहाज़ा जुन्बी के हवाले से ये कहना कि उसकी वजह से रहमत के फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते, दुरुस्त नहीं क्योंकि ये रिवायत ही ज़ईफ़ है। अगरचे हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने पूरी रिवायत को क़ाबिले हुज्जत समझा है, ताहम बशर्तेकि सेहत जुन्बी से मुराद वह जुन्बी होगा जो बिला ज़रूरत गुस्ल में ताख़ीर करता है वरना नमाज़ के वक़्त तक गुस्ल मुअख़्ख़र करने वाला इस वईद के ज़ुमरे में नहीं आता क्योंकि इसमें रुख़्सत है। ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सब बीवियों के पास जाते और गुस्ल आख़िर में फ़रमाते।

बाब : (169)
जुन्बी जब दोबारा जिमा करना चाहे तो?

باب : (۱٦٩)
فِي الْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ

(263) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई दोबारा जिमा करना चहे तो वुज़ू कर ले।'

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

(263) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:

308, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 258.

عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ تَوَضَّأَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस वुज़ू की हिकमत कुछ रिवायात में ये बताई गई है: (فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ) यानी दोबारा जिमा के लिए ये वुज़ू ज़्यादा चाक़ व चौबन्द बना देता है। देखिये: (मुस्तदरक हाकिम: 1/152) एक रिवायत में (وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ) के अल्फ़ाज़ हैं, यानी नमाज़ वाला वुज़ू करे। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 288 व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 305) ये वुज़ू भी मुस्तहब है। **(2)** अगर आदमी दूसरी मर्तबा अपनी बीवी से जिमा करना चाहे तो दोनों बारियों के दरम्यान गुस्ल करना वाजिब नहीं।

बाब : (170)
गुस्ल करने से पहले कई बीवियों के पास आना

باب : (١٧٠)
إِتْيَانِ النِّسَاءِ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْغُسْلِ

(264) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूले अकरम (ﷺ) एक रात में अपनी तमाम बीवियों के पास एक ही गुस्ल के साथ गये।

(264) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 218, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 259, बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक से ज़्यादा बीवियों के पास जाने के बाद आख़िर में सिर्फ़ एक ही गुस्ल काफ़ी है, अलबत्ता हर एक के दरम्यान में वुज़ू करना मुस्तहब है। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) के हबाल-ए-अक़्द में एक साथ नौ बीवियाँ रही हैं। आपने इन सब बीवियों से जिमा किसी मुस्तरका (एक ही) रात में किया होगा। हदीस़ से मुराद यही है। उ़मूमन तो बारी मुक़र्रर होती थी। अगरचे नबी-ए-अकरम(ﷺ) बारी की तक़सीम से अलग थे, यानी ये आप पर फ़र्ज़ न थी लेकिन इसका एहतिमाम ज़रूर फ़रमाया करते थे। मुम्किन है, इसी रुख़्सत की वजह से एक रात सबके पास गये हों, जबकि कुछ का कहना है: हो सकता है कि नई बारी शुरू होने से पहले एक रात मुस्तरका हो या सफ़र वग़ैरह के बाद ऐसा हो। बहरहाल आपके लिए इसकी शरअ़न इजाज़त थी। (देखिये: अलअहज़ाब: 33/51)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .

(265) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही ग़ुस्ल के साथ अपनी तमाम बीवियों के पास चले जाते थे।

(265) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 140, इब्ने माजा, हदीस: 588, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 260, सहीह बुख़ारी, हदीस: 268.

باب : (١٧١)
حَجْبِ الْجُنُبِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

बाब : (171)
जुन्बी के लिए क़ुर्आन मजीद पढ़ने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ أَتَيْتُ عَلِيًّا أَنَا وَرَجُلاَنِ، فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

(266) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलमा बयान करते हैं कि मैं और दो आदमी हज़रत अली (ﷺ) के पास आये तो उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) बैतुल ख़ला से बाहर तशरीफ़ लाते तो क़ुर्आन मजीद पढ़ते। आप (ﷺ) हमारे साथ गोश्त खाते और आपको क़ुर्आन मजीद पढ़ने से जनाबत के सिवा कोई चीज़ मानेअ (रुकावट) न होती थी।

(266) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 229, इब्ने माजा, हदीस: 594, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 261, सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 146, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद, हाकिम, ज़हबी, बग़वी.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद पढ़ने के लिए वुज़ू ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता क़ुर्आन मजीद को हाथ लगाने के लिए अक्सर अहले इल्म ने वुज़ू ज़रूरी क़रार दिया है, अगरचे इसकी दलील इतनी क़वी नहीं। याद रहे अगर हाथों पर नजासत वग़ैरह न लगी हो तो बिला वुज़ू भी क़ुर्आन को पकड़ा जा सकता है। वल्लाहु आलम। **(2)** जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक जनाबत की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ना मना है और ये क़ुर्आन मजीद के एहतिराम के तौर पर है। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने क़ुर्आन मजीद को आम ज़िक्र की तरह जनाबत में भी जायज़ समझा है। इमाम इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम और इब्ने

हज़्म (رحمه الله) वग़ैरह का मौक़फ़ भी यही है। इनके नज़दीक मुमानिअत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। दलाइल की रू से अगरचे इज्ला उलमा की राय क़वी और राजेह मालूम होती है लेकिन ये जवाज़ अलल इत्लाक़ मुनासिब नहीं लगता बल्कि इसमें क़द्रे नापसन्दीदगी और कराहत का पहलू महसूस होता है जैसा कि ये बात नबी-ए-अकरम (ﷺ) के इस फ़रमान से ज़ाहिर होती है जबकि आप पेशाब से फ़ारिग़ हुए, फिर तयम्मुम किया और उसके बाद सलाम का जवाब दिया, और फ़रमाया: 'मैंने बिला तहारत अल्लाह का ज़िक्र करना नापसन्द किया था।' (सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, हदीस: 13) गोया सलाम का जवाब भी आपने तयम्मुम के बाद दिया है और इसे ज़िक्रुल्लाह क़रार दिया। क़ुर्आन भी ज़िक्र है जो कि इस ज़िक्र से बेहतर है, इसलिए अफ़ज़ल यही है कि ग़ुस्ल के बाद ही क़ुर्आन मजीद की तिलावत की जाये। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو يُوسُفَ الصَّيْدَلَانِيُّ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

(267) हज़रत अली (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जनाबत के अलावा हर हाल में क़ुर्आन मजीद पढ़ लिया करते थे।

(267) तख़रीज : (सनद हसन) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 262, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (١٧٢) مُمَاسَّةِ الْجُنُبِ وَمُجَالَسَتِهِ

बाब : (172) जुन्बी को हाथ लगाना और उसके साथ उठना बैठना जायज़ है

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَاسَحَهُ وَدَعَا لَهُ - قَالَ - فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ " إِنِّي رَأَيْتُكَ

(268) हज़रत हुज़ैफ़ा (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब अपने किसी सहाबी को मिलते थे तो (मुसाफ़े के बाद) उसे हाथ फेरते और उसे दुआ देते। एक दिन सुबह के वक़्त मैंने आपको देखा तो मैंने रुख़ बदल लिया था। मैंने कहा: तहक़ीक़ मैं जुन्बी था। मुझे ख़तरा था कि आप मुझे हाथ लगायेंगे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मुसलमान पलीद नहीं होता।'

فَحِدْتَ عَنِّي " . فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " .

(268) **तख़रीज : (सनद सही)** सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 265.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस्ताद या बुज़ुर्ग को चाहिए, वह अपने छोटों और शागिर्दों का ख़्याल रखे, उनके हालात से ज़रूरी हद तक बाख़बर रहे ताकि हस्बे ज़रूरत उनकी मदद और रहनुमाई कर सके। उनसे मुसाफ़ा करे, उनसे मेल जोल रखे और इसके साथ साथ उन्हें दुआ भी दे। ख़ुसूसन ख़ादिम दुआ का ज़्यादा मुस्तहिक़ (हक़दार) है। ये ख़िदमत का बदला भी बन जायेगा। **(2)** जनाबत, हैज़, और बोल व बराज़ से इंसान नमाज़ वग़ैरह के क़ाबिल नहीं रहता। ये मअन्वी (हक़ीक़ी) पलीदी है। ज़ाहिरन इंसान, ख़ुसूसन मुसलमान पाक रहता है। ऊपर दिये गये हालात में उससे मिलना जुलना, उसके साथ खाना पीना, उसका हर क़िस्म के काम काज करना जायज़ है, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। उसका झूठा खाया पिया जा सकता है। वह किसी चीज़ में हाथ डाल दे (जैसे पानी वग़ैरह में) और हाथ को ज़ाहिरी नजासत भी न लगी हो तो वह चीज़ पाक रहेगी। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ . فَأَهْوَى إِلَىَّ فَقُلْتُ إِنِّي جُنُبٌ فَقَالَ " إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " .

(269) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) मुझे मिले जब कि मैं जुन्बी था। आप (मुलाक़ात के लिए) मेरी तरफ़ माइल हुए। मैंने कहा: मैं जुन्बी हूँ। आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ मुसलमान नापाक नहीं होता।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम,, हदीस: 372, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 264, इब्ने माजा, हदीस: 535.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ

(270) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) उन्हें मदीना मुनव्वरा के एक रास्ते में मिले। जबकि वह (अबू हुरैरह) जुन्बी थे, इसलिए वह आपसे खिसक गये और ग़ुस्ल किया। नबी (ﷺ) ने उन्हें न पाया। फिर जब वह आये तो आपने फ़रमाया: 'अबू हुरैरह! तुम कहाँ थे?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! जब आप मुझे मिले थे

عَنْهُ فَاغْتَسَلَ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَ قَالَ " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ " .

तो मैं जुन्बी था। मैंने इस हाल में आपके साथ बैठना पसन्द न किया यहाँ तक कि गुस्ल कर लूं। आपने फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! तहक़ीक़ मोमिन पलीद नहीं होता।'

(270) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 283, मुस्लिम, हदीस: 371, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 263.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (सुब्हानल्लाह) कलिम-ए-ताज्जुब हैं गोया आपने उनके तर्ज़े अमल और ख़्याल पर ताज्जुब किया। इससे मालूम हुआ कि जुन्बी के लिए जनाबत के फ़ोरन बाद गुस्ल करना ज़रूरी नहीं वरना आप उनके खिसकने पर ताज्जुब न फ़रमाते बल्कि उनकी तहसीन फ़रमाते। **(2)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) हद दर्जे तक आपकी इज़्ज़त व एहतिराम करते थे। **(3)** नबी (ﷺ) अगर किसी सहाबी को गुम पाते तो फ़ोरन उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त फ़रमाते थे। इससे हमें ये रहनुमाई मिली कि क़ौम के बड़े को चाहिए कि अगर वह अपने मातहतों में से किसी को गुम पाये तो फ़ोरी तौर पर उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करे और अगर वह किसी आज़माइश में मुब्तला है तो उसके दुख दर्द का शरीक बने। और उसकी रहनुमाई करे।

باب : (۱۷۳)
اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

बाब : (173)
हैज़ वाली औरत से कोई काम करवाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ " يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " . فَقَالَتْ إِنِّي لاَ أُصَلِّي . قَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ " . فَنَاوَلَتْهُ .

(271) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में थे कि आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! मुझे कपड़ा पकड़ाओ।' उन्होंने कहा: मैं नमाज़ नहीं पढ़ती (मैं हैज़ से हूँ) आपने फ़रमाया: 'बेशक वह (हैज़) तुम्हारे हाथ में नहीं।' तो उन्होंने कपड़ा पकड़ा दिया।

(271) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 299.

(272) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ा दो।' मैंने कहा: मैं हालते हैज़ में हूँ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है।'

(272) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 298, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . قَالَتْ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ " .

फ़ायदा : हैज़ और जनाबत की हालत में किसी सख़्त ज़रूरत के तहत मस्जिद में दाख़िल हुआ जा सकता है, अलबत्ता इस हालत में मस्जिद में ठहरना दुरुस्त नहीं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'मैं हाइज़ा औरत और जुन्बी के लिए मस्जिद को हलाल नहीं करता।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 232)

(273) (इमाम नसाई (رحمه الله) कहते हैं:) हमें इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने बयान किया, उन्होंने कहा: हमें अबू मुआविया ने आमश से इसी सनद के साथ ऐसी ही रिवायत बयान की।

(273) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 266, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

बाब : (174) हैज़ वाली औरत मस्जिद में चटाई बिछा सकती है

باب : (۱۷۴) بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

(274) हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह रसूल (ﷺ) अज़वाजे मुतहहरात में से किसी की गोद में सर रखते और क़ुर्आन मजीद की तिलावत फ़रमाते, हालांकि वह हैज़ से होती थी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِالْخُمْرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ .

इसी तरह हममें से कोई चटाई लेकर मस्जिद में बिछा देती थी, हालांकि वह हाइज़ा होती थी।

(274) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस़: 6/331, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हाइज़ा औरत की गोद में क़ुर्आन मजीद पढ़ने पर कोई ऐतराज़ वारिद नहीं होता, ताहम इससे वाज़ेह होता है कि हाइज़ा के लिए क़ुर्आन पढ़ने की नापसन्दीदगी का एहसास मौजूद था। **(2)** लेट कर क़ुर्आन करीम की तिलावत करना दुरुस्त है। **(3)** ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है, ताहम दीगर शवाहिद की बिना पर स़ही है, शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे हसन क़रार दिया है, जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन की तहक़ीक़ की रू से ये रिवायत स़ही लिग़ैरिही है और यही बात दुरुस्त है। मुलाहिज़ा हो: (इरवाउलग़लील लिलअल्बानी: 1/213, मुसनद अहमद: 44/292) याद रहे इस हदीस़ से मालूम हुआ कि हाइज़ा हस्बे ज़रूरत मस्जिद में दाख़िल हो सकती है, अलबत्ता उसमें ठहरना दुरुस्त नहीं। इमाम नसाई (رحمه الله) का रूझान भी यही मालूम होता है। वल्लाहु आलम!

باب : (١٧٥)
فِي الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

बाब : (175)
हाइज़ा बीवी की गोद में सर रख कर क़ुर्आन मजीद पढ़ना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ .

(275) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का सर मुबारक हम (अज़वाजे मुतह्हरात) में से किसी एक की गोद में होता था जब कि वह हैज़ की हालत में होती थी और आप क़ुर्आन मजीद तिलावत फ़रमाते थे।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 297/7549, मुस्लिम हदीस़: 301, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 268.

बाब : (176) हैज़ वाली औरत अपने ख़ाविन्द का सर धो सकती है

باب : (۱۷۶) غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُومِئُ إِلَىَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

(276) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) ऐतकाफ़ की हालत में अपना सर मेरे क़रीब कर देते, मैं उसे धो देती, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

(276) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2031, मुस्लिम, हदीस़: 297, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 269.

फ़ायदा : चूंकि हैज़ वाली औरत के हाथ ज़ाहिरन पलीद नहीं होते, लिहाज़ा सर धोने में कोई हर्ज नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ، آخَرُ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، -رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُخْرِجُ إِلَىَّ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

(277) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ऐतकाफ़ की हालत में अपना सर मुबारक मस्जिद से बाहर मेरी तरफ़ निकाल देते और मैं उसे धो देती थी, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

(277) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 296, मुस्लिम, हदीस़: 297/8.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ .

(278) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सर मुबारक को कन्घी कर दिया करती थी, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

(278) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 295, हदीस़: 5925 में देखें, मुस्लिम, हदीस़: 297/9, मोत्ता: 1/60, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 270.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - مِثْلَ ذَلِكَ .

(279) क़ुतैबा बिन सईद ने इमाम मालिक की सनद से ऐसी ही हदीस़ बयान की है मगर इस हदीस़ में मालिक के उस्ताद हिशाम बिन ड़रवा के बजाये ज़ोहरी हैं। इस रिवायत में क़ुतैबा के साथ अ़ली बिन शुऐब भी उनकी मुवाफ़िक़त करते हैं।

(279) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5925, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 271.

بَاب : (١٧٧)
مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

बाब : (177) हैज़ वाली औ़रत के साथ खाना पीना और उसका जूठा पीना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها سَأَلْتُهَا هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَىَّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَىَّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ .

(280) हज़रत शुरैह से रिवायत है कि मैंने हज़रत आ़यशा (ﷺ) से पूछा: क्या औ़रत हैज़ की हालत में अपने ख़ाविन्द के साथ खा पी सकती है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे बुलाते थे तो मैं आपके साथ खाना खाती जबकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। आप गोश्त वाली हड्डी पकड़ते और मुझे क़सम देते कि मैं पहले शुरू करूं। मैं उससे कुछ गोश्त नोचती, फिर मैं हड्डी रख देती, फिर आप उसे पकड़ते और उससे नोंचना शुरू फ़रमा देते। अपना दहन मुबारक उसी जगह रखते जहाँ मैंने मुँह रखा होता था। इसी तरह आप पानी मंगवाते और पीने से पहले मुझे क़सम देते कि मैं शुरू करूं। मैं पानी पकड़ती और कुछ पानी पीती, फिर रख देती तो आप पकड़ते और पीना शुरू फ़रमा देते। और अपना दहन मुबारक प्याले की उसी जगह रखते जहाँ मैंने अपना मुँह रखा होता था।

(280) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 2, हदीस़: 70 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) (حَائِضٌ، طَامِثٌ اور عَارِكٌ) हम मानी लफ़्ज़ हैं और इनसे मुराद वह औरत है जिसे माहवारी ख़ून आ रहा हो। (2) खाना खाते वक़्त या पानी पीते वक़्त खाने और पानी को हाथ और मुँह लगते हैं। ये सब चीजें हाइज़ा और जुन्बी की भी पाक होती हैं, लिहाज़ा उनके साथ खाने पीने या उनके छोड़े हुए खाने पीने में कोई हर्ज नहीं। (3) नबी-ए-अकरम (ﷺ) का इस्रार के साथ हज़रत आयशा (ﷺ) को पहले खाने के लिए कहना और फिर उनके मुँह वाली जगह पर अपना दहन मुबारक रख कर खाना पीना, जिस तरह मियाँ बीवी के मिसाली ताल्लुक़ात और प्यार मोहब्बत की इन्तिहा पर दलालत करता है, उसी तरह ये हज़रत आयशा (ﷺ) की फ़ज़ीलत और नबी-ए-अकरम (ﷺ) की आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत पर भी दलालत करता है। अरब मुआशरे बिलख़ुसूस यहूद में औरत को कम दर्जे की मख़्लूक़ समझ कर उसकी तज़लील (बेइज़्ज़ती) की जाती थी, ख़ुसूसन हैज़ के अय्याम में तो उसे अछूत (पलीद) समझा जाता था और मुआशरे से अलग थलक कर दिया जाता था जिससे औरतें एहसासे कमतरी का शिकार हो जाती थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हैज़ की हालत में अपनी बीवी से ये सुलूक करके कुफ़्फ़ार के इस रवैये को ख़त्म फ़रमाया। (4) ऐसे कामों में आदमी अपनी बीवी पर क़सम डाल सकता है।

أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ سُؤْرِي وَأَنَا حَائِضٌ .

(281) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना मुँह मुबारक उस जगह रखते जहाँ से मैंने पिया होता था, फिर मुझसे बचा हुआ पानी नोश फ़रमाते, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

(281) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 273, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (١٧٨)
الْانْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

बाब : (178)
हाइज़ा औरत के जूठे से फ़ायदा उठाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، -

(282) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे बर्तन पकड़ाते, चुनांचे मैं उससे पीती, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती

رضى الله عنها - تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ .

थी, फिर मैं बर्तन आपको दे देती तो आप क़सदन मेरे मुँह वाली जगह पर मुँह मुबारक रखते।

(282) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 274, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ وَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

(283) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं हैज़ की हालत में पानी पीती, फिर मैं बर्तन नबी (ﷺ) को पकड़ा देती। आप मेरे मुँह वाली जगह पर अपना मुँह मुबारक रख कर नोश फ़रमाते। मैं हड्डी से गोश्त नोचती जब कि मैं हैज़ से होती थी और मैं वह हड्डी आपको पकड़ा देती तो आप मेरे मुह वाली जगह पर अपना मुँह मुबारक रखते।

(283) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 61, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (١٧٩)
مُضَاجَعَةِ الْحَائِضِ

बाब : (179)
हालते हैज़ में बीवी के साथ लेटना

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ، مَعَ

(284) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक दफ़ा मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ एक चादर में लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ शुरू हो गया, चुनांचे मैं आहिस्तगी से उठी और अपने हैज़ वाले कपड़े पहन लिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें हैज़ शुरू हो गया है?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने मुझे बुलाया और मैं आपके साथ उसी चादर में लेट गई।

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنَفِسْتِ ". قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ .

(284) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 296, बुख़ारी, हदीस: 298, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 277.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ के कपड़ों से मुराद लंगोटी वग़ैरह भी हो सकती है। मुम्किन है, उन्होंने हैज़ के लिए मुकम्मल लिबास अलग रखा हुआ हो और ये बेहतर है। **(2)** हैज़ की हालत में अगर मर्द के कपड़ों या जिस्म को हैज़ का ख़ून लगने का एहतिमाल न हो तो इस हालत में बीवी के साथ लेटा जा सकता है। उससे बोसो-किनार भी जायज़ है। सिर्फ़ जिमा हराम है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ أَوْ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ ..

(285) हज़रत आयशा (﵄) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही चादर में रात गुज़ारते थे, हालांकि मैं हैज़ से होती थी, चुनांचे अगर आपको मुझसे कुछ (ख़ून) लग जाता तो आप सिर्फ़ उतनी जगह धो लेते, ज़्यादा न धोते और उस कपड़े में नमाज़ पढ़ते, फिर (दोबारा मेरे साथ) लेट जाते, चुनांचे अगर कुछ (ख़ून) मुझसे आपके कपड़ों को लग जाता तो इसी तरह करते, (सिर्फ़ उतनी जगह धोते) उससे ज़्यादा न धोते और उस कपड़े में नमाज़ पढ़ लेते।

(285) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 269/2166, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 276.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कपड़ों पर जितनी जगह नजासत लगी हो, सिर्फ़ उतनी जगह धोना काफ़ी है। सारा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं और इस क़िस्म के कपड़े में बिला तरद्दुद नमाज़ पढ़ी जा सकती है। **(2)** दोबारा लेटने से मालूम होता है कि आप तहज्जुद की नमाज़ के लिए उठते थे। वक़्फ़े के बाद फिर लेट जाते होंगे। वल्लाहु आलम!

बाब : (180) हाइज़ा औरत (बीवी) के साथ नंगे जिस्म लेटना

بَاب : (١٨٠) مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

(286) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) हम (अज़वाजे मुतह्हरात) में से किसी को जब वह हाइज़ा होती, हुक्म देते थे कि वह अपना इज़ार बाँध ले, फिर आप उसके साथ लेट जाते थे।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/113, 182, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 278, ये हदीस गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

फ़ायदा : हाइज़ा औरत का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता, लिहाज़ा अगर उसके नंगे जिस्म के साथ ख़ाविन्द का नंगा जिस्म लग जाये तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता नाफ़ से घुटनों तक या कम अज़ कम शर्मगाह वग़ैरह पर कपड़ा होना ज़रूरी है ताकि ख़ून के साथ साथ जिमा से भी बचा जा सके।

(287) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम (अज़वाजे मुतह्हरात) में से किसी को हैज़ शुरू होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे हुक्म देते थे कि वह इज़ार बाँध ले, फिर आप उसके साथ लेट जाते थे।

(287) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस. 393, बुख़ारी, हदीस: 300, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 279.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

(288) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी औरतों में से किसी के साथ लेट जाया करते थे जब कि वह हैज़ से होती थी, बशर्ते कि उसने कमर पर ऐसा इज़ार बाँध रखा होता जो निस्फ़ रानों या घुटनों तक पहुँचता।

लैस की हदीस में है: वह इज़ार बाँधे होती।

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَاللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ، - وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَدَبَةَ - مَوْلاَةُ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ . فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ .

(288) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 267, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 280, इब्ने हिब्बान, बैहक़ी: 1/313.

باب : (١٨١) تَأْوِيلِ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) (البقرة : ٢٢٢)

बाब : (181) अल्लाह तआला के फ़रमान: 'ये लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं।' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } الآيَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يَدَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَأَخْبَرَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالاَ أَنُجَامِعُهُنَّ فِي

(289) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि यहूदी क़ौम में जब किसी औरत को हैज़ शुरू होता तो वह उसके साथ मिल जुल कर खाते न पीते थे और न घर में उसके साथ रहते। सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतार दी

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى .... }

'ये आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, आप फ़रमा दीजिये: वह गंदी चीज़ है .....' तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह उनके साथ मिल जुल कर खाएँ पिएँ और घरों में उनके साथ रहें और उनके साथ हर क़िस्म की मोहब्बत प्यार करें, सिवाये जिमा के (कि वह हराम है।) यहूदी कहने लगे: ये रसूल हमारी हर चीज़ में मुख़ालिफ़त करता है तो उसैद बिन हुज़ैर और अब्बाद बिन बिश्र (ﷺ) खड़े हुए और रसूलुल्लाह(ﷺ) को यहूदियों की इस बात की ख़बर दी, फिर कहने लगे: क्या हम हैज़ की हालत

الْحَيْضِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم تَمَعُّرًا شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِمَا، فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةُ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا.

में उनके साथ जिमा भी न कर लिया करें? रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा सख़्ती से बदल गया यहाँ तक कि हमने समझा, आप उन पर नाराज़ हो गये हैं, चुनांचे वह दोनों उठ कर चले गये कि इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास दूध का तोहफ़ा आ गया तो आपने उनके पीछे आदमी भेजा और उन्हें वापस बुलवाया और उन्हें दूध पिलाया तो वह समझ गये कि आप हम पर नाराज़ नहीं हैं।

(289) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 302, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 281.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हाइज़ा औरत के साथ यहूदियों का सुलूक इन्तिहाई तौहीन आमेज़ था जैसा कि ऊपर गुज़र चुका है कि वह हैज़ की हालत में औरत को अछूत बना देते थे यहाँ तक कि उसकी रिहाइश भी अलग हो जाती थी, जब कि ईसाई हैज़ और ग़ैर हैज़ में कोई फ़र्क़ न करते थे, वह हैज़ की हालत में जिमा तक कर लेते थे। इस्लाम ने, जो दीने ऐतदाल है, म्याना रवी (बीच का रास्ता) इख़्तियार की कि उन्हें अछूत बनाया न जिमा की इजाज़त दी और यही हक़ है। **(2)** क़ुर्आन मजीद ने हाइज़ा से जिमा के मना करने की वजह ये बताई है कि हैज़ का ख़ून नजिस है और नजासत में लिथडना फ़ितरत के ख़िलाफ़ है, लिहाज़ा हैज़ ख़त्म होने बल्कि उनके गुस्ल करने तक जिमा हराम है। जब औरत बिल्कुल पाक हो जाये तो फिर जिमा हलाल है। इस हदीस से ये भी इस्तिदलाल किया गया है कि औरत की 'दुबुर' इस्तेमाल करना भी हराम है क्योंकि वह तो हर वक़्त नजासत से आलूदा रहती है। इसके अलावा एक दूसरी हदीस में सराहतन भी इसकी हुरमत आई है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 135) **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाराज़ी का सबब ये था कि किसी क़ौम की मुख़ालिफ़त का ये मतलब नहीं कि हम नाजायज़ काम करने लग जायें। ये तो ज़िद और तास्सुब का मुज़ाहिरा होगा। यहूद की मुख़ालिफ़त भी सिर्फ़ उन कामों में है जो उन्होंने अपनी तरफ़ से दीन में शामिल किये हैं और जिनमें वह राहेरास्त से हटे हूए हैं। हाँ! कुछ अहकाम में नबी (ﷺ) ने उनकी मुख़ालिफ़त का भी हुक्म दिया है, जिससे मक़सूद उनसे इम्तियाज़ था। **(4)** चूंकि आपकी नाराज़ी सिर्फ़ एक ग़लत रवैये के ख़िलाफ़ थी न कि उन सहाबा पर, लिहाज़ा आपने उन्हें वापस बुला कर दूध पिलाया।

बाब : (182)
जो आदमी बावुजूद जानने के कि अल्लाह तआला ने हैज़ की हालत में जिमा से रोका है, अपनी बीवी से इस हाल में जिमा करे तो उस पर क्या तावान आयेगा?

باب : (١٨٢)
مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ وَطْئِهَا

(290) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में रिवायत करते हैं जो अपनी बीवी से हैज़ की हालत में जिमा करता है कि वह एक दीनार या निस्फ़ दीनार सदक़ा करे।

(290) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 264/2168, इब्ने माजा, हदीस: 640, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 282, हाकिम: 1/171, 172.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ की हालत में जिमा कई ख़राबियों का सबब बन सकता है क्योंकि जब मर्द पलीद ख़ून से आलूदा होगा तो वह नुक़सान देने वाले जराशीम से महफ़ूज़ नहीं रह सकेगा, इसलिए इस हालत में जिमा से मना किया गया है। अगर कोई ख़िलाफ़वर्ज़ी करे तो उसे माली तावान भी डाला गया है। क्योंकि आपके दौर में लोग ग़रीब थे। माली तावान उनके लिए बरदाश्त करना मुश्किल था, लिहाज़ा रोकने के लिए ये तरीक़ा कारगर समझा गया। **(2)** 'दीनार या निस्फ़ दीनार।' इसकी बाबत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) ने सराहत फ़रमाई है कि दीनार उस वक़्त जब वह इब्तिदा-ए-हैज़ में जिमा करे और निस्फ़ दीनार उस वक़्त जब वह हैज़ के आख़िरी दिनों में जिमा करे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 265) मुम्किन है, पहले दिनों का ख़ून गाढ़ा होने की वजह से ज़्यादा नुक़सानदेह हो और आख़िरी दिनों का कम, इसलिए तावान में फ़र्क़ किया गया है।

बाब : (183) औरत को एहराम की हालत में हैज़ आने लगे तो क्या करे?

باب : (١٨٣)
مَا تَفْعَلُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَاضَتْ

(291) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ निकले। हमारा

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كَانَ بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا لَكِ أَنَفِسْتِ " . فَقُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " . وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ .

इरादा हज ही का था। जब आप मक़ामे सरिफ़ पर थे कि मुझे हैज़ शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल(ﷺ) मेरे पास आये तो मैं रो रही थी। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें हैज़ शुरू हो गया है?' मैंने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'ये चीज़ अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों पर लिख दी है, लिहाज़ा जो कुछ हाजी करें, वही तुम भी करो, सिर्फ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने (इस हज में) अपनी बीवियों की तरफ़ से गाय ज़िब्ह की।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 294, मुस्लिम, हदीस: 1211/119, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 283.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि हैज़ की हालत में, औरत के लिए मस्जिद में ठहरना मना है और तवाफ़ मस्जिद में होता है, लिहाज़ा तवाफ़ से रोका गया है। सई भी तवाफ़ के ताबेअ है, वह भी मना है। **(2)** आप का अपनी औरतों की तरफ़ से गाय ज़िब्ह करना नफ़ल होगा क्योंकि हज्जे इफ़राद करने वाले पर कुर्बानी फ़र्ज़ नहीं मुम्किन है, कुछ ने हज के साथ उमरा भी किया हो।

بَاب : (١٨٤) مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

बाब : (184) निफ़ास वाली औरत एहराम के वक़्त क्या करे?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم

(292) मुहम्मद (बिन अलल मअ़रूफ़ इमाम बाक़र) (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) के पास आये और उनसे नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हज के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) (हज के लिये) निकले तो ज़िल्क़अ़दा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम भी आपके साथ निकले यहाँ तक कि आप

فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي " .

ज़ुलहुलैफ़ा पहुँचे तो अस्मा बिन्ते उमैस (ﷺ) ने मुहम्मद बिन अबू बक्र को जन्म दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पैग़ाम भेजा कि मैं कैसे करूं? आपने फ़रमाया: 'गुस्ल करके लंगोट बाँध लो, फिर लब्बैक कहना शुरू कर दो।'

(292) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 284, मुस्लिम, हदीस: 1218.

फ़वाइद व मसाइल : (1) निफ़ास से मुराद वह ख़ून है जो बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को आता है। इस दौरान में भी औरत के लिए नमाज़ रोज़ा, क़ुर्आन और जिमा ममनूअ है। ख़ून के इख़्तिताम पर गुस्ल करने के बाद मज़कूरा चीज़ें हलाल होती हैं। **(2)** एहराम के मसले में निफ़ास वाली औरत बाक़ी औरतों के बराबर है, वह लब्बैक भी कहेगी और हज के तमाम अरकान भी अदा करेगी मगर तवाफ़ और सई नहीं करेगी क्योंकि इसका हुक्म हैज़ वाली औरत की तरह है।

بَاب : (١٨٥)
دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

बाब : (185)
हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो...?

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، ثَابِتٌ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ " حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " .

(293) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन से रिवायत है, उन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाता है। आपने फ़रमाया: 'उसको किसी लकड़ी (या हड्डी वग़ैरह) से खुरच दो, फिर उसको पानी और बेरी के पत्तों से धो दो।'

(293) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 363, इब्ने माजा, हदीस: 628, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 286, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 277, इब्ने हिब्बान, हदीस: 235.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो सफ़ाई ज़रूरी है क्योंकि वह पलीद होता है। ये गाढ़ा भी होता है, लिहाज़ा उसे पहले किसी तेज़ चीज़ से खुरच लिया जाये, फिर पानी से मल कर धो दिया जाये, यहाँ तक कि ख़ून का कोई हिस्सा बाक़ी न रहें निशान रह जाये तो कोई बात

नहीं। (2) पानी के साथ बेरी के पत्तों का ज़िक्र मज़ीद सफ़ाई के लिए है वरना पानी ही काफ़ी है। आज कल साबुन लगा लिया जाये ताकि निशान भी मिट जाये या कम हो जाये।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ، تَكُونُ فِي حِجْرِهَا أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ " حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ وَصَلِّي فِيهِ " .

(294) हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने अल्लाह के रसूल(ﷺ) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाये तो आपने फ़रमाया: 'उसे खुरच दो, फिर पानी के साथ (नाख़ूनों से) मल दो, फिर धो कर नमाज़ पढ़ लो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 227, मुस्लिम, हदीस: 291, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 285.

फ़ायदा : नाख़ूनों से मलना और पानी डालना अच्छी तरह सफ़ाई कर देता है। बाद में पानी बहा कर निचोड़ लिया जाये। कुछ हज़रात ने (اِنْضَحِي) के मानी बाक़ी कपड़े पर छींटें मारना किये हैं, मगर ये मानी बिला तकल्लुफ़ समझ में नहीं आता। रसूलुल्लाह (ﷺ) का कलाम बिला तकल्लुफ़ होता था। बिल फ़र्ज़ अगर ये मानी हों तो मुराद मश्कूक जगह होगी और मश्कूक जगह, ख़्वाह मज़ी की वजह से हो, उस पर छींटे मारे जाते हैं, अलबत्ता अगर किसी जगह के पलीद होने का यक़ीन हो तो लाज़िमन धोना होगा और अगर बाक़ी कपड़े के पाक होने का यक़ीन है तो छींटे मारने की ज़रूरत नहीं। इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है।

بَاب : (١٨٦)
الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

बाब : (186)
कपड़े को मनी लग जाये तो?

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ

(295) हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान(ﷺ) ने नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मुतह्हरा उम्मे हबीबा (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) उस कपड़े में नमाज़ पढ़ते थे जिसमें जिमा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! जब उसमें कोई आलूदगी न देखते।

اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى .

(295) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 366, इब्ने माजा, हदीस: 540, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 287, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान वग़ैरह.

फ़ायदा : आलूदगी से मुराद मनी या ख़ून वग़ैरह का लगना है, अगर ऐसा हो तो मुतालिक़ा हिस्से का धो लेना काफ़ी है वरना वैसे ही इस कपड़े में नमाज़ पढ़ना जायज़ है क्योंकि आलूदगी न लगने की वजह से वह पाक है।

باب : (١٨٧) غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

बाब : (187) कपड़े से मनी धोना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبِهِ .

(296) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के कपड़े से जनाबत (मनी) को धो देती थी, फिर आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले जाते जब कि पानी के निशानात आपके कपड़े में नज़र आते थे।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 229, मुस्लिम, हदीस: 289, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 288.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जनाबत से सबबे जनाबत, यानी मनी मुराद है। मनी को कपड़े से धोने से मालूम होता है कि मनी पलीद है और ये जुम्हूर अहले इल्म का मौक़फ़ है। उनके बक़ौल मख़रज के लिहाज़ से भी ये बात ज़्यादा क़वी है। साबिक़ा हदीस में लफ़्ज़ (أذى) भी मौईद है क्योंकि ये लफ़्ज़ कुर्आन मजीद में हैज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है और हैज़ बिल इत्तिफ़ाक़ पलीद है, जब कि कुछ हज़रात जिनके सरबराह हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) हैं, मनी को पाक समझते हैं, बाक़ी रहा धोना तो ये नजासत की दलील नहीं, बल्कि नज़ाफ़त के लिए भी धोया जा सकता है, जैसे नाक की ग़लाज़त या बल्ग़म वग़ैरह कपड़े को लग जाये, तब भी कपड़ा धोया जाता है, ख़ुसूसन जब कि कई दफ़ा हज़रत आयशा (ﷺ) ने सिर्फ़ कपड़ा मलने और रगड़ने को काफ़ी समझा है। वैसे भी मनी अम्बिया व सालेहा की जड़ है। ये बदबू से भी पाक है, इसलिए इस मस्लक के हामिलीन के नज़दीक इसे दूसरी पलीद चीज़ों के बराबर क़रार नहीं दिया जा सकता। **(2)** सारा कपड़ा धोना ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ आलूदगी वाली जगह धो ली जाये। **(3)** जिस कपड़े से मनी धोई जाये, उसके ख़ुश्क होने से पहले नमाज़ के लिए मस्जिद में जाया जा सकता है।

बाब : (188)
मनी को कपड़े से खुरच कर साफ़ करना

باب : (١٨٨)
فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ - وَقَالَتْ مَرَّةً أُخْرَى الْمَنِيَّ - مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(297) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं अल्लाह रसूल (ﷺ) के कपड़े से जनाबत को खुरच देती थी। और एक बार फ़रमाया: मनी को खुरच देती थी।

(297) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 6/67, 280, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 289.

फ़ायदा : गोया मनी कोई बोल व बराज़ (पेशाब-पाखाना) जैसी चीज़ नहीं है कि उसका ज़र्रा ज़र्रा कपड़े से निकलना चाहिए बल्कि कपड़े को आपस में रगड़ दिया जाये या उसे खुरच दिया जाये, जो गिर जाये और जो कपड़े के रेशों में रह जाये, उसमें कोई हर्ज नहीं। इस हदीस से हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) और उनके मुवाफ़िक़ीन के मौक़फ़ की ताईद होती है, यानी जो मनी की तहारत के क़ायल हैं।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ الْحَكَمُ أَخْبَرَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرُكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(298) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अल्लाह के रसूल(ﷺ) के कपड़े से मनी को रगड़ दिया करती थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती थी।

(298) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 288/106, मुसनद अहमद, हदीस: 6/125.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(299) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के कपड़े से मनी खुरच दिया करती थी।

(299) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 288/107, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَرَاهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحُكُّهُ .

(300) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के कपड़े से मनी खुरच दिया करती थी।

(300) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 290, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(301) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाती हैं: मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के कपड़े से मनी खुरच दिया करती थी।

(301) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 288/107, हदीस: 298 में देखें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَحُتُّهُ عَنْهُ .

(302) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के कपड़े में मनी देखती तो उसे उससे खुरच दिया करती थी।

(302) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 288/107.

بَاب : (١٨٩) بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ

बाब : (189) उस बच्चे का पेशाब जिसने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى

(303) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन (ﷺ) से रिवायत है कि मैं अपने एक छोटे बच्चे को जिसने अभी खाना शुरू नहीं किया था, रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास लाई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसने आपके कपड़े पर पेशाब कर

رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

दिया। आपने पानी मंगवाया और उस कपड़े पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं।

(303) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 223, मुस्लिम, हदीस: 287, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 291, मोत्ता: 1/64.

फ़वाइद व मसाइल : (1) छोटा बच्चा जिसने अभी खाना शुरू न किया हो, उसके पेशाब की सफ़ाई में रिआयत दी गई है कि उस पर पानी छिड़क दिया जाये। बाक़ायदा निचोड़ कर धोना ज़रूरी नहीं, मगर ये रिआयत सिर्फ़ लड़के के लिए है, लड़की के लिए नहीं। मगर कुछ फ़ुक़हा ने इस फ़र्क़ को तस्लीम नहीं किया। वह दोनों सूरतों में धोने ही के क़ायल हैं लेकिन सही हदीस को राय से रद्द कर देना इस्लामी तालीमात के मनाफ़ी है। शरीयत ने इसके अलावा और कई जगहों पर इस क़िस्म का फ़र्क़ रवा रखा है, जैसे: जो शख़्स ऊँट का गोश्त खाये, वह नमाज़ के लिए वुज़ू करेगा और दूसरे हलाल जानवरों का गोश्त खाने से नमाज़ के लिए वुज़ू का हुक्म नहीं है अगर वह पहले से बावुज़ू है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 360) अगर लड़के और लड़की में फ़र्क़ कर दिया तो उसे ख़ुश दिली से क़ुबूल करना चाहिए। किसी भी शरई हुक्म के सामने सर तस्लीम ख़म कर देना अहले ईमान का शेवा है। उसे अपनी राय या क़यास, अपनी पसन्द या नापसन्द की सान पर नहीं चढ़ाना चाहिए वरना शरियत का हुक्म तो बाक़ी रहेगा और सान टूट जायेगी। शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) ने लड़की और लड़के के दरम्यान फ़र्क़ की ये वज़ाहत की है कि बच्चे को लोग ज़्यादा उठाते हैं। ज़ाहिर है उसके पेशाब में ज़्यादा लोग मुब्तला होंगे और जो चीज़ जितनी आम हो, उतनी उसमें तख़्फ़ीफ़ की जानी चाहिए, बख़िलाफ़ बच्ची के कि उसे कम ही उठाते हैं, ख़ुसूसन जब वह इतनी छोटी हो। **(2)** (فنضحه) 'आप(ﷺ) ने इस (पेशाब) पर पानी छिड़का। यहाँ (نضح) से मुराद पानी छिड़कना और छींटे मारना है, पानी बहाना या धोना मुराद नहीं है जैसा कि (ولم يغسله) 'और उसे धोया नहीं' से इसकी ताईद होती है क्योंकि सही अहादीस में इस बात की सराहत मौजूद है: 'लड़की का पेशाब धोया जाये और लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जायें, जब तक उनकी ख़ुराक सिर्फ़ दूध हो।' हाँ! जब लड़का दूध के साथ साथ कोई और ख़ूराक, जैसे: दलिया, रोटी या दही और चावल वग़ैरह खाना शुरू कर दे तो फिर उसका पेशाब भी धोया जायेगा। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 376-379) **(3)** बच्चों के साथ प्यार व मोहब्बत करनी चाहिए। अगर उनकी तरफ़ से कोई तकलीफ़ पहुँचे तो फिर भी उनसे नर्मी और शफ़क़त से पेश आना चाहिए। **(4)** नेक लोगों के पास दुआ के लिए जाना चाहिए। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ .

(304) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास एक बच्चा लाया गया। उसने आप पर पेशाब कर दिया, चुनांचे आपने पानी मंगवाया और पेशाब पर उसे छिड़क दिया।

(304) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 222, मुस्लिम, हदीस: 286, मोत्ता: 1/64, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 292, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (١٩٠) بَوْلِ الْجَارِيَةِ

बाब : (190) लड़की का पेशाब

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ " .

(305) हज़रत अबू सम्ह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लड़की के पेशाब की वजह से कपड़ा धोया जाये और लड़के के पेशाब की वजह से पानी छिड़क दिया जाये।'

(305) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 376, इब्ने माजा, हदीस: 526, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 293, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 283, हाकिम व ज़हबी.

फ़ायदा : यहाँ भी हदीस: 303 की क़ैद (لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ) मोतबर है, यानी उस लड़के ने अभी खाना शुरू न किया हो।

باب : (١٩١) بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

बाब : (191) जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसके पेशाब का हुक्म

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ

(306) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि उ़क्ल क़बीले के कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और कलिमा ए इस्लाम पढ़ा, फिर वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के

أَنَّ أُنَاسًا أَوْ رِجَالاً مِنْ عُكْلٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَكَلَّمُوا بِالإِسْلاَمِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ . وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وَرَاعٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَلَمَّا صَحُّوا وَكَانُوا بِنَاحِيَةِ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَسَمَرُوا أَعْيُنَهُمْ وَقَطَّعُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ تُرِكُوا فِي الْحَرَّةِ عَلَى حَالِهِمْ حَتَّى مَاتُوا .

रसूल! हम ऊँटों वाले लोग हैं, खेती वाले नहीं और उन्होंने मदीने की आबो हवा को नामुवाफ़िक़ पाया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके लिए ऊँटों और चरवाहे का हुक्म दिया और उन्हें हुक्म दिया कि उनमें चले जायें और उनके दूध व पेशाब पियें फिर जब वह तन्दुरुस्त हो गये और हर्रह के एक किनारे में रह रहे थे। वह इस्लाम लाने के बाद फिर काफ़िर हो गये। उन्होंने नबी (ﷺ) के चरवाहे को क़त्ल कर दिया और आपके ऊँट हाँक कर ले गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये बात पहुँची तो आपने उनके पीछे तलाश करने वाले भेजे। आख़िरकार उन्हें पकड़ कर लाया गया तो मुसलमानों ने उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं और उनके हाथ पाँव काट दिये, फिर उन्हें उसी ज़ख़्मी हालत में हर्रह में छोड़ दिया गया यहाँ तक कि वह (तड़पते तड़पते) मर गये।

(306) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4192, मुस्लिम, हदीस़: 1671/13, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 294.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चूंकि वह लोग स़हराई ज़िन्दगी के आ़दी थे, इसलिए शहरी माहौल उन्हें रास न आया और बदहज़मी हो गई। **(2)** 'ऊँटों के पेशाब पियो।' इससे इस्तिदलाल किया गया है कि (مَأْكُولُ اللَّحْم) जानवर, यानी जिस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है, उसका पेशाब पाक है वरना रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें पेशाब पीने का हुक्म न देते। वैसे भी शरियत के उस़ूल मद्दे नज़र रखे जायें तो नतीजा यही निकलता है क्योंकि (مَأْكُولُ اللَّحْم) जानवर घरों मे रखे जाते हैं, उनका दूध पिया जाता है, उन पर सवारी की जाती है और उनकी ख़िदमत करनी पड़ती है, इसलिए घर, कपड़े और जिस्म को उनके पेशाब और गोबर से पाक रखना नामुम्किन है बल्कि ऐन मुम्किन है कि दूध दोहते वक़्त वह पेशाब शुरू कर दे। और पेशाब का कोई छींटा दूध में जा गिरे। अब अगर उनके पेशाब और गोबर को पलीद क़रार दिया जाये तो लोग बड़ी मुश्किल में फंस जायेंगे, और उनके पेशाब और गोबर में वह बदबू नहीं होती

जो इंसान और हराम जानवरों की नजासत में होती है, इसलिए देहात में लोग उन जानवरों के गोबर वग़ैरह से अपने फ़र्श दीवारों और छतों को लिपते हैं। उनका गोबर बतौरे ईंधन इस्तेमाल किया जाता है और ये फ़ितरी इस्तेमाल है क्योंकि मुस्लिम और ग़ैर मुस्लिम सब इसमें शरीक हैं, लिहाज़ा इन जानवरों के पेशाब और गोबर के पाक होने में कोई शुब्हा नहीं रह जाता। जुम्हूर अहले इल्म इस बात के क़ायल हैं। **(3)** जो हज़रात (رحمہم اللہ) जानवरों के पेशाब को पलीद समझते हैं, वह इस हदीस़ का ये जवाब देते हैं कि इलाज की ग़र्ज़ से पलीद चीज़ का इस्तेमाल जायज़ है, क्योंकि इलाज भी एक मजबूरी है। ये इमाम अबू यूसुफ़ का क़ौल है जब कि इमाम अबू हनीफ़ा(رحمہ اللہ) इलाज की ग़र्ज़ से भी इस पेशाब को जायज़ नहीं समझते। वह इस हदीस़ को सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ मख़सूस समझते हैं जिन्हें हुक्म दिया गया था क्योंकि आप (ﷺ) को वह्य से पता चला था कि उनकी शिफ़ा पेशाब में है। हम किसी और मरीज़ के बारे में नहीं कह सकते कि उसे लाज़िमन शिफ़ा होगी लेकिन ये बात काफ़ी कमज़ोर महसूस होती है। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمہ اللہ) के शागिर्द भी इस मसले में उनसे मुत्तफ़िक़ नहीं। **(4)** उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरना, उनके हाथ पाँव काट देना, उन्हें गर्म पत्थरों पर छोड़ देना और बावुजूद पानी की तलब के उन्हें पानी न देना और उनका इसी तरह तड़प कर मर जाना बतौर क़िसास़ था क्योंकि उन्होंने नबी (ﷺ) के चरवाहे के साथ बईनिया यही ज़ालिमाना सुलूक किया था, लिहाज़ा उन्हें बदला दिया गया जो फ़र्ज़ था। क़ुर्आन मजीद में है: 'तुम पर मक़्तूलों में बराबरी का बदला लेना लिख दिया गया है।' (अल बक़र: 2/178) क़िसास़ बराबरी और मुमास़लत को कहा जाता है, लिहाज़ा इस पर कोई ऐतराज़ नहीं और मुहद्दिसीन के नज़दीक अब भी अगर क़ातिल ने मक़्तूल को वहसियाना तरीक़े से क़त्ल किया हो तो क़िसास़ के हुक्म के पेशे नज़र और लोगों को इबरत दिलाने की ख़ातिर क़ातिल को उसी तरीक़े से क़त्ल किया जायेगा मगर कुछ फ़ुक़हा (मवालिक व अहनाफ़) के नज़दीक ये हदीस़ मन्सूख़ है क्योंकि नबी (ﷺ) का फ़रमान है: (لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ) (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 2668) यानी क़िसास़ सिर्फ़ तलवार के एक वार से लिया जायेगा, मगर याद रहे कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। क़िसास़ के हुक्म के ख़िलाफ़ है और बाब वाली रिवायत क़ुर्आन के मुवाफ़िक़ है और सनदन आला दर्जे की है, लिहाज़ा मुहद्दिसीन की बात ही स़ही है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ

(307) हज़रत अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि उरैना क़बीले के कुछ बदवी नबी(ﷺ) के पास आये और मुसलमान हो गये लेकिन उन्होंने मदीने की आबो हवा को

مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمُوا فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ فَبَعَثَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى لِقَاحٍ لَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا حَتَّى صَحُّوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ . قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسٍ وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِكُفْرٍ أَمْ بِذَنْبٍ قَالَ بِكُفْرٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَنَسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ طَلْحَةَ وَالصَّوَابُ عِنْدِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مُرْسَلٌ .

नामुवाफ़िक़ पाया यहाँ तक कि उनके रंग ज़र्द हो गये और उनके पेट बढ़ गये, चुनांचे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उन्हें अपनी दूध वाली ऊँटनियों में भेज दिया और उनसे फ़रमाया: 'उनका दूध और उनका पेशाब पियें।' यहाँ तक कि वह तन्दुरुस्त हो गये तो उन्होंने चरवाहे को क़त्ल कर दिया और ऊँट हाँक कर ले गये, चुनांचे नबी (ﷺ) ने उन्हें पकड़ने के लिए आदमी भेजे। वह (पकड़ कर) लाये गये तो आपने उनके हाथ पाँव काट दिये और उनकी आँखों में गर्म सलाइयाँ फेरीं। अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक ने हज़रत अनस (رضي الله عنه) से पूछा जब कि वह उन्हें हदीस़ बयान कर रहे थे, (उनकी ये सज़ा) कुफ़्र की वजह से थी या गुनाह की वजह से? उन्होंने कहा: कुफ़्र की वजह से।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि हम नहीं जानते कि तलहा के अ़लावा किसी रावी ने इस हदीस़ में अ़न यहया अ़न अनस कहा हो। मेरे नज़दीक स़ही सनद यूँ है: यहया (बिन सईद) अ़न सईद बिन अल मुसय्यब। गोया ये हदीस़ मुर्सल है। (इसमें हज़रत अनस का ज़िक्र नहीं होना चाहिए) वल्लाहु आ़लम!

तख़रीज:(सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई हदीस़: 295

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'गोया ये हदीस़ मुर्सल है।' मुर्सल रिवायत वह होती है जिसमें ताबेई यूँ कहे: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे फ़रमाया, ऐसे किया। (2) 'कुफ़्र की वजह से' दरअस़ल उनके कई जुर्म थे। कुफ़्र, क़त्ल, डाका, दरिन्दगी। हर जुर्म की सज़ा ज़रूरी थी, चूंकि कुफ़्र सबसे बड़ा जुर्म है, इसलिए स़िर्फ़ उसका ज़िक्र किया कि हाथी के पाँव में सब का पाँव, वरना स़िर्फ़ कुफ़्र की बिना पर इस तरह क़त्ल नहीं किया जाता बल्कि उनसे ये सुलूक उनके मजमूई जुर्मों कि बिना पर किया गया जिनमें कुफ़्र भी

शामिल है। (3) ये लोग दो क़बीलों से ताल्लुक़ रखते थे। उ़क्ल और उ़रैना। पहली रिवायत में उ़क्ल का ज़िक्र है और इसमें उ़रैना का। ये कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/438, 439, हदीस़: 233)

बाब : (192) मअ्कूलुल्लह्म (जिनका गोश्त खाया जाता हो) जानवर का गोबर कपड़े को लग जाये तो ....?

باب : (۱۹۲) فَرْثِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُصِيبُ الثَّوْبَ

(308) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: (एक दफ़ा) रसूलुल्लाह(ﷺ) बैतुल्लाह के पास नमाज़ पढ़ रहे थे और क़ुरैश के सरदार भी बैठे थे। किसी ने एक ऊँट ज़िब्ह किया था। उनमें से किसी ने कहा: कौन है जो ये गोबर ख़ून समेत उठा कर लाये, फिर कुछ स़ब्र करे यहाँ तक कि जब आप सज्दे में चेहरा रखें तो आपकी पुश्त (पीठ) पर रख दे? हज़रत अ़ब्दुल्लाह बयान करते हैं चुनांचे एक बदबख़्त उठा, गोबर (वग़ैरह) उठा कर लाया, फिर ज़रा ठहरा। जब आप सज्दे में गिर पड़े तो उसने वह (सब कुछ) आपकी पुश्त पर रख दिया। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) को इत्तिला की गई जब कि वह छोटी लड़की थी। वह भागी भागी आईं और ये गन्दगी आपकी पुश्त से हटा दी। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो तीन दफ़ा फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! क़ुरैश को हलाक कर दे। या अल्लाह! अबू जहल बिन हिशाम, शैबा बिन रबीआ, उ़तबा बिन रबीआ और उ़क़्बा बिन अबी

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَخْلَدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، فِي بَيْتِ الْمَالِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَمَلأٌ مِنْ قُرَيْشٍ جُلُوسٌ وَقَدْ نَحَرُوا جَزُورًا فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ هَذَا الْفَرْثَ بِدَمِهِ ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى يَضَعَ وَجْهَهُ سَاجِدًا فَيَضَعُهُ - يَعْنِي - عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَانْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَأَخَذَ الْفَرْثَ فَذَهَبَ بِهِ ثُمَّ أَمْهَلَهُ فَلَمَّا خَرَّ سَاجِدًا وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ فَأُخْبِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ جَارِيَةٌ فَجَاءَتْ تَسْعَى

فَأَخَذَتْهُ مِنْ ظَهْرِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ " . حَتَّى عَدَّ سَبْعَةً مِنْ قُرَيْشٍ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ فِي قَلِيبٍ وَاحِدٍ .

मुऐत को हलाक कर दे।' यहाँ तक कि आपने सात क़ुरैशियों के नाम लिये। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि क़सम उस ज़ात की जिसने आप (ﷺ) पर क़ुर्आन मजीद नाज़िल फ़रमाया! मैंने उन सब को बद्र के दिन एक कूएँ में मुर्दा पड़े पाया।

(308) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 240, मुस्लिम, हदीस: 1794, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 296.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये ख़बीस राय पेश करने वाला अबू जहल था जिसे (أشقاهم) कहा गया है और अ़मल करने वाला उ़क़्बा बिन अबी मुऐत था जिसे (أشقاهم) से मौसूम किया है। **(2)** इमाम साहब ने इस रिवायत से (ماكول اللحم) के गोबर के पाक होने पर इस्तिदलाल किया है। और ये दुरुस्त है क्योंकि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उसके बावुजूद नमाज़ जारी रखी, बाद में अ़दा भी नहीं किया, हालांकि बाद में आपको यक़ीनन पता चल गया था कि ये फ़ुलाँ चीज़ है। जो लोग इसे पलीद समझते हैं, उनमें से इमाम मालिक (رحمه الله) का ख़याल है कि ऐसी चीज़ अगर नमाज़ के अन्दर जिस्म या कपड़े को लग जाये तो नमाज़ मुकम्मल की जा सकती है, अलबत्ता अगर नमाज़ से पहले लगी हो तो सफ़ाई ज़रूरी है लेकिन इमाम नसाई (رحمه الله) का इस्तिदलाल ज़्यादा क़वी है। **(3)** नबी (ﷺ) की मुख़ालिफ़त अगरचे जुर्म है, मगर कम अज़ कम ये हिदायत का रास्ता बंद नहीं करती, मगर नबी की गुस्ताख़ी और तौहीन मुस्तक़िल तौर पर हिदायत का रास्ता बंद कर देती है। आपकी गुस्ताख़ी करने वाले वह सबके सब कुफ़्र पर मरे मगर महज़ मुख़ालिफ़त करने वालों को अल्लाह तआ़ला ने हिदायत नसीब फ़रमा दी। अल्लाह वालों से किसी मसले में इख़्तिलाफ़ किया जा सकता है मगर उनकी गुस्ताख़ी अल्लाह की रहमत व तौफ़ीक़ से महरूम कर देती है। अहले इल्म को ये बात मद्दे नज़र रखनी चाहिए। **(4)** ज़ालिम का ज़ुल्म हद से बढ़ जाये तो उसका नाम लेकर बद दुआ की जा सकती है।

बाब : (193)
कपड़े को थूक लग जाये तो ...?

باب : (١٩٣)
الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

(309) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने अपनी चादर का एक किनारा पकड़ा, उसमें थूका, फिर कपड़े को आपस में मल दिया।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ فَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .

(309) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: ..., सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 297, बुख़ारी, हदीस: 241.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि थूक पाक है। एक शाज़ क़ौल है कि थूक मुँह से निकलने के बाद पलीद हो जाता है मगर ये बिला दलील है। **(2)** कपड़े में थूक कर कपड़े को आपस में मल लेना मज्लिस में थूकने का मुहज़्ज़ब तरीक़ा है। गन्दगी नहीं फैलती और आदमी गंवार नहीं लगता।

(310) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई आदमी नमाज़ पढ़ रहा हो तो वह अपने आगे और दाएँ न थूके बल्कि अपने बाएँ या पाँव के नीचे थूके।' वरना नबी (ﷺ) ने तो इस तरह अपने कपड़े में थूक कर कपड़े को आपस में मल लिया था।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ وَإِلاَّ " . فَبَزَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَهُ .

(310) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 550, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 298.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सामने थूकना तो आम हालात में भी क़बीह है। नमाज़ में तो इंसान अपने मालिके हक़ीक़ी से हम कलाम होता है। यूँ समझे कि अल्लाह तआला सामने है, लिहाज़ा सामने थूकना तो सख़्त गुस्ताख़ी और बदतहज़ीबी है। **(2)** दाएँ तरफ़ थूकने से इसलिए मना किया गया है कि दाएँ तरफ़ फ़रिश्त-ए-रहमत होता है। **(3)** बाएँ तरफ़ उस वक़्त थूक सकता है जब वहाँ कोई मौजूद न हो वरना वह उसकी दाएँ जानिब होगी। पाँव के नीचे भी तब थूक सकता है जब मिट्टी या रेत पर खड़ा हो। अगर फ़र्श है

या सफ़ वग़ैरह बिछी है तो नीचे थूकना भी मना है। उस वक़्त सिर्फ़ आख़िरी तरीक़ा क़ाबिले अमल होगा, यानी कपड़े में थूकने का, जिसकी तरफ़ वरना कह कर इशारा किया गया है। (4) वरना के बाद नबी (ﷺ) का फ़ेअल बयान करके इशारा किया गया है कि वरना ऐसे करे क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे किया था। आज कल कपड़े के बजाये टिशू पेपर का इस्तेमाल बहुत मुनासिब बदल है।

बाब : (194)
तयम्मुम की इब्तिदा (शुरूआत)

باب : (١٩٤)
بَدْءِ التَّيَمُّمِ

(311) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ निकले यहाँ तक कि जब हम बैदा या ज़ातिल जैश मक़ाम पर पहुँचे तो मेरा हार गिर गया। अल्लाह के रसूल (ﷺ) उसको तलाश करने के लिए ठहर गये। लोग भी आपके साथ ठहर गये जब कि न वहाँ पानी था और न उनके पास पानी था। कुछ लोग हज़रत अबू बक्र(رضي الله عنه) के पास आये और (शिकायतन) कहा: आप देख नहीं रहे हैं कि आयशा (رضي الله عنها) ने क्या किया है? उन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) और लोगों को ठहरा लिया है जबकि न तो यहाँ पानी है और न उनके पास पानी है। (ये बातें सुन कर) हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) आये। रसूलुल्लाह(ﷺ) मेरी रान पर सर रख कर सो रहे थे। वह आकर कहने लगे: तुमने अल्लाह के रसूल(ﷺ) और लोगों को रोके रखा है जब कि न यहाँ पानी है और न उनके पास पानी है। मुझे अबू बक्र (رضي الله عنه) ने ख़ूब डाँटा और जो कहना चाहा, कहा और वह मेरे पहलू में कचूके मारने लगे। मैं हरकत करने से

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ ذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالُوا أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ

وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ . قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَمَا مَنَعَنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ . فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ . قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ .

सिर्फ़ इसलिए रुकी रही कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी रान पर थे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) सोये रहे यहाँ तक कि बग़ैर पानी के सुबह हो गई। तो अल्लाह तआला ने तयम्मुम वाली आयत उतार दी। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर(ؓ) कहने लगे: ऐ आले अबू बक्र! ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं। हज़रत आयशा ने कहा: फिर हमने वह ऊँट उठाया जिस पर मैं थी तो हार उसके नीचे से मिल गया।

(311) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 334, मुस्लिम, हदीस: 267, मोत्ता: 1/53, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 299, बुख़ारी, हदीस: 3672.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हार हज़रत आयशा (ؓ) ने अपनी बड़ी बहन अस्मा से सिर्फ़ पहनने के लिए लिया था। **(2)** ये वाक़िया दलील है कि कोई शख़्स आलिमुल ग़ैब नहीं जब तक अल्लाह तआला ख़बर न दे वरना इधर उधर तलाश करने की ज़रूरत न थी। आज कल ये कहा जाने लगा है कि आप (ﷺ) ग़ैब तो जानते थे मगर तवाज़ोअन् (इन्किसारी के तौर पर) और कसरे नफ़्सी के पेशे नज़र आपने बाख़बर नहीं किया और ख़ामोश रहे, ये निरा अटकल पचू और बे दलील क़यास है, नीज़ इससे नबी (ﷺ) का इधर उधर से ढूँढना बेमक़सद ठहरता है और ये तरीक़ा शाने रिसालत के यक्सर मनाफ़ी है।

باب : (١٩٥) التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

बाब : (195) हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम करना

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ

(312) हज़रत अबू जुहैम (ؓ) से मन्क़ूल है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) बिअ्रे जमल की तरफ़ से आये। आपको आगे से एक आदमी मिला और उसने आपको सलाम किया। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने उसे जवाब न दिया यहाँ तक कि

أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ الْجَمَلِ وَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

आप एक दीवार की तरफ़ गये, चेहरे और हाथों का मसह किया, फिर उसे जवाब दिया।

(312) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 337, मुस्लिम, हदीस़: 369, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 307.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बिअ्रे जमल मदीने में एक जगह का नाम है। (2) सलाम का जवाब देने के लिए तहारत शर्त नहीं मगर नबी (ﷺ) ने मुनासिब न समझा कि अल्लाह का ज़िक्र बिला तहारत किया जाये। वुज़ू की गुंजाइश न थी, लिहाज़ा आपने तयम्मुम फ़रमाया कि ये भी मजबूरी के वक़्त एक क़िस्म की तहारत है। इससे अहनाफ़ ने ईद और जनाज़े के लिए तयम्मुम के जवाज़ पर इस्तिदलाल किया है, मगर ये इस्तिदलाल कमज़ोर है क्योंकि ज़िक्र के लिए तो वुज़ू शर्त नहीं मगर जनाज़े और ईद के लिए तो वुज़ू शर्त है। ख़ैर इमाम नसाई (رحمہ اللہ) का मक़सूद तो ये है कि तयम्मुम सिर्फ़ सफ़र ही में नहीं, घर में भी जायज़ है, अगर पानी न मिल सके या बीमारी की वजह से पानी इस्तेमाल न किया जा सके।

باب: ---
اَلتَّيَمُّمُ فِي الْحَضَرِ

बाब : ...
हज़र (हालते इक़ामत) में तयम्मुम करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ . قَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَا تَذْكُرُ

(313) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत उमर (ﷺ)के पास आया और कहने लगा: तहक़ीक़ मैं जुन्बी हो गया और पानी न पा सका। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: तू नमाज़ न पढ़। हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) कहने लगे: ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं कि एक दफ़ा मैं और आप एक लश्कर में थे। हम दोनों जुन्बी हो गये तो हमें

إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " . فَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - وَسَلَمَةُ شَكَّ لاَ يَدْرِي فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ - فَقَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

पानी न मिला। आपने तो नमाज़ न पढ़ी लेकिन मैं अच्छी तरह मिट्टी में लोट पोट हुआ और नमाज़ पढ़ ली, फिर हम नबी (ﷺ) के पास आये और आपसे इस बात का ज़िक्र किया: आपने फ़रमाया: 'तुझे इतना काफ़ी था।' चुनांचे नबी(ﷺ) ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उनमें फूँक मारी, फिर उन दोनों के साथ चेहरे और हथेलियों का मसह किया ... सलमा को शक है, उन्हें याद नहीं कि ... (मसह) सिर्फ़ हथेलियों पर या कुहनियों तक किया था। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: हम तुम्हें ज़िम्मेदार बनाते हैं, उस (रिवायत) का जिसके तुम ज़िम्मेदार बने हो।

(313) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 338, 343, मुस्लिम, हदीस: 368/112, अबू दाऊद, हदीस: 324.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) का मिट्टी में लोट पोट होना एक इज्तिहादी अमल था और शायद इस बिना पर था कि तयम्मुम भी ग़ुस्ल की जगह किफ़ायत कर सकेगा जब वह उसकी मिस्ल हो, यानी पूरे बदन पर मिट्टी लगे। **(2)** अगर इज्तिहाद करने वाले से ग़लती हो जाये तो उसे मलामत नहीं की जायेगी। **(3)** जो आदमी अपने इज्तिहाद से कोई अमल कर ले और बाद में उसे मालूम हो कि उसका अमल क़ुर्आन व सुन्नत के मनाफ़ी था तो उसके लिए उसे दोबारा लौटाना ज़रूरी नहीं। **(4)** रसूले अकरम (ﷺ) का तयम्मुम सिर्फ़ चेहरे और हथेलियों तक एक ज़र्ब के साथ है। दो ज़र्ब और कुहनियों तक कि रिवायत कलाम से ख़ाली नहीं, इसलिए मुहद्दिसीन ने एक ज़र्ब के साथ हथेलियों तक तयम्मुम को तर्जीह दी है क्योंकि ये सही तरीन रिवायात हैं। अहनाफ़ ने दूसरे तरीक़े को इख़्तियार किया है और इन रिवायात का जवाब ये दिया है कि नबी (ﷺ) ने सिर्फ़ ये बतलाया है कि वुज़ू वाला तयम्मुम ही ग़ुस्ल के लिए काफ़ी हैं तयम्मुम का तरीक़ा बतलाना मक़सूद न था, मगर ये बात क़ाबिले ग़ौर है कि बयान करने वाले सहाबा ने तो ये मफ़हूम नहीं समझा। हाज़िरीन का फ़हम मोतबर है या ग़ैर हाज़िरीन का? शाह वलीउल्लाह (رحمه الله) ने यूँ तत्बीक़ दी है कि एक ज़र्ब और हथेलियों तक तयम्मुम काफ़ी है, अलबत्ता दो ज़र्ब के साथ कुहनियों तक अफ़ज़ल और मुस्तहब है

लेकिन ये तत्बीक़ भी महल्ले नज़र है क्योंकि इस्तिहबाब और अफ़ज़लियत के इस्बात के लिए सही दलील का होना ज़रूरी है। तयम्मुम से मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल के लिए देखिये: (किताबुल गुस्ल व तयम्मुम का इब्तिदाइया) **(5)** हज़रत उमर और हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) गुस्ल की जगह तयम्मुम को काफ़ी नहीं समझते थे, मगर ये सिर्फ़ उनकी एहतियात थी वरना क़ुर्आन मजीद में आयते तयम्मुम के अन्दर जनाबत से भी तयम्मुम की इजाज़त है। देखिये: (अन्निसा: 4/43, मायदा:6) **(6)** मज़कूरा हदीस पर कुछ नुस्ख़ों में उन्वान क़ायम नहीं किया गया क्योंकि इससे पहले वाली हदीस पर भी यही उनवान क़ायम किया गया है जिससे ये महज़ तकरार ही महसूस होती है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ أَجْنَبْتُ وَأَنَا فِي الإِبِلِ، فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمُ " .

(314) हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा मैं ऊँटों में था कि जुन्बी हो गया। मुझे पानी न मिला तो मैं मिट्टी में अच्छी तरह लोट पोट हुआ जैसे जानवर करता है, फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया तो आपको ये बात बताई। आपने फ़रमाया: 'तुझे इस (जनाबत) से तयम्मुम काफ़ी था।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 4/263, हुमैदी, हदीस: 145, अबू इस्हाक़, हदीस: 96, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 309, बुख़ारी, व मुस्लिम वग़ैरह.

باب : (١٩٦)
التَّيَمُّمِ فِي السَّفَرِ

बाब : (196)
सफ़र में तयम्मुम करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ عَرَّسَ

(315) हज़रत अम्मार बिन यासिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ातुल जैश में पड़ाव डाला जब कि आपके साथ आपकी ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत आयशा (ﷺ) भी थीं। उनका एक हार जो ज़िफ़ार के नगिनों का था, वह टूट गया। लोग इस हार की तलाश में रोक लिये गये यहाँ तक कि फ़ज्र रोशन हो गई। लोगों के पास

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدُهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رُخْصَةَ التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ قَالَ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَنْفُضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ .

पानी नहीं था। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) हज़रत आयशा (ﷺ) पर नाराज़ हुए और फ़रमाया: तुमने सब लोगों को रोके रखा है जब कि उनके पास पानी नहीं है। चुनांचे अल्लाह तआला ने मिट्टी के साथ तयम्मुम की रुख़्सत नाज़िल फ़रमा दी। तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उठे और ज़मीन पर अपने हाथ मारे। फिर उन्होंने अपने हाथ उठाये और कोई मिट्टी वग़ैरह नहीं झाड़ी, सो उन्होंने अपने चेहरों और बाज़ूओं को कंधों तक और अपनी हथेलियों से बग़लों तक हाथ फेर लिये।

(315) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 320, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 300.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है (देखिये, रिवायत: 311) 'मिट्टी वग़ैरह नहीं झाड़ी' मिट्टी झाड़ना ज़रूरत की बिना पर है, यानी अगर मिट्टी ज़्यादा लग जाये तो फूँक मार कर या दोनों हाथों को आपस में टकरा कर ज़्यादा मिट्टी गिरा दी जाये और अगर मिट्टी मुनासिब लगी है तो फूँक मारना या मिट्टी झाड़ना बेफ़ायदा है। बहरे सूरत मिट्टी झाड़ना तयम्मुम का हिस्सा नहीं। **(2)** कंधों और बग़लों तक तयम्मुम करना बाक़ी रिवायात के ख़िलाफ़ है, इसलिए कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने मसह में कंधों, बग़लों और कुहनियों तक मसह करने को सही नहीं कहा बल्कि इन अल्फ़ाज़ को शाज़ क़रार दिया है। तफ़्सील के लिए देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद, हदीस: 344, 345, सहीह सुनन नसाई, हदीस: 315) कुछ लोगों ने अपने तौर पर ऐसा कर लिया था क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसा मन्क़ूल नहीं और ये काम भी नुज़ूले हुक्म के बाद पहली बार तयम्मुम करते हुए किया गया था जब कि बाद में इसका तरीक़ा सुन्नते नबवी से मुतअय्यन हो गया।

باب : (١٩٧)
اَلِاخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إِلَى الْمَنَاكِبِ .

बाब : (197) तयम्मुम की कैफ़ियत में इख़्तिलाफ़ का बयान

(316) हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ मिट्टी से तयम्मुम किया। हमने अपने चेहरों और हाथों को कंधों तक मिट्टी लगाई।

(316) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 566, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 301.

باب : (١٩٨)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ وَالنَّفْخُ فِي الْيَدَيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رُبَّمَا نَمْكُثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَلاَ نَجِدُ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَمْ أَكُنْ لأُصَلِّيَ حَتَّى

बाब : (198) तयम्मुम की एक और सूरत और हाथों पर फूँक मारना

(317) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा बयान करते हैं कि हम हज़रत उ़मर (ﷺ) के पास थे। एक आदमी आपके पास आया और कहने लगा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! कभी कभी हम एक एक, दो दो महीने गुज़ार देते हैं और पानी नहीं मिलता। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं तो जब पानी नहीं पाता, नमाज़ नहीं पढ़ता यहाँ तक कि पानी पा लूँ। हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (ﷺ) ने कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद है कि जब आप फ़ुलाँ जगह में थे और हम ऊँट चरा रहे

أَجِدَ الْمَاءَ . فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ أَتَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَيْثُ كُنْتَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَّا أَجْنَبْنَا قَالَ نَعَمْ أَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ " إِنْ كَانَ الصَّعِيدُ لَكَافِيكَ ". وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ . فَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ . فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ. قَالَ لاَ وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

थे तो आपको इल्म है कि हम जुन्बी हो गये थे? उन्होंने फ़रमाया: 'हाँ' चुनांचे मैं तो मिट्टी में ख़ूब लथड़ा था, फिर हम नबी (ﷺ) के पास आयें आप हँसे और फ़रमाया: 'तहक़ीक़ तुझे (इतनी ही) मिट्टी काफ़ी थी।' ये कह कर आपने ज़मीन पर हथेलियाँ मारीं, फिर उनमें फूंका, फिर वह हाथ अपने चेहरे और कुछ बाज़ूओं पर मल लिये। हज़रत उमर (ؓ) कहने लगे: ऐ अम्मार! अल्लाह से डर। अम्मार ने कहा: अमीरुल मोमिनीन! अगर आप चाहें तो मैं ये वाक़िया ज़िक्र न करूं। उन्होंने फ़रमाया: नहीं, हम तुम्हें ज़िम्मेदार बनाते हैं, उस चीज़ का जिसके तुम ज़िम्मेदार बने हो।

(317) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 302, हदीस: 313 में देखें।

باب : (١٩٩)
نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

बाब : (199)
तयम्मुम की एक और सूरत

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ التَّيَمُّمِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارٌ أَتَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكَ

(318) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से रिवायत है कि किसी आदमी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ؓ) से तयम्मुम के बारे में पूछा तो उनकी समझ में न आया कि क्या कहें? हज़रत अम्मार(ؓ) कहने लगे: क्या आपको याद है जब हम एक लश्कर में थे तो मैं जुन्बी हो गया तो मैं मिट्टी में लोट पोट हुआ, फिर मैं नबी (ﷺ) के पास गया तो आपने फ़रमाया: 'तुम्हें सिर्फ़ इस तरह काफ़ी था।' और शोबा ने अपने हाथ अपने घुटनों पर मारे और दोनों हाथों में फूँका, फिर उन्हें

هَكَذَا " . وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَخَ فِي يَدَيْهِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

चेहरे और हथेलियों पर एक दफ़ा मल लिया।

(318) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 304, हदीस: 313 में देखें।

نَوْعٌ آخَرُ مِنَ التَّيَمُّمِ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، سَمِعْتُ ذَرًّا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَقَدْ سَمِعَهُ الْحَكَمُ، مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَجْنَبَ رَجُلٌ فَأَتَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . قَالَ لاَ تُصَلِّ . قَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " . وَضَرَبَ شُعْبَةُ بِكَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ دَلَكَ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ . فَقَالَ عُمَرُ شَيْئًا لاَ أَدْرِي مَا هُوَ . فَقَالَ إِنْ شِئْتَ لاَ حَدَّثْتُهُ . وَذَكَرَ شَيْئًا فِي هَذَا الإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَزَادَ سَلَمَةُ قَالَ بَلْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

तयम्मुम की एक और सूरत

(319) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से मन्क़ूल है, उन्होंने कहा: एक आदमी जुन्बी हो गया, चुनांचे वह हज़रत उमर (ﷺ) के पास आया और कहा: तहक़ीक़ मैं जुन्बी हो गया और पानी न पा सका। उन्होंने फ़रमाया: तू नमाज़ न पढ़। हज़रत अम्मार (ﷺ) ने उनसे कहा: क्या आपको याद नहीं कि हम एक लश्कर में थे तो हम जुन्बी हो गये। आपने तो नमाज़ न पढ़ी लेकिन मैं अच्छी तरह मिट्टी में लथड़ा और नमाज़ पढ़ ली। फिर मैं नबी (ﷺ) के पास आया और मैंने ये बात आपसे ज़िक्र की तो आपने फ़रमाया: 'तुझे इतना काफ़ी था।' शोबा (रावी-ए-हदीस) ने अपनी हथेली एक दफ़ा ज़मीन पर मारी, फिर उसमें फूँक मारी, फिर एक को दूसरी से मला, फिर उन्हें अपने चेहरे पर मल लिया। फिर हज़रत उमर (ﷺ) ने कुछ ज़िक्र किया जो मैं नहीं जानता तो हज़रत अम्मार(ﷺ) कहने लगे: अगर आप कहें तो मैं ये हदीस बयान न करूं।

सलमा (रावी) ने अबू मालिक से इस सनद में कुछ बयान किया है। और सलमा ने ये अल्फ़ाज़ ज़्यादा कहे हैं कि हज़रत उमर ने फ़रमाया: हम तुम्हें उस चीज़ का ज़िम्मेदार बनाते हैं जिसके तुम ज़िम्मेदार बने हो।

(319) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 313 में देखें।

बाब : (200) एक और सूरत

(320) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत उमर (ﷺ) के पास आया और कहने लगा: मैं जुन्बी हो गया हूँ और मुझे पानी नहीं मिलता। उन्होंने फ़रमाया: तू नमाज़ न पढ़। हज़रत अम्मार (ﷺ) कहने लगे: ऐ अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं कि जब मैं और आप एक लश्कर में थे, चुनांचे हम दोनों जुन्बी हो गये और हम पानी न पा सके। आपने तो नमाज़ न पढ़ी, लेकिन मैं अच्छी तरह मिट्टी में लोट पोट हुआ, फिर नमाज़ पढ़ ली। जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये तो मैंने आपसे ये ज़िक्र किया। आपने फ़रमाया: 'तुझे इतना काफ़ी था।' और नबी (ﷺ) ने अपने हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उनमें फूँक मारी और उन्हें अपने चेहरे और हथेलियों पर मल लिया। सलेमा रावी को शक है और उसने कहा: मैं नहीं जानता कि (मेरे शैख़ ज़र ने) इसमें .... कुहनियों तक कहा या हथेलियों तक। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: हम तुम्हें उस चीज़ का ज़िम्मेदार बनाते हैं जिसके तुम ज़िम्मेदार बने हो। शोबा ने कहा: (सलमा रावी) कहते थे कि हथेलियों, चेहरे और कुहनियों का मसह किया। (ये सुन कर) मन्सूर ने उनसे कहा: (ग़ौर करो) तुम क्या कह रहे हो? तहक़ीक़ कुहनियों (पर मसह करने) का ज़िक्र तुम्हारे सिवा कोई नहीं करता। फिर सलमा को शक हुआ तो

بَاب : (٢٠٠) نَوْعٌ آخَرُ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَسَلَمَةُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى عُمَرَ - رضى الله عنه - فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ . فَقَالَ عُمَرُ لاَ تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ ثُمَّ صَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكَ " . وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ - شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ - قَالَ عُمَرُ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ قَالَ شُعْبَةُ كَانَ يَقُولُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ . فَقَالَ لَهُ مَنْصُورٌ مَا تَقُولُ فَإِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ أَحَدٌ غَيْرُكَ . فَشَكَّ سَلَمَةُ فَقَالَ

لاَ أَدْرِي ذَكَرَ الذِّرَاعَيْنِ أَمْ لاَ .

उसने कहा: मैं नहीं जानता कि इस (ज़र) ने कुहनियों का ज़िक्र किया या नहीं।

(320) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 303. हदीस: 313 में देखें।

باب : (٢٠١) تَيَمُّمِ الْجُنُبِ

बाब : (201) जुन्बी का तयम्मुम

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَوَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا " . وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى كَفَّيْهِ وَوَجْهِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَوَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

(321) हज़रत शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद और हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) के पास बैठा था। अबू मूसा(ﷺ) ने कहा: क्या आपने सुना नहीं कि हज़रत अम्मार (ﷺ) ने हज़रत उमर (ﷺ) से कहा: मुझे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने किसी काम पर भेजा। मैं जुन्बी हो गया और मैं पानी न पा सका तो मैं मिट्टी में लोट पोट हुआ और फिर मैं नबी (ﷺ) के पास आया और मैंने इस बात का ज़िक्र आपसे किया। तब आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुझे इतना काफ़ी था कि तू ऐसे कर लेता।' फिर आपने अपने हाथ ज़मीन पर एक दफ़ा मारे, फिर दोनों हथेलियों को मला।' फिर उन्हें झाड़ा। फिर बाएँ हाथ को दाएँ और दाएँ को बाएँ पर मला। इस तरह अपनी हथेलियों और चेहरे पर उन्हें फेरा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने कहा: क्या तुझे इल्म नहीं कि हज़रत उमर ने हज़रत अम्मार की बात पर क़नाअत न की।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 347, मुस्लिम, हदीस: 368, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 308.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर और हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) जुन्बी के लिए तयम्मुम को काफ़ी नहीं समझते थे जब कि हज़रत अम्मार और दूसरे सहाबा (ﷺ) तयम्मुम को गुस्ल की जगह भी काफ़ी समझते थे। इस तनाज़ुर (नज़रिये) में ऊपर दिये गये मकाल्मा हुआ। **(2)** अगरचे इस रिवायत में ज़िक्र नही, मगर इससे पहली तमाम रिवायात में ये सराहत है कि जनाबत वाला वाक़िया हज़रत उमर और अम्मार (ﷺ) दोनों को पेश आया था। हज़रत अम्मार (ﷺ) ने इस वाक़िये को अपने मौक़फ़ की ताईद में पेश किया मगर हज़रत उमर (ﷺ) को ये वाक़िया याद न आ सका, इसलिए उन्हें इत्मीनान न हुआ और वह अपने मौक़फ़ पर क़ायम रहे मगर जब हज़रत अम्मार (ﷺ) ने उनकी जलालत के पेशे नज़र इस वाक़िये की रिवायत से दस्त बरदार होने की पेशकश की तो हज़रत उमर(ﷺ) ने ये पसन्द न फ़रमाया बल्कि फ़रमाया: 'तुम अपनी ज़िम्मेदारी पर बयान करो।' हज़रत उमर (ﷺ) के बाद ये इख़्तिलाफ़ ख़त्म हो गया। अब उम्मते मुस्लिमा का मुत्तफ़क़ा मौक़फ़ है कि जुन्बी को पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम ही काफ़ी है। **(3)** इमाम नसाई (ﷺ) ने ये रिवायत मुतअद्दद दफ़ा (कई बार) बयान की है जिसमें अल्फ़ाज़ का मामूली फ़र्क़ है। कहीं इख़्तिसार भी है। तमाम रिवायतों को मिलाने से वाक़िये की जो सूरत बनती है और जिसकी तफ़सील इस रिवायत में भी है, वही असल है। हर कसरत तुर्क़ वाली रिवायत से इस्तिदलाल का यही दुरुस्त तरीक़ा है।

बाब : (202) तयम्मुम मिट्टी से होना चाहिए

باب : (٢٠٢) التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

(322) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को अलग बैठे देखा जिसने लोगों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी थी तो आपने फ़रमाया: 'ऐ फ़ुलाँ! लोगों के साथ नमाज़ पढ़ने से तुझे कौनसी चीज़ मानेअ थी?' तो उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जुन्बी हो गया हूँ और पानी नहीं है। आपने फ़रमाया: 'मिट्टी इस्तेमाल कर (तयम्मुम कर ले) ये तुझे काफ़ी है।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 348, मुस्लिम, हदीस: 682, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 310.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً مُعْتَزِلاً لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ " يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاءَ . قَالَ " عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ " .

फ़ायदा : तयम्मुम किन चीज़ों से किया जा सकता है? इस मसले की तफ़्सील के लिए किताबुल ग़ुस्ल वत्तयम्मुम का इब्तिदाइया देखिये।

बाब : (203)
एक तयम्मुम के साथ कई नमाज़ें

باب : (٢٠٣)
الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ " .

(323) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'पाक मिट्टी मुसलमान के लिए ज़रिय-ए-तहारत है, ख़्वाह दस साल पानी न मिले।'

(323) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीसः 124, अबू दाऊद, हदीसः 332, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 311, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीसः 2292, इब्ने हिब्बान, हाकिमः 1/176, 177, ज़हबी।

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** तय्यिब का लफ़्ज़ दलील है कि जिस मिट्टी से तयम्मुम मक़सूद है, वह पाक होनी चाहिए। **(2)** तयम्मुम भी पानी न मिलने की सूरत में वुज़ू का हम मर्तबा है, लिहाज़ा जब तक तयम्मुम क़ायम है और पानी नहीं मिलता, उसके साथ कई नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं और ये हदीस इसकी दलील है जब कि कुछ हज़रात का ख़्याल है कि तयम्मुम मजबूरी की तहारत है। मजबूरी वाली चीज़ ज़रूरत के बाद ख़त्म हो जाती है, लिहाज़ा जब नमाज़ पढ़ी गई तो मजबूरी ख़त्म हो गई, लिहाज़ा तयम्मुम भी ख़त्म। नई नमाज़ के वक़्त दोबारा पानी तलाश किया जायेगा, न मिले तो फिर तयम्मुम किया जायेगा। लेकिन एक नमाज़ पढ़ने के बाद तयम्मुम के ख़त्म होने की कोई सरीह सही दलील मौजूद नहीं, सिर्फ़ अक़्ली बातें हैं, जब शरीयत ने मजबूरी के बाइस रुख़सत दी है और कोई हदबंदी भी नहीं की तो हम कौन हो सकते हैं कि फ़िक़्ही मूशगाफ़ीयों (नुक्ता चीनी) और क़यास आराइयों की बिना पर इस अज़ीम रुख़सत को कालअदम (मन्सूख़) क़रार दें। हाँ! इस बात से तो इंकार नहीं कि दूसरी नमाज़ के वक़्त पानी के अदम (ग़ैर) वुजूद के तहक़ीक़ के बाद ही नमाज़ पढ़ी जायेगी या क़तई ज़राये से ये मालूम हो चुका हो कि पानी दस्तयाब नहीं है और न उसका हुसूल मुम्किन है।

बाब : (204) जो आदमी पानी पाये न मिट्टी (तो क्या करे?)

باب : (٢٠٤) فِيمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَلَا الصَّعِيدَ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَنَاسًا يَطْلُبُونَ قِلَادَةً كَانَتْ لِعَائِشَةَ نَسِيَتْهَا فِي مَنْزِلٍ نَزَلَتْهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسُوا عَلَى وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّيَمُّمِ قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا .

(324) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और कुछ दूसरे लोगों को आयशा के हार की तलाश में भेजा जिसे वह अपनी मन्ज़िल में भूल गई थीं। नमाज़ का वक़्त हो गया जब कि उन (लोगों) का वुज़ू नहीं था। वह पानी न पा सके तो उन्होंने बग़ैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ ली। फिर उन्होंने इस बात का ज़िक्र अल्लाह के रसूल (ﷺ) से किया तो अल्लाह तआला ने तयम्मुम की आयत उतार दी। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (ﷺ) कहने लगे: अल्लाह तआला आपको जज़ा-ए-ख़ैर अता फ़रमाये। अल्लाह की क़सम! जब भी आपको कोई ऐसा मामला पेश आया जिसे आप पसन्द न करती हों तो अल्लाह तआला ने उसमें आपके लिए और दूसरे मुसलमानों के लिए ख़ैर रख दी।

(324) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 336, मुस्लिम, हदीस: 367/109, अबू दाऊद, हदीस: 317, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 312.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम साहब का इस्तिदलाल ये है कि सहाबा ने पानी न मिलने की सूरत में बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ी और आपने इंकार नहीं फ़रमाया। अब तयम्मुम का हुक्म आने के बाद अगर मिट्टी भी न मिले तो सहाबा के तर्ज़े अमल की रोशनी में वुज़ू और तयम्मुम के बग़ैर नमाज़ पढ़ लेंगे और ये मस्लक है इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (رحمهما الله) का, अलबत्ता इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का ख़्याल है कि पानी या मिट्टी मिलने पर नमाज़ दोहरानी होगी लेकिन इसकी कोई दलील नहीं है। इमाम

अहमद (ﷺ) इसको काफ़ी समझते हैं। और यही मौक़फ़ दुरुस्त है। इसके बख़िलाफ़ इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (ﷺ) इस सूरत में नमाज़ न पढ़ने के क़ायल हैं। जब पानी या मिट्टी मिले, फिर नमाज़ पढ़ी जायेगी, जबकि सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने तो पढ़ ली थी और नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने इस पर उन्हें बरक़रार भी रखा। इमाम मालिक वक़्त के बाद ज़रूरी नहीं समझते। **(2)** ये हदीस़ पीछे भी गुज़री है, मगर उसमें बिला वुज़ू नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र नहीं। (देखिये, हदीस़: 311)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ مُخَارِقًا، أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " أَصَبْتَ " . فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوَ مَا قَالَ لِلآخَرِ يَعْنِي " أَصَبْتَ " .

(325) हज़रत तारिक़ (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी जुन्बी हो गया (और उसे पानी न मिला) तो उसने नमाज़ न पढ़ी। फिर वह नबी(ﷺ) के पास आया और आपको ये बात बताई तो आपने फ़रमाया: 'तूने ठीक किया।' एक और आदमी जुन्बी हो गया तो उसने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली। वह आपके पास आया तो उसे भी आपने वही कहा जो दूसरे को कहा था, तूने ठीक किया।

(325) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस़: 4/315.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नमाज़ न पढ़ी' उसे तयम्मुम का हुक्म मालूम न होगा, या उसका ये अमल तयम्मुम की मशरूईयत से पहले का है क्योंकि हदीस़: 321 में गुज़रा है कि एक आदमी जनाबत की हालत में था और लोगों से अलग होकर बैठा था तो आप (ﷺ) ने उसे पानी न होने की वजह से मिट्टी से तयम्मुम करने का हुक्म दिया। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि सही शरई मसला यही है कि पानी न होने की सूरत में तयम्मुम कर लिया जाये जैसा कि दूसरे आदमी ने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली थी और आपने उसे दुरुस्त क़रार दिया है। रहा पहला आदमी तो उसे भी यही चाहिए था लेकिन चूंकि उसे इल्म न था या अभी तक तयम्मुम की मशरूइयत नाज़िल नहीं हुई थी तो उसे चाहिए था कि ऐसी हालत में नमाज़ पढ़ लेता जैसा कि गुज़िश्ता हदीस़ में आया है कि सहाब-ए-किराम(ﷺ) ने बिला वुज़ू और बिला तयम्मुम नमाज़ पढ़ी और आप (ﷺ) ने उन्हें बरक़रार भी रखा, लिहाज़ा ऐसी हालत में नमाज़ न पढ़ना उसका ज़ाती इज्तिहाद था जिसकी वजह से नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने (أصبت) कह कर उसकी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमा दी, मुराद ये है कि तुझे इस इज्तिहाद का एक अज्र मिलेगा। ये क़तअन

मुराद नहीं कि तुम दोनों ही हक़ पर हो क्योंकि हक़ीक़त में हक़ पर वही होगा जो अस़ल शरई रुख़्सत या हुक्म के मुताबिक़ अमल करेगा। और ये हक़ीक़त उस वक़्त बिल्कुल वाज़ेह होगी जब स़ही दलील मौजूद हो, लिहाज़ा दो इख़्तिलाफ़ करने वाले मुज्तहिदों को एक साथ हक़ पर नहीं कहा जा सकता, यक़ीनन एक ख़ताकार होगा। **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) का इस हदीस़ को हज़रत आयशा(رضي الله عنها) की हदीस़ के बाद ज़िक्र करने का मक़स़द ये लगता है कि ये मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ है, लिहाज़ा हदीसे़ आयशा और इस हदीस़ के दरम्यान कोई तआरूज़ (टकराव) नहीं बनता। वल्लाहु आलम। यानी आदमी को इस हालत में नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए अगरचे पानी और तयम्मुम के लिए मिट्टी न भी मिले, लेकिन दलाइल की रू से ये हदीस़ स़ही है जैसा कि तहक़ीक़ से ज़ाहिर होता है। **(3)** इस हदीस़ से पता चला कि अहदे नबवी में भी इज्तिहाद होता रहा है लेकिन ज़रूरी है कि उसके बाद दलील की तलाश भी जारी रखी जाये और जब मुज्तहिद के लिए हक़ स़ाबित हो जाये और स़ही दलील मिल जाये तो उसे अपने साबिक़ा इज्तिहाद और मौक़फ़ को तर्क कर देना चाहिए।

بسم الله الرحمن الرحيم

पानी से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इमाम नसाई (رحمه الله) तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करते हुए यहाँ पानी की मुख़्तलिफ़ अक़साम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करना चाहते हैं कि कौन सा पानी पाक है, किस पानी से हदस़ (इत्तिफ़ाक़ी नापाकी) और नजासत दूर हो सकती है, किस जानवर का जूठा पानी पाक है और किस का नापाक, गुस्ले जनाबत में मियाँ बीवी एक दूसरे का बचा हुआ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, किस क़द्र पानी गुस्ल और वुज़ू के लिए किफ़ायत कर सकता है, कूएँ का पानी पाक है या नापाक, क़लील और कस़ीर पानी की तहदीद (हदबन्दी), बर्फ़ और औलों के पानी से वुज़ू का हुक्म और हाइज़ा औरत के बचे हुए पानी को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? हमने क़ारेईन की सहूलत के पेशे नज़र उन्हीं मसाइल को एक साथ करके नीचे क़द्रे तफ़्स़ील से बयान किया है।

इस्लाम अल्लाह तआला पसन्दीदा दीन और एक मुकम्मल ज़ाब्त–ए–हयात है। इसमें इंसानी फ़ितरते सलीमा को मद्दे नज़र रखते हुए ही इंसान को मुकल्लफ़ बनाया गया है। दीने इस्लाम का इम्तियाज़ी वस़्फ़ तहारत व नज़ाफ़त और स़फ़ाई सुथराई है। अल्लाह तआला ने इसका हुक्म और इसकी तर्ग़ीब दी है और इसे अपनाने वालों से मोहब्बत का इज़हार फ़रमाया है। इरशादे इलाही है: '**अल्लाह तआला ख़ूब तौबा करने और पाक स़ाफ़ रहने वालों को पसन्द करता है।**' (अलबक़र:2/222) और फ़रमाया: '**(ऐ नबी!) अपने कपड़ों को पाक रखिये और गन्दगी से दूर रहिये।**' (अलमायदा: 74/4, 5) और एक दूसरे मुक़ाम पर तहारत व नज़ाफ़त और पाकी इख़्तियार करने वालों की तारीफ़ और मदह करते हुए फ़रमाया: '**इस (बस्ती–ए–क़ुबा) में ऐसे आदमी हैं जो ख़ूब तहारत हास़िल करना पसन्द करते है। और अल्लाह तआला अच्छी तरह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है।**' (अत्तौबा: 9/108)

इसके अलावा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसका हुक्म और इसकी तर्ग़ीब दी है। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '**अल्लाह तआला इन्तिहाई ख़ूबस़ूरत है और ख़ूबस़ूरती को पसन्द फ़रमाता है।**' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 91) और आपने फ़रमाया: '**तहारत और पाकीज़गी निस़्फ़ ईमान (या ईमान का एक हिस्सा) है।**' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 223)

दीने इस्लाम के नज़दीक इन्तिहाई अहमियत की हामिल चीज़ ... तहारत व पाकीज़गी .... सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी से या पानी की ग़ैर मौजूदगी या पानी के इस्तेमाल पर अदम कुदरत (ताक़त न रखने) की सूरत में मिट्टी से हासिल होती है जैसा कि अल्लाह तआला ने कुर्आन मजीद में फ़रमाया: **'और आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाज़िल फ़रमाया ताकि तुम्हें उसके ज़रिये से पाक कर दे।'** (अल अन्फ़ाल 8/11) और फ़रमाया: **'अगर तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।'** (अन्निसा: 4/43) याद रहें इन दलाइल की रू से तहारत और पाकीज़गी उमूमन पानी ही से हासिल होती है। तो जहाँ शरीयते इस्लामिया ने इस बात की निशानदेही की है कि तहारत और पाकी हासिल करने का ज़रिया पानी है, वहाँ इसके इस्तेमाल करने का तरीक़ा भी बयान किया है। और दीगर उमूर की तरह इसके अहकाम व मसाइल भी मुकम्मल तौर पर बयान फ़रमाये हैं और इसके इस्तेमाल में इफ़रात व तफ़रीत से मना फ़रमाया है।

हमारे यहाँ वुज़ू और गुस्ल या दीगर कामों में पानी इस्तेमाल करते हुए बेजा इसराफ़ किया जाता है जबकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बाबत सहाब-ए-किराम (ﷺ) बयान करते हैं कि आप एक मुद, यानी तक़रीबन आधा किलो पानी से वुज़ू और एक साअ, यानी तक़रीबन दो ढाई किलो पानी से गुस्ले जनाबत फ़रमा लिया करते थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 326) और एक दूसरी रिवायत में जब सहाबी बयान करता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मुद से वुज़ू और एक साअ से गुस्ल कर लिया करते थे तो एक आदमी ने कहा: पानी की इतनी मिक़दार हमारे लिए काफ़ी नहीं। तो सहाबी-ए-रसूल ने कहा: इतना पानी उनको तो काफ़ी होता था जो तुझसे अफ़ज़ल थे और उनके बाल भी तुझसे ज़्यादा थे। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 270) ये अलग बात है कि इससे ज़्यादा पानी भी ज़रूरत के पेशे नज़र इस्तेमाल करना जायज़ है लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि पानी का ज़ाया (बर्बाद) न हो जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल से वाज़ेह है।

तहारत व नज़ाफ़त अगरचे इस्लाम का इम्तियाज़ी वस्फ़ है लेकिन इसे इख़्तियार करते हुए भी दीगर मसाइल की तरह इफ़रात व तफ़रीत (शको-शुब्हा) का शिकार नहीं होना चाहिए। इन फ़रमूदात पर अमल पैरा होने से एक तो हमारे मुआशरती मसाइल कम होंगे, जैसे: वासा के मसाइल के आये दिन पानी की निकासी हमारे लिए मसला बनी होती है और दूसरी बात ये कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के तरीक़े पर अमल भी हो जायेगा। नीचे इसी पानी से मुताल्लिक़ दीगर अहम अहकाम व मसाइल बयान किये गये हैं ताकि क़ारेईन तहारत व पाकीज़गी हासिल करते हुए उन्हें मद्दे नज़र रखें।

✧ **पानी की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़ : लुग़वी तारीफ़ :** (ماء) की जमा (مياه) और (أمواه) आती है और इसकी तसग़ीर (مُوَيه) आती है। बदवी अरबों ने इसकी सूरत बिगाड़ कर (مُوَيه) कर दी है। **इस्तिलाही तारीफ़ :** (الماء جسم لطيف سيال به حياة كل نام) 'पानी एक ऐसा सय्याल (बहने वाला, पतला) माद्दा है जिस पर हर नशो–नुमा (परवरिश) पाने और बढ़ने वाली चीज़ की ज़िन्दगी का दारोमदार और इन्हिसार (टिकाव) है। देखिये: (अल्मौसूअतुल फ़िक़्हिया: 39/352)

✧ **पानी की अक़साम (क़िस्में) :** पानी की चार अक़साम हैं: ① माअ मुतलक़ ② माअ मुस्तअ्मिल ③ माअ मुसख़्ख़न (गर्म पानी) ④ माअ मुख़्तलत। (मिला हुआ)

① **माअ मुत्तलक़ :** इससे मुराद आम पानी है जो अपने क़ुदरती और पैदाइशी वस्फ़ पर बरक़रार हो, इसमें किसी चीज़ की मिलावट और आमेज़िश न हो। इस पानी की बाबत फ़ुक़हा का इज्मा है कि ये पाक है और पाक करने वाला है। (अल मुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/7, वल मजमूअ: 1/84) इसकी कई अक़साम हैं, जैसे: बारिश का पानी, बर्फ़ का पानी, समन्दर और दरिया का पानी, नहरों और कुओं का पानी, चश्मों का पानी, सैलाब का पानी और ज़म ज़म का पानी वग़ैरह।

➯ **बारिश का पानी :** ये ख़ुद भी पाक है और पाक करने वाला है जैसा कि इरशादे इलाही है: **'और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा।'** (अलफ़ुरक़ान:25/48) और फ़रमाया: **'और आसमान से तुम पर बारिश नाज़िल फ़रमा रहा था ताकि तुम्हें उसके ज़रिये से पाक कर दे।'** (अल अनफ़ाल: 8/11)

➯ **बर्फ़ और औलों का पानी :** इनके पानी का भी वही हुक्म है जो बारिश के पानी का है। रसूलुल्लाह (ﷺ) क़िराअत से पहले एक दुआ पढ़ा करते थे, उसमें फ़रमाते: **'... ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और औलों से धो डाल।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस:744)

➯ **समन्दर, दरिया और नहर का पानी :** इनके पानी का भी वही हुक्म है जो पीछे गुज़र चुका है। हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि हम समन्दर में सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा सा पानी ले जाते हैं, अगर हम उससे वुज़ू करें तो (पीने के लिए पानी ख़त्म हो जायेगा और) हम प्यासे रह जायेंगे, क्या हम समन्दर के पानी से वुज़ू कर लिया करें? आपने फ़रमाया: **'समन्दर का पानी पाक है (और) उसका मुर्दार हलाल है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 83) और इमाम बुख़ारी(رحمه الله) ने सहीह बुख़ारी में बाब बाँधा है: 'नहरों से इंसानों और चोपायों का पानी पीना दुरुस्त है।' इस मसले को साबित

करने के लिए उन्होंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷻ) से मरवी एक लम्बी हदीस़ बयान की है जिसका एक हिस्सा कुछ इस तरह है कि नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'घोड़ा कुछ लोगों के लिए बाइसे स़वाब और कुछ के लिए मूजिबे पर्दापोशी और कुछ के लिए वजहे वबाल है, बाइसे अज्र व स़वाब किस के लिए होगा?'** इसकी वज़ाहत करते हुए फ़रमाया: **'अगर उस घोड़े का गुज़र किसी नहर से हुआ और उसने वहाँ से पानी पिया गोया उसके मालिक का इरादा पानी पिलाने का न था, तब भी नेकियाँ लिख दी जायेगी, चुनांचे इस क़िस्म का घोड़ा मालिक के लिए बाइसे अज्र व स़वाब होगा .....'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 2371) याद रहें इन दलाइल की रू से समन्दर, दरिया और नहर का पानी पाक है और पाक करने वाला है, इसलिए इसकी मौजूदगी में तयम्मुम करना जायज़ नहीं।

☞ **चश्मों और कुओं का पानी :** इनका भी वही हुक्म है जो पहले गुज़र चुका है। इसकी बाबत इरशादे बारी तआला है: **'और जब मूसा (عليه السلام) ने अपनी क़ौम के लिए पानी माँगा तो हमने कहा: अपनी लाठी पत्थर पर मार, चुनांचे उस (पत्थर) से बारह चश्मे बह निकले, हर क़बीले ने अपना अपना घाट पहचान लिया।'** (अल बक़र: 2/60) और अल्लाह तआला ने कुएँ के पानी की बाबत फ़रमाया: **'और जब मूसा (عليه السلام) मदयन के पानी (कूएँ) पर पहुँचे तो उस (कुएँ) पर उन्होंने लोगों का एक गिरोह पाया, वह (अपने मवेशियों को) पानी पिला रहे थे।'** (अलक़सस: 28/23) इसके अलावा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷻ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ऐसे कुएँ के पानी की बाबत पूछा गया जिसमें हैज़ के चिथड़े, कुत्तों का गोश्त और गन्दगी गिर जाती थी, आपने फ़रमाया: **'उसका पानी पाक करने वाला है, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 66) ये हदीस़ सिर्फ़ इस बात पर दलालत करती है कि जब पानी इतनी कस़ीर मिक़्दार में हो तो महज़ नजासत का उसमें गिर जाना उसे नापाक नहीं करता। इसका ये मतलब नहीं कि मुतलक़ पानी में नजासत गिरने से वह नापाक नहीं होता, यानी ये हदीस़ कस़ीर पानी के मुताल्लिक़ है, क़लील के बारे में नहीं। कस़ीर और क़लील पानी की तहदीद की बाबत तफ़्स़ील आगे आ रही है।

☞ **ज़म ज़म का पानी :** हज़रत अली (ﷻ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तवाफ़े इफ़ाज़ा किया, फिर ज़म ज़म के पानी का डोल मंगवाया, उससे आपने पिया और वुज़ू भी किया। (ज़वाइद मुसनद अहमद: 1/76, व इरवाउलग़लील, रक़म: 13) और मेराज वाली रात नबी–

ए–अकरम (ﷺ) का सीना–ए–मुबारक चाक करके आबे ज़म ज़म से धोया गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 349) याद रहें आबे ज़म ज़म से वुज़ू और गुस्ल वग़ैरह करना जायज़ है क्योंकि मुमानिअत की कोई दलील नहीं, अलबत्ता कुछ उलमा और अइम्मा आबे ज़म ज़म से, इसके बाबरकत होने की वजह से, नजासत वग़ैरह दूर करने को मकरूह समझते हैं और कुछ मुतलक़न जायज़ समझते हैं, यानी आबे ज़म ज़म वुज़ू, गुस्ल और नजासत वग़ैरह ज़ाइल करने में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मुनासिब ये मालूम होता है कि हुसूले शिफ़ा और तबर्रुक की ग़र्ज़ से जिस्म के किसी भी हिस्से पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही मौक़फ़ राजेह मालूम होता है क्योंकि हुरमत की कोई दलील नहीं है। वल्लाहु आलम। देखिये: (फ़तावा अद्दीनुल ख़ालिस: 2/320, व अल्मोसूअ तुल फ़िक़्हिया: 39/357, 358)

② **माअ मुस्तअमिल :** इससे मुराद वह पानी है जो किसी वुज़ू या गुस्ल करने वाले के आज़ा से गिरता है, तो ऐसा इस्तेमाल शुदा पानी पाक है और पाक करने वाले वाला है जैसा कि हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि एक दफ़ा मैं बीमार हो गया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ लाये जबकि मुझे कोई होश न था। आपने वुज़ू किया और वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी मुझ पर छिड़का तो मुझे होश आ गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 194) और इस मसले से मुताल्लिक़ एक रिवायत हज़रत साइब बिन यज़ीद (رضی اللہ عنہ) से भी मरवी है, वह बयान करते हैं कि मेरी ख़ाला मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लेकर गई, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा भाँजा बीमारी की वजह से बेचैन है, आपने अपना हाथ मेरे सर पर फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ की, फिर आपने वुज़ू किया, इसके बाद मैंने आपके वुज़ू से बचा हुआ पानी पी लिया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 190) इसी तरह हज़रत अबू हुजैफ़ा (رضی اللہ عنہ) से भी मरवी है, वह कहते हैं: एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) दोपहर के वक़्त हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये तो आपको वुज़ू के लिए पानी दिया गया। आपने वुज़ू किया तो लोग आपके वुज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी लेकर अपने जिस्मों पर मलने लगे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 187) इन दलाइल से साबित हुआ कि ऐसा इस्तेमाल शुदा पानी बज़ाते ख़ुद पाक है। रही ये बात कि इस्तेमाल शुदा पानी दूसरी चीज़ को पाक कर सकता है या नहीं तो इसकी बाबत हज़रत रुबय्यिअ बिन्ते मुअव्विज़ (رضی اللہ عنہا) से मरवी है, वह बयान करती हैं कि नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने अपने सर का मसह अपने हाथ में बचे हुए पानी से किया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 130) इस रिवायत को शैख़ अल्बानी (رحمہ اللہ) ने सनदन हसन क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, हदीस: 121)

- **हाइज़ा और जुन्बी के बचे हुए पानी का हुक्म :** हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है, वह फ़रमाती हैं कि मैं किसी हड्डी से गोश्त नोचती तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) उस जगह अपना मुँह मुबारक रखते जहाँ मैंने रखा था, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। और मैं बर्तन से पानी पीती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उस जगह अपना मुँह रखते थे जहाँ मैंने लगाया था, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 300) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि जब खाने पीने की चीज़ें हाइज़ा की वजह से पलीद नहीं होतीं तो हाइज़ा के ग़ुस्ल से बचा हुआ पानी जबकि उसने उसे एहतियात के साथ इस्तेमाल किया हो, बिल्औला पलीद नहीं होगा, और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) की एक ज़ोज–ए–मोहतरमा (ﷺ) ने एक टब में पानी लेकर ग़ुस्ल किया। उसके बाद नबी (ﷺ) ग़ुस्ल या वुज़ू करने के लिए तशरीफ़ लाये तो उन्होंने अ़र्ज़ किया। ऐ अल्लाह के रसूल! मैं जुन्बी थी। तो आपने फ़रमाया: **'पानी नापाक नहीं होता।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 68, शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इसे सही क़रार दिया है) और हज़रत आयशा(ﷺ) ही से मरवी एक दूसरी हदीस़ में है, फ़रमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन से, जो हम दोनों के दरम्यान होता था, ग़ुस्ल कर लिया करते थे, आप (बर्तन से पानी लेने में) मुझसे जल्दी फ़रमा लेते यहाँ तक कि मैं कहती: मेरे लिए छोड़िये, और फ़रमाती हैं कि हम दोनों जुन्बी होते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 261, सहीह मुस्लिम, हदीस़: 321) इन अहादीस़ से मालूम हुआ कि हाइज़ा और जुन्बी का इस्तेमाल किया हुआ बक़िया पानी पाक और क़ाबिले इस्तेमाल रहता है, नीज़ जब मियाँ बीवी जुन्बी होने की सूरत में इकट्ठे एक बर्तन में पानी लेकर या एक दूसरे के बक़िया पानी से एक के बाद दूसरे ग़ुस्ल कर सकते हैं तो जनाबत के अ़लावा तो बिल्औला कर सकते हैं क्योंकि हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) से मरवी है कि नबी–ए–अकरम (ﷺ) हज़रत मैमूना (ﷺ) के बचे हुए पानी से ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 323)

③ **माअ मुसख़्ख़न (गर्म पानी) :** ये पानी पाक है और पाक करने वाला है जैसा कि हज़रत उ़मर(ﷺ) की बाबत मरवी है कि उनके लिए ताँबे के बर्तन में पानी गर्म किया जाता और वह उससे ग़ुस्ल फ़रमाते। देखिये: (सुनन कुबरा लिल बैहक़ी: 1/6, व इरवाउलग़लील: 1/48–50) हज़रत उ़मर (ﷺ) की बाबत ही एक और रिवायत भी मरवी है, इसमें भी इसी बात का ज़िक्र है कि हज़रत उ़मर (ﷺ) गर्म पानी से ग़ुस्ल करते थे। देखिये: (इब्ने अबी शैबा: 1/3) इन आस़ार से स़ाबित हुआ कि गर्म पानी पाक है, उसे तहारत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अ़लावा किसी हदीस़ से गर्म पानी

इस्तेमाल करने की मुमानिअत भी साबित नहीं है। और जिस काम की मुमानिअत साबित न हो तो उसे करना जायज़ होता है बशर्ते कि शरीयत की किसी अस्ल से उसका टकराव न हो।

④ **माअ मुख़्तलत :** इसकी दो क़िस्में हैं:

(1) पहली क़िस्म उस पानी की है जिसमें कोई पाक चीज़ मिल गई हो, जैसे: साबुन, काफ़ूर, ज़ाफ़रान और आटा वग़ैरह। तो ऐसा पानी पाक है और पाक करने वाला है। हज़रत उम्मे अतिय्या(ﷺ) से मरवी है, वह फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी ज़ैनब (ﷺ) को गुस्ल दे रही थीं कि आपने फ़रमाया: **'इसे तीन, पाँच, सात बार या इससे भी ज़्यादा मर्तबा पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और आख़िरी बार पानी में कुछ काफ़ूर भी मिला लो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1253, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 939) और हज़रत उम्मे हानी(ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) और हज़रत मैमूना (ﷺ) ने एक टब में गुस्ल किया जबकि उसमें गुन्दे हुए आटे का असर था। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 378) याद रहें इन अहादीस में ऐसे पानी के इस्तेमाल की इजाज़त है जिसमें पाक चीज़ मिल गई हो क्योंकि पानी में काफ़ूर और आटे का असर इस हद तक ग़ालिब न था कि उसे मुतलक़ पानी होने की सिफ़त से ख़ारिज कर देता। तो इस तरह के पानी से तहारत हासिल करना जायज़ है।

(2) दूसरी क़िस्म उस पानी की है जिसमें नजासत और पलीद चीज़ गिर गई हो। इस क़िस्म का पानी थोड़ा हो या ज़्यादा जब उसका ज़ायक़ा, रंग या बू बदल जाये तो वह पलीद होता है और उससे पाकीज़गी हासिल नहीं होती। इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) इसकी बाबत लिखते हैं कि उलमा का इज्मा है कि पानी थोड़ा हो या ज़्यादा जब उसमें नजासत गिर जाये और उसका ज़ायक़ा, रंग या बू बदल जाये तो जब तक ऐसा रहे पलीद होता है। देखिये: (अल इज्माअ इब्नुल मुन्ज़िर, सफ़ा: 23, वल् मुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/53, वल मजमूअ: 1/110) इमाम इब्नुल रुशद इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि उलमा का इज्मा है कि ऐसा पानी जो नजासत की वजह से अपना ज़ायक़ा, रंग या बू में से कोई एक या एक से ज़्यादा वस्फ़ बदल ले तो उससे वुज़ू या तहारत जायज़ नहीं। देखिये: (बिदायतुल मुज्तहिद: 1/17)

✧ **कसीर और क़लील पानी की तहदीद :** हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब पानी की मिक़्दार दो (क़िले) (एक पैमाना) बड़े मटकों के बराबर हो तो वह नजासत को क़ुबूल नहीं करता।'** और एक हदीस

के अल्फ़ाज़ हैं: **'तो वह पानी नजिस (नापाक) नहीं होता।'** देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 63, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 67, सुनन इब्ने माजा, हदीस: 517) ये हदीस पानी की कलील और कसीर मिक़्दार के दरम्यान फ़र्क़ और हदबंदी में बिल्कुल वाज़ेह और सरीह है। इस मफ़हूम की तमाम अहादीस से जो चीज़ हासिल होती है वह ये है कि जब पानी की मिक़्दार दो क़िल्तैन से कम हो तो वह महज़ नजासत के गिरने ही से नापाक हो जायेगा, ख़्वाह औसाफ़े सलासा में से किसी वस्फ़ में तग़य्युर (बदलाव) वाक़ेअ हुआ हो या न। और अगर इसकी मिक़्दार (क़िल्तैन) दो मटकों के बराबर या उससे ज़्यादा होगी तो महज़ नजासत से वह नापाक नहीं होगा बल्कि वह ख़ुद भी पाक ही रहेगा और दूसरी चीज़ को भी पाक करेगा, अलबत्ता जब उस नजासत की वजह से उन औसाफ़े सलासा (बू, ज़ायक़ा, रंग) में से कोई तब्दील हो जाये तो फिर वह पानी नापाक शुमार होगा जैसा कि हज़रत अबू उमामा (ﷺ) से मरवी हदीस: (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه) (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 521) इस पर दलालत करती है। जहाँ तक बिअ्रे-ब ज़ाअ़ह वाली हदीस का ताल्लुक़ है तो उसकी बाबत राजेह और दुरुस्त बात यही है कि इसमें पानी दो क़िले या उससे भी ज़्यादा था। शैख़ सफ़ीउर्रहमान मुबारकपूरी (رحمه الله) क़िल्तैन की वज़ाहत करते हुए फ़रमाते हैं कि 'क़िला' मिट्टी के पके हुए बड़े मटको को कहते हैं। इसके छोटे और बड़े होने की वजह से इसकी मिक़्दार में अगरचे इख़्तिलाफ़ है लेकिन अ़रब में हुज्र (एक बस्ती का नाम) के मटके मशहूर व मारूफ़ थे, और अ़रब के अशआर और इम्साल में भी ब'कसरत इसका इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से ये मुतअय्यन हो जाता है कि हदीस में बयान शुदा मटके से मुराद हुज्र बस्ती का मटका है, कोई और मटका नहीं। और उनके मटके में अढ़ाई सौ रतल् पानी समाने की गुंजाइश थी, लिहाज़ा दो क़िलों के पानी की मिक़्दार पाँच सौ रतल् हुई जो मौजूदा पैमाने के मुताबिक़ तक़रीबन दो सौ सत्ताइस किलोग्राम, यानी पाँच मन सत्ताइस किलोग्राम बनती है। देखिये: (बुलूग़ुल मराम, हदीस: 4 की लुग़वी तशरीह) याद रहें दो क़िलों से कम पानी कसीर के ज़ुमरे में नहीं आता और दो क़िलों या उससे ज़्यादा पानी की मिक़्दार कसीर है।

कुछ उलमा ने क़िल्तैन वाली रिवायत को ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि मौलाना तक़ी उस्मानी दर्से तिर्मिज़ी की जिल्द अव्वल सफ़ा: 378 पर यूँ लिखते हैं कि मुहद्दिसीन के एक बड़े ताइफ़ा (गिरोह) ने इस हदीस को सहीह क़रार दिया है। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, हाफ़िज़ इब्ने मन्दा और हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इसको सही कहते हैं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) का सनीअ़ भी इसी पर दलालत करता है। अहनाफ़ में से शैख़ इब्ने हम्माम (رحمه الله) का रूझान भी अ़द्मे तज़ईफ़ की तरफ़ है। इमाम तहावी

(ﷺ) ने भी इसकी सनद पर कोई कलाम नहीं किया। साहिबे सआया भी अदम तज़ईफ़ की तरफ़ माइल हैं, इसलिए हज़रत गन्गोही ने अल्कौकिब अद्दरी में फ़रमाया है कि हदीस क़िल्तैन की तज़ईफ़ मुश्किल है। आख़िर में मौलाना तक़ी उस्मानी ने भी इसकी सेहत को तस्लीम किया है लेकिन इसके बावजूद इस हदीस की बेजा तौजीहात बयान करके इसके ज़ाहिर मानी पर अमल को नाजायज़ क़रार दिया है ताकि अपने इमाम का मौक़फ़ ग़लत न ठहरे। इमाम बग़वी (ﷺ) इसकी बाबत लिखते हैं कि कुछ अस्हाबे राय ने माअे कसीर, जो पलीद नहीं होता है, की मिक़्दार दो दर दो (10 x 10) यानी दस हाथ लम्बाई और दस हाथ चौड़ाई बयान की है जबकि ये तहदीद किसी शरई असल से साबित नहीं। देखिये: (शरहुस्सुन्नह लिलबग़वी: 2/59) मज़ीद लिखते हैं कि कुछ ने इसकी मिक़्दार ये बताई है कि एक बड़ा हौज़ हो और उसकी एक जानिब हरकत दी जाये तो दूसरी जानिब इस हरकत का असर न पहुँचे। लेकिन ये इन्तिहाई जहालत की बात है क्योंकि हरकत देने वालों की हरकत कुव्वत और ज़ोफ़ (कमज़ोरी) के ऐतबार से मुख़्तलिफ़ होगी। देखिये: (शरहुस्सुन्नह लिलबग़वी: 2/60) बहरहाल इसके अलावा भी क़िल्तैन वाली रिवायत की कई एक तौजीहात बयान की गई हैं लेकिन सही हदीस के होते हुए इसके मुक़ाबले में ख़ुद साख़्ता तौजीहात की कोई हैसियत नहीं।

याद रहें मालूम हुआ कि अगर पानी दो क़िलों से कम है तो उसमें सिर्फ़ गन्दगी और पलीदी का गिरना ही उसे नापाक और पलीद बना देगा लेकिन अगर पानी दो क़िलों से ज़्यादा है तो औसाफ़े सलासा (रंग, बू, ज़ायक़ा) को मद्दे नज़र रखा जायेगा। अगर इन तीनों में से एक वस्फ़ या एक से ज़्यादा वस्फ़ पानी में पाया जाये तो वह पानी नापाक है, उसे तहारत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस ज़िमन में बेजा तौजीहात व तावीलात का सहारा भी नहीं लेना चाहिए।

✧ **बिल्ली, गधे और कुत्ते वग़ैरह के जूठे पानी का हुक्म :** बिल्ली के जूठे पानी की बाबत हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन से वुज़ू कर लिया करते थे जब कि उसमें से पहले बिल्ली ने पानी पिया होता था। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 368) और एक दूसरी रिवायत से इस मसले की ताईद इस तरह होती है कि दाऊद बिन सालेह बिन दीनार अपनी वालिदा से बयान करते हैं कि उनकी वालिदा की मालिका ने उसे हज़रत आयशा (ﷺ) के यहाँ हरीसा (एक क़िस्म का खाना) देकर भेजा तो उसने उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए पाया। उन्होंने (असना-ए-नमाज़ ही में) इशारा किया कि रख दे, चुनांचे एक बिल्ली आई और उसमें से कुछ खा गई, जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हुई तो उन्होंने वहीं से खाना शुरू कर दिया जहाँ से बिल्ली ने खाया था

और बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ये नजिस नहीं है, ये तो (घरों में) घूमने फिरने वाले जानवरों में से है।'** और मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि वह इसके जूठे पानी से वुज़ू कर लिया करते थे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 76) इन दोनों रिवायतों को मुहक़्क़िक़े अस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने स़ही क़रार दिया है। तफ़्सील के लिए देखिये: (स़हीह सुनन अबी दाऊद लिल अल्बानी, हदीस़: 69, व इरवाउलग़लील: हदीस़: 75) **'बिल्ली नजिस नहीं है।'** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दुशवारी और वक़्त के पेशे नज़र बिल्ली को ग़ैर नजिस क़रार दिया है। इसके ग़ैर नजिस होने से स़ाबित हुआ कि इसका जूठा पाक है जैसा कि आप इसके जूठे से वुज़ू फ़रमा लिया करते थे। याद रहें स़ही अहादीस़ के होते हुए किसी इमाम या मुफ़्ती का इसके जूठे को मकरूह कहना समझ से बाला तर है, और जुम्हूर उ़लमा ने भी बिल्ली के जूठे को पाक क़रार दिया है। इस मसले की मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 2/102–114)

गधे, घोड़े और ख़च्चर के जूठे पानी की बाबत काफ़ी इख़्तिलाफ़ पाया जाता है लेकिन दलाइल की रू से राजेह मौक़फ़ यही मालूम होता है कि उनका जूठा भी पाक है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) और स़हाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) ने अक्स़र घोड़े, गधे, और ख़च्चर को बतौर सवारी इस्तेमाल किया है जिससे मालूम होता है कि उनका लुआ़ब और पसीना वग़ैरह कपड़ों को लगता होगा और आपने कभी भी उनके लुआ़ब और पसीने वग़ैरह से परहेज़ का हुक्म नहीं दिया। इमाम नववी और इमाम इब्ने क़ुदामा (رحمهما الله) इसकी बाबत लिखते हैं कि अगर उनका लुआ़ब वग़ैरह नजिस (पलीद) होता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) इसकी तरफ़ जरूर इशारा फ़रमाते जैसा कि आपने दीगर जानवरों की बाबत फ़रमाया है, लिहाज़ा आपका उनकी बाबत ज़िक्र न करना ही इस बात की दलील है कि उनका जूठा पाक है और उम्मत के हक़ में भी यही बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमेशा तंगी को दूर करने की कोशिश की है और हमेशा (يسروا ولا تعسروا) 'आसानी करो दुश्वारी न करो' की तल्क़ीन फ़रमाई है। मज़ीद ये कि अ़मली तौर पर उनसे बचना भी नामुम्किन है। याद रहें राजेह और हक़ बात यही है कि इन जानवरों का जूठा पानी पाक है, इससे वुज़ू वग़ैरह किया जा सकता है। वल्लाहु आ़लम बिस्स़वाब! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (मुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/48, 49) मजमूअ़ लिन्नववी: 1/173, 174, ज़ख़ीरतुल उ़क़्बा शरह सुनन अलनसाई: 2/115–120)

कुत्ते के जूठे पानी की बाबत हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अगर कुत्ता किसी बर्तन में से पानी वग़ैरह पी ले तो बर्तन को सात बार धोओ और पहली**

बार मिट्टी से मांजो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 279) ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि कुत्ते का मुँह, उसका लुआब दहन और इसका जूठा नजिस व नापाक है और यही इसके सारे बदन के नजिस व नापाक होने पर दलालत करती है, नीज़ सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा में मज़ीद सराहत है कि जिस बर्तन में कुत्ते ने मुँह मारा हो तो अगर उसमें पानी वग़ैरह हो तो उसको बहा देना चाहिए। देखिये: (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/15, रक़म अलबाब: 75, हदीस: 98) रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुत्तों की क़बाहत और सनाअत बयान करते हुए फ़रमाया: **'कुत्तों को क़त्ल कर दो।'** फिर आपने क़त्ल करने से रोक दिया और शिकार और रखवाली वग़ैरह के लिए कुत्ता रखने की इजाज़त दी। याद रहें इन मक़ासिद के सिवा किसी और मक़सद के लिए, जैसे: शौक़ के तौर पर या किसी और वजह से कुत्ता रखना जायज़ नहीं क्योंकि अहादीस में इसकी मुमानिअत और वईद आई है। एक हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स माल मवेशी के तहफ़्फ़ुज़ (हिफ़ाज़त), शिकार या खेती की देख भाल के सिवा कुत्ता रखता है तो उसके सवाब में से हर रोज़ एक क़ीरात सवाब कम हो जाता है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2322)

शरीयते इस्लामिया ने इंसान की बेहतरी के लिए हर मुम्किन कोशिश की है कि इंसान हर क़िस्म की आफ़ात, मसाइब और परेशानियों से महफ़ूज़ रहे लेकिन आज का मुसलमान मग़रीब तहज़ीब का इस क़द्र दिलदादा हो चुका है कि वह नहीं देखता कि कुत्ता रखने में मेरा दीनी और जिस्मानी क्या नुक़सान है, वह तो कुत्ते को वही मुक़ाम देना चाहता है और उसी तरह देखना चाहता है जैसे ग़ैर मुसलमानों ने कुत्तों को फ़र्द ख़ाना (फेमिली मेम्बर) का मुक़ाम दे रखा है और उसके साथ खेल कूद ही नहीं बल्कि अपना हम मशरूब भी बनाया हुआ है। इआज़नल्लाहु मिन्हा!

कुत्ते के मुँह में बेशुमार जरासीम होते हैं। इसकी वज़ाहत उलमा और दौरे हाज़िर के माहिर अतिब्बा (डॉक्टर्स) इस तरह करते हैं कि अक्सर कुत्तों की आँतों में बहुत छोटे छोटे जरसूए पाये जाते हैं जो कि चार मिली मीटर लम्बे होते हैं जब कुत्ता अपना फुज़ला ख़ारिज करता है तो इस फुज़ले से अण्डे ख़ारिज होते हैं और फुज़ला ख़ारिज होने की जगह (दुबुर) के इर्द गिर्द बालों से कसरत से चिमट जाते हैं, फिर जब कुत्ता अपनी ज़बान से अपना जिस्म साफ़ करता है तो ये अण्डे उसकी ज़बान और मुँह के साथ लग जाते हैं, फिर जब कुत्ता किसी बर्तन में मुँह डालता है या पानी पीता है या इंसान उसका मुँह चूमता है जैसा कि आज कल मग़रिब में ग़ैर मुस्लिम करते हैं तो ये अण्डे उन चीज़ों के साथ चिमट जाते हैं और ख़ूर नोश (खाने-पीने) के वक़्त आसानी से इंसान के मुँह तक पहुँच जाते हैं, मुँह में रसाई हासिल करने के बाद उसके मेदे में पहुँच जाते हैं, फिर उससे जरसूम निकल कर मेदे की दीवारों में सूराख़ करके

ख़ून की नालियों में दाख़िल हो जाते हैं और इस तरह दिल, दिमाग़ और फेफड़ों की बेशुमार बीमारियाँ पैदा करते हैं। फिर मज़ीद लिखते हैं कि ऊपर दी गई तमाम चीज़ों का यूरोपियन डॉक्टर्स अपने शहरों में मुशाहिदा कर चुके हैं। इन जरासीमज़दा कुत्तों की पहचान और इम्तियाज़ चूंकि एक मुश्किल काम है, इसके लिए काफ़ी वक़्त दरकार है और ऐसे आलात के ज़रिये से इन्तिहाई दक़ीक़ बहस मतलूब है जिनका इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए शरीयत ने अवाम को इन बखेड़ों में डालने की बजाये उसको नापाक क़रार देकर बर्तन को सात मर्तबा साफ़ करने का हुक्म दिया है ताकि बर्तन वग़ैरह की सफ़ाई और नज़ाफ़त हो सके और जरासीम बर्तन के साथ न लगे रहें। देखिये: (हाशिया अहकामुल अहकाम शरह उम्दतुल अहकाम लिइब्ने दक़ीक़ अलअयद: 1/27) याद रहें हममें से हर एक को इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि हम अल्लाह के नबी (ﷺ) की बताई हुई वईद से बचें और जिस्मानी बीमारियों से भी महफ़ूज़ रहें। इसके अलावा शिकार और रखवाली वग़ैरह के लिए रखे गये कुत्ते के जूठे और बर्तन वग़ैरह का भी वही हुक्म है जो एक आम कुत्ते का है, लिहाज़ा इस क़द्र ग़लीज़ जानवर को घर में शौक़िया तौर पर रखने से एहतिराज़ करना चाहिए क्योंकि इसके जूठे पन में तमाम अइम्मा और तमाम मकातिबे फ़िक्र का इज्मा है कि कुत्ते का जूठा नापाक है। इसी तरह उन जानवरों का जूठा भी नापाक है जो नजिसुलऐन हैं, जैसे: ख़िन्ज़ीर वग़ैरह।

✧ **मक्खी और दीगर हशरातुल अर्ज़ के जूठे पानी का हुक्म :** हज़रत अबू हुरैरह(رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब तुममें से किसी के पानी में मक्खी गिर जाये तो उसे उसमें डुबकी देकर निकालना चाहिए क्योंकि उसके एक पर में बीमारी है और दूसरे में शिफ़ा है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3320) इस हदीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर मक्खी सय्याल (बहने वाली) चीज़ में गिर जाये या गिर कर मर जाये तो वह चीज़ नजिस नहीं हो जाती है। इसी पर क़यास करते हुए उलमा ने ये भी कहा है कि जिस जानदार के जिस्म में बहने वाला ख़ून ही मौजूद न हो, जैसे: शहद की मक्खी, मकड़ी, बड़ वग़ैरह और इन्हीं से मिलते जुलते दीगर हशरात, अगर ये पानी में गिर कर मर जायें तो वह पानी नापाक नहीं होता क्योंकि नजासतज़दा ख़ून गर्दीश नहीं करता इनमें ख़ून रुकने का सबब मौजूद नहीं, इसलिए ऐसे जानवरों के मायअ (लिक्विड) चीज़ में गिरने से चीज़ नापाक नहीं होगी। इसके अलावा इमाम इब्ने मुन्ज़िर ने इस बात पर इज्मा नक़ल किया है कि मक्खी और इसी तरह के दीगर हशरातुल अर्ज़ नापाक नहीं होते। याद रहें मक्खी और दीगर हशरातुल अर्ज़ के गिरने या उनके मरने से पानी नापाक नहीं होता। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (मजमूअ लिन्नववी: 1/129, वल मुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/68)

✧ **हलाल जानवर के चमड़े या मशकीज़े वग़ैरह में पड़े पानी का हुक्म :** हलाल जानवर का चमड़ा रंग लिया जाये तो वह पाक हो जाता है, ख़्वाह जानवर को ज़िब्ह किया गया हो या ज़िब्ह न किया गया हो, यानी मुर्दार हो। तो ऐसे जानवर के चमड़े में पड़ा पानी पाक है और पाक करने वाला है। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने चमड़े के मशकीज़े के पानी से वुज़ू का इरादा फ़रमाया तो आपको कहा गया कि इस मशकीज़े का चमड़ा तो मुर्दार का है। आपने फ़रमायाः **'इसको रंगना चमड़े की नजासत को ज़ायल कर देता है।'** (सही इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीसः 114) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ही से मरवी है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः **'जब कच्चे चमड़े को रंग दिया जाये तो वह पाक हो जाता है।'** (सहीह मुस्लिम, हदीसः 366) और हज़रत सलमा बिन महबक़ (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः **'मुर्दा जानवरों के चमड़ों को रंगना ही उनकी तहारत और पाकीज़गी है।'** (सहीह इब्ने हिब्बान, हदीसः 144) और एक दूसरी रिवायत में है कि जो चमड़ा भी रंगा जाये वह पाक हो जाता है। (सुनन इब्ने माजा, हदीसः 3609) इन अहादीस से मालूम होता है कि दबाग़त (रंगाई) के बाद हर क़िस्म का चमड़ा पाक हो जाता है, वह चमड़ा ख़्वाह हलाल जानवर का हो या हराम का, जानवर ख़्वाह शरई तरीक़े से ज़िब्ह किया गया हो या ख़ुद अपनी तबई मौत मरा हो। इस उमूमी उसूल के बावजूद कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके चमड़े को दबाग़त के बावजूद पाक क़रार नहीं दिया गया है, जैसेः ख़िन्ज़ीर का चमड़ा, उसे नजिसुलऐन होने की बिना पर पाक क़रार नहीं दिया गया। कुछ लोगों की राय है कि ख़िन्ज़ीर और कुत्ते पर अगर तकबीर पढ़ कर उन्हें ज़िब्ह किया जाये तो इस सूरत में वह भी पाक हो जाता है लेकिन ये राय सही नहीं है, इसी तरह अहनाफ़ का कुत्ते के चमड़े को दबाग़त के बाद पाक क़रार देना भी दुरुस्त और सही राय पर मबनी नहीं है। सही और राजेह मौक़फ़ यही है कि सिर्फ़ हलाल जानवर ही दबाग़त के बाद पाक होता है, ख़्वाह जानवर को ज़िब्ह किया गया हो या मुर्दार हो जैसा कि हज़रत मैमूना (ﷺ) से मरवी है कि नबी(ﷺ) का गुज़र एक (मुर्दा) बकरी के पास से हुआ जिसे लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे तो आपने फ़रमायाः **'काश तुम इसकी खाल उतार लेते।'** उन्होंने कहाः ये तो मरी हुई है, आपने फ़रमायाः **'इस (चमड़े) को पानी और केकर की छाल पाक कर देगी।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीसः 4126 व सुनन नसाई, हदीसः 4253) याद रहें मालूम हुआ कि हलाल जानवर के चमड़े से बने हुए बर्तन या मशकीज़े से पानी लेकर वुज़ू और ग़ुस्ल वग़ैरह करना जायज़ है और इसमें पड़ा हुआ पानी पाक और पाक करने वाला है।

✧ **खड़े पानी का हुक्म :** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तुममें से कोई शख़्स हालते जनाबत में खड़े पानी में गुस्ल न करे।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 283) और सहीह बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से यूँ मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तुममें से कोई भी खड़े पानी में, जो जारी न हो, पेशाब न करे कि फिर उसमें गुस्ल करे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 239) और सहीह मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत के अल्फ़ाज़ यूँ हैं: **'तू खड़े पानी में जो जारी न हो, पेशाब न कर कि फिर उससे गुस्ल करे।'** (सहीह मुस्लिम: हदीस: 282) और सुनन अबी दाऊद में ये अल्फ़ाज़ हैं: **'तुम में से कोई शख़्स खड़े पानी में हरगिज़ पेशाब न करे और न उसमें गुस्ले जनाबत ही करे।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 70) सहीह मुस्लिम की पहली रिवायत से सिर्फ़ गुस्ल करने की मुमानिअत साबित होती है और सहीह बुख़ारी की रिवायत में इसमें पेशाब करने और इसमें गुस्ल करने, दोनों के जमा करने की मुमानिअत है, और अबू दाऊद और सहीह मुस्लिम की दूसरी रिवायत की रू से दोनों की इन्फ़रादी तौर पर भी मुमानिअत है। इन तमाम रिवायात का मा'हुसूल (ख़ुलासा) ये है कि ये तमाम अमल ही ममनूअ (मना) हैं क्योंकि खड़ा पानी अगर मिक़्दार में कम है तो फिर वह नापाक हो जायेगा और अगर कसीर मिक़्दार में है तो यके बाद दीगरे पेशाब और गुस्ल करना पानी के औसाफ़ में तग़य्युर व तब्दील का मूजिब होगा, चुनांचे अगर पानी कम मिक़्दार में है तो अहादीस में मज़कूर नह्य तहरीम के लिए है और अगर पानी कसीर मिक़्दार में है तो फिर नह्य तन्ज़ीही है क्योंकि कसीर मिक़्दार वाला पानी रवां और जारी के हुक्म में होता है और वह नापाक और नजिस नहीं होता।

✧ **यहूद व नसारा और दीगर ग़ैर मुसलमानों के बर्तनों में मौजूद पानी का हुक्म :** मुसलमानों को जहाँ तक हो सके कोशिश करनी चाहिए कि यहूद व नसारा, मुश्रिकीन और दीगर ग़ैर मुसलमानों के बर्तनों को इस्तेमाल न करें क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से अहले किताब के बर्तनों के इस्तेमाल करने की बाबत पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'तुम उनके बर्तनों में न खाओ, लेकिन अगर तुम उनके बर्तनों के अलावा कोई और बर्तन न पाओ तो उन्हें धोकर फिर उनमें खा सकते हो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5488) ताहम ग़ैर मुसलमानों के बर्तनों में मौजूद पानी से वुज़ू और गुस्ल वग़ैरह करना जायज़ है जैसा कि हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके सहाबा ने एक मुश्रिका औरत के मशकीज़े से वुज़ू किया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 344) और हज़रत उमर (ﷺ) की बाबत मरवी है कि उन्होंने नसरानिया औरत के घर से

वुज़ू किया। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 193) मालूम हुआ कि ग़ैर मुसलमानों के ऐसे बर्तन जिनमें नजासत वग़ैरह का अन्देशा न हो, उनमें से पानी लेकर वुज़ू और ग़ुस्ल करना जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ़ उज़्र की बिना पर है। वल्लाहु आलम!

✧ **ऐसे पानी का हुक्म जो ख़ुद तो पाक है मगर पाक करने वाला नहीं :** इससे मुराद नबीज़ है। नबीज़ अरब का ख़ास मशरूब है जो वह ख़ुश्क खजूर या मुनक़्क़ा वग़ैरह को पानी में भिगोए रखने से तैयार करते थे, जैसा हमारे यहाँ इमली और आलू बुख़ारे का शरबत तैयार किया जाता है। इसमें पानी, खजूर और मुनक़्क़ा तीनों चीज़ें पाक हैं लेकिन पानी अपनी असली हालत में नहीं रहा, इसलिए वह ख़ुद तो पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने सहीह बुख़ारी में बाब बाँधा है कि नबीज़ से वुज़ू करना जायज़ नहीं है। और इसके बाद फ़रमाते हैं: हज़रत हसन बसरी और हज़रत अबूल आलिया (رحمه الله) नबीज़ से वुज़ू करना नापसन्द करते थे और हज़रत अता (رحمه الله) की बाबत लिखते हैं कि वह फ़रमाते हैं कि मुझे दूध और नबीज़ से वुज़ू करने की बनिस्बत तयम्मुम करना ज़्यादा पसन्द है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 242) इसी तरह सुनन अबी दाऊद में मौजूद है कि अबू ख़लदा (رحمه الله) बयान करते हैं कि हज़रत अबू अबुलआलिया से पूछा गया कि एक शख़्स जिसे जनाबत लाहिक़ हुई हो और उसके पास पानी न हो मगर नबीज़ मौजूद हो तो क्या वह उससे ग़ुस्ल कर ले? तो उन्होंने फ़रमाया: नहीं। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 86, 87) इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) नबीज़ से वुज़ू करने की बाबत फ़ुक़हा का इख़्तिलाफ़ ज़िक्र करने के बाद फ़रमाते हैं: जो लोग कहते हैं कि नबीज़ से वुज़ू न किया जाये उनकी राय ही किताबुल्लाह के ज़्यादा क़रीब और मुनासिब है क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है: **'अगर पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।'** (अन्निसा: 4/43) देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 88) जबकि कुछ हज़रात ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मरवी रिवायत, जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) का नबीज़ से वुज़ू करने का ज़िक्र है, से इस्तिदलाल करते हुए नबीज़ से वुज़ू करने को जायज़ क़रार दिया है लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(رضي الله عنه) की रिवायत और इस मौज़ूअ की दीगर तमाम रिवायात ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मरवी रिवायत को मुहक़्क़िक़े अस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है और मज़ीद लिखा है कि इमाम बुख़ारी, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम अबू ज़रआ, इमाम इब्ने अदी और इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। इमाम इब्ने अब्दुल बर (رحمه الله) के

हवाले से लिखा है कि वह फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है। तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद लिल अल्बानी, रक़म: 11) और इमाम तहावी हनफ़ी (رحمه الله) ने भी हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की हदीस़ की तमाम सनदों को ज़ईफ़ क़रार देकर ये फ़ैसला दिया है कि नबीज़ से किसी हाल में वुज़ू जायज़ नहीं। मज़ीद देखिये: (शरह मआ़नी वल आसा़र: 1/57, 58, जामेअ़ तिर्मिज़ी, अहमद मुहम्मद शाकिर, हदीस़: 88) याद रहें इन तमाम दलाइल और बहस़ से राजेह और स़ही मौक़फ़ यही मालूम होता है कि नबीज़ और इसके अ़लावा हर वह पानी जिस में पाक चीज़ मिल जाये और पानी की अस़ल हालत बरक़रार न रहे, वह ख़ुद तो पाक है लेकिन उससे तहारत और पाकी हासि़ल नहीं की जा सकती। वल्लाहु आ़लम!

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

كتاب المياه من المجتبى

पानी की मुख़्तलिफ़ अक़साम (क़िस्मों) से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا } (الفرقان:٤٨) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ { وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ } (الأنفال: ١١) وَقَالَ تَعَالَى { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } (المائدة: ٦)

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया: 'और हमने आसमान से पाक करने वाला पानी उतारा।' और फ़रमाया: 'और उसने तुम पर आसमान से पानी उतारा ताकि तुम्हें उसके ज़रिये से पाक करे।' अल्लाह तआ़ला ने (मज़ीद) फ़रमाया: 'चुनांचे अगर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।'

फ़ायदा : इस आयत में पानी के आसमान से उतरने का ज़िक्र है, इससे वाज़ेह है कि बारिश अल्लाह के हुक्म से आसमान ही से नाज़िल होती है, ताहम कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन ही से नख़ारात उड़ कर आसमान की तरफ़ जाते हैं जो बारिश की शक्ल में ज़मीन पर बरसते हैं, इसलिए वह इन आयत की ये तावील करते हैं कि 'आसमान से' का मतलब है कि आसमान की तरफ़ से, यानी ऊपर से! या पानी की निस्बत आसमान की तरफ़ इसलिए है कि बारिश के असबाब आसमानी उमूर हैं। या इब्तिदा (इब्तिदा–ए–आफ़रीश) में पानी आसमान से उतारा गया होगा। लेकिन ये तावीलात कुर्आन के अल्फ़ाज़ से मुताबिक़त नहीं रखतीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ بَعْضَ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صلى الله عليه

(326) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) कि किसी ज़ोज–ए मुतह्हरा ने ग़ुस्ले जनाबत किया। नबी (ﷺ) ने उनके बचे हुए पानी से वुज़ू करना चाहा, तो उन्होंने ये बात आपको बताई। आपने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ पानी को कोई चीज़ पलीद नहीं करती।'

وسلم بِفَضْلِهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " .

(326) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 371, अबू दाऊद, हदीस: 68, तिर्मिज़ी, हदीस: 65, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, हाकिम, ज़हबी.

फ़ायदा : ये रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ़ है लेकिन दीगर शवाहिद की बिना पर सही है, ख़ुसूसन यही रिवायत मफ़हूमन इब्ने अब्बास (ﷺ) ही से सहीह मुस्लिम में मौजूद है, मुहक़्क़िक़ किताब ने भी तहक़ीक़ में इसकी तरफ़ इशारा किया है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 323)

باب: (١) ذِكْرِ بِئْرِ بُضَاعَةَ

बाब : (1) बुज़ाआ के कुएँ का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْحِيَضُ وَالنَّتْنُ فَقَالَ " الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " .

(327) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप बुज़ाआ के कुएँ से वुज़ू करते हैं जब कि उस कुएँ में कुत्तों का गोश्त, हैज़ वाले कपड़े और गन्दगी गिर पड़ती है? आपने फ़रमाया: 'पानी पाक और पाक करने वाला होता है। कोई चीज़ उसको पलीद नहीं करती।'

(327) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 66, 67, तिर्मिज़ी, हदीस: 66, हाकिम: 1/13, 14.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 153 और इसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، -وَكَانَ مِنَ الْعَابِدِينَ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ، عَنْ سَلِيطٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مَرَرْتُ بِالنَّبِيِّ

(328) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि मैं नबी (ﷺ) के पास से गुज़रा जब कि आप बुज़ाआ के कुएँ के पानी से वुज़ू फ़रमा रहे थे। मैंने कहा: क्या आप इस पानी से वुज़ू करते हैं, हालांकि इसमें कुछ नापसन्दीदा गन्दी चीज़ें गिरती रहती हैं? आपने फ़रमाया: 'इस पानी को कोई चीज़ पलीद नहीं करती।'

ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ فَقُلْتُ أَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّتْنِ فَقَالَ " الْمَاءُ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " .

तख़रीज:(सनद सही) अहमद वलबैहक़ी: 1/257, 258.

باب : (٢)
التَّوْقِيتِ فِي الْمَاءِ

बाब : (2)
(क़लील और कसीर) पानी की तहदीद (हदबन्दी)

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ "

(329) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) से उस पानी के बारे में पूछा गया जिस पर जानवर (और ख़ुसूसन) दरिन्दे (पीने के लिए) आते जाते रहते हैं? आपने फ़रमाया: 'जब पानी दो मटके हो तो वह पलीद नहीं होता।'

(329) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 64, 65, तिर्मिज़ी, हदीस: 67, इब्ने माजा, हदीस: 517, 518, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 50, इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/49, हदीस: 92.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 152 और उसके फ़वाइद व मसाइल और किताबुल मियाह का इब्तिदाइया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُزْرِمُوهُ " . فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ .

(330) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि एक ऐराबी ने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। कुछ लोग उसकी जानिब उठे तो आपने फ़रमाया: 'उसका पेशाब न रोको।' जब वह फ़ारिग़ हो गया तो आपने पानी का एक डोल मंगवाया और पेशाब पर बहा दिया।

(330) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 51, हदीस: 53 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस़: 54, 56, 57 और उनके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ "

(331) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि एक ऐराबी उठा और उसने मस्जिद में पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको डाँटा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'उसको रहने दो और उसके पेशाब पर एक डोल पानी बहा दो। तुम्हें आसानी करने के लिए भेजा गया है, न कि तंगी करने के लिए।'

(331) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 54, हदीस़: 56 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस़: 56 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (3) ठहरे पानी में जुन्बी को गुस्ल करने की मुमानिअत (मनाही)

باب : (٣) النَّهْيِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ".

(332) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई आदमी जब कि वह जुन्बी हो, ठहरे पानी में न नहाये।'

(332) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 221 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस़: 35, 221, 222 और उनके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (4)
समन्दरी पानी से वुज़ू

باب : (٤)
الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .

(333) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाते हैं: एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ हम समन्दरी सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा बहुत पानी लेकर जाते हैं। अब अगर हम उससे वुज़ू करें तो हम प्यासे रहेंगे। तो क्या हम समन्दरी पानी से वुज़ू कर लिया करें? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'समन्दर का पानी पाक और पाक करने वाला होता है और उसका मरने वाला जानवर हलाल होता है।'

(333) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 58, हदीस: 59 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 59 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (5)
बर्फ़ और औलों के पानी से वुज़ू करना

باب : (٥)
الْوُضُوءِ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا

(334) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मेरी ग़लतियाँ बर्फ़ और औलों के पानी से धो दे। और मेरे दिल को ग़लतियों से इस तरह पाक साफ़ फ़रमा दे जिस तरह तूने सफ़ेद कपड़े को मेल कुचैल से पाक साफ़ रखा है।'

كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ " .

(334) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 59, हदीस: 61 में देखें।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " .

(335) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाते हैं: अल्लाह के रसूल (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, पानी और औलों के साथ धोकर ग़लतियों से साफ़ फ़रमा दे।'

(335) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 60, हदीस: 60 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 60 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

بَاب : (٦) سُؤْرِ الْكَلْبِ

बाब : (6) कुत्ते का जूठा (पानी)

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ".

(336) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह डाल कर पिये तो उसे चाहिए कि मशरूब को गिरा दे और बर्तन को सात दफ़ा धोये।

(336) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 65, हदीस: 66 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 63, 66 और उसके फ़वाइद व मसाइल, मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

بَاب : (٧) تَعْفِيرِ الإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ

बाब : (7) कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो बर्तन को मिट्टी के साथ साफ़ करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ

(337) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया और शिकार और

أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .

बकरियों की हिफ़ाज़त के लिए कुत्ता रखने की इजाज़त दी और फ़रमाया: 'जब कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो उसे सात दफ़ा धोओ और आठवीं दफ़ा उसे मिट्टी से मांजो।

(337) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 70, हदीस: 67 में देखें।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ قَالَ " مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلاَبِ " . قَالَ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ". خَالَفَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ .

(338) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने कुत्तों के क़त्ल करने का हुक्म दिया, फ़रमाया: 'लोगों का कुत्तों से क्या ताल्लुक़?' और आपने शिकार और बकरियों की हिफ़ाज़त के लिए कुत्ता रखने की इजाज़त दी और फ़रमाया: 'जब कुत्ता बर्तन में मुँह डाल दे तो उस (बर्तन) को सात दफ़ा धोओ और आठवीं बार मिट्टी से मांजो।' हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल की मुख़ालिफ़त और कहा: 'एक दफ़ा मिट्टी के साथ (धोओ)।'

(338) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 67 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 67 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ

(339) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कुत्ता किसी के बर्तन में चाट जाये तो वह उसे सात दफ़ा धोये। उनमें से पहली दफ़ा मिट्टी के साथ (धोये)।'

(339) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 69.

أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " .

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " .

(340) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कुत्ता किसी के बर्तन से पी जाये तो वह उसे सात दफ़ा धोये। उनमें से पहली दफ़ा मिट्टी के साथ (धोये।)'

(340) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 73,

फ़ायदा : इन रिवायात से वाज़ेह है कि ऐसे बर्तन को, जिसको कुत्ता चाट जाये, सात मर्तबा धोया जाये और एक मर्तबा मिट्टी से भी धोया जाये। इसमें गुंजाइश है कि मिट्टी से आठवीं मर्तबा धोया जाये। या सात मर्तबा में एक मर्तबा मिट्टी से इसी तरह पहले मिट्टी से धो ले या आख़िर में, दोनों तरह जायज़ है।

باب: (٨) سُؤْرِ الْهِرَّةِ

बाब : (8) बिल्ली का जूठा

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "

(341) हज़रत कब्शा बिन्ते कअ़ब बिन मालिक से मरवी है कि हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) मेरे पास आये। मैंने उनके लिए वुज़ू का पानी डाला। इतने में एक बिल्ली आई और उससे पीने लगी। उन्होंने उसके लिए बर्तन झुका दिया (ताकि वह अच्छी तरह पी सके) कब्शा ने कहा: चुनांचे उन्होंने मुझे देखा कि मैं (ताज्जुब से) देख रही हूँ तो वह कहने लगे: ऐ भतीजी! ताज्जुब करती है? मैंने कहा: हाँ! वह कहने लगे: तहक़ीक़ अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुबहा ये (बिल्ली) पलीद नहीं हैं ये तो तुम पर आने जाने वाले (नौकरों और नौकरानियों) की तरह है।

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " .

(341) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 63, हदीस: 68 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 68 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

باب: (٩) سُؤْرِ الْحَائِضِ

बाब : (9) हैज़ वाली औरत का जूठा

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ فَيَضَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الإِنَاءِ فَيَضَعُ فَاهُ حَيْثُ وَضَعْتُ وَأَنَا حَائِضٌ .

(342) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है फ़रमाती हैं: बसा औक़ात मैं एक हड्डी से गोश्त नोचती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना दहन मुबारक वहीं रखते जहाँ मैंने रखा था, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। इसी तरह मैं बर्तन से पानी पीती तो आप अपना मुँह मुबारक वहीं रखते जहाँ मैंने अपना मुँह रखा था, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

(342) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 62, हदीस: 70 में देखें।

باب: (١٠) الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْمَرْأَةِ

बाब : (10) औरत (के वुज़ू या गुस्ल) से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करने की रुख़सत

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جَمِيعًا

(343) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में (नुज़ूले हिजाब से पहले या मेहरम) मर्द और औरतें इकट्ठे वुज़ू कर लिया करते थे।

(343) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 71 में देखें।

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 71 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (11)
औरत (के वुज़ू या गुस्ल) से बचे हुए पानी को इस्तेमाल करने की मुमानिअत

باب : (١١)
النَّهْيِ عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ - عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .

(344) हज़रत हकम बिन अम्र (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि मर्द, औरत के वुज़ू (या गुस्ल) से बचे हुए पानी के साथ वुज़ू करे।

(344) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 82, तिर्मिज़ी, हदीस: 63, 64, इब्ने माजा, हदीस: 373, अबी दाऊद, हदीस: 1252, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 72, 233, 239 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (12)
जुन्बी (के गुस्ल और वुज़ू) से बचा हुआ पानी इस्तेमाल करने की रुख़सत

باب : (١٢)
الرُّخْصَةِ فِي فَضْلِ الْجُنُبِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ .

(345) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाती हैं, बिलाशुब्हा वह अल्लाह के रसूल(ﷺ) के साथ एक बर्तन में गुस्ल किया करती थीं।

(345) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 74, हदीस: 73 में देखें।

बाब : (13) वुज़ू और ग़ुस्ल के लिए इंसान को कितना पानी काफ़ी है?

باب : (١٣) الْقَدْرِ الَّذِي يَكْتَفِي بِهِ الإِنْسَانُ مِنَ الْمَاءِ لِلْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ مَكَاكِيَّ

(346) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) वुज़ू एक मुद से और ग़ुस्ल पाँच मुद से फ़रमाया करते थे।

(346) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 74, हदीस: 73.

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَيَغْتَسِلُ بِنَحْوِ الصَّاعِ .

(347) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है, फ़रमाती हैं कि बेशक रसूलुल्लाह (ﷺ) एक मुद के साथ वुज़ू कर लिया करते थे और तक़रीबन एक साअ के साथ ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे।

(347) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 62, इब्ने माजा, हदीस: 268, बुख़ारी व मुस्लिम.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ .

(348) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) वुज़ू एक मुद के साथ और ग़ुस्ल एक साअ से फ़रमा लिया करते थे।

(348) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 6/280, हदीस: 26925.

फ़ायदा : साअ चार मुद का होता है। ग़ुस्ल के लिए कहीं साअ, कहीं तक़रीबन साअ, कहीं पाँच रतल और कहीं आठ रतल का ज़िक्र हैं मफ़हूम इतना मुख़्तलिफ़ नहीं। 'तक़रीबन साअ' के लफ़्ज़ भी इसकी ताईद करते हैं। साअ तक़रीबन ढाई किलो का होता है, गोया नबी (ﷺ) ढाई, तीन किलो पानी से भी ग़ुस्ल फ़रमा लिया करते थे।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

हैज़, इस्तिहाज़ा और निफ़ास से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

अल्लाह तआला ने मर्द और औरत दोनों को अलग अलग मक़ासिद के लिए पैदा फ़रमाया है, इसलिए उनको सलाहियतें भी एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ दी गई हैं जिसकी तफ़्सील हमारी किताब 'औरतों के इम्तियाज़ी मसाइल' में मुलाहिज़ा की जा सकती है।

मक़ासिदे तख़लीक़ और सलाहियत कार के अलावा जिस्मानी साख़्त (ढाँचे) में भी मर्द व औरत एक दूसरे से मुख़्तलिफ़ हैं। अल्लाह तआला ने औरत के जिस्म के अन्दर कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं जो मर्द के अन्दर नहीं हैं, जैसे हैज़ और निफ़ास का ख़ून। ये ख़ून तबई है, यानी बीमारी की वजह से नहीं आता बल्कि औरत के एक ख़ास वज़ीफ़-ए-हयात से उसका ताल्लुक़ है और वह है बच्चे की पैदाइश। ये हर औरत को हर महीने चंद दिन तक आता है। इसमें औरत की सेहत और अफ़ज़ाइशे नस्ल का राज़ मुज़्मिर (छिपा) है। यही वजह है कि जिस औरत को ये महाना ख़ून, जिसे हैज़ कहा जाता है, नहीं आता वह बच्चे पैदा करने के क़ाबिल नहीं होती। यूँ एक बहुत बड़ा नुक़्स या ख़ला उसकी ज़िन्दगी में वाक़ेअ हो जाता है और कोई मर्द ऐसी औरत के साथ रिश्त-ए-अज़वाज में मुन्सलक होना पसन्द नहीं करता।

इस ख़ून के अख़राज (निकलने) से औरत बिलउमूम कमज़ोर नहीं होती बशर्ते कि हद्दे ऐतदाल से मुतजाविज़ न हो (आगे न बढ़े)। यही ख़ून जब औरत को हमल क़रार पा जाता है तो रहमे मादिर में ज़ेरे परवरिश बच्चे (जनैन) की ख़ूराक का काम देता है, इसीलिए हमल क़रार पाते ही ख़ूने हैज़ बंद हो जाता है। विलादत के बाद यही ख़ून बिलउमूम दूध बन कर उसकी छाती के ज़रिये बाहर आता है जिसे बच्चा दो साल तक, जब कि वह दूसरी कोई चीज़ खाने के क़ाबिल नहीं होता, माँ की छाती से मुँह लगा कर पीता है। दो साल तक बच्चे की यही वाहिद ख़ूराक होती है जिसे वह निहायत आसानी से पीकर शिक्म सैर हो जाता है और उसे मज़ीद कुछ खाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। जब इस रज़ाअत (शीरख़्वारगी - दूध पीने) का दौर ख़त्म हो जाता है तो फिर इस ख़ून का भी मसरूफ़ बाक़ी नहीं रहता और ये फिर हस्बे साबिक़ माहवारी की शक्ल में ख़ारिज होना शुरू हो जाता है। इसी ख़ून को हैज़ कहा जाता है। लुग़त में इसके मानी ही सीलान, यानी बहने के हैं। और शरीअत की इस्तिलाह में उस ख़ून को हैज़ कहते हैं जो औरत के रहम से मुतअय्यन औक़ात में चंद दिन के लिए बग़ैर किसी बीमारी या ज़ख़्म

के निकलता है। हदीस़ में आता है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ये एक ऐसा मामला है जो अल्लाह ने आदम कि बेटियों के लिए लिख दिया है।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1213)

हैज़ का आग़ाज़ कब होता है और कब तक जारी रहता है? इन दोनों बातों के लिए उ़म्र का तअ़य्युन नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों ने आग़ाज़ की उ़म्र नौ या बारह साल और इख़्तिताम की उ़म्र पचास साल बताई है लेकिन ये हत्मी और क़तई नहीं है। माहौल, आबो हवा या जिस्मानी स़ेहत व कमज़ोरी के हिसाब से हर बच्ची और हर औ़रत का मामला मुख़्तलिफ़ है 9, 10 साल से लेकर 14, 15 साल तक हैज़ का आग़ाज़ हो सकता है। इसी तरह पचास साल या उससे कमो बेश उ़म्र में हैज़ आना बन्द हो सकता है।

जिस औ़रत को हैज़ आना बन्द हो जाये उसको (آئسہ) ना'उम्मीद कहा जाता है। इसी तरह उस नाबालिग़ बच्ची को भी (آئسہ) कहा जाता है जिसको अभी हैज़ आना शुरू ही नहीं हुआ। तौलीद (नस्लकशी) का सिलसिला हैज़ से वाबस्ता है। इन दिनों को (آئسہ) इसीलिए कहा जाता है कि जब हैज़ आना बन्द हो जाता है तो तौलीदी सिलसिला बिलइ़मूम ख़त्म हो जाता है, इसी तरह जब तक बच्ची को हैज़ नहीं आता वह माँ बनने की स़लाहियत से महरूम रहती है।

औ़रत पर हैज़ के अहकाम, सन् व साल के हिसाब से शुरू या ख़त्म नहीं होंगे बल्कि हैज़ के वुजूद पर लागू या ख़त्म होंगे, इसका आग़ाज़ किसी भी उ़म्र में हो जाये या किसी भी उ़मर में ख़त्म हो जाये।

✧ **हैज़ की मुद्दत या अय्यामे हैज़ :** कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा हैज़ कितने दिन आता है? इसकी कोई हद मुतअ़य्यन है न इसका कोई तअ़य्युन ही किया जा सकता है। अल्लाह तआ़ला ने सिर्फ़ ये हुक्म दिया है कि अय्यामे हैज़ में औ़रतों से किनाराकश रहो, यानी उनसे हमबिस्तरी मत करो। ये किनारा कशी कितने दिन करनी है? अल्लाह ने इसकी हद बन्दी नहीं की बल्कि ये फ़रमाया: **'पाक होने तक उनके क़रीब मत जाओ।'** (अलबक़र: 2/222) यानी ताल्लुक़े ज़ौजियत क़ायम मत करो। इससे मालूम हुआ कि मुमानिअ़त की हद मुतअ़य्यन (6, 7, 8) अय्याम नहीं बल्कि तुहुर (पाकी) है। औ़रत हैज़ से जब भी पाक हो जायेगी ख़ाविन्द का उससे ताल्लुक़ ज़न व शो (औ़रत व मर्द) क़ायम करना स़ही होगा और उनसे पहले नाजायज़ और हराम। इसलिए इसका फ़ैसला हर औ़रत अपनी आ़दत के मुताबिक़ करेगी कि उसको कितने दिन माहवारी आती है। इसके अ़लावा ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर एक औ़रत को छ: दिन माहवारी का ख़ून आता है तो हमेशा छ:

दिन ही आयेगा बल्कि उसके अय्याम भी कम व बेश हो सकते हैं, इसलिए असल फ़ैसला हैज़ के वुजूद या ख़त्म होने पर ही होगा।

✧ **हालते हमल में हैज़ और उसका हुक्म :** उलमा का एक गिरोह इस बात का क़ायल है कि हमल की हालत में हैज़ बन्द हो जाता है और यही ख़ून जनैन (पेट में बच्चे) की परवरिश के काम आता है। दूसरे उलमा की राय है कि अक्सर यही होता है कि हमल ठहरते ही हैज़ का ख़ून आना बन्द हो जाता है और ख़ून की ये बन्दिश हमल की अलामत समझी जाती है। लेकिन कुछ दफ़ा ख़िलाफ़े आदत कुछ औरतों को हमल में भी ख़ून आ जाता है। इसका बिल्कुल ही इन्कार नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी बाबत भी मसला समझ लेना ज़रूरी है।

हमल की हालत बिलउमूम 9 महीने होती है, ताहम कुछ हालात में इससे कमो बेश भी होती है। अगर ख़ून हमल के आख़िरी अय्याम में विलादत से दो तीन रोज़ पहले आये और उसके साथ दर्दे ज़ह (वो दर्द जो बच्चे की पैदाइश से पहले शुरु होता है) भी हो तो ये ख़ून हैज़ का नहीं, निफ़ास (वज़अे हमल) का है। और अगर ये ख़ून वज़अ हमल की मुद्दत से बहुत पहले आये या चंद रोज़ पहले आये लेकिन इसके साथ दर्दे ज़ह न हो तो इस सूरत में ये हैज़ का ख़ून होगा कि जिससे हैज़ के अहकाम उसके लिए साबित होंगे या ये फ़ासिद ख़ून समझा जायेगा जिससे हैज़ के अहकाम साबित नहीं होंगे? इसकी बाबत इख़्तिलाफ़ है।

जो उलमा हालते हमल में हैज़ आने के क़ायल हैं उनके नज़दीक ये हैज़ का ख़ून है बशर्ते कि ये ख़ून अपनी रंगत वग़ैरह में उस आदत के मुताबिक़ हो जो हैज़ की हालत में उस औरत की होती है, इसलिए कि इस बात की कोई दलील नहीं कि हालते हमल में हैज़ नहीं आ सकता। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (رحمہ اللہ) और दौरे हाज़िर के उलमा में से शैख़ मुहम्मद बिन सालेह उसैमीन (رحمہ اللہ) इस राय के क़ायल हैं।

ऐसी औरत पर हैज़ के तमाम अहकाम लागू होंगे सिवाए दो मसलों के। और वह दो मसले हैं: मसल-ए-तलाक़ और मसल-ए-इद्दत। हाइज़ा औरत को तलाक़ देना ममनूअ है, इसलिए कि हुक्म ये है: **'तुम उनको तलाक़ उनकी इद्दत के आग़ाज में दो।'** (अत्तलाक़ 65/1) इद्दत का आग़ाज कब होता है? जब औरत हैज़ से पाक हो जाती है, यानी तलाक़ देनी हो तो पाक होने के बाद उनसे हमबिस्तरी किये बग़ैर तलाक़ दो। नबी (ﷺ) ने भी हालते हैज़ में तलाक़ देने से मना फ़रमाया है। लेकिन हामिला हाइज़ा को तलाक़ देना जायज़ होगा, इसलिए कि उसको तलाक़ देना इस आयत

के ख़िलाफ़ नहीं होगा क्योंकि उसकी इद्दत का आग़ाज़ तुहुर (पाकी) से नहीं होता, कि उसके शुरू होने का इन्कार किया जाये, बल्कि दौराने हमल में जब भी तलाक़ दे दी जाये वही उसकी इद्दत का आग़ाज़ होता है, लिहाज़ा अगर ख़ाविन्द इस हालत में उसको तलाक़ देना चाहे तो उसके लिए तलाक़ देना जायज़ होगा।

दूसरा मस्अला इद्दत का है। उस औरत की इद्दत तीन हैज़ या तीन महीने नहीं होगी बल्कि वज़ए हमल होगी। अल्लाह तआला का फ़रमान है: **'हमल वाली औरतों की इद्दत वज़ए हमल है।'** (अत्तलाक़ 65/4)

✧ **हैज़ की मुख़्तलिफ़ सूरतों और हालतों का हुक्म :** अक्सर औरतों को अगरचे हैज़ का ख़ून आदत के मुताबिक़ आता और बंद होता है लेकिन बहुत सी औरतों की आदत में मामूली तब्दीलियाँ होती रहती हैं, जैसे:

- ये तब्दीली कुछ दफ़ा ज़्यादती या कमी की शक्ल में होती है, जैसे किसी औरत की आदत तो छ: दिन की है लेकिन सातवें दिन भी ख़ून जारी रहता है। या किसी औरत की आदत तो सात दिन की है। लेकिन कुछ दफ़ा वह छठे दिन ही में पाक हो जाती है।

- कुछ दफ़ा ये तब्दीली आगे पीछे होने की सूरत में होती है, मिसाल के तौर पर एक औरत की आदत है कि उसको महीने के आख़िर में हैज़ आता है लेकिन किसी वक़्त महीने के आग़ाज़ में हैज़ आना शुरू हो जाता है। या उसकी आदत तो महीने के शुरू की है लेकिन किसी वक़्त उसको महीने के आख़िर में हैज़ आता है।

- दोनों सूरतों का हुक्म ये है कि वह जब भी हैज़ देखेगी, हाइज़ा तसव्वुर की जायेगी और जब भी हैज़ का ख़ून बंद हो जायेगा तो पाक समझी जायेगी, चाहे आदत से एक दो दिन कम आये या ज़्यादा, महीने के आख़िर में आने के बजाये आग़ाज़ में आ जाये या आग़ाज़ में आने के बजाये आख़िर में आ जाये, हुक्म का मदार हैज़ के वुजूद या ग़ैर वुजूद पर है, कमी बेशी या आगे पीछे होने से हैज़ के अहकाम में कोई तब्दीली नहीं होगी।

- इन दो सूरतों के अलावा एक तीसरी सूरत कुछ दफ़ा ये होती है कि औरत सुर्ख़ रंग के बजाये ख़ून का रंग ज़र्द देखती है, जैसे ज़ख़्मों का पानी होता है या गदला (मटयाला) रंग देखती है जो ज़र्दी और सियाही के दरम्यान होता है। इसका हुक्म ये है कि अगर रंगत की ये तब्दीली उसके

अय्यामे हैज़ के दौरान में होती है या तुहुर से कुछ पहले हैज़ के इख़्तिताम पर होती है तो ये हैज़ ही का ख़ून शुमार होगा और हैज़ के अहकाम उस पर लागू रहेंगे। और अगर ये कैफ़ियत तुहुर के बाद होगी तो उसको हैज़ शुमार नहीं किया जायेगा। हज़रत उम्मे अ़तिय्या (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं: **'तुहुर के बाद हम मटियाले या ज़र्द रंग को कुछ नहीं समझती थीं।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 307)

- एक चौथी शक्ल ये होती है कि हैज़ का ख़ून तसल्सुल के साथ जारी नहीं रहता, एक रोज़ आता है दूसरे रोज़ नहीं आता। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं।

  - पहली सूरत ये है कि एक औरत की हालत मुस्तक़िल तौर पर ऐसी रहे। तो ये इस्तिहाज़े का ख़ून शुमार होगा और इस्तिहाज़े के अहकाम उस प्रर लागू होंगे। (जिसकी तफ़्सील इस्तिहाज़े के अहकाम में आयेगी।)

  - दूसरी सूरत ये है कि किसी वक़्त ख़ून आता है और किसी वक़्त नहीं आता, किसी वक़्त हैज़ की हालत होती है और किसी वक़्त तुहुर की। इसमें राजेह मस्लक ये है कि उसे हैज़ शुमार किया जायेगा और हैज़ के अहकाम उस पर लागू होंगे, इसलिए कि अगर उसे तुहुर शुमार किया जाये तो उसमें औरत के लिए मशक़्क़त है। उसे बार बार गुस्ल करना पड़ेगा जबकि दीन में तंगी नहीं है। इरशादे बारी तआ़ला है: **'अल्लाह ने तुम पर दीन में तंगी नहीं की है।'** (अलहज: 22/78) **'अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम्हारे साथ तंगी करना नहीं चाहता।'** (अलबक़र: 2/185) रसूलुल्लाह (ﷺ) का भी फ़रमान है: **'बिलाशुब्हा दीन आसान है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 39)

- एक पाँचवीं शक्ल ये होती है कि हैज़ का ख़ून ख़ुश्क हो जाता है और वह इस तरह कि औरत सिर्फ़ रतोबत (नमी, गिलापन) ही देखती है। ये सूरत अगर हैज़ के दौरान में होती है या तुहुर से कुछ पहले तो ये हैज़ होगा। और ये कैफ़ियत अगर तुहुर के बाद हो तो फिर ये हैज़ नहीं होगा, इसलिए कि इस सूरत को ज़्यादा से ज़्यादा सफ़रा (ज़र्द रंग) या कदरा (मटयाला रंग) के साथ ही मुल्हक़ किया जा सकता है। और तुहुर के बाद ये रंगत हैज़ में शुमार नहीं होती।

- एक छठी शक्ल ये होती है कि मिसाल के तौर पर पहले चार दिन मुसल्सल ख़ून आये, उसके बाद बन्द हो जाये, सातवें दिन फिर ख़ून शुरू हो जाये और फिर बारहवें दिन तक मटयाले रंग का ख़ून आता रहे। इसका क्या हुक्म है? शैख़ इब्ने बाज़ (رحمه الله) ने इसका हुक्म ये बताया है

कि पहले चार दिन और दूसरे छ: दिन ये हैज़ के दिन शुमार होंगे। दरम्यान के दो दिन हैज़ के दिन शुमार नहीं होंगे। उनमें वह ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ेगी और ख़ाविन्द के साथ ताल्लुक़ क़ायम करना भी जायज़ होगा। इस सूरत में ये मालूम हुआ कि हैज़ के अय्याम अगरचे ज़्यादा तर मुसल्सल ही होते हैं लेकिन कुछ दफ़ा दो हिस्सों में तक़सीम होकर अलग अलग भी आ सकते हैं।

- सातवीं शक्ल ये भी होती है कि औरत अपनी आदत के मुताबिक़ 5 या 6 दिन हैज़ के गुज़ार के पाक हो जाती है लेकिन ग़ुस्ल के फ़ौरन बाद इन्तिहाई क़लील मिक़्दार (बहुत थोड़ी मात्रा) में ख़ून आ जाता है और फिर बन्द हो जाता है। इसको क्या शुमार किया जायेगा? तहारत, यानी ग़ुस्ल के बाद आने वाला ख़ून अगर ज़र्द या मटयाले रंग का हो तो वह ग़ैर मोतबर होगा, यानी उसे पेशाब की तरह समझा जायेगा। लेकिन अगर वह हैज़ के ख़ून की तरह ख़ालिस सुर्ख़ रंग का ख़ून है तो वह हैज़ ही का ख़ून समझा जायेगा और हैज़ के अहकाम उस पर आयद होंगे। इसी तरह आदत से एक दो रोज़ पहले सियाही मायल ख़ून आये, इसमें हैज़ के ख़ून की तरह की कैफ़ियत और दर्द हो तो वह हैज़ ही का ख़ून होगा।

- आठवीं शक्ल, एक औरत पचास साल से ज़्यादा उम्र की है। उसे हर महीने या दो तीन महीने के बाद दो तीन दिन शिद्दत से ख़ून आता हे, बाक़ी अय्याम में कम। क्या ये ख़ून हैज़ का होगा? कबरे सनी (बड़ी उम्र) या बेक़ायदगी की वजह से ये हैज़ का ख़ून नहीं बल्कि फ़ासिद ख़ून शुमार होगा। जब औरत इस उम्र को पहुँच जाये या उसकी माहाना (मासिक) आदत बेक़ायदा हो जाये तो उससे हैज़ और हमल का सिलसिला मुन्क़तअ हो जाता है, लिहाज़ा ऐसी औरत से मज़कूरा तरीक़े से आने वाला ख़ून हैज़ का नहीं इस्तिहाज़े का ख़ून शुमार होगा जिसके अहकाम इस्तिहाज़े के बयान में दर्ज होंगे।

✧ **हैज़ ख़त्म होने की अलामत और पहचान :** हैज़ ख़त्म होने का इल्म वैसे तो हर औरत को अपनी आदत के मुताबिक़ हो जाता है, ताहम इश्तिबाह (शको-शुब्हा) की सूरत में दो अलामतों से भी इसका फ़ैसला किया जाता है।

- पहली अलामत, सफ़ेद पानी का ख़ारिज होना है। अगरचे औरतों के हालात के इख़्तिलाफ़ से इस पानी का रंग मुख़्तलिफ़ हो सकता है, ताहम अक्सरियत और उमूमियत के ऐतबार से ये चूने की तरह सफ़ेद रंग का पानी होता है।

दूसरी अलामत, ख़ुश्की है, यानी शर्मगाह में कपड़े का टुकड़ा या रूई या टिशू पेपर डाल कर निकाले तो वह ख़ुश्क निकले, उस पर न ख़ून का असर हो और न ज़र्द या मटयाले रंग के माद्दे ही का।

हैज़ के ज़रूरी अहकाम :

- हैज़ का ख़ून बन्द होने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है। ये गुस्ल उसी तरह करे जिस तरह जनाबत का गुस्ल होता है, अलबत्ता सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि गुस्ले हैज़ करते वक़्त अगर सर के बाल चोटी की शक्ल में बंधे हुए हों तो उनको खोलना ज़रूरी है। क्योंकि पानी बालों की जड़ों तक पहुँचाना लाज़िम है। बाल ख़ुश्क नहीं रहने चाहिए अगर कुछ बाल ख़ुश्क रह जायें तो गुस्ल ना'मुकम्मल होगा। कुछ उलमा गुस्ले हैज़ में चोटी के बाल न खोलने के क़ायल हैं लेकिन दलाइल की रू से राजेह और दुरुस्त मौक़फ़ यही है कि गुस्ले हैज़ में बालों को खोला जाये। वल्लाहु आलम। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: किताबुल गुस्ल वत्तयम्मुम का इब्तेदाइया।

- अगर मर्द ने औरत के साथ हमबिस्तरी की और अभी औरत ने जनाबत का गुस्ल नहीं किया कि उसको हैज़ आना शुरू हो गया। अब उसके लिए जनाबत का गुस्ल ज़रूरी है या नहीं?

  गुस्ल का मक़सद तहारत हासिल करना हैं जब वह हाइज़ा हो गई है तो ज़ाहिर बात है कि गुस्ले जनाबत से उसको तहारत तो हासिल नहीं होगी, गुस्ल के बाद भी वह हैज़ की वजह से नापाक ही रहेगी, इसलिए अगर वह अय्यामे हैज़ गुज़ार कर गुस्ल करेगी तो ये गुस्ले हैज़ और जनाबत दोनों से पाकीज़गी हासिल करने के लिए काफ़ी होगा, दो नापाकियों से पाकीज़गी हासिल करने के लिए एक गुस्ल काफ़ी है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक शख़्स अपनी एक बीवी से हम बिस्तरी करे और गुस्ले जनाबत से पहले दूसरी बीवी से हम बिस्तरी करके बाद में दोनों जनाबतों से पाकीज़गी हासिल करने के लिए एक ही गुस्ल कर ले। ऐसा करना जायज़ है और उससे वह यक़ीनन पाक हो जायेगा। ख़ुद नबी (ﷺ) का ये अमल साबित है कि तमाम बीवियों से सोहबत करने के बाद एक ही गुस्ल किया।

- ज़्यादा सफ़ाई और पाकीज़गी हासिल करने के लिए मुस्तहब है कि पानी में बेरी के पत्ते डाल कर पानी गर्म कर लिया जाये। लेकिन अब इसकी जगह साबुन किफ़ायत कर सकता है। मक़सद अच्छी तरह सफ़ाई हासिल करना है।

- ये पहले बयान हो चुका है कि औरत हैज़ से पाक हो जाये लेकिन ग़ुस्ल करने के लिए पानी दस्तयाब न हो या बीमारी वग़ैरह की वजह से पानी के इस्तेमाल में नुक़सान का ख़तरा हो तो इस सूरत में औरत तयम्मुम करके भी पाक हो सकती है और मर्द का उसके साथ ताल्लुक़े ज़ौजियत क़ायम करना भी सही होगा।

- ग़ुस्ले हैज़ के बाद ख़ुशबू का इस्तेमाल भी मुस्तहब है ताकि हैज़ की बू के असरात ख़त्म हो जायें।

- हैज़ से पाक होने के बाद ग़ुस्ले तहारत में ताख़ीर न करे, अगर नमाज़ के वक़्त के दौरान में पाक हो गई है तो फ़ोरन ग़ुस्ल करके वह नमाज़ पढ़े। अगर सफ़र में हो और वहाँ पानी दस्तयाब (मयस्सर) न हो या पानी तो हो लेकिन बीमारी वग़ैरह की वजह से पानी का इस्तेमाल उसके लिए नुक़सान का बाइस हो तो ग़ुस्ल के बजाये तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले।

- हैज़ के शुरू होते ही औरत के लिए नमाज़ माफ़ है, जब तक हैज़ बन्द नहीं होगा उस वक़्त तक उसको ये माफ़ी हासिल हैं फ़र्ज़ नमाज़ के अलावा नफ़ल नमाज़ भी पढ़ना उसके लिए जायज़ नहीं। हाँ, पाक होते ही नमाज़ उस पर फिर बिलाताख़ीर फ़र्ज़ हो जायेगी, चाहे वह नमाज़ के अव्वल वक़्त में पाक हो या आख़िर वक़्त में। दौराने हैज़ में फ़ौत हो जाने वाली नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है।

- हैज़ के अय्याम में औरत को रोज़ा रखने की भी इजाज़त नहीं है, यहाँ तक कि अगर रोज़े की हालत में उसको हैज़ का ख़ून आना शुरू हो जाये तो उसका रोज़ा टूट जायेगा चाहे वक़्ते इफ़्तार से चन्द लम्हे पहले ही उसको हैज़ शुरू हो। और अगर छूटने वाले रोज़े रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े हों तो उनकी क़ज़ा ज़रूरी है, ताहम नफ़ली रोज़ा अगर इस हालत में टूट जाये तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता अगर कोई उसकी क़ज़ा देना चाहे तो जायज़ है।

हैज़ की हालत में नमाज़ व रोज़े की मुमानिअत नीचे दी गई हदीस़ से स़ाबित है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'क्या ऐसा नहीं है कि औरत जब हाइज़ा होती है तो न नमाज़ पढ़ती है और न रोज़ा रखती है, पस ये उसके दीन की कमी (की दलील) है।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1951) और नमाज़ की क़ज़ा नहीं सिर्फ़ रोज़ों की क़ज़ा है। इसकी दलील हज़रत आयशा (ؓ) की हदीस़ है: **'हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता था, नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 263)

○ हैज़ की हालत में ख़ाविन्द बीवी के साथ एक ही कपड़े में लेट सकता है और उसके साथ मुबाशिरत कर सकता है। मुबाशरत का मतलब उसके साथ बग़लगीर होना, मुआनक़ा करना और बोसो किनार करना है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिमा के अलावा हर काम तुम्हारे लिए जायज़ है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 258) अल्लाह तआला का फ़रमान है: **'हैज़ की हालत में औरतों से किनाराकश रहो।'** (अलबक़र: 2/222) ये किनाराकश सिर्फ़ जिमा (हमबिस्तरी) से है। इसके अलावा औरत के साथ हर मामला जायज़ है और हर तरह का ताल्लुक़ क़ायम करना हलाल है, उसके हाथ का पका हुआ खाना सही है और उसके साथ बैठ कर खाना पीना जायज़ है।

○ ख़ाविन्द का हाइज़ा बीवी से उस वक़्त तक हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है जब तक वह हैज़ से पाक नहीं हो जाती है। फ़रमाने बारी तआला है: **'तुम उन औरतों के क़रीब मत जाओ (यानी उनसे हम बिस्तरी मत करो) यहाँ तक कि वह पाक हो जायें, जब वह पाक हो जायें तो तुम उनके पास वहाँ से आओ जहाँ से आने का तुम्हें अल्लाह ने हुकम दिया है।'** (अलबक़र: 2/222)

पाक होने का मतलब है कि जब हैज़ का ख़ून बन्द हो जाये और उसके बाद वह ग़ुस्ल कर ले, यानी ख़ून बन्द होने के बाद ग़ुस्ल करना भी ज़रूरी है, फिर वह पाक ख़्याल की जाएगी होगी और ख़ाविन्द का उसके साथ ताल्लुक़ क़ायम करना जायज़ होगा।

कुछ उलमा के नज़दीक ग़ुस्ल ज़रूरी नहीं है, इन्क़ताअे दम (हैज़ का खून बन्द होना) के साथ हीं औरत पाक हो जायेगी और ग़ुस्ल से पहले भी ख़ाविन्द का उसके साथ ताल्लुक़ क़ायम करना जायज़ होगा। औरत सिर्फ़ मौज़अे दम (शर्मगाह) धो ले या वुज़ू कर ले, इन दोनों से भी उसे इसी तरह तहारत हासिल हो जायेगी जैसे ग़ुस्ल से हासिल होती है। इमाम इब्ने हज़्म, शैख़ अल्बानी और दीगर कुछ अइम्मा इसके क़ायल हैं। देखिये: (अलमहल्ली: 2/171, व आदाबुज़्ज़िफ़ाफ़, सफ़ा: 26-28) लेकिन जुम्हूर उलमा के नज़दीक ग़ुस्ल के बग़ैर ख़ाविन्द का इससे ताल्लुक़ क़ायम करना जायज़ नहीं है। यही राय ज़्यादा मुहतात और राजेह है। वल्लाहु आलम। अलबत्ता पानी के दस्तयाब (मयस्सर) न होने की सूरत में या पानी के इस्तेमाल की क़ुदरत न रखने की सूरत में तयम्मुम भी तहारत के लिए काफ़ी होगा जैसा कि पहले उसकी वज़ाहत गुज़र चुकी है।

❍ औरत जिस लिबास में हाइज़ा हुई हो, पाक होने के बाद उस लिबास में उसके लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ है बशर्ते कि उसमें हैज़ का ख़ून न लगा हुआ हो, अगर लगा हुआ हो तो मुताल्लक़ा हिस्सा धो लिया जाये और बाक़ी पर छींटें मार लिए जायें। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 307, 308)

❍ हाजी के लिए ज़रूरी है कि हज से फ़राग़त के बाद वापसी से पहले तवाफ़े विदा भी करे लेकिन औरत ने अगर (10 ज़िल्हिज्जा को) तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया हो और उसके बाद उसको अय्यामे हैज़ शुरू हो गये हों तो उसके लिए तवाफ़े विदा ज़रूरी नहीं, वह उसके बग़ैर भी वापस आ सकती है, उसका हज मुकम्मल ही है।

❍ औरत रमज़ानुल मुबारक में फ़ज्र से पहले अगर पाक हो जाये तो वह गुस्ल किये बग़ैर सहरी खा कर रोज़ा रख सकती है, ताहम नमाज़ के लिए गुस्ल ज़रूरी होगा। ये मसला पहले भी बयान हो चुका है।

❍ किसी औरत को किसी नमाज़ के अव्वल वक़्त या आख़िरी वक़्त में हैज़ या निफ़ास का ख़ून शुरू हो गया जबकि उसने वह नमाज़ नहीं पढ़ी तो कुछ उलमा कहते हैं कि पाक होने के बाद वह उस नमाज़ की क़ज़ा देगी। लेकिन सही बात ये है कि उस पर कोई क़ज़ा नहीं, इसलिए कि नबी (ﷺ) ने किसी औरत को इस क़िस्म का कोई हुक्म नहीं दिया।

❍ अगर कोई औरत किसी नमाज़ के आख़िरी वक़्त में पाक हुई कि उस वक़्त में एक रकअत की अदायगी भी ना'मुमकिन थी और गुस्ल करते करते उस नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो गया तो उस पर भी उस नमाज़ की क़ज़ा नहीं। मिसाल के तौर पर एक औरत ज़ुहर के आख़िरी वक़्त में अस्र का वक़्त शुरू होने से कुछ देर पहले पाक हुई, गुस्ल करते हुए ज़ुहर का वक़्त ख़त्म और अस्र का शुरू हो गया तो उसके लिए सिर्फ़ अस्र की नमाज़ पढ़ लेना काफ़ी है। ज़ुहर और अस्र दोनों नमाज़ें पढ़नी ज़रूरी नहीं जैसा कि जुम्हूर अहले इल्म कहते हैं।

❍ इसी तरह कुछ उलमा कहते हैं कि अगर कोई औरत सूरज ग़ुरूब होने से पहले हैज़ या निफ़ास के ख़ून से पाक हो जाये तो उसके लिए ज़ुहर और अस्र दोनों नमाज़ों का पढ़ना ज़रूरी होगा। और अगर रात को तुलूअे फ़ज्र से पहले पाक हो तो उसके लिए मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ों का पढ़ना लाज़िमी होगा। लेकिन ये मसला किसी हदीस से साबित नहीं है। शरई दलाइल से तो यही

मालूम होता है कि जिस नमाज़ के वक़्त औरत पाक हो, उसी नमाज़ का पढ़ना उसके लिए ज़रूरी है। उससे मुत्तसल (जुड़ी हुई) नमाज़ का पढ़ना ज़रूरी नहीं है।

- हैज़ की हालत में अगर ख़ाविन्द बीवी से हमबिस्तरी (जिमा) करना चाहे तो बीवी के लिए ज़रूरी है कि वह उसकी ख़्वाहिश पूरी करने से सख़्ती के साथ इंकार कर दे, इसलिए कि जहाँ ख़ालिक़ की नाफ़रमानी लाज़िम आती हो वहाँ मख़्लूक़ की इताअत ज़रूरी नहीं बल्कि इंकार ज़रूरी है।

- ख़ाविन्द इस हालत में अपनी जुन्बी ख़्वाहिश पूरी करने में ज़बरदस्ती करेगा तो वह सख़्त गुनाहगार होगा, ताहम औरत मजबूर होने की वजह से माज़ूर होगी, उसके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार काफ़ी है।

- हालते हैज़ में बीवी से जिमा करने का कफ़्फ़ारा एक हदीस़ में एक दीनार या निस्फ़ दीनार बतलाया गया है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 264) हदीस़ में दीनार या आधे दीनार का जो इख़्तियार दिया गया है उसकी बाबत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास(ﷺ) ने सराहत फ़रमाई है कि दीनार उस वक़्त जब वह इब्तेदा-ए-हैज़ में जिमा करे और निस्फ़ (आधा) दीनार उस वक़्त जब वह हैज़ के आख़िरी दिनों में जिमा करे। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 265) शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने इसे मौक़ूफ़न् सही क़रार दिया है। देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद, रक़म: 258) जबकि कुछ उलमा इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि दीनार और निस्फ़ दीनार का इख़्तियार ग़ालिबन माली हैसियत के पेशे नज़र है। ज़्यादा हैसियत वाला एक दीनार और कम हैसियत वाला निस्फ़ दीनार दे। वल्लाहु आलम। इस सदक़े की वजह ये है: **'नेकियाँ बुराईयों को दूर कर देती हैं'** (हूद: 11/114) एक दीनार का वज़न कमो बेश साढ़े चार माशे सोना है जो जदीद आशारी निज़ाम (दशमलव निज़ाम) के मुताबिक़ 4 ग्राम 374 मिली ग्राम सोना बनता है। इतने सोने की क़ीमत फ़ुक़रा व मसाकीन पर सदक़ा करना है।

- अगर कोई औरत हज पर गई है और वहाँ उसने तवाफ़ कर लिया है, तवाफ़ के बाद वह हाइज़ा हो गई तो वह हज के बक़िया अरकान व मनासिक अदा करे। लेकिन अगर वहाँ पहुँचते ही हाइज़ा हो गई तो उसके लिए तवाफ़ करना जायज़ नहीं है। तवाफ़ के अलावा बाक़ी मनासिके हज अदा करे। हज़रत आयशा (ﷺ) के साथ ऐसा ही मामला पेश आया था तो रसूलुल्लाह

(ﷺ) ने उनसे फ़रमाया था: **'तुम वह सारे काम करो जो हाजी करते हैं सिवाए बैतुल्लाह के तवाफ़ के, यहाँ तक कि तुम पाक हो जाओ।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1650)

बाद में वह तवाफ़ उस वक़्त करेगी जब वह पाक हो जायेगी। हज़रत आयशा (ﷺ) ने भी तवाफ़ पाक होने के बाद किया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं: **'हज़रत आयशा (ﷺ) हाइज़ा हो गईं तो उन्होंने हज के तमाम अफ़आल (काम) अदा किये सिवाए बैतुल्लाह के तवाफ़ के, फिर जब वह पाक हो गईं तो बैतुल्लाह का तवाफ़ किया।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1651)

यानी इस सूरत में औरत के लिए हज की तर्तीब उलटी हो जायेगी। आम लोग पहले उमरा करते, फिर हज करते हैं, हाइज़ा पहले हज के अरकान अदा करेगी और पाक होने के बाद तवाफ़ और सई करके उमरा करेगी, यानी उसका ये हज्जे तमत्तोअ के बजाये हज्जे क़िरान होगा।

- 10 ज़िल्हिज्जा को तवाफ़े इफ़ाज़ा करना, जिसे तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं, हज के तकमील के लिए ज़रूरी है, अगर हाइज़ा 10 ज़िल्हिज्जा तक पाक न हो और इस वजह से तवाफ़े इफ़ाज़ा न कर सके तो उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, तवाफ़े इफ़ाज़ा के लिए उसे रुकना पड़ेगा या दोबारा मक्का आना पड़ेगा। इसके अलावा वह जब तक दोबारा आकर तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं कर लेगी, वह हालते एहराम ही में रहेगी और एहराम की पाबन्दियाँ उस पर आयद रहेंगी, जैसे ख़ाविन्द के साथ हमबिस्तरी वग़ैरह करना उसके लिए ममनूअ (मना) होगा।
- हैज़ की वजह से औरत तवाफ़े विदा न कर सके तो उसकी उसको रुख़सत है, अलबत्ता तवाफ़े इफ़ाज़ा के लिए दोबारा आये तो तवाफ़े इफ़ाज़ा के साथ तवाफ़े विदा की भी नियत कर ले। और ज़्यादा बेहतर ये है कि मीक़ात के क़रीब या मीक़ात पर आकर उमरे की नियत करके एहराम बाँधे और मक्का आकर उमरा कर ले और उसके बाद बाक़ी मान्दा तवाफ़े इफ़ाज़ा कर ले, इसके बाद ही उसका हज मुकम्मल होगा, अलबत्ता तवाफ़े इफ़ाज़ा के बग़ैर सफ़र करने और दोबारा पलट कर आने में उस पर कोई फ़िदया नहीं बढ़ेगा। (फ़तावा व रसाइल अश्शैख़ मुहम्मद बिन इब्राहीम (رحمه الله): 6/61, 62)
- सफ़रे हज के आग़ाज़ ही में अगर औरत हाइज़ा हो जाये तो वह इसी हालत में ग़ुस्ल करके एहराम बाँध सकती है, अलबत्ता इस मौक़े पर वह दो रकअत नमाज़ नहीं पढ़ सकती जिसे लोग

एहराम बाँधते वक़्त ज़रूरी समझते हैं हालांकि ये दो रकअतें इस मौक़े पर शरअन ज़रूरी नहीं हैं, इसके बग़ैर भी एहराम बाँधना बिल्कुल सही है।

- हालते हैज़ में औरत को तलाक़ देना क़ुर्आन व हदीस़ के ख़िलाफ़ है जैसा कि पहले इसकी कुछ तफ़्सील गुज़र चुकी है, अलबत्ता तलाक़े ख़ुलअ हर हालत में जायज़ है चाहे औरत हाइज़ा हो या पाक।

- हालते हैज़ में अक़्दे निकाह जायज़ है, इसलिए कि इसकी मुमानिअत की कोई दलील नहीं, अलबत्ता ख़ाविन्द के लिए पाक होने तक उससे मियाँ बीवी वाला ख़ास ताल्लुक़ क़ायम करना जायज़ नहीं है, सिर्फ़ बोसो किनार और मुआनक़ा वग़ैरह कर सकता है।

- हाइज़ा औरत मुर्दा औरत को ग़ुस्ल दे सकती है। हदीस़ में आता है, हज़रत आयशा(رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना सर मुबारक मस्जिद में खड़े होकर बाहर निकालते जबकि आप ऐतकाफ़ में बैठे होते। मैं आपका सर धो दिया करती थी हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 296, 301) एक दूसरी हदीस़ में हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ा दो।' मैंने कहा: मैं तो हैज़ से हूँ, आपने फ़रमाया: 'मुझे पकड़ा दो! इसलिए कि हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 298) इसी तरह हदीस़: **'मुसलमान नापाक नहीं होता।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 371) से भी इस्तिदलाल किया जा सकता है। इन दलाइल की रोशनी में कहा जा सकता है कि हाइज़ा मुर्दे को ग़ुस्ल दे सकती है।

हाइज़ा औरत अय्यामे हज में अपना हैज़ ख़त्म करने के लिए अगर ऐसी दवाई इस्तेमाल करे जिससे उसका हैज़ बन्द हो जाये तो ऐसा करना जायज़ है बशर्ते कि वह स़ेहत और जान के लिए किसी ख़तरे का बाइस़ न हो, जैसे एक औरत 10 ज़िल्हिज्जा तक पाक न हो सके जबकि उसने उससे पहले के मनासिके हज अदा कर लिए हैं। अब 10 ज़िल्हिज्जा को उसके लिए तवाफ़े इफ़ाज़ा ज़रूरी है, इसके बग़ैर उसका हज मुकम्मल नहीं होगा। इसके अलावा वह पाक होने का इन्तिज़ार करती है तो उसके लिए सफ़री मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि आज कल वापसी की तारीख़ें भी मुक़र्रर होती हैं। इस सूरत में वह दवाई खा ले, ख़ून बन्द होने के बाद वह ग़ुस्ल करके पाक हो जाये और तवाफ़े इफ़ाज़ा कर ले और नमाज़ें वग़ैरह भी अदा कर ले।

- इसी तरह सफ़रे हज के आग़ाज़ में वह इस क़िस्म की मानेअ हैज़ (हैज़ रोकने वाली) दवाई खा ले ताकि दौराने हज में हैज़ उसके लिए रुकावट न बने तो इस शर्त के साथ ये भी जायज़ है।

- रमज़ानुल मुबारक में भी कुछ सऊदी उलमा ने मानेअ हैज़ दवाई खाने की इजाज़त दी है ताकि रमज़ान के रोज़े मुकम्मल रखे जा सकें। लेकिन हमारे ख़्याल में ये फ़तवा सही नहीं है, इसे हज पर क़यास करके इसके जवाज़ का फ़तवा देना महल्ले नज़र है, इसलिए कि हज में तो मामला इज़्तिरार (मजबूरी) की हद तक पहुँच जाता है, याद रहें वहाँ हैज़ को बन्द करने या रोकने का जवाज़ क़ाबिले फ़हम है। लेकिन रमज़ान में इज़्तिरार की कोई सूरत नहीं, महज़ तकमीले सियाम (रोज़ों को मुकम्मल करने) की ख़्वाहिश और उसका शौक़ है। लेकिन चूंकि इसमें तग़य्युरे ख़ल्क़ (فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) का मफ़हूम पाया जाता है, लिहाज़ा महज़ शौक़ तकमीले सियाम इसके जवाज़ के लिए कोई माक़ूल दलील नहीं। रमज़ान के रोज़ों का जो फ़ितरी तरीक़ा है जिसमें औरत को चन्द रोज़े ज़रूर छोड़ने पड़ते हैं, वही औरत के लिए शरई तरीक़ा है, इसमें बिलावजह दवाईयों के ज़रिये से तब्दीली करना शरई लिहाज़ से महल्ले नज़र है।

  इसके अलावा तिब्बी नुक़्त-ए-नज़र से भी मानेअ हैज़ गोलियाँ और दवाईयाँ रहम और हैज़ मुक़र्ररह वक़्त के लिए नुक़सानदेह हैं। इनसे रहम में भी बिगाड़ पैदा होता है और कुछ दफ़ा औरत बाँझ तक भी हो जाती है। इसी तरह हैज़ की आदत में भी बिगाड़ पैदा हो जाता है जिससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस ऐतबार से मानेअ हैज़ गोलियों का इस्तेमाल शरई और तिब्बी दोनों लिहाज़ से यक्सर ग़लत है और उन्हें बवक़्ते ज़रूरत हज के अलावा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

✧ **मानेअ हमल गोलियों का इस्तेमाल :** इसी तरह मानेअ हमल गोलियों का इस्तेमाल है, ये भी न मुतलक़न जायज़ है और न मुतलक़न ममनूअ (मना) बल्कि इसकी मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। कुछ बिल्कुल ममनूअ हैं और कुछ सूरतों में चन्द शराइत के साथ इसका जवाज़ है, जैसे: कोई औरत इसलिए ये गोलियाँ इस्तेमाल करे कि मुस्तक़िल तौर पर उसके हमल का मसला ख़त्म हो जाये, उसे कभी भी हमल न ठहरे, ऐसा करना बिल्कुल नाजायज़ है, इसलिए कि नबी(ﷺ) ने तकसीरे उम्मत की तर्ग़ीब दी है और ये अमल तक़लीले उम्मत का बाइस है। ये बर्थ कन्टरोल (ज़ब्ते विलादत या ख़ानदानी मन्सूबाबन्दी) की वह सूरत है जिसका इस्लाम में क़तअन कोई जवाज़ नहीं है, बल्कि हराम है।

दूसरी सूरत ये है कि आरज़ी तौर पर हमल रोकने के लिए मानेअ़ हमल गोलियाँ इस्तेमाल की जायें, ये कुछ सूरतों में जायज़ हैं बशर्ते कि इनका इस्तेमाल सेहत और जान के लिए ख़तरे का बाइस़ न हो, जैसे: किसी औरत को बहुत जल्दी जल्दी हमल ठहर जाता है, उसका दो बच्चों के दरम्यान वक़्फ़ा बहुत कम होता है जिसकी वजह से बच्चों की रज़ाअ़त व निगेहबानी भी ख़ातिर ख़्वाह नहीं हो पाती। दूसरा ख़ुद औरत की सेहत भी कस़रते हमल की मुस्तमिल (बर्दाश्त) नहीं होती बल्कि चन्द बच्चों की पैदाइश के बाद मुनासिब वक़्फ़े के बग़ैर हमल का ये तसल्सुल उसकी हलाकत का बाइस़ बन सकता है। ऐसी औरत के लिए दो शर्तों के साथ मुनासिब वक़्फ़े के लिए मानेअ़ हमल गोलियों का इस्तेमाल जायज़ हैं वह दो शर्तें ये हैं: (1) ख़ाविन्द की इजाज़त उसे हासिल हो। (2) उसकी सेहत और जान को ख़तरा न हो।

इसके जवाज़ की दलील ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सहाब-ए-किराम (ﷺ) अपनी बीवियों और लौण्डियों से अ़ज़्ल करते थे लेकिन नबी (ﷺ) ने बावुजूद इल्म के और पूछे जाने के, मना नहीं फ़रमाया। और अ़ज़्ल का मतलब ये है कि ख़ाविन्द अपनी बीवी से जिमा करे और इन्ज़ाल के वक़्त उससे अलग हो जाये ताकि मनी उसके रहम के अन्दर न जाये और उसे हमल न ठहरे। लेकिन उन औरतों के लिए मानेअ़ हमल गोलियों के इस्तेमाल का कोई जवाज़ नहीं है जो इस सूरते हाल से दोचार नहीं हैं, बल्कि वह हमल से सिर्फ़ इसलिए बचना चाहती हैं कि :-

- उनके हुस्न व जमाल पर कोई अस़र न पड़े।
- चलते हुए नअ़रे और फ़ैशन के मुताबिक़ दो तीन बच्चों से ज़्यादा बच्चे पैदा करना पसन्द नहीं करतीं।
- ज़्यादा बच्चों की पैदाइश पर फ़िक्रमन्द होती हैं कि उनको कहाँ से खिलाये पिलायेंगी और उनकी तालीम व तर्बियत का इन्तिज़ाम कैसे करेंगी? ये सोच तवक्कल इलल्लाह के मनाफ़ी है जो मुसलमान के शायाने शान नहीं।

ये और इस क़िस्म के तस़व्वुरात के तहत हमल से बचाव की तदाबीर इख़्तियार करना जायज़ नहीं है।

✧ **हाइज़ा का क़ुरआने करीम की तिलावत करना :** इस मसले की बाबत उ़लमा की मुख़्तलिफ़ राय हैं लेकिन दलाइल की रू से राजेह और दुरुस्त बात ये है कि हैज़ व जनाबत की

हालत में क़ुर्आन पढ़ना कराहते तहरीमी नहीं, कराहते तन्ज़ीही है। जिसका मतलब ये है कि इन हालतों में क़ुर्आन पढ़ने और छूने से इज्तिनाब बेहतर है, ताहम पढ़ और छू लिया जाये तो जायज़ है। ये राय दो लिहाज़ से राजेह है। अव्वल ये कि जुम्हूर उलमा जो मुतलक़न मुमानिअत के क़ायल हैं उनके पास अपने मौक़फ़ को साबित करने के लिए कोई सही हदीस़ और वाज़ेह नस़ (दलील) नहीं है। जिन अहादीस़ से इस्तिदलाल किया गया है वह सब ज़ईफ़ हैं। और एक आध हदीस़ जो सही है वह मुहतमिल अलमाना (समझने के लायक) है, इसलिए वह भी नस़े स़रीह या दलीले क़ातेअ नहीं बन सकती। इसी तरह इमाम बुख़ारी, इमाम इब्ने हज़्म और दीगर अइम्मा जो मुतलक़न जवाज़ के क़ायल हैं उनके पास भी कोई वाज़ेह दलील नहीं है, उनका इस्तिदलाल सिर्फ़ उमूमे अल्फ़ाज़ पर मबनी है, इसलिए उससे मुतलक़न जवाज़ का मफ़हूम लेना महल्ले नज़र है क्योंकि उमूम के बावुजूद हदीस़ में मिलता है कि नबी (ﷺ) ने क़ज़ा-ए-हाजत से फ़राग़त के बाद जब तक वुज़ू नहीं कर लिया, सलाम का जवाब देना पसन्द नहीं फ़रमाया। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 17) जिससे मालूम होता है कि (يذكر الله على كل أحيانه) के उमूम के बावुजूद नबी (ﷺ) ने कुछ हालतों में मुहतात (एहतियात बख़्श) रवय्या इख़्तियार किया है, इससे यक़ीनन कराहते तन्ज़ीही का सुबूत मिलता है क्योंकि कराहते जवाज़ के मनाफ़ी नहीं, चुनांचे शैख़ अल्बानी (رحمه الله) अबू दाऊद की इस हदीस़ के हवाले से तहरीर करते हैं: 'पेशाब से फ़राग़त के बाद नबी (ﷺ) का सलाम करने वाले को ये जवाब देना कि **'मैं इस बात को नापसन्द करता हूँ कि बग़ैर तहारत के अल्लाह का ज़िक्र करूं।'** ये इस बात की स़रीह दलील है कि जुन्बी के लिए क़िराअते क़ुर्आन मकरूह है, इसलिए कि हदीस़ में ये बात सलाम का जवाब देने के ज़िम्न में आई है जैसा कि अबू दाऊद वग़ैरह में सही सनद से मरवी है। चुनांचे क़ुर्आन तो सलाम से औला (बुलन्द) है जैसा कि ज़ाहिर है। और कराहत, जवाज़ के मनाफ़ी नहीं जैसा कि मारूफ़ है, इसलिए इस हदीसे सही की वजह से कराहत वाली राय का इख़्तियार करना ज़रूरी है और अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सब अक़्वाल में से सबसे ज़्यादा इन्साफ़ पर मबनी राय है।' देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्स़हीहा लिल अल्बानी: 2/489, रक़्म: 834)

आज कल हर जगह मदरसतुल बनात (बच्चियों के तालीमी मदारिस) आम हो गये हैं, हिफ़्ज़े क़ुर्आन के भी और दीनी उलूम की तदरीस के भी। मुतलक़न मुमानिअत और ग़ैर जवाज़ के फ़तवों पर अमल से इन मदारिस में पढ़ने वाली तालिबात और पढ़ाने वाली उस्तानियों को जो मुश्किलात पेश आ सकती हैं वह मोहताजे वज़ाहत नहीं। ये फ़िक़ही इस्तिलाह में गोया उमूम बलवा की सूरत पैदा हो गई

है जिसमें फ़ुक़हा जवाज़ का फ़तवा देते हैं। ग़ालिबन इसीलिए अस्रे हाज़िर के कुछ उन किबार उ़लमा ने भी, जो अ़दमे जवाज़ के क़ायल हैं, मदारिसे दीनिया में ज़ेरे तालीम तालिबात और उनमें पढ़ाने वाली उस्तानियों (औरत उस्ताद) के लिए जवाज़ का फ़तवा दिया है। चुनांचे शैख़ मुहम्मद बिन सालेह उ़सैमीन (رحمه الله) तहरीर फ़रमाते हैं: 'इस मसले में उ़लमा का इख़्तिलाफ़ जानने के बाद यही बात ज़्यादा शायान है कि ये कहा जाये कि हाइज़ा के लिए बेहतर यही है कि वह क़ुरआने करीम ज़बान से न पढ़े, सिवाए ज़रूरत व हाजत के, जैसा कोई उस्तानी (मुअ़ल्लिमा) है, उसके लिए तालिबात को पढ़ाना उसकी ज़रूरत है या इम्तिहान के मौक़े पर ख़ुद तालिबात की भी, इम्तिहान देने के लिए क़ुरआने करीम का पढ़ना, एक ज़रूरत है या इस क़िस्म की कोई और ज़रूरत हो (तो हाइज़ा के लिए क़ुरआने करीम का पढ़ना जायज़ है) (मजमूअ़ फ़तावा व रसाइल शैख़ हम्द बिन सालेह अल्उसैमीन: 11/311)

याद रहें ये हालात और ज़रूरियात इस बात की मुतक़ाज़ी हैं कि जवाज़ के फ़तवा को तस्लीम किया जाये, बिलख़ुसूस जब कि दलाइल के उ़मूम से इसकी ताईद होती है न कि तर्दीद। इसके अ़लावा जब कि मुमानिअ़त के दलाइल भी सेहत व इस्तिनाद के ऐतबार से महल्ले नज़र हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये तो कहा जा सकता है कि हाइज़ा और जुन्बी अगर इज्तिनाब कर सकें तो बेहतर है, बसूरते दीगर जवाज़ से मुफ़र (छुटकारा, निजात) नहीं। वल्लाहु आलम!

इस्तिहाज़ा और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बालिग़ होने के बाद हर औरत को हर महीने चन्द दिन ख़ून आता है जिसे हैज़ कहा जाता है। इसके ज़रूरी मसाइल गुज़िश्ता सफ़हात में बयान हो चुके हैं। कुछ दफ़ा कुछ औरतों को इसके अ़लावा भी ख़ून आता है जो हैज़ का ख़ून नहीं होता। रहम के अन्दर एक आज़ल नामी रग होती है, इससे ये ख़ून किसी ख़राबी की वजह से आता है। ये ख़ून बिल्कुल हैज़ की तरह नहीं होता, ताहम इससे मिलता जुलता होता है। इसी मुशाबिहत की वजह से इसका पहचानना भी मुश्किल होता है और कई पैचीदगी का बाइस भी होता है, इसीलिए शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) ने इसकी बाबत लिखा है: 'इस्तिहाज़ा के मसाइल तहारत के मुश्किल तरीन अबवाब में से हैं।' (मजमूअ़ फ़तावा: 21/22)

अहादीस में भी मुख़्तलिफ़ औरतों के ऐतबार से रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से इसकी बाबत जो अहकाम बयान हुए हैं, उनमें बज़ाहिर कुछ इख़्तिलाफ़ सा नज़र आता है लेकिन मुहद्दिसीन ने जमा व तत्बीक़ के ज़रिये से इन की इस तरह वज़ाहत फ़रमा दी है कि वह इख़्तिलाफ़ दूर हो जाता है, जैसा कुछ

रिवायात में है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के वक़्त वुज़ू कर लिया करे और कुछ में है कि हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल किया करे और एक रिवायत में है कि वह ज़ुहर और अस्र के लिए एक गुस्ल करे और उनके दरम्यान जमा सूरी कर ले और मग़रिब और ईशा के लिए एक गुस्ल करे और उनको जमा कर ले और सुबह की नमाज़ के लिए एक गुस्ल करे और ज़ुहर और अस्र के दरम्यान और मग़रिब और ईशा के दरम्यान वुज़ू कर ले। जब कि दीगर रिवायात से ये मालूम होता है कि ऐसी औरत जब हैज़ से पाक हो तो सिर्फ़ एक मर्तबा गुस्ल कर लिया करे और फिर हर नमाज़ के लिए वुज़ू कर लिया करे। (और मुस्तहाज़ा औरत के लिये यही हुक्म है) इसलिये जिस हदीस में हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म है, उससे मुराद पूरे जिस्म का गुस्ल नहीं बल्कि सिर्फ़ गुस्ले फ़रज है, यानी हर नमाज़ के वक़्त शर्मगाह को धोकर वुज़ू कर लिया जाये। या हर नमाज़ या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल का हुक्म इस्तिहबाब पर महमूल है, यानी वाजिब नहीं है, वाजिब तो सिर्फ़ एक मर्तबा ही है जब वह हैज़ के ख़ून से पाक होगी, अलबत्ता अगर वह हर नमाज़ के वक़्त या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल कर सकती है तो बेहतर है, फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है। इस तरह रिवायात का ज़ाहिरी तआरुज़ (मुख़ालिफ़ होना) दूर हो जाता है। इसके अलावा उन्हीं मुख़्तलिफ़ रिवायात में तत्बीक़ देने के नुक़्त-ए-नज़र से इमाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) ने मुस्तहाज़ा औरत की तीन क़िस्में बयान फ़रमाई हैं जो ये हैं:

① एक वह औरत जिसको अपनी आदत का अच्छी तरह पता है कि उसे इतने दिन हैज़ का ख़ून आता है और फिर बन्द हो जाता है। उसको मुअतादा कहा जाता है। उसका हुक्म ये है कि वह अपनी आदत के मुताबिक़ मुक़र्ररा अय्याम में (6 या 7 दिन) नमाज़ रोज़े से इज्तिनाब करे, फिर गुस्ल करके नमाज़ रोज़े का आग़ाज़ कर दे।

② दूसरी वह औरत है जिसे अपने अय्यामे हैज़ का अच्छी तरह इल्म नहीं है बुलूग़त के साथ ही उसे बिल्इस्तिम्रार (लगातार) खून आ रहा है, ताहम उसे हैज़ के खून की अच्छी तरह पहचान है, वो हैज़ के खून और इस्तिहाज़े के ख़ून के दरम्यान तमीज़ कर सकती है, ऐसी औरत को मुतमय्यिज़ा (مميزة) कहा जाता है। इसका हुक्म ये है कि वह तमीज़ और पहचान करके हैज़ के अय्याम में नमाज़ रोज़े से इज्तिनाब करे और उसके बाद गुस्ल करके उनका आग़ाज़ कर दे।

③ तीसरी क़िस्म उस औरत की है जो न (معتادة)(मुअ्तादा) है और न (مميزة)(मुतमय्यिज़ा) बल्कि (متحيرة)(मुतहय्यिरा) है, यानी न उसकी कोई मुक़र्ररा आदत है और न वह हैज़ और इस्तिहाज़े के ख़ून के दरम्यान तमीज़ ही कर सकती है। हैज़ का ख़ून बिलउमूम सियाही माइल, गाढ़ा और

बदबूदार होता है जब कि इस्तिहाज़े का ख़ून सुर्ख़, ग़ैर बदबूदार और पतला होता है, लेकिन वह औरत उनके दरम्यान तमीज़ करके हैज़ या इस्तिहाज़े का फ़ैसला नहीं कर सकती, इसलिए कि उसे ख़ून या तो एक ही तरह का आता है या मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ का आता है जिसकी उसको पहचान नहीं है। इसका हुक्म आम औरतों की आदात वाला होगा, यानी औरतों की ग़ालिब अक्सरियत को जितने दिन माहवारी आती है, उतने दिन ये हैज़ के और बाक़ी इस्तिहाज़े के शुमार करेगी और इस हिसाब से ग़ुस्ल करके पाक हो जायेगी। (मजमूअ फ़तावा, शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 21/22, 628-631)

✧ **इस्तिहाज़ा के अहकाम :** हैज़ के अय्याम को छोड़ कर बाक़ी अय्याम जो इस्तिहाज़े के शुमार होंगे, उनमें ख़ून चाहे थोड़ा आये या ज़्यादा, इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, ज़्यादा ख़ून आने की सूरत में वह कस कर लगाम (कपड़ा) बाँध ले या रूई की मोटी तह रख ले या आज कल उसके लिए जो चीज़ें निकली हुई हैं वह इस्तेमाल कर ले। इन अय्यामे इस्तिहाज़ा में वह पाक समझी जायेगी। इसके लिए नमाज़ पढ़ना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना ज़रूरी होंगे। इसी तरह दीगर तमाम अहकाम में वह पाक औरतों की तरह होगी। ख़ाविन्द के साथ हमबिस्तरी भी जायज़ होगी। सिर्फ़ हैज़ के अय्याम में मज़कूरा तमाम चीज़ें ममनूअ होंगी।

मुस्तहाज़ा के लिए सिर्फ़ एक मसला दूसरी पाक औरतों से मुख़्तलिफ़ होगा और वह ये कि वह हैज़ से फ़ारिग़ होकर ग़ुस्ल करके जब पाक हो जायेगी तो हर नमाज़ के वक़्त पहले शर्मगाह धोयेगी, ख़ून ज़्यादा आता हो तो उसकी रोक थाम के लिए लंगोट वग़ैरह बाँधेगी, फिर वुज़ू करके एक वक़्त की मुकम्मल नमाज़ पढ़ेगी। हर नमाज़ के वक़्त उसके लिए इस तरीक़े से वुज़ू करना ज़रूरी होगा।

✧ **लीकोरिया (औरत के रहम से आने वाले सफ़ेद पानी), जरयान और सुलसुल बोल (शर्मगाह की एक बीमारी जिसमें पेशाब कतरा-कतरा होकर निकलता है।) का हुक्म :** जिस औरत को लीकोरिया या जरयान की ज़्यादा शिकायत हो यहाँ तक कि एक नमाज़ पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो या बार बार हवा ख़ारिज होने की बीमारी हो। ऐसी औरतें भी मुस्तहाज़ा के हुक्म में हैं, यानी हर नमाज़ के वक़्त एक मर्तबा वुज़ू कर लिया करें और उससे एक वक़्त की पूरी नमाज़ पढ़ लिया करें। सुलसुल बोल, जरयान या बार बार हवा ख़ारिज होने की बीमारी में मुब्तला शख़्स के लिए भी यही हुक्म है।

निफ़ास और उससे मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

निफ़ास उस ख़ून को कहते हैं जो बच्चे की विलादत की वजह से रहमे मादिर से निकलता है। ये ख़ून विलादत (जचगी) के साथ ही निकलता है या उसके फ़ौरन बाद या विलादत से दो-तीन दिन पहले दर्दे ज़ह के साथ, अगर ख़ून के साथ दर्दे ज़ह नहीं होगा तो ये ख़ून भी निफ़ास का नहीं होगा। निफ़ास का ये ख़ून दरअसल वही ख़ून होता है जो हमल के ठहरते ही बिलउमूम बन्द हो जाता है और बच्चे की ख़ूराक के काम आता है, विलादत के वक़्त या उससे कुछ पहले व बाद ख़ून पेट में बचा हुआ होता है वह बाहर निकल आता है।

✧ इस ख़ून (निफ़ास) का ताल्लुक़ चूंकि विलादत के साथ है तो उसकी इब्तिदा विलादत ही से होगी। इसके अलावा उसी विलादत का ऐतबार होगा जिसमें इंसान की तख़्लीक़ नुमायाँ हो जाती है। ये मुद्दते हमल के ठहरने के बाद कम से कम अस्सी (80) दिन और ज़्यादा से ज़्यादा नवे (90) दिन है जिसमें हमल एक कामिल शक्ल इख़्तियार कर लेता है। अगर कामिल शक्ल इख़्तियार करने से पहले, यानी 80 दिन से पहले हमल साक़ित हो जाये या कर दिया जाये तो वह निफ़ास का ख़ून नहीं बल्कि उसे दमे फ़साद और इस्तिहाज़ा समझा जायेगा और नमाज़ रोज़े की पाबन्दी उसके लिए ज़रूरी होगी, अलबत्ता अगर 80, 90 दिन के बाद उसका हमल साक़ित हो जब कि उस वक़्त हमल एक कामिल शक्ल इख़्तियार कर चुका होता है, तो फिर निकलने वाला ख़ून निफ़ास का होगा और वह हैज़ व निफ़ास वाले अहकाम की पाबन्द होगी, यानी ख़ून के जारी रहने तक वह नमाज़ रोज़े से और ख़ाविन्द के साथ हमबिस्तरी करने से इज्तिनाब करेगी (बचेगी)।

✧ निफ़ास का ख़ून कितने दिन जारी रहता है? इसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं है। निफ़ास का ये ख़ून जब भी बन्द हो जाये औरत ग़ुस्ल करके पाक हो जाये और नमाज़ रोज़े का आग़ाज़ कर दे, चाहे 10, 20 दिन या उससे भी कम दिन में बन्द हो जाये, अलबत्ता ये ख़ून जारी रहे तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद चालीस दिन है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में निफ़ास वाली औरतें चालीस दिन या चालीस रातें बैठी रहती थीं।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 311) यानी नमाज़ वग़ैरह नहीं पढ़ती थीं।

✧ अगर चालीस दिन मुकम्मल होने के बाद भी ख़ून बन्द न हो तो फ़िर औरत ये देखेगी कि ये ख़ून उसकी साबिक़ा आदत के मुताबिक़ हैज़ का ख़ून तो नहीं? अगर रंगत और आदत की रू से वह हैज़ का ख़ून होगा तो वह हैज़ का ख़ून है, बसूरते दीगर चालीस दिन के बाद जारी रहने वाला ख़ून इस्तिहाज़ा तसव्वुर किया जायेगा और वह ग़ुस्ल करके इबादात की अदायगी का एहतिमाम करेगी।

✧ **निफ़ास के अहकाम :** जब तक औरत निफ़ास में रहेगी उस वक़्त तक हैज़ वाली औरत की तरह

- ❍ उसे नमाज़ माफ़ होगी और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने ममनूअ होंगे, अलबत्ता रमज़ान के बाद रोज़ों की क़ज़ा उसके लिए ज़रूरी है।
- ❍ हाइज़ा औरत की तरह ये भी कुर्आने करीम की तिलावत और दीगर अज़कार कर सकती है।
- ❍ ख़ान-ए-कअ्बा का तवाफ़ नहीं कर सकती।
- ❍ ख़ाविन्द उसके साथ हमबिस्तरी (जिमा) नहीं कर सकता, अलबत्ता मुबाशिरत और बोसो किनार कर सकता है।
- ❍ हाइज़ा की तरह निफ़ास वाली औरत भी गुस्ल करके हज और उमरे का एहराम बाँध सकती है, ये गुस्ल सिर्फ़ सफ़ाई के लिए है, तहारत के लिए नहीं।
- ❍ ख़ून बन्द होने के बाद गुस्ल करना ज़रूरी है, इसके बग़ैर वह पाक नहीं होगी।
- ❍ निफ़ास का ख़ून चालीस दिन से पहले बन्द हो जाये और औरत गुस्ल करके नमाज़ रोज़ा शुरू कर दे, लेकिन चालीस दिन के अन्दर उसे फिर ख़ून आना शुरू हो जाये तो अक्सर उलमा के नज़दीक ये निफ़ास ही का ख़ून होगा, वह फिर नमाज़ रोज़ा छोड़ देगी और उसने दरम्यान मे तुहर की हालत समझ कर जो नमाज़ें पढ़ीं या रोज़े रखे वह सही समझे जायेंगे, उनकी क़ज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। चालीस दिन पूरे होने के बाद वह क्या करे? उसकी वज़ाहत गुज़र चुकी है कि जारी रहने वाला ख़ून हैज़ का होगा या इस्तिहाज़े का, उसके मुताबिक़ उसका हुक्म होगा।
- ❍ अगर किसी औरत को वज़अे हमल के वक़्त और उसके बाद ख़ून न आये तो वह पाक होगी या नापाक? हमल के साथ ज़्यादा नहीं तो कुछ न कुछ ख़ून तो ज़रूर ही आता है, इसलिए जब तक वह गुस्ल नहीं कर लेगी पाक नहीं होगी, अलबत्ता ऐसी औरत जिसको निफ़ास का ख़ून न आये तो वह फ़ोरन गुस्ल करके पाक हो जाये और नमाज़ रोज़ा शुरू कर दे, ख़ाविन्द का उसके साथ हमबिस्तरी करना भी जायज़ होगा।
- ❍ अगर बच्चा बड़े ऑपरेशन के ज़रिये से हो जिसमें पेट चाक करके बच्चा निकाल लिया जाता है। इस सूरत में न बच्चा शर्मगाह के रास्ते से बाहर आता है और न निफ़ास का ख़ून ही आता है। उस औरत का हुक्म भी निफ़ास वाली औरत ही का है, यानी अगर ख़ून शर्मगाह से आता है तो वह निफ़ास ही का ख़ून होगा और अगर ख़ून नहीं आता तो वह पाक ही समझी जायेगी और पाक औरतों की तरह नमाज़ रोज़े की अदायगी उसके लिए ज़रूरी होगी। फ़तावा लजनतुद्दाइमा: 5/12)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الحيض والاستحاضة

हैज़ और इस्तिहाज़े से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب : (١) بَدْءُ الْحِيضِ وَهَلْ يُسَمَّى الْحِيضُ نِفَاسًا

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، - رضى الله عنه - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ " مَا لَكِ أَنَفِسْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ " .

बाब : (1) हैज़ की इब्तिदा (का बयान) और हैज़ को निफ़ास कहा जा सकता है?

(349) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ निकले। हम सिर्फ़ हज ही की नियत रखते थे। जब हम सरिफ़ मक़ाम में पहुँचे तो मुझे हैज़ शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल (ﷺ) मेरे पास आये तो मैं रो रही थी। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें क्या हुआ? हैज़ शुरू हो गया?' मैंने कहा: जी हाँ! आपने फ़रमाया: 'ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (ؑ) की बेटियों पर लिख दी है। तुम वही करो जो हाजी करें मगर तवाफ़ न करना।'

(349) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 291 देखें।

फवाइद व मसाइल : (1) 'बनाते आदम' से इस्तिदलाल है कि हैज़ शुरू ही से औरतों पर मुक़र्रर है जबकि हज़रत इब्ने मसऊद (﵁) से मौक़ूफ़न (उनका क़ौल) मन्क़ूल है कि हैज़ बनी इस्राईल की औरतों पर मुसल्लत किया गया था। देखिये: (फ़तहुलबारी: 1/519) इनके बीच तत्बीक़ (तालमेल) यूँ मुमकिन है कि इब्तिदा तो हज़रत हवा (ؑ) ही से हुई मगर बनी इस्राईल के दौर में कुछ इज़ाफ़ा कर दिया गया और ये कोई बईद नहीं। वल्लाहु आलम! **(2)** (أَنَفِسْتِ) इस जुम्ले में निफ़ास से हैज़ मुराद है। तश्बीहन निफ़ास कहा गया। बाब का दूसरा जुज़ यहाँ से साबित हुआ।

बाब : (2)
इस्तिहाज़े का ज़िक्र और ख़ून हैज़ की इब्तेदा और इन्तेहा का बयान

باب : (٢)
ذِكْرِ الاِسْتِحَاضَةِ وَإِقْبَالِ الدَّمِ وَإِدْبَارِهِ

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ قُرَيْشٍ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَالَ لَهَا " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي "

(350) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (ﷺ), जो कि कुरैश की शाख़ बनू असद से ताल्लुक़ रखती थी, अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास आईं और बताया कि उस (फ़ातिमा) को इस्तिहाज़े का ख़ून आता है। वह कहती हैं कि आपने फ़रमाया: 'ये तो एक रग का ख़ून है। जब हैज़ का ख़ून आने लगे तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाये तो अपने (जिस्म) से ख़ून धो लो और नहा कर नमाज़ पढ़ लिया करो।'

(350) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 201 में देखें।

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي " .

(351) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब हैज़ का ख़ून आने लगे तो नमाज़ छोड़ दो और जब रुक जाये तो ग़ुस्ल करो।'

(351) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 202 में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ

(352) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! तहक़ीक़ मुझे इस्तिहाज़े का ख़ून आता है।

ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَقَالَ " إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي " . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

तो आपने फ़रमाया: 'ये एक रग है, लिहाज़ा हैज़ ख़त्म होने के बाद ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ा करो।' तो वह हर नमाज़ के लिए ग़ुस्ल किया करती थीं।

(352) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 206 में देखें।

باب : (٣) الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ تَحِيضُهَا كُلَّ شَهْرٍ

बाब : (3) जिस मुस्तहाज़ा औरत को अपने हैज़ के दिन मालूम हों, वह हर महीने उन्हीं को हैज़ समझे

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي " . وَأَخْبَرَنَا بِهِ قُتَيْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ.

(353) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाती हैं कि उम्मे हबीबा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से इस्तिहाज़े के ख़ून के बारे में पूछा। और हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने उनका टब ख़ून आलूद पानी से भरा देखा। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'जितने दिन तुम्हें पहले हैज़ आया करता था उतने दिन नमाज़ वग़ैरह से रुक जाओ, फिर ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ो।'

(इमाम नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं:) हमें क़ुतैबा ने दोबारा ये हदीस बयान की तो (यज़ीद बिन अबी हबीब और इराक बिन मालिक के दरम्यान) जाफ़र बिन रबीआ का ज़िक्र नहीं किया।

(353) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 207 में देखें।

फ़ायदा : फ़वाइद व मसाइल के लिए देखिये इसी किताब का इब्तिदाइया।

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

(354) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मरवी है, फ़रमाती हैं कि एक औरत ने नबी (ﷺ) से पूछा: तहक़ीक़ मुझे ख़ून आता रहता है,इसलिए मैं

عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ وَلَكِنْ دَعِي قَدْرَ تِلْكَ الأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي وَصَلِّي " .

कभी पाक नहीं होती, तो क्या मैं मुस्तक़िल नमाज़ छोड़ दूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं' बल्कि तुम सिर्फ़ उतने दिन रात नमाज़ छोड़ो जिन दिनों में तुम्हें हैज़ आया करता था, फिर ग़ुस्ल करके लंगोट बाँध लो और नमाज़ शुरू करो।'

(354) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 209 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस, हदीस: 209 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِالثَّوْبِ ثُمَّ لْتُصَلِّي " .

(355) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत को रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में बहुत ख़ून आता था। तो उम्मे सलमा (ﷺ) ने उसके बारे में अल्लाह के रसूल (ﷺ) से मसला पूछा तो आपने फ़रमाया: 'बीमारी लगने से पहले उसको जिन शब व रोज़ में हर माह हैज़ आया करता था, उनका हिसाब लगाये और हर महीने उन दिनों में नमाज़ छोड़ दे। और जब वह दिन गुज़र जायें तो वह ग़ुस्ल करे, लंगोट बाँधे, फिर नमाज़ शुरू कर दे।'

(355) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 209 में देखें।

باب: (٤) ذِكْرِ الأَقْرَاءِ

बाब : (4)
हैज़ के लिए लफ़्ज़ क़रअ का इस्तेमाल

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - وَهُوَ ابْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَزِيدَ

(356) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (ﷺ), जो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) के निकाह में थीं, उनको इस्तिहाज़े का ख़ून आता रहता था। वह

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ - عَنْ أَبِي بَكْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لاَ تَطْهُرُ فَذُكِرَ شَأْنُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ لَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ ثُمَّ تَنْظُرْ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

पाक नहीं होती थीं। उनका मसला रसूलुल्लाह(ﷺ) के सामने ज़िक्र किया गया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये हैज़ नहीं बल्कि ये तो रहम में कोई ज़ख़्म है। वह अपने दिनों को याद करे जिनमें उसे हैज़ आया करता था, चुनांचे उन दिनों में नमाज़ छोड़ दे, फिर उसके बाद वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करे।'

(356) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 210 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस, हदीस: 210 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا أَبُو مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَةَ جَحْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ سَبْعَ سِنِينَ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . فَأَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا وَحِيضَتِهَا وَتَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

(357) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (رضي الله عنها) को सात साल इस्तिहाज़ा रहा, चुनांचे उन्होंने नबी (ﷺ) से पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये हैज़ नहीं बल्कि ये तो रग का ख़ून है।' आपने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपने गुज़िश्ता हैज़ के मुताबिक़ नमाज़ छोड़ दें, फिर गुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दें। तो वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल कर लिया करती थीं।

(357) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 211 में देखें।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ

(358) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (رضي الله عنها) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आईं और (बेक़ायदा) ख़ून की शिकायत की। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَلْتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْمُنْذِرُ .

उनसे फ़रमाया: 'ये एक रग का ख़ून हैं तुम हिसाब लगा लो। जब तुम्हारे हैज़ के दिन आयें तो नमाज़ न पढ़ो और जब हैज़ के दिन गुज़र जायें तो गुस्ल करके अगले हैज़ के आने तक नमाज़ पढ़ो।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं: इस हदीस को हज़रत उरवा से हिशाम बिन उरवा ने भी बयान किया है, मगर वह अल्फ़ाज़ ज़िक्र नहीं किये जो मुन्ज़िर बिन मुग़ीरा ने ज़िक्र किये हैं।

(358) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 212 में देखें।

वज़ाहत : हिशाम बिन उरवा की रिवायत उसके बाद वाली हैं इन दोनों रिवायतों में दो फ़र्क़ हैं: एक ये कि हिशाम बिन उरवा की रिवायत में ये सराहत नहीं कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (رضي الله عنها) ने हज़रत उरवा को ये रिवायत बिल मुशाफ़ा बयान की है। दूसरा इसमें (مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ) के अल्फ़ाज़ मज़कूर नहीं।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَوَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ

(359) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (رضي الله عنها) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आईं और कहा: तहक़ीक़ मुझे इस्तिहाज़ा आता है और मैं पाक नहीं होती, तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं, ये तो एक रग का ख़ून हैं ये हैज़ नहीं। जब हैज़ का ख़ून आये तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाये तो ख़ून धोकर नमाज़ पढ़ो।'

فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

(359) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 213 में देखें।

باب : (٥) جَمْعِ الْمُسْتَحَاضَةِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَغُسْلِهَا إِذَا جَمَعَتْ

बाब : (5) इस्तिहाज़ा वाली औरत दो नमाज़ें जमा कर सकती है, जमा करे तो गुस्ल भी करे

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهَا إِنَّهُ عِرْقٌ عَانِدٌ وَأُمِرَتْ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً وَاحِدًا .

(360) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि एक औरत को रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में इस्तिहाज़ा आता था। उसे कहा गया: तहक़ीक़ ये एक सरकश रग का ख़ून है। और हुक्म दिया गया कि वह ज़ुहर को मुअख़्ख़र करे और अस्र को जल्दी करे और दोनों के लिए एक गुस्ल करे। इसी तरह मग़रिब को मुअख़्ख़र करे और ईशा को जल्दी करे और दोनों के लिए एक गुस्ल करे। और सुबह की नमाज़ के लिए अलग गुस्ल करे।

(360) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 214 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस, हदीस: 214 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ . فَقَالَ " تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ

(361) हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (﵂) से रिवायत है कि मैंने नबी (ﷺ) से कहा: तहक़ीक़ में इस्तिहाज़ा वाली औरत हूँ। आपने फ़रमाया: 'अपने हैज़ के दिनों में नमाज़ से रुकी रहो, फिर गुस्ल करो और ज़ुहर को मुअख़्ख़र करो और अस्र को जल्दी करो और गुस्ल करके दोनों नमाज़ें पढ़ो। इसी तरह मग़रिब को मुअख़्ख़र करो और ईशा को जल्दी करो और गुस्ल करके दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ो। और फ़ज्र के लिए अलग

وَتُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ " .

गुस्ल करो।'

तख़रीज : **(सनद सही)** ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : देखिये हदीस़, हदीस़: 214 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

باب : (٦) الْفَرْقِ بَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالاِسْتِحَاضَةِ

बाब : (6) हैज़ और इस्तिहाज़ा के ख़ून के दरम्यान फ़र्क़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ - فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ - فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ هَذَا مِنْ كِتَابِهِ

(362) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्हें इस्तिहाज़ा आता था। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: 'जब हैज़ का ख़ून आये, और ये स्याह ख़ून होता है और पहचाना जाता है, तो नमाज़ से रुक जाओ। और जब दूसरा ख़ून हो तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ती रहो क्योंकि ये एक रग का ख़ून है।'

मुहम्मद बिन मुसन्ना ने फ़रमाया: इब्ने अबी अ़दी ने ये हदीस़ हमें अपनी किताब से बयान फ़रमाई (जबकि आइन्दा हदीस़: 1363 अपने हाफ़िज़े से बयान फ़रमाई)

(362) तख़रीज : **(सनद सही)** हदीस़: 201 में देखें।

फ़ायदा : दोनों रिवायात की सनद में कुछ फ़र्क़ है। किताब वाली रिवायत में उ़रवा बराहेरास्त हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (ﷺ) से बयान फ़रमाते हैं जबकि हिफ़्ज़ वाली रिवायत में हज़रत आ़यशा(ﷺ) का वास्ता है। हज़रत उ़रवा ने दोनों से रिवायत सुनी है। हज़रत फ़ातिमा से भी और हज़रत आ़यशा (ﷺ) से भी, क्योंकि उनकी दोनों से मुलाक़ात साबित है। कुछ मुहद्दिसीन ने इसे इब्ने अ़दी की ग़लती क़रार देकर पहली रिवायत को मुन्क़तअ़ क़रार दिया है, लेकिन पहली बात दुरुस्त है। वल्लाहु आ़लम! मज़ीद देखिये, हदीस़: 1216 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ

(363) हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रिवायत है कि

أَبِي عَدِيٍّ، مِنْ حِفْظِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (ﷺ) को इस्तिहाज़ा आता था। तो उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ हैज़ का ख़ून स्याह होता है और पहचाना जाता है। जब ये ख़ून हो तो नमाज़ से रुक जाओ। और जब दूसरा ख़ून (इस्तिहाज़ा) हो तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ो।'

इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि ये हदीस़ बहुत से रावियों ने बयान की है लेकिन किसी ने वह लफ़्ज़ बयान नहीं किये जो इब्ने अबी अ़दी ने ज़िक्र किये हैं।

(363) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 217 में देखें।

फ़ायदा : इस्तिहाज़े वाली औरत के लिए ज़रूरी है कि हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू करे। हर नमाज़ के लिए गुस्ल ज़रूरी नहीं, अलबत्ता मुस्तहब ज़रूर है। मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ

(364) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते हुबेश (ﷺ) को इस्तिहाज़ा आता था। उन्होंने नबी (ﷺ) से पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्तिहाज़ा (बेक़ायदा ख़ून) आता है और मैं कभी पाक नहीं होती, तो क्या नमाज़ छोड़ दूं? अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो एक रग का ख़ून है, हैज़ नहीं। जब हैज़ आने लगे तो नमाज़ छोड़ दो। और जब रुक जाये तो ख़ून धोकर वुज़ू करो और नमाज़ पढ़ो क्योंकि ये एक रग का ख़ून है, हैज़ नहीं है।' रावी से कहा गया: क्या हैज़ के इख़्तिताम पर वह गुस्ल करेगी? उन्होंने कहा: इसमें तो किसी को शक ही

وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ " . قِيلَ لَهُ فَالْغُسْلُ قَالَ " وَذَلِكَ لاَ يَشُكُّ فِيهِ أَحَدٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ " وَتَوَضَّئِي " . غَيْرُ حَمَّادٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

नहीं।

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान नसाई (رَحِمَهُ اللهُ) बयान करते हैं कि इस हदीस़ को हिशाम बिन उ़रवा से बहुत से रावियों ने बयान किया है मगर हम्माद के सिवा किसी ने (تَوَضَّئِي) के लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किये। वल्लाहु आ़लम!

(364) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 218 में देखें।

फ़ायदा : यानी हम्माद (تَوَضَّئِي) 'वुज़ू कर' के अल्फ़ाज़ के बयान में मुन्फ़रिद है जबकि बाक़ी तमाम रावी सिर्फ़ गुस्ल और नमाज़ के हुक्म के साथ रिवायत बयान करते हैं। लेकिन राजेह बात ये है कि (تَوَضَّئِي) अल्फ़ाज़ के बयान में हम्माद मुन्फ़रिद नहीं बल्कि इन अल्फ़ाज़ के बयान में अबू मुआविया भी उनकी मुवाफ़िक़त करते हैं। मुलाहिज़ा हो: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 228) मालूम हुआ कि यहाँ इमाम नसाई (رَحِمَهُ اللهُ) का मौक़फ़ मरजूह है। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي " .

(365) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (رضي الله عنها) रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास आईं और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्तिहाज़े का ख़ून आता है और मैं ख़ून से पाक नहीं होती तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो एक रग है, हैज़ नहीं। जब हैज़ आने लगे तो नमाज़ से रुक जाओ और जब हैज़ ख़त्म हो जाये तो ख़ून धोकर नमाज़ पढ़ो।'

(365) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 228, मुस्लिम, हदीस़: 333.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لاَ

(366) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा कि मैं कभी ख़ून से पाक नहीं होती तो

أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ".

क्या मैं नमाज़ छोड़ दूं? तो अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये तो एक रग का ख़ून है, हैज़ नहीं। जब हैज़ आने लगे तो नमाज़ छोड़ दो और जब हैज़ के दिन गुज़र जायें तो ख़ून धोकर नमाज़ पढ़ो।'

(366) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 219 में देखें।

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لاَ أَطْهُرُ أَفَأَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَالَ " لاَ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " . قَالَ خَالِدٌ وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ " وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ".

(367) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैं पाक नहीं होती तो क्या नमाज़ छोड़ दूं? आपने फ़रमाया: 'नहीं', ये तो एक रग है, हैज़ नहीं। जब हैज़ शुरू हो तो नमाज़ छोड़ दो और जब ख़त्म हो जाये तो ख़ून धोकर नमाज़ पढ़ो।'

(367) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 220 में देखें।

باب : (٧) الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ

बाब : (7) ज़र्द और मटियाला पानी

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا .

(368) हज़रत उम्मे अतिय्या (رضی اللہ عنہا) फ़रमाती हैं कि हम ज़र्द और मटयाले पानी को कुछ नहीं समझती थीं। (हैज़ शुमार नहीं करती थीं)

(368) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 326.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से ज़ाहिरन ये मालूम होता है कि कुदरा और सुफ़रा हैज़ नहीं, मगर ये बात मुत्लक़न दुरुस्त नहीं क्योंकि इस मौज़ूअ की दीगर रिवायात को जमा करने से ये नतीजा निकलता है कि अगर ज़र्द और मटयाला पानी हैज़ के साथ हों तो सफ़ेद पानी आने तक उन्हें हैज़ ही

शुमार किया जायेगा, अलबत्ता अगर हैज़ से पाक हो जायें, गुस्ल कर लें, उसके बाद मटयाला या ज़र्द पानी शुरू हो जाये या चन्द दिन गुज़र जायें फिर मटयाला या ज़र्द पानी आये तो वह हैज़ न होंगे क्योंकि हैज़ की इब्तिदा गाढ़े स्याह ख़ून से होती है, अलबत्ता इख़्तिताम ज़र्द या मटयाले पानी से हो सकता है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़फ़ है और यही दुरुस्त है। (2) इस्तिहाज़े वाली औरत अय्यामे हैज़ ख़त्म होने पर गुस्ल कर ले, फिर हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे। उसका एक वुज़ू से दो नमाज़ें पढ़ना दुरुस्त नहीं।

باب : (٨) مَا يُنَالُ مِنَ الْحَائِضِ وَتَأْوِيلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآيَةَ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلاَ يُشَارِبُوهُنَّ وَلاَ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } الآيَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مَا خَلاَ الْجِمَاعَ . فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يَدَعُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا . فَقَامَ أُسَيْدُ

बाब : (8) हैज़ वाली औरत से क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है और अल्लाह के फ़रमान : 'लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं ... की तफ़्सीर

(369) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि यहूदियों में जब किसी औरत को हैज़ आता तो वह उसके साथ खाते पीते न उनके साथ घरों में रहते। लोगों ने नबी (ﷺ) से पूछा तो अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी :

{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى }

और लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं। कह दीजिये वह पलीद चीज़ है, लिहाज़ा हैज़ की हालत में औरतों (के साथ जिमा) से दूर रहो।' तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि उनके साथ खायें, पियें और घरों में उन्हें साथ रखें और जिमा के सिवा सब कुछ करें। यहूदी कहने लगे ये रसूल तो हर चीज़ में हमारी मुख़ालिफ़त करता है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर और अब्बाद बिन बिश्र (رضي الله عنهما) खड़े हुए, आपको ये बात बताई

بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَأَخْبَرَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالاَ أَنُجَامِعُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَمَعُّرًا شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ غَضِبَ فَقَامَا فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَدِيَّةَ لَبَنٍ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَرَدَّهُمَا فَسَقَاهُمَا فَعُرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِمَا .

और कहने लगे, क्या हम हैज़ की हालत में जिमा भी कर लिया करें? अल्लाह के रसूल (ﷺ) का चेहरा सख़्त मुतग़य्युर हो गया, यहाँ तक कि हमने समझा कि आप नाराज़ हो गये हैं, लिहाज़ा वह उठ खड़े हुए। इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास दूध का तोहफ़ा आ गया तो आपने उनके पीछे आदमी भेजा, वह उनको वापस लाया। और आपने उनको दूध पिलाया जिससे पता चल गया कि आप उन पर नाराज़ नहीं हैं।

(369) तख़रीज : (सनद सहीह) हदीस: 289 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस: 289 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

باب : (٩)
ذِكْرِ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضِهَا مَعَ عِلْمِهِ بِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى

बाब : (9)
जो आदमी मुमानिअत के हुक्म को जानने के बावुजूद बीवी से हालते हैज़ में जिमा करे तो उस पर क्या वाजिब होता है?

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ .

(370) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) नबी (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में रिवायत बयान करते हैं जो हैज़ की हालत में अपनी बीवी से जिमा करता है कि वह एक दीनार या निस्फ़ दीनार सदक़ा करे।

(370) तख़रीज : (सनद सहीह) हदीस: 290 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस: 290 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

باب: (١٠)

مُضَاجَعَةُ الْحَائِضِ فِي ثِيَابِ حَيْضَتِهَا

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ح، وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنَفِسْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ . وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ .

बाब : (10) हैज़ वाली औरत के साथ हैज़ के कपड़ों में लेटना

(371) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि एक दफ़ा मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ लेटी हुई थी कि मुझे हैज़ शुरू हो गया। मैं आहिस्ता से निकल गई और अपने हैज़ के कपड़े पहन लिये। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुझे हैज़ आ गया?' मैंने कहा: जी हाँ। आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके साथ चादर में लिपट गई। इस हदीस़ के अल्फ़ाज़ उ़बैदुल्लाह बिन सईद के हैं।

(371) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 275, हदीस़: 284 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं: उ़बैदुल्लाह बिन सईद और इस्हाक़ बिन इब्राहीम। दोनों की रिवायत का मफ़हूम एक है, अल्फ़ाज़ में कुछ फ़र्क़ है। बयान करदा अल्फ़ाज़ उ़बैदुल्लाह बिन सईद के हैं, न कि इस्हाक़ के मज़ीद देखिये, हदीस़: 284 के फ़वाइद व मसाइल।

باب: (١١) نَوْمِ الرَّجُلِ مَعَ حَلِيلَتِهِ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَهِيَ حَائِضٌ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا

बाब : (11) हालते हैज़ में ख़ाविन्द का अपनी बीवी के साथ एक कपड़े में सोना

(372) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं

يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ خِلاَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَائِضٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ يَعُودُ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ وَصَلَّى فِيهِ .

और अल्लाह के रसूल (ﷺ) रात को एक चादर में सोते थे, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी। अगर आपको मुझसे कुछ (ख़ून वग़ैरह) लग जाता तो आप उस जगह को धो लेते उससे ज़्यादा न धोते, फिर उसमें नमाज़ पढ़ लेते।

(372) **तख़रीज : (सनद हसन)** हदीस: 285 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस: 285, 286 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

بَابٌ : (١٢) مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

बाब : (12) हैज़ वाली औरत के साथ नंगे जिस्म लेटना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

(373) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि जब हम (अज़वाजे मुतह्हरात) में से कोई हैज़ वाली हालत में होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे हुक्म देते कि वह अपना इज़ार बाँध ले, फिर आप उसके साथ लेट जाते।

(373) **तख़रीज : (सनद सही)** सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 278, हदीस: 286 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस: 286 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ

(374) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम (अज़वाजे मुतह्हरात) में से किसी को हैज़ आने लगता तो रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे हुक्म देते कि वह इज़ार बाँध ले, फिर आप उसके साथ लेट जाते।

تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

(374) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 279, हदीस: 287 में देखें।

باب: (۱۳) ذِكْرِ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُهُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَى نِسَائِهِ .

बाब : (13) रसूलुल्लाह (ﷺ) की किसी बीवी को जब हैज़ आता तो आप क्या करते थे?

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَيَّاشٍ، - وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ - عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدٍ، ثُمَّ ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي فَسَأَلَتَاهَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ إِذَا حَاضَتْ إِحْدَاكُنَّ قَالَتْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا حَاضَتْ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَاسِعٍ ثُمَّ يَلْتَزِمُ صَدْرَهَا وَثَدْيَيْهَا .

(375) हज़रत जुमेअ बिन उमैर ने कहा कि मैं अपनी वालिदा और ख़ाला के साथ हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के पास गया। हमने उनसे पूछा कि जब अज़वाजे मुतहहरात में से किसी को हैज़ आने लगता तो नबी (ﷺ) क्या करते थे? उन्होंने फ़रमाया: जब हममें से किसी को हैज़ आने लगता, तो आप उसे हुक्म देते कि एक वसीअ इज़ार बाँधे, फिर उसका सीना और पिस्तान अपने जिस्म से लगा लेते।

(375) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 6/123.

أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ بُدَيَّةَ، - وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَدَبَةَ - مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ

(376) हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों में से किसी बीवी के साथ लेट जाया करते थे जब कि उसे हैज़ आ रहा होता था। और उस पर आधी रानों तक या घुटनों तक कपड़ा होता। लैस की हदीस में है कि वह उस कपड़े से अपने जिस्म को ढाँपे होती थी।

(376) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 288 में देखें।

أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ تَحْتَجِزُ بِهِ .

باب (١٤)
مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَالشُّرْبِ مِنْ سُؤْرِهَا

बाब : (14)
हायज़ा औरत के साथ मिलकर खाना और उसका जूठा पीना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُونِي فَآكُلُ مَعَهُ وَأَنَا عَارِكٌ كَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَعْتَرِقُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْعَرْقِ وَيَدْعُو بِالشَّرَابِ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ أَضَعُهُ فَيَأْخُذُهُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي مِنَ الْقَدَحِ .

(377) हज़रत शुरेह से रिवायत है, उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा: क्या औरत हैज़ की हालत में अपने ख़ाविन्द के साथ खा सकती है? उन्होंने फ़रमाया हाँ, रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे बुलाते, मैं हैज़ की हालत में आपके साथ खाती। आप एक (गोश्त वाली) हड्डी पकड़ते, फिर मुझे क़सम देते, मैं उससे कुछ गोश्त नोचती, फिर उसे रख देती तो आप उठा लेते और उसे नोचना शुरू कर देते और अपना मुँह मुबारक वहीं रखते जहाँ मैंने रखा था। इसी तरह पानी मंगवाते और पीने से पहले मुझे क़सम देते (कि मैं पहले पीऊं) मैं पकड़ती और कुछ पानी पीती, फिर मैं रख देती तो आप उठा लेते और उससे पीते और अपना मुँह मुबारक वहीं रखते जहाँ मैंने रखा था।

(377) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 272, हदीस: 70 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस: 280 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ

(378) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) अपना मुँह मुबारक उस

بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ شَرَابِي وَأَنَا حَائِضٌ .

जगह रखते जहाँ से मैंने पिया था और मेरे बचे हुए पानी से पीते थे, हालांकि मैं हैज़ की हालत में होती थी।

(378) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 274, हदीस़: 70 में देखें।

باب : (١٥) الانْتِفَاعِ بِفَضْلِ الْحَائِضِ

बाब : (15) हाइज़ा औरत के बचे हुए पानी से फ़ायदा उठाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنَاوِلُنِي الإِنَاءَ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُعْطِيهِ فَيَتَحَرَّى مَوْضِعَ فَمِي فَيَضَعُهُ عَلَى فِيهِ .

(379) हज़रत आयशा (ﵞ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मुझे बर्तन पकड़ाते, मैं उससे पानी पीती थी जबकि मैं हैज़ की हालत में होती थी, फिर मैं बर्तन आपको दे देती तो आप मेरे मुँह की जगह का क़स्द करते और उस पर अपना मुँह रखते।

(379) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 70 में देखें।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ مِنْهُ وَأَتَعَرَّقُ مِنَ الْعَرْقِ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

(380) हज़रत आयशा (ﵞ) फ़रमाती हैं कि मैं हैज़ की हालत में प्याले से पानी पीती, फिर मैं प्याला नबी (ﷺ) को पकड़ा देती तो आप अपना मुँह मेरे मुँह की जगह पर रख कर पानी पीते। इसी तरह मैं कोई हड्डी नोचती जबकि मैं हैज़ की हालत में होती, फिर मैं वह नबी (ﷺ) को पकड़ा देती, तो आप अपना मुँह मुबारक मेरे मुँह वाली जगह पर रखते।

(380) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 70 में देखें।

बाब : (16)
आदमी अपनी हाइज़ा औरत की गोद में सर रख कर क़ुर्आन पढ़ सकता है

باب : (١٦)
الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

(381) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का सर मुबारक हम (अज़वाजे मुतहहरात) में से किसी की गोद में होता था जब कि वह हैज़ की हालत में होती थी और आप क़ुर्आन पढ़ते थे।

(381) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 261, हदीस: 275 में देखें।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

बाब : (17) हाइज़ा औरत को नमाज़ माफ़ है (क़ज़ा देने की ज़रूरत नहीं)

باب : (١٧) سُقُوطِ الصَّلاَةِ عَنِ الْحَائِضِ

(382) हज़रत मुआज़ा अदविय्यह से रिवायत है कि एक औरत ने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि हैज़ वाली औरत हैज़ के दिनों की नमाज़ की क़ज़ा अदा करे? हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: क्या तू ख़ारजी औरत है? हमें अल्लाह के रसूल (ﷺ) की मौजूदगी में हैज़ आता था। हम तो नमाज़ की क़ज़ा अदा नहीं करती थीं और न हमें क़ज़ा की अदायगी का हुक्म दिया जाता था।

(382) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 321, मुस्लिम, हदीस: 335, मुसनद अहमद, हदीस: 6/32.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत आयशा (ﷺ) ने उस औरत को ख़ारजी इसलिए कहा कि ख़्वारिज के नज़दीक हैज़ के दिनों की नमाज़ की क़ज़ा अदा करना ज़रूरी है। **(2)** औरत को हैज़ के दिनों की

नमाज़ की क़ज़ा अदा करना इसलिए माफ़ है कि हर माह तीस-पैंतीस नमाज़ों की क़ज़ा काफ़ी मुश्किल है जबकि साथ साथ वक़्ती नमाज़ों की अदायगी भी लाज़िमी है। बख़िलाफ़ इसके ग्यारह महीनों में छः सात रोज़ों की अदायगी आसान है जबकि साथ वक़्ती रोज़े भी नहीं, इसलिए हाइज़ा को रोज़ों की क़ज़ा अदा करने का हुक्म दिया गया। गोया इस मसले में तंगी दूर करने को बुनियाद बनाया गया है।

باب : (١٨) اسْتِخْدَامِ الْحَائِضِ

बाब : (18) हाइज़ा औरत से कोई ख़िदमत लेना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ " يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " . فَقَالَتْ إِنِّي لاَ أُصَلِّي. فَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكِ ". فَنَاوَلَتْهُ .

(383) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में थे कि आपने फ़रमाया: 'आयशा! मुझे कपड़ा पकड़ाओ।' उन्होंने कहा: मैं इन दिनों नमाज़ नहीं पढ़ती। आपने फ़रमाया: 'वह (तेरा हैज़) तेरे हाथ में तो नहीं।' चुनांचे उन्होंने कपड़ा पकड़ा दिया।

(383) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 271 में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، ح وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ ". فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ " .

قَالَ إِسْحَاقُ أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ .

(384) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे मस्जिद से चटाई पकड़ाओ।' मैंने कहा: मुझे हैज़ आ रहा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है।'

इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने कहा: हमें ये हदीस अबू मुआविया ने भी आमश की सनद से इसी तरह बयान की है।

(384) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 272 में देखें।

फ़ायदा : इमाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम इस हदीस में इमाम नसाई (رحمه الله) के दूसरे उस्ताद हैं और उन्होंने ये हदीस जरीर से बयान फ़रमाई है। वह फ़रमाते हैं कि हमें ये रिवायत जरीर के अलावा अबू मुआविया ने

भी आमश से इसी सनद के साथ इसी तरह बयान फ़रमाई है। मज़ीद देखिये, हदीस: 274 के फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (19) हाइज़ा औरत मस्जिद में मुसल्ला बिछा सकती है।

باب: (١٩) بَسْطِ الْحَائِضِ الْخُمْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ

(385) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (ﷺ) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपना सर मुबारक हममें से किसी की गोद में रख कर क़ुर्आन मजीद तिलावत फ़रमाते, हालांकि वह हैज़ की हालत में होती थी। इसी तरह हममें से कोई आप (ﷺ) की चटाई ले जाकर मस्जिद में बिछाती थी, हालांकि वह हैज़ की हालत में होती थी।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ وَتَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتَبْسُطُهَا وَهِيَ حَائِضٌ .

(385) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 274 में देखें।

फ़ायदा : हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ ने इसी रिवायत को, जो कि इससे पहले किताबुत्तहारा में भी गुज़र चुकी है, सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है, जबकि यहाँ पर उसे सही क़रार दिया है जिससे मालूम होता है कि वहाँ पर शैख़ को वहम हुआ है क्योंकि ये रिवायत दीगर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक भी सही है। मज़ीद देखिये, हदीस: 274 के फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (20) हाइज़ा औरत अपने ख़ाविन्द के सर को कन्घी कर सकती है जबकि वह मस्जिद में ऐतकाफ़ बैठा हो

باب: (٢٠) تَرْجِيلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ

(386) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि वो हैज़ की हालत में रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर को कन्घी कर दिया करती थीं जबकि आप मुअ्तकिफ़ होते थे। आप उन्हें अपना सर पकड़ा

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ

رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا .

देते थे और वह अपने हुजरे ही में होती थीं।

(386) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2046, मुस्लिम, हदीस: 297.

بَاب : (٢١) غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا

बाब : (21) हाइज़ा औरत अपने ख़ाविन्द का सर धो सकती है

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

(387) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है, फ़रमाती हैं: आप ऐतकाफ़ की हालत में अपना सर मेरे क़रीब फ़रमा देते थे, मैं उसको धो डालती थी, हालांकि मैं हैज़ से होती थी।

(387) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 269, हदीस: 276 में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ، - وَهُوَ ابْنُ عِيَاضٍ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ .

(388) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐतकाफ़ की हालत में अपना सर मुबारक मस्जिद से (हुजरे में) निकाल देते थे और मैं बावुजूद हैज़ की हालत के आपका सर मुबारक धो दिया करती थी।

(388) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: 1/247, हदीस: 1071.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ .

(389) हज़रत आयशा (﵂) बयान करती हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर मुबारक को बावुजूद हैज़ की हालत के कन्घी कर दिया करती थी।

(389) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 270, हदीस: 278 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब सर धोने का है, मगर इस हदीस में कन्घी का ज़िक्र है और बस, मगर

इसमें कोई इश्काल नहीं क्योंकि उमूमन सर धोने के बाद ही कन्घी की जाती है। (2) बाब का मक़सद ये है कि हाइज़ा औरत के हाथ, बल्कि सारा जिस्म (सिवाए नजासत की जगह के) ज़ाहिरन पाक होता है। गीला हो या ख़ुश्क। पानी में हाथ डालने से पानी पलीद होता है न हाथ। वह गीला हाथ या जिस्म किसी से लग जाये तो कोई हर्ज नहीं है।

बाब : (22)
हैज़ वाली ख़्वातीन का ईदैन में जाना और मुसलमानों की दुआ में शरीक होना

باب : (٢٢)
شُهُودِ الْحُيَّضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ

(390) हज़रत हफ़्सा से रिवायत है कि हज़रत उम्मे अतिय्या (ﷺ) जब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) का ज़िक्र करतीं तो ज़रूर कहतीं: मेरा बाप आप पर फ़िदा हो। मैंने उनसे कहा क्या आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ऐसे ऐसे फ़रमाते सुना है? वह कहने लगीं: हाँ, मेरा बाप आप पर फ़िदा हो। आपने फ़रमाया: 'बालिग़, पर्दानशीन और हैज़ वाली औरतें ईद के लिए निकलें वह उस नेकी और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों, अलबत्ता हैज़ वाली औरतें नमाज़ की जगह से अलग रहें।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ لاَ تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ قَالَتْ بِأَبَا . فَقُلْتُ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ بِأَبَا قَالَ " لِتَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى " .

(390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1652, मुस्लिम, हदीस: 890.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (بِيَبَا) या (بِأَبَا) दरअसल (بِأَبِي) है जिसका तर्जुमा मतन में लिख दिया गया है। ये उन मोहतरमा का नबी (ﷺ) से इज़हारे अक़ीदत व मोहब्बत है। अक़ीदे के लिहाज़ से भी ये बात हमारे ईमान का जुज़ है कि हमारी हर चीज़ आप (ﷺ) पर फ़िदा हो जाये, चाहे जान हो या माल, वालिदैन हों या औलाद। **(2)** 'ऐसे ऐसे फ़रमाते सुना है?' यानी औरतों के ईद में हाज़िर होने के बारे में। **(3)** ईद अहले इस्लाम की ख़ुशी, शान व शौकत, शुक्राने और इबादत का अज़ीम दिन है, इसलिए हर मर्द और औरत का जाना ज़रूरी है। औरतें पर्दे के साथ जायें ताकि शान व शौकत के साथ नेकी के

जज़्बात का इज़हार भी हो। हैज़ वाली औरतों के लिए इबादत (नमाज़ की अदायगी) तो मना है मगर उनके जाने से बाक़ी मक़ासिद पूरे होंगे।

बाब : (23)
औरत को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हैज़ शुरू हो जाये तो?

باب : (٢٣)
الْمَرْأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ

(391) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुज़ारिश की कि हज़रत सफ़िया बिन्ते हुयई (ﷺ) (उम्मुल मोमिनीन) को हैज़ आने लगा है। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हो सकता है वह हमें वापसी से रोक ले?' (फिर आपने पूछा:) 'क्या उसने तुम्हारे साथ बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं किया?' हज़रत आयशा (ﷺ) ने कहा: क्यों नहीं, बल्कि किया था। आपने फ़रमाया: 'फिर चलो निकलो।'

(391) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 328, मुस्लिम, हदीस: 385/1328, मोता: 1/412.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ " . قَالَتْ بَلَى . قَالَ " فَاخْرُجْنَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) तवाफ़ से मुराद दस ज़िल्हिज्जा का तवाफ़ है जो हाजी पर फ़र्ज़ है। इफ़ाज़ा के मानी वापसी के हैं। चूंकि ये अरफ़ात से वापसी के बाद होता हे, इसलिए इसे तवाफ़े इफ़ाज़ा कहा जाता है। इसके अलावा इसको तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े फ़र्ज़ भी कहा जाता है। **(2)** हज की अदायगी के बाद घर को वापसी से पहले भी तवाफ़ करना ज़रूरी है, इसे तवाफ़े विदा कहा जाता है, मगर जो औरत तवाफ़े इफ़ाज़ा कर चुकी हो, उसके बाद उसको हैज़ शुरू हो जाये और घर वापसी की तारीख़ आ जाये तो वह माज़ूर है, बग़ैर तवाफ़े विदा किये घर वापस जा सकती है।

باب : (٢٤)
مَا تَفْعَلُ النُّفَسَاءُ عِنْدَ الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، فِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لأَبِي بَكْرٍ " مُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ".

बाब : (24)
निफ़ास वाली औरत एहराम के वक़्त क्या करे?

(392) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (﵁) से हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (﵅) की हदीस़ के बारे में रिवायत है, जब उन्हें ज़ुल्हुलैफ़ा (मदीना वालों के एहराम बाँधने की जगह) में बच्चा पैदा हुआ था, कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (﵁) से फ़रमाया: 'उसे कहो कि वह गुस्ल करे और एहराम बाँधे।'

(392) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 215 में देखें।

फ़ायदा : निफ़ास या हैज़ वाली औरत का एहराम के वक़्त गुस्ल करना तहारत के लिए नहीं, क्योंकि वह तो निफ़ास या हैज़ ख़त्म होने के बाद होगा, बल्कि ये गुस्ल जिस्मानी सफ़ाई के लिए है, क्योंकि एहराम कई दिन जारी रह सकता है। मज़ीद फ़वाइद के लिए देखिये, हदीस़: 292.

باب : (٢٥)
الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ، - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ - عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ كَعْبٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ فِي وَسَطِهَا .

बाब : (25)
(आम औरत की तरह) निफ़ास वाली औरत का जनाज़ा पढ़ा जायेगा

(393) हज़रत समुरह (﵁) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उम्मे कअब (﵅) का जनाज़ा पढ़ा जो कि बच्चे की पैदाइश के मौक़े पर फ़ौत हो गई थीं। अल्लाह के रसूल (ﷺ) जनाज़े के दौरान में उनके दरम्यान खड़े हुए।

(393) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1332, मुस्लिम, हदीस़: 964.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि निफ़ास की हालत में अगरचे औरत ख़ुद नमाज़ नहीं पढ़ सकती मगर वह फ़ौत हो जाये तो उस पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जायेगी। उसका निफ़ास जनाज़े से मानेअ नहीं, नीज़ वह ज़ाहिरन पलीद नहीं, लिहाज़ा नमाज़ी के आगे रखने में कोई हर्ज नहीं क्योंकि मोमिन का जिस्म ज़ाहिरन पलीद नहीं होता, न जनाबत से, न हैज़ व निफ़ास से और न मौत से। निफ़ास से जिस्म की नापाकी मानवी पलीदी है। **(2)** औरत के जनाज़े में इमाम चारपाई के वुस्त (बीच में) के बराबर खड़ा होगा जैसा कि कुछ रिवायात में सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1332) इसमें निफ़ास का कोई दख़ल नहीं।

बाब : (26)
हैज़ का ख़ून कपड़े को लग जाये तो?

باب : (٢٦) دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، - وَكَانَتْ تَكُونُ فِي حِجْرِهَا - أَنَّ امْرَأَةً اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ "حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ وَانْضَحِيهِ وَصَلِّي فِيهِ"

(394) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाये? तो आपने फ़रमाया: 'उसको (किसी चीज़ से) ख़ुरच दो और पानी डाल कर नाख़ूनों से मलो और फिर धोकर उसमें नमाज़ पढ़ लो।'

(394) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 294 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस: 294 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِقْدَامِ، ثَابِتٌ الْحَدَّادُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ دَمِ الْحِيضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ "حُكِّيهِ بِضِلَعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" .

(395) हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कपड़े को लग जाये? तो आपने फ़रमाया: 'उसे किसी लकड़ी (या हड्डी वग़ैरह) से ख़ुरच दो और पानी और बेरी के पत्तों से धो दो।'

(395) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 293 में देखें।

फ़ायदा : देखिये हदीस: 293 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ग़ुस्ल और तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इमाम नसाई (رحمه الله) ने तहारत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करते हुए आख़िर में गुस्ल और तयम्मुम के मसाइल बयान किये हैं। तहारत में गुस्ल बड़ी अहमियत का हामिल है। इसकी अहमियत का अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई इंसान (मर्द व औरत) जुन्बी हो जाये या कोई औरत हैज़ या निफ़ास से फ़ारिग़ हो जाये तो शरीयत की रू से वह उस वक़्त तक नमाज़ वग़ैरह अदा नहीं कर सकते जब तक कि वह मसनून तरीक़े से गुस्ल न कर लें। नीचे हमने गुस्ल ही से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल क़द्रे तफ़्सील से बयान किये हैं ताकि क़ारेईन ग़ुस्ल के जुम्ला मसाइल एक ही जगह मुलाहिज़ा फ़रमा सकें।

✧ **गुस्ल की लुग़वी तारीफ़ :** गुस्ल बाब (غَسَلَ يَغْسِلُ) बर वज़न (ضَرَبَ يَضْرِبُ) से मसदर है, लेकिन ये याद रहे कि ग़ैन पर ज़बर पढ़ने की सूरत में मसदर होगा जिसके मानी 'धोना हैं' और ग़ैन पर पेश पढ़ने की सूरत में अस्म होगा जिसके मानी 'गुस्ल करना' हैं।

✧ **गुस्ल की इस्तिलाही तारीफ़ :** मख़्सूस शराइत और अरकान के साथ पाक पानी से पूरे जिस्म को धोना। देखिये : (अल्मौसूअतुल फ़िक़्हिय्या: 31/194)

✧ **गुस्ल किन सूरतों में वाजिब होता है :**

❶ जनाबत, यानी सोते या जागते हुए माद-ए-मनोया ख़ारिज होने की वजह से, जैसा कि हज़रत अली (رضي الله عنه) से मरवी है कि मैंने नबी (ﷺ) से मज़ी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आपने फ़रमाया: **'मज़ी से वुज़ू है और मनी से गुस्ल है।'** देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 114, सुनन इब्ने माजा, हदीस: 504) नीज़ हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से मरवी है कि उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला हक़ से हया नहीं फ़रमाता, मैं मालूम करना चाहती हूँ कि जब औरत को एहतिलाम हो जाये तो क्या उस पर भी गुस्ल वाजिब है? आपने फ़रमाया: **'हाँ! जब वह पानी (माद-ए-मनविया) देखे।'** तफ़्सील के लिए देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 130 व सहीह मुस्लिम, हदीस: 313) और हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम (رضي الله عنها) से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह

(ﷺ) से मसला पूछा कि अगर औरत ख़्वाब में वही देखे जो कुछ मर्द देखती है? तो आपने फ़रमाया: **'उस पर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं जब तक उसे इन्ज़ाल न हो। जिस तरह मर्द पर गुस्ल वाजिब नहीं जब तक उसे इन्ज़ाल न हो।'** देखिये: (मुसनद अहमद: 6/409)

मालूम हुआ कि जनाबत की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाता है, ताह्म अगर कोई ख़्वाब में एहतिलाम देखे लेकिन नमी या पानी महसूस न करे तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं। और जो नमी और पानी महसूस करे, चाहे उसे एहतिलाम का होना याद न रहे, उस पर गुस्ल वाजिब है जैसा कि हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम की रिवायत से वाज़ेह है।

❷ मुबाशिरत की वजह से भी गुस्ल वाजिब है, ख़्वाह इन्ज़ाल न हो। हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब आदमी औरत की चार शाख़ों के दरम्यान बैठे और उससे मशग़ूल हो तो उस पर गुस्ल वाजिब हो गया।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 291 व-सहीह मुस्लिम, हदीस: 348) सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) की हदीस में ये सराहत भी है कि ख़्वाह इन्ज़ाल न भी हो सिर्फ़ दुख़ूल ही से गुस्ल वाजिब हो जाता है। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 348) इसी मफ़हूम की एक हदीस हज़रत आयशा(ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जब ख़त्ना (मर्द के आल-ए-तनासुल का हस्फ़ा) ख़त्ने (औरत की शर्मगाह) में दाख़िल हो जाये तो गुस्ल वाजिब हो गया।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 109) एक रिवायत में ये अल्फ़ाज़ हैं, **'जब ख़त्ना ख़त्ने से छू जाये'** तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। लेकिन याद रहे कि ख़त्ना मिलने से मुराद दुख़ूल है और ये अल्फ़ाज़ जिमा से किनाया हैं। याद रहें जुम्ला अहादीस को जमा करने से यही मालूम होता है कि मुबाशिरत करने से गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे इन्ज़ाल न भी हुआ हो। वल्लाहु आलम।

❸ हैज़ और निफ़ास से फ़ारिग़ होने पर भी गुस्ल वाजिब है। इरशादे बारी तआला है: **'(ऐ नबी!) लोग आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिये: वह तो गन्दगी है। तुम हैज़ (की हालत) में औरतों से अलग रहो और उनसे हमबिस्तरी न करो यहाँ तक कि वह पाक हो जायें, फिर जब वह पाक हो जायें तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है।'** (अलबक़र: 2/222) हज़रत आयशा (ؓ) से मरवी है कि फ़ातिमा बिन्ते अबू हुबैश (ؓ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आईं और कहने लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस्तिहाज़े का ख़ून आता है और मैं पाक नहीं रहती तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दिया करूं? आपने फ़रमाया: **'नहीं, ये तो एक रग**

(का ख़ून) है, हैज़ नहीं। जब हैज़ के दिन आयें तो नमाज़ छोड़ दिया करो और जब अय्यामे हैज़ ख़त्म हो जायें तो ख़ून को धोकर नमाज़ पढ़ा करो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 306)

अ़ल्लामा शैराज़ी (رحمه الله) ख़ूने निफ़ास की बाबत लिखते हैं कि निफ़ास का ख़ून आने से गुस्ल लाज़िम हो जाता है क्योंकि ये दरअसल हैज़ ही होता है जो जमा शुदा होता है, इसी वजह से इसमें रोज़ा भी नहीं रखा जा सकता और मुबाशिरत भी हराम है और फ़र्ज़ नमाज़ें भी इसमें साक़ित हैं। अलग़र्ज़ निफ़ास से गुस्ल उसी तरह वाजिब है जिस तरह हैज़ से। मज़ीद देखिये: (अलमुहज़्ज़ब: 2/167)

इमाम नववी (رحمه الله) इसकी बाबत लिखते हैं कि उ़लमा का इस बात पर इज्मा है कि हैज़ और निफ़ास से गुस्ल वाजिब है। देखिये: (अलमजमूअ: 2/168) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़े से मुताल्लिक़ तफ़्सीली अहकाम व मसाइल किताबुल हैज़ वल इस्तिहाज़ा के इब्तिदाइया में गुज़र चुके हैं।

✧ **गुस्ले जनाबत का तरीक़ा :** गुस्ले जनाबत करते हुए अरकाने गुस्ल और गुस्ल की सुन्नतों का लिहाज़ रखना चाहिए। अरकाने गुस्ल : ① नियत : हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना : **'आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख़्स के लिए वही है जो उसने नियत की।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1) ② पूरे बदन पर पानी बहाना।

✧ **गुस्ल की सुन्नतें:** ① तीन बार हाथ धोना। ② शर्मगाह धोना। ③ नमाज़ की तरह वुज़ू करना सिवाए पाँव धोने के। लेकिन अगर पानी गुस्ल करने की जगह पर न ठहरता हो तो पाँव साथ भी धोये जा सकते हैं। ④ सर पर तीन बार पानी डालना और बालों का ख़िलाल करना ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाये। ⑤ पूरे जिस्म पर पानी बहाते वक़्त, पहले दायें जानिब पानी डालना उसके बाद बायें जानिब डालना। इसकी दलील और गुस्ले जनाबत का तरीक़ा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से मरवी हदीस में है, वह फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ले जनाबत करते तो पहले अपने हाथ धोते थे, फिर अपने दायें हाथ से बायें पर पानी डालते और शर्मगाह धोते और फिर नमाज़ वाला वुज़ू करते। फिर पानी लेकर बालों की जड़ों में ऊंगलियाँ फेरते यहाँ तक कि जब आप समझते कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच गया है तो फिर सर पर तीन लुप पानी डालते, इसके बाद अपने पूरे जिस्म पर पानी बहाते और बाद में पाँव धो लेते थे। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 248) इसी तरह हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गुस्ल का इरादा फ़रमाया तो सबसे पहले दोनों हाथ धोये, फिर शर्मगाह को धोया, फिर बायाँ हाथ जिससे शर्मगाह को धोया था ज़मीन पर रगड़ा, फिर उसको धोया,

फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर चेहरा धोया, फिर कुहनियों तक हाथ धोये, फिर सर पर (तीन लुप) पानी डाला और बालों की जड़ों तक पहुँचाया, उसके बाद तमाम बदन पर पानी बहाया। और उसके बाद जहाँ आपने गुस्ल किया था उस जगह से हट कर पाँव धोये। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 257, 259)

✧ **मर्द और औरत के गुस्ल में फ़र्क़ :** मर्द और औरत के गुस्ल का तरीक़ा एक ही है कि पहले वुज़ू करें और फिर पूरे जिस्म पर पानी बहा दें जैसा कि तफ़्सील ऊपर गुज़र चुकी है, ताहम गुस्ले जनाबत में औरत को इजाज़त है कि अगर उसके बाल गुन्धे हुए हों या मेण्डीयाँ (चोटीयाँ) बनाई हुई हों तो उन्हें खोले बग़ैर ही तीन चुल्लू सर पर डाल ले, अलबत्ता हैज़ और निफ़ास से पाक होकर गुस्ल करने की सूरत में औरत के लिए बाल खोलना ज़रूरी है जैसा कि हज़रत आयशा(ﷺ) से साबित है कि नबी (ﷺ) ने बाल खोलने का हुक्म दिया है। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 641) और इस बात पर इज्मा भी है कि गुस्ल में बदन के तमाम आज़ा (हिस्से व अंग) को धोना वाजिब है और ये हुक्म मर्द व औरत दोनों के लिए है और इसमें बालों का धोना भी आता है। इसी हदीस और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस से यही मालूम होता है कि औरत गुस्ले हैज़ में मेण्डीयाँ वग़ैरह खोलेगी। रही सहीह मुस्लिम की वह हदीस जिसमें गुस्ले हैज़ में भी बाल न खोलने की रुख़सत है तो मुहक़्क़िक़ीन इसकी बाबत लिखते हैं कि गुस्ले हैज़ में मेण्डीयाँ और बाल न खोलने वाले अल्फ़ाज़ शाज़ हैं जैसा कि साहिबे औनुल माबूद और शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने इसकी सराहत की है। तफ़्सील के लिए देखिये: (औनुल माबूद, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, लिल अल्बानी, हदीस: 188) और सऊदी मुफ़्तियान औरत के गुस्ले हैज़ में बाल खोलने की बाबत लिखते हैं कि अफ़ज़ल ये है कि एहतियात के तौर पर औरत गुस्ले हैज़ में बालों को खोल लें इससे इख़्तिलाफ़ भी ख़त्म हो जायेगा और तमाम दलाइल में तत्बीक़ भी हो जायेगी। देखिये: (फ़तावा इस्लामिया (उर्दू) जिल्द: अव्वल, सफ़ा: 287, तबअ दारूस्सलाम), याद रहें राजेह और दुरुस्त बात यही है कि औरत गुस्ले हैज़ में ज़रूर बाल खोले, ताहम गुस्ले जनाबत में उसे रुख़सत है। वल्लाहु आलम।

गुस्ले जनाबत में सर का मसह नहीं है बल्कि तीन चुल्लू पानी डाल कर अच्छी तरह ख़िलाल करना है, नीज़ मियाँ बीवी इकट्ठे और एक ही बर्तन से पानी लेकर गुस्ल कर सकते हैं जैसा कि हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बर्तन से नहाते और दोनों उससे चुल्लू भर भर कर लेते थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 273) मज़ीद तफ़्सील के लिए सुनन नसाई की किताब

अलमियाह का इब्तिदाइया देखिये जिसमें गुस्ल के लिए पानी वग़ैरह से मुताल्लिक़ अहकाम बतफ़्सील बयान किये गये हैं।

✧ **गुस्ले जनाबत के दौरान में किये जाने वाले वुज़ू का हुक्म :** हज़रत आयशा(﵅) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ल के बाद वुज़ू नहीं करते थे। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 107) यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) गुस्ल के शुरू में जो वुज़ू करते थे उसी को काफ़ी समझते थे और नमाज़ वग़ैरह के लिए दोबारा वुज़ू नहीं करते थे। लेकिन ये याद रहे कि दौराने गुस्ल में शर्मगाह को (आगे–पीछे) हाथ न लगे वरना दोबारा वुज़ू करना ज़रूरी होगा। वल्लाहु आलम!

❹ इस्लाम क़ुबूल करने वाले नवमुस्लिम के लिए भी गुस्ल वाजिब है। हज़रत क़ैस बिन आसिम(﵁) से मरवी है कि मैं नबी–ए–अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैं इस्लाम क़ुबूल करना चाहता था। आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं गुस्ल करूं और पानी में बेरी के पत्ते मिले हुए हों। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 355) तफ़्सील के लिए देखिये: (औनुल माबूद, शरह हदीस: मज़कूर)

❺ जुमा के लिए भी गुस्ल वाजिब है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (﵁) से मरवी है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमा के रोज़ गुस्ल करना हर बालिग़ पर वाजिब है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 895) और हज़रत मैमूना (﵅) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'हर बालिग़ पर जुमा के लिए जाना लाज़िम है और हर वह शख़्स जिस पर जुमा के लिए जाना लाज़िम है उस पर गुस्ल (भी लाज़िम) है।'** (सुनन नसाई, हदीस: 1372) अहले इल्म के एक गिरोह ने इन अहादीस और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस से ये मौक़फ़ इख़्तियार किया है कि जुमा के लिए गुस्ल वाजिब है। किसी भी मुसलमान बालिग़ मर्द व औरत को बग़ैर माकूल उज़्र के इस बारे में ग़फ़लत नहीं करनी चाहिए। अहले इल्म का एक दूसरा गिरोह सय्यदना समुरह (﵁) से मरवी हदीस, जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जिसने वुज़ू किया उसने सुन्नत पर अमल किया और ये बहुत उम्दा सुन्नत है और जिसने गुस्ल किया तो ये अफ़ज़ल है।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 497) और हज़रत इब्ने अब्बास (﵄) के क़ौल, जिसमें उन्होंने जुमा के गुस्ल की इब्तिदा की वजह बयान फ़रमाई है कि उस वक़्त लोग ऊनी कपड़े पहनते थे और मौसम भी गर्म होता था इस वजह से उन्हें पसीना वग़ैरह आता था, इसलिए रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें गुस्ल का हुक्म दिया था। अब चूंकि ये सब इल्लतें (वजह) ख़त्म हो चुकी हैं, यानी लोग लिबास मौसम के मुताबिक़ पहनते हैं और मस्जिदें भी कुशादा हो गई हैं, लिहाज़ा अब गुस्ल की इस क़द्र ज़रूरत नहीं। (मुसनद अहमद: 1/268) से इस्तिदलाल करते हुए

कहता है कि गुस्ल जुमा वाजिब नहीं है बल्कि मसनून, मुस्तहब और मौकद (ताकीद किया गया) है, और एक दूसरी हदीस़ में मरवी है, हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने उन्हें ख़बर दी कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) एक दफ़ा ख़ुत्ब–ए–जुमा इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक आदमी आया तो हज़रत उ़मर ने कहा: क्या तुम लोग नमाज़ से रुकते हो (और ताख़ीर से आते हो?) उस आदमी ने जवाब दिया: इसके सिवा कुछ नहीं हुआ कि मैंने अज़ान सुनी तो फ़ौरन वुज़ू किया (और हाज़िर हो गया) तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने कहा: सिर्फ़ वुज़ू? क्या तुम लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये इरशाद नहीं सुना: **'जब तुममें से कोई जुमा के लिए आये तो वह गुस्ल करे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 882) इस हदीस़ में मज़कूर दौराने ख़ुत्बा में ताख़ीर से आने वाले हज़रत उ़स्मान (ﷺ) थें और हज़रत उ़मर का हज़रत उ़स्मान (ﷺ) जैसी शख़्सियत को मिम्बर पर जलीलुल क़द्र सहाबा की मौजूदगी में इस तरह तम्बीह करना इस बात की दलील है कि वह लोग बिलउ़मूम गुस्ले जुमा को वाजिब समझते थे। अगर ये सिर्फ़ मुस्तहब होता तो इस अन्दाज़ में हरगिज़ तम्बीह न की जाती।

बिलाशुब्हा इब्तिदा–ए–गुस्ल जुमा के हुक्म की बुनियादी वजह वही थी जो हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने बयान फ़रमाई हैं लेकिन जब मुसलमान इसके क़ाइल व फ़ाइल (अमल पेरा) हो गये तो उन्हें इसका शरई ऐतबार से पाबन्द कर दिया गया जैसा कि दीगर अहादीस़ से स़ाबित है। अब अगरचे वह बुनियादी सबब मौजूद नहीं मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है जैसा कि मसला हज में तवाफ़े क़दूम में रमल करने (आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने) का बुनियादी सबब मौजूद नहीं मगर हुक्मे वुजूब बाक़ी है, इसलिए राजेह यही है कि गुस्ले जुमा वाजिब है। इसका एहतिमाम करना चाहिए और इसमें ग़फ़लत बहुत बड़ी महरूमी है। वल्लाहु आ़लम। गुस्ले जुमा के बाद उन अहवाल का ज़िक्र किया जाता है जिनमें गुस्ल करना मसनून या मुस्तहब है।

✧ **ईदैन के लिए गुस्ल :** नमाज़े ईद के लिए जाने से पहले गुस्ल करना मुस्तहब है। इमाम इब्ने क़ुदामा (رحمه الله) बयान करते हैं कि ईद के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है। (अलमुग़नी इब्ने क़ुदामा: 3/256) इसके अ़लावा इमाम मालिक (رحمه الله) हज़रत नाफ़ेअ़ (رحمه الله) से बयान करते हैं कि बेशक हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन ईदगाह जाने से पहले गुस्ल किया करते थे। (मोत्ता लिल इमाम मालिक, हदीस़: 436) इमाम अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ (رحمه الله) ये रिवायत बयान करने के बाद लिखते हैं: **'और मैं भी ईद के रोज़ गुस्ल करता हूँ।'** देखिये: (मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 3/309)

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की बाबत मारूफ़ है कि वह सुन्नत की इत्तिबा करने वाले थे, याद रहें वह जो नमाज़ ईद से पहले गुस्ल किया करते थे हो सकता है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसे करते देखा हो। और बाद में उस पर अमल शुरू कर दिया हो। वल्लाहु आलम!

रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुस्ले ईदैन की बाबत सरीहन मरफ़ूअ कोई हदीस़ मरवी नहीं है। अलबत्ता सुनन इब्ने माजा की रिवायत से इसका इस्तिहबाब मालूम होता है जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'यक़ीनन जुमा के दिन को अल्लाह तआला ने मुसलमानों के लिए ईद बनाया है, चुनांचे जो शख़्स जुमा के लिए आये उसको चाहिए कि गुस्ल करे और अगर ख़ुश्बू मयस्सर हो तो इस्तेमाल करे और मिस्वाक करे।'** (सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1098) मज़कूरा हदीस़ में जब जुमा के दिन गुस्ल, ख़ुश्बू और मिस्वाक करने का सबब ये बयान किया है कि जुमा अल्लाह तआला ने अहले इस्लाम के लिए ईद बनाया है तो ईद के दिन तो इन तीनों कामों का करना और ज़्यादा ज़रूरी और पसन्दीदा होगा। वल्लाहु आलम!

✧ **एहराम बाँधने से पहले गुस्ल :** एहराम बाँधने से पहले गुस्ल करना मसनून और मुस्तहब है। हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं, मैंने देखा कि नबी(ﷺ) ने एहराम के लिए अपने कपड़े उतार दिये और गुस्ल फ़रमाया। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 830)

✧ **मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने का गुस्ल :** मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होते वक़्त गुस्ल करना मसनून और मुस्तहब है। हज़रत नाफ़ेअ (رحمه الله) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) जब भी मक्का मुकर्रमा आते थे तो वादी–ए–ज़ीतुवा में रात गुज़ारते। सुबह हो जाती तो गुस्ल करते, फिर दिन चढ़े मक्का में दाख़िल होते और फ़रमाया करते थे कि नबी(ﷺ) ने इस तरह किया था। देखिये: (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1259)

✧ **मय्यत को गुस्ल देने वाले का गुस्ल. :** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी मय्यत को नहलाये तो वह गुस्ल करे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 3162) और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'तुम पर मय्यत को गुस्ल देने से कोई गुस्ल वाजिब नहीं क्योंकि तुम्हारी मय्यत ताहिर होती है नजिस नहीं, लिहाज़ा तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि अपने हाथ धो लो।'** (सुननिल कुबरा लिलबैहक़ी, हदीस़: 3/398) मज़कूरा दोनों अहादीस़ से ये मसला स़ाबित हुआ कि

जो शख़्स मय्यत को गुस्ल दे, उसके लिए नहाना मुस्तहब है ज़रूरी नहीं जैसा कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम मय्यत को गुस्ल देते तो हममें से कुछ लोग गुस्ल करते और कुछ न करते। (सुननिल कुबरा लिलबैहक़ी: 1/306) हाफ़िज़ इब्ने हज़र (رحمه الله) ने इसे सही क़रार दिया है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (अहकामुल जनाइज़ व बिदआ, लिल अल्बानी, मसला: 31)

✧ **मुस्तहाज़ा का गुस्ल :** वह औरत जिसे इस्तिहाज़े का आरज़ा (रोग) लाहक़ हो उसके लिए हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना या जुहर और अस्र के लिए एक गुस्ल करना और मग़रिब और ईशा के लिए एक गुस्ल करना और फ़ज्र के लिए एक गुस्ल करना मुस्तहब है जैसा कि हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ातिमा बिन्ते अबू हुबैश को इतने इतने दिनों से इस्तिहाज़ा है और उसने नमाज़ नहीं पढ़ी तो आपने फ़रमाया: '**सुब्हानल्लाह! ये शैतान की तरफ़ से है। उसे चाहिए कि टब में बैठे, अगर पानी पर ज़र्दी ग़ालिब हो तो चाहिए कि ज़ुहर और अस्र के लिए एक गुस्ल करे और मग़रिब और ईशा के लिए एक गुस्ल करे और फ़ज्र के लिए एक गुस्ल करे और उनके बीच वुज़ू करे।**' देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 296) याद रहें इस हदीस और इसके हम मानी दीगर अहादीस से यही मालूम होता है कि हर नमाज़ के लिए गुस्ल या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल, इस्तिहबाब के मानी में है, यानी बेहतर है, ज़रूरी नहीं। और जुम्हूर उलमा का भी यही मौक़फ़ है। वल्लाहु आलम!

✧ **मुश्रिक और काफ़िर को दफ़न करने के बाद गुस्ल :** किसी मुश्रिक और काफ़िर को दफ़न करने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब और मसनून है जैसा कि हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को ख़बर दी कि आपका बूढ़ा गुमराह चचा मर गया है। आपने फ़रमाया: '**जाओ और अपने वालिद को ज़मीन में दबा आओ, फिर कोई काम न करना यहाँ तक कि मेरे पास आ जाना।**' चुनांचे मैं गया और उसे ज़मीन में दबा आया और आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया। आपने मुझे हुक्म दिया तो मैंने गुस्ल किया। और आपने मेरे लिए दुआ फ़रमाई। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 3214), व सुनन नसाई, हदीस: 2008) याद रहें मालूम हुआ कि मुश्रिक और काफ़िर वग़ैरह को दफ़न करने के बाद गुस्ल करना मसनून और मुस्तहब है। वल्लाहु आलम!

✧ **एक बीवी के बाद दूसरी बीवी से मुबाशिरत करने से पहले गुस्ल :** हज़रत अबू राफ़ेअ(ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि नबी–ए–अकरम (ﷺ) एक बार अपनी अज़वाज के पास आये और हर एक के यहाँ गुस्ल किया। अबू राफ़ेअ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के

रसूल! क्या आप (आख़िर में) एक ही ग़ुस्ल नहीं कर लेते? आपने फ़रमाया: **'ये ज़्यादा पाकीज़ा, उम्दा और तहारत का बाइस है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 219, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 590)

ग़ुस्ल करते वक़्त जहाँ मज़कूरा बातों का ख़्याल और लिहाज़ रखना ज़रूरी है वहाँ ये भी ज़रूरी है कि ग़ुस्ल करते वक़्त पर्दे का एहतिमाम किया जाये। दलाइल से वाज़ेह है कि औरत का पूरा जिस्म औरत है और मर्द का नाफ़ से लेकर घुटने तक। याद रहें ग़ुस्ल करते वक़्त पर्दे का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए।

आज कल हमारे यहाँ सैर व तफ़रीह के नाम से कुछ तफ़रीही पार्कों में औरतों और बच्चों के नहाने के लिए तालाब और हौज़ वग़ैरह बनाये गये हैं जो कि सरासर बेहयाई फैलाने के मुतरादिफ़ है, लिहाज़ा इनमें नहाने से इज्तिनाब करना चाहिए क्योंकि औरत अगर कपड़ों समेत भी इनमें नहाये तो उसके जिस्म के वह ख़दोख़ाल नज़र आते हैं जिन्हें शरीयत में ढाँपने और पर्दे में रखने का हुक्म है, ताहम ग़ुस्ल ख़ाने वग़ैरह में मर्द व औरत अपने कपड़े वग़ैरह उतार सकते हैं क्योंकि वहाँ बेपर्दगी का ख़तरा नहीं होता। वल्लाहु आलम! ग़ुस्ल के पानी की बाबत तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिए देखिये सुनन अन्नसाई की किताब अलमियाह का इब्तिदाइया।

तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इस्लामी शरीयत की बुनियाद चूंकि आसानी और सहूलत पर है, इसलिए अल्लाह तआला ने उज़्र में मुब्तला लोगों के लिए इबादात के अदा करने में हस्बे उज़्र तख़फ़ीफ़ (कमी) कर दी है ताकि वह किसी हर्ज और मशक़्क़त के बग़ैर इबादात की अदायगी कर सकें। इरशादे बारी तआला है: **'और (अल्लाह तआला) ने तुम पर दीन (की किसी बात) में तंगी नहीं की।'** (अलहज 22/78) **'अल्लाह तआला तुम्हारे हक़ में आसानी चाहता है, सख़्ती नहीं चाहता।'** (अलबक़र: 2/185) और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी फ़रमाया: **'दीन आसान है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 39) इसी आसानी और सहूलत के पेशे नज़र शरीयते इस्लामिया ने पानी दस्तयाब (मयस्सर) न होने या उसके इस्तेमाल पर अदम कुदरत (ताक़त न होने) की सूरत में तयम्मुम की सहूलत बहम पहुँचा कर उम्मते मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी आसानी फ़राहम कर दी है।

तयम्मुम के लुग़वी मानी क़स्द और इरादा करने के हैं जबकि शरई इस्तिलाह में नमाज़ वग़ैरह को मुबाह (अदा) करने की ग़र्ज़ से चेहरे और हाथों पर मलने के लिए पाक मिट्टी के क़स्द व इरादे को तयम्मुम कहते हैं।

✧ **तयम्मुम की मशरूइयत :** इरशादे बारी तआला है : '**और अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या तुममें से कोई ज़रूरी हाजत से (फ़ारिग़ होकर) आया हो या तुमने औरतों से हमबिस्तरी की हो, फिर तुम पानी न पाओ तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, पस उसे अपने चेहरे और हाथों पर मल लो।**' (मायदा: 5, 6)

हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हम एक सफ़र में नबी (ﷺ) के साथ निकले, जब हम बैदा या ज़ातुल हबीश पहुँचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसकी तलाश के लिए क़याम फ़रमाया तो दूसरे लोग भी आपके हमराह ठहर गये। वहाँ कहीं पानी न था लोग हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पास आये और कहने लगे: आप नहीं देखते कि आयशा(ﷺ) ने क्या किया? रसूलुल्लाह (ﷺ) और सब लोगों को ठहरा लिया, और यहाँ पानी भी नहीं मिलता और न उनके पास ही है। ये सुन कर हज़रत अबू बक्र (ﷺ) आये। उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरी रान पर सर रखे आराम से लेटे हुए थे। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) कहने लगे: तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) और सब लोगों को यहाँ ठहरा लिया, हालांकि उनके पास पानी नहीं है और न इस जगह दस्तयाब (मयस्सर) ही होता है। हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) मुझ पर सख़्त नाराज़ हुए और जो अल्लाह को मन्ज़ूर था (बुरा भला) कहा, और मेरी कोख में हाथ से कचूके लगाने लगे। मैंने हरकत इसलिए न की कि मेरी रान पर रसूलुल्लाह (ﷺ) का सर मुबारक था। सुबह के वक़्त इस बे'आब मक़ाम पर रसूलुल्लाह(ﷺ) बेदार हुए तो अल्लाह तआला ने आयते तयम्मुम नाज़िल फ़रमा दी, चुनांचे लोगों ने तयम्मुम कर लिया। उस वक़्त हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (ﷺ) बोले: ऐ आले अबू बक्र! ये कोई तुम्हारी पहली बरकत नहीं है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 334) इस आयत और हदीस में तयम्मुम के आग़ाज़ की सराहत है जिससे मालूम होता है कि पानी की ग़ैर मौजूदगी या इस्तेमाल पर क़ुदरत न होने की सूरत में पाक मिट्टी से तयम्मुम करना जायज है।

✧ **वह असबाब जिनके बाइस तयम्मुम करना जायज़ है :** जब आदमी पानी इस्तेमाल करने से क़ासिर हो तो वह तयम्मुम कर सकता है, जैसे: आस पास कहीं पानी मौजूद ही न हो, या किसी बीमारी के बाइस इस्तेमाल न कर सकता हो कि उससे अज़ियत बढ़ जायेगी, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जिसमें पानी इस्तेमाल करने से नुक़सान का अन्देशा हो।

हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से मरवी है कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में थे कि आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई, बाद में देखा कि एक आदमी अलग बैठा हुआ है, आपने पूछा: '**क्या वजह**

है कि तुमने लागों के साथ नमाज़ नहीं पढ़ी?' उसने कहा कि मैं जनाबत से हूँ और यहाँ पानी नहीं है। आपने फ़रमाया: **'तेरे लिए पाक मिट्टी से तयम्मुम करना ही काफ़ी था।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 344) इसी तरह हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में निकले तो एक आदमी को पत्थर लगा जिससे उसका सर ज़ख़्मी हो गया, फिर उसे एहतिलाम भी हो गया। उसने अपने साथियों से पूछा कि क्या मेरे लिए रुख़्सत है? उन्होंने कहा: तुम पानी इस्तेमाल करने पर क़ादिर हो, इसलिए तुम्हारे लिए कोई रुख़्सत नहीं, चुनांचे उसने गुस्ल कर लिया जिसके नतीजे में वह फ़ौत हो गया। जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आये और आपको उसकी वफ़ात की ख़बर दी तो आपने फ़रमाया: **'उन्होंने उसको क़त्ल कर डाला, अल्लाह उन्हें हलाक करे। उन्होंने पूछ क्यों न लिया जबकि उन्हें इल्म न था। बेशक आजिज़ (जाहिल) की शिफ़ा सवाल कर लेने में है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 336 व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 572) और हज़रत अम्र बिन आस (ﷺ) से मरवी है कि ग़ज़्व-ए-ज़ातुल सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात में एहतिलाम हो गया, मुझे अन्देशा हुआ कि अगर मैंने गुस्ल किया तो हलाक हो जाऊंगा, चुनांचे मैंने तयम्मुम कर लिया और अपने साथियों को सुबह की नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने ये वाक़िया रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ज़िक्र किया तो आपने पूछा: **'ऐ अम्र! क्या तूने जुन्बी होते हुए अपने साथियों की जमाअत कराई थी।'** मैंने बताया कि किसी वजह से मैंने गुस्ल नहीं किया था और मैंने ये भी कहा कि मैंने अल्लाह का फ़रमान सुना है: **'अपने आपको क़त्ल न करो, अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है।'** (अन्निसा: 4/29) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) हँस पड़े और कुछ न कहा। (मुसनद अहमद: 4/203, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 334, 335)

✧ **तयम्मुम किन चीज़ों से किया जा सकता है :** इरशादे बारी तआला है: **'पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो।'** (मायदा 5/6) और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'पाक मिट्टी मुसलमान के लिए तहारत का ज़रिया है अगरचे दस बरस पानी न मिले।'** ये आयत और हदीस में सईद से तयम्मुम करने का कहा गया है। लुग़ते अरब में सईद से मुराद फ़क़त मिट्टी नहीं बल्कि सख़्त ज़मीन है। ये भी कहा गया है कि इससे मुराद पाक ज़मीन है। एक क़ौल ये भी है कि हर पाक मिट्टी को सईद कहा जाता है। अल्मिस्बाहुल मुनीर में है: 'सईद से मुराद सतह ज़मीन है चाहे वह मिट्टी हो या कोई और चीज।' इमाम ज़ुजाज जो कि लुगत्रत के इमाम माने जाते हैं, फ़रमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि उस मिट्टी में अहले लुग़त में इख़्तिलाफ़ हो। देखिये: (अल्मिस्बाहुल मुनीर: 339, 340) इमाम इब्ने हज़म

(رحمه الله) इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि जिस लुग़त में कुर्आन नाज़िल हुआ है उसमें सईद से मुराद सतह ज़मीन है। देखिये: (महली इब्ने हज़्म: 2/159) और इमाम अबू इस्हाक़ इसकी बाबत लिखते हैं कि सईद से मुराद सतह ज़मीन है और इन्सान के ज़िम्मे यही है कि सतह ज़मीन पर अपने हाथ मार ले, ये ख़्याल किये बग़ैर कि वहाँ मिट्टी है या नहीं क्योंकि सईद के मानी मिट्टी नहीं हैं बल्कि सतह ज़मीन को सईद कहते हैं, वह मिट्टी हो या कुछ और। बिलफ़र्ज़ अगर ज़मीन सारी की सारी पत्थर ही हो और वहाँ मिट्टी न हो और तयम्मुम करने वाला अगर अपने हाथ उन्हीं पत्थरों पर मार कर अपने चेहरे पर फेर ले तो यही उसके लिए तहारत का ज़रिया होगा। देखिये: (अर्रोज़तुन्नदिय्या: 1/174–176) इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा (رحمه الله) ने भी अपनी सही में बाब बाँध कर इसी तरफ़ इशारा किया है कि सईद से मुराद सिर्फ़ मिट्टी ही नहीं बल्कि इससे शूरीली ज़मीन भी मुराद है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/133) इमाम इब्ने कय्यिम(رحمه الله) फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) उस ज़मीन से तयम्मुम फ़रमाते थे जिस पर आपने नमाज़ पढ़नी होती थी, वह ख़ुद मिट्टी होती या शूरीली ज़मीन या रेतीली। नबी–ए–अकरम(ﷺ) से सही सनद से साबित है कि आपने फ़रमाया: **'जिस जगह मेरी उम्मत के किसी फ़र्द को नमाज़ (का वक़्त) पा ले, वहीं उसकी मस्जिद और उसे पाक करने वाली चीज़ है।'** (मुसनद अहमद: 5/248)

इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये नसे सरीह (वाज़ेह दलील) है कि जो शख़्स रेत में हो और नमाज़ का वक़्त आ जाये तो उसके लिए रेत बाइसे तहारत है। नबी–ए–अकरम(ﷺ) और सहाब–ए–किराम (رضي الله عنهم) ने तबूक का सफ़र किया तो दौराने सफ़र में उनका गुज़र रेतीले इलाक़े से भी हुआ और उनके पास पानी इन्तिहाई क़लील था और आपसे ये भी मन्क़ूल नहीं कि आपने अपने साथ मिट्टी उठाई हो या उसके उठाने का हुक्म दिया हो और न सहाबा ही में से किसी ने ऐसा किया। जबकि क़तई तौर पर मालूम था कि इस रास्ते में मिट्टी से रेत कहीं ज़्यादा है। हिजाज़ वग़ैरह की ज़मीन भी इसी तरह की है। जो इस बारे में तदबीर करे वह यक़ीनन इस बात का क़ायल होगा कि आप रेत से भी तयम्मुम कर लिया करते थे। वल्लाहु आलम! देखिये: (ज़ादुल मआद: 1/199, 200) इसके अलावा शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल्उसैमीन (رحمه الله) इस मसले की बाबत फ़रमाते हैं कि राजेह बात ये है कि अगर कोई इंसान ज़मीन पर हाथ मार कर तयम्मुम कर लेता है, चाहे ज़मीन पर गुबार वग़ैरह हो या न हो। उसका तयम्मुम सही है। देखिये: (मजमूअ फ़तावा शैख़ इब्ने अल्उसैमीन: 4/238)

कुछ हज़रात ने सहीह मुस्लिम की रिवायत : (وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا) और मुसनद अहमद की रिवायत: (وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا) से इस्तिदलाल करते हुए सिर्फ़ मिट्टी ही से तयम्मुम करने को ज़रूरी क़रार दिया है लेकिन उनका ये इस्तिदलाल महल्ले नज़र मालूम होता है क्योंकि क़ायदा है कि अगर आम के अफ़राद में से किसी की तख़्सीस कर ली जाये तो उससे बाक़ी अफ़राद का उमूम ख़त्म नहीं हो जाता जैसा कि इरशादे बारी तआला है: **'उन जन्नतों में लज़ीज़ फल होंगे, और खजूरें और अनार भी।'** (अर्रहमान: 55/68) और इरशाद है: **'जो कोई अल्लाह का, उसके फ़रिश्तों का, उसके रसूलों का और जिब्राईल और मीकाईल का दुशमन है तो बेशक अल्लाह भी काफ़िरों का दुशमन है।'** (अल बक़र: 2/98) पहली आयत में 'फल' ज़िक्र करने के बाद 'खजूर' और 'अनार' का ज़िक्र है। इसके ये मानी नहीं कि नख़्ल और रुम्मान फल नहीं हैं, इसी तरह दूसरी आयत में पहले मुत्लक़ मलाइका का ज़िक्र है और बाद में जिब्राईल और मीकाईल का ज़िक्र है। इसके भी ये मानी नहीं कि जिब्राईल और मीकाईल फ़रिश्तों में से नहीं हैं। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यही बात इन दोनों रिवायतों से भी साबित होती है कि आपने उनमें तुराब (मिट्टी) का लफ़्ज़ बोला है। उसके ये मानी नहीं हैं कि उससे मुराद सिर्फ़ मिट्टी ही है और कोई चीज़ नहीं। चूंकि मिट्टी आम है इसलिए इसकी तख़्सीस कर दी है। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (सुबुलुस्सलाम: 1/193, 194, नैलुल अवतार: 1/328, ज़ख़ीरतुल अक़बा शरह सुनन नसाई: 5/38–387) इस तफ़्सील से मालूम हुआ कि राजेह मौक़फ़ यही है कि तयम्मुम सिर्फ़ मिट्टी के साथ ख़ास नहीं बल्कि सतहे ज़मीन पर जो कुछ भी हो उससे तयम्मुम किया जा सकता है, ख़्वाह वह मिट्टी हो या रेत वग़ैरह। वल्लाहु आलम!

तयम्मुम का तरीक़ा : हज़रत अम्मार (ﷺ) से मरवी है, वह बयान करते हैं कि मैं सफ़र की हालत में जुन्बी हो गया और पानी न मिलने की वजह से ख़ाक में लोट पोट हो गया, फिर सफ़र से आकर ये हाल रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने बयान किया तो आपने फ़रमाया: **'तुम्हें सिर्फ़ इस तरह कर लेना काफ़ी था।'** फिर आपने एक बार ज़मीन पर अपना हाथ मारा, फिर उससे ग़ुबार (धूल) को झाड़ा, उसके बाद अपने हाथ की पुश्त का बायें हाथ से मसह फ़रमाया या अपने बायें हाथ की पुश्त का अपने हाथ से मसह फ़रमाया, फिर उनसे अपने चेहरे पर मसह किया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 347) इस रिवायत में सिर्फ़ हाथ की पुश्त का ज़िक्र है। बातिने कफ़, यानी हाथ के अन्दर की जानिब मसह का ज़िक्र नहीं है, ताहम दीगर रिवायात में इसकी वज़ाहत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़मीन पर हाथ मारा, फिर उसे झाड़ा, फिर बायें हाथ से दायें का और दायें से बायें का मसह किया, उसके बाद चेहरे का मसह किया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 321) और हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने अल्लामा इस्माईल के हवाले से जो रिवायत नक़ल की है वह

बहुत ही वाज़ेह है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अम्मार(رضي الله عنه) से फ़रमाया: **'तुझे इतना ही काफ़ी था कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारता, फिर उन्हें झाड़ता, फिर दायें हाथ से बायें का और बायें हाथ से दायें हाथ का मसह करता, उसके बाद अपने चेहरे का मसह करता।'** (फ़तहुल बारी: 5921, तहत हदीस: 347) इन रिवायात से मालूम हुआ कि हाथों को सिर्फ़ एक ही दफ़ा ज़मीन पर मारना चाहिए, यानी हाथों पर तयम्मुम करने के बाद मुँह के लिए दोबारा हाथ ज़मीन पर मारने की ज़रूरत नहीं और न कुहनियों वग़ैरह पर हाथ फेरने की ज़रूरत है। जबकि इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله) ने दो ज़र्बों के क़ायलीन के नाम लिए हैं, जिनमें सहाबा भी हैं और ताबेईन भी और अइम्मा–ए–फ़िक़्ह भी, नीज़ मोत्ता इमाम मालिक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) के हवाले से ये भी मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) तयम्मुम में कुहनियों तक हाथ फेरते थे। देखिये: (मोत्ता, लिल इमाम मालिक, हदीस: 153)

इमाम शौकानी (رحمه الله) लिखते हैं कि दो मर्तबा हाथ ज़मीन पर मारने वाली तमाम रिवायात में मक़ाल है। अगर ये रिवायात सही होतीं तो इन पर अमल करना मुतअय्यन होता क्योंकि इसमें एक बात ज़्यादा है जिसे कुबूल करना ज़रूरी होता, इसलिए हक़ बात ये है कि सहीहैन की हज़रत अम्मार की रिवायत ही को काफ़ी समझा जाये जिसमें एक मर्तबा हाथ ज़मीन पर मारने का ज़िक्र है, जब तक कि दो मर्तबा वाली रिवायत सही साबित न हो जाये। देखिये: (नैलुल अवतार: 1/264) इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) का तयम्मुम में कुहनियों तक हाथ फेरना ये उनका अपना अमल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित नहीं। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जवाज़ की गुंजाइश निकलती है, ताहम दलाइल की रू से यही मौक़फ़ राजेह और अक़रब अलस्सवाब मालूम होता है कि तयम्मुम में सिर्फ़ एक ज़र्ब है और वह भी सिर्फ़ हाथों और चेहरे के लिए है, इसमें कुहनियाँ शामिल नहीं हैं। वल्लाहु आलम!

तयम्मुम जिस तरह वुज़ू का क़ायम मुक़ाम है उसी तरह गुस्ल का भी, यानी पानी न मिलने की सूरत में जैसे वुज़ू की बजाये तयम्मुम किया जा सकता है ऐसे ही किसी पर गुस्ल वाजिब हो तो वह भी तयम्मुम कर सकता है।

जिन चीज़ों से वुज़ू टूट जाता है उनसे तयम्मुम भी टूट जाता है। इसके अलावा पानी मिलने की सूरत में या जिस उज़्र की वजह से तयम्मुम किया था उसके ख़त्म हो जाने पर तयम्मुम का जवाज़ भी ख़त्म हो जाता है। वरना जब तक तयम्मुम नहीं टूटता उससे मुतअद्दद (कई) नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं, जैसे वुज़ू बरक़रार रहे तो कई नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं।

पानी के इस्तेमाल पर कुदरत के बावजूद सिर्फ़ इस अन्देशे की वजह से तयम्मुम करना कि वुज़ू या गुस्ल

करने से नमाज़ का वक़्त ख़त्म हो जायेगा, दुरुस्त और जायज़ नहीं। शैख़ अल्बानी(رحمه الله) इसकी बाबत लिखते हैं: शरीयत में नस़ कुर्आन से स़ाबित है कि जब पानी न हो तो आदमी तयम्मुम कर सकता है, इसमें सुन्नते मुतह्हरा ने ये इज़ाफ़ा कर दिया है कि अगर कोई बीमार हो या सख़्त सर्दी के बाइस़ पानी का इस्तेमाल मुज़िर (नुक़सानदेह) हो तो इस सूरत में भी तयम्मुम किया जा सकता है। मगर ये कहीं स़ाबित नहीं कि इंसान पानी इस्तेमाल करने पर क़ादिर होने के बावजूद तयम्मुम कर ले। आख़िर इसकी क्या दलील है? अगर कहा जाये कि वक़्त निकल जाने का ख़दशा हो तो तयम्मुम का जवाज़ हो सकता है तो मैं कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल ग़लत है और ये उज़्र कोई स़ही दलील नहीं क्योंकि ये शख़्स़ जिसे वक़्त निकल जाने का अन्देशा है दो हालतों से ख़ाली नहीं। या तो ये अन्देशा उसके अपने अमल सुस्ती और ग़फ़लत की वजह से लाहक़ हुआ है, या उसका इसमें कोई इख़्तियार न था, जैसे: वह सो गया था या भूल गया था। तो इस दूसरी हालत में उसकी नमाज़ का वक़्त ही उस वक़्त शुरू हुआ है जब वह बेदार हुआ या उसे याद आया। उसे उसी वक़्त नमाज़ अदा कर लेनी चाहिए जैसे उसे हुक्म दिया गया है। इसकी दलील स़हीहैन की रिवायत है, नबी–ए–अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो शख़्स़ नमाज़ भूल गया या सोया रहा, उसका कफ़्फ़ारा यही है कि जब उसे याद आये पढ़ ले।'** (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 597) शारेअ़ अलहकीम (रसूलुल्लाह (ﷺ)) ने उस माज़ूर के लिए इजाज़त रवा रखी है कि वह वैसे ही नमाज़ पढ़े जिस तरह उसे हुक्म है। अपने वुज़ू या ग़ुस्ल के लिए पानी इस्तेमाल करे। उसके लिए वक़्त निकल जाने का कोई ख़तरा नहीं। चुनांचे मालूम हुआ कि उस शख़्स़ के लिए तयम्मुम करना जायज़ नहीं। उसके बारे में शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) ने भी यही बात इख़्तियार की है और मसाइल मारदीनिया के स़फ़ा: 65 पर लिखा है कि जुम्हूर का भी यही मौक़फ़ है। और पहली सूरत में भी यही बात है कि पानी इस्तेमाल करे और पानी इस्तेमाल करके नमाज़ पढ़े अगर बरवक़्त पढ़ ली तो बेहतर और अगर वक़्त निकल गया तो अपने आप को मलामत करे क्योंकि ये उसकी अपनी कोताही का नतीजा है। यही वह बात है जिस पर मुझे शरह स़दर और दिली इत्मिनान है अगरचे शैख़ुल इस्लाम और कुछ दीगर अइम्मा इसके क़ायल हैं कि तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। बाद में मैंने शैख़ शौकानी(رحمه الله) की किताबों का मुतालआ किया तो वह भी इसी मौक़फ़ की तरफ़ मायल हैं जिसका मैंने ज़िक्र किया है। मज़ीद तफ़्स़ील के लिए देखिये: (तमाम अल्मिन्नत, स़फ़ा: 132, 133, व सबीलुल जरार: 1/311, 312) इस तफ़्स़ील और दीगर दलाइल की रू से शैख़ अल्बानी(رحمه الله) का मौक़िफ़ ही राजेह मालूम होता है कि पानी के इस्तेमाल पर कुदरत के बावजूद सिर्फ़ इस वजह से तयम्मुम करना कि वुज़ू या ग़ुस्ल करने से नमाज़ का वक़्त निकल जायेगा, दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الغسل والتيمم

ग़ुस्ल और तयम्मुम से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب: (١) ذِكْرِ نَهْيِ الْجُنُبِ عَنِ الاِغْتِسَالِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ

बाब : (1) जुन्बी को ठहरे पानी में ग़ुस्ल करने की मुमानिअ़त का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّ أَبَا السَّائِبِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ " .

(396) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स जनाबत की हालत में ठहरे पानी के अन्दर ग़ुस्ल न करे।'

(396) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 221 में देखें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ" .

(397) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई शख़्स ठहरे पानी में पेशाब न करे कि फिर उसे उससे ग़ुस्ल या वुज़ू करना पड़े।'

(397) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 282/96, सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बा, हदीस: 73.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلاَنَ،

(398) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि ठहरे पानी में पेशाब किया जाये कि फिर उससे जनाबत की

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

वजह से नहाना पड़े।

(398) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 239.

फ़ायदा : ठहरा पानी वुज़ू या गुस्ल के काम आ सकता है और यही उसका असल मक़सूद और इस्तेमाल है, लिहाज़ा उसे पेशाब करके नाक़ाबिले इस्तेमाल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इजाज़त आमा की सूरत में आख़िर वह पानी गन्दा हो ही जायेगा। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (किताबुल मियाह का इब्तिदाइया और हदीस: 35, 221, 222) के फ़वाइद व मसाइल)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ .

(399) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने ठहरे पानी में पेशाब करने से मना फ़रमाया कि फिर उससे नहाया जाये।

(399) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 222 में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ . قَالَ سُفْيَانُ قَالُوا لِهِشَامٍ - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - أَنَّ أَيُّوبَ إِنَّمَا يَنْتَهِي بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ إِنَّ أَيُّوبَ لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَرْفَعَ حَدِيثًا لَمْ يَرْفَعْهُ .

(400) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि तुममें से कोई शख़्स ठहरे पानी में पेशाब न करे, जो चलता नहीं है कि फिर उससे गुस्ल करे।

हज़रत सुफ़ियान ने कहा: लोगों ने हिशाम बिन हस्सान से कहा कि अय्यूब तो इस हदीस को हज़रत अबू हुरैरह तक ही रखते हैं (रसूलुल्लाह (ﷺ) तक नहीं पहुँचाते?) वह फ़रमाने लगे: अय्यूब के बस में होता तो वह किसी भी हदीस को मरफ़ूअ (रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब) बयान न करते।

(400) तख़रीज : (सनद सही) हुमैदी, हदीस: 976, मुस्लिम, हदीस: 282.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दरअसल हज़रत हिशाम बिन हस्सान इस हदीस को मरफ़ूअ बयान फ़रमाते

थे और हज़रत अय्यूब इसे मौक़ूफ़ (हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का अपना फ़रमान) बयान करते थे, इसलिए शागिर्दों ने हज़रत हिशाम से वज़ाहत तलब की। जवाब का हासिल ये है कि ये रिवायत मरफ़ूअ साबित है। हज़रत अय्यूब का उसे मौक़ूफ़ बयान करना उनकी एहतियात है। बहुत से मुहद्दिसीन हदीस को मरफ़ूअ बयान करने से डरा करते थे कि कहीं कोई ग़लत बात आपकी तरफ़ मन्सूब न हो जाये, इसलिए वह ताबेई, सहाबी तक रुक जाया करते थे। मगर ये ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात है, इसलिए इससे रिवायत की सेहत में कोई शक नहीं होना चाहिए। **(2)** ये दरअसल नबी (ﷺ) का फ़रमान है जैसे अबू हुरैरह (ﷺ) ने नक़ल फ़रमाया। किसी रावी ने इसे उन्हीं की तरफ़ मन्सूब कर दिया। दूसरे रावियों से बिला शक व शुब्हा ये फ़रमान रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब बयान हुआ है। **(3)** अरबी अल्फ़ाज़ में (الْمَاءِ الدَّائِمِ) के साथ (الَّذِي لَا يَجْرِي) की क़ैद मज़ीद वज़ाहत के लिए है। **(4)** जारी पानी में, जबकि शदीद हाजत हो, पेशाब किया जा सकता है क्योंकि वहीं नजासत पानी के साथ ही आगे चली जायेगी, बल्कि तहलील हो जायेगी और बदबू पैदा नहीं होगा, ताहम जहाँ तक हो सके बचना ही बेहतर है।

बाब : (2) (गुस्ल के लिए) हमाम में दाख़िल होने की रुख़सत

باب : (٢) الرُّخْصَةِ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

(401) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला और यौमे आख़िरत पर ईमान रखता है वह इज़ार के बग़ैर हमाम में दाख़िल न हो।'

(401) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 4/288, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, हदीस: 2801, 2802 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلاَّ بِمِئْزَرٍ "

फ़वाइद व मसाइल : (1) (حَمَّام)(حَمِيم) से है जिसके मानी गर्म पानी के हैं। हमाम से वह मुशतरक गुस्ल ख़ाने मुराद हैं जिनमें गर्म पानी का इन्तेज़ाम होता है और हर आदमी आकर गुस्ल कर सकता है। चूंकि यहाँ हर वक़्त आदमी आते रहते हैं, लिहाज़ा बेपर्दगी का ख़तरा है, ख़ुसूसन उस दौर में जब कि वहाँ एक कमरा कपड़े उतारने और पहनने के लिए ख़ास होता था। वहाँ से गुस्ल ख़ाने में नंगे जाते थे और गुस्ल ख़ाने की क़तार में कई कई नहाने वाले नंगे हुआ करते थे, इस बिना पर कुछ अहादीस में हमाम की मज़म्मत की गई है। **(2)** बेहतर यही है कि इंसान अपने मख़्सूस घरेलू गुस्ल ख़ाने में नहाये जहाँ न आम

लोग आते हैं और न बेपर्दगी का ख़तरा है लेकिन अगर कभी मजबूरन 'हमामात' (मुश्तरका गुस्ल ख़ानों) में नहाना पड़े तो इज़ार बाँध कर नहाये ताकि बेपर्दगी न हो। औरतों का 'हमामात' में नहाना सख़्त गुनाह है कि उसका तक़रीबन सारा जिस्म पर्दा है। हमारे यहाँ मौजूद हमाम ऐसे नहीं हैं और न उनमें ऊपर दिये गये क़बाहतें पाई जाती हैं।

باب : (٣) الاِغْتِسَالِ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو " اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ".

बाब : (3) बर्फ़ और औलों से (पिघल जाने के बाद) गुस्ल करना

(402) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ये दुआ किया करते थे:

(اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ)

'ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों और ग़लतियों से पाक कर दे। ऐ अल्लाह! मुझे उनसे इस तरह साफ़ फ़रमा दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल कुचैल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, औलों और ठण्डे पानी से पाक साफ़ कर दे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 476/204.

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 60 और उसका फ़ायदा।

باب : (٤) الاِغْتِسَالِ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ مَجْزَأَةَ الأَسْلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ

बाब : (4) ठण्डे पानी से गुस्ल करना

(403) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ये दुआ किया करते थे :

(اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ)

" اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ " .

'ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ़, औलों और ठण्डे पानी से पाक कर दे। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों से इस तरह पाक कर दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मेल कुचैल से पाक किया जाता है।'

(403) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : मेल कुचैल उतारने के लिए आम तौर पर गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है, न कि ठण्डा, मगर यहाँ बर्फ़, पानी और औलों से अल्लाह तआला की मख़्सूस रहमतें मुराद हैं, लिहाज़ा ठण्डक का ज़िक्र फ़रमाया कि वह सुकून का ज़रिया है। अल्लाह की रहमत को आग की तरफ़ मन्सूब नहीं किया जा सकता। (पानी आग से गर्म किया जाता है) इसलिए ठण्डे पानी का ज़िक्र फ़रमाया। वैसे अरब की गर्म तरीन फ़िज़ा में ठण्डा पानी मतलूब व महबूब होता है।

باب : (٥) الاِغْتِسَالِ قَبْلَ النَّوْمِ

बाब : (5) नींद से पहले ग़ुस्ले जनाबत कर लेना

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ نَوْمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنَابَةِ أَيَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ .

(404) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू क़ैस (रह.) से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत आयशा(रज़ि.) से पूछा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जनाबत की हालत में कैसे सोते थे? क्या सोने से पहले ग़ुस्ल फ़रमाते थे या ग़ुस्ल से पहले सो जाते थे? उन्होंने फ़रमाया: आप दोनों तरह कर लेते थे। कभी ग़ुस्ल फ़रमा कर सोते और कभी सिर्फ़ वुज़ू करके सो जाते।

(404) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 307.

باب : (٦) الاِغْتِسَالِ أَوَّلَ اللَّيْلِ

बाब : (6) शुरू रात ही में ग़ुस्ल (जनाबत) कर लेना

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ،

(405) हज़रत ग़ुज़ैफ़ बिन हारिस ने कहा: मैं हज़रत आयशा (रज़ि.) के पास गया और उनसे

عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا فَقُلْتُ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ . قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً

पूछा: क्या अल्लाह के रसूल (ﷺ) गुस्ले जनाबत रात के शुरू में फ़रमाते थे या आख़िर में? उन्होंने फ़रमाया: आप दोनों तरह कर लेते थे। कभी शुरू रात में गुस्ल फ़रमा लिया करते थे और कभी आख़िर रात में, मैंने कहा: हर क़िस्म की तारीफ़ अल्लाह की जिसने इस मामले में फ़राख़ी रखी।

(405) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 223 में देखें।

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 1223 और इसका फ़ायदा।

باب : (٧) الاِسْتِتَارِ عِنْدَ الاِغْتِسَالِ

बाब : (7) गुस्ल करते वक़्त पर्दा करना

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ " .

(406) हज़रत यअ्ला (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने एक आदमी को खुली जगह में गुस्ल करते देखा। आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुए, फिर अल्लाह की हम्द व सना की और फ़रमाया: 'अल्लाह (عزوجل) बहुत बुर्दबार, हयादार और पर्दे वाला है। हया और पर्दे को पसन्द फ़रमाता है, लिहाज़ा जब तुममें से कोई गुस्ल करे तो पर्दे में करे।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4012.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (حَلِيم)(حَيِي)(سِتِّير) अल्लाह तआला की सिफ़ात हैं। अल्लाह तआला तमाम सिफ़ाते कामिला से मुत्तसिफ़ है और वह सिफ़ात अल्लाह तआला में उसकी शान के मुताबिक़ साबित होती हैं। हमें उनकी हक़ीक़त से मुताल्लिक़ बहस नहीं करनी चाहिए और न हम उनकी हक़ीक़त को जान ही सकते हैं क्योंकि अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात हमारी अक़्ल से बालातर हैं। इरशादे इलाही है: 'उस जैसी कोई चीज़ नहीं।' (अलशूरा: 42/11) इन सिफ़ात को तस्लीम करना और बिला वजह उनकी मनघढ़ंत तावीलात से इज्तिनाब (बचना) ज़रूरी है, वरना क़ुर्आन व हदीस का इंकार

लाज़िम आ सकता है। (2) गुस्ल इस तरह पर्दे में होना चाहिए कि जिस्म का कोई हिस्सा नज़र न आये। ये बेहतर है। इस तरह इंसान जिन्न व इन्स के बुरे असरात से महफ़ूज़ रहेगा। वरना नज़र वग़ैरह लगने का ख़तरा रहेगा, नीज़ इससे शर्म व हया में इज़ाफ़ा होगा। और शर्म व हया ईमान का जुज़ है।

(407) हज़रत यअ्ला (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन अल्लाह तआला बहुत पर्दे वाला हैं जब तुममें से कोई गुस्ल करने का इरादा करे तो किसी चीज़ की ओट (आड़) में छुप जाये।'

तख़रीज : **(सनद सही)** अबू दाऊद, हदीस: 4013.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سِتِّيرٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَىْءٍ " .

(408) हज़रत मैमूना (ﷺ) (उम्मुल मोमिनीन) फ़रमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) के (गुस्ल के) लिए पानी रखा, फिर मैंने आपको पर्दा किया। चुनांचे आपने गुस्ल फ़रमाया, फिर मैं आपके पास (जिस्म की सफ़ाई के लिए) एक कपड़ा लाई। आपने उसकी ज़रूरत महसूस न की।

(408) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 254 में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاءً - قَالَتْ - فَسَتَرْتُهُ فَذَكَرَتِ الْغُسْلَ قَالَتْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا .

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 254, 255 और उनके फ़वाइद व मसाइल।

(409) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा हज़रत अय्यूब (ﷺ) नंगे गुस्ल कर रहे थे कि उन पर सोने की टिड्डियाँ गिरीं। वह उनको अपने कपड़े में डालने लगे तो उनको उनके रब तआला ने पुकारा: ऐ अय्यूब! क्या मैंने तुझे ग़नी नहीं बनाया? उन्होंने

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "

بَيْنَمَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَنَادَاهُ رَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَاتِكَ " .

कहा: क्यों नहीं मेरे परवरदिगार! लेकिन मैं तेरी बरकतों से बेनियाज़ी नहीं बरत सकता।'

(409) तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 379.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अय्यूब (عليه السلام) के नंगे नहाने से ये लाज़िम नहीं आता कि वह बेपर्दा नहा रहे थे, बल्कि वह एक महफ़ूज़ और बंद जगह में नहा रहे थे। और इसमें कोई हर्ज नहीं। पेशाब और जिमा वग़ैरह के वक़्त भी तो शर्मगाह पर पर्दा नहीं होता, मगर चूंकि किसी के देखने झाँकने का ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा जायज़ है। इसी तरह ये मसला समझ लीजिये। **(2)** इंसान जिस क़द्र भी मालदार हो जाये उसे अल्लाह तआला की रहमत व बरकत से बेनियाज़ नहीं होना चाहिए बल्कि हर वक़्त अल्लाह तआला से सेहत, हिदायत और बरकत मांगते रहना चाहिए कि ये इंसान और बन्दे की शान है। बेनियाज़ तो सिर्फ़ अल्लाह तआला ही हैं इसी तरह माफ़ी का सवाल भी हर वक़्त जारी रहना चाहिए, ग़लती हो या न। अल्लाह तआला को मांगने वाला ही अच्छा लगता है।

باب : (٨) الدَّلِيلِ عَلَى أَنْ لاَ تَوْقِيتَ فِي الْمَاءِ الَّذِي يُغْتَسَلُ فِيهِ

बाब : (8) इस बात की दलील कि गुस्ल के लिए पानी की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ فِي الإِنَاءِ وَهُوَ الْفَرَقُ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

(410) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक फ़रक़ (बर्तन) से गुस्ल फ़रमाया करते थे, और मैं और आप एक ही बर्तन से गुस्ल कर लिया करते थे।

(410) तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 261.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब पर दलालत आख़िरी टुकड़े से है। जब दो अफ़राद इकट्ठे एक बर्तन से गुस्ल कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं कि दोनों यकसाँ पानी इस्तेमाल करें। लाज़िमन कमी बेशी होगी। यही बाब

का उनवान है कि गुस्ल के लिए पानी की कोई मिक़्दार मुक़र्रर नहीं। (2) 'फ़रक़' तीन साअ का होता है। और एक साअ तक़रीबन ढाई किलो का होता है। कुछ अहादीस में गुस्ल के लिए एक साअ का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 251) और कुछ में डेढ़ साअ का ज़िक्र मिलता है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 227) इन अहादीस में बाहम कोई टकराव नहीं बल्कि इससे मालूम होता है कि आप गुस्ल में कम से कम पानी इस्तेमाल किया करते थे। (मज़ीद तफ़सील के लिए देखिये, हदीस: 1232 और उसका फ़ायदा)

बाब : (9)
ख़ाविन्द बीवी का एक बर्तन से नहाना

باب : (٩) اغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ

(411) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) और मैं एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे। हम इकट्ठे पानी के चुल्लू लेते थे।

हज़रत सुवेद ने अपनी हदीस में कहा: (كُنْتُ أَنَا)

(411) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 233 में देखें।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، ح وَأَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَأَنَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْتَرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا . وَقَالَ سُوَيْدٌ قَالَتْ كُنْتُ أَنَا .

फ़ायदा : इस रिवायत में इमाम नसाई (ﷺ) के दो उस्ताद हैं सुवेद बिन नस्र और कुतैबा बिन मालिक। कुतैबा ने हदीस बयान करते वक़्त यूँ कहा: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) और मैं इकट्ठे गुस्ल किया करते थे।' जबकि सुवेद बिन नस्र ने यूँ कहा: 'मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) इकट्ठे गुस्ल किया करते थे।' सिर्फ़ लफ़्ज़ी तक़दीम व ताख़ीर है। मानी में कोई फ़र्क़ नहीं। ये मुहद्दिसीन की दयानत और हिफ़्ज़ का कमाल है कि उन्होंने ऐसे मामूली लफ़्ज़ी फ़र्क़ को भी न सिर्फ़ याद रखा बल्कि उसकी वज़ाहत भी फ़रमा दी।

(412) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) एक ही बर्तन से (एक साथ) गुस्ले जनाबत कर लिया करते थे।

(412) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 234 में देखें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُنَازِعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الإِنَاءَ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْهُ .

(413) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) से बर्तन के सिलसिले में छीना झपटी करती थी, हम दोनों उससे गुस्ल कर रहे होते थे।

(413) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 235 में देखें।

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 235 और उसका फ़ायदा।

بَاب: (١٠) الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

बाब : (10) उस चीज़ की रुख़सत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ أُبَادِرُهُ وَيُبَادِرُنِي حَتَّى يَقُولَ " دَعِي لِي " . وَأَقُولُ أَنَا دَعْ لِي . قَالَ سُوَيْدٌ يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ فَأَقُولُ دَعْ لِي دَعْ لِي.

(414) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि मैं और अल्लाह के रसूल (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल करते थें मैं (पानी लेने में) आपसे जल्दी करती थी और आप मुझसे जल्दी करते थे यहाँ तक कि आप फ़रमाते: 'मेरे लिए भी पानी रहने दे।' और मैं कहती थी: मेरे लिए भी पानी रहने दें।

हज़रत सुवेद ने यूँ हदीस बयान फ़रमाई: 'आप मुझसे जल्दी करते, मैं आपसे जल्दी करती। मैं कहती मेरे लिए भी पानी रहने दें, मेरे लिए भी पानी रहने दें।'

(414) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 240 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत में भी इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं, मुहम्मद बिन बश्शार और सुवेद बिन नस्र। दोनों के अल्फ़ाज़ में तक़दीम व ताख़ीर है। मानी में कोई फ़र्क़ नहीं। इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस लफ़्ज़ी फ़र्क़ की भी वज़ाहत फ़रमा दी। मज़ीद देखिये: हदीस: 240 के फ़वाइद व मसाइल।

بَاب: (١١) الاِغْتِسَالِ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ

बाब : (11) ऐसे प्याले (बर्तन) से गुस्ल करना जिसमें गुंधे हुए आटे के निशान हों

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ

(415) हज़रत उम्मे हानी (ﷺ) से रिवायत है कि वह फ़तहे मक्का के दिन नबी (ﷺ) के पास गईं।

حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ هَانِئٍ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ قَدْ سَتَرَتْهُ بِثَوْبٍ دُونَهُ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ . قَالَتْ فَصَلَّى الضُّحَى فَمَا أَدْرِي كَمْ صَلَّى حِينَ قَضَى غُسْلَهُ .

जब कि आप गुस्ल फ़रमा रहे थे और उस (फ़ातिमा बिन्ते रसूल) ने एक कपड़े से आपके आगे पर्दा कर रखा था और पानी वाले प्याले (बर्तन) में गुंधे हुए आटे के निशान थे, फिर जब आप गुस्ल से फ़ारिग़ हुए तो आपने सलाते ज़ुहा (नमाज़े चाश्त) पढ़ी। मैं नहीं जानती कि आपने कितनी रकआत पढ़ीं।

(415) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी: 24/428, हदीस: 1044, हदीस: 241 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत के अल्फ़ाज़: 'मैं नहीं जानती कि आपने कितनी रकआत पढ़ी हैं।' शाज़ हैं, अगरचे मुहक़्क़िक़े किताब ने सारी रिवायत ही को हसन क़रार दिया है। ताहम दुरुस्त और सही बात ये है कि सहीहैन की रिवायत के मुताबिक़ ख़ुद उम्मे हानी ने ये वज़ाहत फ़रमाई है कि आपने आठ रकअत नमाज़ अदा फ़रमाई थी। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इन अल्फ़ाज़ को सुनन नसाई में शाज़ क़रार दिया है। मज़ीद देखिये, हदीस: 1226 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

باب : (١٢) تَرْكِ الْمَرْأَةِ نَقْضَ رَأْسِهَا عِنْدَ الاِغْتِسَالِ

बाब : (12) गुस्ले जनाबत के वक़्त औरत के लिए सर की मेण्डीयाँ (चोटियाँ) खोलना ज़रूरी नहीं

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ هَذَا فَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي بِيَدَيَّ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا .

(416) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि वल्लाह! मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) उस बर्तन से गुस्ल किया करते थे। वहाँ एक थाल सा पड़ा था जो एक साअ या उससे कुछ कम होगा, चुनांचे हम एक साथ उससे गुस्ल शुरू करते। मैं अपने दोनों हाथों से अपने सर पर तीन दफ़ा पानी डालती और मैं सर का एक बाल भी नहीं खोलती थी।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 331/59.

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस़: 1242 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (13)
जब कोई ख़ुश्बू लगा कर गुस्ल करे और ख़ुश्बू के अस़रात बाक़ी रह जायें तो?

باب : (١٣)
إِذَا تَطَيَّبَ وَاغْتَسَلَ وَبَقِيَ أَثَرُ الطِّيبِ

(417) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) कहते थे कि मैं अपने जिस्म पर तारकोल मलूं ये मुझे इस बात से अच्छा लगता है कि मैं एहराम बांधू और मुझसे ख़ुश्बू की महक आ रही हो। (उनके शागिर्द मुहम्मद बिन मुन्तशिर ने कहा) मैं हज़रत आ़यशा(ﷺ) के पास गया और उनको हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) की ये बात बताई तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को ख़ुश्बू लगाई, आप अपनी सब औ़रतों के पास गये और फिर गुस्ल कर के एहराम बाँधा।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لأَنْ أُصْبِحَ مُطَّلِيًا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम हदीस़:1192/49, बुख़ारी, हदीस़: 267, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 3685.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत के एक तरीक़ में (يَنْضَخُ طِيبًا) यानी जब आप गुस्ल करके एहराम बाँधते थे तो आपसे ख़ुश्बू की महक आ रही होती थी। के अल्फ़ाज़ मरवी हैं। देखिये, हदीस़: 431 **(2)** मुख़्तलिफ़ फ़ीह मसला ये है कि अगर एहराम बाँधने से पहले ख़ुश्बू लगाई जाये, उसके बाद बावजूद गुस्ल करने के उसकी महक ख़त्म न हो तो क्या ये चीज़ एहराम के मनाफ़ी है? हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) इसे मनाफ़ी समझते थे, मगर हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने वाज़ेह फ़रमाया कि एहराम की हालत में ख़ुश्बू लगाना मना हैं एहराम से पहले लगाई हुई ख़ुश्बू की महक ममनूअ नहीं क्योंकि बसा औक़ात बावजूद धोने और गुस्ल के महक ख़त्म नहीं होती, लिहाज़ा मुहरिम माज़ूर होगा। उसके ज़िम्मे गुस्ल करना था, वह उसने कर लिया। महक ख़त्म न हो तो उसका कोई कुसूर नहीं। और यही बात शरअ के उसूल व मक़ासिद से मुनासिबत रखती है। नबी–ए–अकरम (ﷺ) का तर्ज़े अमल भी इसी का मौईद है। **(3)** चूंकि ये बाब एहराम से ख़ास़ नहीं बल्कि आ़म गुस्ल से मुताल्लिक़ है, लिहाज़ा बाब का मक़सूद ये भी हो सकता है कि

गुस्ल के लिए ज़रूरी नहीं कि मुबाल्ग़े के साथ मल कर धोया जाये कि जिस्म को लगी हुई चीज़ों के असरात भी ख़त्म हो जायें बल्कि सादा पानी बहा लेना काफ़ी है। कोई जगह ख़ुश्क न रहे और नजासत ज़ाइल हो जाये। वैसे इमाम मालिक (رحمه الله) ने गुस्ल में 'दलक' यानी मलने को ज़रूरी क़रार दिया है ताकि पानी हर जगह पहुँच सके।

باب : (١٤) إِزَالَةُ الْجُنُبِ الأَذَى عَنْهُ قَبْلَ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ

बाब : (14) जुन्बी को जिस्म पर पानी बहाने से पहले नजासत वग़ैरह धो लेनी चाहिए

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، قَالَتْ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيْهِ فَغَسَلَهُمَا . قَالَتْ هَذِهِ غِسْلَةٌ لِلْجَنَابَةِ .

(418) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाया मगर पाँव न धोये, फिर अपनी शर्मगाह और लग जाने वाली आलूदगी को धोया, फिर जिस्म पर पानी बहाया, फिर अपने पाँव एक तरफ़ करके धोये। उन्होंने फ़रमाया: ये आपके गुस्ले जनाबत का तरीक़ा है।

(418) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 254 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत में इस्तिन्जा करने से पहले वुज़ू करने का बयान है। ये बयान में सह्व है। अगली रिवायत से इसकी वज़ाहत हो जाती है कि सबसे पहले गन्दगी साफ़ की जाये, यानी इस्तिन्जा किया जाये, उसके बाद नमाज़ वाला वुज़ू किया जाये। सिर्फ़ सर का मसह नहीं होगा। उसकी बजाये तीन चुल्लू पानी सर में डाला जायेगा और पाँव भी गुस्ल करने के बाद आख़िर में धोये जायेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं बल्कि शुरू में भी धोये जा सकते हैं जबकि बाद में पाँव के आलूदा होने का ख़दशा न हो। वल्लाहु आलम। मज़ीद देखिये, हदीस: 1254 और उसके फ़वाइद व मसाइल

باب : (١٥) مَسْحِ الْيَدِ بِالأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ

बाब : (15) शर्मगाह धोने के बाद हाथ ज़मीन पर मलना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي

(419) नबी (ﷺ) की ज़ोज–ए–मोहतरमा हज़रत मैमूना बिन्ते हारिस़ (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने

الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَمْسَحُهَا ثُمَّ يَغْسِلُهَا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ يَتَنَحَّى فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ

फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत फ़रमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर अपने दायें हाथ से बायें हाथ पर पानी डालते और अपनी शर्मगाह धोते, फिर अपना (बायाँ) हाथ ज़मीन पर मारते, फिर उसे मलते, फिर उसको धोते, उसके बाद अपना नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाते, फिर अपने सर और बाक़ी जिस्म पर पानी डालते, फिर एक तरफ़ को हो जाते और अपने पाँव धोते।

(419) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 254 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगरचे इस्तिन्जा करने से शर्मगाह के साथ साथ हाथ भी साफ़ हो जाता है मगर चूंकि हाथ अफ़ज़ल जुज़ है। नमाज़, क़िराअते क़ुर्आन और खाने पकाने वग़ैरह में इस्तेमाल होता है, लिहाज़ा इसकी ख़ुसूसी सफ़ाई करनी चाहिए, यानी इसे मिट्टी या साबुन वग़ैरह से मल कर अच्छी तरह धोया जाये। **(2)** मिट्टी नजासत की बू और चिकनाहट वग़ैरह को ख़त्म करती है, इसलिए इस्तिन्जा के बाद हाथ को मिट्टी से मलना चाहिए। आज कल साबुन यही काम कर सकता है। मज़ीद देखिये: हदीस: 1254 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

بَاب : (١٦)
الِابْتِدَاءِ بِالْوُضُوءِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ

बाब : (16)
ग़ुस्ले जनाबत में सबसे पहले वुज़ू किया जाये

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى

(420) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब ग़ुस्ले जनाबत फ़रमाते तो हाथ धोते, फिर नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाते, फिर ग़ुस्ल शुरू फ़रमाते, फिर अपने हाथ की उंगलियों को तर कर के अपने सर के बालों में फेरते यहाँ तक कि जब आपको यक़ीन हो जाता कि आपने सर का चमड़ा तर कर लिया है तो तीन

بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ .

दफ़ा पानी बहाते, उसके बाद बाक़ी जिस्म धोते।

(420) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 272, मुस्लिम, 316.

फ़वाइद व मसाइल : (1) गुस्ले जनाबत का मसनून तरीक़ा यही है कि पहले वुज़ू किया जाये क्योंकि वुज़ू गुस्ल में दाख़िल है, अलबत्ता अगर सिर्फ़ कुल्ली और इस्तिन्शाक़ (नाक झाड़ना) के साथ साथ सारे जिस्म पर पानी बहा लिया जाये तो जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक ख़ुसूसन जब बाल ज़्यादा लम्बे हों। अगर सर का चमड़ा और बाल ख़िलाल के बग़ैर भी तर हो जायें तो गुस्ल मोतबर होगा। इसी तरह आख़िर में पाँव धोना भी मसनून है। (2) रिवायत में भी वुज़ू से पहले इस्तिन्जा करने का ज़िक्र नहीं है, ताहम इसकी वज़ाहत दूसरी रिवायत से हो जाती है।

بَاب : (١٧) التَّيَمُّنِ فِي الطُّهُورِ

बाब : (17) तहारत (वुज़ू और गुस्ल) में दायीं तरफ़ को तर्जीह देना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَقَالَ بِوَاسِطٍ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .

(421) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) जहाँ तक मुमकिन होता अपने वुज़ू और गुस्ल फ़रमाने, जूता पहनने, कन्घी करने में दायीं तरफ़ को पसन्द फ़रमाते थे। (शोबा ने कहा कि मेरे उस्ताद अशअस ने कई बार ये हदीस बयान की) उसने वास्त (शहर) में (ये हदीस बयान की तो) कहा: (आप (ﷺ) को) तमाम उमूर में (दायीं जानिब से इब्तिदा करना पसन्द था।)

(421) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 112 में देखें।

फ़ायदा : जूता पहनना और कन्घी करना अगरचे इबादात में दाख़िल नहीं मगर नबी (ﷺ) ने उनमें भी दायीं जानिब को इख़्तियार करना पसन्द फ़रमाया। कुछ लोग आदात और इबादात में फ़र्क़ करते हैं और आदात में इत्तिब–ए–रसूल को सिर्फ़ मुस्तहसन क़रार देते हैं, ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन मुहद्दिसीन दोनों ही में इत्तिबा को ज़रूरी समझते हैं, मगर ये कि वह आदात सिर्फ़ ख़ुसूसी माहौल का नतीजा या आपके ख़ास मिज़ाज व तबियत का हिस्सा हों। मज़ीद देखिये, हदीस: 112 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (18) गुस्ले जनाबत के वुज़ू में सर का मसह छोड़ देना

باب : (١٨) تَرْكِ مَسْحِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَابَةِ

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - هُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ - قَالَ أَنْبَأَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَاتَّسَقَتِ الأَحَادِيثُ عَلَى هَذَا يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَيَصُبُّ بِهَا عَلَى فَرْجِهِ وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى فَرْجِهِ فَيَغْسِلُ مَا هُنَالِكَ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى التُّرَابِ إِنْ شَاءَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يُنْقِيَهَا ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاَثًا وَيَسْتَنْشِقُ وَيُمَضْمِضُ وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ رَأْسَهُ لَمْ يَمْسَحْ وَأَفْرَغَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَهَكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا ذُكِرَ .

(422) हज़रत उमर (ؓ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा ... और अहादीस़ इस बयान पर मुत्तफ़क़ हैं ... (तो आपने फ़रमाया:) 'सबसे पहले अपने दायें हाथ पर दो या तीन दफ़ा (बराहे रास्त बर्तन से) पानी डाले, फिर अपना दायाँ हाथ बर्तन में डाल कर अपनी शर्मगाह पर पानी डाले और बायाँ शर्मगाह पर हो। इससे उसकी आलूदगी धोये यहाँ तक कि उसे बिल्कुल स़ाफ़ कर दे, फिर अगर चाहे तो अपना बायाँ हाथ मिट्टी पर मले, फिर बायें हाथ पर पानी डाल कर उसे अच्छी तरह स़ाफ़ कर ले, फिर दोनों हाथों को तीन दफ़ा धोये और कुल्ली और इस्तिन्शाक़ करे (नाक झाड़े) और चेहरे और बाज़ूओं को तीन दफ़ा धोये यहाँ तक कि जब सर तक पहुँचे तो मसह न करे बल्कि सर पर पानी डालें।' ऐसे ही अल्लाह के रसूल (ﷺ) का गुस्ल ज़िक्र किया गया है।

(422) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ को दो स़हाबी बयान कर रहे हैं हज़रत आयशा और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ؓ), नीज़ दीगर स़हाब–ए–किराम (ؓ) से भी नबी (ﷺ) के गुस्ल की बाबत

रिवायात आई हैं। इमाम नसाई (ﷺ) का मक़सूद ये है कि तमाम रिवायात (इन दो सहाबा से भी और दीगर सहाबा से भी) इस पर मुत्तफ़क़ हैं कि नबी (ﷺ) गुस्ल की इब्तिदा इस्तिन्जा और वुज़ू से फ़रमाते थे। **(2)** इस हदीस के आख़िरी अल्फ़ाज़ (فَهٰكَذَا كَانَ غُسْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا ذُكِرَ) भी इमाम नसाई (ﷺ) के हैं, हदीस का हिस्सा नहीं। **(3)** सबसे पहले दायाँ हाथ तब धोना है अगर उस पर नजासत लगी हो या वह मशकूक हो। **(4)** 'अगर चाहे' गोया मिट्टी पर हाथ मलना ज़रूरत की बिना पर हैं अगर नजासत लेसदार हो तो लेस दूर करने के लिए मिट्टी पर मल ले वरना कोई ज़रूरी नहीं आज कल साबुन मिट्टी के क़ायम मक़ाम है। **(5)** 'मसह न करे' क्योंकि सर धोना है तो मसह बेफ़ायदा होगा। किसी भी हदीस में गुस्ल के दौरान में सराहतन मसह करने का ज़िक्र नहीं है, अलबत्ता ये अल्फ़ाज़ हैं: 'आप(ﷺ) ने नमाज़ वाला वुज़ू किया सिवाए अपने पाँव के, यानी पाँव नहीं धोये।' इन अल्फ़ाज़ से कोई समझ सकता है कि मसह करना चाहिए मगर यहाँ इस्तिसना धोये जाने वाले आज़ा के लिहाज़ से मुमकिन है और यही दुरुस्त है। इस हदीस में इसकी सराहत है। 'मसह न करे।' जबकि कुछ हज़रात का ख़्याल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से दोनों तरह मन्कूल है, कभी मसह कर लेते और कभी छोड़ देते जैसा कि इस रिवायत में है। जबकि मसह करने की ताईद बज़ाहिर इन अल्फ़ाज़ से होती है: (تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ) बहरहाल गुस्ले जनाबत में पहले वुज़ू करते वक़्त सर का मसह करना ज़रूरी नहीं। वल्लाहु आलम!

बाब : (19) गुस्ले जनाबत में सारे जिस्म का ज़ाहिरी चमड़ा तर करना

بَاب : (١٩) اسْتِبْرَاءِ الْبَشَرَةِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

(423) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्कूल है, वह फ़रमाती हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो आप हाथ धोते, फिर नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाते, फिर अपने सर के बालों में उंगलियाँ तर कर के दाख़िल करते यहाँ तक कि जब समझते कि आपने सर का चमड़ा अच्छी तरह तर कर लिया है तो अपने सर पर तीन चुल्लू पानी डालते, फिर सारा जिस्म धोते।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ رَأْسَهُ بِأَصَابِعِهِ حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ غَرَفَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

(423) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 316, हदीस: 248, 420 में देखें।

(424) हज़रत आयशा (﵂) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब गुस्ले जनाबत फ़रमाते तो ऊँटनी के दूध वाले बर्तन जैसा कोई बर्तन मंगवाते। फिर अपनी हथेली में पानी लेते, पहले सर की दायीं जानिब डाल लेते, फिर बायीं जानिब, फिर दोनों हाथों में पानी लेते और अपने सर पर डालते।

(424) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 258, मुस्लिम, हदीस: 318.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوِ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .

बाब : (20) जुन्बी के लिए अपने सर पर कितना पानी बहाना काफ़ी है

باب : (٢٠) مَا يَكْفِي الْجُنُبَ مِنْ إِفَاضَةِ الْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ

(425) हज़रत जुबैर बिन मुत्इम (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) के पास गुस्ल का ज़िक्र हुआ तो आपने फ़रमाया: 'मैं तो अपने सर पर तीन दफ़ा पानी डालता हूँ।' ये सुवेद के लफ़्ज़ हैं।

(425) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 251 में देखें।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، ح وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . لَفْظُ سُوَيْدٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में इमाम नसाई (ﷺ) के दो उस्ताद हैं अब्दुल्लाह बिन सईद और सुवेद बिन नस्र। इमाम साहिब सराहत फ़रमा रहे हैं कि ये अल्फ़ाज़े हदीस उस्ताद सुवेद के बयान करदा हैं। (2) सर को एहतिमाम से धोना चाहिए, इसलिए इसमें तीन दफ़ा धोने की मशरूइयत है। इस तादाद से सर की जिल्द अच्छी तरह तर हो जाती है। इससे ज़्यादा दफ़ा धोना ममनूअ है। इमाम साहिब (ﷺ) का बाब से यही मक़सद मालूम होता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا .

(426) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब गुस्ल फ़रमाते तो सर पर तीन दफ़ा पानी डालते।

(426) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 255, मुस्लिम, हदीस: 329.

بَاب : (٢١) الْعَمَلِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ

बाब : (21) हैज़ के बाद गुस्ल का तरीक़ा

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهُورِ قَالَ " خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَوَضَّئِي بِهَا" . قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا قَالَ " تَوَضَّئِي بِهَا" . قَالَتْ كَيْفَ أَتَوَضَّأُ بِهَا قَالَتْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَبَّحَ وَأَعْرَضَ عَنْهَا فَفَطِنَتْ عَائِشَةُ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فَأَخَذْتُهَا وَجَبَذْتُهَا إِلَىَّ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(427) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) से मसला पूछा, उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हैज़ से पाक होने के बाद कैसे गुस्ल करूं? आपने फ़रमाया: 'रूई का कस्तूरी लगा हुआ टुकड़ा ले लो और उससे सफ़ाई करो।' उसने कहा: कैसे करूं? फिर अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने (ताज्जुब और शरमाते हुए) फ़रमाया: 'सुब्हानल्लाह! और मुँह एक तरफ़ कर लिया। हज़रत आयशा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक़सद समझ गईं। वह कहती हैं: चुनांचे मैंने उसे पकड़ा और अपनी तरफ़ खींचा। और उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक़सद समझाया।

(427) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 252 में देखें।

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने उसे गुस्ल की पूरी कैफ़ियत बताई थी जैसा कि दूसरी रिवायात में सराहत है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 314, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 332) यहाँ रावी ने इख़्तिसार से काम लिया हैं सिर्फ़ गुस्ले हैज़ की एक ख़ुसूसियत बयान की है। और वह है हैज़ की जगह ख़ुश्बू लगाना ताकि बदबू का इज़ाला हो सके। मज़ीद देखिये, हदीस: 252 और उसका फ़ायदा।

बाब : (22)
गुस्ल में एक दफ़ा पानी बहाना

باب: (٢٢)
الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَدَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوِ الْحَائِطِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ

(428) नबी (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत मैमूना (ؓ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने गुस्ले जनाबत फ़रमाया। चुनांचे आपने अपनी शर्मगाह को धोया और अपना हाथ ज़मीन या दीवार पर मला, फिर नमाज़ वाला वुज़ू फ़रमाया, फिर अपने सर और बाक़ी जिस्म पर पानी बहाया।

(428) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 254 में देखें।

फ़ायदा : गुस्ले जनाबत में शर्त ये है कि जिस्म का कोई हिस्सा ख़ुश्क न रहे, ख़्वाह पानी जिस्म पर एक दफ़ा डाला जाये या ज़्यादा दफ़ा।

बाब : (23)
एहराम बाँधते वक़्त निफ़ास वाली ख़्वातीन का गुस्ल करना

باب: (٢٣)
اغْتِسَالِ النُّفَسَاءِ عِنْدَ الإِحْرَامِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ . وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَى ذَا

(429) मुहम्मद बिन अली बाक़र कहते हैं कि हम जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ؓ) के पास गये और उनसे हज्जतुल विदा के बारे में पूछा, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) निकले तो ज़िल्क़अ़दा के पाँच दिन बाक़ी थे। हम भी आपके साथ निकले। जब ज़ुलहुलैफ़ा पहुँचे तो हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (ؓ) ने मुहम्मद बिन अबी बक्र को जन्म दिया। उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को पैग़ाम भिजवाया कि मैं क्या करूं? आपने

الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ " اغْتَسِلِي ثُمَّ اسْتَثْفِرِي ثُمَّ أَهِلِّي

फ़रमाया: 'ग़ुस्ल करके लंगोट बाँध लो, फिर एहराम बाँध लो।'

(429) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 292 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) निफ़ास वाली औरत का एहराम के मौक़े पर ग़ुस्ल सिर्फ़ जिस्मानी सफ़ाई या एहराम की अहमियत के लिए है, न कि पाकीज़गी के लिए क्योंकि वह ग़ुस्ल तो निफ़ास (ख़ून) ख़त्म होने के बाद होगा। **(2)** लंगोट बाँधना इसलिए है ताकि ख़ून कपड़ों और जिस्म को ख़राब न करे। मज़ीद देखिये, हदीस: 292 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

بَاب : (٢٤) تَرْكُ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

बाब : (24) ग़ुस्ल के बाद वुज़ू की ज़रूरत नहीं

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

(430) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ुस्ल के बाद वुज़ू नहीं फ़रमाते थे।

(430) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 253 में देखें।

फ़ायदा : चूंकि मसनून ग़ुस्ल की इब्तिदा ही वुज़ू से होती है, लिहाज़ा बाद में वुज़ू की ज़रूरत नहीं, बशर्ते कि वुज़ू करने के बाद ग़ुस्ल के दौरान शर्मगाह को हाथ न लगा हो। अगर ग़ुस्ल मसनून न हो, यानी वुज़ू के बग़ैर किया गया हो तो बाद में वुज़ू करना होगा। मज़ीद देखिये, हदीस: 253 और उसका फ़ायदा।

بَاب : (٢٥) الطَّوَافُ عَلَى النِّسَاءِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ

बाब : (25) तमाम बीवियों के पास जाने के बाद एक ही ग़ुस्ल करना

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

(431) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) को ख़ुश्बू लगाती थी,

بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْضَخُ طِيبًا .

फिर आप अपनी सब बीवियों के पास जाते, फिर (ग़ुस्ल करके) एहराम बाँधते और आपसे ख़ुश्बू की महक आ रही होती थी।

(431) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 417 में देखें।

फ़ायदा : दीगर रिवायात में सराहत है कि आप (ﷺ) आख़िर में एक ही ग़ुस्ल फ़रमाते थे। इमाम नसाई (رحمه الله) का इस्तिदलाल इस तरह है कि अगर हर जिमा के बाद ग़ुस्ल फ़रमाते तो ख़ुश्बू का असर क़तअन ज़ाइल हो जाता और महक न आती 'और ये कि हर बीवी से जिमा के बाद ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं, तमाम से फ़राग़त के बाद सिर्फ़ एक ही ग़ुस्ल किफ़ायत कर सकता है। मज़ीद देखिये, हदीस: 417 और उसके फ़वाइद व मसाइल।

باب : (٢٦) التَّيَمُّمِ بِالصَّعِيدِ

बाब : (26) मिट्टी से तयम्मुम करना

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا سَيَّارٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيْنَمَا أَدْرَكَ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ يُصَلِّي وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَلَمْ يُعْطَ نَبِيٌّ قَبْلِي وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً " .

(432) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे पाँच चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गईं। मुझे एक माह की मसाफ़त तक रौब अ़ता फ़रमाया गया, और मेरे लिए ज़मीन को नमाज़ की जगह और ज़रिय-ए-तहारत बनाया गया, लिहाज़ा मेरी उम्मत के आदमी को जहाँ भी नमाज़ पा ले वह पढ़ ले, और मुझे शफ़ाअ़ते आ़म्मह दी गई जो मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई, और मुझे सब लोगों की तरफ़ मबऊ़स किया गया है जबकि दूसरे नबी ख़ास तौर पर अपनी क़ौम की तरफ़ भेजे जाते थे।'

(432) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 335, मुस्लिम, हदीस: 521/3.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मिट्टी से तयम्मुम की पूरी बहस के लिए किताबुल ग़ुस्ल वत्तयम्मुम का

इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें। (2) 'एक माह की मसाफ़त तक रौब' से मुराद आपके तमाम दुशमनों पर रौब है कि वह आपसे एक महीने की मसाफ़त पर रहते हुए मरऊब हो जायेंगे, यही ख़ुसूसियत आपकी उम्मत को दी गई है बशर्ते कि वह शरीयत के पाबन्द हों। (3) तमाम ज़मीन नमाज़गाह बना दी गई है सिवाए उन मक़ामात के जिनको नजासत या कुछ दीगर वुजूह की बिना पर मुस्तसना (अलग) कर दिया गया है। कुछ अहादीस़ में सराहतन इनका ज़िक्र आया है। (4) शफ़ाअत से मुराद शफ़ाअते कुब्रा है जो तमाम उम्मतों के लिए आप फ़रमायेंगे जिसे 'मक़ामे महमूद' से बयान किया गया है वरना शफ़ाअत तो दूसरे भी करेंगे।

बाब : (27) तयम्मुम के साथ पढ़ी हुई नमाज़ के बाद पानी मिल जाये तो?

باب: (٢٧)
التَّيَمُّمِ لِمَنْ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ الصَّلَاةِ

(433) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि दो आदमियों ने तयम्मुम से नमाज़ पढ़ी मगर अभी नमाज़ का वक़्त बाक़ी था कि पानी मिल गया। उनमें से एक ने वुज़ू किया और वक़्त के अन्दर ही दोबारा नमाज़ पढ़ ली। दूसरे ने दोबारा न पढ़ी। फिर उन्होंने नबी (ﷺ) से पूछा तो आपने उस आदमी को जिसने नमाज़ नहीं दोहराई थी, फ़रमाया: 'तूने सुन्नत के मुताबिक़ किया है। तेरी पहली नमाज़ ही तेरे लिए काफ़ी है।' और दूसरे आदमी से फ़रमाया: 'तुझे दोहरा सवाब मिलेगा।'

(433) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 338, हाकिम: 1/178.

أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِي الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَ أَحَدُهُمَا وَعَادَ لِصَلاَتِهِ مَا كَانَ فِي الْوَقْتِ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ فَسَأَلاَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ " أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ " . وَقَالَ لِلآخَرِ " أَمَّا أَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) असल क़ायदा यही है कि तयम्मुम पानी न मिलने की सूरत में वुज़ू की तरह है, लिहाज़ा नमाज़ दोहराने की क़तअन ज़रूरत नहीं उस शख़्स का इज्तिहाद सही था तभी उसे 'सुन्नत' फ़रमाया और दूसरे शख़्स का इज्तिहाद अगरचे सही नहीं मगर चूंकि नियत नेक है, मशक़्क़त भी ज़्यादा उठाई है और अमल सालेह भी दो मर्तबा किया है, लिहाज़ा वह सवाब का हक़दार बना। लेकिन अब दोहराने की इजाज़त नहीं क्योंकि मसला वाज़ेह हो चुका है और सुन्नत मुतअय्यन हो चुकी है। अब

इज्तिहाद की ज़रूरत है न इजाज़त। और एक फ़र्ज़ नमाज़ दो दफ़ा फ़र्ज़ की नियत से पढ़ना ममनूअ है। **(2)** (سَهْمُ جَمْعٍ) के मानी हैं: दोहरा सवाब, यानी पहली नमाज़ का भी और दूसरी का भी। कुछ हज़रात ने इसके मानी लश्कर का हिस्सा यानी 'ग़नीमत' किये हैं।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِيرَةُ، وَغَيْرُهُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ، .

(434) अता बिन यसार से रिवायत है कि दो आदमी ... और सारी हदीस़ बयान की।

तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : पिछली हदीस़ और इस हदीस़ में फ़र्क़ ये है कि पिछली हदीस़ में हज़रत अता हज़रत अबू सईद (ﷺ) से बयान कर रहे हैं जब कि इस हदीस़ में उनका अपना बयान है, हज़रत अबू सईद का ज़िक्र नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، أَنْبَأَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنَّ مُخَارِقًا، أَخْبَرَهُمْ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَجْنَبَ فَلَمْ يُصَلِّ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " أَصَبْتَ " . فَأَجْنَبَ رَجُلٌ آخَرُ فَتَيَمَّمَ وَصَلَّى فَأَتَاهُ فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِلآخَرِ يَعْنِي " أَصَبْتَ " .

(435) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब से रिवायत है कि एक आदमी जुन्बी हो गया। (उसे पानी न मिला) तो उसने नमाज़ न पढ़ी, फिर वह नबी(ﷺ) के पास आया और आपसे इस बात का ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: 'तूने ठीक किया।' एक और आदमी जुन्बी हुआ। (उसे पानी न मिला) तो उसने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और नबी (ﷺ) के पास आया। आपने उसे भी वही अल्फ़ाज़ कहे जो दूसरे से कहे थे, यानी 'तूने ठीक किया।'

(435) तख़रीज : (सनद सही) हदीस़: 325 में देखें।

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस़: 325 और उसका फ़ायदा।

बाब : (28) मज़ी आने से वुज़ू करना

باب : (٢٨) الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ

(436) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हज़रत अली, हज़रत मिक़्दाद और हज़रत अम्मार (ﷺ) आपस में बातें कर रहे थे तो हज़रत

ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَالْمِقْدَادُ وَعَمَّارٌ فَقَالَ عَلِيٌّ إِنِّي امْرُؤٌ مَذَّاءٌ وَإِنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ مِنِّي فَيَسْأَلُهُ أَحَدُكُمَا فَذَكَرَ لِي أَنَّ أَحَدَهُمَا وَنَسِيتُهُ سَأَلَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ذَاكَ الْمَذْيُ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْ ذَلِكَ مِنْهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ أَوْ كَوُضُوءِ الصَّلاَةِ " .

अ़ली (ﷺ) ने कहा: तहक़ीक़ मुझे मज़ी बहुत आती है और मुझे ये मसला अल्लाह के रसूल(ﷺ) से पूछते हुए शर्म आती है क्योंकि आपकी स़ाहबज़ादी मेरे निकाह में है, इसलिए तुममें से कोई आपसे (ये मसला) पूछे। (अ़ता ने कहा:) इब्ने अ़ब्बास ने मुझे बताया कि उन दोनों में से किसी ने आपसे पूछा .... मैं उसका नाम भूल गया ... चुनाँचे नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई मज़ी को पाये तो उसे अपने जिस्म (शर्मगाह वग़ैरह) से धो दे और नमाज़ वाला वुज़ू करे।'

(436) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 438 में देखें।

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, अहादीस़: 152, 153, 157 और उनके फ़वाइद व मसाइल।

सुलैमान पर इख़्तिलाफ़ का बयान

الاِخْتِلاَفُ عَلَى سُلَيْمَانَ

वज़ाहत : नीचे दी गई दो अहादीस़ में हज़रत सुलैमान आमश के शागिर्द, सुलैमान से ऊपर वाली सनद मुख़्तलिफ़ बयान करते हैं। पहली हदीस़ में सुलैमान के उस्ताद हबीब बिन अबी स़ाबित हैं और दूसरी हदीस़ में उनके उस्ताद मुन्ज़िर हैं। इससे ऊपर भी सनद मुख़्तलिफ़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये रिवायत मुज़्तरिब है या कोई एक सनद ग़लत है, बल्कि दोनों दुरुस्त हैं। सिर्फ़ रावियों का इख़्तिलाफ़ बयान करना मक़सूद है; हदीस़ में तअ़न करना मुराद नहीं। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ.«

(437) हज़रत अ़ली (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं बहुत मज़ी वाला आदमी था। मैंने एक आदमी से कहा तो उसने नबी (ﷺ) से पूछा, चुनांचे आपने फ़रमाया: 'इसमें वुज़ू है।'

(437) तख़रीज: (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَذْىِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ "فِيهِ الْوُضُوءُ".

(438) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) की वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) से मज़ी के बारे में पूछते हुए शर्म आती थी। तो मैंने मिक़्दाद से कहा, उन्होंने नबी (ﷺ) से पूछा तो आपने फ़रमाया: 'इसमें वुज़ू है।'

(438) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 303/18.

الاِخْتِلاَفِ عَلَى بُكَيْرٍ

बुकैर पर इख़्तिलाफ़ का बयान

वज़ाहत : नीचे दी गई तीन रिवायात एक ही हदीस की मुख़्तलिफ़ सनदें हैं। पहली दो रिवायात में बुकैर से ऊपर वाली सनद मुख़्तलिफ़ है। पहली रिवायत में बुकैर के उस्ताद सुलैमान बिन यसार हैं जो हज़रत इब्ने अब्बास से बयान करते हैं। दूसरी रिवायत में हज़रत बुकैर के उस्ताद तो सुलैमान बिन यसार हैं मगर वह ये रिवायत हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के वास्ते के बग़ैर बयान करते हैं। तीसरी रिवायत में सुलैमान बिन यसार हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद से हदीस बयान करते हैं। तीसरी रिवायत में बुकैर का ज़िक्र नहीं है। इमाम नसाई (رحمه الله) इसे सिर्फ़ ताईद के लिए लाये हैं। इन रिवायात में एक और इख़्तिलाफ़ है, पहली और तीसरी रिवायत में (نضح) का ज़िक्र है जबकि दूसरी रिवायत में (غسل) का ज़िक्र है। इमाम अबू अब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मख़रमा बिन बुकैर ने अपने वालिद बुकैर से कोई हदीस नहीं सुनी, गोया ये रिवायत मुन्क़तअ है, अलबत्ता बहुत से मुहद्दिसीन इस रिवायत को मुत्तसिल समझते हैं। उनके नज़दीक मख़रमा का उनके वालिद से सिमा सही है। ख़ैर जो भी सूरत हो मतन सही है क्योंकि वह मुत्तसिल और सही सनद से भी मरवी है। मक़सूद सनदों के इख़्तिलाफ़ की तरफ़ इशारा करना है। इससे ज़ोफ़ (कमज़ोरी) लाज़िम नहीं आता। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(439) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत मिक़्दाद (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा कि वह आपसे मज़ी के बारे में पूछें (उन्होंने पूछा तो) आपने फ़रमाया: 'वुज़ू करो और

قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه أَرْسَلْتُ الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ .»قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَخْرَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ شَيْئًا .

शर्मगाह को धो लो।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि मख़्रमा ने अपने वालिद (बुकैर) से कोई हदीस़ नहीं सुनी।

तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 303/19.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ أَرْسَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه -الْمِقْدَادَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْمَذْىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ

(440) हज़रत सुलैमान बिन यसार से रिवायत है कि हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) ने हज़रत मिक़्दाद (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास भेजा कि वह आपसे उस आदमी के बारे में पूछें जो मज़ी पाता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह अपना ज़कर (अ़ज़्वे ख़ास़, शर्मगाह) धो ले, फिर वुज़ू करे।'

(440) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَةِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ . فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

(441) हज़रत मिक़्दाद (ﷺ) बिन अस्वद से रिवायत है कि हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब(ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से एक आदमी के बारे में सवाल करें कि जब वह अपनी बीवी के क़रीब जाता है तो उससे मज़ी निकलती है। चूंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी मेरे निकाह में है, इसलिए मुझे ख़ुद आपसे पूछते हुए शर्म आती है। चुनाँचे उन्होंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई ये सूरत पाये तो वह अपनी शर्मगाह धोये और नमाज़ वाला वुज़ू करे।'

(441) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 156 में देखें।

फ़ायदा : ऊपर दी गई हदीस़ों को समझने के लिए देखिये फ़वाइद अहादीस़: 152, 153, 157.

बाब : (29) नींद की वजह से वुज़ू का हुक्म

باب : (٢٩) الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

(442) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई रात को नींद से उठे तो वह अपना हाथ बर्तन में न डाले यहाँ तक कि उस पर दो तीन दफ़ा पानी डाल ले क्योंकि तुममें से किसी को इल्म नहीं कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुज़ारी है (मालूम नहीं कहाँ कहाँ लगता रहा है।)'

(442) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 24, इब्ने माजा, हदीस: 393, मुस्लिम, हदीस: 278.

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 161, 162 और उनके फ़वाइद व मसाइल।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى ثُمَّ اضْطَجَعَ وَرَقَدَ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ مُخْتَصَرٌ .

(443) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि एक रात मैंने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। मैं आपकी बायें जानिब खड़ा हुआ तो आपने मुझे अपनी दायें जानिब खड़ा कर दिया, फिर नमाज़ पढ़ते रहे, फिर लेट कर सो गये। मुअज़्ज़िन आपके पास आया। आपने नमाज़ पढ़ी और वुज़ू नहीं फ़रमाया। ये रिवायत मुख़्तसर है।

तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 726, मुस्लिम, हदीस: 763/186.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम के साथ एक मुक़्तदी हो तो वह आगे पीछे की बजाये बराबर खड़े होंगे। इमाम बायें तरफ़: मुक़्तदी दायें तरफ़। **(2)** लेट कर सोना और फिर वुज़ू न करना आपका ख़ास्सह है क्योंकि आपका दिल इस हालत में भी जागता रहता था। आपने ख़ुद फ़रमाया है: 'मेरी आँखें सोती हैं, दिल जागता रहता है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1147, सहीह मुस्लिम, हदीस: 738) हमारी ये कैफ़ियत नहीं है, लिहाज़ा हमें ऐसी सूरत में वुज़ू करना होगा। ये रिवायत यहाँ सुनन नसाई में तो मुख़्तसर है लेकिन सहीहैन, यानी सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में तफ़सीलन मौजूद है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 138, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 763)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ " .

(444) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को नमाज़ में ऊंघ आये तो वह नमाज़ छोड़ दे और सो जाये।'

(444) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 213.

फ़ायदा : इस मसले में थोड़ी सी तफ़्सील है, वह ये कि अगर नींद का ग़ल्बा है और नमाज़ पढ़ने वाले को किसी चीज़ का शऊर नहीं कि वह क्या पढ़ रहा है और क्या नहीं पढ़ रहा तो ऐसी सूरत में नमाज़ बिल्कुल छोड़ दे। जब नींद का ग़ल्बा ख़त्म हो और उसका शऊर बहाल हो तो उस वक़्त वुज़ू करे और नमाज़ पढ़े क्योंकि ऐसी नींद जो शऊर को ख़त्म कर दे, वह नाक़िज़े वुज़ू होती है, यानी उससे वुज़ू टूट जाता है। सही बुख़ारी में मन्क़ूल हदीस से इसी मफ़हूम की तरफ़ इशारा मिलता है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 212, 213) लेकिन अगर नींद का ग़ल्बा नहीं बल्कि शऊर बहाल है, बस वैसे ही हल्की–फुल्की ऊंघ की कैफ़ियत तारी है तो इस सूरत में नमाज़ को मुख़्तसर करके मुकम्मल कर ले, नमाज़ को छोड़े नहीं क्योंकि नमाज़ी के हवास बहाल हैं और शऊर भी। ऐसी सूरत में नमाज़ में इख़्तिसार कर ले। इन्शाअल्लाह नमाज़ दुरुस्त होगी। दोनों हदीसों में तत्बीक़ की यही सूरत राजेह मालूम होती है। वल्लाहु आलम!

باب : (٣٠) الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

बाब : (30) अज़्वे मख़्सूस को हाथ लगाने से वुज़ू करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرٍ - قَالَ عَلَى أَثَرِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أُتْقِنْهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ بُسْرَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

(445) हज़रत बुस्रा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपनी शर्मगाह को हाथ लगाये तो चाहिए कि वह वुज़ू करे।'

(445) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 163 में देखें।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ

(446) हज़रत बुस्रा बिन्ते सफ़वान (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

कोई अपना हाथ अपनी शर्मगाह को लगाये तो वुज़ू करे।'

(446) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 163 में देखें।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ . فَأَرْسَلَ عُرْوَةُ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ " مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ " .

(447) हज़रत उ़रवा बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि मरवान बिन हकम ने कहा: अ़ज़्वे मख़सूस छूने से वुज़ू वाजिब हो जाता है। मरवान ने कहा: मुझे ये बात बुस्रा बिन्ते सफ़वान (ﷺ) ने बताई। उ़रवा ने उन (बुस्रा) को पैग़ाम भेजा तो उन्होंने फ़रमाया: एक दफ़ा अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया जिनसे वुज़ू वाजिब होता है, तो आपने फ़रमाया: 'अ़ज़्व (शर्मगाह) को छूने से भी।'

(447) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 163 में देखें।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

(448) हज़रत बुस्रा बिन्ते सफ़वान (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी अपने अ़ज़्व को हाथ लगाये तो वह वुज़ू किये बग़ैर नमाज़ न पढ़े।'

इमाम अबू अ़ब्दुर्रहमान नसाई (رحمه الله) बयान करते हैं कि हिशाम बिन उ़रवा ने ये हदीस अपने बाप (हज़रत उ़रवा) से नहीं सुनी।

(448) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 163 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) सिर्फ़ ये हदीस नहीं सुनी वरना हिशाम का सिमाअ़ हज़रत उ़रवा से मारूफ़ है। इस हदीस में (أَخْبَرَنِي أَبِي) के अल्फ़ाज़ किसी रावी का वहम है। इस वहम पर तम्बीह की जा रही है। (2) इस मसले की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। मुलाहिज़ा फ़रमायें, हदीस: 163, 164, 165 और उनके फ़वाइद व मसाइल। इसका ख़ुलासा ये है कि कपड़े के बग़ैर अगर अ़ज़्वे मख़सूस को हाथ लगे तो वुज़ू टूट जायेगा, वरना नहीं। वल्लाहु आलम।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

नमाज़, और उसकी फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत

इमाम नसाई (رحمه الله) तहारत और उससे मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल बयान करने के बाद ऐसी इबादत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल बयान करना चाहते हैं कि जिससे पहले तहारत शर्त है। और वह इबादत नमाज़ है जिसकी बाबत अहादीस़ में मरवी है कि दीने इस्लाम में शहादतैन के इक़रार के बाद नमाज़ दीन का अहम तरीन रूक्न है और हुक़ूक़ुल्लाह में से इसी का सबसे पहले हिसाब होगा। नीचे इसी इबादत की लुग़वी व इस्तिलाही तारीफ़ और उसकी फ़र्ज़ीयत व अहमियत और फ़ज़ीलत को अहादीस़ की रोशनी में वाज़ेह किया गया है ताकि क़ारेईन अहकाम व मसाइल जानने और पढ़ने से पहले इसकी अहमियत और फ़ज़ीलत भी जान लें।

स़लात (नमाज़) के लुग़वी मानी **'दुआ'** के हैं। क़ुर्आने हकीम में है: **'उनके लिए आप दुआ करें, यक़ीनन आप की दुआ उनके लिए बाइस़े तस्कीन है।'** (अत्तौबा: 9/103) चूंकि ये इबादत (नमाज़) दुआ पर मुश्तमिल है, इसलिए इसे इस नाम से मौसूम किया गया है। (सबीलुस्सलाम: 1/193)

शरई इस्तिलाह में नमाज़ चंद अक़वाल व अफ़आल का नाम है जिनका आग़ाज़ चंद मख़सूस़ शराइत के साथ तकबीरे तहरीमा से होता है और इख़्तिताम सलाम पर। देखिये: (अल्फ़िक़ह अ़लल्मज़ाहिबुल, अरबआ, स़फ़ा: 103, तबअ़ जदीद इब्ने हैसि म)

तौहीद व रिसालत के इक़रार के बाद एक बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत पाँच वक़्त इक़ामते स़लात का पाबन्द है, और नमाज़ पाँचों अरकान में से इस्लाम का दूसरा अहम रूक्न है, लिहाज़ा जो शख़्स़ जानते बूझते इसकी फ़र्ज़ीयत का मुन्कर हो, वह बिल इत्तिफ़ाक़ दायर-ए-इस्लाम से ख़ारिज होगा। नमाज़ मोमिन की एक अहम पहचान है। ये बुराई, और बेहयाई से रोकती है। इसकी मुदावमत (हमेशगी) व मुहाफ़िज़त पर अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़लाह व फ़ौज़ का वादा है। बुलूग़त से ज़िन्दा रहने तक इंसान इसका पाबन्द है। उ़ज्र की सूरत में कैफ़ियते अदा में तो इसकी तख़्फ़ीफ़ है लेकिन माफ़ी क़तअ़न नहीं। इसका मक़सदे आज़म तो यादे इलाही है लेकिन आजिज़ी व दरमान्दगी के इज़हार के लिए अल्लाह के सामने ये एक उ़म्दा सूरत है। ये नफ़्स का सुकून और रूह की ग़िज़ा है। हम्म व ग़म और दुख दर्द का कामयाब इलाज है। मुर्दा दिलों की मायूसी और वीरानी के लिए आबे हयात है। बराहेरास्त रब्बुल आलमीन से मनाजात का ज़रिया और मोमिन की मेराज है। बेसब्री में नुस्ख़-ए-कीमिया और मोमिन की आँखों की

ठण्डक है। (جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)

बहरहाल क़ुर्आने करीम की कई आयात में नमाज़ का हुक्म इसकी अहमियत के लिए काफ़ी है। इसके अलावा अहादीस में इसके अहकाम व अवामिर इसकी अहमियत व वुक़अत (हैसियत) को चार चाँद लगा देते हैं, लिहाज़ा तर्के सलात या इसके हक़ में सुस्ती बरतने वाले के लिए बिल्कुल गुंजाइश का कोई रास्ता नहीं निकलता। याद रहे, नमाज़ की अदायगी के लिए '**इक़ामत**' का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो अपने अन्दर वसीअ तर मफ़हूम रखता है। और वह ये है कि नमाज़ अपनी हुदूद व कुयूद, फ़राइज़ व वाजिबात, शराइत और मसनून तरीक़े के मुताबिक़ अदा की जाये तब ऊपर दिये गये फ़वाइद का हुसूल मुमकिन और इक़ामते सलात का एहतिमाम हो सकता है वरना मर्ज़ी या वक़्त गुज़ारी की नमाज़ इन्दल्लाह शर्फ़े क़ुबूलियत हासिल नहीं कर सकती।

आप (ﷺ) का फ़रमान है: '**जिस शख़्स ने उम्दा तरीक़े से इन (नमाज़ों) का वुज़ू किया, बरवक़्त इनकी अदायगी की और इनके रूकूअ व सुजूद और ख़ुशूअ को मुकम्मल तौर पर बजा लाया तो उसके हक़ में अल्लाह का वादा और ज़िम्मा है कि वह उसे बख़्श देगा। और जिसने (इस तरह) बजावरी न की तो उसके बारे में अल्लाह तआला का कोई ज़िम्मा नहीं, चाहे तो उसे बख़्श दे और चाहे तो उसे अज़ाब दे।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 425, सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, हदीस: 452) यही वजह है कि नमाज़ की अदायगी में इन उमूर का ख़्याल न करने वाले के अज्र व सवाब में कमी होती है। हदीस में है: '**(जब) बन्दा नमाज़ पढ़ता है तो उसके हक़ में नमाज़ के दसवें हिस्से, नवें, आठवें, सातवें, छठें, पाँचवें, चौथे, तीसरे या आधे हिस्से का (सवाब) लिखा जाता है।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 796, लिल अल्बानी: 1/15) और अगर कोई जल्दबाज़ी का सुबूत दे और नमाज़ के अरकान व वाजिबात का ख़्याल न रखे तो मुश्किल नहीं कि अल्लाह के हुज़ूर उसकी ये नमाज़ क़ुबूल न हो जैसा कि एक दफ़ा आप (ﷺ) ने एक 'मसई अलसलात' को दो तीन दफ़ा नमाज़ पढ़ने के बावजूद फ़रमाया: '**तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 757) इस्लाम में नमाज़ की इस क़द्र अहमियत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '**जब बच्चा सात बरस का हो तो उसे नमाज़ का हुक्म दो, अगर दस बरस का हो जाये (और नमाज़ में सुस्ती का मुरतकिब हो) तो उसे सज़ा दो।**' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 494)

नमाज़ की अहमियत व फ़ज़ीलत से मुताल्लिक़ कुछ दीगर अहादीस बतौर दलील व हुज्जत के हाज़िरे ख़िदमत हैं: हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी हदीस में है कि आप (ﷺ) ने पूछा: '**मुझे बताओ अगर तुममें से किसी एक के घर के सामने नहर बह रही हो और वह रोज़ाना उसमें पाँच मर्तबा**

नहाये, क्या उसके बदन पर मेल कुचैल बाक़ी रह जायेगा?' सहाब-ए-किराम(ﷺ) ने जवाब दिया: नहीं। तब आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'पाँच नमाज़ों की मिसाल ऐसे ही है। अल्लाह तआला उनकी वजह से ख़ताओं को मिटा देता है।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 528, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 667) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: **'(गुनाहों की वजह से) तुम जलते हो, झुलसते हो। जब तुम सुबह की नमाज़ पढ़ते हो तो ये गुनाहों को धो डालती है, फिर तुम झुलसते ही रहते हो यहाँ तक कि ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते हो तो ये ख़ताओं को धो डालती है। फिर तुम (गुनाहों की आग में) जलते झुलसते हो, और जब अस्र की नमाज़ पढ़ लेते हो तो ये उन्हें धो देती है ... फिर (ख़ताओं की तैश से) जलते हो यहाँ तक कि तुम इशा की नमाज़ पढ़ते हो तो ये नमाज़ उन (गुनाहों) को धो डालती है, फिर तुम सो जाते हो और तुम्हारा कुछ भी नहीं लिखा जाता यहाँ तक कि तुम बेदार हो जाओ।'** (अलमुअज्जम अलकबीर लित्तबरानी, हदीस: 8739, मौक़ूफ़न वल्औसत, हदीस: 2224 व सहीह अत्तरग़ीब वत्तरहीब, हदीस: 357) और हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'अल्लाह तआला का एक फ़रिश्ता हर नमाज़ के वक़्त मुनादी करता है: ऐ बनी नोअे इंसान! तुमने जो आग भड़काई है उसे बुझाने के लिए उठो, यानी नमाज़ पढ़ो।'** (अलमुअज्जम अल्औसत लित्तबरानी, हदीस: 9452, सहीह अत्तरग़ीब वत्तरहीब, हदीस: 358) इसी तरह आप (ﷺ) का फ़रमान है कि **'जब बन्द-ए-मुसलमान नमाज़ पढ़ता है तो उसकी ख़ताएँ उसके सर पर बुलन्द होती हैं, जब भी वह सज्दा करता है तो उससे गिरती जाती हैं, बिल आख़िर जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ होता है तो उसकी लग़्ज़िशें गिर (माफ़ हो) चुकी होती हैं।'** (अलमुअज्जम अल्औसत लित्तबरानी, हदीस: 6125 सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिलअल्बानी, हदीस: 3402) तर्के सलात या उसमें कमी कोताही या सुस्ती कुफ़्रिया वतीरा और मुनाफ़िक़ाना रविश है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बन्दे और कुफ़्र व शिर्क के दरम्यान हद्दे इम्तियाज़ (फ़र्क) तर्के सलात को क़रार दिया है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 82) अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ (ﷺ) जब ज़ख़्मी थे, उन्होंने नमाज़ अदा की और फ़रमाया: **'जो शख़्स नमाज़ नहीं पढ़ता उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं।'** (मोत्ता लिल इमाम मालिक, हदीस: 51)

ये तो थी नमाज़ की फ़र्ज़ीयत और अहमियत व फ़ज़ीलत जबकि नमाज़ के दीगर अहकाम व मसाइल इमाम नसाई (رحمه الله) ने बयान किये हैं जिनकी तफ़्सील आगे अपने अपने मक़ाम पर आयेगी। इन्शाअल्लाह!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الصلاة

नमाज़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

बाब : (1)

नमाज़ की फ़र्ज़ीयत का बयान और हज़रत अनस बिन मालिक(ﷺ) की हदीस़ की सनद में रावियों के इख़्तिलाफ़ और उस (के मतन) में उनके लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

بَاب : (١)

فَرْضِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه وَاخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِمْ فِيهِ .

वज़ाहत : हदीस़ 449 में हज़रत अनस (ﷺ) हज़रत मालिक बिन स़अस़अ (ﷺ) के वास्ते से हदीस़ बयान फ़रमाते हैं, जबकि हदीस़: 450, 451 में वह बराहेरास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान फ़रमा रहे हैं। क्यों बईद नहीं कि उन्होंने हज़रत मालिक बिन स़अस़आ से भी ये हदीस़ सुनी हो और फिर ये हदीस़ या इसके कुछ हिस्से रसूलुल्लाह (ﷺ) से बराहेरास्त भी सुनी हों। दोनों सूरतों में रिवायत की स़ेहत पर कोई अस़र नहीं पड़ता। अगर बिलफ़र्ज़ कहीं वास्ता हज़फ़ भी कर दिया हो तब भी रिवायत स़ही है क्योंकि वह वास्ता स़हाबी ही का होगा। और स़हाबा सब के सब आदिल और सिक़ाह हैं। और राजेह मौक़फ़ के मुताबिक़ मुर्सले स़हाबी हुज्जत है।

(449) हज़रत मालिक बिन स़अस़आ (ﷺ) से रिवायत है नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा मैं बैतुल्लाह के पास जागने और सोने की दरम्यानी कैफ़ियत में था कि तीन आदमी आये। एक आदमी उनमें से दो के दरम्यान था। मेरे पास सोने का थाल लाया गया जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। उस दरम्यान वाले आदमी ने (मेरा

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ

وَالْيَقْظَانِ إِذْ أَقْبَلَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأُتِيتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَلآنَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشَقَّ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقِّ الْبَطْنِ فَغَسَلَ الْقَلْبَ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ مُلِئَ حِكْمَةً وَإِيمَانًا ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ الْبَغْلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَقِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ . قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى يَحْيَى وَعِيسَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمَا فَقَالاَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّالِثَةَ قِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ جِبْرِيلُ . قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا

बदन) सीने से लेकर पेट के नीचे तक चाक कर दिया, फिर उसने मेरे दिल को ज़मज़म के पानी से धोया फिर उसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया, फिर मेरे पास ख़च्चर से छोटा और गधे से बड़ा जानवर लाया गया, फिर मैं जिब्राईल (عليه السلام) के साथ चला, चुनाँचे हम पहले (क़रीबी) आसमान तक आये। (दरवाज़ा खटखटाने पर) पूछा गया कौन है? जिब्राईल (عليه السلام) ने कहा: जिब्राईल हूँ। पूछा गया और तेरे साथ कौन है? (जिब्राईल (عليه السلام) ने) फ़रमाया: मुहम्मद (ﷺ) हैं। कहा गया: क्या उन्हें बुलाया गया है? (सवाल व जवाब के बाद दरवाज़ा खोला गया और कहा गया:) आप को ख़ुशआमदीद हो। आप बहुत ही ख़ूब आये। (इस आसमान पर) मैं आदम (عليه السلام) के यहाँ पहुँचा और मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने फ़रमाया: ख़ुशआमदीद हो तुम्हें ऐ मेरे बेटे और नबी! फिर हम दूसरे आसमान पर आये। पूछा गया कौन है? कहा: जिब्राईल। कहा गया: आपके साथ कौन है? कहा मुहम्मद (ﷺ)! यहाँ भी पहले आसमान की तरह हुआ, चुनाँचे मैं यहया और ईसा (عليه السلام) के पास आया और मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने कहा: ख़ुशआमदीद हो आपको ऐ हमारे भाई और नबी! फिर हम तीसरे आसमान पर आये। पूछा गया कौन है? कहा: जिब्राईल। कहा गया: तेरे साथ कौन है? कहा: मुहम्मद (ﷺ)! वहाँ भी इसी तरह हुआ चुनाँचे मैं यूसुफ़ (عليه السلام) के पास आया। मैंने उनको सलाम किया। वह कहने

السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخٍ وَنَبِيٍّ . فَلَمَّا جَاوَزْتُهُ بَكَى قِيلَ مَا يُبْكِيكَ قَالَ يَا رَبِّ هَذَا الْغُلاَمُ الَّذِي بَعَثْتَهُ بَعْدِي يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِهِ الْجَنَّةَ أَكْثَرُ وَأَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي . ثُمَّ أَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنٍ وَنَبِيٍّ . ثُمَّ رُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ

लगे: ख़ुश आमदीद हो आपको ऐ भाई और नबी! फिर हम चौथे आसमान तक पहुँचे। वहाँ भी वही कुछ हुआ। मैं इदरीस (عليه السلام) को मिला। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने कहा: ख़ुशआमदीद हो आपको ऐ भाई और नबी! फिर हम पाँचवें आसमान पर आये। यहाँ भी वही कुछ हुआ। मैं हारून (عليه السلام) को मिला। मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा: ख़ुशआमदीद हो आप को ऐ भाई और नबी! फिर मैं मूसा (عليه السلام) के पास आया और मैंने उनको सलाम किया। उन्होंने कहा: ख़ुशआमदीद हो आपको ऐ भाई और नबी! जब मैं उनसे आगे गुज़रा तो वह रोने लगे। पूछा गया: आप क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा: या रब! ये नौजवान जिसको तूने मेरे बाद नबी बनाया, इसकी उम्मत से मेरी उम्मत के मुक़ाबले में ज़्यादा लोग जन्नत में जायेंगे और वह अफ़ज़ल भी होंगे। फिर हम सातवें आसमान पर गयें वहाँ भी यही कुछ हुआ। मैं इब्राहीम (عليه السلام) के पास गया। उनको सलाम किया। उन्होंने फ़रमाया: ख़ुशआमदीद हो आपको ऐ बेटे और नबी! फिर मुझे बैते मअ़्मूर दिखलाया गया। मैंने जिब्राईल से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये बैते मअ़्मूर है। इसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं जब वह उससे एक दफ़ा निकल जाते हैं तो उम्र भर दोबारा नहीं आ सकते। फिर मुझे सिदरतुल मुन्तहा की तरफ़ बुलन्द किया (चढ़ाया) गया। उसके बैर इलाक़-ए-हजर के मटकों के बराबर और उसके

قِلاَلِ هَجَرٍ وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ وَإِذَا فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهْرَانِ بَاطِنَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلاَةً . قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ إِنِّي عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَنْ يُطِيقُوا ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنِّي فَجَعَلَهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا أَرْبَعِينَ . فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَجَعَلَهَا ثَلاَثِينَ فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَجَعَلَهَا عِشْرِينَ ثُمَّ عَشْرَةً ثُمَّ خَمْسَةً فَأَتَيْتُ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ لِي مِثْلَ مَقَالَتِهِ الأُولَى فَقُلْتُ إِنِّي

पत्ते हाथी के कानों जितने बड़े थे। उसकी जड़ें चार नहरें थीं। दो पोशीदा, दो ज़ाहिर। मैंने जिब्राईल (عليه السلام) से पूछा तो उन्होंने बताया कि पोशीदा नहरें तो जन्नत में हैं और ज़ाहिर नील व फ़ुरात हैं। फिर मुझ पर पचास (50) नमाज़ें फ़र्ज़ की गयीं। मैं वापस मूसा (عليه السلام) के पास आया तो उन्होंने पूछा: क्या कर आये? मैंने कहा: मुझ पर पचास (50) नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। उन्होंने कहा: मैं लोगों को आपसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझे बनी इस्राईल का ज़बरदस्त तजुर्बा है। आपकी उम्मत हरगिज़ इसकी ताक़त न रखेगी, लिहाज़ा वापस अपने रब तआला के पास जायें और उनसे तख़्फ़ीफ़ (कमी) का सवाल करें। मैं दोबारा अपने रब तआला के पास गया और तख़्फ़ीफ़ का सवाल किया। अल्लाह तआला ने उनको चालीस (40) बना दिया। मैं फिर मूसा (عليه السلام) के पास आया तो उन्होंने पूछा क्या कर आये? मैंने कहा: अल्लाह तआला ने चालीस (40) कर दी हैं। लेकिन उन्होंने फिर पहली बात दोहराई। मैं फिर अपने रब तआला के पास गया तो अल्लाह तआला ने तीस (30) कर दीं। मैं फिर मूसा (عليه السلام) के पास गया और उन्हें बताया तो उन्होंने फिर पहली बात ही की। मैं फिर अपने रब तआला के पास गया तो अल्लाह तआला ने पहले बीस (20) फिर दस (10) और फिर पाँच (5) कर दीं। मैं फिर मूसा (عليه السلام) के पास आया तो उन्होंने फिर पहली बात दोहराई। मैंने कहा: अब तो मुझे

أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ فَنُودِيَ أَنْ قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي بِالْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثَالِهَا " .

अपने रब तआला की तरफ़ जाते हुए शर्म आती है। चुनाँचे इतने में ऐलान हुआ: मैंने अपना फ़रीज़ा जारी (नाफ़िज़) कर दिया और अपने बन्दों से तख़्फ़ीफ़ की और मैं हर नेकी का बदला दस गुना दूंगा।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3207, मुस्लिम, हदीस: 164/265, मुसनद अहमद, हदीस: 4/207.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (عِنْدَ الْبَيْتِ) से बैतुल्लाह मुराद है। आप बैतुल्लाह के एक हिस्से 'हजर' में लेटे हुए थे। इसे हुतैम भी कहते हैं। कुछ रिवायात में उम्मे हानी के घर का ज़िक्र है। (तफ़्सीर तबरी:9/5) मुमकिन है। वहीं सोये हों, फिर हुतैम में आ गये हों। **(2)** 'जागने सोने के दरम्यान' आपकी उमूमी नींद ऐसी ही थी और यहाँ इसका मतलब गहरी नींद की नफ़ी है, यानी आप नींद के इब्तिदाई मरहले में थे, इसे जागने और सोने के दरम्यान से ताबीर किया गया है। **(3)** 'तीन आदमी आये' ज़ाहिर सूरत के लिहाज़ से आदमी कहा वरना वह फ़रिश्ते थे। दो का नाम कुछ रिवायात में है: जिब्राईल और मीकाईल (عليه السلام) **(4)** आपके सीन-ए-अतहर का चीरा जाना, फिर ज़मज़म से धोया जाना और ईमान व हिकमत से भरा जाना, ये अल्लाह तआला और उसके महबूब तरीन रसूल (ﷺ) का बाहमी राज़ है जिसकी कोई तौजीह नहीं की जा सकती, मुमकिन है ये आसमानों पर जाने की तैयारी का इब्तिदाई मरहला हो। **(5)** इस्तिदलाल किया गया है कि ज़म ज़म का पानी जन्नत के पानी से अफ़ज़ल है। तभी आपके क़ल्बे अक़्दस को इससे धोया गया। **(6)** 'जानवर' का नाम रिवायात में 'बुर्राक़' आया है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3887, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 164) मगर ये भी वस्फ़ी नाम है जो बर्क़ से लिया गया है। **(7)** 'मैं जिब्राईल के साथ चला' आने वाले तीन हमराहियों में से एक जिब्राईल (عليه السلام) ही थे। इसके बाद बाक़ी दो का ज़िक्र नहीं। ज़ाहिर है वह ख़ाली थाल लेकर और आपके दीदार से मुशर्रफ़ होकर वापस चले गये। **(8)** 'हम आसमाने दुनिया के पास आये।' रिवायत मुख़्तसर है। कुछ रिवायात में मदीना मुनव्वरा, तूरे सीना, बैतुल लह्म और बैतुल मक़्दिस जाने का भी ज़िक्र है। (देखिये, हदीस: 451) **(9)** सातवें आसमानों पर मुख़्तलिफ़ अम्बिया(عليهم السلام) से आपकी मुलाक़ात, मुमकिन है उनको आपके इस्तिक़बाल व मुलाक़ात के लिए ख़ुसूसी तौर पर लाया गया हो। और यही अन्सब (ज़्यादा मुनासिब) है। **(10)** हज़रत आदम और इब्राहीम (عليهما السلام) का आपको बेटा कहना इसलिए है कि वह आपके अज्दाद में शामिल हैं। नसब में उनका ज़िक्र होता है, जबकि दूसरे अम्बिया (عليهم السلام) आपके नसब में नहीं आते, लिहाज़ा वह आपके चचाज़ाद

भाईयों के रूत्बे में हैं, तभी उन्होंने आपको भाई कहा। **(11)** मूसा (عليه السلام) का रोना आप या आपकी उम्मत पर हसद के तौर पर नहीं था। नऊज़ुबिल्लाह! अम्बिया (عليهم السلام) इस बीमारी से मासूम होते हैं, बल्कि ये अपनी उम्मत पर अफ़सोस की बिना पर था मैंने इतनी मेहनत की, इतना अर्सा गुज़ारा मगर मैं ये रुत्बा हासिल न कर सका क्योंकि जिस नबी के जितने ज़्यादा पैरोकार होंगे उसे उतना ही अज्र व सवाब से नवाज़ा जायेगा। अगर हसद होता तो वापसी के वक़्त उम्मते मुस्लिमा की ख़ैरख़्वाही क्यों करते और पचास-50 से पाँच-5 नमाज़ें रह जाने का सबब क्यों बनते? शायद इसी शुब्हे के इज़ाले के लिए ये बातें हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) की बजाये हज़रत मूसा (عليه السلام) से कहलवाई गयीं, वरना हज़रत इब्राहीम (عليه السلام) सातवें आसमान पर थे। वापसी पर आप (ﷺ) की उनसे मुलाक़ात पहले हुई। मूसा (عليه السلام) तो छठे आसमान पर थे। कुछ मुहद्दिसीन ने ये इम्कान भी ज़ाहिर किया है कि वापसी के वक़्त अम्बिया(عليهم السلام) की तर्तीब बदल गई होगी। **(12)** 'बैतुल मअ्मूर' बैतुल्लाह के ऐन ऊपर सातवें आसमान पर है जिसमें फ़रिश्ते नमाज़ पढ़ते हैं। जो एक दफ़ा आता है उसकी दोबारा बारी नहीं आती और दाख़िल भी रोज़ाना सत्तर हज़ार होते हैं। इससे ये अख़ज़ किया गया है कि फ़रिश्ते दीगर तमाम मख़्लूक़ात से तादाद में ज़्यादा हैं। वल्लाहु आलम! (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3207) **(13)** सिदरतुल मुन्तहा बेरी का दरख़्त है। इसकी हक़ीक़त क्या है? क़त्इयत से कुछ नहीं कहा जा सकता। सूफ़िया ने इसे अल्लाह तआला की सिफ़्ते ख़ल्क़ का तमसिल क़रार दिया है। वल्लाहु आलम! 'सिदरा' अरबी जबान में बेरी के दरख़्त को कहते हैं। 'अल्मुन्तहा' के मानी हैं: आखिरी, यानी ये मख़्लूक़ात की इन्तिहा है, यहाँ आलमे ख़ुल्क़ ख़त्म हो जाता है। बक़ौल सूफ़िया इससे ऊपर आलमे अम्र है जहाँ किसी मख़्लूक़ की रसाई नहीं ख़्वाह वह कोई इंसान हो या फ़रिश्ता। इस हदीस में इसे सातवें आसमान से ऊपर क़रार दिया गया है। आगे एक हदीस में इसे छठे आसमान पर बतलाया गया है। तत्बीक़ यूँ है कि जड़ छठे आसमान पर होगी और शाख़ें सातवें आसमान पर पहुँची हुई होंगी। वल्लाहु आलम! **(14)** सिदरतुल मुन्तहा की जड़ में चार नहरों (या दरियाओं) जो ज़िक्र है उनमें से दो को पोशीदा बताया गया है, और ये कि वह जन्नत में हैं और दो को ज़ाहिर किया गया है जो नील और फुरात हैं। सहीह मुस्लिम की रिवायत में जन्नत की दो बातिनी नहरों के नाम 'सैहान' और जैहान' बतलाये गये हैं। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2839) इसके अलावा उन चारों नहरों को जन्नत की नहरें क़रार दिया गया है। दरिया-ए-नील व फुरात तो मशहूर और उनके इलाक़े भी मालूम हैं और सैहान व जैहान की बाबत मौलाना सफ़ीऊर्रहमान मुबारक पूरी (رحمه الله) मिन्नतुल मुन्इम फ़ी शरह सहीह मुस्लिम में फ़रमाते हैं कि ये दोनों नहरें बहुत बड़ी हैं और तुर्की में हैं। जैहान की गुज़रगाह मसीसा है और सैहान की गुज़रगाह अज़ना है। और ये दोनों नहरें बहरे रूम में गिरती हैं। इनके अलावा दो नहरें और हैं जिनके नाम

उनसे मिलते जुलते हैं, यानी जैहून और सैहून। इससे कुछ लोगों को ये मुग़ालता हुआ कि हदीस़ में मज़कूर, जैहान और सैहान' से यही मुराद हैं। लेकिन इमाम नववी (رحمه الله) ने भी इसकी तर्दीद की है और मौलाना मुबारक पूरी (رحمه الله) ने भी, और मौलाना मौसूफ़ ने ये वज़ाहत भी की है कि दरिया-ए-जैहून वही है जिसे आज कल दरिया-ए-आमू कहा जाता है और ये अफ़ग़ानिस्तान और उज़बेकिस्तान के दरम्यान हद है। ये बल्ख़, तरमुज़ और आमुल व दरग़ान से गुज़रता हुआ बहीर-ए-ख़्वारज़्म में जा गिरता है। और सैहून, जैहून के मावरा है जो ख़जन्दा और ख़ूक़न्द के क़रीब और ताशक़न्द से पहले गुज़रता है। इसे आज कल सैर दरिया कहा जाता है। इन चारों दरियाओं के जन्नत से होने का ज़ाहिरी मतलब ये है कि इनकी अस़ल जन्नत है और वहाँ से ये ज़मीन पर उतारे गये हैं। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इन नहरों के जन्नत से होने से मुराद शायद ये है कि इनकी अस़ल जन्नत से है, जैसा इंसान की अस़ल जन्नत से है। चुनाँचे ये हदीस़ इस बात के मनाफ़ी नहीं है जो इन नहरों की बाबत मशहूर मालूम है कि ये नहरें ज़मीन के मारूफ़ सरचश्मों से फूटती हैं। और अगर इसके या इससे मिलते जुलते मानी नहीं हैं तो ये हदीस़ उमूरे ग़ैब से मुताल्लिक़ है जिन पर ईमान रखना और जो ख़बर दी गई है, उसको तस्लीम करना ज़रूरी है। (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा: 1/177, 178) कुछ लोगों ने इसकी ये तावील की है कि इसका मतलब ये है कि जिन इलाक़ों में ये नहरें बहती हैं, उनमें इस्लाम का फैलाव और ग़ल्बा होगा। या ये मतलब है कि इन नहरों के पानी से पैदा होने वाली ख़ूराक जो लोग इस्तेमाल करेंगे वह जन्नती होंगें लेकिन इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इन दोनों तावीलों के मुक़ाबले में इसका पहला ज़ाहिरी मानी ही ज़्यादा स़ही है। (शरह स़हीह मुस्लिम, लिन्नववी, हदीस़: 2839, व मिन्नतुल मुन्इम: 4/322 मतबूआ दारुस्सलाम, रियाज़) **(15)** वापसी के मौक़े पर मूसा (عليه السلام) के अलावा किसी और नबी का ज़िक्र नहीं। मुमकिन है वापसी पर दीगर अम्बिया से मुलाक़ात ही न हुई हो, यानी जहाँ से उनको लाया गया हज़रत मूसा (عليه السلام) के तवज्जह दिलाने पर नबी (ﷺ) का वापस अल्लाह(عزوجل) के पास जाना शायद इस शुब्हे को दूर करने के लिए था कि मूसा (عليه السلام) को आपकी उम्मत पर हसद है। जिस तरह बनी इस्राईल के इल्ज़ाम से बचाने के लिए दुनिया में पत्थर वाला वाक़िया पेश आया था। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 278 व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 339) **(16)** नमाज़ों की तख़्फ़ीफ़ कुछ रिवायात के मुताबिक़ पाँच से हुई। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 162) गोया इस रिवायत में इख़्तिस़ार है। आख़िर में पाँच का रह जाना भी इसका मौईद है। **(17)** (أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي) इन अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि अस़ल फ़रीज़ा पाँच नमाज़ें ही थीं। पचास नमाज़ों का मुक़र्रर होना गोया उनके सवाब के इज़हार के लिए था, बार बार आने जाने से ये उक़दा (मुश्किल काम) हल हो गया।

(450) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) और इबने हज़्म (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ कीं। मैं ये (हुक्म) लेकर लौटा यहाँ तक कि मूसा (ﷺ) ने मुझसे कहा: आप अपने रब के पास जायें (और तख़फ़ीफ़ का सवाल करें) क्योंकि आपकी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती। चुनाँचे मैं अपने रब (ﷻ) की बारगाह में हाज़िर हुआ (और तख़फ़ीफ़ का सवाल किया) तो अल्लाह तआला ने उसका एक हिस्सा माफ़ फ़रमा दिया। मैं फिर मूसा(ﷺ) की तरफ़ लौटा और उन्हें बताया तो उन्होंने कहा: फिर अल्लाह तआला से रुजूअ कीजिये, आपकी उम्मत इसकी कभी ताक़त नहीं रखती, चुनाँचे मैं फिर अपने रब तआला की बारगाह में हाज़िर हुआ तो मेरे रब तआला ने फ़रमाया: नमाज़ें पाँच हैं मगर स़वाब में पचास ही होंगी। बात मेरे यहाँ तब्दील नहीं होती। मैं फिर मूसा (ﷺ) की तरफ़ लौटा तो वह कहने लगे: फिर रब तआला से रुजूअ कीजिये। मैंने कहा: तहक़ीक़ (अब तो) मुझे अपने रब (ﷻ) से (बार बार तकरार पर) शर्म आने लगी है।'

(450) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 349, और देखिये हदीस़: 3342, व मुस्लिम, हदीस़: 163, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 314.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَابْنُ حَزْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلاَةً . قَالَ لِي مُوسَى فَرَاجِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ . فَرَاجَعْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ . فَرَاجَعْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ . فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَقُلْتُ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नमाज़ का एक हिस्सा माफ़ कर दिया' अरबी में लफ़्ज़ (شطر) है जिसके मानी निस़्फ़ भी हैं और एक हिस्सा भी, इसलिए दूसरे मानी इख़्तियार किये गये हैं। इस रिवायत में भी

इख़्तिसार है वरना नमाज़ें पाँच पाँच करके कम हुई। (2) (لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ) में क़ौल से मुराद कही हुई बात है, यानी पचास नमाज़ों वाला क़ौल कि तख़्फ़ीफ़ के बावजूद उनका सवाब बरक़रार रहा। (3) सनद में मज़कूर इब्ने हज़्म से मुराद अबूबक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म हैं। इनका शुमार ताबेईन में होता है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُتِيتُ بِدَابَّةٍ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفِهَا فَرَكِبْتُ وَمَعِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَسِرْتُ فَقَالَ انْزِلْ فَصَلِّ . فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطَيْبَةَ وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ . فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِطُورِ سَيْنَاءَ حَيْثُ كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ انْزِلْ فَصَلِّ . فَنَزَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَقَالَ أَتَدْرِي أَيْنَ صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ بِبَيْتِ لَحْمٍ حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ . ثُمَّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجُمِعَ لِيَ الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَقَدَّمَنِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَمَمْتُهُمْ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا فِيهَا

(451) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे पास एक जानवर लाया गया जो गधे से बड़ा और ख़च्चर से छोटा था। उसका क़दम वहाँ पड़ता था जहाँ उसकी नज़र पहुँचती थी। मैं जिब्राईल (عليه السلام) के साथ उस पर सवार हो गया। मैं कुछ चला तो जिब्राईल (عليه السلام) ने कहा: उतरो! नमाज़ पढ़ो! मैंने नमाज़ पढ़ी। कहने लगे आप जानते हैं, कहाँ नमाज़ पढ़ी है? आपने मदीना तय्यबा में नमाज़ पढ़ी है और इसकी तरफ़ आप हिजरत फ़रमायेंगे, फिर कहने लगे: उतरो! नमाज़ पढ़ो। मैंने पढ़ी। कहने लगे: आप जानते हैं, कहाँ नमाज़ पढ़ी है? आपने तूरे सीना में नमाज़ पढ़ी है जहाँ अल्लाह तआला ने मूसा (عليه السلام) से कलाम किया था। फिर कहने लगे: उतरो! नमाज़ पढ़ो! मैं उतरा और नमाज़ पढ़ी। कहने लगे: आप जानते हैं, कहाँ नमाज़ पढ़ी है? आपने बैतुल लहम में नमाज़ पढ़ी है जहाँ हज़रत ईसा (عليه السلام) पैदा हुए। फिर मैं बैतुल मक़्दिस में दाख़िल हुआ। वहाँ मेरे लिए अम्बिया (عليه السلام) जमा किये गये थे, चुनाँचे मुझे जिब्राईल (عليه السلام) ने आगे कर दिया। मैंने उनकी इमामत की। फिर मुझे लेकर क़रीबी (पहले) आसमान की तरफ़ चढ़े। इसमें आदम (عليه السلام) थे, फिर वह मुझे दूसरे आसमान की तरफ़ ले चढ़े।

آدَمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْخَالَةِ عِيسَى وَيَحْيَى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فِيهَا يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ فَإِذَا فِيهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَإِذَا فِيهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ثُمَّ صُعِدَ بِي فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ فَأَتَيْنَا سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَغَشِيَتْنِي ضَبَابَةٌ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فَقِيلَ لِي إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلاَةً فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ . فَرَجَعْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يَسْأَلْنِي عَنْ شَىْءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ كَمْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ خَمْسِينَ صَلاَةً . قَالَ فَإِنَّكَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَقُومَ بِهَا أَنْتَ وَلاَ

उसमें दो ख़ालाज़ाद भाई ईसा और यहया(عليه السلام) थे, फिर वह मुझे तीसरे आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो उसमें यूसुफ़ (عليه السلام) थे, फिर वह मुझे चौथे आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो उसमें हारून (عليه السلام) थे, फिर वह मुझे पाँचवे आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो उसमें इदरीस (عليه السلام) थे, फिर वह मुझे छठे आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो उसमें मूसा (عليه السلام) थे, फिर वह मुझे सातवें आसमान की तरफ़ लेकर चढ़े तो वहाँ इब्राहीम(عليه السلام) थे। फिर वह मुझे सातवें आसमान से ऊपर ले गये तो हम सिदरतुल मुन्तहा तक पहुँचे। वहाँ मुझे एक बादल ने ढाँप लिया। मैं सज्दे में गिर पड़ा। मुझे कहा गया: तहक़ीक़ मैंने जिस दिन आसमान व ज़मीन पैदा किये थे आप और आपकी उम्मत पर पचास (50) नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी थीं, लिहाज़ा आप और आपकी उम्मत ये नमाज़ें पढ़ें। मैं इब्राहीम (عليه السلام) की तरफ़ लौटा तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा, फिर मैं मूसा (عليه السلام) के पास आया तो उन्होंने कहा: अल्लाह तआला ने आप पर और आपकी उम्मत पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? मैंने कहा: पचास। उन्होंने कहा: तहक़ीक़ आप इतनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं न आपकी उम्मत, इसलिए रब तआला के पास जायें और कमी का सवाल करें। मैं अपने रब तआला के पास गया। (और कमी का सवाल किया) तो अल्लाह तआला ने दस नमाज़ें कम कर दीं। मैं फिर मूसा (عليه السلام) के पास आया तो उन्होंने दोबारा

أُمَّتُكَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ . فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُوسَى فَأَمَرَنِي بِالرُّجُوعِ فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ . قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ فَإِنَّهُ فَرَضَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ صَلَاتَيْنِ فَمَا قَامُوا بِهِمَا . فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَسَأَلْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ إِنِّي يَوْمَ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّتِكَ خَمْسِينَ صَلَاةً فَخَمْسٌ بِخَمْسِينَ فَقُمْ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ . فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى صِرًّى فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ارْجِعْ فَعَرَفْتُ أَنَّهَا مِنَ اللَّهِ صِرًّى - أَيْ حَتْمٌ - فَلَمْ أَرْجِعْ .

जाने को कहा। मैं फिर गया तो अल्लाह तआला ने मज़ीद दस कम कर दीं। मैं फिर मूसा (عليه السلام) के पास आया तो उन्होंने फिर वापस जाने को कहा। मैं फिर गया तो अल्लाह तआला ने मज़ीद दस कम कर दीं। आख़िरकार पाँच रह गयीं। मूसा (عليه السلام) ने कहा फिर अपने रब के पास जायें और मज़ीद कमी का सवाल करें। तहक़ीक़ बनी इस्राईल पर दो नमाज़ें फ़र्ज़ थी, वह दो भी न पढ़ सके। मैं फिर रब तआला के पास गया और मज़ीद कमी की दरख़्वास्त की। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: मैंने जिस दिन ज़मीन व आसमान पैदा किये थे, आप पर और आपकी उम्मत पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की थीं। अब पचास की बजाये पाँच हैं। सो आप और आपकी उम्मत उन्हें पढ़ा करें। मैंने समझ लिया कि ये अल्लाह तआला की तरफ़ से क़तई (फ़ैसलाकुन) हैं। चुनाँचे मैं मूसा (عليه السلام) के पास गया तो उन्होंने कहा: दोबारा जायें लेकिन मुझे इल्म था कि ये अल्लाह तआला की तरफ़ से क़तई हैं, लिहाज़ा मैं वापस न लौटा।'

तख़रीज : **(सनद हसन)** तबरी फ़ी तफ़सीर: 15/4.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (رحمه الله) के नज़दीक ये रिवायत इस सियाक़ से मुन्कर है। इमाम इब्ने कसीर (رحمه الله) इस रिवायत के तरीक़ के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'इस तरीक़ में सख़्त ग़राबत व नकारत है।' इसकी सनद में एक तो यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी मालिक दमिश्क़ी है जो सिद्दीक़ है लेकिन कभी कभार वहम का शिकार हो जाता था, दूसरे इससे रिवायत करने वाले सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ तनूख़ी हैं, अगरचे सिक़ह हैं लेकिन आख़िरी उम्र में, इख़्तिलात का शिकार हो गये थे। (तक़रीबन) लिहाज़ा इस रिवायत में मदीना तय्यबा, तूरे सीना और बैतुल लहम में उतरने और वहाँ नमाज़ पढ़ने का वाक़िया दुरुस्त नहीं। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़सील के लिए देखिये: (अलइस्रा वलमेराज लिल अल्बानी, सफ़ा: 44)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا عُرِجَ بِهِ مِنْ تَحْتِهَا وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا أُهْبِطَ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا حَتَّى يُقْبَضَ مِنْهَا قَالَ { إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى } قَالَ فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأُعْطِيَ ثَلاَثًا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَيُغْفَرُ لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ .

(452) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को मेराज करवाई गई तो आपको सिदरतुल मुन्तहा तक ले जाया गया। और वह (इसकी जड़) छठे आसमान में है। नीचे से जो चीज़ ऊपर जाती है वह वहाँ जाकर रुक जाती है। और ऊपर से जो कुछ उतरता है वह भी वहाँ आकर रुक जाता है, यहाँ तक कि वहाँ से वसूल कर लिया जाता है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) ने फ़रमाया:

(अलनज्म: 53/16) { إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى } से मुराद सोने के पतंगे हैं (जिन्होंने सिदरतुल मुन्तहा को ढाँप रखा था।) वहाँ आपको तीन चीज़ें अ़ता फ़रमाई गईं। पाँच नमाज़ें, सूरह बक़र: की आख़री आयात और आपकी उम्मत के हर उस शख़्स के कबाइर माफ़ कर दिये जायेंगे जो इस हाल में फ़ौत हुआ कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराता था।

(452) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 173, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 315.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बुर्राक़ का ज़िक्र रिवायाते मेराज में बैतुल मक़्दिस तक ही मिलता है, इसलिए कहा गया है कि बैतुल मक़्दिस से आगे आसमानों का सफ़र एक सीढ़ी नुमा चीज़ 'मेराज' के ज़रिये से हुआ लेकिन इसकी कोई वाज़ेह दलील मौजूद नहीं। वल्लाहु आ़लम! **(2)** बैतुल मक़्दिस में तमाम अम्बिया (عليهم السلام) का आप (ﷺ) के इस्तिक़बाल के लिए हाज़िर होना और आपका उनकी इमामत करवाना आपके लिए बहुत बड़ा ऐ़ज़ाज़ है जो किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ। ज़ाहिर तो यही है कि अम्बिया (عليهم السلام) जिस्मानी तौर पर हाज़िर थे न कि सिर्फ़ रूहानी तौर पर जैसे कि रसूले अकरम (ﷺ) जिस्मानी तौर पर बैतुल मक़्दिस और आसमानों पर तशरीफ़ ले गये। फ़ौत शुदा अम्बिया (عليهم السلام) के जिस्म भी अल्लाह तआ़ला महफ़ूज़ रखता है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 1047) अगर अम्बिया

(ﷺ) सिर्फ़ रूहानी तौर पर ही लाये गये हों तो भी वाक़िये कि अहमियत पर कोई असर नहीं पड़ता। बहरहाल ये मामला बर्ज़ख़ का है जो इंसान की रसाई (पहुँच) से बाहर है। **(3)** आम अहादीस़ में सिदरतुल मुन्तहा तक जाने का ज़िक्र ही मिलता है मगर स़हीहैन की एक रिवायत में एक और मक़ाम पर आपके चढ़ने का ज़िक्र है जहाँ से आपको क़लमों की सर सराहट भी सुनाई दी। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 349, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 163) लेकिन इस मक़ाम का कोई नाम ज़िक्र नहीं किया गया। **(4)** सूरह बक़र: की आख़िरी आयात का नुज़ूल बिल इत्तिफ़ाक़ मदनी है और वाक़िय-ए-मेराज मक्की है। मेराज में सूरह बक़र: की आख़िरी आयात दिये जाने का मतलब ये है कि ये आयात अता करने का वादा कर लिया गया जब कि नुज़ूल बाद में मदीना मुनव्वरा में हुआ। वल्लाहु आलम! **(5)** कबाइर की माफ़ी की दो सूरतें होंगी: जिसको अल्लाह तआला चाहेगा पहले मरहले ही में अपने फ़ज़्ल व करम से माफ़ फ़रमा कर जन्नत में दाख़िल फ़रमा देगा क्योंकि कुछ के बिला तौबा भी कबाइर माफ़ हो जायेंगे, वरना जहन्नम में सज़ा भुगत कर फिर माफ़ी होगी।

बाब : (2) नमाज़ कहाँ फ़र्ज़ हुई?

باب : (٢) أَيْنَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْبُنَانِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الصَّلَوَاتِ، فُرِضَتْ بِمَكَّةَ وَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَهَبَا بِهِ إِلَى زَمْزَمَ فَشَقَّا بَطْنَهُ وَأَخْرَجَا حَشْوَهُ فِي طَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فَغَسَلَاهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ كَبَسَا جَوْفَهُ حِكْمَةً وَعِلْمًا .

(453) हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) से रिवायत है कि नमाज़ें मक्का (मक्की दौर) में फ़र्ज़ हुईं। दो फ़रिश्ते अल्लाह के रसूल (ﷺ) के पास आये और आप को ज़मज़म की तरफ़ ले गये, फिर आपका (सीना और) पेट चीरा और अंदरूनी चीज़ें सोने के एक थाल में निकालीं, फिर उनको ज़मज़म के पानी से धोया, फिर आपके पेट में हिकमत और इल्म डाल कर ऊपर से बन्द कर दिया।

(453) तख़रीज : (सनद स़हीह) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 316.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मेराज की तवील हदीस़ में सिर्फ़ दिल के धोने का ज़िक्र है। इस रिवायत में दिल के अलावा भी ज़िक्र है। गोया मक़सूद तो दिल की सफ़ाई थी बित्तबअ रगें वग़ैरह भी धोई गईं। **(2)** पहली रिवायत में सोने के थाल में हिक्मत और इल्म लाने का ज़िक्र है, इस हदीस़ में थाल में धोने का

ज़िक्र है, एक ही थाल में दोनों चीज़ें मुमकिन हैं। और मुमकिन है कि दो थाल लाये गये हों, एक इल्म व हिक्मत से भरा हुआ, दूसरा धोने के लिए। (3) सोना इस्तेमाल करना हमारे लिए मना है न कि फ़रिश्तों के लिए, लिहाज़ा कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। (4) मेराज बिल इत्तिफ़ाक़ मक्की दौर में हुई (अगरचे इसकी तारीख़ में इख़्तिलाफ़ है।) पाँच नमाज़ें मेराज में फ़र्ज़ हुईं, लिहाज़ा नमाज़ की फ़र्ज़ीयत बिल्इत्तिफ़ाक़ मक्की दौर में हुई है।

बाब : (3)नमाज़ कैसे फ़र्ज़ हुई?

باب : (٣)كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ .

(454) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि शुरू शुरू में नमाज़ दो दो रकअत फ़र्ज़ हुई थी, फिर सफ़र की नमाज़ इसी तरह रहने दी गई और हज़र (इक़ामत) की नमाज़ (चार रकअत) मुकम्मल कर दी गई।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1090, मुस्लिम, हदीस: 685/3, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 317.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में नमाज़ से मुराद मग़रिब और फ़ज्र के अलावा हैं क्योंकि ये नमाज़ें सफ़र व हज़र में तब्दील नहीं होतीं। मगरिब हर हाल में तीन रकअत और फ़ज्र हर हाल में दो रकअत है। (2) इस हदीस का ज़ाहिर मुराद नहीं क्योंकि क़ुर्आन मजीद की आयत (सूरह निसा: 4/101) से मालूम होता है कि क़स्र वाली नमाज़ें चार रकअत थीं। मुसाफ़िर को रुख़्सत दी गई कि दो पढ़ ले, मगर ये कि हदीस का मतलब ये हो कि मेराज से पहले नमाज़ दो रकअत थी। जब मेराज के मौक़े पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ हुईं तो कुछ को चार रकअत कर दिया गया, फिर सफ़र की नमाज़ दो रकअत कर दी गई तो गोया वह मेराज से पहले वाली हालत में रह गई और घर की नमाज़ मुकम्मल रहने दी गई। (3) इस हदीस से अहनाफ़ ने इस्तिदलाल किया है कि सफ़र की नमाज़ दो रकअत ही है। चार पढ़ ही नहीं सकता जिस तरह ज़ुहर की छ: नहीं पढ़ सकता, मगर ये मतलब मज़कूरा क़ुर्आनी आयत के अलावा ख़ुद रावी-ए-हदीस हज़रत आयशा (ﷺ) के मस्लक के भी ख़िलाफ़ है क्योंकि वह सफ़र में चार भी पढ़ती थीं। और अहनाफ़ के नज़दीक रावी की राय को तर्जीह दी जाती है न कि रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ को।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَعْلَبَكِّيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُتِمَّتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى .

(455) हज़रत औज़ाई ने हज़रत ज़ुहरी से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना हिजरत फ़रमाने से पहले मक्का में कैसे नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने कहाः मुझे हज़रत उ़रवा ने हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से बयान किया, उन्होंने फ़रमायाः शुरू में अल्लाह तआ़ला ने अपने नबी पर दो दो रकअ़तें नमाज़ फ़र्ज़ की थी, फिर घर की नमाज़ को चार रकअ़त मुकम्मल कर दिया गया और सफ़र की नमाज़ पहली हालत पर रहने दी गई।

(455) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, मुस्लिम वग़ैरह, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : इस हदीस़ में पहले हदीस़ ही की कुछ तफ़्सील आई है, यानी सवाल मेराज से पहले मक्की ज़िन्दगी की नमाज़ के बारे में था क्योंकि मेराज, मुहक़्क़िक़ क़ौल (तहक़ीक़ शुदा) के मुताबिक़ हिजरत से सिर्फ़ छः माह पहले हुई, क़ुर्ब की बिना पर मेराज और हिजरते मदीना को एक ही समझ लिया गया। अब मतलब स़ाफ़ है जैसा कि हदीस़: 454 के फ़वाइद में बयान किया गया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ .

(456) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि शुरू में नमाज़ दो दो रकअ़तें फ़र्ज़ हुई थी, फिर सफ़र की नमाज़ तो इतनी ही रहने दी गई और हज़र की नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया।

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 350, मुस्लिम, हदीस़: 685/1, मोत्ता: 1/146.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ عَلَى لِسَانِ

(457) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) की ज़बानी हज़र की नमाज़ चार रकअ़त, सफ़र की नमाज़ दो रकअ़त और ख़ौफ़ की नमाज़ एक रकअ़त फ़र्ज़ की गई।

(457) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 687/5, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 318.

النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर नमाज़ चार रकअत नहीं, मग़रिब चूंकि वित्रून्नहार है, लिहाज़ा वह तीन रकअत है और तीन ही रहेगी। और फ़ज्र में क़िराअत लम्बी होती है यहाँ तक कि दो रकअत चार रकअत से भी बढ़ जाती हैं, लिहाज़ा ये नमाज़ भी हज़र व सफ़र में दो रकअत ही रखी गई। बाक़ी तीन नमाज़ें घर में चार रकअत और सफ़र में दो रकअत हैं, अलबत्ता मुहक़्क़िक़ क़ौल के मुताबिक़ अगर कोई मुसाफ़िर चार रकअत पढ़ना चाहे तो कोई हर्ज नहीं जैसा कि हज़रत आयशा और हज़रत उस्मान(ﷺ) से सही साबित है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1083) हाँ! दो रकअत पढ़ना बेहतर है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का मामूल यही रहा है। अगर कोई चार पढ़ेगा तो उसका भी जवाज़ है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'ख़ौफ़ की नमाज़ एक रकअत'। नमाज़े ख़ौफ़ की मख़्सूस मुख़्तलिफ़ सूरतों में से ये भी एक सूरत है, यानी शदीद ख़ौफ़ में एक रकअत भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन जुम्हूर उलमा इस हदीस की तावील करते हैं कि एक रकअत से मुराद इमाम के साथ एक रकअत है और दूसरी रकअत अपने तौर पर पढ़े। सिर्फ़ एक रकअत नमाज़ दुरुस्त नहीं। लेकिन जुम्हूर उलमा का ये मौक़फ़ दलाइल की रोशनी में महल्ले नज़र मालूम होता है, क्योंकि एक रकअत नमाज़ भी मुतअद्दद (कई) सही अहादीस से साबित है, लिहाज़ा मौक़ा महल की मुनासिबत से एक रकअत भी बिला तअम्मुल पढ़ी जा सकती है। मज़ीद तफ़्सील के लिए हदीस नम्बर 1442 और 1530 के फ़वाइद व मसाइल देखिये।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ تَقْصُرُ الصَّلاَةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ } فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا ابْنَ أَخِي إِنَّ

(458) उमय्या बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ालिद बिन असीद ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा कि आप नमाज़ कैसे क़स्र करते हैं? जबकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है:

{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ }

'तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम नमाज़ क़स्र कर लो अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो।' हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ मेरे भतीजे! अल्लाह के रसूल(ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये तो हम गुमराह थे। आपने हमें तालीम दी। जो कुछ आपने सिखाया उसमें ये

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَانَا وَنَحْنُ ضُلاَّلٌ فَعَلَّمَنَا فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ . قَالَ الشُّعَيْثِيُّ وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

भी था कि अल्लाह तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम सफ़र में दो रकअतें पढ़ें।

(मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह) शुऐसी ने कहा: ज़ुहरी ये हदीस़ अ़ब्दुल्लाह बिन अबूबक्र से बयान करते थे।

तख़रीज: (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1066, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 946, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 101, हाकिम: 1/258.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐतराज़ ये था कि क़ुर्आन मजीद में क़स्रे स़लात के लिए ख़ौफ़ की क़ैद मज़कूर है जबकि ये लोग बग़ैर ख़ौफ़ के क़स्र कर रहे हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने उसूली जवाब दिया कि हमारे लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीम अस़ल है। क़ुर्आन मजीद का मतलब भी वही मोतबर है जो आप इरशाद फ़रमायें क्योंकि क़ुर्आन मजीद भी तो आप ही लेकर आये हैं। आप ही उसका स़ही मफ़हूम जानते हैं। आपने कई बार सफ़र में क़स्र की, हालांकि कोई ख़ौफ़ नहीं था, यहाँ तक कि हज्जतुल विदा में भी क़स्र की जब कि आपकी हुकूमत क़ायम हो चुकी थी। **(2)** हज़रत इब्ने उ़मर(ﷺ) के इस उसूली जवाब के अ़लावा भी जवाबात दिये गये हैं, जैसे: ① जब क़स्र की आयत उतरी, उस वक़्त ख़ौफ़ भी था, लिहाज़ा आयत में वाक़िये की मुनासिबत से ख़ौफ़ का ज़िक्र कर दिया गया वरना ये शर्त मक़सूद न थी, सफ़र ही शर्त था। ② क़ुर्आन मजीद में स़लाते ख़ौफ़ ही का ज़िक्र है। स़लाते सफ़र का ज़िक्र सिर्फ़ अहादीस़ में है। क़ुर्आन मजीद में सफ़र की नमाज़ का ज़िक्र ही नहीं। ③ (إن خفتم ..... الخ) से स़लाते ख़ौफ़ का ज़िक्र है और इससे पहले स़लाते सफ़र मज़कूर है, गोया (إن خفتم) का ताल्लुक़ माक़ब्ल से नहीं माबाद से है, दोनों अलग अलग जुम्ले हैं। **(3)** (أمرنا) से मुराद वुजूबी हुक्म नहीं बल्कि इस्तिहबाबी हुक्म मुराद है जैसा कि पीछे गुज़रा।

باب : (٤)
كَمْ فُرِضَتْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ

बाब : (4)
दिन और रात में कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ

(459) हज़रत तलहा बिन उ़बैदुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि नज्द वालों में से एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया। उसके सर के बाल बिखरे हुए थे। हम उसकी आवाज़ की भिनभिनाहट तो सुनते थे लेकिन हमें उसकी बात

نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلاَ نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " . قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . قَالَ " وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ " . قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ مِنْهُ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " .

समझ में नहीं आ रही थी यहाँ तक कि वह क़रीब आ गया तो नागहाँ वह इस्लाम के बारे में पूछने लगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'दिन और रात में पाँच नमाज़ें हैं।' उसने कहा: क्या इनके अलावा भी कोई नमाज़ मुझ पर फ़र्ज़ है? आपने फ़रमाया: 'नहीं, मगर ये कि तू नफ़ल पढ़े।' आपने फ़रमाया: 'और माहे रमज़ान के रोज़े हैं।' उसने कहा: क्या इनके अलावा भी कोई रोज़ा मुझ पर फ़र्ज़ है? आपने फ़रमाया: 'नहीं, मगर ये कि तू नफ़ल रोज़े रखे।' इसी तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके लिए ज़कात का ज़िक्र फ़रमाया उसने कहा: क्या इसके अलावा भी मुझ पर कुछ (माली सदक़ा) फ़र्ज़ है? आपने फ़रमाया: 'नहीं, मगर ये कि तू नफ़ली सदक़ा दे।' वह आदमी वापस मुड़ा और कह रहा था: अल्लाह की क़सम! न इससे ज़्यादा करूंगा न इसमें कमी करूंगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये सच्चा हुआ तो कामयाब रहा।'

(459) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 46, मुस्लिम, हदीस: 11/908, मोत्ता: 1/175, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 319.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'भिनभिनाहट सुनते थे।' से मालूम होता है कि वह गुफ़्तगू धीमी आवाज़ में कर रहा था। **(2)** चूंकि वह साइल पहले से मुसलमान था, शहादतैन का इक़रार कर चुका था, इसलिए आपने उसको दूसरे अरकाने इस्लाम बयान फ़रमाये। हज का ज़िक्र नहीं फ़रमाया कि वह अभी तक फ़र्ज़ न हुआ था। मुहक़्क़िक़ बात ये है कि हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। **(3)** 'मगर ये कि तू नफ़ल करे।' गोया असल सवाल फ़राइज़ के बारे ही में था। फ़लाह का मदार भी फ़राइज़ ही पर है, बाक़ी रहे सुनन व नवाफ़िल, तो वह फ़राइज़ की तकमील के लिए हैं। फ़राइज़ की अदायगी में किसी क़िस्म की कमी सुनन व

नवाफ़िल से पूरी होती है। शायद ही कोई शख़्स फ़राइज़ की मुकम्मल अदायगी का दावा कर सके, इसलिए सुनन व नवाफ़िल ख़ुसूसन रवातिब कि पाबन्दी बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए भी कि रसूले अकरम (ﷺ) ने उनकी पाबन्दी फ़रमाई है और हमारे लिए आपकी सुनन की इत्तिबा लाज़िम है, नीज़ रवातिब (फ़र्ज़ नमाज़ की अगली पिछली सुन्नतें) फ़र्ज़ के ताबेअ हैं, अलग नहीं, लिहाज़ा सफ़र, मर्ज़ और इन्तिहाई मसरूफ़ियत के अलावा इन पर दवाम किया जाये। बाक़ी रहा कुछ लोगों का ये क़ौल कि 'नफ़ल नमाज़ या रोज़ा शुरू करने से भी वाजिब हो जाता है क्योंकि रास्ते में छोड़ देने से बतलाने अमल होगा और कुर्आन मजीद में है: (मुहम्मद 47/33) तो रसूले अकरम(ﷺ) के तर्ज़े अमल और अहादीस से इसकी ताईद नहीं होती। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नफ़ली रोज़ा मुकम्मल करने से पहले इफ़्तार किया। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1154) इसलिए जुम्हूर अहले इल्म के मुताबिक़ शुरू करने से नफ़ल फ़र्ज़ नहीं बन जाता, अलबत्ता तकमील बेहतर है। बाक़ी रही आयते मुबारका तो इसका सियाक़ व सबाक़ कुछ लोगों (अहनाफ़) वाला मानी लेने से मानेअ है क्योंकि इस आयत में ख़िलाफ़े सुन्नत काम करने को बातिल कहा गया है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ " افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا قَالَ " افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا " . فَحَلَفَ الرَّجُلُ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلاَ يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ " .

(460) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ फ़रमाई हैं।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या इनसे पहले या बाद भी कुछ फ़र्ज़ किया है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर पाँच नमाज़ें (ही) फ़र्ज़ की हैं।' तो उस आदमी ने क़सम खाई कि वह इससे ज़्यादा पढ़ेगा न इनमें कमी करेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये सच्चा रहा तो ज़रूर जन्नत में दाख़िल होगा।'

(460) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद, हदीस: 3/267.

फ़ायदा : इस हदीस का मफ़हूम पिछली हदीस के फ़वाइद में बयान हो चुका है।

बाब : (5) पाँच नमाज़ों की अदायगी पर बैत (अहद) करना

باب : (۵)
الْبَيْعَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

(461) हज़रत औफ़ बिन मालिक अशजई(ﷺ) ने कहा: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास (बैठे) थे कि आपने फ़रमाया 'क्या तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) की बैत नहीं करते?' आपने ये जुम्ला तीन दफ़ा दोहराया तो हमने अपने हाथ आगे बढ़ाये और आपसे बैत की, फिर हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमने आपकी बैत तो कर ली है मगर ये किस बात पर है? आपने फ़रमाया: 'इस बात पर कि तुम अल्लाह तआला की इबादत करोगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे और पाँच नमाज़ें पढ़ोगे।' और आपने एक बात आहिस्ता कही: 'तुम किसी से कुछ नहीं मांगोगे।'

(461) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1043/108, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 320.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَبِيبُ الأَمِينُ، عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الأَشْجَعِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ". فَرَدَّدَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَقَدَّمْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلاَمَ قَالَ " عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً أَنْ لاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا " .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे अक़्दस में चार क़िस्म की बैत राजेह थी: ① बैते इस्लाम, यानी इस्लाम लाते वक़्त, ② हिजरत करने के लिए बैत। ③ बैते जिहाद, यानी किसी लड़ाई के वक़्त, जैसे: सुलह हुदैबिया के वक़्त। ④ बैते इताअत, यानी अल्लाह तआला के अवामिर व नवाही की पाबन्दी के लिए जैसा कि ऊपर दी गई हदीस में ज़िक्र है। फिर बैते इस्लाम की बजाये बैते ख़िलाफ़त शुरू हो गई बैते जिहाद क़ायम रही, अलबत्ता बैते इताअत ख़त्म हो गई, गोया कि ये आप (ﷺ) के साथ ख़ास थी। सहाब-ए-किराम और ताबेईन के दौर में ऐसा ही रहा। बाद में सूफ़िय-ए-किराम ने बैत लेना शुरू कर दी, अपने सिलसिले में दाख़िल करने के लिए और अपनी हर बात की इताअत कराने के लिए, ये एक नई चीज़ है, अगर ये बैते इताअते शरीयत है तो जवाज़ हो सकता है मगर सहाबा व ताबेईन ने ऐसे नहीं किया, लिहाज़ा मुस्तहसन नहीं। और अगर ये अपनी इताअत की बैत है तो ममनूअ है क्योंकि शरीयते इस्लामिया में अल्लाह के रसूल (ﷺ) के सिवा कोई मुताअ नहीं कि उसकी इताअत मुत्लक़न जायज़ हो। बैत से

मुताल्लिक़ दीगर अहकाम व मसाइल बतफ़्सील किताबुल बैअत में मुलाहिज़ा फ़रमायें।

बाब : (6)
पाँच नमाज़ों की पाबन्दी करना (ज़रूरी है)

باب : (٦)
الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً، بِالشَّامِ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ الْوِتْرُ وَاجِبٌ . قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَاعْتَرَضْتُ لَهُ وَهُوَ رَائِحٌ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ " .

(462) इब्ने मुहैरीज़ से रिवायत है कि बनू किनाना के एक आदमी ने, जिसे मुख़्दजी कहा जाता था, शाम के इलाक़े में एक आदमी को, जिसकी कुन्नियत अबू मुहम्मद थी, ये कहते हुए सुना कि वित्र वाजिब है। मुख़्दजी ने कहा: मैं हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) के पास गया जब कि वह मस्जिद को जा रहे थे। मैंने उनको आगे से रोक लिया और अबू मुहम्मद के क़ौल की ख़बर दी। हज़रत उबादा (ﷺ) कहने लगे: अबू मुहम्मद ने ग़लत कहा है। मैंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना है: 'पाँच नमाज़ें हैं जो अल्लाह तआला ने बन्दों पर फ़र्ज़ की हैं, जो आदमी उन्हें अदा करे उनमें से किसी को उनकी हैसियत हल्की समझ कर ज़ाया न करे तो अल्लाह तआला के यहाँ उसके लिए वादा हो चुका है कि वह उसे जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा। और जो शख़्स उनको अदा न करे तो अल्लाह तआला के यहाँ उसके लिए कोई अहद नहीं। चाहे उसे अज़ाब दे, चाहे जन्नत में दाख़िल करे।'

(462) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1420, मोत्ता: 1/123, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 322, इब्ने हिब्बान, हदीस: 252, 253.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहनाफ़ वित्र को वाजिब कहते हैं मगर उनका इस्तिदलाल ऐसी रिवायात

से है जो कमज़ोर हैं या वह एक से ज़्यादा मानी का एहतिमाल रखती हैं, जब कि उनके मुक़ाबले में सही और क़तई रिवायात जो तवातुर को पहुँचती हैं, पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ीयत का ऐलान करती हैं और ज़्यादा की फ़र्ज़ीयत व वुजूब की नफ़ी करती हैं, लिहाज़ा उनकी बात सही नहीं, बल्कि उसे सुन्नते मुअक़्क़दा कहना चाहिए जिसे बिलावजह तर्क नहीं किया जा सकता। **(2)** वित्र के मानी अरबी में 'ताक़' के हैं। तादाद रकआत का लिहाज़ रखते हुए इस नमाज़ को वित्र कहा जाता है। **(3)** हज़रत उबादा (ﷺ) का इस्तिदलाल वाज़ेह है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सरीह तौर पर पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ीयत का इज़हार फ़रमाया और उन्हें दुख़ूले जन्नत का लाज़िमी सबब बताया है। अगर वित्र फ़र्ज़ होता तो आप उसका भी ज़िक्र फ़रमाते। **(4)** (أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ) क्योंकि नमाज़ दूसरे फ़राइज़ की अदायगी और मन्हियात (शरीअत में मना किए गए आमाल) से इज्तिनाब का सबब बनती है, बल्कि ज़ामिन है, इसलिए नमाज़ी के लिए दुख़ूले जन्नत का इनाम है, अव्वलन हो या सानियन। **(5)** 'चाहे तो जन्नत में दाख़िल करे।' ये अल्लाह तआला की कमाल रहमत है कि अपने हुक़ूक़ में कोताही पर बाज़ पुरस न करे।

बाब : (7) पाँच (फ़र्ज़) नमाज़ों की अदायगी की फ़ज़ीलत

باب : (٧) فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

(463) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बताओ! अगर तुममें से किसी के दरवाज़े के सामने से नहर गुज़रती हो, वह उससे हर रोज़ पाँच दफ़ा ग़ुस्ल करता हो, क्या उसका कुछ भी मेल कुचैल बाक़ी रह जायेगा?' सहाबा ने कहा: कुछ भी मेल कुचैल नहीं रहेगा आपने फ़रमाया: 'पाँच नमाज़ों की मिसाल भी यही है। अल्लाह तआला उनके साथ ग़लतियाँ मिटा देता है।'

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ." قَالُوا لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا.

(463) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 667, बुख़ारी, हदीस: 528, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 323.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगरचे अहले इल्म की एक जमाअत ने यहाँ (خطايا) से मुराद सग़ाइर लिए हैं लेकिन ये हदीस के ज़ाहिर मफ़हूम के मुवाफ़िक़ नहीं। 'ख़ताया' में उमूम है, ख़्वाह सग़ाइर हों या कबाइर

क्योंकि अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज़्यादा वसीअ है। (2) तौबा अगरचे एक सबबे मग़फ़िरत है लेकिन बख़्शिश सिर्फ़ इसी पर मौक़ूफ़ नहीं कि इसके बग़ैर बख़्शिश हो ही नहीं सकती। हाँ! ये ज़रूर है कि सच्ची तौबा से बख़्शिश यक़ीनी हो जाती है।

बाब : (8) नमाज़ छोड़ने वाले का हुक्म

باب : (٨) الْحُكْمِ فِي تَارِكِ الصَّلاَةِ

(464) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारे और उन (काफ़िरों) के दरम्यान इम्तियाज़ (फ़र्क़) नमाज़ से है। जिसने इसे छोड़ दिया उसने कुफ़्र किया।'

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ ".

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2621, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 329, इब्ने माजा, हदीस: 1079.

(465) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बन्दे और कुफ़्र के दरम्यान सिर्फ़ नमाज़ छोड़ने का फ़र्क़ है।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلاَةِ ".

(465) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 82, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 330.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मुसलमान और काफ़िर में इम्तियाज़ नमाज़ से है।' क्योंकि अरकाने इस्लाम में से यही एक ऐसा रूक्न है जिससे मुस्लिम की पहचान हो सकती है। शहादतैन की अदायगी तो कभी कभार होती है, और वह नज़र आने वाली चीज़ नहीं। तस्दीक़ दिल से होती है। रोज़ा भी मख़्फ़ी चीज़ (छिपी हुई चीज़) है। ज़कात की अदायगी सिर्फ़ अमीर लोगों पर साल में एक दफ़ा होती है और वह ऐलानिया भी नहीं होती। हज ज़िन्दगी में एक बार है, वह भी सिर्फ़ साहिबे इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है, लिहाज़ा नमाज़ ही एक ऐसा रूक्न है जो हर ग़रीब व अमीर, मर्दो ज़न, बूढ़े, जवान, तन्दुरुस्त और बीमार पर दिन में पाँच मर्तबा फ़र्ज़ है। और ये नज़र आने वाली चीज़ है। ऐलानिया अज़ान व जमाअत से अदा होती है, इसलिए इससे बढ़ कर मुसलमान के लिए इम्तियाज़ क्या हो सकता है? **(2)** 'जिसने इसे छोड़ दिया, कुफ़्र किया।' क्योंकि जो शख़्स कभी भी नमाज़ नहीं पढ़ता उसने मुत्लक़न नमाज़ को छोड़ रखा है। बज़ाहिर काफ़िर और उसमें कोई फ़र्क़ मालूम नहीं होता, यानी देखने में काफ़िरों जैसा है। वैसे भी नमाज़

का तर्क काफ़िरों का काम है। जो शख़्स नमाज़ नहीं पढ़ता उसने कुफ़्र के काम का इर्तिकाब किया, अलबत्ता उसमें चूंकि इस्लाम के काम भी पाये जाते हैं, जैसे: शहादतैन का इक़रार और तस्दीक़ वग़ैरह, लिहाज़ा वह सरीह काफ़िर तो नहीं मगर दायर-ए-इस्लाम के तहत काफ़िर है। उसको इमाम बुख़ारी (ﷺ) ने (कुफ़्र दून कुफ़्र) कहा हैं देखिये: (सहीह बुख़ारी, बाब: 21) यानी बड़े कुफ़्र से कम दर्जे का कुफ़्र जिससे वह दायर-ए-इस्लाम से ख़ारिज न होगा। इमाम अहमद (ﷺ) ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के पेशे नज़र उसे सरीह काफ़िर कहा है। वल्लाहु आलम! **(3)** 'सिर्फ़ नमाज़ छोड़ने का फ़र्क़ है।' क्योंकि तर्के सलात से मुसलमान का इम्तियाज़ ख़त्म हो गया, लिहाज़ा उसका ताल्लुक़ कुफ़्र से जुड़ गया।

बाब : (9) नमाज़ के बारे में पूछ गछ होगी

باب : (٩) الْمُحَاسَبَةِ عَلَى الصَّلاَةِ

(466) हज़रत हुरैस बिन क़बीसा (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैं मदीना आया तो मैंने दुआ की: ऐ अल्लाह! मुझे कोई नेक हमनशीन मयस्सर फ़रमा। फिर हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हमनशीनी मयस्सर हुई। मैंने उनसे कहा: मैंने अल्लाह तआला से दुआ की थी कि मुझे नेक हमनशीन मयस्सर फ़रमा, लिहाज़ा आप मुझे कोई ऐसी हदीस बयान फ़रमायें जो आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुनी हो। उम्मीद है अल्लाह तआला मुझे उससे फ़ायदा पहुँचायेगा। आपने बयान किया: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सबसे पहले बन्दे से नमाज़ का हिसाब लिया जायेगा। अगर वह दुरुस्त हुई तो वह कामयाब व कामरान हो गया। और अगर वह ख़राब हुई तो वह नाकाम रहा और ख़सारे (घाटे) में गया।' हम्माम कहते हैं: मुझे मालूम नहीं कि ये अल्फ़ाज़ क़तादा के हैं या रिवायत (हदीस) के हैं। 'अगर इसके फ़र्ज़ों में कुछ कमी हुई तो अल्लाह

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ، - هُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخَزَّازُ - قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ قَبِيصَةَ، قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَجَلَسْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُيَسِّرَ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَحَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ . قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بِصَلاَتِهِ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ " . قَالَ هَمَّامٌ لاَ أَدْرِي هَذَا مِنْ كَلاَمِ قَتَادَةَ أَوْ

مِنَ الرِّوَايَةِ " فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ " . خَالَفَهُ أَبُو الْعَوَّامِ .

तआला फ़रमायेगा: (ऐ फ़रिश्तो!) देखो, क्या मेरे बन्दे के पास कुछ नफ़ल हैं? तो उनके साथ उसके फ़र्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। फिर बाक़ी आमाल में भी इसी तरह (हिसाब) होगा।' हज़रत अबू अव्वाम ने सनद में हज़रत हम्माम की मुख़ालिफ़त की है।

(466) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 413, सुननिल कुब्रा अन्नसाई, हदीस: 325.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अबू अव्वाम और हम्माम दोनों हज़रत क़तादा के शागिर्द हैं। दोनों सनद के बयान करने में मुख़्तलिफ़ हैं जैसा कि इस हदीस और अगली हदीस की सनदें देखने से मालूम होता है। हज़रत हम्माम की सनद में हज़रत हसन के उस्ताद हुरैस बिन क़बीसा हैं जबकि अबू अव्वाम की सनद में हसन के उस्ताद अबू राफ़ेअ हैं। **(2)** मालूम हुआ कि नवाफ़िल और सुनन की अदायगी में क़तअन सुस्ती नहीं करनी चाहिए ताकि फ़राइज़ की तकमील और दर्जात की बुलन्दी का फ़ायदा हासिल हो। कौन है जो फ़राइज़ की सही अदायगी का दावा कर सके?

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ بْنِ مَيْمُونٍ - قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَوَّامِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ فَإِنْ وُجِدَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ قَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ يُكَمَّلُ لَهُ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَةٍ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ سَائِرُ الأَعْمَالِ تَجْرِي عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ " .

(467) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ क़यामत के दिन सबसे पहले बन्दे से जिस चीज़ का हिसाब होगा वह उसकी नमाज़ होगी। अगर वह मुकम्मल पाई गई तो मुकम्मल लिखी जायेगी और अगर उसमें कुछ कमी हुई तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा: देखो! क्या तुम इसके लिए कुछ नफ़ल पाते हो जिसके साथ इसके ज़ाया करदा फ़र्ज़ की कमी पूरी कर दी जाये। फिर बाक़ी आमाल भी इसी के मुताबिक़ जारी होंगे।'

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : कुछ रिवायात में है कि सबसे पहले 'क़त्ल' का फ़ैसला किया जायेगा। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6533, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1678) यहाँ नमाज़ का ज़िक्र है। तत्बीक़ ये है कि हुक़ूक़ुल्लाह में सबसे पहले नमाज़ का हिसाब होगा और हुक़ूक़ुल इबाद में क़त्ल का। या पूछ गछ पहले नमाज़ की होगी और फ़ैसला सबसे पहले क़त्ल का होगा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلاَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ" .

(468) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सबसे पहले बन्दे से उसकी नमाज़ का हिसाब लिया जायेगा। अगर उसने नमाज़ों को मुकम्मल किया होगा (तो दुरुस्त) वरना अल्लाह तआला (फ़रिश्तों से) फ़रमायेगा: देखो! क्या मेरे बन्दे के नामा-ए-आमाल में कोई नफ़ल हैं? अगर नफ़ल पाये गये तो अल्लाह तआला फ़रमायेगा, उनसे फ़र्ज़ों की कमी को पूरा कर दो।'

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद, हदीस: 4/103, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 325, अबी दाऊद, हदीस: 866.

باب : (١٠) ثَوَابِ مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ

बाब : (10) जो शख़्स नमाज़ की (सही) अदायगी करे, उसका सवाब

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُوهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي

(469) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) से रिवायत है, एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे किसी ऐसे काम से मुत्तलअ (ख़बरदार) फ़रमायें जो मुझे जन्नत में दाख़िल कर दे। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम अल्लाह तआला की इबादत करो और किसी को उसका शरीक न बनाओ और नमाज़ सही सही अदा करो, ज़कात अदा करो और रिश्तों को

بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ ذَرْهَا " كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ .

जोड़ो (फिर आपने उस आदमी से कहा) उस (ऊँटनी की नकेल) को छोड़ो।' गोया कि आप ऊँटनी पर सवार थे।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5983, मुस्लिम, हदीस: 13/13, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 328.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (ذرها) में इस चीज़ की तरफ़ इशारा था कि तेरे सवाल का जवाब पूरा हो गया है अब इसको छोड़ दे। उसने सवाल करने से पहले आपकी ऊँटनी की मुहार (नकेल) पकड़ ली थी। **(2)** इस हदीस में अरकाने इस्लाम मज़कूर हैं।

باب: (١١) عَدَدِ صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي الْحَضَرِ

बाब : (11) हज़र में ज़ुहर की नमाज़ कितनी रकअत होगी?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسًا، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ.

(470) हज़रत अनस (﵁) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ ज़ुहर की नमाज़ मदीना मुनव्वरा में चार रकअत पढ़ी और अस्र की नमाज़ ज़ुलहुलैफ़ा में दो रकअत पढ़ी।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 690, बुख़ारी, हदीस: 1089, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 342.

फ़ायदा : मदीना मुनव्वरा में तो मुकम्मल नमाज़ पढ़ी गई, फिर सफ़र शुरू हो गया, ज़ुलहुलैफ़ा चूंकि शहर से बाहर है, सफ़र लम्बा था, लिहाज़ा ज़ुलहुलैफ़ा में अस्र की नमाज़ का वक़्त आ जाने पर क़स्र, यानी दो रकअत पढ़ी गई। याद रहे ये हज का सफ़र था।

باب: (١٢) صَلاَةِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

बाब : (12) सफ़र के दौरान में ज़ुहर की नमाज़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ

(471) हज़रत अबू जुहैफ़ा (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दोपहर के वक़्त ... इब्ने मुसन्ना ने कहा: बतहा (मक्का में मक़बरा मुअल्ला से सफ़ा मरवा की तरफ़ जाने वाले

أَبَا جُحَيْفَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى إِلَى الْبَطْحَاءِ - فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ .

रास्ते) की तरफ़ ... निकले। आपने वुज़ू फ़रमाया, फिर ज़ुहर व अस्र दो दो रकअत पढ़ीं और आपके आगे एक छोटा नेज़ा गाड़ा गया था।

(471) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 503, बुख़ारी, हदीस: 187, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 343.

फ़ायदा : आपके आगे अनज़ा (छोटा नेज़ा) सुतरे के तौर पर गाड़ा गया था, लिहाज़ा खुली या बन्द जगह में सुतरा ज़रूरी है।

बाब : (13) अस्र की नमाज़ की फ़ज़ीलत

باب : (١٣) فَضْلِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، وَابْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَالْبَخْتَرِيُّ بْنُ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، كُلُّهُمْ سَمِعُوهُ مِنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا

(472) हज़रत उमारह बिन रुवेबा सक़फ़ी (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'वह आदमी हरगिज़ आग में दाख़िल न होगा जिसने सूरज तुलूअ और ग़ुरूब होने से पहले की नमाज़ें (फ़ज्र और अस्र) अदा कीं।'

(472) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 634, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 354.

फ़ायदा : अस्र और फ़ज्र की नमाज़ें मुश्किल औक़ात में हैं। अस्र का वक़्त कारोबार और मसरूफ़ियत का वक़्त होता है और फ़ज्र का वक़्त नींद और ग़फ़लत का, तो जो शख़्स इन दो नमाज़ों को बा'जमाअत पाबन्दी से अदा करता है वह बाक़ी नमाज़ों को बदर्जा-ए-औला पाबन्दी से अदा करेगा। और नमाज़ दीन की बुनियाद है, लिहाज़ा वह पक्का मोमिन होगा, इसलिए हरगिज़ आग में न जायेगा। वल्लाहु आलम!

बाब : (14) नमाज़े अस्र की पाबन्दी

باب : (١٤) الْمُحَافَظَةِ عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي

(473) नबी (ﷺ) की ज़ौज-ए-मोहतरमा हज़रत आयशा (ﷺ) के आज़ाद करदा ग़ुलाम अबू यूनुस कहते हैं कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने मुझे

يُونُس، مَوْلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا فَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى } فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَّ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ . ثُمَّ قَالَتْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

हुक्म दिया कि मैं उनके लिए क़ुर्आन मजीद का एक नुस्ख़ा लिखूं। फ़रमाने लगीं: जब तू इस आयत पर पहुँचे:

{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى }

'नमाज़ों की, ख़ुसूसन सलाते वुस्ता की पाबन्दी करो।' तो मुझे इत्तिला करना। जब मैं इस आयत पर पहुँचा तो आपने मुझे यूँ लिखवाया:

{ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْالِلّٰهِ قَانِتِيْنَ }

फिर फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से यूँ ही सुना है।

(473) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 629, मोत्ता: 1/138, 139.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत आयशा (ؓ) ने जो वस्सलातिल अस्र का इज़ाफ़ा फ़रमाया है, ये दरअसल तफ़्सीर है 'सलाते वुस्ता' की जो कुछ अहादीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है वरना ये क़ुर्आन मजीद के अल्फ़ाज़ नहीं। 'सलाते वुस्ता' से मुराद है अफ़ज़ल नमाज़। और वह अहादीसे सहीहा के मुताबिक़ अस्र की नमाज़ है। देखिये: (सहीह बुख़ारी हदीस: 6396, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 628) अगरचे कुछ लोगों ने 'सलाते वुस्ता' के मानी दरमयानी नमाज़ किये हैं, लेकिन हर नमाज़ दरम्यानी बंन सकती है, जैसे: ज़ुहर दिन के दरम्यान में है। मग़रिब रकआत के लिहाज़ से दरम्यान है। ईशा जहरी नमाज़ों में से दरम्यानी नमाज़ है। फ़ज्र की नमाज़ दिन और रात के दरम्यान है, लिहाज़ा ये मानी सही मालूम नहीं होते।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ " .

(474) हज़रत अली (ؓ) से मन्क़ूल है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: '(काफ़िरों ने) हमें सलाते वुस्ता से मसरूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया।'

(474) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 627, बुख़ारी, हदीस: 2931.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ाहिर है गुरूबे शम्स से पहले अस्र ही की नमाज़ है। उसे ही आपने सलाते वुस्ता कहा है। सहीहैन की रिवायत में इसकी सराहत है। **(2)** ग़ज़्व-ए-अहज़ाब, यानी जंगे ख़न्दक़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये थे। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 4111, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 627)

बाब : (15)
जिस शख़्स ने अस्र की नमाज़ छोड़ दी

باب : (١٥)
مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ

(475) अबू मलीह बयान करते हैं कि हम एक अब्र आलूद दिन में हज़रत बुरैदा (رضی الله عنه) के साथ थे तो उन्होंने कहा: नमाज़ (अस्र) जल्दी पढ़ लो क्योंकि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जिसने अस्र की नमाज़ छोड़ दी उसका अमल ज़ाया हो गया।'

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمَلِيحِ، قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ " .

(475) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 553, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 364.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अब्र आलूद दिन में सूरज नज़र नहीं आता, इसलिए ख़तरा होता है कि कहीं गुरूब ही न हो जाये, लिहाज़ा अस्र की नमाज़ अव्वल वक़्त ही में पढ़ लेनी चाहिए ताकि ताख़ीर क़ज़ा तक न पहुँचा दे। एक मरफ़ूअ रिवायत में ये बात सराहतन बयान की गई है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 594) **(2)** 'उसका अमल ज़ाया हो गया।' कुछ गुनाह आमाल के ज़ाया का सबब बन जाते हैं, जैसे नबी (ﷺ) के सामने झगड़ना और आवाज़ बुलन्द करना, रियाकारी करना, नजूमी और दस्त सनास वग़ैरह के पास जाना, अलबत्ता ये ज़रूरी नहीं कि सारे पहले के आमाल ज़ाया हो जायें, क्योंकि इस क़िस्म का एहबात तो कुफ़्र व इर्तिदाद ही की बिना पर होता है। मज़कूरा हदीस में वह अमल मुराद है जिसकी बिना पर वह नमाज़ से मशग़ूल रहा। और ज़ाया होने का मतलब है कि वह अमल उसे फ़ायदा नहीं पहुँचायेगा। या किसी और वजह से कामिल एहबात भी मुमकिन है जबकि सिरे से उसके वुजूब का मुन्कर हो। कुछ ने कहा है कि इन अल्फ़ाज़ से तशदीद व ताज़ीम गुनाह मक़सूद है न कि ज़ाहिरी अल्फ़ाज़। ये मफ़हूम अगरचे बईद नहीं मगर ऊपर दिये गये मफ़हूम अल्फ़ाज़ के क़रीब तर है।

बाब : (16) हज़र में अस्र की नमाज़ की रकआत कितनी हैं?

باب : (١٦) عَدَدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي الْحَضَرِ

(476) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि हम ज़ुहर और अस्र की नमाज़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ियाम का अन्दाज़ा लगाते थे। हमने ज़ुहर की नमाज़ में आपके क़याम का अन्दाज़ा पहली दो रकअतों में सूर-ए-सज्दा के बराबर तक़रीबन तीस (30) आयात लगाया और आख़िरी दो रकअतों में इससे निस्फ़। और अस्र की पहली दो रकअतों में ज़ुहर की आख़िरी दो रकअतों के बराबर और अस्र की आख़िरी दो रकअतों में इससे निस्फ़ क़ियाम का अन्दाज़ा लगाया।

(476) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 452, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 351.

اخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً قَدْرَ سُورَةِ السَّجْدَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ وَفِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .

फ़ायदा : अस्र की नमाज़ की रकआत मालूम होने के साथ साथ ये भी मालूम हुआ कि नबी (ﷺ) अस्र की आख़िरी दो रकअतों में सिर्फ़ फ़ातिहा पढ़ते थे मज़ीद कोई सूरह न मिलाते थे, अलबत्ता ज़ुहर की आख़िरी दो रकअतों में सूरह-ए-फ़ातिहा के साथ कोई और सूरह भी पढ़ते थे, गोया फ़र्ज़ की आख़िरी दो रकअतों में सिर्फ़ फ़ातिहा भी काफ़ी है और अगर कोई सूरह मिला ली जाये तब भी कोई हर्ज नहीं।

(477) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ में क़ियाम फ़रमाते तो हर रकअत में तक़रीबन तीस आयात तिलावत फ़रमाते, फिर अस्र की पहली दो रकअतों में पन्द्रह आयात के ब'क़द्रे क़िराअत फ़रमाते।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فِي الظُّهْرِ فَيَقْرَأُ قَدْرَ

ثَلاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً

(477) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1/129, हदीस: 352.

तौज़ीह : (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) से मुराद है पहली दो रकअतों में से हर रकअत में तक़रीबन तीस आयात के ब'क़द्र क़िराअत करते, न कि चार रकआत में तीस तीस आयात की तिलावत मुराद है क्योंकि तफ़सीली रिवायात से यही मफ़हूम समझ में आता है।

بَاب: (١٧) صَلاَةُ الْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

बाब : (17) सफ़र में अस्र की नमाज़ कितनी है?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

(478) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷻ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ मदीना मुनव्वरा में चार रकअत और अस्र की नमाज़ ज़ुलहुलैफ़ा में दो रकअत पढ़ी।

तख़रीज: (सनद सही) मुस्लिम ह.:690, बुख़ारी ह.: 1548

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस: 1470 और उसका फ़ायदा।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " . قَالَ عِرَاكٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " . خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ.

(479) हज़रत नोफ़ल बिन मुआविया (ﷻ) से मरवी है कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: 'जिसकी अस्र की नमाज़ रह गई, वह यूँ समझे कि उससे उसके अहल व माल लूट लिये गये।'

इराक कहते हैं: मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷻ) ने ख़बर दी कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना: 'जिससे अस्र की नमाज़ रह गई, वह यूँ समझे कि उससे उसके अहल व माल लूट लिये गये।' यज़ीद बिन अबी हबीब ने (सनद और मतन के बयान में जाफ़र बिन रबीआ की) मुख़ालिफ़त की है।

(479) तख़रीज : (सनद सही)

फ़वाइद व मसाइल : (1) यज़ीद बिन अबी हबीब और जाफ़र बिन रबीआ हज़रत इराक के शागिर्द हैं। दोनों ने सनद में भी इख़्तिलाफ़ किया है और मतन में भी। सनद का इख़्तिलाफ़ तो ये है कि यज़ीद बिन अबी हबीब की रिवायत में है कि हज़रत इराक को ये बात पहुँची है कि हज़रत नोफ़ल बिन मुआविया यूँ फ़रमाते थे, गोया इराक ने ख़ुद हज़रत नोफ़ल से नहीं सुना जबकि जाफ़र बिन रबीआ की रिवायत में सिमाअ और तहदीस की स़राहत है। मुमकिन है पहले इराक ने ये रिवायत वास्ते से सुनी हो, फिर बराहेरास्त सुन ली। और दोनों तरह बयान कर दिया। मतन में इख़्तिलाफ़ ये है कि जाफ़र की रिवायत में नमाज़े अस्र की स़राहत है जब कि यज़ीद बिन अबी हबीब की रिवायत में 'किसी एक नमाज़' का ज़िक्र है। मुमकिन है हज़रत नोफ़ल की रिवायत में अस्र की स़राहत न हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की रिवायत में हो। पहले हज़रत इराक मुबहम बयान करते होंगे, फिर हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से स़राहत के बाद उन्होंने हज़रत नोफ़ल की रिवायत में भी नमाज़े अस्र की स़राहत शुरू कर दी हो। वल्लाहु आलम! **(2)** हदीस़: 475 में हब्ते अमल का ज़िक्र है और यहाँ अहल व माल के लूट लिये जाने का। दरअस़ल वह रिवायत नमाज़ तर्क कर देने के बारे में है कि न अदा की गई हो और न क़ज़ा ही पढ़ी गई हो। और ये रिवायत सुस्ती की बिनां पर नमाज़ वक़्त से रह जाने के बारे में है जब कि वक़्त के बाद क़ज़ा पढ़ ली गई हो। अहल व माल का लूटा जाना भी मामूली नुक़सान नहीं है।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ" . خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ .

(480) हज़रत नोफ़ल बिन मुआविया (ﷺ) ने बयान किया, मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'नमाज़ों में से एक नमाज़ ऐसी है कि जिससे वह रह जाये, वह यूँ समझे कि उसके अहल व माल लूट लिये गये।' हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने अल्लाह के रसूल(ﷺ) को फ़रमाते सुना कि वह अस्र की नमाज़ है। मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने (हज़रत लैस़ की) मुख़ालिफ़त की है।

(480) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने अबी आसिम फ़ील अहाद वलमस़ानी, हदीस़: 2/202, हदीस़: 952.

फ़ायदा : मुहम्मद बिन इस्हाक़ और लैस़ दोनों यज़ीद बिन अबी हबीब के शागिर्द हैं। दोनों सनद के बयान में भी मुख़्तलिफ़ हैं और मतन के बयान में भी। सनद का इख़्तिलाफ़ तो ये है कि हज़रत लैस़ की रिवायत में

इराक के हज़रत नोफ़ल से सिमाअ़ की स़राहत नहीं जबकि मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत में सिमाअ़ की स़राहत है। तत्बीक़ साबिक़ा वज़ाहत में गुज़र चुकी है। मतन का इख़्तिलाफ़ ये है कि हज़रत लैस़ की रिवायत मरफ़ूअ़ है जबकि मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत मौक़ूफ़, यानी स़हाबी का क़ौल है। वैसे इनमें तआ़रूज़ (टकराव) नहीं है क्योंकि अस्लन तो ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान ही है। स़हाबी ने भी यही फ़तवा दिया। ज़ाहिर है ऐसे आ़म होता है। इससे रिवायत के मरफ़ूअ़ होने में कोई शुब्हा पैदा नहीं होता।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَوْفَلَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ صَلاَةٌ مَنْ فَاتَتْهُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هِيَ صَلاَةُ الْعَصْرِ "

(481) इराक बिन मालिक ने कहा कि मैंने नोफ़ल बिन मुआविया (ؓ) को फ़रमाते सुना: एक नमाज़ ऐसी है कि जिससे वह रह जाये गोया उसके अहल व माल लूट लिये गये। हज़रत इब्ने उ़मर (ؓ) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह अ़स्र की नमाज़ है।'

(481) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 479 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस़: 480 और हदीस़: 481 में फ़र्क़ ये है कि पहली हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है और दूसरी नोफ़ल बिन मुआविया का अपना क़ौल। **(2)** इन तीन रिवायात का ज़ाहिरन बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता मगर ये कि कहा जाये कि सफ़र में सुस्ती हो जाती है। बसा औक़ात नमाज़ का वक़्त भी गुज़र जाता है। मुसाफ़िर को चाहिए कि अ़स्र की नमाज़ वक़्त से ज़ाया न करे वरना सख़्त नुक़सान होगा। वक़्त के अन्दर अदा करे।

باب : (١٨) صَلاَةِ الْمَغْرِبِ

बाब : (18) मग़रिब की नमाज़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَقَامَ

(482) सलमा बिन कुहैल से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने हज़रत सईद बिन जुबैर को मुज़्दलफ़ा में देखा, उन्होंने इक़ामत कही और मग़रिब की नमाज़ तीन रकअ़त पढ़ी, फिर इक़ामत कही और ईशा की नमाज़ दो रकअ़त पढ़ी, फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि हज़रत इब्ने

فَصَلَّى - يَعْنِي - الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَنَعَ بِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ .

उमर (ﷺ) ने इस जगह उनको ऐसे ही नमाज़ें पढ़ाई और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने ज़िक्र किया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उस जगह इसी तरह किया था।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1288/288.

फ़ायदा : मग़रिब की नमाज़ सफ़र व हज़र में तीन रकअत ही रहती है क्योंकि ये दिन के वित्र हैं, निस्फ़ करना मुमकिन नहीं है। दो रकआत पढ़ी जायें तो वित्र नहीं रहेगी जब कि ईशा की नमाज़ सफ़र में दो रकअत हो जाती है।

باب : (١٩) فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ

बाब : (19) नमाज़ ईशा की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ رضى الله عنه نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ غَيْرُكُمْ " . وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ يُصَلِّي غَيْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .

(483) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (एक रात) ईशा की नमाज़ को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि हज़रत उमर(ﷺ) ने आपको (मस्जिद से) बुलन्द आवाज़ में पुकारा कि औरतें और बच्चे सो गये। तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) बाहर (मस्जिद में) तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम्हारे अलावा कोई शख़्स ये नमाज़ नहीं पढ़ता।' और (वाक़िअतन) उन दिनों अहले मदीना के अलावा कोई शख़्स नमाज़ नहीं पढ़ता था।

(483) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 862, मुस्लिम, हदीस: 638, बुख़ारी, हदीस: 862.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़रूरत पड़ने पर रसूलुल्लाह (ﷺ) को बुलन्द आवाज़ से पुकारना जायज़ था। आपकी मौजूदगी में बिला ज़रूरत ऊँची आवाज़ से बोलना गुनाह था, गुस्ताख़ी थी और मूजिबे हरमान था, फिर ये वाक़िया सूरह-ए-हुजरात के नुज़ूल से पहले इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम का है जबकि ऊँची आवाज़ से पुकारने की मुमानिअत और इस पर अमल की बर्बादी की वईद सूरह-ए-हुजरात में आई

है। (2) 'औरतें और बच्चे सो गये।' यानी वह औरतें जो बा'जमाअत नमाज़ के लिए मस्जिद में आई थीं और उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी थे। या घरों में औरतें और बच्चे सो गये। दरवाज़ा खोलना मुश्किल होगा। लेकिन पहला मफ़हूम ही दुरुस्त है। (3) 'तुम्हारे अलावा कोई शख़्स ये नमाज़ नहीं पढ़ता।' क्योंकि ईसाई व यहूदी तो ईशा की नमाज़ पढ़ते ही नहीं, सिर्फ़ मुसलमान ही पढ़ते हैं और उस वक़्त इस्लाम मदीने से बाहर नहीं फैला था या फिर मक्के में चन्द मजबूर व मक़हूर मुसलमान थे जिनको ऐलानिया नमाज़ बा'जमाअत पढ़ने की हिम्मत ही न थी, छुप छुपा कर पढ़ते थे। इस जुम्ले का ये मतलब भी हो सकता है कि इतनी ताख़ीर के साथ मस्जिदे नबवी के अलावा कहीं नमाज़ नहीं पढ़ी जाती क्योंकि मदीना मुनव्वरा की दीगर मस्जिदों में लोग जल्दी नमाज़ पढ़ कर सो जाते थे। इस सूरत में 'तुम' से मुराद मस्जिदे नबवी के नमाज़ी होंगे, पहली सूरत में आम मुसलमान मुराद होंगे। वल्लाहु आलम! (4) इस हदीस से बज़ाहिर इमाम साहिब का इस्तिदलाल वाज़ेह नहीं है लेकिन आपका ये फ़रमाना: 'तुम्हारे अलावा कोई शख़्स ये नमाज़ नहीं पढ़ता, इस उम्मत की ख़ुसूसियत वाज़ेह करता है, इसलिए इस नमाज़ का एहतिमाम ज़रूरी है। नमाज़ के लिए मुन्तज़िर रहना इसके एहतिमाम में शामिल है, लिहाज़ा ये अमल इसकी फ़ज़ीलत पर दलालत करता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (20)
सफ़र में ईशा की नमाज़ कितनी होगी?

باب: (٢٠)
صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

(484) हज़रत हकम से रिवायत है, उन्होंने कहा: जनाब सईद बिन जुबैर ने हमें मुज़्दलफ़ा में मग़रिब की नमाज़ इक़ामत के साथ तीन रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर ईशा की नमाज़ दो रकअतें पढ़ाईं और कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने ऐसे किया। और उन्होंने (इब्ने उमर) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ही किया था।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ صَلَّى بِنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا بِإِقَامَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ .

(474) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 482 में देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 384.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ . يَصْنَعُ فِي هَذَا الْمَكَانِ .

(485) जनाब सईद बिन जुबैर ने कहा: मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) को देखा, आपने मुज़्दलफ़ा में इक़ामत कही और मग़रिब की नमाज़ तीन रकअत पढ़ी, फिर ईशा की नमाज़ दो रकअत पढ़ी, फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को इसी जगह इसी तरह करते देखा है।

(485) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 482, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 385.

باب : (٢١)
فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

बाब : (21)
नमाज़ बा'जमाअत की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلاَئِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ "

(486) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात और दिन के वक़्त फ़रिश्ते तुम पर बारी बारी आते हैं और फ़ज्र और अस्र की नमाज़ में (दिन और रात के) फ़रिश्ते जमा हो जाते हैं। फिर जिन फ़रिश्तों ने तुममें रात गुज़ारी होती है वह ऊपर जाते हैं। अल्लाह तआला उनसे पूछता है, हालांकि अल्लाह तआला अपने बन्दों को ख़ूब जानता है: तुम मेरे बन्दों को किस हाल में छोड़ कर आये हो? वह कहते हैं: हम उनको नमाज़ पढ़ता छोड़ कर आये हैं और जब हम उनके पास गये थे तो वह उस वक़्त भी नमाज़ पढ़ रहे थे।'

(486) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7486, मुस्लिम, हदीस: 632, मोत्ता: 1/170.

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمْعِ عَلَى صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا وَيَجْتَمِعُ مَلاَئِكَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ { وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}".

(487) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बा'जमाअत नमाज़ तुम्हारे अकेले की नमाज़ से पच्चीस गुना फ़ज़ीलत रखती है। और फ़ज्र की नमाज़ में रात और दिन के फ़रिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं। चाहो तो क़ुर्आन मजीद की ये आयत पढ़ लो:

{ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

'और सुबह की नमाज़ क़ायम करो क्योंकि सुबह की नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं।'

(487) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 649, बुख़ारी, हदीस: 648, 4717 मुस्लिम, हदीस: 649/242.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पच्चीस गुना' क्योंकि बा'जमाअत नमाज़ पढ़ने के लिए इंसान को बहुत से नेक काम ज़्यादा करने पड़ते हैं, जैसे: घर से नमाज़ के इरादे से निकलना, दुआ पढ़ना, मस्जिद की तरफ़ चलना, रास्ते में मिलने वालों से सलाम व जवाब करना, मरीज़ की बीमार पुर्सी करना, रास्ते को साफ़ रखना, किसी को रास्ता बताना और आजिज़ की मदद करना वग़ैरह वग़ैरह। **(2)** वैसे तो फ़रिश्ते हर नमाज़ में हाज़िर होते हैं मगर चूंकि फ़ज्र की नमाज़ में दिन और रात के फ़रिश्ते जमा होते हैं, इसलिए उसका ख़ुसूसी ज़िक्र फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ، رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ "لاَ يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ".

(488) हज़रत उमारह बिन रुवेबा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना 'वह शख़्स आग में नहीं जायेगा जिसने तुलूअे शम्स और ग़ुरूबे शम्स से पहले की नमाज़ें पढ़ीं।'

(488) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 472 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस में नमाज़ बा'जमाअत का ज़िक्र नहीं, सिर्फ़ फ़ज्र और अस्र की नमाज़ का ज़िक्र है,

गोया नमाज़ पढ़ने से मुराद बा'जमाअत नमाज़ पढ़ना ही है। अलग अलग या बेवक़्त नमाज़ पढ़ना क़ाबिले तारीफ़ नहीं। (देखिये: हदीस़ नम्बर 472)

باب: (٢٢) فَرْضِ الْقِبْلَةِ

बाब : (22) क़िब्ला कब मुक़र्रर हुआ?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا - شَكَّ سُفْيَانُ - وَصُرِفَ إِلَى الْقِبْلَةِ .

(489) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से मन्कूल है, उन्होंने फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ बैतुल मक़्दिस की तरफ़ (मुँह करके) सोलह (16) या सत्तरह (17) महीने नमाज़ पढ़ी, फिर आपको मौजूदा क़िब्ले (बैतुल्लाह) की तरफ़ फेर दिया गया।

(489) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4492, मुस्लिम, हदीस़: 525/12.

फ़ायदा : हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) अन्सारी स़हाबी हैं। ज़ाहिर है उन्होंने हिजरत के बाद ही आप (ﷺ) के साथ नमाज़ें पढ़ीं। तो हदीस़ का मतलब ये हुआ कि हिजरत से सोला सतरह माह बाद तक क़िब्ला बैतुल मक़्दिस ही रहा। 15 रजब या शाबान 2 हिजरी में बैतुल्लाह को क़िब्ला मुक़र्रर किया गया। क़िब्ले से मुताल्लिक़ तफ़्सीली अहकाम व मसाइल के लिए किताबुल क़िब्ला का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْرَقُ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَصَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ إِنَّهُ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَمَرَّ رَجُلٌ قَدْ كَانَ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ

(490) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो आपने सोलह (16) महीनों तक बैतुल मक़्दिस की तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ी, फिर आपका रुख़ काबा की तरफ़ कर दिया गया। एक आदमी जिसने (क़िब्ले की तब्दीली के बाद) आपके साथ नमाज़ पढ़ी थी, अन्सार के एक क़बीले के पास से गुज़रा तो उसने कहा: मैं क़सम खाता हूँ कि

ﷺ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ . فَانْحَرَفُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

रसूलुल्लाह(ﷺ) का क़िब्ला काबे की तरफ़ कर दिया गया है। तो वह (नमाज़ ही में) काबे की तरफ़ मुड़ गये।

(490) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 40, 399, 4486, 4492, 7252, व मुस्लिम, हदीस: 525.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अन्सार के इस क़बीले का नाम बनू हारिसा था। **(2)** अन्सार का नमाज़ ही में बैतुलल्लाह की तरफ़ रुख़ करना तमाम नमाज़ियों के लिए कुछ न कुछ हरकत का बाइस बना क्योंकि बैतुलल्लाह, बैतुल मक़्दिस से बिल्कुल मुख़ालिफ़ जानिब है। ज़ाहिर है इमाम को सफ़ें चीर कर दूसरी जानिब आना पड़ा और मुक़्तदियों को भी सफ़ें बदलनी पड़ीं। मालूम हुआ कि नमाज़ की इस्लाह के लिए जो भी हरकत करनी पड़े, वह नमाज़ के फ़साद का मूजिब नहीं, क़लील हो या कसीर। **(3)** साबित हुआ कि ख़बर वाहिद हुज्जत है। **(4)** किसी हुक्म के इल्म से पहले उस हुक्म का इत्लाक़ नहीं होता क्योंकि तब्दीली-ए-क़िब्ला का हुक्म तो इस क़िब्ले के नमाज़ शुरू करने से पहले आ चुका था मगर चूंकि उनको इल्म नमाज़ के दौरान में हुआ, लिहाज़ा पहले से पढ़ी हुई नमाज़ जो दूसरे क़िब्ले की तरफ़ थी, फ़ासिद नहीं हुई। **(5)** ये बात इख़्तिलाफ़ी है कि सहाब-ए-किराम(رضي الله عنهم) और रसूलुल्लाह (ﷺ) का बैतुल मक़्दिस की तरफ़ नमाज़ पढ़ना वह्य से था या अहले किताब से मुवाफ़िक़त की बिना पर।

باب : (٢٣) الْحَالِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

बाब : (23) वह हालत जिसमें क़िब्ले की बजाये किसी और तरफ़ नमाज़ पढ़ना जायज़ है

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ،عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَتَوَجَّهُ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .

(491) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सवारी पर नफ़ल नमाज़ पढ़ते थे, सवारी का मुँह जिस तरफ़ भी होता। इसी तरह वित्र भी सवारी पर पढ़ते थे। मगर फ़र्ज़ नमाज़ सवारी पर नहीं पढ़ते थे।

(491) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 700/39, बुख़ारी, हदीस: 1098.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** नफ़ल नमाज़ चूंकि हर वक़्त पढ़ी जा सकती है, सफ़र में भी हज़र में भी। अगर सफ़र में क़िब्ले का या नीचे उतर कर पढ़ने का पाबन्द किया जाता तो ये होता कि मुसाफ़िर नफ़लों से महरूम रहता या सफ़र न कर सकता, इसलिए नफ़ल नमाज़ में रिआयत (छूट) रखी गई कि मुसाफ़िर सफ़र के दौरान में सवारी पर नमाज़ पढ़ सकता है, ख़्वाह क़िब्ले की तरफ़ मुँह न हो और ख़्वाह रुकूअ और सज्दा न कर सके, ताहम ये ज़रूरी है कि आग़ाज़ करते वक़्त सवारी का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ हो, बाद में चाहे जिस तरफ़ हो जाये। **(2)** वित्र की नमाज़ सवारी पर पढ़ने से मालूम होता है कि वित्र फ़र्ज़ या वाजिब नहीं बल्कि नफ़ल हैं। अहनाफ़ वित्र को वाजिब कहते हैं। मज़ीद देखिये: (हदीस: 462) **(3)** क़िब्ले की शर्त उस वक़्त तक है जब तक मुमकिन हो जब क़िब्ला रुख़ होना इन्सान के बस ही में न हो या बाद में बदस्तूर क़िब्ला रुख़ रहना मुहाल हो और नमाज़ का वक़्त भी जा रहा हो और नीचे उतरना ना मुमकिन और बस में न हो और बाद में उसकी क़ज़ा अदा करना भी परेशानी का बाइस हो तो सवारी पर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी जा सकती है जैसा कि आप (ﷺ) ने कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और अगर ऐसे न पढ़ सके तो बैठ कर नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त दी है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَفِيهِ أُنْزِلَتْ { فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }.

(492) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का से मदीना आते हुए सवारी पर नमाज़ पढ़ते थे और उसी के बारे में ये आयत उतरी :

{ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ }

'तुम जिधर भी मुँह करो उधर ही अल्लाह तआला का चेहरा है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 700/33.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** ये भी नफ़ल नमाज़ की बात है। **(2)** मक्का से मदीना आते हुए ज़ाहिर है क़िब्ला पीठ की तरफ़ होगा। **(3)** इस आयत की शाने नुज़ूल ख़ास है लेकिन हुक्म आम है, यानी इस जैसे हर मसले में ये हुक्म लागू होगा, जैसे: क़िब्ले का पता न चले या ग़लती से क़िब्ले की बजाये किसी और तरफ़ (मुँह करके) नमाज़ पढ़ ली गई हो, वग़ैरह।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ . قَالَ مَالِكٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(493) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में अपनी सवारी पर (नफ़ल) नमाज़ पढ़ा करते थे, जिधर भी उसका मुँह होता।

(रावी-ए-हदीस़) मालिक (رحمه الله) बयान करते हैं कि अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार ने कहा: इब्ने उ़मर (ﷺ) भी ऐसे ही किया करते थे।

(493) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 700/37, बुख़ारी, हदीस़: 1096, मोत्ता: 1/151.

बाब : (24) पूरी कोशिश के बावजूद नमाज़ के बाद ग़लती का पता चले (तो दोहराने की ज़रूरत नहीं)

باب : (٢٤) اسْتِبَانَةِ الْخَطَإِ بَعْدَ الاِجْتِهَادِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا . وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ .

(494) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: लोग क़ुबा में सुबह की नमाज़ में थे कि एक आने वाले शख़्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) पर आज रात नया हुक्म उतरा है और आपको काबे की तरफ़ मुँह करने का हुक्म दिया गया है, लिहाज़ा काबे की तरफ़ मुँह करो। उनके चेहरे शाम की तरफ़ थे, चुनाँचे वह काबे की तरफ़ घूम गये।

(494) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 403, मुस्लिम, हदीस़: 526, मोत्ता: 1/195.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि लोग बा'जमाअ़त नमाज़ पढ़ रहे थे तो ये इत्तला पहुँची, गोया ऐसा ही वाक़िया मस्जिदे बनू हारिसा में अ़स्र की नमाज़ के अन्दर पेश आया, लेकिन चूंकि मस्जिदे क़ुबा की अपनी फ़ज़ीलत व अहमियत है, इसलिए इसका नाम मस्जिदे क़िब्लतैन

नहीं पड़ा ताकि बहैसियते मस्जिदे कुबा होने के इसकी जो अहमियत है वह दब न जाये, बख़िलाफ़ मस्जिदे क़िब्लतैन के कि उसका क़िब्लतैन होना ही सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है। (2) तमाम अहादीस़ को जमा करने से मालूम होता है कि तहवीले क़िब्ला का हुक्म ज़ुहर की नमाज़ के वक़्त उतरा। नबी (ﷺ) ने काबे की तरफ़ अव्वलीन नमाज़, ज़ुहर की पढ़ी। आपके साथ नमाज़ पढ़ने वालों ने ये इत्तिला दूसरी मस्जिदों में पहुँचाई। मदीने वालों को ये इत्तिला अस्र की नमाज़ के दौरान में मिली। उन्होंने नमाज़ की हालत ही में रुख़ बदल लिया। मस्जिदे क़ुबा में शहर से वापस जाने वालों ने सुबह की नमाज़ के वक़्त इत्तिला पहुँचाई। (3) इमाम साहिब का इस्तिदलाल यूँ है कि तहवीले क़िब्ला के हुक्म के बाद तीन नमाज़ें अहले क़ुबा ने ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ पढ़ीं, लेकिन चूंकि इस बात का पता इन नमाज़ों की अदायगी के बाद चला, लिहाज़ा दोहराने की ज़रूरत न थी। अब भी अगर नमाज़ की अदायगी के बाद पता चले कि नमाज़ ग़लत जानिब पढ़ी गई है तो दोहराने की ज़रूरत नहीं, बशर्ते कि नमाज़ से पहले क़िब्ला मालूम करने की कोशिश की गई हो।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

औक़ाते नमाज़ से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

इमाम नसाई (رحمه الله) ने किताबुस्सलात के बाद किताबुल मवाक़ीत का इन्तिख़ाब किया है। अगरचे ये हिस्सा किताबुस्सलात ही से मुताल्लिक़ है लेकिन चंद मख़सूस इम्तियाज़ी मसाइल की वजह से इमाम साहब ने इसे अलग से ज़िक्र किया है ताकि इसकी अहमियत मज़ीद उजागर हो और इस मौज़ूअ की अहादीस़ के मफ़ाहीम व मक़ासिद को ख़ूब ज़हन नशीन कर लिया जाये।

✧ **बरवक़्त नमाज़ अदा करने की अहमियत :** जहाँ तक पाँच नमाज़ों के औक़ात की बात है तो क़ुर्आन व हदीस़ में उनका वक़्त महदूद व मुतअय्यन है। अल्लाह तआला का फ़रमान है : **'यक़ीनन नमाज़ मोमिनों पर वक़्ते मुक़र्ररा पर फ़र्ज़ है।'** (निसा 4/103) बिला उ़ज़्रे शरई कोई नमाज़ उसके मुतअय्यन वक़्त से मुअख़्ख़र करना गुनाह है। इरशादे बारी तआला है: **'हलाकत है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ में सुस्ती करते हैं।'** (अलमाऊन 107/4, 5)

अ़ल्लामा इब्ने क़ुदामा (رحمه الله) फ़रमाते हैं : 'तमाम मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि पाँच नमाज़ों की अदायगी उनके मुक़र्ररा औक़ात में फ़र्ज़ है।' (अलमुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/412)

इसी लिए नमाज़ में सुस्ती करने वालों के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त ने फ़रमाया है: **'हलाकत है ऐसे नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ में सुस्ती करते हैं।'** (अलमाऊन: 107/4,5) इस आयत की तफ़्सीर में सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) से मौक़ूफ़न मरवी है कि इससे मुराद वह लोग हैं जो अपनी नमाज़ अस़ल वक़्त से लेट पढ़ते हैं। (तफ़्सीर तबरी, अलमाऊन: 15/404, मुसनद अबी यअ़ला, हदीस़: 701) इसकी सनद हसन है। ये मरफ़ूअन भी मरवी है लेकिन इसकी सनद में इक्रिमा बिन इब्राहीम ज़ईफ़ है। क़ज़ा क़ाल शैख़ शैख़ना अलअस़री। हाफ़िज़ इब्ने कस़ीर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'ताख़ीरे स़लात (नमाज़) से मुराद इसे पूरे तौर पर छोड़ना या इसके शरअ़न मुक़र्ररा वक़्त से लेट करके पढ़ना है या नमाज़ के अव्वल वक़्त से मुअख़्ख़र करना भी मुराद हो सकता हैं (तफ़्सीर इब्ने कस़ीर: 4/718)

बहरहाल (अन स़लाहितिम साहून) के तहत ये सारे मफ़हूम आ सकते हैं। अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से अल्लाह तआला के नज़दीक महबूब तरीन अ़मल के बारे में

पूछा तो आप (ﷺ) ने जवाब दिया : **'नमाज़ को उसके वक़्त पर (बरवक़्त) अदा करना।'** (सहीह अल बुख़ारी, हदीस: 527) 'उसके वक़्त पर' इससे मुराद नमाज़ का अव्वल वक़्त है।

इसकी तौज़ीह हज़रत उम्मे फ़रवा (رضي الله عنها) की मरफ़ूअ हदीस से होती है कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से अफ़ज़ल तरीन अमल के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो आप (ﷺ) ने जवाब दिया : **'(अफ़ज़ल तरीन अमल) नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त में अदा करना है।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 426, मज़ीद देखिये : सहीह सुनन अबी दाऊद, हदीस: 453) हज़रत आयशा(رضي الله عنها) से मरवी है, फ़रमाती हैं: **'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई नमाज़ उसके आख़िरी वक़्त में दो मर्तबा भी नहीं पढ़ी इससे पहले कि अल्लाह तआला ने आपकी रूह क़ब्ज़ कर ली।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 174) इस हदीस के बाद इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: 'ये हदीस हसन ग़रीब है और इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है।' जबकि दरहक़ीक़त ये हदीस सहीह है क्योंकि मुस्तदरक हाकिम में ये मौसूलन मरवी है। इमाम हाकिम (رحمه الله) ने शैख़ैन की शर्त पर इसे सहीह कहा है और इमाम ज़हबी (رحمه الله) ने उनकी मुवाफ़िक़त की है। (अल मुस्तदरक हाकिम: 1/190, अलबानी: 1/297, अलहबीर: 1/325) इन दलाइल से मालूम हुआ कि शरई उज़्र के सिवा नमाज़ अव्वल वक़्त ही में अदा करना अफ़ज़ल है, सिवाए नमाज़े ईशा के कि उसे देर से पढ़ना अफ़ज़ल है। इसके सिवा किसी नमाज़ को उसके दरम्यानी या आख़िरी वक़्त में अदा करना अफ़ज़ल नहीं बल्कि सिर्फ़ जायज़ और मुबाह है जैसा कि आइन्दा बहस में आयेगा।

नमाज़ों के औक़ात की इसी अहमियत के पेशे नज़र, बिलख़ुसूस अव्वल वक़्त में उनकी अदायगी की अहमियत व अफ़ज़लियत उजागर करने के लिए सहीह अहादीस की रोशनी में पाँचों नमाज़ों के औक़ात क़द्रे तफ़्सील से ज़िक्र किये गये हैं। इस तफ़्सीली गुफ़्तगू का मक़सद ये है कि हम अपनी नमाज़ें बरवक़्त अदा करें और इस फ़िक्र को आम करने की कोशिश भी करें ताकि बरवक़्त नमाज़ पढ़ने से हम सही मानो में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की इस अज़ीम बशारत के हक़दार क़रार पायें। इरशादे गिरामी है : **'जिसने उस तरह वुज़ू किया जैसे उसे हुक्म दिया गया और नमाज़ भी उसी तरह पढ़ी जैसे उसे हुक्म दिया गया (यानी मसनून औक़ात व आमाल का ख़याल रखा) तो उसकी गुज़िश्ता हर क़िस्म की लग़ज़िश माफ़ कर दी जायेगी।'** (सुनन नसाई, हदीस: 144)

✧ **सुबह की नमाज़ का अव्वल व आख़िरी वक़्त :** तुलूअे फ़र्ज सादिक से तुलूअे आफ़ताब से पहले तक वक़्ते जवाज़ व अदा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'सुबह की नमाज़ का**

वक़्त तुलूअे फ़ज्र से उस वक़्त तक है जब तक सूरज तुलूअ न हो ....' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 612) यानी इसका अव्वल वक़्त तुलूअे फ़ज्र और आख़िरी वक़्त तुलूअे शम्स है। और आप(ﷺ) ने फ़रमाया: **'नमाज़े फ़ज्र का अव्वल वक़्त वह है जब फ़ज्र सादिक़ फूटती है और उसका आख़िरी वक़्त तुलूअे शम्स है।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 151)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) वग़ैरह ने इस मरफ़ूअ रिवायत को मअ्लूल (इल्लत किया हुआ) क़रार दिया हैं वह इस तरह कि ये रिवायत मुजाहिद का अपना कलाम है और इसकी दलील ये है कि इसकी सनद में आमश हैं, उनके मुतअद्दद (कई) शागिर्द हैं। जब वह ये रिवायत आमश से बयान करते हैं तो सब मुजाहिद पर मौक़ूफ़न बयान करते हैं। सिर्फ़ एक शागिर्द मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल ये रिवायत मरफ़ूअ बयान करते हैं और इख़्तिलाफ़ के वक़्त अक्सर की बात क़ाबिले क़ुबूल होती है। लेकिन इस तरह हदीस को मजरूह व मअ्लूल क़रार देना असलन दुरुस्त नहीं क्योंकि मुहम्मद बिन फ़ुज़ैल सिक़ह रावी हैं। इमाम अली बिन मदेनी जो कि इमाम बुख़ारी (رحمه الله) के क़ाबिले फ़ख़्र उस्ताद हैं, उन्होंने उनके बारे में फ़रमाया है: 'वह हदीस में सिक़ह और सब्त थे।' उनकी अदालत और हिफ़्ज़ व मज़बूती के हवाले से क़तअन कोई हर्ज नहीं, इसलिए उनकी बयान करदा रिवायत ज़्यादती-ए-सिक़ह की क़बील से है जो कि मक़बूल होती है। इब्ने हज़्म (رحمه الله) ने इन अल्फ़ाज़ में इस इल्लत की तर्दीद की है: 'रिवायत को मौक़ूफ़ बयान करने वाले का मौक़ूफ़न बयान करना मुसनदन बयान करने वाले के लिए कोई नुक़सानदेह नहीं।' इमाम इब्ने जौज़ी ने भी 'अत्तहक़ीक़' में इब्ने फ़ुज़ैल को सिक़ह क़रार दिया है और ये सूरत निकाली है कि मुमकिन है आमश ने मुजाहिद से मुर्सलन और अबू सालेह से मुसनदन बयान किया हो। इब्ने क़तान भी इस क़िस्म की तौजीह करते हुए फ़रमाते हैं: बईद नहीं कि आमश के यहाँ ये दो तरीक़ से मन्क़ूल हो। एक मुर्सल सनद से और दूसरी मरफ़ूअ तरीक़ से। और जिसने इसे मरफ़ूअन बयान किया है, वह अहले इल्म में से हैं और सिद्दीक़ हैं, उन्हें इब्ने मुईन ने सिक़ह क़रार दिया है। (मुल्ख़िस मा ज़िक्रहू अहमद शाकिर)

ख़ुलासा : इन अल्फ़ाज़ से ये रिवायत मरफ़ूअन साबित है। उलमा की बयान करदा मज़कूरा इल्लत उसूलन महल्ले नज़र है। मज़ीद तहक़ीक़ और तफ़्सील के लिए देखिये: (शरह जामेअ तिर्मिज़ी, अहमद शाकिर: 1/284, 285, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिल अल्बानी, रक़म: 1696)

जबकि इज़्तिरार की सूरत में तुलूअे आफ़ताब से बाद तक भी नमाज़ जायज़ है। वह इस सूरत में कि जब तुलूअे शम्स से पहले एक रकअत का वक़्त मिले तो दूसरी रकअत तुलूअे आफ़ताब के बाद मुकम्मल कर ली जाये। (वह अपनी नमाज़ बदस्तूर जारी रखे अगरचे पहली रकअत के बाद सूरज तुलूअ हो जाये।

उसकी नमाज़ वक़्त ही में अदा शुमार होगी।) (अलमुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/429) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'जो तुलूअे शम्स से पहले, सुबह की एक रकअत पा ले तो यक़ीनन उसने सुबह की (पूरी) नमाज़ पा ली ....'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 579, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 608) सहीह बुख़ारी की एक रिवायत के ये अल्फ़ाज़ हैं: **'और जब कोई सुबह की नमाज़ का एक सज्दा (रकअत) तुलूअे आफ़ताब से पहले पा ले तो अपनी (बाक़ी) नमाज़ मुकम्मल करे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 556)

✧ **फ़ज्रे सादिक़ :** सुबह के वक़्त उफ़ुक़ (आसमान) पर फैली हुई सफ़ेदी फ़ज्रे सादिक़ की अलामत है। ये नमाज़े फ़ज्र का अव्वल वक़्त होता है। लेकिन अगर सफ़ेदी उफ़ुक़ पर फैलने की बजाये सीधी और ऊपर को उठी हुई हो तो ये फ़ज्रे काज़िब है जो फ़ज्रे सादिक़ से पहले फूटती है। ये इस बात की अलामत होती है कि अभी तक नमाज़ का वक़्त नहीं हुआ। मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये। (अलमुग़नी: 1/429)

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हमेशा नमाज़े फ़ज्र अव्वल वक़्त, यानी अंधेरे ही में पढ़ी है, सिर्फ़ एक दफ़ा रोशनी होने पर पढ़ी और ये सिर्फ़ बयाने जवाज़ के लिए था। अबू मसऊद बद्री (ﷺ) की हदीस इस बात की वाज़ेह दलील है, वह फ़रमाते हैं: **'नबी (ﷺ) ने एक बार फ़ज्र की नमाज़ अंधेरे में पढ़ी, फिर दूसरी मर्तबा रोशनी में पढ़ी, फिर इसके बाद आपकी नमाज़ हमेशा अंधेरे ही में हुआ करती थी यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई और दोबारा (कभी) रोशनी में न पढ़ी।'** (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 394, व सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, हदीस: 418)

मल्हूज़ा : इस रिवायत की सेहत पर ऐतराज़ किया गया हैं वह ये कि इसमें औक़ात के बयान व तफ़्सीर में उसामा बिन ज़ैद मुतफ़र्रिद (तन्हा) है जो कि मुतकल्लिम फ़ीह भी है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 394) लेकिन राजेह बात यही है कि इस हदीस की सनद हसन है। इसमें मज़कूरा इज़ाफ़ा ज़्यादती-ए-सिक़ह की क़बील से हैं। ज़ुहरी से बयान करने वाले दीगर रावी जो ये इज़ाफ़ा बयान नहीं करते, उनकी बयान करदा रिवायत से इस ज़्यादती की नफ़ी नहीं होती, लिहाज़ा उसूलन ये इज़ाफ़ा वाजिबुल क़ुबूल है। हाँ, जिस ज़्यादती-ए-सिक़ह से दीगर रावियों की बयान करदा रिवायत की नफ़ी या तआरूज़ व तज़ाद लाज़िम आये, ऐसी ज़्यादती वाक़ेई शाज़ और नाक़ाबिले अमल होती है, लेकिन यहाँ ये बात इमाम अबू दाऊद (رحمه الله) के कलाम से साबित होती है न अम्र वाक़ेअ में ऐसा है। दूसरे उसामा बिन ज़ैद लैसी के बारे में जो कुछ अइम्मा की जिरह है, वह ग़ैर मुफ़स्सिर है। इसके बरअक्स दीगर अइम्मा ने उसे सिक़ह और सादिक़ और उसकी रिवायत को सहीह अल इस्नाद भी कहा है।

✲ फ़ने रिजाल के इमाम अल्लामा ज़हबी (رحمه الله) बयान करते हैं कि इसे यहया बिन मुईन ने सिक़ह

क़रार दिया है। इब्ने अदी ने फ़रमाया: 'इसकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं।' (मीज़ानुल ऐतदाल: 1/174, मतबुआ अलमक्तबा अल्असरिय्या)

- इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'अबू यअला मौसूली ने उन्हें सिक़ह सालेह कहा है। उस्मान दारमी फ़रमाते हैं कि उनकी रिवायत लेने में कोई हर्ज नहीं। इमाम दूरी वग़ैरह ने भी इसे सिक़ह क़रार दिया है।' (तहज़ीब अत्तहज़ीब: 1/183)
- इमाम अज्ली (رحمه الله) ने इमाम याक़ूब के हवाले से नक़ल किया है, वह फ़रमाते हैं कि उसामा बिन ज़ैद (लैसी) उलामा-ए-मदीना के नज़दीक सिक़ह और मामून है। (सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 5/239)
- इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'सुदूक़ हैं लेकिन वहम का शिकार भी हो जाते हैं।' (अलक़रीब अत्तहज़ीब, सफ़ा: 124) इसीलिए मुहद्दिस अलअसर नासिरुद्दीन अल्बानी(رحمه الله) ने फ़रमाया: 'उसामा बिन ज़ैद में कुछ कलाम है, लेकिन नुक़सानदेह नहीं।' देखिये: (सहीह सुनन अबी दाऊद: 2/251, हदीस: 418)

इमाम मुन्ज़िरी (رحمه الله) उनकी ज़्यादत के बारे में फ़रमाते हैं: 'क़िस्स-ए-अस्फ़ार में ये एक ऐसी ज़्यादती (इज़ाफ़ा) है जिसके तमाम रावी शुरू से आख़िर तक सिक़ह हैं और सिक़ह की ज़्यादती मक़बूल होती है।' (मुख़्तसर सुनन अबी दाऊद मअ मुआलिमुस्सुनन: 1/232)

अल्लामा ख़त्ताबी (رحمه الله) ने मुआलिममुस्सुनन में इसे 'सही अल इस्नाद' क़रार दिया है। (मुआलिम सुनन मअ मुख़्तसर अल्मुन्ज़िरी: 1/245)

इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा और हाकिम ने इसे सही कहा है। (इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/181, इब्ने हिब्बान, हदीस: 279, वलमुस्तदरक हाकिम: 1/192, 193)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी इस हदीस की तसरीह की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमाया है: 'इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरह ने इसे इब्ने वहब के तरीक़ से सही क़रार दिया है।' देखिये: (फ़तहुलबारी: 2, 5, तहत हदीस: 521) और इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'मैंने एक ऐसी दलील पाई है जिससे उसामा की रिवायत को तक़वियत मिलती है। मज़ीद ये कि हदीस में वारिद बयान फ़ेअल जिब्रईल(عليه السلام) से ताल्लुक़ रखता है। ये रिवायत बाग़न्दी ने 'मुस्नद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़' में और बैहक़ी ने 'सुनन कुब्रा' में यहया बिन सईद अन्सारी अन अबी बक्र बिन हज़्म अन्नहू बलग़ुहू अन अबी मसऊद के तरीक़ से रिवायत की है तो उसने इसे मुन्क़तअ ज़िक्र किया है, लेकिन तबरानी ने इसे एक दूसरे तरीक़ से बवास्ता अबू बक्र बिन हज़्म अन उरवा

रिवायत किया है। अलग़र्ज़ हदीस़ फिर इरवा की तरफ़ लौट आई और वाज़ेह हो गया कि इसकी कोई न कोई अस़ल ज़रूर है, जबकि मालिक और जो रावी उनकी मुताबिअ़त करते हैं, उनकी रिवायत में इख़्तिस़ार है। इब्ने अ़ब्दुल बर्र (ﷺ) ने भी बिलजज़्म यही बात कही है, लिहाज़ा मालिक और उनकी मुताबिअ़त करने वालों की रिवायत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो (उसामा) के मज़कूरा इज़ाफ़े की नफ़ी करती हो, बहरहाल जब सूरते हाल ये है तो इस ज़्यादती को शाज़ नहीं कहा जा सकता।' देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/6, तहत हदीस़: 521) इब्ने हजर (ﷺ) की ये तस़रीह अपनी जगह, अकाबिरे अहनाफ़ ने तो यहाँ तक स़राहत की है कि अगर हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) 'फ़तहुलबारी' और तल्ख़ीस़ अलहबीर' में किसी हदीस़ पर ख़ामोशी भी इख़्तियार करें तो ये तक़वियते हदीस़ की दलील होती है। फ़रमाते हैं:

(عَلٰى أَنَّ شَرْطَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَ الْفَتْحِ مِنْ السُّكُوتِ عَلٰى حَدِيثٍ دَلِيلٌ عَلٰى قُوَّةِ الْحَدِيثِ)

(मआ़रिफ़ुस्सुनन: 1/385) मुहद्दिस़ अलअ़स़र अ़ल्लामा नास़िरुद्दीन अल्बानी (ﷺ) ने भी स़ही सुनन अबी दाऊद (हदीस़: 418) की अपनी माय-ए-नाज़ तहक़ीक़ में इसकी सनद को हसन कहा है फ़रमाते हैं:

(إِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَكَذَاقَالَ النَّوَوِيُّ، وَهُوَ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (١٤٩٢)، وَقَالَ الْحَاكِمُ: صَحِيحٌ وَأَقَرَّهُ الذَّهْبِيُّ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: هُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَقَوَّاهُ الْمُنْذِرِيُّ، وَالْعَسْقَلَانِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ أَيْضًا)

'इसकी सनद हसन है, नववी ने इसी तरह फ़रमाया है और ये मुस्लिम की शर्त पर है। इसे इब्ने हिब्बान ने अपनी स़ही में ज़िक्र किया है और हाकिम ने फ़रमाया: स़ही है और ज़हबी ने इसे बरक़रार रखा है और ख़त्ताबी ने इसे 'स़हीहुल इस्नाद' कहा है। मुन्ज़िरी और इब्ने हजर अ़स्क़लानी (ﷺ) ने इसे क़वी क़रार दिया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने भी इसे स़ही कहा है।' शैख़ सलामुल्लाह हनफ़ी ने मोत्ता की शरह में इसे क़ाबिले हुज्जत बल्कि दर्जा-ए-हसन तक पहुँचाया है। देखिये: (मअ़्यारुल हक़, स़फ़ा: 245, तबअ़ा जदीदा)

अलहास़िल : जिन अइम्मा से उसामा पर जिरह मन्क़ूल है, उनकी जिरह मुबहम है। ये क़ायदा है कि तादील के मुक़ाबले में जिरह मुफ़स्सर (शरह किया गया) ही क़ुबूल होती है जैसा कि अइम्मा-ए-फ़न ने तस़रीह की है। ख़ातिमतुल हुफ़्फ़ाज़ अ़ल्लामा अ़स्क़लानी फ़रमाते हैं: 'तादील पर जिरह मुक़द्दम होती है। रिवायत की एक जमाअ़त पर मुत्लक़ जिरह की गई है (यानी जिरह ग़ैर मुफ़स्सर) लेकिन जिरह तादील पर उस वक़्त मुक़द्दम होती है जब मुबय्यन व मुफ़स्सर हो और असबाबे जिरह से वाक़िफ़ इंसान जिरह करे, लेकिन अगर जिरह ग़ैर मुफ़स्सर हो तो ये उस शख़्स के हवाले से नुक़सानदेह और क़दह का सबब नहीं होती जिसकी अ़दालत स़ाबित हो।' देखिये: (शरह नख़बा अलफ़िक्र, स़फ़ा: 343 मअ़ शरह

अल्उसैमीन) बहरहाल इस बारे में यही मौक़फ़ दुरुस्त है, बिलखुसूस जब कि कोई सहीहैन का रावी हो। हदी अलसारी में इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'मैं कहता हूँ कि उनमें से किसी पर तअ़न उस वक़्त तक कुबूल नहीं किया जा सकता जब तक कि वाज़ेह और मुबय्यन न हो।' (हदी अलसारी मुक़द्दमा फ़तहुलबारी, सफ़ा: 548) शैख़ सलामुल्लाह हनफ़ी(ﷺ) फ़रमाते हैं: 'उसामा रिजाले बुख़ारी में से है। उलमा का क़ौल है कि जिससे शैख़ैन या उनमें से किसी एक ने रिवायत की हो तो उसके बारे में जिरह करने वालो की तरफ़ इल्तिफ़ात (ध्यान) नहीं किया जायेगा अगरचे वह तादाद में ज़्यादा ही हों।' (मैयार अलहक़, सफ़ा: 245) जारेहीन की जिरह के जवाब के लिए देखिये: (दीने हक़ 1/155, 158)

अहदे नबवी में मुसलमान ख़्वातीन रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़े फ़ज्र अंधेरे ही में अदा करती थीं। इतना अंधेरा होता कि उन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। सय्यदा आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: **'मोमिन औरतें (सहाबियात) अपनी चादरों में लिपटी हुई रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े फ़ज्र की अदायगी के लिए हाज़िर होती थीं, फिर जब वह नमाज़ अदा करने के बाद अपने अपने घरों की तरफ़ लौटती तो अंधेरे की वजह से उन्हें कोई पहचानता नहीं था।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 578, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 645, इरवाउलग़लील: 1/278) इसी हदीस के कुछ तुर्क़ में ये अल्फ़ाज़ हैं: **'फिर वो अपने अपने घरों की तरफ़ लौटती।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 372) और कुछ में ये अल्फ़ाज़ हैं: **'इसके बाद औरतें चादरों में लिपटी (घरों की तरफ़) फिरतीं।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 867) और एक तरीक़ में, जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) फ़रमाते हैं, ये अल्फ़ाज़ हैं: **'औरतें आपस में एक दूसरी को नहीं पहचानती थीं।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 872, तल्ख़ीस अलहबीर: 1/324) शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने मुसनद सिराज के हवाले से ये इज़ाफ़ा भी ज़िक्र किया है कि ये औरतें क़बील-ए-बनू अब्दुल अशहल से ताल्लुक़ रखतीं थीं और मदीने से एक मील के फ़ासले पर रिहाइश पज़ीर थीं। (अल इरवा: 1/278) सहीह मुस्लिम में नीचे दिये गये अल्फ़ाज़ से इस बात की मज़ीद वज़ाहत हो जाती है कि औरतों का न पहचाना जाना सिर्फ़ इस वजह से था कि आप (ﷺ) अव्वल वक़्त और अंधेरे में नमाज़ पढ़ाया करते थे: **'फिर वह अपने घरों की तरफ़ पलटतीं और नबी (ﷺ) के अंधेरे में नमाज़ पढ़ाने की वजह से पहचानी न जाती थीं।'** (सहीह मुस्लिम हदीस: (321)-645, तल्ख़ीस अलहबीर: 1/324).

✧ **ग़लस के मानी :** हदीसे आयशा (ﷺ) के अलग-अलग तुर्क़ से वाज़ेह हुआ कि रसूलुल्लाह(ﷺ) अंधेरे में नमाज़े फ़ज्र पढ़ा करते थे और जिस (ग़लस) 'अंधेरे' का ज़िक्र इन अहादीस में आया है उससे मुराद रात के आख़िरी हिस्से का अंधेरा है, न कि बंद मस्जिद के अंधेरे का अंधेरा जैसा कि मज़कूरा हदीस की इस तरह तौज़ीह करके अहनाफ़ ने हदीस से जान छुड़ाने और मज़हबे हनफ़ी के इस्बात व

ताईद के लिए भरपूर कोशिश की है। इमाम नववी (رحمه الله) ग़लस की तौज़ीह में फ़रमाते हैं: 'रात के बाक़ी मान्दा अंधेरे को ग़लस कहते हैं।' (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 5/201) इमाम ख़लील बिन अहमद फ़रमाते हैं: 'ग़लस से मुराद रात के आख़िरी हिस्से के अंधेरे हैं। (किताबुल ऐन, सफ़ा: 718) अल्लामा फ़ीरोजाबादी लिखते हैं कि 'रात के आख़िरी हिस्से का अंधेरा, ग़लस कहलाता है। (अल्क़ामूसुल मुहीत, सफ़ा: 561) इसकी शरह में अल्लामा मुर्तज़ा ज़ुबैरी हनफ़ी लिखते हैं: 'ग़लस से मुराद रात के आख़िरी हिस्से का वह अंधेरा है जिसमें सुबह की रोशनी शामिल हो गई हो। हदीस में है: रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़लस (अंधेरे)में सुबह की नमाज़ पढ़ा करते थे।' (ताजुल उरूस: 8/378) अलग़र्ज़ 'ग़लस' को मस्जिद के अन्दर का अंधेरा क़रार देना दलाइल की रोशनी में बेमाना तौजीह है। हदीस में वारिद अल्फ़ाज़ (لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْغَلَسِ) का क्या मफ़हूम है? हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इसके मुताल्लिक़ इमाम दाऊदी का क़ौल नक़्ल किया है कि ये पता न चलता था कि ये मर्द हैं या औरतें। और ये भी एक क़ौल है कि औरतों का इम्तियाज़ न होता था कि क्या ये ज़ैनब है या ख़दीजा, यानी नफ़्स उनकी ज़ात की पहचान न होती। (फ़तहुलबारी: 2/55, बतसरुफ़) अगरचे इसके मफ़हूम के तअय्युन में ख़ासा इख़्तिलाफ़ है लेकिन मुअख़्ख़र अज़्ज़िक्र मफ़हूम की ताईद हदीसे आयशा ही के एक दूसरे तरीक़ से होती है।

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से औक़ाते नमाज़ के मुताल्लिक़ लम्बी हदीस मरवी है उसके आख़िर में नमाज़े फ़ज्र के वक़्त की तअयीन व तहदीद भी मन्क़ूल है, वह फ़रमाते हैं: **'और सुबह की नमाज़ नबी-ए-अकरम (ﷺ) ग़लस (रात की तारीकी) में पढ़ा करते थे।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) इस हदीस की रोशनी में भी मालूम हुआ कि नमाज़े फ़ज्र तारीकी में अदा करना अफ़ज़ल है क्योंकि ये आप (ﷺ) की आदत मुबारका थी, और नमाज़े फ़ज्र अंधेरे ही में पढ़ने की दलील हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से भी मन्क़ूल है। इससे भी सराहतन फ़ज्र की नमाज़ जल्दी पढ़ने की दलील मिलती है। अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मरवी है कि उन्हें ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) ने बयान फ़रमाया: 'कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ सहरी की, फिर बाद में नमाज़ पढ़ी। मैंने पूछा: नबी-ए-अकरम (ﷺ) की सहरी और नमाज़ के दरम्यान कितना वक़्फ़ा था? तो सय्यदना ज़ैद (رضي الله عنه) ने जवाब दिया: तक़रीबन पचास या साठ क़ुरआनी आयात का।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 575)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इस हदीस की शरह में लिखते हैं: 'मुसन्निफ़ (इमाम बुख़ारी(رحمه الله) ने इस हदीस से ये इस्तिदलाल किया है कि नमाज़े सुबह का अव्वल वक़्त तुलूअे फ़ज्र है क्योंकि यही वह वक़्त है जिसमें खाना पीना हराम होता है और सहरी से फ़राग़त और नमाज़ में दाख़िल होने की ये दरम्यानी मुद्दत (वक़्फ़ा) पचास आयात की क़िराअत व तिलावत या इसके क़रीब क़रीब है .... इससे ये बात

साबित होती है कि सुबह का अव्वल वक़्त, तुलूअे फ़ज्र का अव्वल वक़्त है और इस हदीस में इस बात की भी दलील है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र का आग़ाज अंधेरे में फ़रमाया करते थे। (फ़तहुल बारी: 2/55, हदीस: 578)

अबू बरज़ा (رضي الله عنه) के हवाले से भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़े फ़ज्र जल्दी पढ़ना मरवी है, वह फ़रमाते हैं: '**नबी-ए-अकरम (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र पढ़ लेते और हममें से कोई अपने पहलू में बैठे साथी को पहचान लेता था और आप (ﷺ) साठ आयात से लेकर सौ आयात तक की क़िराअत फ़रमाया करते .....**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 541, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 647) इस हदीस पर ग़ौर किया जाये तो यक़ीनन पता चलता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र अव्वल वक़्त में शुरू करते और मज़कूरा आयात के बक़द्र तिलावत फ़रमाते, तब मुमकिन होता कि साथ बैठे साथी को पहचाना जा सके वरना अबू बरज़ा (رضي الله عنه) की मज़कूरा तस्रीह बज़ाहिर बेमहल ठहरती हैं बिलफ़र्ज़ अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ का आग़ाज़ ही रोशनी होने पर फ़रमाते तो यक़ीनन इस क़द्र तवील क़िराअत के बाद, और क़िराअत भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की थी, ज़रूर सूरज निकल आता, या कम अज़ कम निकलने के क़रीब ज़रूर होता, फिर साथी पहचानने के क्या मानी?

✧ **चंद आसारे सहाबा :** मुग़ीस बिन समी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'मैंने अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर के साथ नमाज़े फ़ज्र अंधेरे में पढ़ी, जब उन्होंने सलाम फेरा तो मैं इब्ने उमर की तरफ़ मुतवज्जह हुआ और कहा: ये कैसी नमाज़ है? तो उन्होंने जवाब दिया: ये हमारी वह नमाज़ है जो हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ और अबू बक्र (رضي الله عنه) व उमर (رضي الله عنه) के साथ पढ़ा करते थे, लेकिन जब उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) (अंधेरे में) शहीद कर दिये गये तो सय्यदना उस्मान (رضي الله عنه) ने उसे रोशनी में पढ़ाना शुरू कर दिया।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 671, व मुसनद अबी यअ़ला, हदीस: 5747, व इब्ने हिब्बान, बतहक़ीक़ अश्शैख़ शुऐब, हदीस: 1496, व शरह मआनी वल्आसार: 1/176, व सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/456, व इरवाउलग़लील लिल अल्बानी: 1/279 व इस्नाद सही)

मुग़ीस बिन समी ने ये इसलिए पूछा कि इससे पहले अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) रोशनी होने पर नमाज़े फ़ज्र पढ़ाया करते थे। (وَ كَانَ يُسْفِرُ بِهَا) और उनके इस अस्फ़ार की वजह उस्मान (رضي الله عنه) का नमाज़े फ़ज्र रोशनी में पढ़ाना था। जब अंधेरे में उन्होंने नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई तो अज़ीम सहाबी-ए-रसूल इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने वज़ाहत फ़रमा दी कि असल वक़्त यही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत भी यही है, और ख़लीफ़-ए-रसूल अबू बक्र और सय्यदना उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) भी तारीकी (अंधेरे) ही में नमाज़ पढ़ाया

करते थे, लेकिन जब अंधेरे में नमाज़ पढ़ाते हुए उ़मर फ़ारूक़ (ﷺ) की शहादत का वाक़िया पेश आया तो बग़र्ज़े एहतियात और वक़्ती ख़तरात से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ (हिफ़ाज़त) की ख़ातिर उ़स्मान ग़नी (ﷺ) ने आग़ाज़ में ताख़ीर से नमाज़े फ़ज्र पढ़ाने की पॉलिसी अपनाई, बाद में हालात सुधर गये तो उन्होंने दोबारा फिर उसी तरह सुन्नत के मुताबिक़ तारीकी में नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी। इस बात की तस्दीक़ एक दूसरे अस़र से होती है, जो अबू सुलेमान से बसनद स़ही मन्क़ूल है, वह फ़रमाते हैं: 'मैंने उ़स्मान (ﷺ) के अ़हदे ख़िलाफ़त में एक क़ाफ़िले की ख़िदमत की। वह लोग नमाज़े फ़ज्र अंधेरे में पढ़ा करते थे।' (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा: 1/283, हदीस़: 3238) इस अस़र से मालूम हुआ कि उ़स्मानी अ़हदे ख़िलाफ़त में लोग नमाज़े फ़ज्र तारीकी ही में अदा करते थे। इस मफ़हूम की ताईद मज़ीद इस अस़र से होती हैं अयास (رحمه الله) फ़रमाते हैं: हम उ़स्मान (ﷺ) के साथ फ़ज्र की नमाज़ पढ़ा करते थे, जब हम (नमाज़ से फ़राग़त के बाद) वापस आते तो हममें से कोई दूसरे के चेहरे को पहचान न सकता था।' (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा: 1/283, हदीस़: 3241) शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने मज़कूरा अस़र और इसकी सनद को स़ही क़रार दिया है। देखिये: (इरवाउलग़लील: 1/289)

इमाम इब्ने अ़ब्दुल बर्र (رحمه الله) ने भी इस अस़र की स़ेहत की तरफ़ इशारा फ़रमाया है: 'रसूलुल्लाह (ﷺ), अबू बक्र, उ़मर और उ़स्मान (ﷺ) से बसनदे स़हीह साबित है कि वह नमाज़े फ़ज्र अंधेरे में पढ़ा करते थे और महाल है कि ये लोग अफ़ज़ल अ़मल तर्क करके कमतर अ़मल इख़्तियार करें।' (अत्तम्हीद लिइब्ने अ़ब्दुल बर्र: 4/341)

मुसनद अबू यअ़ला की हदीस़ है, सय्यदा आ़यशा (ﷺ) फ़रमाती हैं: 'और हम वापस लौटती तो हममें से कोई एक दूसरी का चेहरा नहीं पहचान सकती थी।' (मुसनद अबी यअ़ला: 7/466, 467, रक़म: 4493) इसकी सनद स़ही है। देखिये: (जिलबाब अल्मरअ़तुल मुस्लिमह लिल्अल्बानी, सफ़ा: 66)

मज़कूरा मारूज़ात (बयानात) की रोशनी में मालूम हुआ अव्वल वक़्त, यानी ग़लस ही में नमाज़े फ़ज्र पढ़ना अफ़ज़ल हैं यही मौक़फ़ व अ़मल जुम्हूर स़हाबा व ताबेईन और अइम्मा-ए-इ़ज़ाम का रहा है।

✧ **अहनाफ़ की एक और दलील :** अहनाफ़ नमाज़े फ़ज्र रोशनी में ताख़ीर से पढ़ने के क़ायल हैं, उनके बक़ौल अब मुस्तहब अ़मल यही है, न कि नमाज़ का अव्वल वक़्त में पढ़ना जैसा कि गुज़िश्ता मुबाहस़ (बहस़) से वाज़ेह है। इनकी एक दलील ये हदीस़ भी है: 'फ़ज्र रोशनी करके पढ़ो क्योंकि ये अज्र की बढ़ोतरी का बाइस़ है।' (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 154, तुर्क़ व शवाहिद और तहक़ीक़ के लिए देखिये: इरवाउलग़लील, हदीस़: 258)

इस रिवायत की बिना पर अव्वल वक़्त में नमाज़ पढ़ने की तर्ग़ीब पर मुश्तमिल तमाम अहादीस़ को मन्सूख़ क़रार दिया गया है। अहादीस़ व आसार और तहक़ीक़ की रोशनी में ये मौक़फ़ बातिल है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷺ) ने इस हदीस़ के मफ़हूम की तौज़ीह करने के बाद मन्सूख़ के क़ौल को हक़ीक़त से दूर क़रार दिया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/55) इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) ने फुक़हा मुहद्दिसीन, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (ﷺ) से यही नक़ल किया है कि इस अस्फ़ार से नमाज़ की ताख़ीर मुराद नहीं है। देखिये: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 154)

✧ **अस्फ़िरु बिल्फ़जर के दुरुस्त मानी व मफ़हूम :** नबी-ए-अकरम (ﷺ) और सहाब-ए-किराम (ﷺ) के रोज़मर्रा अमल और दीगर अहादीस़ व आसार की रोशनी में इस हदीस़ का दुरुस्त मफ़हूम ये है कि तुलूअे फ़ज्र के बाद ज़रूरी हाजतों से फ़राग़त के बाद अंधेरे में नमाज़ का आग़ाज़ हो, क़िराअत और क़ियाम व सुजूद इस क़द्र दराज़ हों कि नमाज़ से फ़राग़त उस वक़्त हो जब रोशनी फैल चुकी हों मज़ीद तौज़ीह मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

इमाम तहावी हनफ़ी (ﷺ) की तहक़ीक़ में इस हदीस़ का यही मफ़हूम है। वह मुतअद्दद (बहुत सी) अहादीस़ व आसार के दरम्यान तत्बीक़ देते हुए इस मफ़हूम को तर्जीह देते हैं और फ़रमाते हैं: 'लायक़े अमल बात ये है कि तारीकी में नमाज़े फ़ज्र का आग़ाज़ हो और रोशनी में इससे फ़राग़त हो, ये मानी व तत्बीक़ नबी-ए-अकरम (ﷺ) से मरवी अहादीस़ और सहाबा-ए-किराम (ﷺ) के मामूल के मुवाफ़िक़ है। यही अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद बिन हसन (ﷺ) का क़ौल है।' देखिये: (शरह मआनी वल्असार: 1/184, व फ़तहुबारी: 1/55)

मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी इस हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं: 'इसे रोशनी में पढ़ो या (अस्फ़िरु से मुराद ये है कि) इसे रोशनी होने तक लम्बा करो, हमारे अस्हाब (अहनाफ़) में से इमाम तहावी(ﷺ) के नज़दीक मुअख़्ख़र अज़्ज़िक्र मौक़फ़ पसन्दीदा है।' (मिरक़ातुल मफ़ातीह: 2/393, हदीस: 614)

अल्लामा मीरक ने भी दोनों मफ़हूम ज़िक्र करने के बाद मुअख़्ख़र अज़्ज़िक्र मफ़हूम ही को क़वी क़रार दिया है क्योंकि इस तरीक़-ए-तत्बीक़ से अस्फ़ार व तग़लीस की तमाम रिवायात में मुवाफ़िक़त पैदा हो जाती है, यानी तआरूज़ (इख़्तिलाफ़) रफ़ा हो जाता हैं (मिरक़ातुल मफ़ातीह: 2/393) लेकिन जुम्हूर अहनाफ़ के यहाँ ये मज़हब मुख़्तार नहीं है। (हवाला, मज़कूर)

शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया (ﷺ) ने भी तग़लीस (अंधेरे में नमाज़ पढ़ने) ही को अफ़ज़ल क़रार दिया है। देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 22/95) वाज़ेह रहे कि इस तरह का तवील

क़ियाम व रुकूअ और सुजूद ही यक़ीनन अज्र व सवाब के इज़ाफ़े का बाइस है।

इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) मज़कूर अस्सदर हदीस की तौज़ीह में फ़रमाते हैं: 'अगर ये हदीस पाया-ए-सुबूत को पहुँचती है तो फिर अस्फ़ार से मुराद ये है कि इख़्तिताम उस वक़्त हो न कि आग़ाज़, यानी अंधेरे में नमाज़ का आग़ाज़ किया जाये और रोशनी होने पर फ़राग़त हो जैसा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का अमल था, लिहाज़ा आप (ﷺ) का क़ौल, फ़ेअल के मुवाफ़िक़ है न कि इसके ख़िलाफ़। रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुताल्लिक़ ऐसे फ़ेअल पर हमेशगी का गुमान कैसे किया जा सकता है कि अर्जे अज़ीम उसके बरख़िलाफ़ किसी और अमल में हो।' यानी आप (ﷺ) के क़ौल और फ़ेअल में कोई तआरूज़ (इख़्तिलाफ़) नहीं है। नबी (ﷺ) का रोज़मर्रा अमल तारीकी में नमाज़ पढ़ना ही था। रही मज़कूरा हदीस तो इसके मानी भी यही हैं कि आग़ाज़े नमाज़ अंधेरे में हो।

साहिबे तोफ़तुल अहवज़ी अल्लामा मुबारक पुरी (رحمه الله) इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) की मज़कूरा तौज़ीह के बारे में फ़रमाते हैं: 'उम्दा और महफ़ूज़तरीन जवाब वह है जो हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम(رحمه الله) ने इअ्लामिल मुवक़्क़िईन में दिया है।' देखिये: (तौहफ़तुल अहवज़ी: 1/409) गोया अल्लामा मुबारक पूरी (رحمه الله) का मौक़फ़ भी यही है।

मुहद्दिस अलअसर शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इसी मफ़हूम की पुरज़ोर ताईद की है और दलील के तौर पर हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की हदीस पेश की है जिससे सराहतन इस मौक़फ़ की ताईद होती है, वह फ़रमाते हैं: 'और आप (ﷺ) नमाज़े सुबह का आग़ाज़ उस वक़्त करते जब फ़ज्रे सादिक़ तुलूअ होती और उस वक़्त फ़ारिग़ होते जब साफ़ दिखाई देता।' (मुसनद अहमद: 3/129, 169 व इरवाउलग़लील: 1/280) मज़ीद फ़रमाते हैं: 'ये हदीस (अनस) ख़ुसूसन मुसनद अहमद के अल्फ़ाज़, नमाज़े फ़ज्र के अंधेरे में शुरू करने और रोशनी में फ़ारिग़ होने पर सरीह दलील हैं। आइन्दा आने वाली हदीस: (أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ....) के यही मानी हैं।' (इरवाउलग़लील: 1/281)

कुछ तुर्क में अल्फ़ाज़ ये भी है कि, 'तुम जिस क़द्र इसे रोशनी में पढ़ोगे, उसी क़द्र ये अर्जे अज़ीम का बाइस होगी।' (शरह मआनी वलअसार: 1/179)

सवाल ये है कि अगर अस्फ़ार के वही मानी मुराद हों जो अहनाफ़ लेते हैं तो फिर क्या ये कहना दुरुस्त है कि जिस क़द्र ताख़ीर से तुलूअे शम्स से पहले मुमकिन हो, नमाज़े फ़ज्र का आग़ाज़ किया जाये ताकि अज्र में और इज़ाफ़ा हो? क्या इस तरह तवील क़ियाम व सुजूद का भी मौक़ा मिलेगा जो यक़ीनन बढ़ोतरी-ए-अज्र का बाइस है? या मक़सद सिर्फ़ ताख़ीर ही ताख़ीर है जिसकी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के

रोज़मर्रा अमल से मुख़ालिफ़त के सिवा ज़ाहिरन कोई वजह नज़र नहीं आती? इसलिए अइम्मा व मुहद्दिसीन ने अहनाफ़ के इस मुज्मल (ग़ैर वाज़ेह) ग़ैर सरीह हदीस से ऊपर दिए गए इस्तिदलाल को मरदूद क़रार दिया है। देखिये: (इअ़लामिल मुवक़्क़िईन: 2/363)

हदीस (أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ ....) के और मानी भी बयान किये गये हैं जिनमें से एक मानी तहक़ीक़े फ़ज्र के हैं। (फ़तहुलबारी: 2/55, तहत हदीस: 578) यानी सुबह के वक़्त फ़ज्रे काज़िब और फ़ज्रे सादिक़ में अच्छी तरह तमीज़ कर लेना कि कहीं ग़लती से वक़्त से पहले अज़ान न हो। लेकिन दलाइल की रोशनी में ये मफ़हूम मरजूह है क्योंकि तहक़ीक़े फ़ज्र तो फ़ी नफ़्सिही ज़रूरी है, इसलिए कि तुलूअ़े फ़ज्र से पहले शरअ़न न तो अज़ाने फ़ज्र दी जा सकती है और न फ़र्ज़ नमाज़ जायज़ है जब तक कि बिलयक़ीन इसका वक़्त न हो जाये। इससे पता चलता है कि यहाँ कोई और अमल मतलूब है जिसकी वजह से अज्रे अ़ज़ीम की ख़ुशख़बरी सुनाई गई है और वह है अंधेरे में नमाज़ शुरू करके रोशनी में फ़ारिग़ होना जैसा कि मुसनद अहमद की हदीस के हवाले से गुज़रा है।

कुछ ने हुक्मे अस्फ़ार चाँदनी रातों और कुछ ने सिर्फ़ छोटी रातों के साथ ख़ास किया है, यानी नमाज़े फ़ज्र में इस क़द्र ताख़ीर हो कि लोगों की नींद पूरी हो और वह नमाज़ बाजमाअ़त अदा कर सकें। लेकिन ये अक़वाल भी पहले के क़ौल की तरह बिला दलील हैं।

अहनाफ़ अपने मौक़फ़ की ताईद में इब्राहीम नख़ई का ये क़ौल भी पेश करते हैं: 'अस्हाबे रसूल (ﷺ) का जिस क़द्र इत्तिफ़ाक़ रोशनी में नमाज़ पढ़ने पर है, उतना किसी और चीज़ पर नहीं।'

पहली बात : ये असर मुन्क़तअ़ होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि इब्राहीम नख़ई का अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुलाक़ात व सिमाअ़ साबित नहीं है। अ़ली बिन मदैनी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) के सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) में से इब्राहीम नख़ई की किसी से मुलाक़ात नहीं हुई।' (इललुल हदीस व मअ़रिफ़तुर्रिजाल, सफ़ा: 75) ये क़ौल इब्ने अबी हातिम ने भी ज़िक्र किया है। (किताबुल मरासील, रक़म: 19)

❁ इमाम अबू ज़रआ फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम जब सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) के पास आये तो छोटे बच्चे थे और उनसे कुछ भी नहीं सुना।' (किताबुल मरासील, रक़म: 22)

❁ इमाम अबू हातिम इनके मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम नख़ई की सिवाए सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) के किसी और सहाबी से मुलाक़ात नहीं हुई और उनसे उन्हें शर्फ़े सिमाअ़ नसीब नहीं हुआ क्योंकि जब वह

उनके पास आये थे तो छोटे से बच्चे थे। हाँ, अनस (ﷺ) को पाया है लेकिन उनसे सिमाअ नहीं किया।' (किताबुल मरासील, रक़म: 21)

❁ इमाम अज्ली फ़रमाते हैं: 'इब्राहीम बिन यज़ीद ने अस्हाबुन्नबी (ﷺ) में से किसी से हदीस़ बयान नहीं की। स़हाब-ए-किराम (ﷺ) में से एक जमाअत को उन्होंने पाया है और हज़रत आयशा(ﷺ) को सिर्फ़ देखा है।' (तारीख़ अस्सिक़ात, रक़म: 45)

❁ यहया बिन मुईन (ﷺ) फ़रमाते हैं: उन्हें हज़रत आयशा (ﷺ) के यहाँ लाया गया था। (किताबुल मरासील, रक़म: 20)

❁ अल्लामा ज़हबी (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'उन्होंने ज़ैद बिन अरक़म वग़ैरह को देखा है लेकिन किसी स़हाबी से उनका सिमाअ दुरुस्त नहीं।' (मीज़ानुल ऐतदाल: 1/75)

अज्जिरह वत्तअ्दील: (2/18) में भी इनका तर्जुमा मौजूद है, मज़ीद तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (तहज़ीब अत्तहज़ीब: 1/155)

दूसरी बात : अगर मान लिया जाये ये अस़र स़ही भी हो, तब भी इसकी रोशनी में मज़अूमा अस्फ़ार पर स़हाब-ए-किराम (ﷺ) के इज्मा का दावा करना बातिल है क्योंकि हक़ीक़त इसके बरख़िलाफ़ है।

इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) ने कई स़हाब-ए-किराम (ﷺ) से ग़लस (अंधेरे) में नमाज़ पढ़ने का इस्तिहबाब नक़ल किया है, फ़रमाते हैं: 'इस मौक़फ़ (अंधेरे में नमाज़ पढ़ने) को बहुत से अहले इल्म स़हाब-ए-किराम (ﷺ) ने इख़्तियार फ़रमाया है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 153) और मुताख़िरीने अहनाफ़ इस अस़र का जो मफ़हूम समझते हैं, क़ाइदे अहनाफ़ इमाम तहावी हनफ़ी(ﷺ) ने इसके बरख़िलाफ़ समझा है। उन्होंने इस अस़र की तौजीह वही की है जिसकी तस्दीक़ दीगर अहादीस़ व आस़ार, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) और स़हाब-ए-किराम (ﷺ) के रोज़मर्रा अमल से होती है, वह फ़रमाते हैं: 'चुनांचे उन्होंने ये ख़बर दी है कि स़हाब-ए-किराम (ﷺ) रोशनी करने पर मुत्तफ़िक़ थे। हमारे नज़दीक उनका ये इज्मा रसूलुल्लाह (ﷺ) के अमल के बरख़िलाफ़ मुमकिन नहीं। हाँ ये उस वक़्त मुमकिन हो सकता है जब रसूलुल्लाह (ﷺ) का अंधेरे में नमाज़ पढ़ने का अमल मन्सूख़ या उसके बरख़िलाफ़ दलील का सुबूत हो।'

इमाम तहावी (ﷺ) के रूझान के मुताबिक़ ये अस़र मुताख़िरीने अहनाफ़ के अपने मौक़फ़ के बरख़िलाफ़ दलील है, बसूरते दीगर ये अस़र लायक़े हुज्जत नहीं क्योंकि इसी दौरान दीगर अहादीस़ व आस़ार से इसका सख़्त तआरूज़ होता है।

अलहासिल: (.... أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ) का राजेह और महफ़ूज़ मफ़हूम यही है कि उजाले में नमाज़े फ़ज्र से फ़रागत हो, न कि आग़ाज़। यही अमल अज्र व सवाब की बढ़ोतरी का बाइस हैं इसी को अल्लामा मुबारक पूरी (رحمه الله) ने (أَسْلَمُ الْأَجْوِبَةِ) 'महफ़ूज़ तरीन जवाब' क़रार दिया है। लेकिन इस पर एक इश्काल वाक़ेअ होता है कि अगर रोशनी में नमाज़े फ़ज्र से फ़रागत का ज़िक्र है? मज़ीद इसमें ये सराहत भी है कि उन्हें कोई अंधेरे की वजह से पहचान नहीं सकता था। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 578) इसका जवाब ये है कि नमाज़े फ़ज्र से फ़रागत की दो मुख़्तलिफ़ हालतें थीं, रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी अंधेरे ही में फ़ारिग़ हो जाया करते थे और कभी रोशनी में, गोया एक ही अमल पर हमेशगी नहीं था जैसा कि मुहद्दिस मुबारकपूरी (رحمه الله) ने तोहफ़तुल अहवज़ी: (1/410) में फ़रमाया है।

इसकी ताईद अबू बरज़ा (رضي الله عنه) की हदीस से होती है, वह फ़रमाते हैं: '**आप (ﷺ) नमाज़े सुबह से उस वक़्त फ़ारिग़ होते जब आदमी अपने साथ बैठे साथी को पहचान लेता था।**' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 547)

हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) की हदीस से भी इस मफ़हूम की तस्दीक़ होती है, वह फ़रमाते हैं: 'और सुबह (की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते) जब फ़ज्र तुलूअ होती यहाँ तक कि वाज़ेह दिखाई देता।' (मुसनद अहमद: 3/129, 169)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि हमेशा तरीकी ही में सुबह की नमाज़ से फ़रागत रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत नहीं, बल्कि आप कभी तारीकी में फ़ारिग़ होते जैसा कि आयशा (رضي الله عنها) की गुज़िश्ता हदीस में है और कभी उस वक़्त जब चेहरे दिखाई देते और एक दूसरे की पहचान हो जाया करती थी।' देखिये: (इरवाउलग़लील: 1/280) जबकि हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) हदीसे आयशा और हदीसे अबू बरज़ा (رضي الله عنه) के बीच यूँ तत्बीक़ देते हैं कि हदीसे आयशा में दूर से पर्दे में लिपटी हुई औरत के बारे में ख़बर है जबकि अबू बरज़ा (رضي الله عنه) की हदीस में उस शख़्स के मुताल्लिक़ ख़बर है जो पहलू में बैठा नमाज़ पढ़ने वाला साथी हो। (फ़तहुलबारी: 2/55, तहत हदीस: 578) अलग़र्ज़ इस क़िस्म की तौजीहात से तआरूज़ रफ़ा (इख़्तिलाफ़ ख़त्म) हो जाता है।

✧ **इब्तिदा-ए-वक़्त ज़ुहर:** हुक्मे बारी तआला है: '**नमाज़ क़ायम कीजिये सूरज के डूबने पर।**' इस हुक्म से साबित हुआ कि नमाज़े ज़ुहर सूरज ढलते ही फ़र्ज़ हो जाती है। ये ज़ुहर का अव्वल वक़्त है।

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि ज़ुहर का अव्वल वक़्त ज़वाले शम्स है।' (अल्औसत: 2/326)

इमाम इब्ने क़ुदामा (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'अहले इल्म का इस बात पर इज्मा है कि ज़ुहर का वक़्ते अव्वल ज़वाले शम्स है।' (अलमुग़नी: 1/412)

इमाम नववी और इब्ने हजर (ﷺ) ने भी इस पर इज्मा नक़ल किया है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाये: (अल्मजमूअ: 3/24, फ़तहुलबारी: 2/21, तहत हदीस़: 540)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की हदीस़ में है, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: '**ज़ुहर का वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज ज़वाल पज़ीर हो और आदमी का साया उसकी लम्बाई के बराबर हो, जब तक अस्र न हो।**' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (173) 612)

एक रिवायत के अल्फ़ाज़ ये हैं: '**ज़ुहर का वक़्त (उस वक़्त तक बाक़ी) रहता है जब तक अस्र का वक़्त न हो।**' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (172)-612)

आप (ﷺ) ने ये जवाब किसी साइल के सवाल में दिया है। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (174-612) बल्कि अहादीस़ में तस़रीह है कि आपने अम्लन दो दिन नमाज़ पढ़ कर दिखाई, पहले दिन अव्वल वक़्त में और दूसरे दिन ताख़ीर के साथ। (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 613)

इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस़ में स़राहत है कि जब जिब्रईल (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पहले दिन नमाज़ पढ़ाई तो उस वक़्त सूरज ज़वाल पज़ीर हो चुका था और साया-ए-ज़वाल बक़द्रे तस्मा था। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 393, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 149)

तिर्मिज़ी के ये अल्फ़ाज़ हैं: 'जब साया बमिस्ले तस्मा था।' इस हदीस़ से मालूम हुआ कि साया-ए-अस़ली निकाला जायेगा, तब एक या दो मिस़्ल शुमार होगा। इस मफ़हूम की हदीस़ जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से भी मन्क़ूल है। देखिये: (सुनन नसाई, हदीस़: 525) लिहाज़ा साया-ए-ज़वाल वाज़ेह होने के बाद ज़ुहर का आग़ाज़ होगा, ख़्वाह ये साया थोड़ा हो या ज़्यादा। अगर ये साया मशरीक़ी जानिब नुमायाँ न हो तो ये वक़्त इस्तवा-ए-शम्स का होता है जो सूरज के हनूज़े ज़वाल पज़ीर न होने की दलील होती है। जिब्रईल (ﷺ) ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को पहले दिन सूरज ढलते ही नमाज़ पढ़ाई और आपने उनकी इक़्तिदा में पढ़ी। (सुनन नसाई, हदीस़: 503)

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ में भी बस़राहत ज़ुहर के अव्वल वक़्त की तहदीद है: '**नमाज़े ज़ुहर का अव्वल वक़्त ज़वाले शम्स है।**' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 151) बग़र्ज़ तहक़ीक़ मुलाहिज़ा हो: (शरह जामेअ तिर्मिज़ी, अहमद शाकिर: 1/284, 285, सिलसिलतुल अहादीस़ अस्स़हीहा, हदीस़: 1696)

✧ **ज़वाल की पहचान और ज़ुहर व अस्र का वक़्त मालूम करने का तरीक़ा :** ज़ुहर व अस्र के वक़्त के मुताल्लिक़ अहादीस में एक या दो मिस्ल का जो ज़िक्र आता है, उसकी मअ्रिफ़त हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। अगरचे ये घड़ी और कैलेण्डर का जदीद दौर है लेकिन फिर भी अफ़ज़ल ये है कि मिस्ल अव्वल व सानी का मुशाहिदा मुअज़्ज़िन ख़ुद करे या फिर वह शख़्स जिसे इसकी अच्छी मश्क़ हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: **'यक़ीनन अल्लाह तआला के बेहतरीन (पसन्दीदा तरीन) बन्दे वह हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए सूरज, चाँद, सितारों और सायों का ख़याल रखते हैं।'** (अलमुस्तदरक लिल हाकिम: 1/51, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/379, तल्ख़ीस अलहबीर: 1/371, व सहीह अत्तर्ग़ीब: 1/217 वसिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 3440) लेकिन अफ़सोस कि मसरूफ़ियत और माद्दा परस्ती की शदीद यलग़ार इस सुन्नत पर अमल पैरा होने से मानेअ है। साया देखने और नापने की ये अमली मश्क़ और सुन्नत अब तक़रीबन मतरुक है। लेकिन मौजूदा तक़वीमात और कैलेण्डर भी तो सालहा साल की मेहनत का बदला और तजुर्बात व मुशाहिदात ही का नतीजा हैं, ख़ुसूसन जदीद साइंसी तहक़ीक़ात ने तो इस दुशवार अम्र को मज़ीद आसान तर बना दिया है, लेकिन इसके बावुजूद इन तक़वीमात में ग़लती का इम्कान रहता है, इसलिए **'बेहतरीन तरीक़ा, तरीक़ा-ए-मुहम्मदी है।'** लिहाज़ा दुनिया के किसी मुल्क या खित्ते में अगर ज़वाले शम्स देखने की ज़रूरत हो तो एक सीधी लकड़ी या सरया वग़ैरह सूरज ढलने से पहले ज़मीन में बिल्कुल सीधा गाड़ दिया जाये, फिर देखा जाये कि अगर बदस्तूर साया घट रहा है तो इसका मतलब है कि अभी सूरज नहीं ढला और अगर कम होते होते एक जगह पर रुक जाये, फिर कम हो न ज़्यादा तो जान लीजिये ये ऐन इस्तवा-ए-शम्स है जिसे निस्फ़ुन्निहार भी कहा जाता है। वहाँ निशान लगाइये, ये साया-ए-असली होगा। ज़वाल का ये वक़्त चन्द लम्हे ही रहता है। इसके बाद साये में जूंही कुछ इज़ाफ़ा हो तो इसका मतलब है कि अब सूरज ढल गया है और नमाज़े ज़ुहर के वक़्त का आग़ाज़ हो चुका हैं वक़्ते अस्र की इब्तिदा मालूम करनी हो तो जब उस लकड़ी या सरये का साया, साया-ए-असली के अलावा ठीक उनकी एक मिस्ल, यानी लकड़ी या सरये वग़ैरह की लम्बाई के बराबर हो चुका हो तो ये मिस्ले अव्वल है और वक़्त अस्र का आग़ाज़ है।

मअ्रिफ़ते ज़वाल की मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (अल्औसत लिइब्ने मुन्ज़िर: 2/328, वलमुग़नी इब्ने क़ुदामा: 1/414, ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन अन्नसाई: 6/492)

✧ **इन्तिहा-ए-वक़्ते ज़ुहर :** नमाज़े ज़ुहर के आख़िरी वक़्त में उलमा का इख़्तिलाफ़ हैं जुम्हूर अहले इल्म का मौक़फ़ ये है कि जब हर चीज़ का साया, साया-ए-असली निकालने के बाद उसके बराबर, यानी एक मिस्ल हो जाये तो ज़ुहर का वक़्त ख़त्म और अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है।

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (ﷺ) ने इसी क़ौल को सही तरीन क़रार दिया है। इमाम अहमद बिन हम्बल (ﷺ) का भी यही मौक़ूफ़ है। देखिये: (अल्औसत: 2/327, 328, वलमुग़नी: 1/416)

इमाम नववी (ﷺ) ने भी इसी क़ौल को तर्जीह दी है। (अल्मजमूअ: 3/34) इब्ने अ़ब्दुल बर्र मालिकी (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'ज़ुहर के आख़िरी वक़्त के बारे में उ़लमा का इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक और उनके अस्हाब का क़ौल ये है कि जब साया-ए-ज़वाल के बाद हर चीज़ का साया उसकी मिस्ल (बराबर) हो जाये तो ये ज़ुहर का आख़िरी वक़्त है और ये बग़ैर किसी वक़्फ़े के अ़स्र का वक़्त अव्वल है यही क़ौल इब्ने मुबारक और एक जमाअ़त का है।' (अत्तम्हीद: 8/73, 74) सही और सरीह अहादीस़ की रोशनी में यही मज़हब हक़ और राजेह है। बिल इख़्तिसार चन्द दलाइल मुलाहिज़ा फ़रमायें:

① हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हवाले से नक़ल करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'ज़ुहर का वक़्त उस वक़्त होता है जब सूरज ढल जाये और आदमी का साया उसके क़द के बराबर हो जाये, जब तक कि अ़स्र का वक़्त (शुरू) न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 612)

② हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से इमामते जिब्रईल के मुताल्लिक़ हदीस़ मरवी है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'और उसने मुझे अ़स्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब उसका साया उसके मिस्ल हो गया।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 393)

③ हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से भी इमामते जिब्रईल के मुताल्लिक़ ये सराहत मौजूद है: 'फिर जिब्रईल ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ाई, जब उसने देखा कि साया एक मिस्ल हो गया है।' (सुनन नसाई, हदीस़: 503)

④ हज़रत जाबिर (ﷺ) की हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औक़ाते नमाज़े पंजगाना के हवाले से एक साइल के जवाब में उसे अपने साथ नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और अ़स्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया। (सुनन नसाई, हदीस़: 505)

⑤ हज़रत अबू मसऊ़द (ﷺ) से भी इमामते जिब्रईल के हवाले से ये सराहत मिलती है कि जूंही सूरज ढला, आप (ﷺ) ने नमाज़े ज़ुहर पढ़ ली, फिर जब हर चीज़ का साया उसके मिस्ल हो गया तो नमाज़े अ़स्र पढ़ी (सुनन अल कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/365)

मज़कूरा सही और सरीह अहादीस़ से मालूम हुआ कि ज़ुहर का आख़िरी वक़्त एक मिस्ल तक है। इसके बाद अ़स्र का वक़्त शुरू हो जाता है। इसके बरअक्स दूसरा क़ौल इमाम अबू हनीफ़ा(ﷺ) का है कि ज़ुहर का वक़्त दो मिस्ल तक रहता है। उनका इस्तिदलाल हज़रत अनस और अबू ज़र(ﷺ) से मरवी इन अहादीस़ से है जिनमें नमाज़े ज़ुहर को ठण्डा करके पढ़ने का हुक्म है या सहीह बुख़ारी की हदीस़:

(مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ) (हदीस: 2268) से है जिसमें अहले किताब की मज़दूरी का ज़िक्र है। लेकिन सवाल ये है कि इन अहादीस में ये सराहत कहाँ है कि ज़ुहर का वक़्त मिस्लैन तक बाक़ी रहता है या अस्र का उस वक़्त तक आग़ाज़ नहीं होता?

इमाम नववी (رحمه الله) ने इमाम इब्ने मुन्ज़िर के हवाले से नक़ल किया है कि इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के सिवा इस बात का कोई क़ायल नहीं। देखिये: (अल्मजमूअ: 3/25) लेकिन अहनाफ़ ने फ़र्त (ग़ल्ब-ए) अक़ीदत व तक़लीद में इमाम साहब की इस मरजूह और बे दलील राय की तक़वियत के लिए बहुत सी सही और सरीह अहादीस तख़्त-ए-मश्क़ बना डालीं। मुहतमिल (क़यास किया हुआ) दलाइल की आड़ में इन सरीह नसूसे सहीहा की परवाह तक नहीं की। बदस्तूर तावीलाते बारदा से उनका दिफ़ा करते रहे और अब तक कर रहे हैं। मुलाहिज़ा हो: (फ़त्हुल मुल्हम: 4/297, 307) मुहिब्बाने सुन्नत अस्हाबे इल्म का ये वतीरा नहीं होता। इमाम साहब की फ़ज़ीलत व मन्क़बत अपनी जगह, लेकिन थे तो वह भी इंसान, बहुत से मसाइल में उनका रुजूअ साबित है।

याद रहे! इमाम साहब (رحمه الله) से एक राय जुम्हूर के मौक़फ़ के मुताबिक़ भी मिलती है, साहिबैन (इनके शागिर्दाने रशीद) का मौक़फ़ भी वही है लेकिन उनके इस फ़तवे की बुनियाद इमाम साहब की राय नहीं बल्कि सरीह अहादीस हैं। बहरहाल उलमा-ए-अहनाफ़ की इसी क़िस्म की तावीलाते बारदा से दिल बरदाश्ता होकर हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) ने इस रवैये को रद्दे सुन्नत से ताबीर किया है,फिर उन्होंने नमाज़े अस्र के आग़ाज के मुताल्लिक़ मुख़्तसर और उम्दा बहस की है जिसका मा'हुसूल यही है कि एक मिस्ल पर उसका वक़्त शुरू हो जाता है। देखिये: (इअ़्लामिल मुवक़्क़िईन: 2/364, 365)

यही वजह है कि अहनाफ़ की तावीलाते बारदा और खोखली दलीलों का तजज़िया करने के बाद बिल आख़िर गिरामी-ए-क़द्र मौलाना तक़ी उस्मानी ने हक़ीक़त पसन्दी का सुबूत देते हुए तस्लीम किया है कि हदीसे जिब्रईल में सराहतन पहले दिन अस्र की नमाज़ मिस्ले अव्वल पर पढ़ने का ज़िक्र मौजूद है जिससे मालूम होता है कि मिस्ले अव्वल पर ज़ुहर के वक़्त का इख़्तिताम हो जाता है। फ़रमाते हैं: 'मिस्लैन पर ज़ुहर का वक़्त ख़त्म होने के सिलसिले में उमूमन अहनाफ़ की तरफ़ से भी तीन दलील पेश की जाती हैं, लेकिन इन्साफ़ की बात ये है कि उनमें से कोई हदीस भी औक़ात की तहदीद पर सरीह नहीं है। इसके बरख़िलाफ़ हदीसे जिब्रईल में सराहतन पहले दिन अस्र की नमाज़ मिस्ले अव्वल पर पढ़ने का ज़िक्र मौजूद है, इसलिए ये हदीसें हदीसे जिब्रईल का मुक़ाबला नहीं कर सकतीं, इसी बिना पर कुछ अहनाफ़ ने मिस्ले अव्वल वाली रिवायत को लिया है। कमा फ़िद्दुर्रे मुख़्तार....' (दर्स तिर्मिज़ी: 1/396)

✧ **अकाबिर उलमा-ए-अहनाफ़ की इन्तिहा-ए-वक़्ते ज़ुहर के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात :** इमाम मुहम्मद इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के बिला वास्ता शागिर्द हैं, वह फ़रमाते हैं: 'हम कहते हैं कि जब साया एक मिस्ल से कुछ ऊपर बढ़ जाये और वह ज़वाले शम्स के वक़्त से लेकर किसी चीज़ के एक मिस्ल और उससे कुछ ज़्यादा हो तो अस्र का वक़्त दाख़िल हो जाता है।' (मोत्ता इमाम मुहम्मद, सफ़ा: 43, 44)

साहबे क़ुदूरी लिखते हैं: 'जब हर चीज़ का साया उसकी मिस्ल (बराबर) हो जाये तो इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद का कहना है कि अस्र का वक़्त दाख़िल हो जाता है।' (अलक़ुदूरी मअल तन्क़ीह अज़्ज़रूरी, सफ़ा: 19) इसी लिए शैख़ुल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इस मसले में तमाम इमाम मुज्तहिद एक तरफ़ हैं और अकेले इमाम अबू हनीफ़ा(رحمه الله) इस वजह से मज़हबे मशहूर के एक तरफ़, यहाँ तक कि इमाम मुहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ शागिर्द उनके भी, इस मसले में उनसे अलग हैं .... और अकेले इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) से ये मशहूर है कि दो मिस्ल तक वक़्ते ज़ुहर का बाक़ी रहता है और अस्र दाख़िल नहीं होती मगर बाद दो मिस्ल के।' (मैयारुलहक़, सफ़ा: 266, तबअ जदीद)

क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती अपनी तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: 'जहाँ तक ज़ुहर के आख़िर वक़्त की बात है तो किसी सही या ज़ईफ़ हदीस में ये नहीं मिलता कि हर चीज़ के साये के एक मिस्ल होने के बाद भी वह बाक़ी रहता है, इसीलिए इस मसले में उनके दोनों शागिर्दों ने उनकी मुख़ालिफ़त और जुम्हूर की मुवाफ़िक़त की है।' (तफ़्सीर मज़हरी, सूरह निसा 3/103)

अल्लामा नीमवी फ़रमाते हैं: 'मुझे ऐसी कोई सही सरीह या कोई ज़ईफ़ हदीस नहीं मिली जो इस बात पर दलालत करती हो कि ज़ुहर का वक़्त साये के दो मिस्ल होने तक रहता है।'(आसारुस्सुनन, सफ़ा: 53)

मौलाना अब्दुल हई लखनवी हनफ़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इस मुक़ाम पर इन्साफ़ की बात ये है कि अहादीसे मिस्ल, सरीह और सही हैं, जबकि मिस्लैन की अहादीस ग़ैर सरीह (मुबहम) हैं, इस बात में कि वक़्ते अस्र दो मिस्ल तक दाख़िल नहीं होता। मिस्लैन की अक्सर अहादीस में सिर्फ़ तौजीहात की जाती हैं और इस्तिम्बात किया जाता है जबकि हक़ीक़त ये है कि इस्तिम्बात शुदा अम्र सरीह (बात) का मुक़ाबला नहीं कर सकता।' (अत्तालीक़ुल मुम्जिद, सफ़ा: 44) बल्कि उन्होंने इसके बाद बरमला इस हक़ीक़त का इज़हार किया है कि साहबे अल्बहरुर्राइक़ अल्लामा इब्ने नजीम ने इस मौज़ूअ पर एक मुस्तक़िल रिसाला तहरीर किया है जिसमें उन्होंने बड़ी तवील बहस की है लेकिन 'वह कोई ऐसा सुबूत व

दलील पेश नहीं कर सके जो मुद्दआ के लिए मुफ़ीद हो और जिससे उनका दावा साबित होता हो, और वह लिखते हैं: 'इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा है कि जब साया दो मिस्ल हो जाये तब अस्र का वक़्ते अव्वल होता है मगर ये क़ौल आसार व अहादीस के ख़िलाफ़ है और जुम्हूर के भी ख़िलाफ़ है। ये क़ौल उनके फ़ुक़हा अस्हाब (शागिर्दान) और उनके अलावा दीगर फ़ुक़हा के यहाँ भी महजूर व मतरुक है।' (अत्तालीक़ुल मुम्जिद, सफ़ा: 43)

मज़कूरा मारूज़ात से बख़ूबी मालूम होता है कि ज़ुहर का आख़िरी वक़्त मिस्ले अव्वल पर ख़त्म हो जाता है। मिस्लैन का क़ौल मरजूह (हारा हुआ) और नाक़ाबिले हुज्जत है, और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी वग़ैरह का ये बावर कराना कि मिस्ले अव्वल, इख़्तितामे ज़ुहर और आग़ाज़े अस्र के हवाले से मशकूक और ग़ैर यक़ीनी है, महज़ सीनाज़ोरी हैं मुलाहिज़ा फ़रमाये: (फ़तहुल मुल्हम: 4/304)

तम्बीह : इमाम मालिक (رحمه الله) से एक रिवायत के मुताबिक़ मन्क़ूल है कि मिस्ले अव्वल पर ज़ुहर और अस्र का वक़्त मुशतरक (मिला हुआ) होता है और ये इस्तेराक तक़रीबन चार रकआत के बक़द्र रहता है लेकिन ये क़ौल सरीह अहादीस की रोशनी में दुरुस्त नहीं। हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी एक सही हदीस में पाँच नमाज़ों के अव्वल व आख़िर औक़ात की तहदीद है जिसमें ज़ुहर के आख़िरी वक़्त के बारे में नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: **'ज़ुहर का आख़िरी वक़्त वह है जब अस्र का वक़्त शुरू होता है।'** (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 151)

मालूम हुआ जूंही अस्र का वक़्त शुरू होता है, ज़ुहर का वक़्त ख़त्म हो जाता है। ये मौक़फ़ इमाम मालिक, शाफ़ेई जुम्हूर और साहिबैन का हैं (फ़त्हुल मुल्हम: 4/305, तिर्मिज़ी: 1/395) हदीसे जिब्रईल में दूसरे दिन नमाज़े ज़ुहर के मुताल्लिक़ जो आता है: 'जिब्रईल ने मुझे दूसरे दिन ज़ुहर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसकी मिस्ल हुआ।' इसका ये मक़सद नहीं कि एक मिस्ल होने पर नमाज़े ज़ुहर का आग़ाज़ किया बल्कि मक़सूद ये है कि एक मिस्ल पर नमाज़ से फ़ारिग़ हो चुके थे।

इमाम तहावी (رحمه الله) ने इसी मानी को तर्जीह दी है। देखिये: (शरह मआनी वल्आसार: 1/149) क्योंकि पहले दिन नबी (ﷺ) ने जब एक मिस्ल होने पर अस्र पढ़ी तो लाज़िमन दूसरे दिन एक मिस्ल होने से पहले नमाज़े ज़ुहर से फ़रागत हुई, इसलिए कि अगर इस तरह न हो तो इन्तिहा-ए-वक़्त ज़ुहर की तहदीद नहीं होती जबकि इमामते जिब्रईल से अव्वलीन मक़सद यही था और उस हदीस से तो बिल्कुल इस मौक़फ़ की तर्दीद होती है जिसमें ये सराहत है: 'ज़ुहर का वक़्त उस वक़्त तक रहता है जब तक अस्र का वक़्त न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: (172)-612 अन अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) वल्लाहु आलम!

इमाम इब्नुल अ़रबी (رحمه الله) ने भी इश्तिराक (मिला हुआ) ज़ुहरैन (ज़ुहर व अ़स्र) के मौक़फ़ की तर्दीद फ़रमाई है। अगरचे 'मुझे नमाज़ पढ़ाई' के दोनों मफ़हूम हो सकते हैं: आग़ाज़ किया या फ़ारिग़ हुए, लेकिन यहाँ फ़राग़त ही मुराद है। वह फ़रमाते हैं: 'क्योंकि अगर 'मुझे नमाज़ पढ़ाई' के मानी फ़ारिग़ होने के नहीं तो ये (वक़्त नमाज़ के लिए) बयान (व तहदीद) नहीं।' इसीलिए सख़्ती से इश्तिराक ज़ुहरैन की नफ़ी करते हुए फ़रमाते हैं: 'अल्लाह की क़सम! दोनों के दरम्यान इश्तिराक वक़्त नहीं है।' (अलक़ब्स: 1/52)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) का भी यही मौक़फ़ है। देखिये: (शरह अल्उम्दा लिश्शैख़ुल इस्लाम: 2/152)

इमाम नववी (رحمه الله) इमामते जिब्रईल वाली हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं: 'इस हदीस़ के मानी ये हैं कि ज़ुहर की नमाज़ से फ़ारिग़ हुए, जब हर चीज़ का साया उसके मिस्ल (बराबर) हुआ। और पहले दिन जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हुआ तो अ़स्र पढ़ना शुरू की थी। इस तरह उनके बीच इश्तिराक वक़्त न रहा। अहादीस़ के बीच जमा व तत्बीक़ और मुवाफ़िक़त के लिए ये तावील करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये हदीस़ इश्तिराक पर महमूल की जाये तो ज़ुहर का आख़िरी वक़्त मज्हूल (नामालूम) रहेगा .... और औक़ात की हुदूद का बयान हासिल न होगा।' (शरह स़हीह मुस्लिम, लिन्नववी: 5/154, हदीस़: 612) यानी इस तरह औक़ात की हदबन्दी नहीं हो सकती। शैख़ सलामुल्लाह हनफ़ी ने महल्ली शरह मोत्ता में अ़दमे इश्तिराक़े ज़ुहरैन के मौक़फ़ ही की मुवाफ़िक़त की है और इस हवाले से जुम्हूर का ये मौक़फ़ ज़िक्र किया है: 'यहाँ इसके मानी ये हैं कि जब हर चीज़ का साया उसके मिस्ल हुआ तो आप नमाज़े ज़ुहर से फ़ारिग़ हो चुके थे, लिहाज़ा इस तरह (ज़ुहरैन के बीच) कोई शराकत न रही। मुख़्तलिफ़ अहादीस़ के बीच तत्बीक़ के लिए ये तावील लाज़िमी है।' (बहवाला मैयारुलहक़, स़फ़ा: 271)

हदीस़ अबू मूसा से इस मौक़फ़ की वाज़ेह ताईद होती है, वह फ़रमाते हैं: 'फिर आप (ﷺ) ने नमाज़े ज़ुहर मुअख़्ख़र की यहाँ तक कि गुज़िश्ता कल के वक़्ते अ़स्र के क़रीब क़रीब वक़्त हो गया।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 614)

इस तस़रीह से दीगर रिवायात में वाक़ेअ इज्माल (हुस्न) रफ़ा हो जाता है, वह इस तरह कि जब अ़स्र के क़रीब वक़्त हुआ तो उस वक़्त नमाज़े ज़ुहर से फ़राग़त हो चुकी थी।

इन तस़रीहात की रोशनी में यक़ीनन इन्तिहा-ए-वक़्ते ज़ुहर की तहदीद होती है और वह है इन्तिहाए मिस्ल अव्वल, लिहाज़ा अ़ल्लामा स़नआनी (رحمه الله) का (صَلّٰى بِيَ الظُّهْرَ... حِينَ صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ) के, मिस्ल अव्वल पर फ़ारिग़ होने के मानी व तावील को बईद क़रार देना अज़ ख़ुद बईद अज़ स़वाब (स़वाब से दूर) है। (सुबुलुस्सलाम: 1/194)

अक्सर उलमा-ए-अहनाफ़ ने बर बनाये एहतियात और इश्तिराके जुहरैन के तर्दीद व शक से भागते हुए मिस्लैन ही का मौक़फ़ इख़्तियार किया है (और ऐड़ी चोटी का ये सारा ज़ोर सिर्फ़ इमाम साहब से मन्कूल एक मरजूह रिवायत और शाज़ राय की तक़दीम व इस्बात की ख़ातिर है) कि मिस्ले अव्वल से कुछ पहले जुहर का वक़्त बिल इत्तिफ़ाक़ क़तई तौर पर साबित है और एक मिस्ल से माबाद तक भी। अगरचे इस असना में अस्र का वक़्त हो जाता है लेकिन मशकूक होता है। इसका बिल यक़ीन वक़्त तब शुरू होता है जब साया दो मिस्ल हो जाये। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुल मुल्हम: 4/304)

लेकिन सवाल ये है कि क्या जिब्रईल (عليه السلام) ने पहले दिन (नाऊज़ुबिल्लाह) मशकूक वक़्त में नमाज़ पढ़ाई कि उन्हें अस्र के वक़्त का यक़ीनी इल्म न हुआ और नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने भी शक व इज़्तिराब की हालत में नमाज़ पढ़ी कि जिन्हें पूरी उम्मत के लिए नमूना क़रार दिया गया है जबकि ये नमाज़ थी भी बतौर तालीम और तहदीदे वक़्त के लिए, मज़ीद बरां ये कि इस तर्दीद व शक पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी ख़ामोश रहा और जिब्रईल और नबी (ﷺ) को इस मशकूक अमल पर बरक़रार रखा और कोई तम्बीह न फ़रमाई? वलइयाज़बिल्लाह! इस तरह तो गोया जिस मक़सद के लिए जिब्रईल (عليه السلام) की तशरीफ़ आवरी हुई, वह भी पूरा न हुआ। अलग़र्ज़ मिस्ल अव्वल की इख़्तितामी और वक़्ते अस्र की इब्तिदाई घड़ियों को मशकूक क़रार देकर एहतियात इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) के क़ौल व अमल में नहीं जिन्हें वाजिबुत्तक़लीद समझ लिया गया है बल्कि एहतियात उस मासूम हस्ती के आमाल व अक़वाल अपनाने में है जो शरीयत के बारे में अपनी मर्ज़ी से कभी लब कुशाई नहीं करती। (ﷺ)

✧ **मसला-ए-ताजील (जल्दी करना) व अबराद (ठण्डा करना) :** गुज़िश्ता सफ़हात में ताजील जुहर (जुहर जल्दी पढ़ना) दलाइल की रोशनी में अफ़ज़ल क़रार दी गई है। इस पर उलमा का इज्मा है और इसकी तस्दीक़ इससे भी होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुद भी इसका एहतिमाम फ़रमाया करते थे: (كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ) (सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) लेकिन कुछ अहादीस ऐसी हैं जिनमें अबराद, यानी नमाज़े ज़ुहर को ठण्डक में पढ़ने की तल्क़ीन है, जैसे: हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) की हदीस में है कि नबी-ए-अकरम(ﷺ) सफ़र में थे, जब मुअज़्ज़िन ने ज़ुहर की अज़ान देने का इरादा किया तो आपने फ़रमाया: 'ठण्डक होने दो' फिर मुअज़्ज़िन ने अज़ान देने का इरादा किया तो आपने फ़रमाया: 'ठण्डक होने दो' यहाँ तक कि हमने टीलों का साया देखा, इसके बाद आप (ﷺ) ने फ़रमाया: **'बिलाशुब्हा गर्मी की शिद्दत जहन्नम की लपट का हिस्सा है, लिहाज़ा जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज़ (ज़ुहर) ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो।'** (सहीह बुख़ारी, हदीस: 539) और अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه)

वग़ैरह से भी हदीसे अबराद मरवी है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 538)

मज़ीद जिनसे ये रिवायत मरवी है, इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) ने वफ़िल्बाब में उनका ज़िक्र किया है। देखिये: (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 157)

ये बात हक़ीक़त पर मबनी है कि शिद्दते हरारत (गर्मी) की वजह से जहन्नम ने अल्लाह (عزوجل) से शिकायत की कि 'मेरा कुछ हिस्सा दूसरे को खा गया है।' तो उसे दो साँसों की इजाज़त मिली: एक गर्मी में और एक सर्दी में।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 3260, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 617) लिहाज़ा ये गर्मी और सर्दी हक़ीक़त में जहन्नम ही का हिस्सा हैं अगरचे कुछ उलमा ने यहाँ और भी मफ़ाहीम बयान फ़रमाये हैं लेकिन अक़रब अस्सवाब और ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के ज़्यादा मुवाफ़िक़ यही मानी हैं।

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इस क़िस्म की अहादीस अबराद (ठण्डक करना) में ताख़ीर का हुक्म सिर्फ़ इसी वजह से दिया है, और ये हुक्मे उमूम इल्लत की वजह से हर फ़र्द के लिए है, तख़सीस की ज़रूरत नहीं। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: अहले इल्म की एक जमाअ़त ने शिद्दते गर्मी में नमाज़े ज़ुहर के लिए हुक्म अबराद उस शख़्स के लिए है जो मस्जिद में दूर से आता हो, रहा वह शख़्स जो अकेले या क़बीले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हो तो मेरे नज़दीक पसन्दीदा ये है कि शदीद गर्मी में वह नमाज़ लेट न करे। इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'जिसका मौक़ुफ़ शदीद गर्मी में ताख़ीरे ज़ुहर का है, वही औला (पसन्दीदा) और इत्तिबा सुन्नत के ज़्यादा मुवाफ़िक़ और लायक़ है। देखिये: (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस: 157, हदीस: 533, 534)

बहरहाल इस रुख़्सत में मुक़ीम, मुसाफ़िर, मुन्फ़रिद या बाजमाअ़त नमाज़ पढ़ने वाले सभी अफ़राद दाख़िल हैं क्योंकि (إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) की इल्लत आम है।

✧ **अबराद के मानी व मफ़्हूम और हद :** अल्लामा ज़मख़शरी इसकी तौज़ीह करते हुए फ़रमाते हैं: 'ठण्डक के वक़्त में दाख़िल होने को अबराद कहते हैं।' और (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ) की तौज़ीह में वह फ़रमाते हैं: 'बाद अज़ ज़वाल जब सूरज की शिद्दत कम हो जाये तो उस वक़्त ये नमाज़ पढ़ो।' मज़ीद फ़रमाते हैं: जब अरब किसी सफ़र पर होते, सूरज ढल जाता और हवाएँ चलना शुरू हो जातीं तो आपस में पुकार उठते अब तुम ठण्डक में कूच करो।' (अलफ़ाइक़, सफ़ा: 89, फ़तहुलबारी: 2/16, हदीस: 533, 534)

अलग़र्ज़ गर्मी की शिद्दत के पेशे नज़र नमाज़े ज़ुहर में ताख़ीर की जा सकती है, बिलख़ुसूस सफ़र में ज़्यादा ताख़ीर का भी सुबूत मिलता है। इसकी ताईद अबूज़र (رضي الله عنه) की नीचे दी गई हदीस से होती है:

(حَتّٰى سَاوَى الظِّلُّ التُّلُولَ) यानी आप (ﷺ) ने ज़ुहर इतनी ताख़ीर से पढ़ाई कि साया टीलों के बराबर हो गया। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 629)

नमाज़े ज़ुहर मौसमे गर्मा में कितनी मुअख़्ख़र की जा सकती है? अहादीस की रोशनी में इसकी तहदीद का सराहत के साथ सुबूत नहीं मिलता, अलबत्ता कुछ उलमा-ए-किराम ने इसकी तहदीद भी की है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: ज़्यादा से ज़यादा ठण्डक में पढ़ने के बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है: एक क़ौल ये है कि जब साया-ए-ज़वाल के बाद साया एक हाथ हो जाये। कुछ ने रुबुअ क़ामत (क़द का चौथाई) कहा है। कुछ ने सुलुस (तिहाई) क़ामत और कुछ ने निस्फ़ क़ामत वग़ैरह, जबकि माज़री ने मुख़्तलिफ़ औक़ात व हालात का ऐतबार किया है। सूरते हाल ये है कि इख़्तिलाफ़े अहवाल से इसमें कमी बेशी होती रहती है लेकिन शर्त ये है कि अबराद आख़िरी वक़्त तक मुम्तद (लम्बी) न हो। (यानी ज़ुहर इतनी मुअख़्ख़र न हो कि इसका आख़िरी वक़्त आन पहुँचे और बजाये ज़ुहर के अस्र महसूस होने लगे।) (फ़तहुलबारी: 2/20, 21, हदीस: 539)

अलबत्ता सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई वग़ैरह में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मरवी हदीस से इसकी ताख़ीर का कुछ अन्दाज़ा मिलता है, वह फ़रमाते हैं: 'गर्मियों में नबी-ए-अकरम (ﷺ) की नमाज़े ज़ुहर का अन्दाज़ा ये होता था कि इंसान का साया तीन क़दम से लेकर पाँच क़दम तक और सर्दियों में पाँच से सात क़दम के बीच होता था।'(सुनन अबी दाऊद हदीस: 400, व सुनन नसाई हदीस: 504)

तम्बीह : जिस इंसान का साया देखा जाये, क़दम भी उसी के होने चाहिए और इस साये में असल और ज़्यादा दोनों साये शुमार किये जायें जैसा कि अल्लामा सुयूती और अल्लामा सिंधी(رحمه الله) ने सुनन अबू दाऊद और सुनन नसाई के हाशिये में वज़ाहत फ़रमाई है।

✧ **एक इश्काल और उसका इज़ाला :** यहाँ ये इश्काल वारिद होता है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हवाले से तो ये आता है कि आप नमाज़े ज़ुहर सख़्त धूप में पढ़ा करते थे जैसा कि हज़रत जाबिर(رضي الله عنه) से मरवी है: (كَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 560, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 646) इस हदीस से तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि नबी (ﷺ) का रोज़मर्रा का अमल यही था।

इसका एक जवाब तो ये है कि ताजील ज़ुहर (जल्दी पढ़ने) की अहादीस पहले की हैं, यानी नबी-ए-अकरम(ﷺ) शुरू शुरू में नमाज़े ज़ुहर सूरज ढलते ही पढ़ लेते थे, ख़्वाह धूप कितनी ही शदीद होती। बाद में आप (ﷺ) ने सख़्त धूप में नमाज़ पढ़ने की बजाये कुछ ठण्डक में पढ़ने का हुक्म दिया। मन्सूख़ का ये मौक़फ़ इमाम तहावी वग़ैरह का है। (शरह मआनी वलआसार: 1/187, 188, फ़तहुलबारी, हदीस:

2/17) और ख़िलाल ने इमाम अहमद (رحمه الله) से नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया: 'हुक्म अबराद नबी (ﷺ) का आख़िर का हुक्म है।' (फ़तहुलबारी: 2/17) इस मौक़फ़ की तौसीक़ (तस्दीक़) हज़रत मुग़ीरह बिन शोबा (رضي الله عنه) की हदीस़ से होती है जिसमें वह फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह(ﷺ) ने हमें नमाज़े ज़ुहर सख़्त धूप में पढ़ाई, उसके बाद फ़रमाया: यक़ीनन शिद्दते हरारत जहन्नम की लपट का हिस्सा है, इसलिए नमाज़ ठण्डक में पढ़ा करो।' लेकिन ये हदीस़ ज़ईफ़ है, इसलिए मन्सूख़ का ये क़ौल मरजूह है। देखिये: (अज़्ज़ईफ़ा लिल अल्बानी: 2/362) दूसरा जवाब ये है कि शदीद गर्मी में ताजील ज़ुहर की निस्बत इसमें ताख़ीर मुस्तहब हैं जुम्हूर अइम्मा-ए-इस्लाम का यही मौक़फ़ है। मुलाहिज़ा फ़रमायें: (शरह स़हीह मुस्लिम, लिन्नववी: 5/163 व फ़तहुलबारी: 2/16, हदीस़: 533, व महल्ली इब्ने हज़म: 3/182)

जहाँ तक हदीसे ख़ब्बाब का ताल्लुक़ है जिसमें वह फ़रमाते हैं: 'हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में सख़्त गर्म रेत में नमाज़ पढ़ने का शिक्वा किया तो आपने इसका इज़ाला न किया।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 619) इससे भी अगरचे बज़ाहिर तआरूज़ (टकराव) मालूम होता है लेकिन हक़ीक़त में ये अहादीस़ अबराद के मुख़ालिफ़ नहीं।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इस इश्काल के जवाब में फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ इस बात पर महमूल है कि उन्होंने वक़्ते अबराद की रुख़सत से मज़ीद ताख़ीर का मुतालबा किया था और वह इस हद तक कि रेत की गर्मी ज़ाइल हो जाये, जबकि इस तरह ख़ुरूजे वक़्त लाज़िम आता था, इसलिए नबी (ﷺ) ने उन्हें जवाब नहीं दिया। या फिर ये हदीस़ ठण्डक में नमाज़ पढ़ने वाली अहादीस़ से मन्सूख़ है क्योंकि वह बाद की हैं।' देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/17)

अलहास़िल : ताख़ीर के साथ नमाज़े ज़ुहर पढ़ने का हुक्म सिर्फ़ शदीद गर्मी के साथ मशरूत हैं अगर मौसम मौतदिल हो या गर्मी शिद्दत इख़्तियार किये हुए न हो या मौसम सरमा (सर्दी) हो तो नमाज़े ज़ुहर अव्वल वक़्त ही में पढ़ना अफ़ज़ल हैं नबी (ﷺ) का यही मामूल था। हज़रत अनस(رضي الله عنه) फ़रमाते हैं: 'जब गर्मी होती तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) नमाज़ ठण्डक में पढ़ते और जब सर्दी होती तो जल्दी करते।' (सुनन नसाई, हदीस़: 500) मौलाना ज़फ़र अहमद उ़स्मानी ने इस हदीस़ से यही इस्तिदलाल किया है। देखिये: (इअ्लाउस्सुनन: 1/35) और इस हदीस़ में सिर्फ़ गर्मी ही मुराद नहीं बल्कि शिद्दत की गर्मी मुराद हैं इसकी तस़रीह सय्यदना अनस (رضي الله عنه) ही से मन्क़ूल स़हीह बुख़ारी के इन अल्फ़ाज़ से होती है, वह फ़रमाते हैं: 'जब सख़्त सर्दी हो जाती तो नबी-ए-अकरम(ﷺ) नमाज़े ज़ुहर जल्द पढ़ते और जब सख़्त गर्मी पड़ती तो आप (ﷺ) नमाज़ ज़ुहर ठण्डक में अदा फ़रमाते।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 906) जबकि हमारे यहाँ

अहनाफ़, गर्मी है। या सर्दी है इसकी एक ही वर्दी है, के मिस्दाक़ दीगर नमाज़ों (फ़ज्र और अस्र) की तरह नमाज़े ज़ुहर भी हर मौसम में हमेशा ताख़ीर ही से पढ़ते हैं। इल्ला माशाअल्लाह, वल्लाहुल मुस्तआनु!

✧ **वक़्ते अस्र की इब्तिदा व इन्तिहा :** सही और सरीह नुसूस की रोशनी में वक़्ते अस्र का आग़ाज़ उस वक़्त होता है जब साया-ए-असली के बग़ैर मिस्ल अव्वल इख़्तिताम पज़ीर और मिस्ल सानी का आग़ाज़ हो। ये अस्र का अफ़ज़ल वक़्त है, अगरचे वक़्ते जवाज़ ग़ुरूबे आफ़ताब तक रहता हैं तफ़्सील के लिए 'इन्तिहा-ए-वक़्ते ज़ुहर' के तहत ज़िम्नन ये बहस देखी जा सकती है, लिहाज़ा ताख़ीरे अस्र का क़ौल और मज़ीद बरां ये कि इसे मुस्तहब भी बावर कराना, अपनी तमाम तर कट हुज्जतियों के बावुजूद साक़ितुल ऐतबार है, इसलिए बिला उज़्र ताख़ीरे अस्र ग़ैर मुस्तहब है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) की सुन्नत ताजील अस्र ही है। राफ़ेअ बिन ख़दीज फ़रमाते हैं: 'हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ नमाज़े अस्र पढ़ते, फिर ऊँट ज़िबह करते और उसे दस हिस्सों में तक़सीम करते, फिर उसे पकाते, बाद में ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले पका हुआ गोश्त खाते।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2485, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 625)

ग़ौर फ़रमायें! क्या ये सब कुछ दो मिस्ल के बाद मुमकिन है? हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े अस्र पढ़ाई। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो बनू सलमा का कोई आदमी आया और उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऊँट ज़िबह करना चाहते हैं, हमारी तमन्ना है कि आप तशरीफ़ लायें, आप (ﷺ) ने फ़रमाया: ठीक है। आप चल दिये और हम भी आपके साथ चलें। देखा तो अभी तक ऊँट ज़िबह नहीं हुए थे, चुनांचे उन्हें ज़िबह किया गया, फिर उन्हें टुकड़े टुकड़े किया गया, फिर उनमें से कुछ पकाया गया, फिर हमने वह खाया जबकि अभी तक सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ था। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 624) अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) फ़रमाते हैं: 'रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़े अस्र उस वक़्त पढ़ते जबकि सूरज बुलन्द और ज़िन्दा (रोशन) होता और (अस्र पढ़ कर) जाने वाला अवाली-ए-मदीना की तरफ़ जाता और उनके पास पहुँचता जबकि सूरज अभी बुलन्द होता था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 550, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 621)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ عنہ) की हदीस में है: 'और अस्र का वक़्त (बाक़ी रहता) है जब तक सूरज ज़र्द न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 612) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जिब्रईल(علیہ السلام) के हवाले से फ़रमाया: 'उसने मुझे अस्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ाई जब उसका साया उसके मिस्ल हुआ।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) की हदीस में भी अस्र के अव्वल व आख़िर वक़्त की तहदीद मौजूद है कि अस्र का वक़्ते अव्वल वह है जब वह दाख़िल होता है (यानी मिस्ले अव्वल

के इख़्तिताम पर उसका आग़ाज़ होता है) और आख़िरी वक़्त इस्फ़रारे शम्स (सूरज का ज़र्द हो जाना) है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 151)

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस में मज़ीद वज़ाहत है कि गुरूबे शम्स से पहले एक रकअत मिलने से पूरी नमाज़े अस्र मिल जाती है। 'जिसने गुरूबे आफ़ताब से पहले एक रकअत पा ली तो उसने अस्र पा ली।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 579, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 608)

इस हदीस का ये मफ़हूम नहीं कि अस्र की सिर्फ़ एक रकअत ही पढ़ लेने से फ़र्ज़ की अदायगी हो जायेगी, बल्कि मक़सूद ये है कि इसकी ये नमाज़ बरवक़्त शुमार होगी अगरचे बाक़ी तीन रकअतें बदस्तूर नमाज़ जारी रखते हुए बाद तक अदा की जायें और इस पर इज्मा है। तफ़्सील के लिए देखिये: (सुबुलुस्सलाम: 1/202)

इन अल्फ़ाज़ के बारे में इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि इनके ज़ाहिरी मानी मुराद नहीं और इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है, यानी एक रकअत पा लेने वाला पूरी नमाज़ पाने वाला नहीं कि उसे सिर्फ़ एक ही रकअत से पूरी नमाज़ मिल जाये और फ़र्ज़ से उसकी ख़ुलासी हो जाये और वही एक रकअत उसे काफ़ी हो, बल्कि यहाँ इन अल्फ़ाज़ की तावील ज़रूरी है। यहाँ कुछ अल्फ़ाज़ पोशीदा माने जायेंगे इसकी तक़दीरी इबारत यूँ होगी: 'तो उसने नमाज़ के हुक्म या उसके वुजूब या उसकी फ़ज़ीलत को पा लिया।' देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम, लिल नववी, हदीस: 608) मज़ीद ये कि सय्यदा आयशा (ﷺ) की हदीस में नमाज़ मुकम्मल करने का हुक्म है: 'वह (बदस्तूर) अपनी नमाज़ की तकमील करे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 609) सुनन नसाई में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'जिसने नमाज़ों में से किसी नमाज़ की एक रकअत पा ली तो तहक़ीक़ उसने वह नमाज़ पा ली मगर जो रकअतें उससे रह गई हों, वह अदा करे।' (सुनन नसाई, हदीस: 559, व सहीह सुनन नसाई, हदीस: 557) मुसनद अहमद में ये हदीस मज़ीद वज़ाहत से है, इसमें है: 'और जिसने गुरूबे आफ़ताब से पहले अस्र की एक रकअत पढ़ ली तो उसकी ये नमाज़ फ़ौत नहीं हुई (ये नमाज़ अदा शुमार होगी।)' (मुसनद अहमद: 2/254, मुसनद अहमद: 12/425) बहरहाल वक़्ते अदा की आख़िरी इम्कानी हद यही है।

अब्दुल्लाह बिन अम्र और अबू हुरैरह (ﷺ) वग़ैरह की अहादीस से इन्तिहा-ए-वक़्ते अस्र की तहदीद होती है, लेकिन बज़ाहिर अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की हदीस से इन्तिहा-ए-वक़्ते अस्र की तहदीद इस्फ़रारे शम्स (सूरज के ज़र्द होने) से पहले तक है। रिवायात के इस इख़्तिलाफ़ के पेशे नज़र अगरचे उलमा-ए-सल्फ़ के इसके मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ मौक़िफ़ हैं लेकिन इमाम शाफ़ेई वग़ैरह ने मिस्लैन

और कुछ अइम्मा ने हदीसे अब्दुल्लाह को अस्र के आख़िरी वक़्ते मुख़्तार से मुक़य्यद किया है, हाँ बवजहे उज़्र इसका वक़्ते जवाज़ ग़ुरूबे आफ़ताब तक हैं इस तरह दोनों क़िस्म की अहादीस मामूलबिही रहती हैं और किसी का तर्क लाज़िम नहीं आता। मज़ीद तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (अल्औसत: 2/330, 333, वलमजमूअ: 3/32, वलमुग़नी: 1/418-419, अन्नदिय्या: 1/226) लेकिन बिला वजह ताख़ीरे अस्र मकरूह है जैसा कि इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) ने कुछ सहाबा व ताबेईन से इसकी कराहत नक़ल की हैं (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 159) इसकी ताईद सय्यदना अनस (رضي الله عنه) की हदीस से भी होती है जो आगे आ रही है।

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) ताजीले अस्र के **मौक़फ़** ही की ताईद करते हुए फ़रमाते हैं: 'यही मज़हब अहले मदीना का है। इमाम औज़ाई, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (رحمهم الله) इसी के क़ायल हैं। इस क़ौल की सेहत पर अहादीसे साबिता दलालत करती है।' (अल्औसत: 2/363) इसकी तस्दीक़ अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) वग़ैरह की हदीस से भी होती है जिसमें सबसे अफ़ज़ल अमल नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त में अदा करना क़रार दिया गया है।

✧ **सलाते वुस्ता की तअ्यीन :** अल्लाह तआला ने तमाम नमाज़ों की मुहाफ़िज़त के साथ साथ 'सलाते वुस्ता' यानी नमाज़े अस्र की बतौर ख़ास ताकीद फ़रमाई है: **'तुम सब नमाज़ों और ख़ास तौर पर दरम्यान वाली नमाज़ की हिफ़ाज़त करो।'** (अलबक़र: 2/238)

सलाते वुस्ता की तअ्यीन में अगरचे फ़ुक़हा व मुहद्दिसीन के बीच ख़ासा इख़्तिलाफ़ है लेकिन हक़ ये है कि इससे मुराद नमाज़े अस्र है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने फ़तहुलबारी (8/195-198, हदीस: 4533) में 'सलाते वुस्ता' के मुताल्लिक़ उलमा के बीस अक़वाल ज़िक्र किये हैं। उनके दलाइल का जायज़ा लेने के बाद हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इसी क़ौल के हामिलीन का मौक़फ़ राजेह क़रार दिया है। अहादीसे सहीहा से इसी क़ौल की ताईद होती है, बाक़ी सब अक़वाल मरजूह हैं। उर्दू दाँ तबक़ा तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाये: (फ़िक्हुस्सलात अज़ मुनीर क़मर: 1/694-706)

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'अहादीसे साबिता इसी बात पर दलालत करती हैं कि सलाते वुस्ता से मुराद नमाज़े अस्र है।' (अल्औसत: 2/367) ख़न्दक़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया था: 'अल्लाह तआला उन समेत उनके घरों और क़ब्रों को आग से भर दे कि उन्होंने हमें सलाते वुस्ता (दरम्यानी नमाज़) से मसरूफ़ रखा यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 111, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 627) ग़ुरूबे शम्स की तसरीह से मालूम हुआ कि रह जाने वाली ये

नमाज़, नमाज़े अ़स्र थी। इसके अलावा सहीह मुस्लिम, हदीस: 628 में तो बसराहत 'सलाते अ़स्र' का ज़िक्र मौजूद है।

बहरहाल नमाज़े अ़स्र में बिला उ़ज्र ताख़ीर दुरुस्त नहीं। अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं कि मैं नमाज़े ज़ुहर पढ़ कर बसरा में हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के घर आया। उनका घर मस्जिद के पहलू में था। उन्होंने पूछा: क्या तुमने अ़स्र पढ़ ली है? हमने जवाब दिया कि अभी हम ज़ुहर से फ़ारिग़ हुए है। सय्यदना अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: अ़स्र पढ़ लो! जब पढ़ ली तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हुए सुना है: 'ये मुनाफ़िक़ की नमाज़ है वह बैठा रहता है, सूरज का मुन्तज़िर रहता है यहाँ तक कि जब वह शैतान के दो सींगों के दरम्यान में होता है तो खड़ा होता है और चार ठोंगे मारता है और उन चार (रकआ़त) में अल्लाह का ज़िक्र थोड़ा ही करता है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 622)

उमर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (رحمه الله) ने एक दिन बवजहे मसरूफ़ियत नमाज़े अ़स्र कुछ लेट कर दी, इस पर उ़रवा बिन ज़ुबैर (رحمه الله) ने उन्हें तम्बीह की और हज़रत अबू मसऊ़द (ﷺ) के हवाले से इमामते जिब्राईल वाली हदीस बतौर दलील पेश की। मतलब ये था कि अ़स्र जल्दी ही पढ़नी चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब वह मदीने के अमीर थे और मसरूफ़ियत की वजह भी अ़वामुन्नास के मसाइल थे। ये इशारा सुनन अबू दाऊद वग़ैरह की हदीस से मिलता है: 'उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा थे और उन्होंने अ़स्र की नमाज़ कुछ लेट कर दी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 394) मालूम होता है कि मुस्तहब वक़्त से कुछ ताख़ीर हुई थी। यही ख़्याल अ़ल्लामा इब्ने अ़ब्दुल बर्र (رحمه الله) वग़ैरह का है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल अ़क़बा शरह सुनन नसाई: 6/450)

वक़्ते मुख़्तार से जानबूझ कर नमाज़ लेट करने को नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसे 'मार देने' के मुतरादिफ़ क़रार दिया है। हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबू ज़र! तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा जब उमरा (हुक्मरान) नमाज़ों को उनके औक़ात से मुअख़्ख़र करके या उन्हें मौत के घाट उतार कर पढ़ेंगे।' उन्होंने जवाबन कहा: आपका क्या इरशाद है? तब नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'बरवक़्त नमाज़ पढ़ लेना। अगर उनके साथ भी नमाज़ मिल जाये तो पढ़ लेना, ये नमाज़ नफ़ल होगी।' मुलाहिज़ा हो: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 648)

मज़कूरा तस्रीहात से यक़ीनन ये बात समझ में आ जाती है कि अ़स्र का वक़्त कब शुरू होता है? नबी-ए-अकरम (ﷺ) की आ़म आ़दते मुबारका क्या थी और सहाबा व ताबेईन का तर्ज़े अ़मल क्या था? लेकिन इसके बावुजूद सरीह नुसूस छोड़ कर मुहतमिल और ग़ैर सरीह या ज़ईफ़ रिवायात की बुनियाद पर

ताख़ीरे अ़स्र को मुस्तहब क़रार देना यक़ीनन ग़ैर माक़ूल और राहे स़वाब से दूरी है और इसकी वजह सिर्फ़ तक़लीदी जमूद और अहादीस़ से बेपरवाही है।

ताख़ीरे अ़स्र की ये राय इमाम अबू हनीफ़ा (ﷀ) की है। इन्तिहा-ए-वक़्ते ज़ुहर और इब्तिदा-ए-वक़्ते अ़स्र के बारे में उनसे चार रिवायात (राय) मन्क़ूल हैं। (दर्स तिर्मिज़ी: 1/395) और हर राय दूसरी से मुख़्तलिफ़ है। मिस्लैन की राय अक्सर अहनाफ़ के नज़दीक मामूल और मुफ़्ता बिही है। इमाम मुहम्मद फ़रमाते हैं: 'हम इसे ही इख़्तियार करते हैं और ये अबू हनीफ़ा (ﷀ) का क़ौल है।' (इअ्ला सुनन: 1/39, दर्से तिर्मिज़ी: 1/395) यानी इमाम स़ाहब के नज़दीक वक़्ते अ़स्र का आग़ाज़ मिस्लैन के बाद होता है। इससे पहले नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (अल्ओसत: 1/330) हाँ, इमाम स़ाहब की जो राय जुम्हूर और स़हीह स़रीह अहादीस़ के मुवाफ़िक़ है, अहनाफ़ के यहाँ वह मतरुक है और वह है मिस्ले अव्वल पर ज़ुहर का इख़्तिताम और अ़स्र का आग़ाज़। उनके यहाँ इमाम स़ाहब (ﷀ) की मुफ़्ता बिही इस शाज़ राय के मुताल्लिक़ इमाम इब्ने मुन्ज़िर (ﷀ) फ़रमाते हैं: 'ये ऐसा क़ौल है जिसके क़ायल ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की स़ाबितशुदा अहादीस़ की मुख़ालिफ़त की है। नज़र व क़यास भी इस पर दलालत नहीं करता। हमारे इल्म के मुताबिक़ उनसे पहले ये बात किसी ने नहीं कही और उनके अस्हाब ने भी इस क़ौल से मुँह मोड़ लिया है, लिहाज़ा उनका क़ौल अकेला ही रह गया है जिसकी कोई हैसियत नहीं।' (अल्औसत: 2/330)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (ﷀ) ने फ़तहुलबारी में फ़रमाया है: 'और किसी अहले इल्म से इसमें मुख़ालिफ़त मन्क़ूल नहीं है, सिवाए इमाम अबू हनीफ़ा के। उनके मशहूर क़ौल के मुताबिक़ अ़स्र का अव्वल वक़्त हर शै के साये के दो मिस्ल होने पर होता हैं क़ुर्तुबी ने कहा: इसमें सब लोग उनके मुख़ालिफ़ हैं यहाँ तक कि उनके शागिर्द भी, यानी जो उनसे (बिला वास्ता) अख़ज़ करने वाले हैं।' (फ़तहुलबारी ह़.: 546)

इमाम नववी (ﷀ) अ़स्र के अव्वल वक़्त पर दलालत करने वाली अहादीस़ की तशरीह में लिखते हैं: 'इन अहादीस़ और इनके बाद की अहादीस़ में इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर उ़लमा के मज़हब की दलील है कि हर शै का साया एक मिस्ल होने पर वक़्ते अ़स्र शुरू हो जाता है। और इमाम अबू हनीफ़ा (ﷀ) ने कहा है कि उस वक़्त तक वक़्ते अ़स्र शुरू नहीं होता जब तक कि साया दो मिस्ल न हो जाये। और ये अहादीस़ और इसके साथ इब्ने अ़ब्बास और हज़रत जाबिर (ﷺ) वग़ैरह की अहादीस़, जो कि बयान औक़ात के मुताल्लिक़ मरवी हैं, जुम्हूर के हक़ में और इमाम स़ाहब के ख़िलाफ़ हुज्जत हैं।' (शरह स़हीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस़: 621)

शैख़ुल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी (رحمه الله) ने शेख़ सलामुल्लाह हनफ़ी से भी इनकी शरह मोत्ता के हवाले से जुम्हूर का मज़कूरा मौक़फ़ नक़ल किया है जिससे शैख़ सलामुल्लाह की जुम्हूर के साथ मुवाफ़िक़त ज़ाहिर होती है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाये: (मैयारे हक़, सफ़ा: 267) अइम्मा व मुहक़्क़िक़ीन के इन तब्सरों के बाद और क्या कहा जा सकता है?

✧ ताख़ीरे अस्र और अफ़ज़लियते ताख़ीर के क़ाइलीन के अहम दलाइल और उनका तहक़ीक़ी जायज़ा : मुनासिब मालूम होता है कि उन अहम दलाइल का बिला इख़्तिसार तहक़ीक़ी तजज़िया किया जाये जिन्हें हामीलीन फ़िक़ा-ए-हनफ़ी अपने मौक़फ़ की ताईद में पेश करते हैं ताकि अहादीस में बज़ाहिर नज़र आने वाला तआरूज़ ख़त्म हो जाये, अहनाफ़ के ये दलाइल नीचे दिये गये हैं:

① मुहम्मद बिन यज़ीद यमानी के तरीक़े से अली बिन शेबान से मरवी है, वह फ़रमाते हैं: 'हम मदीने में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुये। आप अस्र को उस वक़्त तक मुअख़्ख़र करते जब तक सूरज सफ़ेद और साफ़ रहता।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 408)

वज़ाहत: ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है। इसकी सनद में बाप बेटा, मुहम्मद और यज़ीद दोनों मज्हूल हैं। मुहम्मद बिन यज़ीद यमानी को इब्ने अबी हातिम ने मज्हूल कहा है। देखिये: (अल्जिरह वत्तअदील: 8/128)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तक़रीब (सफ़ा: 909, तबअ दारूल आसिम) में इनके मुताल्लिक़ हत्मी फ़ैसला देते हुए उन्हें मज्हूल क़रार दिया है। मजीद देखिये: (मीज़ानुल ऐतदाल: 2/70, व लिसानुल मीज़ान: 5/426, वलमुग़नी, 2/387, वज़्ज़ुअफ़ा वलमतरुकीन: 3/107)

दूसरे रावी यज़ीद बिन अब्दुर्रहमान बिन अली बिन शेबान के बारे में हाफ़िज़ इब्ने हजर(رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'मज्हूल' (अत्तक़रीब, सफ़ा: 1/1079)

अल्लामा ज़हबी (رحمه الله) ने मीज़ानुल ऐतदाल में (لَا يُعْرَفُ) कहा है, लिहाज़ा ये हदीस नाक़ाबिले हुज्जत है। ये उन सहीह अहादीस के मुख़ालिफ़ है जिनमें अस्र की नमाज़ जल्दी पढ़ने का ज़िक्र है। ग़ालिबन इसी मुख़ालिफ़त की वजह से इमाम नववी (رحمه الله) ने इसे (بَاطِلٌ لَا يُعْرَفُ) कह कर रद्द कर दिया है कि ये हदीस बातिल और ग़ैर मारूफ़ है। देखिये: (अलमजमूअ: 3/58)

मुहद्दिस अल्अस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी: 9/148) इसलिए साहिबे 'इअ्लाउस्सुनन' मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी का

इस नाक़ाबिले हुज्जत हदीस़ से ये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं कि ये हदीस़ नबी-ए-अकरम(ﷺ) की तग़य्युरे शम्स से पहले नमाज़े अ़स्र की ताख़ीर की मुवाज़िबत पर दलालत करती है। (इअ़्लाउस्सुनन: 2/37)

② दूसरी हदीस़ जो अहनाफ़ के नज़दीक ताख़ीरे अ़स्र पर स़राहतन दलालत करती है, राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (رضی اللہ عنہ) की हदीस़ है। इसमें है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें देर से अ़स्र पढ़ने का हुक्म फ़रमाया करते थे: (كَانَ يَأْمُرُهُمْ الْعَصْرَ) (सुनन दारक़ुतनी: 1/558, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/443)

वज़ाहत : ये हदीस़ भी सनदन ज़ईफ़ होने की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत है। इसकी सनद में अ़ब्दुल वाहिद बिन नाफ़े या नफ़ीअ़ कलाई अबू रूमाह मुतकल्लिम फ़ीह रावी है।

इसके बारे में इमाम इब्ने हिब्बान फ़रमाते हैं: 'ये अहले हिजाज़ से मक़्लूब और अहले शाम से मौज़ूअ़ (मनघड़त) रिवायात बयान करता है, किताबों में इसका ज़िक्र सिर्फ़ नक़्द व जिरह के तौर पर जायज़ है।' (अल्मजरूहीन: 2/154)

इमाम बुख़ारी (رحمه الله) बवास्त-ए-मूसा बिन इस्माईल अ़ब्दुल वाहिद बिन नाफ़े के तरीक़ से मन्क़ूल इस रिवायत के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: 'इसकी मुताबिअ़त नहीं की जाती।' (तारीख़ अलकबीर: 5/89) यानी ये हदीस़ बयान करने में अ़ब्दुल वाहिद मुतफ़र्रिद है और है भी मुतकल्लिम फ़ीह।

मीज़ानुल ऐ़तदाल में अ़ल्लामा ज़हबी (رحمه الله) ने इमाम इब्नुल क़त्तान के हवाले से इसे मज्हूलुलहाल क़रार दिया है। (अलमीज़ान: 2/677) मज़ीद देखिये: (नसबुर्रअ़्या मन्फ़िअ़त: 1/245, वलमुग़नी फ़ी फ़िज़्ज़ुअ़फ़ा, रक़म: 3878, वताजील मन्फ़िअ़त, रक़म: 675)

इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए इमाम दारक़ुतनी (رحمه الله) इस हदीस़ के बाद फ़रमाते हैं: 'ये हदीस़ अ़ब्दुल वाहिद की वजह से ज़ईफ़ुल इस्नाद है क्योंकि इब्ने राफ़ेअ़ बिन ख़दीज से ये हदीस़ इसके सिवा कोई और बयान नहीं करता ..... स़हाबा-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) में से ये हदीस़ न तो राफ़ेअ़ से और न किसी दूसरे स़हाबी से स़ही तौर पर स़ाबित है, हाँ! राफ़ेअ़ बिन ख़दीज और दीगर स़हाबा-ए-किराम (رضی اللہ عنہم) से जो स़ही तौर पर स़ाबित है वह इसके बर ख़िलाफ़ है, और वह है ताजीले अ़स्र, यानी नमाज़े अ़स्र जल्द पढ़ना।' (सुनन दारेक़ुतनी: 1/558)

गोया इमाम अल्जिरह वत्तअ़्दील मारूफ़ नक़ादे हदीस़ (परखने वाला) हदीस़ इमाम दारेक़ुतनी (رحمه الله) के नज़दीक ये हदीस़ किसी स़हाबी से स़ही सनद से स़ाबित नहीं। इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله) ने भी इस हदीस़ को ज़ईफ़ क़रार दिया है। उन्होंने ताजीले अ़स्र के हवाले से 'वफ़ील बाबी' में मुख़्तलिफ़

सहाबा-ए-किराम (ﷺ) का हवाला देते हुए आख़िर में फ़रमाया: 'राफ़ेअ बिन ख़दीज से नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हवाले से ताख़ीरे अस्र की रिवायत भी मन्क़ूल है लेकिन वह सही नहीं है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 159)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) की इस तसरीह की वजह ये है कि उन्होंने 'वफ़ील बाबी' में राफ़ेअ बिन ख़दीज के हवाले से ताजीले अस्र की रिवायत का इशारा किया है जबकि उनसे ताख़ीरे अस्र की रिवायत भी मन्क़ूल है, इसलिए इमाम साहब ने इस पर तम्बीह करना ज़रूरी समझा। इमाम नववी(رحمه الله) ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिये: (अलमजमूअ: 3/58)

अलहासिल: अइम्म-ए-फ़न की तसरीहात की रोशनी में ये रिवायत भी मरदूद और नाक़ाबिले हुज्जत है।

③ ताख़ीरे अस्र के क़ायलीन की तीसरी दलील सय्यदना अली (ﷺ) का वह असर है जो अब्बास बिन ज़रीह बवास्ता ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह (अब्दुर्रहमान) अली (ﷺ) से मन्क़ूल है। इसमें है कि हम मस्जिदुल आज़म में अली (ﷺ) के हमराह बैठे हुए थे। उन दिनों कूफ़ा बांस और लकड़ियों के झोंपड़ों पर मुश्तमिल था। मुअज़्ज़िन आया और उसने नमाज़े अस्र के लिए अमीरुल मोमिनीन को आवाज़ दी। आपने फ़रमाया: बैठ जाओ, वह बैठ गया, फिर उसने दोबारा यही बात कही तो अली(ﷺ) ने फ़रमाया: ये कुत्ता हमें सुन्नत की तालीम देता है। फिर हज़रत अली (ﷺ) खड़े हुए, हमें अस्र की नमाज़ पढ़ाई, उसके बाद हम पलटे और उसी जगह चले गये जहाँ पहले बैठे हुए थे, फिर हम अपने घुटनों पर बैठ कर सूरज गुरूब होते हुए देख रहे थे। (सुनन दारक़ुतनी: 1/557, वलमुस्तदरक हाकिम: 1/192)

वज़ाहत : ये असर सनदन ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह (या अब्दुर्रहमान नख़ई) मज्हूलुल ऐन है। इमाम दारक़ुतनी (رحمه الله) इस हदीस के बाद फ़रमाते हैं: 'ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह मज्हूल है, ये हदीस इससे अब्बास बिन ज़रीह के सिवा कोई रिवायत नहीं करता।' (सुनन दारक़ुतनी: 1/557, वलमीज़ान: 2/91)

जबकि इमाम हाकिम (رحمه الله) ने मज़कूरा रिवायत के बाद फ़रमाया है कि ये हदीस सही है लेकिन शैख़ैन ने इसके रावियों को क़ाबिले हुज्जत समझने के बावुजूद इसे ज़िक्र नहीं किया और इमाम ज़हबी ने इनकी मुवाफ़िक़त की है। लेकिन ये उनका वहम है क्योंकि मज़कूरा रावी मज्हूल है, शैख़ैन(رحمهما الله) ऐसे रावी को कब क़ाबिले हुज्जत समझते हैं, फिर सिर्फ़ इमाम हाकिम (رحمه الله) की तस्हीह भी तो महल्ले नज़र है जैसा कि इसके मुताल्लिक़ अइम्म-ए-फ़न की तसरीह मौजूद है।

इस रिवायत पर इमाम ज़हबी की मुवाफ़िक़त भी ताज्जुब ख़ेज़ है क्योंकि उन्होंने अपनी किताब 'दीवानुलज़्ज़ुअफ़ा वलमतरुकीन' (1/308) और 'अलमुग़नी फ़िज़्ज़ुअफ़ा' (1/374) वग़ैरह में ख़ुद ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह को इमाम दारक़ुतनी के हवाले से मज्हूल क़रार दिया है, लिहाज़ा जिस रिवायत की सनद में मज्हूल रावी हो और उसकी ठोस मुताबिअत या शाहिद भी मौजूद न हो तो वह कैसे सही हो सकती है? और अल्लामा ज़ेल्ई (ﷺ) पर भी हैरान है कि ऊपर दी गई हदीसे राफ़ेअ और ज़ेरे बहस हदीस के बारे में उलमा-ए-जिरह व तादील की तज़ईफ़ नक़ल करने के बावुजूद भी अपने मरजूह मौक़फ़ की ताईद में यूँ फ़रमाते हैं कि वह अहादीस जो हमारे मौक़फ़ की ताईद करती हैं ... ग़ौर फ़रमायें! कैसी ताईद? हाँ, ज़ईफ़ मौक़फ़ की ताईद, ज़ईफ़ अहादीस से। फिर असरे अली के बाद उनका ये फ़रमाना: 'ये असर हुक्मन मरफ़ूअ या उसके क़रीब क़रीब है।' दुरुस्त नहीं क्योंकि सनदन तो ये साक़ितुल ऐतबार है।' देखिये: (नसबुर्रअ्या: 1/246)

④ ताख़ीरे अस्र की अफ़ज़लियत के क़ायलीन की चौथी दलील हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) की दर्ज ज़ेल हदीस है: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) तुम्हारी निस्बत ज़ुहर की नमाज़ बहुत जल्द पढ़ते थे और तुम अस्र उनसे बहुत जल्द पढ़ते हो।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 161)

ग़ौर फ़रमायें तो हदीस का मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम ज़ुहर की नमाज़ नबी (ﷺ) के मामूल से लेट पढ़ते हो जबकि आप (ﷺ) बहुत जल्द पढ़ लिया करते थे और तुम अस्र की नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से भी पहले पढ़ते हो, यानी तुम्हारी अस्र रसूलुल्लाह (ﷺ) की निस्बत भी पहले होती है, ये दुरुस्त नहीं। ये है इस हदीस का सही मफ़हूम। अलग़र्ज़ जो हदीस ताख़ीरे अस्र के इस्तिहबाब के तौर पर पेश की गई, वह तो ताजीले अस्र पर दलालत करती है और अपने ही मौक़फ़ के ख़िलाफ़ निकली। लो आप अपने दाम में सियाद आ गया।

मौलाना अब्दुल हई लखनवी (ﷺ) अत्तालीक़ुल मुम्जिद में इसकी वज़ाहत करते हुए फ़रमाते हैं: 'ये हदीस अस्र की निस्बत ज़ुहर कुछ ज़्यादा जल्दी पढ़ने पर दलालत करती है न कि ताख़ीरे अस्र की अफ़ज़लियत पर दलालत करती है।' (बहवाला तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/424)

बहरहाल मज़कूरा हदीस से ताख़ीरे अस्र के इस्तिहबाब पर इस्तिदलाल करना सीनाज़ोरी है। सियाक़ और अल्फ़ाज़ से इस मफ़हूम की क़तअन ताईद नहीं होती।

ये हैं वह चार बुनियादी दलीलें जिन्हें अहनाफ़ अपने मौक़फ़ की ताईद में बड़े ज़ोर व शोर से पेश करते हैं। पहली तीन दलीलें तो ज़ईफ़ हैं और मुअख़्ख़र अज़्ज़िक्र सही लेकिन इससे वजहे इस्तिदलाल

बातिल है, इसी लिए मौलाना अब्दुल हई हनफ़ी (ﷺ) ने अहक़ाक़े हक़ के पेशे नज़र ताख़ीरे अस्र की अफ़ज़लियत पर दलालत करने वाले पेश करदा दलाइल का तहक़ीक़ी जायज़ा लेते हुए उन्हें नाक़ाबिले हुज्जत व इस्तिनाद क़रार दिया है। वह फ़रमाते हैं: 'इन अहादीस़ से इस्तिनाद करने (हुज्जत पकड़ने) में जो (कमज़ोरी) है, माहिरे हदीस़ पर मख़फ़ी नहीं।' देखिये: (अत्तालीक़ुल मुम्जिद बहवाला तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/421)

ख़ुलासा-ए-कलाम : अस्र का आग़ाज़ मिस्ले अव्वल के इख़्तिताम पर होता है। ज़ुहर और अस्र के वक़्त में कोई इश्तिराक नहीं। अस्र का वक़्ते मुख़्तियार मिस्ल अव्वल से लेकर इस्फ़रारे शम्स (सूरज के जर्द होने) से पहले तक है, जबकि वक़्ते जवाज़ बवजह-ए-उज़्र ग़ुरूबे शम्स से पहले एक रकअत पा लेने तक है। दलाइल से इसी मौक़फ़ की ताईद होती है। इसके बरअक्स मौक़फ़ इमाम अबू हनीफ़ा(ﷺ) का है। उनके नज़दीक अस्र का वक़्त मिस्लैन के बाद होता है। इससे पहले नमाज़े अस्र पढ़ना जायज़ नहीं, उनकी यही राय मुफ़्ता बिही है। अम्लन अक्सर अहनाफ़ इसी के क़ायल व फ़ाइल हैं। इमाम साहब (ﷺ) अपनी इस राय में बिल्कुल अकेले हैं। किताब व सुन्नत की किसी सरीह सहीह दलील से उनके मौक़फ़ की ताईद नहीं होती। ये मौक़फ़ सरीह रिवायात के बिल्कुल मुख़ालिफ़ है। अक़ीदत मन्दों ने इस शाज़ राय की तौसीक़ और इस्बात के लिए ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगाया है जिसकी वजह से सही और सरीह अहादीस़ को तख़्त-ए-मश्क़ बनाया गया, हालांकि इस मौक़फ़ में साहिबैन भी अपने शैख़ के मुख़ालिफ़ हैं। उन्होंने सरीह और सही अहादीस़ की रोशनी में जुम्हूर ही का मौक़फ़ इख़्तियार किया है।

याद रहे! इमाम अबू हनीफ़ा (ﷺ) से सरीह सही अहादीस़ और जुम्हूर की राय के मुताबिक़ भी एक राय मन्क़ूल है लेकिन ये इत्तिफ़ाक़े राय अक्सर हामीलीने फ़िक़्हा-ए-हनफ़ी को एक नज़र नहीं भाती।

इसी तर्ज़े तक़लीद से रंजीदा होकर इमाम इब्ने क़य्यिम (ﷺ) ने इस रवैये को रद्दे सुन्नत से ताबीर किया है। वह फ़रमाते हैं कि जब हर चीज़ का साया उसके मिस्ल हो जाये तो अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है। सहाबा-ए-किराम (ﷺ) नबी (ﷺ) के साथ अस्र की नमाज़ पढ़ते थे, फिर कोई एक अवाली मुक़ाम की तरफ़ जाता जो तक़रीबन चार मील के फ़ासले पर वाक़ेअ था तो सूरज उस वक़्त तक बुलन्द होता था। हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं: हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने असर की नमाज़ पढ़ाई तो बनू सलमा का एक फ़र्द आपकी ख़िदमते आलिया में हाज़िर हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल! हम ऊँट ज़िबह करना चाहते हैं। हमारी ख़्वाहिश है कि आप भी तशरीफ़ लायें। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: ठीक है। आप चले और हम भी आपके साथ चल पड़े। देखा तो ऊँट अभी तक ज़िबह नहीं हुए थे, चुनांचे ऊँट

ज़िबह किये गये, उन्हें काटा गया और उसमें से कुछ गोश्त पकाया गया, फिर हमने इसमें से गुरूबे आफ़ताब से पहले कुछ खाया। (सहीह मुस्लिम, हदीस: (172)-612) इन अहादीस की कोई मुआरिज़ (मुख़ालिफ़) दलील नहीं है, न तो सेहत में और न सराहत व बयान में। लेकिन ये अहादीस व सुनन इस मुज्मल (जो तफ्सील की हामिल हो) हदीस की वजह से रद कर दी गई हैं: (مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ) (सहीह बुख़ारी, हदीस: 2468)

और अफ़सोस करते हुए फ़रमाते हैं: हाय ताज्जुब! इस हदीस में दलालत की कौनसी क़िस्म है कि अस्र का वक़्त उस वक़्त तक शुरू नहीं होता जब तक साया दो मिस्ल न हो जाये। ये हदीस सिर्फ़ इस बात पर दलालत करती है कि नमाज़े अस्र से गुरूबे आफ़ताब तक का वक़्त निस्फ़ुनिहार से अस्र तक के वक़्त से कम है। और इसमें कोई शक नहीं। देखिये: (इअ्लामिल मुवक़्क़िईन: 2/364, 365)

इन इख़्तिलाफ़ात से क़तअे नज़र, कुर्आन व हदीस के आम दलाइल की रोशनी में भी नेकी के तमाम आमाल में मुसाबिक़त व मुसारिअत (जल्दी करने) ही का हुक्म है। इरशादे बारी तआला है: 'और अपने रब की बख़्शिश की तरफ़ जल्दी करो।' (आले इमरान: 3/238) और इरशाद है: 'नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ो।' (अलबक़र: 2/14) मज़ीद फ़रमाया: 'और सब्क़त ले जाने वाले तो सब्क़त ही ले जाने वाले हैं। यही लोग मुक़र्रब हैं।' (सूरह वाक़िआ: 56/10, 11) हाँ जो इस आम उसूल से दलील की बिना पर मुस्तस्ना चीज़ें हैं, वह ख़ारिज होंगी जैसे नमाज़े ईशा कि इसमें ताख़ीर अफ़ज़ल है और जुहर कि शिद्दते हरारत में अबराद मुस्तहब है, जबकि बाक़ी नमाज़ों में ताजील व मुसारअत ही अफ़ज़ल है। वबिल्लाहित्तोफ़ीक़। मज़ीद देखिये: (महल्ली इब्ने हज़्म: 3/182)

✧ **वक़्ते मग़रिब की इब्तिदा व इन्तिहा :** जब सूरज की पूरी टिकया उफ़ुक़ (आसमान) में ग़ायब हो जाये तो मग़रिब का वक़्त शुरू हो जाता है। हदीस जिब्रईल में सराहत है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) को जिब्रईल(عليه السلام) ने दो दिन सूरज गुरूब होते ही नमाज़ पढ़ाई है: (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 149)

सहीह मुस्लिम में है: 'और मग़रिब का वक़्त उस वक़्त तक है जब तक कि शफ़क़ (आसमान की सुर्ख़ी) गायब न हो जाये।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: (172)-612)

इमाम इब्ने मुन्ज़िर के बक़ौल नमाज़े मग़रिब जल्दी पढ़ने पर अहले इल्म का इज्मा है और ये अफ़ज़ल है। वह फ़रमाते हैं: (وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ التَّعْجِيلَ بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَفْضَلُ) (अल्औसत: 2/369)

सलमा बिन अक्वअ (ﷺ) से मरवी है: 'यक़ीनन रसूलुल्लाह (ﷺ) मग़रिब की नमाज़ उस वक़्त पढ़ा करते थे जब सूरज ग़ुरूब हो जाता और पर्दे में छुप जाता था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 561, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 636)

राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से मन्क़ूल है : 'हम नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़े मग़रिब पढ़ा करते थे और हममें से जब कोई नमाज़ से फ़ारिग़ होता तो अपने तीर के गिरने की जगह देख लेता था।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 559, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 637, व इरवाउलग़लील: 1/277)

मक़सूद ये है कि अभी तक रोशनी होती थी, अंधेरा नहीं छाया होता था।

इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मज़कूरा दोनों हदीसें इस बात की दलील हैं कि ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद नमाज़े मग़रिब जल्द पढ़ लेनी चाहिए। इस बात पर इज्मा है .... जिन अहादीस में शफ़क़ के ग़ायब होने पर नमाज़े मग़रिब पढ़ने का ज़िक्र है, वह बयाने जवाज़े के लिए हैं। सानियन: वह किसी सवाल करने वाले के जवाब में थीं। और ये दोनों अहादीस नबी (ﷺ) की आदते मुबारका के बारे में हैं जिन पर आप (ﷺ) सिवाये उज़्र के मुसल्सल क़ायम रहे, लिहाज़ा उन्हीं पर ऐतमाद होगा। (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 5/190, हदीस: 637)

मुग़नी में है: 'जब सूरज ग़ुरूब हो जाये तो नमाज़े मग़रिब वाजिब हो जाती है और उसे शफ़क़ के ग़ायब होने तक मुअख़्ख़र करना मुस्तहब नहीं है।' (अलमुग़नी: 1/424) लेकिन वक़्ते अदा ग़ुरूबे शफ़क़ तक रहता है।

मालूम हुआ मग़रिब का वक़्त वसीअ है और यही बात राजेह है। अहनाफ़ का यही क़ौल है। इब्नुल अरबी (رحمه الله) के नज़दीक इमाम मालिक का राजेह क़ौल भी यही है। देखिये: (अलक़ब्स: 1/58) और शवाफ़ेअ का क़ौले मुहक़्क़िक़ भी यही है। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 5/155, हदीस: 612)

अलग़र्ज़ दलाइल की रोशनी में वुजूबे मग़रिब का अव्वल वक़्त ग़ुरूबे आफ़ताब है, और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये भी मालूम हुआ कि ये वक़्त ग़ुरूबे शफ़क़ तक बाक़ी रहता है। लेकिन यहाँ एक इश्काल वारिद होता है, वह ये कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) को जिब्राईल (عليه السلام) ने दो दिन ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद ही नमाज़ पढ़ाई है। इससे यूँ लगता है कि मग़रिब का वक़्त मुवस्सअ (शफ़क़ के ग़ायब होने तक वसीअ) नहीं बल्कि मुज़य्यक़ (तंग) है, यानी इसकी अदायगी के लिए सिर्फ़ यही वक़्त है। लेकिन ये ख़्याल मरजूह है। उलमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने इसका जवाब ये दिया है कि हदीसे जिब्राईल में मग़रिब के मुस्तहब वक़्त का ज़िक्र है और हदीसे अब्दुल्लाह बिन अम्र में जो आता है: 'मग़रिब का वक़्त उस वक़्त

तक रहता है जब तक शफ़क़ की सुर्ख़ी ख़त्म न हो।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 612) वह वक़्ते जवाज़ है, फिर हदीसे जिब्रईल में फ़ेअल है और इसमें आपका क़ौल है। यक़ीनन क़ौल व फ़ेअल के तआरूज़ के वक़्त क़ौल को तर्जीह होती है, कमा फ़ी कुतुब अलउसूल। इसी तरह हज़रत बुरैदा (ﷺ) की हदीस भी इसके जवाज़ पर दलालत करती है कि जिसमें एक साइल के जवाब में नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अम्लन दो दिन नमाज़ पढ़ कर सिखाई। दूसरे दिन जब नमाज़ पढ़ाई तो सराहत है: 'आपने मग़रिब ग़ुरूबे शफ़क़ से पहले पढ़ाई।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 613) फिर ये भी है कि हदीसे जिब्रईल मुतक़द्दिम, यानी मक्की दौर की और हदीसे बुरैदा वग़ैरह मुताख़िर, यानी मदनी दौर की हैं, यक़ीनन तर्जीह मुताख़िर अमल को होगी। इससे मालूम हुआ कि मग़रिब का वक़्त ग़ुरूबे शफ़क़ से पहले तक रहता है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (शरह सहीह मुस्लिम, लिन्नववी: 5156, व नलामुल मुक़िईन: 2/364 वग़ैरह)

✧ **शफ़क़ का मानी व मफ़हूम :** अगरचे क़ौले मुहक़्क़िक़ के मुताबिक़ मग़रिब का वक़्त मुवस्सअ (कुशादा) है और ग़ुरूबे शफ़क़ तक रहता है लेकिन शफ़क़ के मानी और मफ़हूम में इख़्तिलाफ़ है कि क्या इससे मुराद ग़ुरूबे आफ़ताब के फ़ौरन बाद मग़रिब उफ़ुक़ पर नमूदार होने वाली सुर्ख़ी है या वह सफ़ेदी जो सुर्ख़ी ग़ायब होने के बाद होती है? जुम्हूर अहले लुग़त, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा-ए-इज़ाम के यहाँ इससे मुराद वह सुर्ख़ी है जो ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद मग़रिबी जानिब में रूनुमा होती और उफ़ुक़ पर फैली होती है। जब ये सुर्ख़ी इख़्तिताम पज़ीर और उफ़ुक़ से ग़ायब हो जाती है तो उसे ग़ुरूबे शफ़क़ कहा जाता है। ये नमाज़े ईशा के अव्वल वक़्त और नमाज़े मग़रिब के इन्तिहा-ए-वक़्त की अलामत है। दलाइल व बराहीन की रोशनी में यही मौक़फ़ राजेह है। मुलाहिज़ा फ़रमाये:

जलीलुल क़द्र सहाबी-ए-रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से बसनदे सहीह मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: 'शफ़क़ से मुराद सुर्ख़ी है।' (सुनन दारक़ुतनी: 1/588, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/373)

इस तफ़्सीर के तहत बुलूग़ुल मराम की शरह में अल्लामा सनआनी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'मैं कहता हूँ: बहस लुग़वी है। इसमें असल मरजअ अहले लुग़त हैं और इब्ने उमर (ﷺ) ख़ालिस अरबी नस्ल और अहले लुग़त में से हैं, लिहाज़ा उनका कलाम हुज्जत है अगरचे ये उनका मौक़फ़ असर है।' (सुबुलुस्सलाम: 1/210) और अल्लामा सनआनी ने (فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) की तफ़्सीर में भी यही मानी किये हैं। (तफ़्सीर ग़रीब अलक़ुर्आन लिस्सनआनी, सफ़ा: 204)

✧ मोतबर अइम्म-ए-लुग़त की तसरीहात :

① मौजिदे इल्मे अरूज़, इमामे लुग़त ख़लील बिन अहमद (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद वह सुर्ख़ी है जो ग़ुरूबे आफ़ताब से वक़्ते ईशा तक बाक़ी रहती है।' (किताबुल ऐन, सफ़ा: 486)

② इब्ने फ़ारिस फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद वह सुर्ख़ी है जो ग़ुरूबे आफ़ताब के वक़्त आसमान पर नज़र आती है।' (मुअज्जम मक़ायीस अल्लुग़त: 3/198)

③ फिर अपनी सनद से ख़लील बिन अहमद का क़ौल भी नक़ल करते हैं। देखिये: (मुअज्जम मक़ायीस अल्लुग़त: 3/395) इसके बाद इमाम मुजाहिद और मक़ातिल से भी शफ़क़ के मानी 'सुर्ख़ी' ही नक़ल करते हैं।

④ इमाम ज़जाज फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद वह सुर्ख़ी है जो मग़रिब में ग़ुरूबे शम्स के बाद नज़र आती है।' (मुअज्जम मक़ायीस अल्लुग़त: 3/395)

⑤ इमाम फ़राअ फ़रमाते हैं कि शफ़क़ से मुराद हमरा, यानी सुर्ख़ी है। मज़ीद कहते हैं: 'मैंने कुछ अरब को ये कहते हुए सुना कि इस पर रंगा हुआ कपड़ा है जैसे कि वह शफ़क़ है, देखा तो वह सुर्ख़ था।' (मुअज्जम मक़ायीस अल्लुग़त: 3/198) मज़कूरा इबारत के बाद अल्लामा फ़ारिस ने फ़रमाया है कि ये क़ौले हमरा का शाहिद है।

⑥ अल्लामा फ़ीरोज़ाबादी फ़रमाते हैं: 'ग़ुरूबे आफ़ताब से नमाज़े ईशा या उसके क़रीब क़रीब उफ़ुक़ पर मुन्तसिर सुर्ख़ी को कहते हैं। (अल्क़ामूसुल मुहीत, सफ़ा: 897, मादा: शफ़क़)

⑦ अल्क़ामूसुल मुहीत की शरह में अल्लामा मुर्तज़ा ज़ुबैदी हनफ़ी ने मुख़्तलिफ़ अइम्म-ए-लुग़त से शफ़क़ के मानी 'हमरा' हैं: तो फ़रमाते हैं: 'ये (क़ायलीन) हमरा का शाहिद है।' (ताज अलअरूस: 13/244)

⑧ अल्लामा जोहरी का भी यही क़ौल है। ताईद में उन्होंने ख़लील और फ़राअ का क़ौल पेश किया है। देखिये: (अस्सिहाह: 4/1239)

⑨ अल्लामा राग़िब फ़रमाते हैं: 'ग़ुरूबे आफ़ताब के वक़्त दिन की रोशनी का रात की तारीकी से इख़्तिलात शफ़क़ कहलाता है।' (मुफ़रदातुल क़ुर्आन, सफ़ा: 267)

⑩ ये कुछ मोतबर अइम्म-ए-लुग़त की तसरीहात हैं जिनसे बख़ूबी अन्दाज़ा हो जाता है कि शफ़क़ से मुराद 'हमरा' यानी सुर्ख़ी है। मज़ीद देखिये: (अल्मिस्बाहुल मुनीर लिफ़्फ़ुयूमी, सफ़ा: 461)

इमाम नववी (رحمه الله) ने अल्लामा अज़हरी और इब्ने दरीद के हवाले से भी यही मानी नक़ल किये हैं। देखिये: (अलमजमूअ: 3/45) मज़ीद फ़रमाते हैं: 'क़ाबिले ऐतमाद बात यही है कि अरब के यहाँ शफ़क़ के मारूफ़ मानी हमरा (सुर्ख़ी) के हैं। ये उनके अशआर और नस्र में मशहूर हैं मज़ीद बरां ये कि इस पर अहले लुग़त की नक़ल व रिवायत भी दलालत करती है।' सहीह मुस्लिम की हदीस से इस्तिदलाल करते हुए फ़रमाते हैं कि सौरान (जिसके मानी सुर्ख़ी की तेज़ी और उसकी चमक के हैं) अहमर (सुर्ख़ चीज़) की सिफ़त है, न कि अब्यज़ (सफ़ेद चीज़) की, यानी जब तक शफ़क़ की सुर्ख़ी न हो मग़रिब का वक़्त बाक़ी रहता है। (अलमजमूअ: 3/39)

शैख़ुल इस्लाम (رحمه الله) ने भी यही इस्तिदलाल किया है और मज़ीद वज़ाहत से इसे बयान किया है। देखिये: (शरह अल्उमदा: 2/175)

✧ **अइम्मा व मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा की तसरीहात :** इमाम नववी ने इमाम बैहक़ी के हवाले से कई सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) का यही मौक़िफ़ नक़ल किया है कि इस शफ़क़ से मुराद मग़रिबी उफ़ुक़ पर मौजूद सुर्ख़ी है। इनमें उमर बिन ख़त्ताब, अली बिन अबू तालिब, इब्ने उमर, इब्ने अब्बास, अबू हुरैरह, उबादा बिन सामित और शद्दाद बिन औस (رضي الله عنهم) हैं, और मक्हूल और सुफ़ियान सौरी का मौक़िफ़ भी यही है। (अलमजमूअ: 3/44, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 1/373)

इमाम इब्ने मुन्ज़िर (رحمه الله) ने मज़ीद जिन अइम्मा का ज़िक्र किया है, वह ये हैं: मालिक बिन अनस, इब्ने अबी लैला, शाफ़ेई, अहमद, इस्हाक़, अबू सौर, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद(رحمه الله).... (अल्औसत: 2/340)

इमाम इब्ने हज़म (رحمه الله) भी हदीस में वारिद लफ़्ज़ 'शफ़क़' से शफ़क़े अहमर ही मुराद लेते हैं। (महल्ली इब्ने हज़म: 3/192)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) का भी यही मौक़िफ़ है, दलाइल की रोशनी में इसका इस्बात करते हुए फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ की दो क़िस्में हैं: शफ़क़े अहमर (सुर्ख़) और दूसरी शफ़क़े अबयज़ (सफ़ेद) ऐतबार शफ़क़े अहमर के ग़ायब होने का है, लिहाज़ा जब (सुर्ख़ी) ग़ायब हो जाये तो ईशा का वक़्त शुरू हो जाता है।' (शरह अल्उमदा: 2/174)

इमाम फ़राअ के क़ौल: (عَلَيْهِ ثَوْبٌ كَأَنَّهُ الشَّفَقُ وَكَانَ أَحْمَرَ) से इस्तिदलाल करते हुए फ़रमाते हैं: इसलिए अक्सर मुफ़स्सिरीन (رحمه الله) ने अल्लाह तआला के फ़रमान (فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) से मुराद सुर्ख़ी और सुर्ख़ी से पहले दिन की रोशनी मुराद ली है, फिर कहते हैं: 'अक्सर और अकाबिर सहाब-ए-किराम

(ﷺ) शफ़क़ से सुर्ख़ी ही समझते हैं।' (शरह अलउमदा शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/175, 176)

और शैख़ुल इस्लाम (ﷺ) ने इस मौक़फ़ की ताईद में कई दलाइल देते हुए मुसनद अहमद वग़ैरह की उस हदीस़ से भी इस्तिदलाल किया है जिसमें ये स़राहत है: 'फिर आप (ﷺ) ने गुरूबे शफ़क़ से पहले ईशा की नमाज़ पढ़ाई।' जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) की ये मुफ़स्सल रिवायत अगरचे मुसनद अहमद: (3/351) वग़ैरह में मौजूद है लेकिन मतलूबा हिस़्सा मुझे इसमें नहीं मिला, अलबत्ता ये टुकड़ा शरह मआनी वल्आस़ार (1/147) और अस्सुननिल कुब्रा लिल बैहक़ी (1/373) में मौजूद है।

अ़ल्लामा तहावी (ﷺ) ने इसकी स़ेहत के हवाले से तो कुछ नहीं फ़रमाया, अलबत्ता इस टुकड़े से जो इस्तिदलाल शैख़ुल इस्लाम (ﷺ) ने किया है, वही इस्तिदलाल उनसे पहले इमाम तहावी (ﷺ) भी कर चुके हैं, जबकि इमाम बैहक़ी (ﷺ) इस हदीस़ को इख़्तिस़ार से ज़िक्र करने के बाद इस इज़ाफ़े को ज़िक्र करते हुए बायें अल्फ़ाज़ इसके शुज़ूज़ की तरफ़ इशारा करते हैं: 'मज़कूरा अल्फ़ाज़ इस मौज़ूअ की दीगर रिवायात के ख़िलाफ़ हैं।' जबकि अ़ल्लामा तहावी और शैख़ुल इस्लाम ने इस इज़ाफ़े को हुज्जत मानते हुए मुतआरिज़ दलाइल के दरम्यान ये तत्बीक़ दी है कि ये बात मालूम है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े ईशा शफ़क़े अहमर से पहले नहीं पढ़ी जिसका स़ाफ़ मतलब ये है कि तब आपने ये नमाज़ शफ़क़े अब्यज़ से पहले पढ़ी है। (शरह अल्उम्दा शैख़ुल इस्लाम: 2/175) गोया ये इस बात की क़वी दलील है कि शफ़क़े अहमर के गुरूब होने पर नमाज़े ईशा का वक़्त शुरू हो जाता है, और इससे लफ़्ज़ शफ़क़ के मानी का तअय्युन भी नबी (ﷺ) के अ़मल से हो जाता है। वल्लाहु आलम!

दुरे मुख़्तार में है: 'शफ़क़ से मुराद स़ाहिबैन के नज़दीक हमरा (सुर्ख़ी) है। अइम्मा-ए स़लास़ा (मालिक, शाफ़ेई और अहमद) का यही क़ौल है। इमाम अबू हनीफ़ा (ﷺ) ने भी इसी तरफ़ रुजूअ फ़रमा लिया था जैसा कि मजमूअ की शरह वग़ैरह में है, लिहाज़ा (मुफ़्ता बिही) मज़हब यही है।' (दुरेमुख़्तार: 1/361) सदरूश्शरीआ ने भी यही फ़तवा दिया है। 'अलमवाहिब' में भी इसी के मुताबिक़ फ़तवा बताया गया है और 'अलबुरहान' में भी इसी को तर्जीह दी गई है।

अलग़र्ज़ यूँ अइम्म-ए-अरबआ शफ़क़ के मानी 'सुर्ख़ी' पर मुत्तफ़िक़ हो गये हैं। (मज़ीद तफ़्सील के लिए रद्दिल मुख़्तार: 1/361 का हाशिया मुलाहिज़ा फ़रमाइये।) इमाम ज़मख़्शरी ने भी इमाम स़ाहब का रुजूअ असद बिन अ़म्र के हवाले से ज़िक्र किया है। वह फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद सुर्ख़ी है जो मग़रिब में दिखाई देती है .... असद बिन अ़म्र ने इमाम स़ाहब का रुजूअ नक़्ल किया है।' (अल्कश्शाफ़: 4/727) लेकिन कुछ अहनाफ़ ने इमाम स़ाहब के इस रुजूअ की तर्दीद की हैं बहरहाल मोतबर अहनाफ़

इमाम साहब के रुजूअ के क़ायल हैं और यही बात अज़हर लगती है।

अल्लामा मुल्ला अली क़ारी हनफ़ी (رحمه الله) ने भी 'शफ़क़' के मानी 'सुर्ख़ी' ही को तर्जीह दी है, फ़रमाते हैं: 'शफ़क़' गुरूबे शम्स के फ़ोरन बाद नुमायाँ होने वाली सुर्ख़ी को कहते हैं। ये शाफ़ेई, अबू युसूफ़ और मुहम्मद का मौक़फ़ है और यही बात इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है और इसी के मुताबिक़ फ़तवा दिया जाता है।' (अल्मिरकात: 2/264, हदीस: 581)

इमाम शोकानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ भी यही है। वह फ़रमाते हैं: 'मग़रिब का आख़िरी वक़्त गुरूबे शफ़क़ अहमर है।' (अस्सबीलुल जरार: 1/408)

अद्दुरूल बहिय्यह में भी इनका यही मौक़फ़ है। इसकी शरह में नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ फ़रमाते हैं: 'तमाम कुतुबे लुग़त इस (शफ़क़ अहमर) की तसरीह करती हैं। तमाम अशआरे अरब और जो उनके बाद के हैं, वह भी इस मफ़हूम की ताईद करते हैं, लिहाज़ा जो ये गुमान करता है कि अहले लुग़त या अहले शरह की ज़बान में बयाज़ (सफ़ेदी) पर भी शफ़क़ का इत्लाक़ होता है तो उस पर दलील पेश करना लाज़िम है लेकिन इसकी कोई दलील नहीं।' मज़ीद फ़रमाते हैं कि अगर इसका इत्लाक़ बिल फ़र्ज़ शफ़क़े अब्यज़ पर होता भी हो तो वह नादिर है जबकि ऐतबार अग़लब और आम इस्तेमाल का है, लिहाज़ा आम और अग़लब इस्तेमाल छोड़ कर नादिर और शाज़ मानी मुराद लेना दुरुस्त नहीं। (अर्रोज़तुन्नदिय्या: 1/228, 229, बतसरूफ़)

नवाब साहब (رحمه الله) का सिरे से शफ़क़े अब्यज़ का इंकार तो मुबालग़े पर महमूल है क्योंकि सअलब वग़ैरह से इसकी तसरीह मौजूद है, और अल्लामा इब्ने असीर (رحمه الله) ने लफ़्ज़े शफ़क़ को अज़्दाद में शुमार किया है। (अन्निहाया फ़ी ग़रीबिल हदीस, माद्दा, शफ़क़) बहरहाल नवाब साहब की मुअख़्ख़र अज़्ज़िक्र बात क़वी और दीगर तहक़ीक़ात व तसरीहात की रोशनी में दुरुस्त है। वल्लाहु आलम!

साहिबे औनुल माबूद शम्सुल हक़ मुहद्दिस (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'मशहूर तरीन क़ौल के मुताबिक़ 'शफ़क़' से, शफ़क़े अहमर मुराद है।' (औनुल माबूद: 2/41)

अलहासिल: मज़कूरा तसरीहात से बिलयक़ीन मालूम होता है कि हदीस में वारिद लफ़्ज़ शफ़क़ से मुराद शफ़क़े अहमर है, यानी नमाज़े मग़रिब का वक़्ते अदा बहालते उज़्र उस वक़्त तक रहता है जब तक मग़रिबी उफ़ुक़ पर सुर्ख़ी बाक़ी रहती है। सुर्ख़ी के ख़त्म होने पर नमाज़े ईशा का अव्वल वक़्त शुरू हो जाता है।

रहा दूसरा मौक़फ़ कि शफ़क़ से मुराद वह सफ़ेदी है जो सुर्ख़ी के बाद मग़रीबी उफ़ुक़ पर नुमायाँ होती है, इसके ख़त्म होने के बाद नमाज़े ईशा का आग़ाज़ होता है, मरजूह है। इस बारे में इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) की कई रिवायात हैं और कुछ रिवायात में जुम्हूर के क़ौल की तरफ़ रुजूअ भी साबित है, लिहाज़ा बिलइत्तिफ़ाक़ अइम्मा-ए-अरबआ और दलाइले सरीहा की रोशनी में यही मौक़फ़ राजेह है कि शफ़क़ से मुराद शफ़क़े अहमर है अगरचे इमाम मौसूफ़ (رحمه الله) के रुजूअ के बावुजूद हनफ़िया की एक जमाअत उनकी मरजूह राय ही पर अड़ी हुई है। ये अपने इस मौक़फ़ की ताईद में मज़ीद एक सरीह रिवायत भी पेश करते हैं जो हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से मरवी है। इसमें ये सराहत है: 'फिर उसने ईशा की अज़ान कही जिस वक़्त दिन की सफ़ेदी ख़त्म हुई और यही शफ़क़ है।' (मुअज्जम अल्औसत लित्तबरानी, हदीस: 6787, व मज्मउज़्ज़वाइद: 1/304)

अल्लामा हैसमी (رحمه الله) ने इसकी सनद हसन क़रार दी है जबकि इसकी सनद में इमाम तबरानी के शैख़ हैं जिनके हालात नहीं मिल सके। तबरानी औसत के मुहक़्क़िक़ ने भी ये तसरीह फ़रमाई है। कहते हैं: लिहाज़ा इस जहालत रावी की वजह से रिवायत ज़ईफ़ है। इससे मज़अूमा मौक़फ़ की ताईद नहीं होती। वल्लाहु आलम!

✧ **नमाज़े मग़रिब से पहले, अज़ान और इक़ामत के दरम्यान, दो रकअत नमाज़ का इस्तिहबाब :** नमाज़े मग़रिब अव्वल वक़्त में पढ़ना मुस्तहब है लेकिन इससे पहले दो रकअत की मशरूइयत भी साबित है। इस बारे में नबी (ﷺ) के तर्ग़ीबी हुक्म के साथ साथ आपकी तक़रीर भी इसकी अहमियत पर दलालत करती है। किबार सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) अहदे नुबुवत में इस पर अमल पैरा थे, और ज़रीं (बेश क़ीमती) अहदे नुबुवत के बाद ताबेईने इज़ाम के यहाँ भी ये अमल मामूल बिही था और ताहाल हामिलीने किताब व सुन्नत के यहाँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से बदस्तूर इस पर अमल जारी है।

मुहद्दिसे कबीर इमाम मुहम्मद बिन नस्र मरूज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'सहाबा और ताबेईन की एक जमाअत से मरवी है कि वह नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ा करते थे। और नबी-ए-अकरम (ﷺ) से साबित है कि आपने उस शख़्स को इजाज़त दी है जो पढ़ना चाहे। और आप (ﷺ) की मौजूदगी में ये अमल होता रहा लेकिन आपने इससे रोका नहीं।' (क़यामुल लैल, सफ़ा: 45)

लिहाज़ा मुख़्तसर सी दो रकअतों से, कि जिन पर ज़्यादा से ज़्यादा पाँच मिनट सर्फ़ होते हैं, कोई ताख़ीर नहीं होती और न इससे अव्वल वक़्त ही निकलता है। यही वजह है कि अहदे नुबुवत में सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) बड़े शौक़ और लगन से इस पर अमल पैरा थे। इस मौक़फ़ के बुनियादी दलाइल नीचे दिये गये हैं:

हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़े मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ो (नमाज़ मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ो।)' तीसरी मर्तबा फ़रमाया: 'जिसकी मर्ज़ी हो।' ये आपने इस बात को नापसन्द करते हुए फ़रमाया कि कहीं लोग इसे लाज़िमी न समझ लें। (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 1183)

हाफ़िज़ इबने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मुस्तख़रज में अबू नुऐम की रिवायत में आप(ﷺ) ने तीन मर्तबा फ़रमाया है, फिर उसके बाद फ़रमाया: 'जिसकी मर्ज़ी हो।' (फ़तहुलबारी, 603, हदीस़: 1183)

मुहिब्बे तबरी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इस नमाज़ के अदमे इस्तिहबाब पर नफ़ी वारिद नहीं है क्योंकि ये नामुमकिन है कि आप (ﷺ) ग़ैर मुस्तहब चीज़ का हुक्म दें बल्कि ये हदीस़ इसके इस्तिहबाब पर क़वी तरीन दलाइल में से है।' (फ़तहुलबारी: 3/60, हदीस़: 1183)

सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'अहदे रसूलुल्लाह (ﷺ) में जब मुअज़्ज़िन नमाज़े मग़रिब की अज़ान कहता तो ख़्वास़ और किबार सहाब-ए-किराम (ﷺ) जल्दी से सुतूनों की तरफ़ लपकते और मग़रिब से पहले दो रकअत नमाज़ अदा करते यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल(ﷺ) निकलते तो वह नमाज़ पढ़ रहे होते थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 503, 625, व क़यामुल लैल इब्ने नस़र अलमरूज़ी, सफ़ा: 46 वलफ़्ज़) सहीह बुख़ारी में (رأيت كبار أصحاب النبي) के अल्फ़ाज़ हैं।

सहीह मुस्लिम में ये इज़ाफ़ा भी है: 'यहाँ तक कि कोई अजनबी आदमी मस्जिद में दाख़िल होता तो ये समझता कि नमाज़ हो चुकी है क्योंकि कस़ीर सहाब-ए-किराम (ﷺ) ये दो रकअतें पढ़ते थे।' (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 837)

इस हदीस़ से चन्द बातें अख़ज़ होती हैं: (1) अहदे रिसालत में अक्स़र सहाब-ए-किराम(ﷺ) इसका एहतिमाम फ़रमाया करते थे। (2) ये अमल किबार सहाब-ए-किराम (ﷺ) का है। (3) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये अमल मुलाहिज़ा फ़रमा कर ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमा ली, लिहाज़ा ये दीन है। अगर ये अमल नाजायज़ या मकरूह या ख़िलाफ़े औला (ग़ैर मुनासिब) होता तो सहाबा(ﷺ) की इस कस़ीर तादाद को रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़रूर कोई न कोई तल्क़ीन फ़रमाते, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसे बरक़रार रखा और कोई तर्दीद नहीं फ़रमाई, इसलिए नबी (ﷺ) की ये ख़ामोशी सनद की हैसियत रखती है और उम्मत के लिए हुज्जत है। (4) किसी अजनबी का ये समझना कि नमाज़ हो चुकी है और

लोग अब फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें पढ़ रहे हैं, इस बात पर दलालत करता है कि ये अमल दो चार या आठ दस सहाबा (ﷺ) का न था बल्कि अक्सर का था। वल्लाहु आलम!

अब्दुल्लाह बिन बुरैदा के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 838)

अज़ानेन से मुराद अज़ान और इक़ामत है। तग़लीबन इक़ामत को भी अज़ान से ताबीर कर लिया जाता है क्योंकि इसमें भी ऐलान और नमाज़ शुरू होने की इत्तला होती है, जैसे क़मरैन सूरज और चाँद को कहते हैं। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/107, हदीस: 624)

✧ **चन्द फ़ुक़हा-ए-मुहद्दिसीन का मज़कूरा हदीस से इस्तिदलाल :** इस हदीस के उमूम की रोशनी में मालूम होता है कि हर अज़ान और तकबीर के दरम्यान में दो रकअतें पढ़ना मुस्तहब है, लिहाज़ा इस उमूम से अज़ाने मग़रिब के बाद भी दो रकअत नमाज़ की मशरूइयत साबित होती है, इसी लिए मुहद्दिसीन (ﷺ) ने इस हदीस से मग़रिब से पहले दो रकअत नमाज़ का इस्तिम्बात किया है।

- इमाम अबू दाऊद (ﷺ) ने अपनी सुनन में इन अल्फ़ाज़ के साथ उनवान क़ायम किया है: (बाबुस्सलाति क़ब्लल मग़्रिब) और इसके तहत मज़कूरा हदीस भी ज़िक्र फ़रमाई है। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1283)
- इमाम तिर्मिज़ी (ﷺ) ने भी यही इस्तिम्बात किया है। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 185)
- इमाम इब्ने माजा (ﷺ) ने भी इससे मग़रिब से पहले दो रकअत के इस्तिहबाब का इस्तिम्बात किया है, वह फ़रमाते हैं: (बाबु माजाअ फ़िर्रकअतैन क़ब्लल मग़्रिब) तर्जुमा अलबाब के तहत उन्होंने पहली हदीस यही ज़िक्र फ़रमाई है। (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1162)
- इमाम दारक़ुतनी (ﷺ) ने भी इस क़िस्म की अहादीस से यही मफ़हूम अख़ज़ किया है। (सुनन दारक़ुतनी: 1/580) मल्हूज़: इस हदीस के कुछ तुर्क़ में (إِلَّا الْمَغْرِبَ) का इस्तिसना मज़कूर है। लेकिन ये इस्तिसना ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है जैसा कि तफ़्सील आगे आ रही है।

मज़कूरा मफ़हूम की तस्दीक़ मज़ीद वज़ाहत के साथ इस सही हदीस से भी होती है जिसमें है: 'हर फ़र्ज़ नमाज़ से पहले दो रकआत हैं।' (क़यामुल लैल लिल मरवज़ी, सफ़ा: 45 मज़ीद तहक़ीक़ व तख़रीज के लिए मुलाहिज़ा हो: सिलसिलतुल अहदीस अस्सहीहा लिल अल्बानी: 1/464-466, हदीस: 222)

इस हदीस़ से भी मग़रिब से पहले दो रकअ़त का इस्तिहबाब साबित होता है। इसकी मज़ीद तौसीक़ हज़रत अनस (ﷺ) की इस हदीस़ से होती है जिसमें मुख़्तार बिन फुलफुल ने नबी (ﷺ) के हवाले से दरयाफ़्त किया कि क्या आप भी ये दो रकअ़त पढ़ते थे? तो उन्होंने जवाब दिया: आप हमें पढ़ते हुए देखते थे लेकिन हमें न हुक्म दिया और न इससे मना फ़रमाया: (सहीह मुस्लिम, हदीस़: 836) यहाँ 'न हुक्म दिया' से मुराद हुक्मे ईजाब है, न कि हुक्मे तर्ग़ीब क्योंकि ये तो अहादीस़ से साबित है जैसा कि आग़ाज़ में अ़ब्दुल्लाह मुज़नी (ﷺ) के हवाले से गुज़रा है।

इमाम क़ुर्तुबी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'हदीसे अनस का ज़ाहिर इस बात पर दलालत करना है कि बाद में ग़ुरूबे आफ़ताब और नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअ़तें पढ़ना ऐसा काम था जिस पर नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने सहाब-ए-किराम (ﷺ) को बरक़रार रखा है और उन्होंने ये अ़मल किया और बाहम एक दूसरे का तआ़वुन किया यहाँ तक कि इस मक़सद के लिए सुतूनों की तरफ़ लपकने में वह मुसाबिक़त करते, इसलिए ये अ़मले जवाज़ और अ़दमे कराहत बल्कि इसके इस्तिहबाब पर दलालत करता है।' देखिये: (अलमुफ़हम: 2/467)

शवाफ़ेअ़ के यहाँ दो क़ौल हैं लेकिन मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही और राजेह क़ौल इस्तिहबाब का है। इसके दलाइल मज़कूरा बाला अहादीस़ हैं। देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी, हदीस: 838)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इन दो रकअ़तों के इस्तेहाब का क़ौल इमाम अहमद, इस्हाक़ और अस्हाबुल हदीस़ का है।' (फ़तहुबारी: 2/108, हदीस़: 624) और इमाम तिर्मिज़ी(رحمه الله) ने भी इमाम अहमद व इस्हाक़ से इस्तिहबाब का क़ौल नक़ल किया है। देखिये: (जामेअ़ तिर्मिज़ी, हदीस़: 185)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) तरफ़ैन के दलाइल का तजज़िया करने के बाद इसी मौक़फ़ की ताईद में फ़रमाते हैं: 'मैं कहता हूँ: मज्मूअई दलाइल इस तरफ़ रहनुमाई करते हैं कि इन दो रकआत को मुख़्तसर अन्दाज़ में अदा करना मुस्तहब है जैसा कि फ़ज्र की दो रकअ़तों में है।' (फ़तहुलबारी: 2/109)

अलहासिल: नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअ़त नमाज़ मुस्तहब है, बशर्ते कि बाद में अज़ान शुरू कर ली जाये और ज़्यादा ताख़ीर न की जाये। कराहत का क़ौल मरजूह, बेदलील और खोखला है।

✧ **मकरूह कहने वालों के दलाइल का मुख़्तसर तहक़ीक़ी जायज़ा :** मालिकिया और हनफ़िया के नज़दीक मग़रिब से पहले दो रकअ़तें पढ़ना मकरूह है। यही वजह है कि हमारे यहाँ आम हनफ़ी मस्जिदों में मुअ़ज़्ज़िन जूंही अज़ान से फ़ारिग़ होता है, इमाम साहब मुसल्ले पर जल्वा अफ़रोज़ हो

जाते हैं, फ़ोरन इक़ामत होती है और तस्वीय-ए-सुफ़ूफ़ (सफ़बन्दी) और उसकी तर्ग़ीब के बग़ैर तकबीरे तहरीमा कह दी जाती है। अहादीस़ की रोशनी में ये ताजील (जल्दबाज़ी) ग़ैर मसनून है बल्कि इस क़िस्म की ताजील मज़मूम है। कम अज़ कम अज़ान के बाद अदइय-ए-मस्नूना (मस्नून दुआएँ) और सफ़बन्दी की तल्क़ीन ज़रूरी है। अहादीस़ में इसका बयान बड़ी वज़ाहत से आया है। बहरहाल वह चन्द बुनियादी दलाइल जिनका सहारा क़ायलीने कराहत लेते हैं, नीचे दिये गये हैं:

✧ **पहली दलील :** मुसनद बज़्ज़ार वग़ैरह की रिवायत है जिसमें मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ने का इस्तिस़ना मज़कूर है: 'हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है, सिवाए मग़रिब के।' (मुसनद अल्बज़्ज़ार, हदीस़: 693, व सुनन दारक़ुतनी: 1/580, हदीस़: 1026, वल सुनन अलकुबरा लिल बैहक़ी: 2/474)

हुक्म : ये हदीस़ (إِلَّا الْمَغْرِبَ) के इज़ाफ़े के साथ मुन्कर (ज़ईफ़) है। इसकी सनद में हय्यान बिन उ़बैदुल्लाह है। इमाम दारक़ुतनी (رحمه الله) ने मज़कूरा हदीस़ ज़िक्र करने के बाद इसे ग़ैर क़वी क़रार दिया है। देखिये: (सुनन दारक़ुतनी: 1/580)

इमाम इब्ने अ़दी ने इसे ज़ुअफ़ा में ज़िक्र किया है। देखिये: (अलकामिल फ़िज़्ज़ुअफ़ा: 3/347) और फ़रमाते हैं: 'ये जो आ़म रिवायात बयान करता है, वह इसके तफ़र्रुदात (यक्ता) ही हैं, इनमें वह मुतफ़र्रिद (अकेला) रहता है।'

अ़ल्लामा हैस़मी और इमाम ज़हबी (رحمه الله) इसके बारे में कहते हैं कि ये मुख़्तलत भी है जो सूए हिफ़्ज़ की अ़लामत है। (मजमूअ़ अज़्ज़वाइद: 2/231, व मीज़ानुल ऐ़तदाल: 1/623)

इमाम बज़्ज़ार ने अगरचे हय्यान बिन उ़बैदुल्लाह को 'मशहूर बस़री है, इसके साथ कोई हर्ज नहीं।' कहा है, लेकिन उन्होंने इसकी बयान करदा रिवायत को इसका तफ़र्रुद (तन्हा) क़रार दिया है जो कि दीगर रिवायात की रोशनी में मरदूद है। वह फ़रमाते हैं: 'हमारे इल्म में इसे सिर्फ़ बुरैदा और हय्यान ही बयान करते हैं।' (कश्फ़ुल इस्तार, हदीस़: 693) ये अस़ल में हय्यान बिन उ़बैदुल्लाह के शुज़ूज़ और तफ़र्रुद की तरफ़ इशारा है।

इमाम इब्ने जोज़ी (رحمه الله) ने भी इस हदीस़ को 'ये हदीस़ सही नहीं है।' कह कर रद्द कर दिया है। देखिये: (अलमौज़ूआत, अस्सलात: 2/18)

इमाम सुयूती (رحمه الله) ने भी इस रिवायत को 'अल्आली' में ज़िक्र किया है चूंकि इमाम इब्ने जोज़ी ने हय्यान को फ़लास के हवाले से कज़्ज़ाब क़रार दिया है, इसलिए इमाम सुयूती (رحمه الله) ने उनकी तस्हीह फ़रमाई और ये बयान किया कि जिस हय्यान को फ़लास ने कज़्ज़ाब क़रार दिया है वह ये हय्यान

नहीं बल्कि वह हय्यान बिन अ़ब्दुल्लाह है। (अल्आलील मस्नूआफ़िल अहादीसिल मौज़ूआत: 2/14) मज़ीद देखिये: (तन्ज़ियह शरीयह: 2/99)

इमाम शोकानी (ﷺ) ने भी इसे ज़ईफ़ (शाज़) क़रार दिया है। फ़रमाते हैं: इस ज़्यादती में हय्यान बिन उ़बैदुल्लाह मुन्फ़रिद है और इसकी कोई मुताबिअ़त मौजूद नहीं। देखिये: (अलफ़वाइद अलमजमूआ फ़िल अहादीसिल मौज़ूआत, हदीस़: 16)

इमाम बैहक़ी (ﷺ) ने क़द्रे तफ़्सील से बहस़ की है और इस रिवायत को हय्यान का तफ़र्रुद (तन्हापन) और उसकी ख़ता क़रार दिया है। वह फ़रमाते हैं: 'इस रिवायत को हय्यान बिन उ़बैदुल्लाह ने अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा के वास्ते से बयान किया है। वह इसकी सनद में ग़लती का मुर्तकब हुआ है और ऐसी ज़्यादती बयान की है जिस पर उसकी कोई मुताबिअ़त नहीं जबकि हुसैनुल मुअ़ल्लिम की रिवायत की रोशनी में इसका बतलान होता है और इसमें वाक़ेअ़ ख़ता का सुबूत मिलता है।' (अस्सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 2/474)

इसके बाद उन्होंने इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा के कलाम की रोशनी में इस रिवायत का बतलान किया, यानी इब्ने ख़ुज़ैमा (ﷺ) भी (إِلَّا الْمَغْرِبَ) के इज़ाफ़े को रावी की ख़ता क़रार देते हैं। इनके बक़ौल अगर ये ज़्यादती मरफ़ूअ़न महफ़ूज़ होती तो रावी-ए-हदीस़ इब्ने बुरैदा इसकी अपने अ़मल से मुख़ालिफ़त न करते क्योंकि मग़रिब से पहले वह ख़ुद भी दो रकअ़त अदा फ़रमाया करते थे। (सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 2/475)

ये इस बात की क़वी दलील है कि ये ज़्यादती नाक़ाबिले हुज्जत है। इब्ने बुरैदा का ये अस़र स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 1287 वग़ैरह में भी है। शैख़ अल्बानी (ﷺ) ने इसकी सनद स़हीह क़रार दी है। (सिलसिलतुल अहादीसुज़्ज़ईफ़ा अल्क़िस्मुल अव्वल: 12/377, रक़म: 5662)

स़ाहिबे अलजौहर अलनक़ी ने इमाम बैहक़ी (ﷺ) का तआक़ुब करते हुए (إِلَّا الْمَغْرِبَ) के इज़ाफ़े को स़िक़ह की ज़्यादती क़रार दिया है लेकिन ये मौक़ूफ़ चन्द वजह से बातिल है। एक तो ये कि इमाम अबू हातिम ने जो इसे सुदूक़ कहा है और इमाम बज़्ज़ार ने (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) तो क्या इसका ये मक़स़द है कि ये रावी मुस्तनद और क़ाबिले हुज्जत है? ऐसा हरगिज़ नहीं। अइम्मा-ए-जिरह व तादील की अपनी अपनी इस़्तिलाहात हैं, लिहाज़ा इनके मफ़हूम और मक़ासिद का तअ़य्युन इसी के मुताबिक़ होगा जैसा कि इब्ने अबी हातिम इमाम अबू हातिम की इस़्तिलाह की तौज़ीह करते हुए फ़रमाते हैं: 'जब किसी रावी के

बारे में कहा जाये कि ये सुदूक़ है या इसका महल सुदूक़ या ये ला बअ्स है तो उसका शुमार उन लोगों में से है जिनकी हदीस़ लिख ली जाती है और इसमें देखा (ग़ौर किया) जाता है।'(अलजिरह वत्तअ्दील: 2/37)

गोया इससे अलल इत्लाक़ हुज्जत नहीं पकड़ी जायेगी बल्कि उसकी मरवियात की तफ़्तीश की जायेगी। मुख़ालिफ़त और शुज़ूज़ की सूरत में रद्द की जायेंगी जैसा कि ज़ेरे बहस मसला में है, लिहाज़ा जिसे हाफ़िज़ इब्ने हजर या इमाम ज़हबी सुदूक़ कहें, वह, वह न होगा जिसे अबू हातिम सुदूक़ कहते हैं, इसीलिए इमाम दारक़ुतनी (رَحِمَهُ الله) ने हय्यान बिन उ़बैदुल्लाह को ग़ैर क़वी और इब्ने अ़दी ने ज़ुअफ़ा में शुमार किया है। मज़ीद ये कि ये मुख़्तलत भी है, फिर ख़ुद इमाम बज़्ज़ार ने रिवायत ज़िक्र करने के बाद इस इज़ाफ़े को हय्यान का तफ़र्रुद क़रार दिया है। इमाम इब्ने अ़दी ने भी इस पर यही तब्सरा फ़रमाया: (عَامَّةُ مَايَرْوِيهِ إِفْرَادَاتٌ يَنْفَرِدُبِهَا) और इब्ने ख़ुज़ैमा (رَحِمَهُ الله) की ये तस़रीह कि हय्यान बिन उ़बैदुल्लाह से सनद और मतन दोनों में ख़ता सरज़द हुई है और इस इज़ाफ़े पर उसकी कोई मुताबिअ़त भी मौजूद नहीं, इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये रावी अलल अक़ल्ल सय्यिइल हिफ़्ज़ और तफ़र्रुद की सूरत में साक़ित अल ऐतबार है। इसे सिक़ह कहना ग़लत और इसकी ज़्यादती को, ज़्यादती-ए-सिक़ह बावर कराना दलाइल की रोशनी में मरजूह मौक़ूफ़ है।

याद रहें जिस रावी की ये हैसियत हो तो उसकी ज़्यादती, जिसमें तीन चार मोतबर सिक़हत की मुख़ालिफ़त भी हो, कैसे क़ाबिले क़ुबूल हो सकती है? इसी वजह से हाफ़िज़ इब्ने हजर (رَحِمَهُ الله) ने इसे शाज़ क़रार दिया है, वह फ़रमाते हैं: (وَأَمَّارِوَايَةُ حَيَّانَ فَشَاذَّةٌ) (फ़तहुलबारी: 2/108) और अत्तल्ख़ीसुल हबीर में हाफ़िज़ इब्ने हजर (رَحِمَهُ الله) फ़रमाते हैं: (وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبَيْهَقِيِّ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ مَا خَلَا الْمَغْرِبَ) 'बैहक़ी की एक ज़ईफ़ रिवायत में है: 'मग़रिब के सिवा हर दो अज़ानों के बीच नमाज़ है।' (अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 2/20, मुअस्सिसतु क़ुरतुबा)

✧ **दूसरी दलील :** 'अज़ान और इक़ामत के दरम्यान ज़्यादा वक़्फ़ा न होता था।' (स़हीह बुख़ारी,: हदीस़: 625)

इस हदीस़ का लफ़्ज़ (شَيْئٌ) इनका मदारे इस्तिदलाल है। यहाँ क़िल्लत की नफ़ी के मानी करते हैं, यानी 'अज़ान व इक़ामत के दरम्यान थोड़ा सा वक़्त भी न होता था' जिसका नतीजा ये निकलता है कि दो रकअ़तें नहीं पढ़ी जाती थीं। ये मफ़हूम ग़लत है क्योंकि पूरी हदीस़ के सियाक़ से ये मफ़हूम बेमानी ठहरता है, इसलिए हम ने (شَيْئٌ) का तर्जुमा 'ज़्यादा वक़्फ़ा' से किया है क्योंकि दीगर क़राइन और रिवायत के सियाक़ व सबाक़ की रोशनी में यहाँ (شَيْئٌ) का यही मफ़हूम बनता है, चुनांचे हदीस़ मुलाहिज़ा फ़रमाये:

सय्यदना अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे लेता तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) के सहाब-ए-किराम (ﷺ) में से कुछ लोग उठते और जल्दी से सुतूनों की तरफ़ लपकते यहाँ तक कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) निकल आते जबकि वह इसी हालत में मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ रहे होते और इन दोनों (अज़ान व इक़ामत) के दरम्यान बहुत ज़्यादा वक़्त न होता था।' (شَيْئٌ) से अगर क़िल्लत की नफ़ी मुराद होती तो सहाब-ए-किराम (ﷺ) मग़रिब से पहले दो रकअतें कैसे अदा कर लेते थे? अलग़र्ज़ यहाँ कसरत और मुबालग़ा की नफ़ी है, यानी बहुत ज़्यादा वक़्फ़ा न होता था, सिर्फ़ इतना होता था कि दो मुख़्तसर रकअतें पढ़ ली जाती थीं। इब्ने ख़ुज़ैमा फ़रमाते हैं: (يُرِيدُ شَيْئًا كَثِيرًا) यानी 'बहुत ज़्यादा वक़्त (न होना) मुराद है। (सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1288)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने मज़कूरा हदीस की शरह में (شَيْئٌ) की तन्वीन मुबालग़े और ताज़ीम की नफ़ी पर महमूल की है इसकी ताईद अगली मुअल्लक़ रिवायत से होती है। जिसके ये अल्फ़ाज़ हैं: 'कि अज़ान व इक़ामत के दरम्यान थोड़ा वक़्फ़ा होता था।' हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने इस्माईल के हवाले से इसे मौसूलन ज़िक्र किया है, लिहाज़ा ये क़ाबिले हुज्जत है। (फ़तहुलबारी: 2/108)

इमाम बैहक़ी (رحمه الله) ने अपनी सुनन में इस्माईल की सनद से इसे मौसूलन बयान किया है। (सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 2/19) इसके अल्फ़ाज़ हैं: (وَكَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَرِيبٌ)

इमाम इब्ने नस्र मरूज़ी (رحمه الله) ने मुहम्मद बिन यहया के हवाले से 'अज़ान और इक़ामत के दरम्यान थोड़ा वक़्त होता था।' के अल्फ़ाज़ नक़ल फ़रमाये हैं। (क़यामुल लैल लिलमरूज़ी, सफ़ा: 46 मज़ीद देखिये: मुख़्तसर सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: 1/205, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, हदीस: 234)

अलहासिल: कसरत व ज़यादती और मुबालग़े की नफ़ी से क़लील व कसीर की नफ़ी नहीं होती, लिहाज़ा इस हदीस से ये मफ़हूम अख़ज़ करना कि अहदे रिसालत मआब में मग़रिब की अज़ान व इक़ामत के दरम्यान वक़्फ़ा बिल्कुल न होता था या इन्तिहाई थोड़ा होता कि दो रकअतों की अदायगी मुश्किल थी, दलाइल की रोशनी में मरजूह है, इसलिए इस हदीस से नमाज़े मग्रिब से पहले दो रकअतों की कराहत पर इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं।

✧ **तीसरी दलील :** इब्ने उमर (ﷺ) की रिवायत है: 'इब्ने उमर (ﷺ) से मग़रिब से पहले दो रकअतों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया: मैंने अहदे नबवी में किसी को ये रकअतें पढ़ते नहीं देखा।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1284, सुनन कुब्रा लिल बैहक़ी: 1/476, 477)

इस हदीस़ पर इमाम अबू दाऊद और मुन्ज़िरी (رحمه الله) ने सुकूत फ़रमाया है। अगरचे कुछ उ़लमा इस सुकूत को तस़हीह पर महमूल करते हैं लेकिन दलाइल व बराहीन और बहस़ व तहक़ीक़ की रोशनी में हक़ यही है कि उनका सुकूत क़ाबिले हुज्जत नहीं क्योंकि तहक़ीक़ के बाद बहुत सी अहादीस़ पर उनके सुकूत के बावुजूद हदीस़ ज़ईफ़ निकलती है। तफ़्स़ील के लिए देखिये: (मुक़दमा स़हीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, स़फ़ा: 27)

इधर भी यही मामला है, यानी यहाँ भी उन्होंने सुकूत फ़रमाया है जबकि इसकी सनद में अबू शुऐब है। मुहद्दिस़ अलअस़र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) इस अस़र की तहक़ीक़ में फ़रमाते हैं: 'ये मेरे नज़दीक मस्तूर है।' इसकी वज़ाहत में फ़रमाते हैं: 'अगचे हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तक़रीब में इसे (لَابَأْسَ بِهِ) कहा है। और इसकी बुनियाद अबू ज़रअ का ये क़ौल शुऐब सिमान के बारे में है जैसा कि ख़ुद हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने तहज़ीब में ये ज़िक्र किया है और फ़रमाया कि ये स़ाहिबे तर्जुमा के अ़लावा कोई और है। इब्ने अबी हातिम के अन्दाज़ से भी ये ज़ाहिर होता है क्योंकि उन्होंने इन दोनों के दरम्यान फ़र्क़ किया है, लिहाज़ा मेरी (शैख़ अल्बानी की) नज़र में किसी क़ाबिले ऐतमाद मुहद्दिस़ ने इसकी तादील नहीं फ़रमाई। आख़िर में शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ख़ुलास़तुल कलाम ज़िक्र करते हुए लिखते हैं कि इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल इस अस़र की स़ेहत के मुताल्लिक़ दिल मुतमईन नहीं है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी फ़तहुलबारी में (وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ....) कह कर उसकी (تضعيف) की तरफ़ इशारा किया है। देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/108, हदीस़: 625)

बिलफ़र्ज़ अगर इसे स़ही भी तस्लीम कर लिया जाये, तब भी सय्यदना अनस (رضي الله عنه) की मुस़्बत रिवायत इसकी नफ़ी पर मुक़द्दम है जैसा कि इमाम बैहक़ी और इब्ने हजर वग़ैरह ने फ़रमाया है। इसकी ताईद इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) के इस अस़र से होती है जिसे इब्ने नस्र ने ज़िक्र किया है कि इब्ने उ़मर(رضي الله عنه) ने किसी आदमी से पूछा: तुम कहाँ से हो? उसने जवाब दिया: अहले कूफ़ा से। इब्ने उ़मर(رضي الله عنه) ने फ़रमाया: उनमें से, जो चाश्त की दो रकअ़तों पर मुहाफ़िज़त करते हैं? उसने कहा: और तुम वह हो जो मग़रिब से पहले दो रकअ़तों पर मुदावमत करते हो? तो इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: हमें ये बात बयान की जाती थी कि हर अज़ान के वक़्त आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।' (क़यामुल लैल लिल मरवज़ी, स़फ़ा: 47 मक्तबा सुब्हानिया)

शैख़ अल्बानी (رحمه الله) मज़ीद फ़रमाते हैं: ये इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) की तरफ़ से इन दो रकअ़तों की मशरूइ़त पर नस़ है और इनसे जो ज़ईफ़ हदीस़ मन्क़ूल है, ये इसके बरख़िलाफ़ है। लेकिन अ़ल्लामा

मक़रेज़ी ने इसकी सनद हज़फ़ कर दी जैसा कि उमूमन क़यामुल लैल में उनका यही तरीक़ा है, लिहाज़ा इस पर सेहत व ज़ोफ़ का हुक्म लगाने से क़ासिर हूँ। (सिलसिलतुल अहादीसुस्सहीहा, अल्क़िस्मुल अव्वल: 1/469, 470 रक़म: 234)

मुहद्दिस अलअस्र शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ की रोशनी में इब्ने उमर (رضي الله عنه) का ये असर ज़ईफ़ है।

दूसरा ये कि अगर बिलफ़र्ज़ ये असर दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाये जैसा कि शैख़(رحمه الله) वग़ैरह ने फ़रमाया है, तब भी अदमे जवाज़ की दलील नहीं बनता क्योंकि बिला शक व शुब्हा अहदे नबवी में ये अमल जारी व सारी रहा। अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने तर्ग़ीबी हुक्म के साथ साथ उन्हें पढ़ते देख कर बरक़रार रखा, लिहाज़ा इब्ने उमर (رضي الله عنه) की नफ़ी अपने इल्म की हद तक है। इस जवाब पर अल्लामा ज़ेल्ई हनफ़ी (رحمه الله) ने भी सुकूत फ़रमाया है और इसका कोई जवाब नहीं दिया। देखिये: (नसबुर्रअ्या: 2/140)

✧ **चौथी दलील :** इब्राहीम नख़ई (رحمه الله) का ये असर है, वह बयान करते हैं: 'अबूबक्र, उमर और उस्मान (رضي الله عنه) ने मग़रिब से पहले दो रकआत नहीं पढ़ीं। (क़यामुल लैल इब्ने नस्र मरूज़ी, सफ़ा: 49, सुननिल कुबरा लिल बैहक़ी: 2/476)

ये असर मुन्क़तअ है। इब्राहीम नख़ई की सहाबा में से हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के सिवा किसी से मुलाक़ात साबित नहीं। आयशा (رضي الله عنها) से मुलाक़ात के बावुजूद एक हदीस भी उनसे नहीं सुनी।

अल्लामा मुबारकपूरी मुहद्दिस (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'ये साबित है कि इब्राहीम नख़ई की अस्हाबुन्नबी (ﷺ) में से किसी से मुलाक़ात नहीं हुई सिवाए हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के। लेकिन उनसे भी सिमाअ नहीं है।' (तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/470) जबकि मुन्क़तअ रिवायत ज़ईफ़ होती है जब तक कि उसका मुत्तसिल होना साबित न हो। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी इस रिवायत को मुन्क़तअ क़रार दिया है। (फ़तहुलबारी: 2/108) इसी मफ़हूम की एक मरफ़ूअ रिवायत बवास्त-ए-इब्राहीम नख़ई मरवी है। अल्लामा ज़ेल्ई ने इसे मुअ्ज़ल (ज़ईफ़ की एक क़िस्म है जिसमें सनद से पे दर पे एक ही मुक़ाम से दो रावी गिरे होते हैं) क़रार दिया है। (नसबुर्रअ्या: 2/141)

इब्ने नस्र मरूज़ी ने इब्राहीम नख़ई के हवाले से दीगर सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से भी मग़रिब से पहले दो रकअत की ग़ैर अदायगी नक़ल की है। इनमें अली बिन अबू तालिब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद,

हुज़ैफ़ा बिन यमान, अबू मसऊद अन्सारी, अम्मार बिन यासिर और बराअ बिन आज़िब(ﷺ) शामिल हैं। (क़यामुल लैल लिल मरूज़ी, सफ़ा: 49)

ये असर इब्राहीम नख़ई के शैख़ के मज्हूल (ना'मालूम) होने की वजह से ज़ईफ़ है क्योंकि वह फ़रमाते हैं: 'मुझे उस शख़्स ने ख़बर दी जिसने उन्हें बग़ौर देखा।' मालूम हुआ कि बराहेरास्त उनका मुशाहिदा नहीं है। ख़बर देने वाला कौन है? कोई पता नहीं, इसलिए ये मज्हूल है। इस जहालत की वजह से मज़कूरा असर साक़ितुल ऐतबार है। इससे इस्तिदलाल नाकाफ़ी बल्कि एक मज्हूल पर ऐतमाद है। मुहद्दिसीन के यहाँ इस क़िस्म की रिवायत व आसार ना'क़ाबिले हुज्जत होते हैं जब तक कि शवाहिद या मुताबिआत से ताईद न हो। बिलफ़र्ज़ इसे सही तस्लीम कर भी लिया जाये, तब भी इससे कराहत या अदमे जवाज़ साबित नहीं होता क्योंकि इसमें नफ़ी का ज़िक्र है, मुमानिअत या नह्य नहीं। यानी ये ज़िक्र है कि मज़कूरा हज़रात ने ये दो रकअतें नहीं पढ़ीं, क्यों नहीं पढ़ीं? हो सकता है कि मसरूफ़ियत की वजह से न पढ़ी हों या महज़ नफ़ली नमाज़ होने की वजह से न पढ़ी हो। इससे ये इस्तिदलाल कैसे किया जा सकता है कि उनका पढ़ना या उनके नज़दीक पढ़ना नाजायज़ है?

✧ **इमाम इब्ने नस्र की तौजीह :** मुहद्दिसे कबीर इमाम इब्ने नस्र, इब्राहीम नख़ई(رحمه الله) के इस असर के बाद फ़रमाते हैं: इब्राहीम नख़ई के इस बयान में, जिसमें वह बग़ौर मुशाहिदा करने वाले शख़्स के हवाले से नक़ल करते हैं कि उसने उन्हें (सहाबा को) ये नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कोई ऐसी दलील नहीं है कि ऊपर दिए गए लोग बवजह-ए-कराहत ये दो रकआत अदा न करते थे और उनके तर्क की यही वजह थी क्योंकि इन दो रकअतों का तर्क करना भी मुबाह (जायज़) है। क्या आप देखते नहीं कि ख़ुद नबी (ﷺ) से इनका पढ़ना मन्क़ूल नहीं, हाँ, आपने इनकी तर्ग़ीब दी है, लिहाज़ा आप (ﷺ) का इस नमाज़ को ख़ुद पढ़ने की निस्बत उसकी तर्ग़ीब देना ज़्यादा मुअस्सर (असरदार) और अहमियत का हामिल है इसलिए मुमकिन है कि इन हज़रात ने किसी और वक़्त में ये नमाज़ पढ़ी हो जबकि देखने वाले ने उस वक़्त उनका मुशाहिदा न किया हो। और नबी-ए-अकरम(ﷺ) से भी ये मुमकिन है कि आपने ये नमाज़ घर में पढ़ी हो क्योंकि आपकी अक्सर नफ़ल नमाज़ घर में होती थी कि जहाँ लोग देखते नहीं थे। इसी तरह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के बाद भी ये मुमकिन है कि जिन लोगों को नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा गया, वह अपने घरों में अदा करते हों। यही वजह है कि बग़ौर मुशाहिदा करने वाला उन्हें नमाज़ पढ़ते हुए न देख सका, और अक्सर उलमा भी तो नफ़ल नमाज़ मस्जिदों में अदा नहीं करते थे। (क़यामुल लैल लिल मरूज़ी, सफ़ा: 49)

✧ **हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) की तहक़ीक़ :** इब्ने हजर (رحمه الله) भी इब्ने नस्र(رحمه الله) के मौक़फ़ की तर्जुमानी करते हुए फ़रमाते हैं कि इब्राहीम नख़ई का असर मुन्क़तअ हैं बिलफ़र्ज़ अगर पाया-ए-सुबूत को पहुँचता भी हो, तब भी इसमें मन्सूख़ और कराहत की दलील नहीं, वह फ़रमाते हैं:
(وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى النَّسْخِ وَلَا الْكَرَاهَةِ) (फ़तहुलबारी: 2/108, हदीस: 625)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) की ये बात बिल्कुल उसूली है। अगरचे इब्ने नस्र (رحمه الله) की मज़कूरा तौज़ीहात इम्कानी हद तक दुरुस्त हैं लेकिन इसके साथ साथ इस क़िस्म के आसार में ये क़वी एहतिमाल मौजूद है कि ये लोग बवजहे शग़ल, मसरूफ़ियत इसकी अदायगी न कर पाते हों जैसा कि इसकी तस्दीक़ उक़्बा बिन आमिर (رضي الله عنه) के क़ौल से होती है। मुर्सिद बिन अब्दुल्लाह यज़नी कहते हैं कि मैं उक़्बा बिन आमिर जुहनी के पास आया और कहा: क्या आपको अबू तमीम (अब्दुल्लाह बिन मालिक जैशानी) से ताज्जुब नहीं होता? वह नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअत नमाज़ पढ़ते हैं तो उक़्बा (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन हम ये दो रकअतें नबी (ﷺ) के अहदे मुबारक में अदा किया करते थे। मैंने कहा: अब क्या रुकावट है? उन्होंने फ़रमाया: मसरूफ़ियत।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1184)

लिहाज़ा जिन सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) से बसनदे सही इनका छोड़ना मन्क़ूल है, उसकी वजह भी यही मसरुफ़ियत हो सकती है। इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं, 'शायद दूसरों के लिए भी रुकावट मरूफ़ियत ही हो।' (फ़तहुलबारी: 2/108) इब्ने नस्र मरुज़ी (رحمه الله) ने उन चन्द सहाब-ए किराम(رضي الله عنهم) के आसार नक़ल किये हैं जो इन दो रकआत पर मुवाज़िबत (हमेशगी) करते थे। देखिये: (क़ियामुल लैल लिल मरूज़ी, सफ़ा: 46-48)

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इसके बारे में लिखते हैं: 'मुहम्मद बिन नस्र वग़ैरह ने क़वी तुर्क़ से अब्दुर्रहमान बिन औफ़, सअद बिन अबी वक़्क़ास, उबय बिन कअब, अबू दरदा और अबू मूसा वग़ैरह (رضي الله عنهم) से रिवायत किया है कि ये सब इन दो रकअतों पर हमेशगी करते थे।' (फ़तहुलबारी: 2/108)

इमाम तिर्मिज़ी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'कई अस्हाबुन्नबी (ﷺ) से मन्क़ूल है कि वह अज़ान और इक़ामत के दरम्यान, नमाज़े मग़रिब से पहले, दो रकअत पढ़ा करते थे।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 185)

✧ **इब्नुल अरबी का रद्द :** इन्हीं दलाइल की रोशनी में हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) इमाम इब्नुल अरबी मालिकी की तर्दीद करते हुए फ़रमाते हैं कि उनका ये क़ौल 'इन दो रकअत के पढ़ने के मुताल्लिक़

सहाब-ए-किराम (ﷺ) का इख़्तिलाफ़ है, उनके बाद किसी ने ये नमाज़ नहीं पढ़ी।' मरदूद है क्योंकि मुहम्मद बिन नस्र कहते हैं: 'सहाबा व ताबेईन की एक जमाअत से मन्क़ूल है कि वह मग़रिब से पहले दो रकअत अदा फ़रमाया करती थी।' (फ़तहुलबारी: 2/108)

✧ **इमाम इब्ने नस्र मरूज़ी ने क़ियामुल्लेल में कई सनदों से सहाबा व ताबेईन के इन आसार की तख़रीज की है।** तफ़्सील के लिए देखिये: (क़ियामुल लैल, सफ़ा: 46-48)

✧ **दावा-ए-नस्ख़ :** कुछ मालिकिया ने मग़रिब से पहले दो रकअत की मशरूइयत व इस्तिहबाब के नस्ख़ का दावा किया हैं उनके बक़ौल मग़रिब से पहले दो रकअतों की मशरूइयत पहले की है, बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ताजीले मग़रिब की तर्ग़ीब दी थी, लिहाज़ा अब ये मंसूख हैं।

ये दावा बेदलील है। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'दावा-ए-नस्ख़ की कोई दलील नहीं।' (फ़तहुलबारी: 2/108)

अ़ल्लामा ऐनी के बक़ौल इब्ने शाहीन ने भी 'मग़रिब के सिवा हर दो अज़ानों के बीच नमाज़ है।' से नस्ख़ का दावा किया है लेकिन ये हदीस़ (مَاخَلَاالْمَغْرِبَ) के इज़ाफ़े के साथ मुन्कर हैं तफ़्सील गुज़र चुकी है, लिहाज़ा इब्ने शाहीन (رحمه الله) का दावा-ए-नस्ख़ भी कमज़ोर ठहरा। अ़ल्लामा मुबारक पूरी ने भी दावा-ए-नस्ख़ की तर्दीद फ़रमाई : (وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ مِّمَّا لَاالْتِفَاتَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهِ)(तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/466, 469)

ये थे फ़रीक़े मुख़ालिफ़ के वह चन्द खोखले दलाइल जिनकी बुनियाद पर वह नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअत नफ़ल नमाज़ को मकरूह या इसके छोड़ने को मुनासिब क़रार देते हैं।

ख़ुलास़-ए-कलाम : मज़कूरा तसरीहात से बख़ूबी मालूम हो जाता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (صَلُّواقَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ) के हुक्म से इस अमल की तर्ग़ीब दी है। फिर ग़ौर तलब बात ये है कि अगर इतना वक़्फ़ा ताजीले मग़रिब के मनाफ़ी या इसकी ताख़ीर का सबब होता तो आप इसकी इतनी तर्ग़ीब न देते। ग़ौर फ़रमायें! ताजीले मग़रिब अगर आपकी सुन्नते फ़ेअ़ली है तो रकअ़तैन की तर्ग़ीब सुन्नते क़ौली हैं एक सुन्नत को अपनाना और दूसरी को तर्क करना दुरुस्त नहीं बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर बज़ाहिर अहादीस़ में इस क़िस्म का तआरूज़ नज़र आये तो उसे जमा व तत्बीक़ से हल करने की कोशिश की जाये ताकि अपने अपने महल पर दोनों जारी रहे चह जाये कि दोनों को साक़ितुल ऐतबार क़रार दिया जाये या एक हदीस़ लेकर दूसरी नाक़ाबिले अमल और रद्द कर दी जायें मुत्तबिईने सुन्नत का ये शेवा नहीं। यही वजह है कि किबार सहाब-ए-किराम(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की मौजूदगी में ये

नमाज़ पढ़ा करते थे और इसे ताख़ीर का सबब या ताजीले मग़रिब के मनाफ़ी न समझते थे। फिर ताबेईन से भी इस पर अमल मन्क़ूल है। इस सबके बावुजूद ज़ईफ़ और मुहतमिल दलाइल को सरीह, सहीह और कसीर दलाइल पर तर्जीह देना कहाँ की समझदारी और कहाँ का इन्साफ़ है?

शरह सहीह मुस्लिम इमाम नववी (رحمه الله) ने उन लोगों की तर्दीद की है जो इसे मकरूह या ख़िलाफ़े औला समझते हैं और दलील में ताख़ीरे मग़रिब को आड़ बनाते हैं, फ़रमाते हैं: 'जो ये कहता है कि इनकी अदायगी अव्वल वक़्त से ताख़ीर का सबब बनती है, उसका ये ख़्याल फ़ासिद और इन्कारे सुन्नत के मुतरादिफ़ है जबकि उनके लिए वक़्त भी थोड़ा सा दरकार होता है जिससे नमाज़ अपने अव्वल वक़्त से लेट नहीं होती।' देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 6/178, हदीस: 838 व फ़तहुलबारी: 2/109).

अलग़र्ज़ अल्लामा ज़ेल्ई हनफ़ी (رحمه الله) का ये कहना: 'इन नवाफ़िल को छोड़ने की हमारे अस्हाब (अहनाफ़) के पास अहादीस हैं।' दुरुस्त नहीं क्योंकि इन 'अहादीस' की हक़ीक़त वाज़ेह की जा चुकी है।

मल्हूज़ा : इब्ने हिब्बान के हवाले से आता है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने भी मग़रिब से पहले दो रकअत अदा फ़रमाई हैं। कुछ उलमा ने इस सुन्नते फ़ेअली को सही क़रार दिया है। मारूफ़ मुहक़्क़िक़ शैख़ शुऐब अर्नाउत ने ज़ादुलमाद (1/312) की तहक़ीक़ में इसकी सनद सही क़रार दी है लेकिन इस तसहीह पर मुहद्दिसे कबीर शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इनका तआक़ुब किया हैं शैख़ मौसूफ़ के नज़दीक ये रिवायत इस इज़ाफ़े से शाज़ है। वह इस इज़ाफ़े को रावी का इदराज क़रार देते हैं उनके नज़दीक मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ने का अमल इब्ने बुरैदा का है न कि ख़ुद अल्लाह के रसूल(ﷺ) ने पढ़ी हैं। मुफ़स्सल तहक़ीक़ के लिए मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफ़ा: 12/373-377, हदीस: 5662, व ज़ईफ़ मवारिदुज़्ज़म्आन, हदीस: 62, व सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा लिल अल्बानी, हदीस: 233)

इस मौक़फ़ की ताईद इब्ने नस्र के क़ौल से भी होती है। वह फ़रमाते हैं: 'क्या आप देखते नहीं कि ख़ुद नबी-ए-अकरम (ﷺ) से उनका पढ़ना मन्क़ूल नहीं।' (क़ियामुल्लैल, सफ़ा: 49) ग़ालिबन उनका मक़सद ये है कि सही और मुस्तनद ज़रिये से मरवी नहीं। वल्लाहु आलम!

हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) ने बसराहत नबी-ए-अकरम (ﷺ) के अपने फ़ेअल से इसके सुबूत की नफ़ी की है, वह फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) से मग़रिब से पहले दो रकअतों का पढ़ना मन्क़ूल नहीं है।' (ज़ादुल मआद: 1/312) लेकिन आपकी तर्ग़ीब व तक़रीर से इसकी मशरूइयत साबित है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) के कलाम से भी इस क़िस्म का इशारा मिलता हैं वह फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) के न पढ़ने से इसके इस्तिहबाब की नफ़ी नहीं होती।' (फ़तहुलबारी: 2/108, हदीस: 625)

✧ **नमाज़े ईशा का मुस्तहब वक़्त :** नमाज़े ईशा ताख़ीर से पढ़ना मुस्तहब है। अबू बरज़ा असलमी (رضي الله عنه) से मरवी है: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) नमाज़े ईशा, जिसे तुम रात की नमाज़ कहते हो, (आधी रात तक) मुअख़्ख़र करना पसन्द फ़रमाते थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 547, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 647)

इस तरह सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक रात ताख़ीर कर दी यहाँ तक कि काफ़ी रात गुज़र गई। अहले मस्जिद सो गये, फिर आप तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'ये है इसका असल वक़्त, अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक़्क़त न समझता होता।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 648) कुछ दीगर अहादीस में भी इस क़िस्म की ताख़ीर का ज़िक्र मिलता है। हदीसे जिब्राईल में है: (ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ)(सुनन अबी दाऊद, हदीस: 393, जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 149) हदीसे अबू मूसा और हदीसे बुरैदा (رضي الله عنه) में भी सुलुसुल्लेल तक इस ताख़ीर का बयान मिलता है जबकि आप (ﷺ) ने किसी साइल के जवाब में अमलन दो दिन नमाज़ें पढ़ कर दिखाईं। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 613, 614)

इन क़ौली व फ़ेअली अहादीस से नमाज़े ईशा की ताख़ीर की अफ़ज़लियत साबित होती है, बशर्ते कि अवामुन्नास इसके लिए तैयार हों और ये ताख़ीर उनके लिए अज़ियत का बाइस न हो, और ज़्यादा ताख़ीर से नमाज़ियों के कम होने का ख़दशा भी न हो कि लोग नमाज़ ही से जान छुड़ाना शुरू कर दें। तब इस क़द्र या इसके क़रीब क़रीब ताख़ीर मुस्तहब है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'जो इसे देर करके पढ़ने की क़ुव्वत पाता हो, उस पर नींद का ग़ल्बा भी न हो और न मुक़्तदियों में से किसी एक के लिए बाइसे मशक़्क़त हो तो ऐसे शख़्स के हक़ में ताख़ीर अफ़ज़ल है। इमाम नववी (رحمه الله) ने शरह मुस्लिम में इसी का अस्बात किया है। शवाफ़ेअ वग़ैरह में से कसीर अहलुल हदीस का मुख़्तार मज़हब यही है।' वल्लाहु आलम (फ़तहुलबारी: 2/48, हदीस: 567) बहरहाल अवामुन्नास को इस क़िस्म की तर्ग़ीब व तशवीक़ देते रहना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो नमाज़े ईशा ताख़ीर से अदा करनी चाहिए क्योंकि अफ़ज़ल यही है। वल्लाहु आलम!

✧ **इन्तिहा-ए-वक़्ते इशा :** नमाज़े ईशा का वक़्ते अदा आधी रात तक रहता है। इसके बाद उसका वक़्त ख़त्म हो जाता हैं इज़्तिरारी हालत इससे मुस्तसना है, लिहाज़ा निस्फ़ अव्वल के बाद अदा की जाने वालीं नमाज़े ईशा (फ़ुक़हा की इस्तिलाह में) क़ज़ा शुमार होगी। इसकी दलील अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) वग़ैरह से मरवी हदीस़ से, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईशा का वक़्त निस्फ़ शब (आधी रात) तक है।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (172)-612) और एक रिवायत के ये अल्फ़ाज़ हैं: 'नमाज़े ईशा का वक़्त रात के निस्फ़ अव्वल तक है।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 173/712)

✧ **इस मरफ़ूअ हदीस़ के मुताबिक़** अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) का फ़तवा भी मौजूद है, वह फ़रमाते हैं: 'निस्फ़ शब तक नमाज़े ईशा पाई जा सकती है। इसके बाद हद से तजावुज़ है।' (मुस़न्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 1/58, रक़म: 2215) इसकी सनद में अगरचे क़तादा मुदल्लिस है लेकिन साबिक़ा मरफ़ूअ हदीस़ से इसकी ताईद होती है।

मज़कूरा हदीस़ में इन्तिहा-ए-वक़्ते ईशा की जो वाज़ेह तहदीद है, इसके बारे में शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'ये हदीस़ औक़ात की तहदीद में वाज़ेह तरीन है।' (शरह अल्उम्दा शैख़ुल इस्लाम: 2/177) इसके अलावा हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) की हदीस़ से इसकी मज़ीद तौस़ीक़ होती है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़े ईशा का आख़िरी वक़्त निस्फ़ रात तक है।' (मुसनद अहमद: 2/232, व ब'तहक़ीक़ अहमद शाकिर, हदीस़: 7172, व जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 151) ये हदीस़ स़ही है, महूला कुतुब में शैख़ अहमद (رحمه الله) ने इसे स़ही क़रार दिया हैं शैख़ अल्बानी (رحمه الله) की तहक़ीक़ भी यही है। वह फ़रमाते हैं: 'नमाज़े ईशा का आख़िरी वक़्त निस्फ़ शब तक है।' (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा लिल अल्बानी, रक़म: 1696)

इन अहादीस़ की ताईद में ख़लीफ़-ए-राशिद उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) का ये फ़रमान भी मिलता है जो उन्होंने अबू मूसा (ﷺ) के लिए तहरीर फ़रमाया था: 'नमाज़े ईशा तिहाई रात के अन्दर अन्दर पढ़ना। अगर ताख़ीर के साथ पढ़ना हो तो निस्फ़ शब तक और ग़ाफ़िलों में से न होना।' (मोत्ता लिल इमाम मालिक: 1/7, हदीस़: 8, तरक़ीम फ़व्वाइद अब्दुल बाक़ी, व मआनी वल्आस़ार: 1/158, और शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने तमामुल मिन्नत, स़फ़ा: 142 में इसकी सनद को स़ही क़रार दिया है।) इस स़ही मौक़ूफ़ अस़र से स़ाबित हुआ कि नमाज़े ईशा निस्फ़े अव्वल से पहले पढ़ लेनी चाहिए वरना इसके बाद ग़ाफ़िलीन में शुमार होगा।

इमाम मालिक (رحمه الله) के एक क़ौल के मुताबिक़ नमाज़े ईशा का आख़िरी वक़्त निस्फ़ शब तक है। देखिये: (बिदायतुल मुज्तहिद: 1/181)

इमाम इब्नुल अरबी (رحمه الله) ने इसी तरफ़ इशारा किया है। देखिये: (अलक़ब्स: 1/57) मज़ीद ये कि इमाम मालिक (رحمه الله) यहाँ (हदीसे उमर लाकर) एक तम्बीह फ़रमाना चाहते हैं, वह ये कि जब किसी हदीस की ताईद या मुवाफ़िक़त में किसी ख़लीफ़-ए-राशिद का अमल मिल जाये तो इससे मज़ीद तसल्ली और तक़वियत हासिल होती है। ये तर्जीह का एक क़रीना होता है। (बतसर्रुफ़)

अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी (رحمه الله) ने आरिज़तुल अहवज़ी के हवाले से इमाम इब्नुल अरबी (رحمه الله) का इस मौक़फ़ के बारे में कलाम नक़ल किया है, वह फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ये साबित है कि आपने फ़ैअ्लन नमाज़े ईशा आधी रात तक मुअख़्ख़र की है और क़ौलन भी आपसे ये साबित है, फ़रमाया: 'नमाज़े ईशा का वक़्त निस्फ़ शब तक है।' (सहीह मुस्लिम) लिहाज़ा इस क़ौले रसूल (ﷺ) के बाद किसी क़ौल की गुंजाइश नहीं।' (तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/231)

शवाफ़ेअ में से इमाम अबू सईद अस्तख़री (رحمه الله) की राय भी यही हैं इनके बक़ौल अगर कोई आधी रात के बाद नमाज़े ईशा पढ़ेगा तो वह क़ज़ा शुमार होगी। (अलमजमूअ: 3/39)

इमाम शोकानी (رحمه الله) ने इसी मौक़फ़ को तर्जीह दी है, फ़रमाते हैं: 'ईशा का आख़िरी वक़्त निस्फ़ुल लैल है।' (अलसबीलुल जरार: 1/408)

अद्दरुल बहिय्या में भी यही मौक़फ़ है जबकि नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ाँ (رحمه الله) ने 'अरौज़तुन्नदिय्या' में इस मौक़फ़ पर उनकी ताईद फ़रमाई है। देखिये: (अरौज़तुन्नदिय्या: 1/230)

बहरहाल मज़कूरा मारूज़ात (बयानात) से वाज़ेह होता है कि ईशा का आख़िरी वक़्त निस्फ़ शब तक है और इन्शाअल्लाह यही हक़ है। जुम्हूर के नज़दीक तुलूअे फ़ज्र तक है लेकिन दलाइल कमज़ोर और ग़ैर सरीह हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'नमाज़े ईशा के वक़्त के तुलूअे फ़ज्र तक मुमतद (वसीअ) होने की मैंने कोई ऐसी सरीह हदीस नहीं देखी जो पाया-ए-सुबूत को पहुँचती हो।' (फ़तहुलबारी: 2/52, हदीस: 572)

✧ **हामिलीने मौक़िफ़े सानी और उनके दलाइल का मुख़्तसर जायज़ा :** जुम्हूर उलमा-ए-किराम के नज़दीक मा'सिवाए अहनाफ़ के (क्योंकि उनके यहाँ सुलुसुल्लेल तक मुस्तहब वक़्त है) ईशा का मुस्तहब वक़्त निस्फ़े अव्वल तक है और वक़्ते जवाज़ व अदा तुलूअे फ़ज्रे सादिक़ तक। इनके दलाइल में कोई सरीह हदीस मौजूद नहीं, मुज्मल (मुख़्तसर) अहादीस से इस्तिदलाल है। अल्लामा

तहावी (ﷺ) ने शरह मानी वलआसार में इस मौज़ूअ की रिवायात ज़िक्र की हैं, उनका ख़ुलासा पेशे ख़िदमत है:

पहली दलील ये है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से निस्फ़ुल लैल के बाद भी नमाज़े ईशा पढ़ना साबित है और नीचे दी गई अहादीस से इस्तिदलाल है:

① हदीस अबू बरज़ा (ﷺ) 'आप (ﷺ) निस्फ़ुल लैल तक ईशा मुअख़्ख़र करने की परवाह न करते थे।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 572, सहीह बुख़ारी लिल अल्बानी: 1/186, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 647)

② सय्यदना अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने (एक रात) नमाज़े ईशा निस्फ़ शब तक लेट कर दी, फिर नमाज़ पढ़ाई।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 572)

लेकिन इन अहादीस से बसराहत ये साबित नहीं होता कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने नमाज़े ईशा पहले निस्फ़ के बाद पढ़ाई बल्कि मक़सूद ये है कि निस्फ़ शब तक फ़राग़त हो चुकी थी। इस तरह क़ौली और फ़ेअली अहादीस में तआरूज़ पैदा नहीं होता। दीगर तुर्क़ या अहादीस को देखा जाये तो मालूम होता है कि ये हज़रत अनस (ﷺ) का एक अन्दाज़ा था। उन्हीं से मरवी कुछ तर्क़ में ये अल्फ़ाज़ हैं: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक रात ईशा निस्फ़ शब तक मुअख़्ख़र की या क़रीब था कि आधी रात बीत जाती।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 640) मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी मन्क़ूल हैं: 'एक रात हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) का इन्तिज़ार किया यहाँ तक कि वक़्त निस्फ़ शब के क़रीब क़रीब हो गया।' (हवाला-ए-मज़कूर)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से ये मन्क़ूल है: 'यानी आप (ﷺ) ने इतनी ताख़ीर फ़रमा दी कि निस्फ़ रात के क़रीब क़रीब वक़्त बीत चुका था।' (मुसनद अहमद: 3/5, व सुनन अबी दाऊद, हदीस: 422, व सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, हदीस: 537)

नसाई के महूला मुक़ाम में (حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ) के अल्फ़ाज़ भी आते हैं। इसके बाद अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'फिर आप तशरीफ़ लाये और हमें नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: अगर कमज़ोर की कमज़ोरी, बीमार की बीमारी और ज़रूरतमन्द की ज़रूरत का मुझे ख़याल न होता तो मैं ये नमाज़ निस्फ़ शब तक मुअख़्ख़र करता।' (हवाला-ए-मज़कूर)

ये रिवायत बिल्कुल वाज़ेह है और इस बात की सरीह दलील है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें निस्फ़ शब से पहले पहले नमाज़ पढ़ा दी थी। अगर ये पहले निस्फ़ के बाद शुरू की होती या उसके बाद फ़राग़त होती तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) क़तअन ये कलिमात न फ़रमाते:

(لَأَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ إِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ)

शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'नबी-ए-अकरम (ﷺ) का ये कलिमा मुफ़स्सर है (तफ़्सीर मुज्मल की हैसियत रखता है) लिहाज़ा दीगर मुहतमिल हिकायात व रिवायात का इसकी रोशनी में फ़ैसला किया जायेगा।' (शरह अल्उमदा अज़ शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया: 2/178)

अलग़र्ज़ अहनाफ़ और जुम्हूर का इस क़िस्म की मुज्मल ग़ैर स़रीह रिवायात से इस्तिदलाल ग़ैर क़वी है। इमाम तहावी (رحمه الله) ने हज़रत अनस (رضي الله عنه) वग़ैरह की रिवायात से इसी अल्फ़ाज़ में इस्तिदलाल किया है: **'इन आस़ार व अहादीस़ में ये दलील है कि आप (ﷺ) ने निस्फ़ शब गुज़रने के बाद नमाज़े ईशा पढ़ी है।'** (शरह मआनी वलआस़ार: 1/158) लेकिन मज़कूरा मारूज़ात की रोशनी में ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है।

इमाम तहावी (رحمه الله) के इस और दीगर इस्तिदलालात के मुताल्लिक़ मुहद्दिस़ मुबारकपूरी फ़रमाते हैं: 'बिलाशुब्हा इमाम तहावी का ये कलिमा उम्दा है अगर इस मौज़ूअ पर कोई मरफ़ूअ स़ही हदीस़ होती, लेकिन मुझे कोई स़ही मरफ़ूअ हदीस़ नहीं मिली।' (यानी जो बस़राहत तुलूअे फ़ज्र तक वक़्ते ईशा के मुमतद होने पर दलालत करती हो। (तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/430)

दूसरी दलील : हज़रत आयशा (رضي الله عنها) की वह हदीस़ है जिसमें वह फ़रमाती हैं: **'नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक रात ताख़ीर फ़रमा दी यहाँ तक कि रात का काफ़ी हिस़्सा बीत गया।'** (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: (219)-638) अहनाफ़ वग़ैरह का इस हदीस़ से महल इस्तिशहाद (दलील) ये है कि यहाँ (عَامَّةُ اللَّيْلِ) के अल्फ़ाज़ आये हैं जिसके मानी हैं: रात का अक्स़र हिस़्सा बीत गया। इस मफ़हूम के पेशे नज़र यक़ीनन ये लाज़िम आता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने निस्फ़ शब के बाद नमाज़े ईशा पढ़ी है। लेकिन यहाँ मज़कूरा अल्फ़ाज़ के ये मानी ग़लत हैं, यानी आम्मतुल्लैल, कस़ीर के मफ़हूम में है न कि अक्स़रुल्लेल के मानी में।

इमाम नववी (رحمه الله) इस हदीस़ की शरह में फ़रमाते हैं: ज़हब के मानी हैं: रात का कस़ीर (काफ़ी हिस़्सा बीत गया, न कि ये मुराद है कि इसका अक्स़र हिस़्सा, ये तावील ज़रूरी है क्योंकि (इसके बाद) आप (ﷺ) का ये फ़रमान: **'इस नमाज़ का अस़ल वक़्त ये है।'** इस तावील की दलील है, लिहाज़ा आयशा (رضي الله عنها) के इस क़ौल (ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ) से निस्फ़ शब से बाद का वक़्त मुराद लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि उलमा में से किसी एक का भी ये क़ौल नहीं कि 'आधी रात के बाद ईशा का अफ़ज़ल वक़्त है।' देखिये: (शरह स़हीह मुस्लिम: 5/193, हदीस़: 638)

इमाम नववी (رحمه الله) के इस जवाब के बाद मज़्कूरा इस्तिदलाल की कोई गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए इमाम तहावी (رحمه الله) का इस हदीस़ से ये इस्तिदलाल करना: 'इस हदीस़ में इस बात की दलील है कि आप (ﷺ) ने रात का अक्सर हिस्सा गुज़रने के बाद नमाज़े ईशा पढ़ाई है।' दुरुस्त नहीं, लिहाज़ा ईशा का वक़्त तुलूअे फ़ज्र तक मुमतद (वसीअ) नहीं है।

तीसरी दलील : बवास्त-ए-हबीब बिन अबी स़ाबित, नाफ़ेअ बिन हबीर से हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) का वह मक्तूब है जो उन्होंने बनाम अबू मूसा (رضي الله عنه) इरसाल फ़रमाया था। इसमें है: 'रात के जिस हिस्से में नमाज़े ईशा पढ़ना चाहो पढ़ लो लेकिन इसमें ग़फ़लत का शिकार न होना।' (शरह मानी वल्आसार: 1/159)

इसके बाद इमाम तहावी (رحمه الله) फ़रमाते हैं: 'इस अस़र में ये दलील है कि हज़रत उ़मर(رضي الله عنه) ने पूरी रात को इसकी अदायगी का वक़्त ठहराया है।'

लेकिन उ़मर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) से मन्क़ूल ये अस़र इस सियाक़ के साथ नाक़ाबिले हुज्जत है क्योंकि इसकी सनद में हबीब बिन अबू स़ाबित तीसरे तबक़े का मुदल्लिस रावी है और वह अ़न से बयान कर रहा है। इस दर्जे के रावी की रिवायत उस वक़्त क़ाबिले क़ुबूल होती है जब रिवायत में अपने शैख़ से सिमाअ या तहदीस़ की स़राहत करे। यहाँ ये बात मफ़क़ूद है। मज़ीद देखिये: (तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/430)

दूसरा ये कि ये बात हज़रत उ़मर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल स़ही अस़र के मुख़ालिफ़ भी है जिसमें ईशा की तहदीद पहले निस्फ़ तक है इसके बाद वह ग़ाफ़िलीन में शुमार होगा। इस तरह मज़्कूरा अस़र शाज़ भी क़रार पाता है। बहरहाल इन वजहों के सबब ये अस़र साक़ितुल ऐतबार है।

चौथी दलील : हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) का वह फ़तवा है जिसमें वह तुलूअे फ़ज्र तक नमाज़े ईशा न पढ़ने को इफ़रात (हद से तजावुज़) क़रार देते हैं। (शरह मानी वल्आसार: 1/159)

स़ाहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी इसका जवाब देते हुए फ़रमाते हैं कि इसमें ये एहतिमाल मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने ये बात हदीसे अबू क़तादा के उ़मूम के पेशे नज़र कही हो। देखिये: (तोहफ़तुल अहवज़ी: 1/431) हदीसे अबू क़तादा मअ जवाब आइन्दा सुतूर में ज़िक्र होगी, इन्शाअल्लाह।

दूसरा ये कि इस अस़र की हैसियत एक फ़तवे या ज़ाती इज्तिहाद की है, वह नबी (ﷺ) का क़ौल या फ़ेअ़ल तो बयान नहीं फ़रमा रहे जबकि उसके मुक़ाबले में अमीरुल मोमिनीन उ़मर फ़ारूक़ और अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) की भी अपनी अपनी राय या ज़ाती रूझान है, अब इख़्तिलाफ़े राय के वक़्त तर्जीह किसी स़हाबी के क़ौल व फ़ेअ़ल को होगी? यक़ीनन उसकी राय और फ़ेअ़ल को होगी जिसकी

तस्दीक़ व तौसीक़ हदीसे रसूल (ﷺ) से होती हो और यहाँ सरीह अहादीस की रोशनी में फ़तवा-ए-उमर वग़ैरह ही क़ाबिले तर्जीह है। इरशादे बारी तआला है: **'अगर तुम किसी चीज़ में आपस में इख़्तिलाफ़ करो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ लौटा दो।'** (अन्निसा: 4/59)

पाँचवीं दलील : हज़रत अबू क़तादा (ؓ) की हदीस है जिसमें नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ सहाब-ए-किराम (ؓ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के हमराह सारी रात चलते रहे, आख़िरी शब में क़द्रे आराम का प्रोग्राम बनाया गया, तमाम ने एक जगह पड़ाव डाल दिया और कुछ इस्तिराहत (आराम) के लिए लेट गये, सब पर नींद ग़ालिब आ गई, आप (ﷺ) की आँख उस वक़्त खुली जब सूरज की किरणें नमूदार हुईं, सहाब-ए-किराम (ؓ) भी उठे और इस सूरते हाल से घबरा गये। आप(ﷺ) ने तुलूअे आफ़ताब के बाद नमाज़े फ़ज्र पढ़ाई लेकिन नमाज़ पढ़ने के बावुजूद सहाबा के अन्दर इज़्तिराब (बेचैनी) की सी कैफ़ियत थी। तब आपने फ़रमाया: **'क्या तुम्हारे लिए मेरे अमल में नमूना नहीं?' फिर फ़रमाया: 'नींद की वजह से कोताही नहीं होती, ग़फ़लत व कोताही तो सिर्फ़ इस सूरत में है कि आदमी (जानबूझकर) न पढ़े यहाँ तक कि दूसरी नमाज़ का वक़्त हो जाये।'** (सहीह मुस्लिम, हदीस: 681)

इस हदीस से अहनाफ़ वग़ैरह ने ये इस्तिदलाल किया है कि एक नमाज़ का दूसरी नमाज़ तक वक़्ते जवाज़ मअल कराहत या मुतलक़न जवाज़ रहता है। लेकिन ये इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि ये हदीस मुज्मल है और बयाने औक़ात में नस नहीं। अगर नबी (ﷺ) ने इस ग़र्ज़ के लिए ये फ़रमाया होता तो यक़ीनन नमाज़े ईशा वग़ैरह की तरह नमाज़े फ़ज्र का वक़्त भी नमाज़े जुहर तक मुमतद (वसीअ) होता और इसका कोई क़ाइल नहीं, इसी लिए जुम्हूर ने इसे मुस्तसना क़रार दिया है, जबकि इसके मुक़ाबले में हदीसे अब्दुल्लाह बिन अम्र तहदीदे औक़ात में नस है, फिर उसूली तौर पर भी नमाज़े फ़ज्र का इस्तिसना दुरुस्त नहीं, इसलिए कि ताख़ीर का ये मसला नमाज़े फ़ज्र के वक़्त ही पेश आया, लिहाज़ा इस हुक्म के तहत इसे दुख़ूले अव्वल हासिल है, इसे इससे ख़ारिज नहीं किया जा सकता जिसके साफ़ मानी ये हैं कि क़ायलीने हाज़ा को नमाज़े फ़ज्र का वक़्त भी नमाज़े जुहर तक तस्लीम करना होगा।

अलहासिल : इस हदीस में सिर्फ़ जानबूझ कर ताख़ीर करने वाले के गुनाह और तक़सीर का बयान है। औक़ात के बयान व तहदीद के लिए अब्दुल्लाह बिन अम्र (ؓ) की हदीस ही नसे सरीह और हुज्जते क़ातिअ है। वल्लाहु आलम!

हाफ़िज़ इब्ने हज़्म (ﷀ) इसके जवाब में फ़रमाते हैं: ये हदीस उनके क़ौल पर क़तअन दलालत नहीं करती क्योंकि ये अइम्मा भी हमारे साथ इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नमाज़े फ़ज्र का वक़्त ज़ुहर तक मुमतद नहीं है, लिहाज़ा ये बात दुरुस्त ठहरी कि हर नमाज़ का वक़्त मा'बाद नमाज़ के साथ मुत्तसिल (जुड़ा) नहीं। इसमें तो सिर्फ़ उस शख़्स के गुनाह का ज़िक्र है जो एक नमाज़ को दूसरी नमाज़ के वक़्त तक मुअख़्ख़र करता है और बस। उस का वक़्त दूसरी नमाज़ से मुत्तसिल हो या न हो, फिर इस हदीस में इस बात का भी तो ज़िक्र नहीं कि अगर कोई इस हद तक ताख़ीर कर दे कि उस नमाज़ का वक़्त तो निकल जाये लेकिन दूसरी का वक़्त अभी तक न हो। इस हदीस में इस हवाले से ख़ामोशी है जबकि दीगर अहादीस में इसकी सराहत मौजूद है कि इस का वक़्त निकल जाता है ... (महली इब्ने हज़्म: 3/179)

मुहद्दिस अलअस्र अल्लामा अल्बानी (ﷀ) फ़रमाते हैं: 'जब ये साबित हो गया कि इस हदीस में इस बात की दलील नहीं कि वक़्ते ईशा फ़ज्र तक मुमतद (वसीअ) है तो फिर यक़ीनन इन अहादीस की तरफ़ रुजूअ करना लाज़िमी ठहरता है जिनमें सराहतन वक़्ते ईशा की तहदीद मौजूद है जैसा कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का ये फ़रमान है: 'नमाज़े ईशा का वक़्त पहले निस्फ़ तक है ...'(तमामुल मिन्नत: 141, 142)

इन मारूज़ात की रोशनी में पता चलता है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) वग़ैरह की अहादीस में औक़ाते मुस्तहबा ही का बयान नहीं बल्कि इसमें बिला अब्हाम सराहतन औक़ात की तहदीद है, इसलिए हदीस में वारिद अल्फ़ाज़: (إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) से मुराद ईशा का वक़्त मुख़्तार नहीं जैसा कि इमाम नववी (ﷀ) ने शरह मुस्लिम में फ़रमाया है। (शरह सहीह मुस्लिम: 5/155) बल्कि इसके बरअक्स इसमें इन्तिहा-ए-वक़्ते ईशा की तहदीद है जैसा कि इमाम बुख़ारी (ﷀ) के तर्जुमतुल बाब से भी इस मौक़फ़ की ताईद होती है, वह लिखते हैं: (وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)(सहीह बुख़ारी, रक़म अलबाब: 25) वल्लाहु आलम!

बिलफ़र्ज़ अगर इस नुक़्त-ए-नज़र के हामिलीन की ये बात तस्लीम भी कर ली जाये कि हर नमाज़ का वक़्त दूसरी नमाज़ तक मुमतद है लेकिन फ़ज्र इससे मुस्तसना है क्योंकि दीगर सरीह दलाइल की रोशनी में तुलूअे आफ़ताब तक इसकी तहदीद है तो क्या यही इस्तिसना व तख़सीस दीगर दलाइल की रू से नमाज़े ईशा में नहीं की जा सकती? बहरहाल मज़कूरा गुज़ारिशात की रोशनी में राजेह यही ठहरता है कि वक़्ते ईशा तुलूअे फ़ज्र तक मुमतद नहीं बल्कि इसका वक़्ते अदा निस्फ़ शब तक है। हाँ मजबूरी और इज़्तिरार की सूरत में जब भी मुमकिन हो नमाज़े ईशा पढ़ी जा सकती है। वल्लाहु आलम! (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب المواقيت

औक़ाते नमाज़ का बयान

बाब : (1)
हज़रत जिब्रईल (ﷺ) की इमामत, और पाँचों नमाज़ के औक़ात की हद बन्दी

(495) इमाम इब्ने शिहाब ज़ुहरी से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) (गर्वनर मदीना) ने अस्र की नमाज़ वक़्त से कुछ मुअख़्ख़र की तो हज़रत उरवा ने उनसे फ़रमाया: जिब्रईल (ﷺ) उतरे थे और उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के आगे खड़े होकर आपको नमाज़ पढ़ाई थी। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कहने लगे: उरवा देखो! क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा: मैंने बशीर बिन अबू मसऊद को ये कहते हुए सुना कि मैंने अबू मसऊद (رضي الله عنه) को ये कहते हुए सुना कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना: 'जिब्रईल (ﷺ) उतरे और मुझे नमाज़ पढ़ाई। मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने उनके साथ नमाज़ पढ़ी।' आप (ﷺ) ने अपनी उंगलियों

باب (١)
إِمَامَةُ جِبْرِيلَ وَتَحْدِيدُ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ . فَقَالَ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَّنِي فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ " . يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ .

पर पाँचों नमाज़ें शुमार कीं।

(495) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3221, व मुस्लिम, हदीस: 610.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) ने नमाज़े अस्र को मुस्तहब वक़्त से कुछ मुअख़्ख़र किया था, न कि कुल वक़्त से। और ये वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर की बात है जबकि आप उसकी तरफ़ से मदीने के गर्वनर मुक़र्रर हुए थे। हज़रत उरवा का मक़सद ये था कि नमाज़ का वक़्त इन्तिहाई अहमियत का हामिल है यहाँ तक कि वक़्त बताने के लिए हज़रत जिब्राईल(عليه السلام) उतरे थे, लिहाज़ा नमाज़ की अदायगी में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। **(2)** हज़रत जिब्राईल (عليه السلام) ने दो दिन नमाज़ पढ़ाई थी। पहले दिन सब नमाज़ें अव्वल वक़्त में और दूसरे दिन आख़िरी वक़्त में। इस रिवायत में औक़ात ज़िक्र नहीं किये गये क्योंकि मक़सद सिर्फ़ ये बतलाना था कि जिब्राईल (عليه السلام) ने औक़ात बतलाये थे, औक़ात का इल्म हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़(رحمه الله) को पहले से था। उनके बारे में मन्क़ूल है कि मज़कूरा रिवायत सुनने के बाद उन्होंने कभी नमाज़ में ताख़ीर नहीं की। तफ़सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक़्बा, शरह सुनन नसाई: 6/241-255) **(3)** उमरा अगर किसी ख़िलाफ़े सुन्नत काम का इरतिकाब करें तो अहले इल्म की ज़िम्मेदारी है कि उनकी इस्लाह करें और गाहे बगाहे उन्हें तम्बीह करते रहें। **(4)** आलिमे दीन से मसले की दलील तलब की जा सकती है और आलिम को चाहिए कि वह ख़ालिस किताब व सुन्नत के दलाइल से साइल की तशफ़्फ़ी कराये। **(5)** इख़्तिलाफ़ के वक़्त क़ुर्आन व सुन्नत की तरफ़ रुजूअ किया जायेगा। **(6)** ख़बर वाहिद हुज्जत है।

बाब : (2)
ज़ुहर की नमाज़ का अव्वल वक़्त

(496) सय्यार बिन सलामा से रिवायत है, वह बयान करते हैं कि मैंने अपने वालिद मुहतरम को हज़रत अबू बरज़ा (رضي الله عنه) से नबी (ﷺ) की नमाज़ के बारे में सवाल करते सुना। (सय्यार के शागिर्द शोबा कहते हैं कि) मैंने (सय्यार से) कहा: क्या आपने उन (अपने बाप) से सुना है? उन्होंने (सय्यार) ने कहा: (मैंने उसी तरह सुना है) जिस

باب: (٢)
أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ أَبَا بَرْزَةَ، عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ

قَالَ كَمَا أَسْمَعُكَ السَّاعَةَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَسْأَلُ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ لاَ يُبَالِي بَعْضَ تَأْخِيرِهَا - يَعْنِي الْعِشَاءَ - إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا . قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ يَذْهَبُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ لاَ أَدْرِي أَىَّ حِينٍ ذَكَرَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ جَلِيسِهِ الَّذِي يَعْرِفُهُ فَيَعْرِفُهُ . قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

तरह मैं इस वक़्त तुमसे सुन रहा हूँ। कहा: मैंने अपने वालिद से सुना, वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में सवाल कर रहे थे तो हज़रत अबू बरज़ा (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया कि आप (ﷺ) ईशा की नमाज़ को निस्फ़ रात तक मुअख़्ख़र करने में कोई परवाह नहीं करते थे। आप ईशा की नमाज़ से पहले सोने और नमाज़ के बाद बातें करना पसन्द नहीं फ़रमाते थे। शोबा कहते हैं: बाद में मैं उन (सय्यार) से मिला तो मैंने (बतौरे व वुसूक़ (मज़बूती) हज़रत अबू बरज़ा (رضی اللہ عنہ) की हदीस़ के बारे में) फिर सवाल किया तो उन्होंने (हज़रत अबू बरज़ा(رضی اللہ عنہ) ने कहा: आप (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता और अस्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते कि (आपके साथ नमाज़ पढ़ने वाला) आदमी मदीना मुनव्वरा की दूर दराज़ बस्ती तक पहुँच जाता था जब कि अभी सूरज तेज़ होता था। और मग़रिब के बारे में मुझे इल्म नहीं कि उन्होंने कौन सा वक़्त ज़िक्र किया। फिर मैं उसके बाद उन्हें मिला तो उनसे पूछा, फ़रमाने लगे: और आप (ﷺ) सुबह की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते कि नमाज़ी सलाम फेर कर अपने हमनशीन जिसे वह पहले से पहचानता था, के चेहरे को देखता तो उसे पहचान लेता था और आप सुबह की नमाज़ में साठ (60) से सौ (100) तक आयात तिलावत फ़रमाते थे।

(496) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 647, बुख़ारी, हदीस़: 541.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ुहर की नमाज़ का अव्वल वक़्त मुत्तफ़क़ अलैह है, इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं और वह है ज़वाले शम्स। (2) ईशा की नमाज़ नबी (ﷺ) उमूमी तौर पर सुलुस लैल (तिहाई रात) तक पढ़ा करते थे। कभी कभार निस्फ़ रात तक मुअख़्ख़र कर देते। तमाम अहादीस को मिलाने से यही मालूम होता है। राजेह क़ौल के मुताबिक़ निस्फ़ रात ईशा की नमाज़ का आख़िरी वक़्त है। (3) सूरज के तेज़ होने का मतलब ये है कि सूरज अभी ज़र्द नहीं होता था।

أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الظُّهْرِ .

(497) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सूरज ढलने के वक़्त (अपने हुज्र-ए-मुबारका से) निकले और उन्हें नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई।

(497) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 540, व मुस्लिम, हदीस: 2359/136, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1484.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا . قِيلَ لأَبِي إِسْحَاقَ فِي تَعْجِيلِهَا قَالَ نَعَمْ .

(498) हज़रत ख़ब्बाब (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़मीन के गर्म होने का शिक्वा किया लेकिन आपने हमारी शिकायत दूर न की। अबू इस्हाक़ से कहा गया: (सहाब-ए-किराम (ﷺ) का शिक्वा) नमाज़ जल्दी पढ़ने के बारे में था? उन्होंने कहा: हाँ।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 619/190.

फ़वाइद व मसाइल : अगरचे आप गर्मियों की शिद्दत में नमाज़े ज़ुहर को कुछ मुअख़्ख़र करते थे जैसा कि आगे आ रहा है, मगर उस वक़्त तक भी ज़मीन गर्म ही रहती है, लिहाज़ा आमद व रफ़्त और नमाज़ की अदायगी में गर्म ज़मीन तकलीफ़ देती थी। ज़ाहिर है नमाज़ को इतना मुअख़्ख़र नहीं किया जा सकता कि अस्र का वक़्त हो जाये।

باب : (٣) تَعْجِيلِ الظُّهْرِ فِي السَّفَرِ

बाब : (3)
सफ़र में ज़ुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ . فَقَالَ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ بِنِصْفِ النَّهَارِ .

(499) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) जब किसी मन्ज़िल में उतरते थे तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने से पहले वहाँ से कूच न फ़रमाते थे। एक आदमी ने कहा: अगरचे सूरज सर पर होता? फ़रमाया: अगरचे सूरज सर पर होता।

(499) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1205, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1485.

फ़ायदा : मतलब ये है कि सूरज ढलते ही नमाज़े ज़ुहर पढ़ लेते थे। उर्फ़े आम में इसे भी सूरज सर पर होने ही से ताबीर किया जाता है।

باب : (٤) تَعْجِيلُ الظُّهْرِ فِي الْبَرْدِ

बाब : (4)
सर्दियों में ज़ुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلاَةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ .

(500) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि जब गर्मी होती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े ज़ुहर को ठण्डी करके पढ़ते थे और जब सर्दी होती तो जल्दी पढ़ते।

(500) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 906, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1486.

फ़ायदा : 'इब्राद' के मानी हैं: नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ना, मगर हक़ीक़तन ठण्डा वक़्त मुराद नहीं है क्योंकि वह तो गर्मियों में मग़रिब के क़रीब होगा बल्कि निस्फ़ुलनिहार के मुक़ाबले में कुछ ठण्डा वक़्त मुराद है, यानी जब दीवारों का साया पाँव रखने के क़ाबिल हो जाये। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, वक़्त

कम होता है, अव्वल वक़्त से ताख़ीर की कोई वजह भी नहीं होती, इसलिए आप नमाज़ जल्दी अदा फ़रमाते। मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

बाब : (5) गर्मी ज़्यादा हो तो ज़ुहर को ठण्डा करके पढ़ना

باب : (٥) اَلْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

(501) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब गर्मी ज़्यादा हो तो नमाज़ को ठण्डी करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम का जोश है।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 615...., बुख़ारी हदीस: 536, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1489.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सख़्त गर्मियों में ज़ुहर को मुअख़्ख़र करना ज़रूरत की बिना पर है या मुस्तहब? इसमें इख़्तिलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) का ख़्याल है कि अगर लोगों को आमद व रफ़्त और नमाज़ की अदायगी में तकलीफ़ न हो, जैसे: लोग पहले से जमा हैं और नमाज़ की जगह सायेदार है तो नमाज़ अव्वल वक़्त में अदा करना ही अफ़ज़ल हैं अगर नमाज़ियों को तकलीफ़ हो तो नमाज़ लेट की जा सकती है, जब कि कुछ अहले इल्म का ख़्याल है कि शिद्दते गर्मी का वक़्त जहन्नम के साथ तश्बीह की बिना पर मकरूह होता है, लिहाज़ा इस वक़्त में नमाज़ मुनासिब नहीं, ताख़ीर करनी चाहिए। दीगर दलाइल की रोशनी में पहले मौक़फ़ की ताईद होती है। हाफ़िज़ इब्ने हजर(رحمه الله) ने इसी को अज़हर क़रार दिया है। चूंकि सर्दियों में इस शिद्दत का सामना नहीं होता और तकलीफ़ भी महसूस नहीं होती, इसलिए नमाज़ जल्दी पढ़ना मुस्तहब है। इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) ने इल्लत को मुक़द्दम रखा है। **(2)** 'जहन्नम का जोश' बहुत से अहले इल्म ने इसे हक़ीक़त पर महमूल किया है कि गर्मी का ताल्लुक़ जहन्नम के साथ है। जब जहन्नम को जोश आता है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है और ये कोई बईद नहीं। और अल्फ़ाज़ का ज़ाहिरी मानी मुराद लेना ही बेहतर है। दुनिया का सारा निज़ाम ही ग़ैर मरवी सहारों पर क़ायम है। मुमकिन है कि सूरज का जहन्नम से कोई ताल्लुक़ हो, अलबत्ता कुछ हज़रात के बक़ौल अगर इसे तश्बीह पर महमूल किया जाये तो बलाग़ते कलाम का बेहतरीन नमूना होगा, यानी गर्मी की शिद्दत तकलीफ़देह चीज़ है, जहन्नम की लौ की तरह। अहले इस्लाम के नज़दीक सबसे लज़ीज़ चीज़ जन्नत है और सबसे तकलीफ़देह और क़बीह चीज़ जहन्नम है, इसलिए मुफ़ीद, अच्छी और लज़ीज़ चीज़ की निस्बत जन्नत की तरफ़ और

तकलीफ़ और नुक़सानदेह और क़बीह चीज़ की निस्बत जहन्नम की तरफ़ कर दी जाती है। यही हाल फ़रिश्ते और शैतान की तरफ़ निस्बत का है कि मक़सद सिर्फ़ तश्बीह और ज़हनी तवज्जह होती है न कि ज़ाहिर अल्फ़ाज़। रसूलुल्लाह (ﷺ) बलीग़ तरीन इंसान थे। आपका कलाम तश्बीहात, इस्तिआरात (इल्मे बयान) और किनायात का आला नमूना होता था, लिहाज़ा कोई बईद नहीं कि ये कलाम भी तश्बीहे बलीग़ का नमूना हो। वल्लाहु आलम! (3) जन्नत और जहन्नम का वुजूद मौजूद है।

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَأَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، يَرْفَعُهُ قَالَ " أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ الَّذِي تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

(502) हज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) से मरफ़ूअ रिवायत है वह बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ुहर की नमाज़ (कुछ) ठण्डक में पढ़ो क्योंकि जो गर्मी तुम महसूस करते हो, वह जहन्नम का जोश है।'

(502) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 537, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1490.

फ़ायदा : वज़ाहत के लिए देखिये हदीस: 500, 501.

باب: (٦) آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ

बाब : (6) नमाज़े ज़ुहर का आख़िरी वक़्त

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ جَاءَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ "

(503) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये जिब्राईल (عليه السلام) हैं जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आये हैं, फिर ज्यूं ही फ़ज्र तुलूअ हुई उन्होंने सुबह की नमाज़ और जब सूरज ढल गया तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर अस्र की नमाज़ पढ़ाई जब

. فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ رَأَى الظِّلَّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ شَفَقُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى بِهِ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ قَلِيلاً ثُمَّ صَلَّى بِهِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِوَقْتٍ وَاحِدٍ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ " الصَّلاَةُ مَا بَيْنَ صَلاَتِكَ أَمْسِ وَصَلاَتِكَ الْيَوْمَ ".

उन्होंने हर चीज़ का साया उसके बराबर (ज़वाल के साये के अलावा) देख लिया, फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई जूं ही सूरज गुरूब हुआ और रोज़ेदार के लिए रोज़ा खोलना हलाल हो गया, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ाई जब रात की सुर्ख़ी ग़ालिब हो गई। फिर अगले दिन वह (जिब्राईल(ﷺ)) दोबारा आप (ﷺ) के पास आये और आपको सुबह की नमाज़ पढ़ाई जब थोड़ी सी रोशनी फैल गई थी, फिर आपको ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया, फिर अस्र की नमाज़ पढ़ाई जब हर चीज़ का साया दुगना हो गया, फिर मग़रिब की नमाज़ कल वाले वक़्त ही पर पढ़ाई, यानी जब सूरज गुरूब हो गया और रोज़ेदार के लिए रोज़ा खोलना हलाल हो गया, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ाई जब रात का कुछ हिस्सा गुज़र गया, फिर फ़रमाया: हर नमाज़ का वक़्त तुम्हारी कल और आज की नमाज़ का दरम्यानी वक़्त है।'

(503) तख़रीज : (सनद हसन) हाकिम: 1/194, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1493.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ुहर की नमाज़ का आख़िरी वक़्त और अस्र की नमाज़ का अव्वल वक़्त इस हदीस और दूसरी तमाम अहादीसे सहीहा की रू से मिस्ले अव्वल ही है, यानी जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो जाये मगर ये बराबरी ज़वाल के साये को निकाल कर हो। ज़वाल के साये से मुराद वह साया है जो सूरज ढलने के वक़्त किसी चीज़ का होता है। उसी साये के अलावा साया उस चीज़ के बराबर हो जाये तो ज़ुहर का वक़्त ख़त्म और अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है। ये जुम्हूर अहले इल्म, सहाबा, ताबेईन, मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का मज़हब है। मगर इमाम अबू हनीफ़ा (ﷺ) के नज़दीक ज़ुहर का

वक़्त दो मिस्ल साये तक रहता है, यानी जब हर चीज़ का साया दुगना हो जाये। लेकिन ये बात नक़ली दलाइल से ख़ाली है, इसी लिए इस मसले में इमाम साहब के शागिर्द भी उनका साथ न दे सके। कुछ अक़्ली दलाइल हैं मगर सरीह और सहीह अहादीस़ के मुक़ाबले में अक़्ली दलाइल कोई हैसियत नहीं रखते। ये शाज़ मज़हब है। कुछ अहनाफ़ ने इमाम साहब की कुछ रिआयत करते हुए मिस्ले अव्वल और मिस्ले सानी के बीच वक़्त को ज़ुहर व अस्र दोनों के लिए बेजोड़ क़रार दिया है, लेकिन ये भी ग़लत है क्योंकि इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि ज़ुहर का आख़िरी वक़्त और अस्र का अव्वल वक़्त मुत्तसिल हैं, दरम्यान में कोई फ़ासला नहीं है। (2) अस्र का मुख़्तार वक़्त मिस्ले सानी पर ख़त्म हो जाता है जब कि मजबूर व माज़ूर के लिए ग़ुरूबे आफ़ताब तक बाक़ी रहता है। (3) मग़रिब की नमाज़ दोनों दिन तक़रीबन एक ही वक़्त में पढ़ी क्योंकि मग़रिब का वक़्त दीगर नमाज़ों के औक़ात की निस्बत कम होता है और ग़ालिबन अव्वल वक़्त ही का एहतिमाम किया गया है। इसका ये मक़सद नहीं कि फ़र्ज़ नमाज़ से पहले दो रकअत की नफ़ी कर दी जाये बल्कि वह नमाज़ भी अहादीसे सहीहा से साबित है और अहादीस़ में इसकी तर्ग़ीब दिलाई गई है। बहरहाल ऐतदाल से काम लेना चाहिए। (4) पहले दिन की नमाज़ के आग़ाज़ और दूसरे दिन की नमाज़ के इख़्तिताम का दरम्यानी वक़्त उस नमाज़ का पूरा वक़्त है लेकिन अफ़ज़ल वक़्त कौन सा है? वह ईशा के अलावा हर नमाज़ का अव्वल वक़्त है और ईशा को मुअख़्ख़र कर के पढ़ना अफ़ज़ल है। (5) नमाज़ की अहमियत और क़द्रो मन्ज़िलत का अन्दाज़ा होता है कि ये ऐसा अज़ीमुश्शान और अहमियत का हामिल अमल है जिसकी अल्लाह तआला ने जिब्रईल (عليه السلام) को भेज कर अमली मश्क़ कराई, दीगर अहकाम की तरह सिर्फ़ क़ौल पर इक्तिफ़ा नहीं किया। (6) नबी-ए-अकरम (ﷺ) अल्लाह तआला की इजाज़त के बग़ैर बज़ाते ख़ुद कोई अमल मशरूअ क़रार नहीं दे सकते। (7) अल्लाह तआला का फ़ज़्ले अज़ीम है कि उसने नमाज़ों के औक़ात वसीअ रखे, उन्हें तंग नहीं रखा कि कहीं लोग मशक़्क़त में न पड़ जायें। बेशक अल्लाह तआला फ़ज़्ले अज़ीम का मालिक है।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَذْرَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلاَةِ

(504) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ुहर की नमाज़ गर्मियों में तीन से पाँच क़दम के बक़द्र (साये में) और सर्दियों में पाँच से सात क़दम के बक़द्र (साये में) होती थी।

(504) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस:

400, सुननिल कुब्रा अन्नसाई, हदीस: 1492.

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरज के साये का हिसाब हर इलाक़े में अलग अलग होता है, अलबत्ता गर्मियों में ज़वाल के वक़्त कम साया होता है और सर्दियों में ज़्यादा। नबी (ﷺ) का इलाक़ा मदीना मुनव्वरा है, लिहाज़ा क़दमों का हिसाब उस इलाक़े के लिहाज़ ही से होगा। हमारे यहाँ एशिया में ज़वाल के वक़्त मदीना मुनव्वरा की निस्बत ज़्यादा साया होता है। (2) यहाँ साये से मुराद कुल साया है न कि ज़वाल के साये के अलावा, अलबत्ता मदीना मुनव्वरा में गर्मियों में ज़वाल का साया एक आध क़दम ही होता है जब कि सर्दियों में चार पाँच क़दम, गोया कि आप (ﷺ) गर्मियों में साया ज़वाल से तीन चार क़दम मुअख़्ख़र करते थे और सर्दियों में एक दो क़दम। हम अपने इलाक़े में ज़वाल के साये के अलावा मज़कूरा हिसाब से ताख़ीर कर सकते हैं। (3) इस साये से मुराद इंसान का अपना साया है। हर आदमी का क़द अपने सात क़दम के बराबर होता है। क़दम से मुराद पाँव है, न कि दो क़दमों (पाँव) का दरम्यानी फ़ासला। (4) अल्लामा सिंधी ने सुनन नसाई के हाशिये में लिखा है कि इस हदीस के मानी ये हैं कि आप ज़वाल के बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा ताख़ीर करते, वह इसी क़द्र होती थी कि गर्मियों में साया तीन से पाँच क़दम और सर्दियों में पाँच से सात क़दम तक होता था और इस साये में असल और ज़्यादा दोनों साये शुमार होते हैं।

बाब : (7)
अस्र की नमाज़ का अव्वल वक़्त

بَاب : (٧) أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ

(505) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से नमाज़ों के औक़ात के बारे में पूछा तो आपने फ़रमाया: 'मेरे साथ नमाज़ पढ़ो।' आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई जब सूरज ढल गया और अस्र की नमाज़ पढ़ाई जब हर चीज़ का साया उसके बराबर हो गया और मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई जब सूरज ग़ुरूब हो

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ ‏"‏ صَلِّ مَعِي ‏"‏ ‏.‏ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ

حِينَ كَانَ فَيْءُ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَالْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَهُ وَالْعَصْرَ حِينَ كَانَ فَيْءُ الإِنْسَانِ مِثْلَيْهِ وَالْمَغْرِبَ حِينَ كَانَ قُبَيْلَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ثُمَّ قَالَ فِي الْعِشَاءِ أُرَى إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ .

गया। और ईशा की नमाज़ पढ़ाई जब शफ़क़ गुरूब हो गई। और (अगले दिन) आपने नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई जब इंसान का साया उसके बराबर हो गया और अस्र की नमाज़ पढ़ाई जब इंसान का साया उससे दुगना हो गया और मग़रिब की नमाज़ गुरूबे शफ़क़ से थोड़ी देर पहले पढ़ाई और ईशा की नमाज़ तिहाई रात के वक़्त पढ़ाई।

(505) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/351, 352, अबू दाऊद, हदीस: 395.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में फ़ज्र के सिवा बाक़ी नमाज़ों के अव्वल और आख़िरी औक़ात बयान कर दिये गये हैं, अलबत्ता ईशा का आख़िरी वक़्त दूसरी रिवायात के मुताबिक़ निस्फ़ लैल है और यही सहीह है। **(2)** अस्र के अव्वल वक़्त की तफ़्सीली बहस के लिए देखिये हदीस: 503 **(3)** सहाब-ए-किराम (ﷺ) के शौक़ और एहतिमाम का पता चलता है कि वह अहकामे शरइया को सिखने में किस क़द्र सरगर्म थे। **(4)** आलिमे दीन की ज़िम्मेदारी है कि वह नावाक़िफ़ लोगों को मसाइले शरइया से आगाह करे और तफ़हीम का ऐसा अन्दाज़ा इख़्तियार करे कि जिससे मसला आसानी से और जल्दी समझ में आ जाये और अवाम के ज़हनों में बैठ जाये।

باب : (٨) تَعْجِيلُ الْعَصْرِ

बाब : (8)
अस्र को जल्दी पढ़ना मसनून है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى صَلاَةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا .

(506) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अस्र की नमाज़ पढ़ी जब कि धूप अभी हुज्र-ए-आयशा में थी, यानी साया उनके हुज्रे से बाहर नहीं निकला था।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 545, व मुस्लिम, हदीस: 611, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1494.

फ़ायदा : हदीस का मक़सद अस्र की नमाज़ जल्दी पढ़ना है, यानी मिस्ले अव्वल होते ही पढ़ लेते थे। हज़रत आयशा (ﷺ) के हुज्रे से मुराद उनके घर का सहन है जो दीवार से घिरा हुआ था। दोपहर को पूरे

सहन में धूप होती थी और जैसे जैसे सूरज ढलता जाता था, मग़रिबी दीवार का साया सहन में फैलता जाता था, लेकिन दीवार चूंकि बहुत ज़्यादा ऊँची न थी, इसलिए अभी सहन में धूप बाक़ी रहती थी, मशरिक़ी दीवार पर साया चढ़ न पाता था कि वह मग़रिबी दीवार के एक मिस्ल हो जाता था और उस वक़्त नमाज़ क़ायम कर दी जाती थी।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَالَ الآخَرُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

(507) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र की नमाज़ अदा फ़रमाते, फिर जाने वाला क़ुबा तक जाता। (ज़ुहरी और इस्हाक़ में से) एक ने कहाः वह उनके पास पहुँचता तो अभी वह नमाज़े अस्र पढ़ रहे होते थे। और दूसरे ने कहाः और सूरज अभी ऊँचा होता था।

(507) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीसः 548, व मुस्लिम, हदीसः 621, मोत्ता: 1/9, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 1495.

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी चीज़ का साया एक मिस्ल होते ही अस्र की नमाज़ अदा फ़रमा लेते थे जब कि क़ुबा वाले काम काज और दीगर मसरूफ़ियात की बिना पर नमाज़ कुछ देर से पढ़ते थे। गोया सूरज ज़र्द होने से पहले पहले नमाज़ पढ़ना बिला कराहत जायज़ है मगर अफ़ज़ल यही है कि मिस्ले अव्वल होते ही नमाज़ पढ़ ली जाये क्योंकि ये नबी (ﷺ) का फ़ेअल है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

(508) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र की नमाज़ अदा फ़रमाते थे जब कि सूरज काफ़ी बुलन्द और तेज़ होता था। आपके साथ नमाज़ पढ़ने वाला अवाली को जाता तो सूरज अभी ऊँचा होता था।

(508) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 551, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 1495.

फ़ायदा : अवाली से मुराद मदीने की वह मुज़ाफ़ाती बस्तियाँ हैं जो मदीना मुनव्वरा के बुलन्द अतराफ़ में आबाद थीं। वह कम अज़ कम दो मील और ज़्यादा से ज़्यादा आठ मील तक दूर थीं।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي الأَبْيَضِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ .

(509) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें अस्र की नमाज़ पढ़ाते तो सूरज सफ़ेद और बुलन्द होता था।

(509) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/131, 169, 184, 232.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، يَقُولُ صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ قُلْتُ يَا عَمِّ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّيْتَ قَالَ الْعَصْرَ وَهَذِهِ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي .

(510) अबू उमामा बिन सहल बयान करते हैं कि हमने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फिर हम निकले यहाँ तक कि हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के पास पहुँचे तो हमने उन्हें अस्र की नमाज़ पढ़ते पाया। मैंने कहा: चचा जान! ये कौन सी नमाज़ आपने पढ़ी है? उन्होंने फ़रमाया: अस्र की। और ये अल्लाह के रसूल (ﷺ) की नमाज़ है जो हम (आपके साथ) पढ़ते थे।

(510) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 549, व मुस्लिम, हदीस: 623.

फ़ायदा : ख़लिफ़-ए-बनू उमय्या ज़ुहर की नमाज़ उमूमन लेट पढ़ा करते थे यहाँ तक कि आख़िरी वक़्त आ जाता था। इस वाक़िये के वक़्त हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे। ख़ुल्फ़ा की इत्तिबा में वह भी नमाज़ लेट करते थे। जब उन्हें बताया गया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ जल्दी पढ़ा करते थे तो उन्होंने ताख़ीर छोड़ दी।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْمَدَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(511) हज़रत अबू सलमा से मरवी है कि हमने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) के दौर

عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ صَلَّيْنَا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَنَا أَصَلَّيْتُمْ قُلْنَا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ . قَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ . فَقَالُوا لَهُ عَجَّلْتَ . فَقَالَ إِنَّمَا أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ .

(गर्वनरी) में नमाज़ पढ़ी, फिर हम हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) की तरफ़ चले। हमने उन्हें नमाज़ पढ़ते पाया। जब वह फ़ारिग़ हुए तो हमें कहने लगे: तुमने नमाज़ पढ़ ली है? हमने कहा: हमने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी है। वह कहने लगे: मैंने तो अ़स्र की नमाज़ पढ़ी है। लोगों ने कहा: आपने जल्दी की है। उन्होंने फ़रमाया: मैं तो उसी तरह नमाज़ पढ़ता हूँ जिस तरह मैंने अपने साथियों को पढ़ते देखा है। (511) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : इन तमाम रिवायात से ये बात सराहतन मालूम हो गई कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अ़स्र की नमाज़ वक़्त शुरू होते ही पढ़ लिया करते थे। और यही सुन्नत है। अगरचे सूरज ज़र्द होने से पहले पहले नमाज़ अदा करना बिला कराहत जायज़ है मगर औला नहीं, लिहाज़ा अ़स्र की नमाज़ अव्वल वक़्त में पढ़नी चाहिए। किसी मसरूफ़ियत की बिना पर कभी कभार लेट हो तो कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम!

بَاب : (٩) التَّشْدِيدِ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ

बाब : (9) अ़स्र को देर से पढ़ने पर सख़्ती

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ مُقَاتِلِ بْنِ مُشَمْرِجِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ - وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ - فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ قُلْنَا لاَ إِنَّمَا انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ . قَالَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ . قَالَ فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "

(512) हज़रत अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान ने कहा कि वह हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के पास बसरा में उनके घर गये जब कि वह (अ़ला) ज़ुहर से फ़ारिग़ हुए थे। और हज़रत अनस का घर मस्जिद के साथ ही था। जब हम आपके पास गये तो आपने फ़रमाया: क्या तुमने अ़स्र की नमाज़ पढ़ ली है? हमने कहा: नहीं, हम तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ कर आये हैं। आपने फ़रमाया: फिर अ़स्र की नमाज़ पढ़ लो। हम उठे और अ़स्र की नमाज़ पढ़ी। जब हम फ़ारिग़ हुए तो आपने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़रमाते

تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ جَلَسَ يَرْقُبُ صَلاَةَ الْعَصْرِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً " .

हुए सुनाः 'ये मुनाफ़िक़ की नमाज़ है। वह बैठा अस्र की नमाज़ का इन्तिज़ार करता रहता है यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान हो जाता है तो वह उठता है, चार ठोंगे (चोंचें) मारता है और इस दौरान में अल्लाह का ज़िक्र भी नहीं करता मगर थोड़ा।'

(512) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 622, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 1497.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान होने से मुराद ये भी हो सकता है कि वह गुरूब के क़रीब होता है, उस वक़्त सूरज के पुजारी उसकी पूजा करते हैं, ये शैतानी काम है, इसलिए ऊपर दिये गये लफ़्ज़ों से बयान फ़रमाया। कुछ अहले इल्म ने इसे हक़ीक़त पर महमूल किया है कि तुलूअ, गुरूब और इस्तवा (सर पर होने) के क़रीब शैतान सूरज के पास आ खड़ा होता है, इस तरह कि सूरज उसके दो सींगों के दरम्यान होता है, ताकि सूरज के पुजारी उसकी भी पूजा करें। शायद इसी बिना पर मुसलमानों को इन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से रोक दिया गया है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'चार ठोंगे (चोंचें) मारता है।' चूंकि सूरज तक़रीबन गुरूब हो रहा होता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ता है। देखने में ऐसे लगता है जैसे कव्वा ठोंगे मार रहा हैं अरकान के अज़कार व औराद भी सही तरह नहीं पढ़ता क्योंकि रग़बत नहीं होती, लिहाज़ा कुछ पढ़ा गया, कुछ रह गया। चूंकि रकअतें चार हैं, लिहाज़ा चार ठोंगे कहा गया है। इनमें सज्दे गो आठ हैं मगर जल्द जल्द करने की वजह से गोया दोनों मिलकर एक ठोंगा मारने के बराबर हुए। **(3)** मोमिन की नमाज़ इत्मीनान, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ और अज़कारे मसनूना से मुज़य्यन होती है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

(513) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिससे अस्र की नमाज़ रह जाये, वह यूँ समझे कि उसके अहल व अयाल और घर बार लुट गये।'

(513) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीसः 626, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 1498.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

फ़ायदा : फ़वाइद के लिए देखिये हदीस: 479.

باب : (١٠) آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ

बाब : (10) नमाज़े अस्र का आख़िरी वक़्त

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ، - يَعْنِي ابْنَ شِهَابٍ - عَنْ بُرْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُ مَوَاقِيتَ الصَّلاَةِ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَتَاهُ حِينَ كَانَ الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ

(514) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि जिब्रईल (ﷺ) नबी (ﷺ) के पास आपको नमाज़ के औक़ात बतलाने के लिए आये। जिब्रईल.आगे खड़े हुए, रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पीछे और लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे थे। इस तरह आपने ज़ुहर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ी जब सूरज ढला, फिर जब हर शख़्स का साया उसके बराबर हो गया (साया-ए-ज़वाल के अलावा) तो जिब्रईल फिर आये और उसी तरह किया जिस तरह (ज़ुहर के वक़्त) किया था, यानी जिब्रईल आगे हो गये, रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पीछे और लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे। इस तरह अस्र की नमाज़ पढ़ी। फिर जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो जिब्रईल आये, आगे खड़े हुए, रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पीछे और लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे थे, चुनांचे (इस तरह) मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। फिर जब सूरज की सुर्ख़ी ग़ायब हो गई तो जिब्रईल आये, आगे खड़े हुए,

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَتَقَدَّمَ جِبْرِيلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ أَتَاهُ الْيَوْمَ الثَّانِيَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصِهِ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ فَنِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا ثُمَّ نِمْنَا ثُمَّ قُمْنَا فَأَتَاهُ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ امْتَدَّ الْفَجْرُ وَأَصْبَحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ بِالأَمْسِ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ قَالَ " مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ وَقْتٌ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके पीछे और लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे थे। इस तरह ईशा की नमाज़ पढ़ी। फिर जब फ़ज्र की रोशनी फूटी तो जिब्राईल आये, आगे खड़े हो गयें उनके पीछे रसूलुल्लाह (ﷺ) और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे लोग खड़े हो गये और फ़ज्र की नमाज़ अदा की। फिर दूसरे दिन जिब्राईल उस वक़्त आये जब हर आदमी का साया उसके क़द के बराबर हो गया और उसी तरह किया जिस तरह कल किया था और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर आये जब हर आदमी का साया उसके क़द से दुगना हो गया और उसी तरह किया जिस तरह कल किया था और अस्र की नमाज़ पढ़ी। फिर आये जब सूरज गुरूब हो गया और उसी तरह किया जिस तरह कल किया था और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर हम सो गये, फिर उठे (मगर वह अभी न आये थे) हम फिर सो गये, फिर उठे तो जिब्राईल आये और उसी तरह किया जिस तरह कल किया था और ईशा की नमाज़ पढ़ी। फिर आये जब फ़ज्र फैल गई थी और रोशनी हो गई थी और सितारे घने नज़र आ रहे थे और उसी तरह किया जैसे कल किया था और सुबह की नमाज़ पढ़ी। फिर फ़रमाया: (आज और कल की) दो नमाज़ों का दरम्यानी वक़्त हर नमाज़ का वक़्त है।

(514) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 1/196, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1507, हदीस: 527 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि हज़रत जाबिर

भी मौक़े पर मौजूद थे जब कि मशहूर ये है कि जिब्राईल (ﷺ) का तालीमे औक़ात के लिए आना मक्की ज़िन्दगी की बात है। मुमकिन है हज़रत जाबिर (ﷺ) ने किसी और सहाबी से सुना हो या मदीना मुनव्वरा में भी ऐसा वाक़िया हुआ हो। हदीस नम्बर 503 हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है। वहाँ भी ये दोनों एहतिमाल हैं मगर अग़लब ये है कि ये वाक़िया मदीना मुनव्वरा में पेश आया था क्योंकि बाजमाअ़त नमाज़ मक्का में नहीं मदीना मुनव्वरा में होती थी। मज़ीद फ़वाइद के लिए देखिये हदीस: 503.

बाब : (11)
जिसने अस्र की दो रकआत पा लीं (उसने नमाज़ पा ली)

باب : (١١)
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ " .

(515) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने अस्र की दो रकअतें सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ लीं या सुबह की एक रकअत सूरज तुलूअ होने से पहले पढ़ ली तो उसने नमाज़ पा ली।'

(515) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 608/165, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1501.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस का मतलब ये है कि नमाज़ का आग़ाज़ मोतबर है, न कि इख़्तिताम, यानी जिसने नमाज़ वक़्त में शुरू कर ली और कम अज़ कम एक रकअत वक़्त पर पढ़ ली तो उसकी नमाज़ अदा समझी जायेगी, न कि क़ज़ा। **(2)** अगर ऐसी सूरते हाल पैदा हो जाये तो नमाज़ के दौरान में सूरज के तुलूअ या गुरूब होने से नमाज़ फ़ासिद न होगी बल्कि नमाज़ जारी रखे और मुकम्मल करे। जुम्हूर अहले इल्म का यही मौक़फ़ है। अहनाफ़ ने फ़र्क़ किया है कि फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते पढ़ते सूरज तुलूअ हो जाये तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी क्योंकि मकरूह वक़्त नमाज़ के अन्दर शुरू हो गया, अलबत्ता अस्र की नमाज़ में सूरज गुरूब हो जाये तो नमाज़ फ़ासिद न होगी क्योंकि गुरूब से पहले भी मकरूह वक़्त ही था। लेकिन ये इस्तिदलाल और फ़र्क़ बहुत सी अहादीस के ख़िलाफ़ है और ये एक क़यासी बात है जो नस के

मुक़ाबले में मोतबर नहीं, इसीलिए अहले इल्म ने इसे क़ुबूल नहीं किया। **(3)** अहनाफ़ ने इस ऐतराज़ से बचने के लिए इस हदीस़ के मानी ये किये हैं कि जिस शख़्स ने एक रकअत का वक़्त पा लिया, उस पर पूरी नमाज़ का पढ़ना फ़र्ज़ है। मगर कुछ रिवायात में ये सराहत है: 'वह अपनी नमाज़ पूरी करे।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 556) हदीस़: 517 में भी ये सराहत मौजूद है। ये अल्फ़ाज़ उनकी इस तावील को रद्द करते हैं। **(4)** इस हदीस़ में अस्र की दो रकअत पाने का ज़िक्र है जब कि दीगर रिवायात में एक रकअत का भी ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 579, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 608) लिहाज़ा दो रकअत मिल जायें या एक, हुक्म यही है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَوْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ " .

(516) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स सूरज ग़ुरूब होने से पहले अस्र की नमाज़ से एक रकअत पा ले या सूरज तुलूअ होने से पहले सुबह की एक रकअत पा ले तो यक़ीनन उसने वह नमाज़ पा ली।'

(516) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस़: 607/162, बुख़ारी, हदीस़: 556, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1503, इब्ने ख़ुज़ैमा फ़ी सहीहा, हदीस़: 985.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ".

(517) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई शख़्स अस्र की नमाज़ की पहली रकअत सूरज ग़ुरूब होने से पहले पा ले तो वह बाक़ी नमाज़ पूरी करे और जब सुबह की नमाज़ की पहली रकअत सूरज तुलूअ होने से पहले पा ले तो वह बाक़ी नमाज़ पूरी करे। (उसकी नमाज़ फ़ासिद न होगी)'

(517) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 556, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1504, व मुस्लिम, हदीस़: 607. ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

(518) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने सुबह की नमाज़ की एक रकअत तुलूअे शम्स से पहले पा ली तो उसने सारी नमाज़े सुबह पा ली और जिसने अस्र की नमाज़ की एक रकअत गुरूबे शम्स से पहले पा ली तो उसने पूरी नमाज़े अस्र पा ली।'

(518) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 579, व मुस्लिम, हदीस: 608/163, मोत्ता: 1/6, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1502.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأَعْرَجِ، يُحَدِّثُونَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ " .

(519) हज़रत मुआज़ से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मुआज़ बिन अफ़रा (ﷺ) के साथ तवाफ़ किया और (दो रकअत) नमाज़ न पढ़ी। मैंने कहा: आप (तवाफ़ की दो रकअत) नमाज़ नहीं पढ़ेंगे? वह फ़रमाने लगे: तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'अस्र के बाद (नफ़ल) नमाज़ न पढ़ी जाये यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये और सुबह के बाद भी (नफ़ल) नमाज़ न पढ़ी जाये यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये।'

(519) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/219, देखें: 3/428 से 8039.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَاذٍ أَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ أَلاَ تُصَلِّي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلاَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .

फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत ज़ईफ़ अल इस्नाद है, ताहम नमाज़े अस्र और नमाज़े फ़ज्र के बाद तवाफ़ करने की सूरत में तवाफ़ के बाद दो रकअत पढ़ना जायज़ है जैसा कि हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ बनी अब्दे मुनाफ़! कोई शख़्स रात या दिन में जिस वक़्त भी इस घर का तवाफ़ करना और नमाज़ पढ़ना चाहे, तुम उसे मना न करना।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 1894) याद रहें इस फ़रमाने नबवी से मालूम हुआ कि बैतुल्लाह में अस्र के बाद और इसी तरह फ़ज्र के

बाद तवाफ़ जायज़ है, चुनांचे इसके बाद इन ममनूअ औक़ात में तवाफ़ की दो रकअतें भी जायज़ होंगी, अलबत्ता अस्र और फ़ज्र के बाद मुत्लक़ नफ़ल नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत दीगर अहादीस़ से स़ाबित है। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 586, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 827) मगर फ़र्ज़ या फ़ौतशुदा नमाज़ पढ़ी जा सकती है। ज़ुहर रहती हो तो अस्र के बाद भी पढ़ी जा सकती है। सुबह की सुन्नतें रहती हों तो फ़ज्र की नमाज़ के बाद भी पढ़ी जा सकती हैं, इसी तरह तहिय्यतुल मस्जिद की दो रकअतें भी पढ़ी जा सकती हैं। इसी मसले की वज़ाहत के लिए देखिये, हदीस़: 1586 और इसका फ़ायदा।

बाब : (12)
नमाज़े मग़रिब का अव्वल वक़्त

باب : (١٢)
أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

(520) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और आपसे नमाज़ों के औक़ात के बारे में पूछा। आपने फ़रमाया: 'हमारे पास आइन्दा दो दिन ठहरो।' आपने (पहले दिन) बिलाल (ﷺ) को हुक्म दिया तो उन्होंने फ़ज्र होते ही इक़ामत कही और आपने फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई। फिर ज्यूं ही सूरज ढला तो आपने उन्हें इक़ामत का हुक्म दिया और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर जब सूरज को सफ़ेद देखा (तपिश दोपहर से कम हुई) तो इक़ामत का हुक्म दिया और अस्र की नमाज़ पढ़ी। फिर जब सूरज का आख़िरी किनारा डूब गया तो इक़ामत का हुक्म दिया और मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। फिर जब सूरज की सुर्ख़ी ग़ायब हो गई तो ईशा की इक़ामत कहलवाई। फिर अगले दिन उसे (ताख़ीर का) हुक्म दिया और फ़ज्र को रोशनी में पढ़ा। फिर ज़ुहर को ठण्डा किया और ख़ूब अच्छी तरह ठण्डा किया। फिर अस्र की नमाज़ पढ़ी जब

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ " أَقِمْ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ " . فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ عِنْدَ الْفَجْرِ فَصَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ رَأَى الشَّمْسَ بَيْضَاءَ فَأَقَامَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَمَرَهُ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْرِ ثُمَّ أَبْرَدَ بِالظُّهْرِ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ وَأَخَّرَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلاَّهَا ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ وَقْتُ صَلاَتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ " .

कि सूरज अभी सफ़ेद था (ज़र्द न हुआ था) वैसे पहले दिन से मुअख़्ख़र किया। फिर शफ़क़ (सुर्ख़ी) ग़ायब होने से पहले मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। फिर आपने उन (हज़रत बिलाल (ﷺ)) को हुक्म दिया तो उन्होंने ईशा की इक़ामत कही जब कि तिहाई रात गुज़र चुकी थी और आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी। फिर फ़रमाया: 'कहाँ है वह शख़्स जिसने नमाज़ों के औक़ात के बारे में पूछा था? (उसे लाया गया तो आपने फ़रमाया:) तुम्हारी नमाज़ों के औक़ात इन (दो दिनों की नमाज़ों) के दरम्यान में हैं जो तुमने देखे।'

(520) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 613/176, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1515.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे मिलती जुलती कई रिवायात गुज़र चुकी हैं। एक हदीस के इज्माल (मुख़्तसर होने से) को दूसरी हदीस की तफ़्सील से हल किया जा सकता है। **(2)** मग़रिब की नमाज़ के अव्वल वक़्त के बारे में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं कि वह ग़ुरूबे शम्स है और आख़िरी वक़्त ग़ुरूबे शफ़क़ है। **(3)** दीन के ज़रूरी मसाइल की जानकारी हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लिहाज़ा ख़ूब एहतिमाम और ज़ौक़ शौक़ से उन्हें सीखना चाहिए। **(4)** इस हदीस से साबित होता है कि हर नमाज़ का एक अफ़ज़ल वक़्त है और एक वक़्ते जवाज़ व इख़्तियार। **(5)** अमली मश्क़, वज़ाहत का बलीग़ तरीन नमूना है। **(6)** किसी मसलिहते शरइया के पेशे नज़र नमाज़ को अव्वल वक़्त से मुअख़्ख़र करना जायज़ है।

بَاب : (١٣) تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ

बाब : (13) मग़रिब को जल्दी पढ़ना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ حَسَّانَ بْنَ بِلاَلٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(521) बनू असलम के एक शख़्स से रिवायत है जो नबी (ﷺ) के सहाबा में से थे (फ़रमाते हैं कि) सहाब-ए-किराम (ﷺ) अल्लाह के नबी(ﷺ) के साथ मग़रिब की नमाज़ पढ़ कर मदीना मुनव्वरा के दूर दराज़ इलाक़ों में अपने घर वालों की तरफ़

وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهَالِيهِمْ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَرْمُونَ وَيُبْصِرُونَ مَوَاقِعَ سِهَامِهِمْ .

वापस लौटते (तो इतनी रोशनी होती थी कि) वह तीर चलाते तो तीर गिरने की जगह देख सकते थे।

(521) तख़रीज : **(सनद हसन)** मुसनद अहमद: 5/371.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से जिस तरह ये मालूम होता है कि मग़रिब की नमाज़ सूरज गुरूब होते ही शुरू कर देनी चाहिए, उसी तरह ये भी मालूम होता है कि मग़रिब की नमाज़ में छोटी छोटी सूरतें पढ़नी चाहिए वरना नमाज़ पढ़ते पढ़ते अंधेरा हो सकता है। **(2)** यहाँ अस़ल मदीना शहर मुराद है, इर्द गिर्द की बस्तियाँ नहीं क्योंकि वह तो कई कई मील दूर थीं।

باب: (۱۴) تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ

बाब : (14) मग़रिब को ताख़ीर से पढ़ना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ " . وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ .

(522) हज़रत अबू बस़रा ग़िफ़ारी (ﷺ) ने फ़रमाया रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको मुख़म्मस़ मुक़ाम में अस्र की नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'तहक़ीक़ ये नमाज़ तुमसे पहले लोगों (बनी इस्राईल) पर मुक़र्रर की गई थी मगर वह इसे ज़ायां कर बैठे (बरवक़्त अदा न की) जो आदमी इसे पाबन्दी से बरवक़्त अदा करेगा, उसे दोहरा अज्र मिलेगा और उसके बाद (नफ़ल) नमाज़ जायज़ नहीं यहाँ तक कि शाहिद तुलूअ हो।' शाहिद से मुराद सितारा है।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 830/292.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुअल्लिफ़ (رحمه الله) का मतलब ये है कि सितारे गुरूब से कुछ देर बाद नज़र आने लगते हैं, लिहाज़ा मग़रिब को देर से भी पढ़ा जा सकता है। मगर इस इस्तिदलाल में कमज़ोरी है, इसलिए कि अगर ये मतलब मुराद हो तो मग़रिब की नमाज़ को देर से पढ़ना वाजिब होगा क्योंकि इससे पहले नमाज़ की नफ़ी की गई है, जब कि स़हाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) तो रसूले अकरम(ﷺ) की तर्ग़ीब से सूरज गुरूब होते ही अज़ान के बाद नवाफ़िल अदा किया करते थे और ये तर्ग़ीब स़हीह बुख़ारी जैसी

मुस्तनद किताब की रिवायत से साबित है। (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1183) लिहाज़ा इस हदीस में तुलूअे शाहिद से गुरूबे शम्स का वक़्त मुराद है क्योंकि गुरूबे शम्स सितारों के नज़र आने का सबब है, और (सितारा) से मुराद भी तमाम सितारे नहीं बल्कि वह चमकदार सितारा मुराद है जो गुरूबे शम्स के साथ ही नज़र आने लगता है। वल्लाहु आलम! **(2)** इस हदीस से नमाज़े अस्र की फ़ज़ीलत और अज़मत मालूम होती है कि गुज़िश्ता उम्मतों पर भी ये फ़र्ज़ की गई और उन्हें इसकी मुहाफ़िज़त का हुक्म दिया गया। **(3)** नमाज़े अस्र को पाबन्दी से वक़्त पर अदा करने वाले के लिए दोहरा अज्र है।

बाब : (15) मग़रिब का आख़िरी वक़्त

باب: (١٥) آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَزْدِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، - قَالَ شُعْبَةُ كَانَ قَتَادَةُ يَرْفَعُهُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا لاَ يَرْفَعُهُ - قَالَ " وَقْتُ صَلاَةِ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مَا لَمْ يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ وَوَقْتُ الصُّبْحِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ " .

(523) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है .... (रावी-ए-हदीस) शोबा कहते हैं कि क़तादा मज़कूरा रिवायत को कभी मरफ़ूअ बयान करते हैं और कभी मरफ़ूअ बयान नहीं करते .... रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ुहर की नमाज़ का वक़्त बाक़ी रहता है जब तक अस्र का वक़्त शुरू न हो और अस्र की नमाज़ का वक़्त बाक़ी रहता है जब तक सूरज ज़र्द न हो और मग़रिब की नमाज़ का वक़्त बाक़ी रहता है जब तक सुर्ख़ी की ज़्यादती ख़त्म न हो और ईशा का वक़्त बाक़ी रहता है जब तक रात निस्फ़ न हो और सुबह का वक़्त बाक़ी रहता है जब तक सूरज तुलूअ न हो।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 612/172.

फ़ायदा : मग़रिब का आख़िरी वक़्त सूरज की सुर्ख़ी ग़ायब होने तक है। इमाम अबू हनीफ़ा (رحمه الله) वाहिद फ़क़ीह हैं जिन्होंने शफ़क़ के मानी सुर्ख़ी की बजाये सफ़ेदी किये हैं जो सुर्ख़ी के बाद होती है मगर ये लुग़त और उर्फ़ के ख़िलाफ़ है। इनके शागिर्द भी इनसे मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। इब्ने उमर (ﷺ) से सही सनद के साथ मौक़ूफ़न मरवी है, वह फ़रमाते हैं: 'शफ़क़ से मुराद सुर्ख़ी है।' (सुनन दारक़ुतनी (मुहक़्क़िक़): 1/588) दरअसल यूँ मालूम होता है कि इमाम साहब ने मग़रिब के वक़्त को फ़ज्र के वक़्त पर क़यास

किया है। फ़ज्र का वक़्त बिलइत्तिफ़ाक़ सफ़ेदी से शुरू होता है। क़यास की वजह ये है कि दोनों नमाज़ें रात के अव्वल और आख़िरी किनारे की नमाज़ें हैं, लिहाज़ा एक जैसी होनी चाहिए मगर सरीह नस की मौजूदगी में क़यास नाक़ाबिले तस्लीम है।

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ بَدْرِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ إِمْلاَءً عَلَىَّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَغْرِبِ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حِينَ انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ أَخَّرَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ

(524) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के पास एक शख़्स आया जो आपसे नमाज़ों के औक़ात के बारे में सवाल कर रहा था। आपने उसे कुछ जवाब न दिया (बल्कि) जूं ही फ़ज्र (पौ) फटी, आपने बिलाल(ﷺ) को हुक्म दिया और उन्होंने सुबह की इक़ामत कही। फिर जब सूरज ढला तो आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने ज़ुहर की इक़ामत कही और कहने वाला कहता था कि दिन निस्फ़ हो गया है जब कि आप ख़ूब जानते थे। फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने अ़स्र की इक़ामत कही जब कि सूरज काफ़ी बुलन्द था। फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने मग़रिब की इक़ामत कही, जूं ही सूरज गुरूब हुआ। फिर आपने उन्हें हुक्म दिया तो उन्होंने ईशा की इक़ामत कही जब सुर्ख़ी ग़ायब हुई। फिर आपने उन्हें अगले दिन फ़ज्र (की इक़ामत) का हुक्म दिया। जब (नमाज़ से) फ़ारिग़ हुए तो कहने वाला कहता था कि सूरज तुलूअ़ हो गया। फिर ज़ुहर की नमाज़ को गुज़िश्ता कल की अ़स्र के वक़्त के क़रीब तक मुअख़्ख़र किया। फिर अ़स्र को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि जब फ़ारिग़ हुए तो कहने वाला कहता था: सूरज सुर्ख़ हो गया। फिर मग़रिब को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि सुर्ख़ी ग़ायब होने को थी।

फिर ईशा को तिहाई रात तक मुअख़्ख़र किया। फिर फ़रमाया: 'नमाज़ों के औक़ात इन दोनों की नमाज़ों के दरम्यान हैं।'

اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ " الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ " .

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 614/178.

(525) बशीर बिन सलाम ने कहा कि मैं और हज़रत मुहम्मद बिन अली (बाक़िर) (ﷺ) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी (ﷺ) के पास गये और उनसे कहा: हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में बताइये, और ये हज्जाज बिन यूसुफ़ का दौर था। उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाये और ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी जब सूरज ढल गया और अभी साया तस्मे के बराबर था फिर अस्र की नमाज़ पढ़ी जबकि साया आदमी के क़द और एक तस्मे के बराबर था (एक मिस्ल से एक तस्मे की मिक़्दार के बराबर बढ़ा था) फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी जब सूरज ग़ुरूब हो गया। फिर ईशा की नमाज़ पढ़ी जब सुर्ख़ी ग़ायब हुई। फिर फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी जब फ़ज्र तुलूअ हुई फिर अगले दिन ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी जब साया आदमी के क़द के बराबर था। फिर अस्र की नमाज़ पढ़ी जब आदमी का साया दुगना हो गया और इतना वक़्त बाक़ी था कि एक ऊँट सवार दरम्यानी तेज़ चाल से ज़ुलहुलैफ़ा पहुँच सकता था, फिर मग़रिब की नमाज़ पढ़ी जब सूरज डूब चुका था, फिर ईशा की नमाज़ तिहाई या निस्फ़ रात के वक़्त पढ़ी, फिर फ़ज्र की नमाज़

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ بَشِيرِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ فَقُلْنَا لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَاكَ زَمَنُ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ . قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ الْفَىْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ الْفَىْءُ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَظِلِّ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ الظِّلُّ طُولَ الرَّجُلِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ قَدْرَ مَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ سَيْرَ الْعَنَقِ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ

حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ - شَكَّ زَيْدٌ - ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ .

ख़ूब रोशनी में पढ़ी।

(525) तख़रीज : (सनद सही)

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'साया तस्मे के बराबर था।' यानी दीवारों की मशरिक़ी जानिब अभी मामूली सा साया आया था, जैसे दीवार के साथ साथ तस्मा बिछा दिया जाये, यानी बारीक सी लाइन की तरह, गोया सूरज ढलते ही। **(2)** अस्र की नमाज़ के वक़्त यही तस्मा मिस्ले अव्वल से ज़्यादा था, यानी मामूली सा ज़्यादा साया जो तस्मे की मोटाई के बराबर था। **(3)** मग़रिब की नमाज़ का आख़िरी वक़्त ग़ुरूबे शफ़क़ है जैसा कि गुज़िश्ता अहादीस में सराहत से ज़िक्र है मगर चूंकि मग़रिब का वक़्त मुख़्तसर होता है, इसलिए उमूमन ग़ुरूबे शम्स ही के साथ पढ़ ली जाती है जैसा कि इस हदीस में दूसरे दिन भी ग़ुरूबे शम्स ही के साथ पढ़ने का ज़िक्र है, इसलिए कुछ फ़ुक़हा ने कह दिया कि मग़रिब की नमाज़ का अव्वल व आख़िर वक़्त एक ही है लेकिन सही बात वह है जो पीछे बयान हुई।

باب : (١٦) كَرَاهِيَةُ النَّوْمِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

बाब : (16) मग़रिब की नमाज़ के बाद सोने की कराहत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ حَدَّثَنِي سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَسَأَلَهُ أَبِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ حِينَ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ

(526) हज़रत सय्यार बिन सलामा बयान करते हैं कि मैं (अपने वालिद के साथ) हज़रत अबू बरज़ा (ﷺ) के पास गया। मेरे वालिद मोहतरम ने उनसे पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ें कैसे पढ़ा करते थे? उन्होंने फ़रमाया: आप ज़ुहर की नमाज़, जिसे तुम ऊला (पैशैन) कहते हो, उस वक़्त पढ़ते थे जब सूरज ढलता था और अस्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे कि (नमाज़ के बाद) हममें से कोई शख़्स मदीने की इन्तिहाई दूर वाली मुज़ाफ़ाती बस्ती में अपने घर वापस पहुँच जाता था जबकि सूरज अभी ज़िन्दा होता था, और मैं भूल गया कि मग़रिब के बारे में उन्होंने क्या

وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

फ़रमाया। और आप अच्छा समझते थे कि ईशा की नमाज़ को जिसे तुम अ़त्मा (अंधेरी) कहते हो, देर से पढ़ें। और आप ईशा की नमाज़ से पहले सोने और बाद में बातें करने को नापसन्द करते थे। और आप सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ होते थे तो आदमी अपने हमनशीन को पहचान सकता था। और आप (ﷺ) साठ से सौ आयात तक (नमाज़े फ़ज्र में) तिलावत फ़रमाया करते थे।

(526) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 599, मुस्लिम, हदीस: 647, इब्ने माजा, हदीस: 675.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मग़रिब की नमाज़ के बाद सोना इसलिए मना है कि इससे ईशा की नमाज़ फ़ौत हो जाने का ख़तरा है और बाद में बातें करना इसलिए मना है कि इससे फ़ज्र की नमाज़ वक़्त या जमाअ़त से रह जाने का ख़दशा है। **(2)** ज़ुहर को कुछ लोग ऊला कहते थे और अ़स्र को आख़िरा क्योंकि अ़स्र बाद में पढ़ी जाती है और ज़ुहर पहले। फ़ारसी में भी ज़ुहर को इसीलिए 'पैशैन' और अ़स्र को 'दीगर' कहा जाता है। ईशा चूंकि अंधेरे में पढ़ी जाती है, इसलिए कुछ लोग इसे अ़त्मा (अंधेरे की नमाज़) कहते थे, फिर वह मग़रिब को ईशा कह देते थे। इससे आपने सख़्ती से मना फ़रमा दिया क्योंकि इससे मग़रिब और ईशा के अहकाम में इश्तिबा (शक व शुब्हा) पैदा होता था।

باب: (١٧) أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

बाब : (17) ईशा की नमाज़ का अव्वल वक़्त

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله

(527) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जिब्राईल (عليه السلام) ज़वाले शम्स के वक़्त नबी (ﷺ) के पास आये और कहा: ऐ मुहम्मद (ﷺ)! उठिये और ज़ुहर की नमाज़ पढ़िये, जब सूरज ढल गया। फिर ठहरे यहाँ तक कि जब आदमी का साया उसके बराबर हो गया तो वह अ़स्र की नमाज़ के लिए आपके पास आये और

कहाः ऐ मुहम्मद (ﷺ)! उठिये और अस्र की नमाज़ पढ़िये। फिर कुछ देर ठहरे यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब हो गया तो फिर आये और कहाः ऐ मुहम्मद (ﷺ)! उठिये और मग़रिब की नमाज़ पढ़िये। आप उठे और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी जब सूरज पूरा डूब गया। फिर ठहरे यहाँ तक कि जब सुर्ख़ी ग़ायब हो गई तो फिर आपके पास आये और कहाः ऐ मुहम्मद (ﷺ)! उठिये और ईशा की नमाज़ पढ़िये। आप उठे और आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी। फिर आपके पास आये जब सुबह को फ़ज्र की रोशनी चमक उठी और कहाः उठिये ऐ मुहम्मद (ﷺ)! और नमाज़ पढ़िये। आप उठे और सुबह की नमाज़ पढ़ी। फिर अगले दिन आपके पास आये जब हर आदमी का साया उसके बराबर हो गया और कहाः उठिये ऐ मुहम्मद(ﷺ)! और नमाज़ पढ़िये तो आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। फिर आपके पास जिब्रईल(عليه السلام) आये जब आदमी का साया दुगना हो गया और कहाः उठिये ऐ मुहम्मद (ﷺ)! और नमाज़ पढ़ियें तो आपने अस्र की नमाज़ पढ़ी, फिर वह मग़रिब की नमाज़ के लिए आपके पास आये जब सूरज गुरूब हुआ, कल वाले वक़्त पर ही और कहाः उठिये और नमाज़ पढ़िये तो आपने मग़रिब की नमाज़ पढ़ी। फिर वह ईशा की नमाज़ के लिए आपके पास आये जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुज़र चुका था और कहाः उठिये और नमाज़ पढ़िये तो आपने ईशा की

عليه وسلم حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ . ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلاَّهَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ . فَقَامَ فَصَلاَّهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ فِي الصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ . فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ . فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ . فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ . فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ

لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ . فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْحِ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ . فَصَلَّى الصُّبْحَ فَقَالَ " مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ " .

नमाज़ पढ़ी। फिर वह सुबह की नमाज़ के लिए आपके पास आये जब ख़ूब रोशनी हो चुकी थी और कहा: उठिये और नमाज़ पढ़िये तो आपने सुबह की नमाज़ पढ़ी। फिर जिब्राईल कहने लगे: तमाम नमाज़ों का वक़्त इन दो दिनों की नमाज़ों के दरम्यान में है।

(527) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 150, तबरानी: 1/403, 404, हदीस: 6783, मजमूअ: 1/304.

फ़ायदा : ईशा का अव्वल वक़्त वही है जो मग़रिब का आख़िरी वक़्त है, यानी गुरूबे शफ़क़। (तफ़्सीली बहस के लिए देखिये, हदीस: 523)

بَاب : (١٨) تَعْجِيلُ الْعِشَاءِ

बाब : (18) ईशा की नमाज़ जल्दी पढ़ना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ، قَالَ قَدِمَ الْحَجَّاجُ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا كَانَ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ .

(528) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ दोपहर के वक़्त पढ़ते थे और अस्र की नमाज़ पढ़ते तो सूरज (ज़र्दी से) साफ़ और सफ़ेद होता था और मग़रिब की नमाज़ पढ़ते जब सूरज डूब जाता और ईशा की नमाज़ (मुख़्तलिफ़ औक़ात में पढ़ते) जब देखते कि सब जमा हो गये हैं तो जल्दी पढ़ लेते और जब देखते कि उन्होंने ताख़ीर की है तो देर से पढ़ते।

(528) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 560, मुस्लिम, हदीस: 646/233.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'निस्फ़ुनिहार' से मुराद ज़वाल के फ़ोरन बाद है। **(2)** ईशा की नमाज़ में सुलुस लैल (तिहाई रात) तक ताख़ीर मुस्तहब है मगर नमाज़ों का लिहाज़ रखना भी ज़रूरी है। अगर लोग काम काज वाले हों जिन्हें जल्दी नींद आ जाती है तो अव्वल वक़्त में पढ़ ली जाये ताकि वह नमाज़

बाजमाअत से महरूम न हों। अगर फ़ारिग़ क़िस्म के लोग हैं जो देर से सोते हैं तो सुलुस लैल तक ताख़ीर कर ली जाये, मज़ीद मजबूरी हो तो निस्फ़ रात तक ताख़ीर कर लें। इससे ज़्यादा ताख़ीर तो सिर्फ़ इज़्तिरारी (मजबूरी) हालत ही में हो सकती है, जैसे: किसी को नींद आ गई और वह सोया रह गया और नमाज़ न पढ़ी गई, तो वह सुबह तक पढ़ ले। गोया वक़्ते इस्तिहबाब सुलुस लैल तक, वक़्ते जवाज़ निस्फ़ लैल तक और वक़्ते इज़्तिरार फ़ज्र तुलूअ होने तक है। वल्लाहु आलम!

बाब : (19) शफ़क़ (ग़ुरूबे आफ़ताब के बाद की सुर्ख़ी) का बयान

بَاب : (١٩) الشَّفَقِ

(529) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: मैं सब लोगों से ज़्यादा इस नमाज़, यानी ईशा के वक़्त को जानता हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ये नमाज़ तीसरी रात का चाँद ग़ुरूब होने पर पढ़ते थे।

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِمِيقَاتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ عِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

(530) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह की क़सम! बिलाशुब्हा मैं इस नमाज़, यानी ईशा आख़िरा के वक़्त को सब लोगों से ज़्यादा जानता हूँ। अल्लाह के रसूल(ﷺ) ये नमाज़ तीसरी रात का चाँद ग़ुरूब होने पर पढ़ते थे।

(530) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 419, तिर्मिज़ी, हदीस: 165, 166.

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) तीसरी रात का चाँद तक़रीबन अढ़ाई घण्टे के बाद ग़ुरूब होता है। (2) इन अहादीस की शफ़क़ से कोई मुनासिबत नज़र नहीं आती क्योंकि शफ़क़ तो तीसरी रात के चाँद से बहुत

पहले ग़ुरूब हो जाती है। अस़ल में ये इशारा अबू हनीफ़ा (ﷺ) वग़ैरह के इस मौक़फ़ की तरफ़ है कि शफ़क़ से सफ़ेदी मुराद है न कि सुर्ख़ी जैसा कि उनकी तबवीब (बाब बन्दी) जिकरु मा युस्तदल्लु बिही अ़ला अन्नश्शफ़क़ल बयाज़ (अलसुननिल कुबरा लिन्नसाई: 1/472) से ज़ाहिर होता है। मगर सफ़ेदी भी इससे बहुत पहले ख़त्म हो जाती है, लिहाज़ा इससे इमाम स़ाहब (ﷺ) का इस्तिदलाल ग़ैर वाज़ेह है। वल्लाहु आलम! स़ही बात ये है कि शफ़क़ से मुराद सूरज ग़ुरूब होने के बाद उफ़ुक़ पर ज़ाहिर होने वाली सुर्ख़ी है। तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अ़क़्बा शरह सुनन नसाई: 7/57-60)

बाब : (20)
ईशा की नमाज़ देर से पढ़ना मुस्तहब है

باب: (٢٠)
مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَأْخِيرِ الْعِشَاءِ

(531) हज़रत सय्यार बिन सलामा से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद मोहतरम, हज़रत अबू बरज़ा असलमी (ﷺ) के पास गये। मेरे वालिद मोहतरम ने उनसे कहा: बताइये रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्ज़ नमाज़ें कैसे पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमाया: आप(ﷺ) दोपहर की नमाज़ (ज़ुहर), जिसे तुम ऊला (पैशैन) कहते हो, उस वक़्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता और अ़स्र की नमाज़ उस वक़्त पढ़ते कि हममें से कोई शख़्स (आपके साथ नमाज़ पढ़ने के बाद) मदीने की इन्तिहाई दूर वाली मुज़ाफ़ाती बस्ती में अपने घर को जाता था तो उस वक़्त भी सूरज ज़िन्दा होता था और मैं भूल गया कि मग़रिब के बारे में आपने क्या फ़रमाया? और आप ईशा की नमाज़, जिसे तुम अ़त्मा कहते हो, देर से पढ़ना अच्छा समझते थे और ईशा की नमाज़ से पहले सोना और बाद में बातें करना नापसन्द फ़रमाते थे और सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो आदमी अपने हमनशीन

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي أَخْبِرْنَا كَيْفَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ قَالَ كَانَ يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ وَكَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ قَالَ وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلاَةُ الْعِشَاءِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ

مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

को पहचान सकता था और आप साठ से सौ आयात तक नमाज़ में तिलावत फ़रमाते थे।

तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 496, 526 में देखें।

फ़ायदा : फ़वाइद व मसाइल के लिए देखिये हदीस: 526.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَيُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ -قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَىُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ قَالَ وَأَشَارَ فَاسْتَثْبَتُّ عَطَاءً كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَأَوْمَأَ إِلَيَّ كَمَا أَشَارَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ بِشَىْءٍ مِنْ تَبْدِيدٍ ثُمَّ

(532) जनाब इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अ़ता से पूछा: कौन सा वक़्त आप ज़्यादा मुनासिब समझते हैं कि मैं उसमें ईशा की नमाज़ पढ़ूं, ख़्वाह इमाम हूं या अकेला? उन्होंने फ़रमाया: मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को ये फ़रमाते हुए सुना कि एक रात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईशा को मुअख़्ख़र किया यहाँ तक कि लोग सो गये, फिर जागे (मगर आप अभी तक तशरीफ़ न लाये थे, लिहाज़ा) फिर सो गये, फिर जागे तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने खड़े होकर पुकारा: (ऐ अल्लाह के रसूल!) नमाज़! नमाज़! (नमाज़ के लिए तशरीफ़ लाये!) अ़ता ने कहा: हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि फिर अल्लाह के नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाये। मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं अब भी आपको देख रहा हूं कि आपके सर मुबारक से पानी के क़तरे गिर रहे थे और आपने अपना हाथ सर की एक जानिब रखा हुआ था, फिर आपने इशारा किया। (इब्ने जुरैज ने कहा:) मैंने अ़ता से पूछा कि नबी (ﷺ) ने अपना दस्ते मुबारक किस तरह सर पर रखा हुआ था? अ़ता ने मेरे सामने उसी तरह इशारा किया जिस तरह इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने किया था। अ़ता ने अपनी

وَضَعَهَا فَانْتَهَى أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ إِلَى مُقَدَّمِ الرَّأْسِ ثُمَّ ضَمَّهَا يَمُرُّ بِهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ ثُمَّ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ الْجَبِينِ لاَ يَقْصُرُ وَلاَ يَبْطُشُ شَيْئًا إِلاَّ كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ لاَ يُصَلُّوهَا إِلاَّ هَكَذَا "

उंगलियाँ कुछ खोलीं, फिर उन्हें सर पर रखा कि आपकी उंगलियों के किनारे सर के अगले हिस्से तक पहुँचते थे, फिर उस (अ़ता) ने अपनी उंगलियाँ मिला लीं और उन्हें इस तरह सर पर से गुज़ारा कि आपके अंगूठे कान के उस किनारे को लगे जो चेहरे की जानिब है, फिर कनपटी और माथे के किनारे को लगे। वह ज़र्रा भर भी कमी बेशी न करते थे बल्कि बिल्कुल उसी तरह, फिर आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये ख़तरा न होता कि मैं अपनी उम्मत को मशक़्क़त में डाल दूंगा तो मैं उन्हें हुक्म देता कि वह ज़रूर इसी वक़्त नमाज़ पढ़ा करें।'

(532) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 571, मुस्लिम, हदीस: 642/225.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लोग सो गये' इस सोने से मुराद वह नींद है जिससे शऊर और इदराक ख़त्म नहीं होता जिसे हमारी ज़बान में ऊंघ कहते हैं, यानी सख़्त ऊंघ आ गई, बैठे, खड़े और लेटे तमाम हालतों में ये हालत तारी हो सकती है क्योंकि यहाँ हक़ीक़ी नींद, जिससे इदराक और इंसानी शऊर ख़त्म हो जाता है, मुराद लेना दुरुस्त नहीं लगता क्योंकि इसमें वुज़ू टूट जाता है, ख़्वाह वह जिस हालत में भी आई हो। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) नहा कर तशरीफ़ लाये थे और अपने सर के बालों से पानी निचोड रहे थे जिसे हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) और हज़रत अ़ता (رحمه الله) ने इशारे से समझाया और तफ़्सील से हाथ गुज़ार कर वाज़ेह किया। सर के लम्बे बालों से इसी तरह पानी निचोड़ा जाता है। **(3)** 'अगर ख़तरा न होता' मालूम होता है कि अगर मुक़्तदी हज़रात को ताख़ीर में मशक़्क़त हो तो नमाज़ जल्दी पढ़ना मुस्तहब है वरना देर से पढ़ना अच्छा होगा। नमाज़ों के औक़ात की वुसअ़त दरअसल लोगों की मजबूरियों के पेशे नज़र है। वल्लाहु आ़लम! **(4)** सल्फ़े सालेहीन नमाज़ों को उनके औला और अफ़ज़ल औक़ात में पढ़ने का एहतिमाम करते थे। **(5)** मुफ़्ती पर लाज़िम है कि अपने फ़तवे को क़ुरआन व सुन्नत के दलाइल से मुज़य्यन करे और साइल के लिए ज़रूरी है कि वह जवाब को निहायत तवज्जह और इन्हिमाक (ध्यान) से सुने ताकि वह अच्छी तरह समझ कर कमा हक़्क़हू आगे बयान कर सके। **(6)** उम्मते मुहम्मदिया की

फ़ज़ीलत है कि नमाज़े ईशा को सिर्फ़ इस उम्मत के साथ ख़ास किया गया है जैसा कि सुनन अबू दाऊद की रिवायत में है: 'यक़ीनन तुम्हें इस नमाज़ (ईशा) के ज़रिये से तमाम उम्मतों पर फ़ज़ीलत दी गई है, तुमसे पहले किसी उम्मत ने ये नमाज़ नहीं पढ़ी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 421)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَامَ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَنَادَى الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمَاءُ يَقْطُرُ مِنْ رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ " إِنَّهُ الْوَقْتُ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي " .

(533) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है उन्होंने फ़रमाया: नबी (ﷺ) ने एक रात ईशा की नमाज़ मुअख़्ख़र की यहाँ तक कि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र गया। हज़रत उमर (ﷺ) खड़े हुए और बुलन्द आवाज़ से पुकारा। ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ के लिए तशरीफ़ लाइये। औरतें और बच्चे सो गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो पानी के क़तरे आपके सर से गिर रहे थे और आप फ़रमा रहे थे: 'ये है ईशा की नमाज़ का असल वक़्त, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक़्क़त का ख़तरा न होता।'

(533) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7239. ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.

(534) हज़रत जाबिर बिन समुरह (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ईशा की नमाज़ को देर से पढ़ा करते थे।

(534) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 643.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

(535) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये ख़तरा न होता कि मैं अपनी उम्मत को मशक़्क़त में डाल दूंगा तो मैं उन्हें ईशा की नमाज़ मुअख़्ख़र करने और हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म देता।'

(535) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 252.

बाब : (21)
ईशा की नमाज़ का आख़िरी वक़्त

باب: (٢١) آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ

(536) हज़रत आयशा (ﵞ) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने एक रात ईशा की नमाज़ मुअख़्ख़र की तो हज़रत उमर (﵁) ने आप(ﷺ) को पुकारा कि औरतें और बच्चे सो गये। अल्लाह के रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'तुम्हारे अलावा कोई इस नमाज़ का इन्तिज़ार नहीं कर रहा।' और उन दिनों मदीना मुनव्वरा के अलावा कहीं नमाज़ न पढ़ी जाती थी। फिर आपने फ़रमाया: 'इस नमाज़ को सुर्ख़ी ग़ायब होने से लेकर तिहाई रात तक पढ़ो।' ये अल्फ़ाज़ इब्ने हिम्यर के हैं।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 862, मुस्लिम, हदीस: 630, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1516.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ حِمْيَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعَتَمَةِ فَنَادَاهُ عُمَرُ رضى الله عنه نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ . فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " مَا يَنْتَظِرُهَا غَيْرُكُمْ " . وَلَمْ يَكُنْ يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ قَالَ " صَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ " . وَاللَّفْظُ لاِبْنِ حِمْيَرَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईशा का अफ़ज़ल वक़्त तिहाई रात, वक़्ते जवाज़ निस्फ़ रात और वक़्ते इज़्तिरार तुलूअे फ़ज्र तक रहता है। (मज़ीद फ़वाइद के लिए देखिये हदीस: 483, 528, 532) **(2)** छोटा बड़े को किसी काम पर तम्बीह कर सकता है। **(3)** सहाब-ए-किराम (﵃) किस क़द्र शौक़ से जमाअत में हाज़िर होते थे। उनके साथ उनके बच्चे भी बा'जमाअत नमाज़ के लिए हाज़िर होते। ये चीज़ उनकी आमाले सालेहा पर शदीद हिर्स और इश्तियाक़ पर दलालत करती है।

(537) उम्मुल मोमिनीन आयशा (ﵞ) फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) ने एक रात ईशा की नमाज़ को मुअख़्ख़र फ़रमाया यहाँ तक कि बहुत रात गुज़र गई और मस्जिद वाले (ख़ुसूसन औरतें और बच्चे) सो गये, फिर आप तशरीफ़ लाये और

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ،

عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ " إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي " .

नमाज़ पढ़ाई और फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा यही है इसका (अस़ल) वक़्त अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक़्क़त का ख़तरा न होता।'

(537) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 638/219. ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : 'बहुत रात' इससे मुराद अक्स़र रात नहीं क्योंकि निस़्फ़ रात के बाद तो वक़्ते जवाज़ नहीं रहता। स़हीहैन (बुख़ारी और मुस्लिम) की अहादीस़ में स़राहत है कि निस़्फ़ रात ख़त्म न हुई थी। देखिये: (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 600, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 640) लिहाज़ा इससे मुराद रात का काफ़ी हिस़्सा है। अस़ल वक़्त से मुराद ये है कि अगर नींद का लिहाज़ न रखा जाये तो नमाज़ आधी रात को होनी चाहिए थी, जिस तरह ज़ुहर की नमाज़ दोपहर को होती है, मगर नींद का लिहाज़ रखते हुए अब इसका अफ़ज़ल वक़्त तिहाई रात तक है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعِشَاءِ الآخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ " إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلاَةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلاَ أَنْ يَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ " . ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى .

(538) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमायाः हम एक रात बहुत देर तक ईशा की नमाज़ के लिए रसूलुल्लाह (ﷺ) का इन्तिज़ार करते रहे। जब तिहाई या उससे कुछ ज़्यादा रात गुज़र गई तो आप तशरीफ़ लाये और आते ही फ़रमायाः 'तुम ऐसी नमाज़ का इन्तिज़ार कर रहे हो जिसका इन्तिज़ार तुम्हारे अ़लावा किसी और दीन वाले नहीं कर रहे हैं और अगर मेरी उम्मत पर इस वक़्त नमाज़ पढ़ना बोझल न होता तो मैं यक़ीनन उन्हें इस वक़्त नमाज़ पढ़ाता।' फिर आपने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया तो उसने इक़ामत कही, फिर आपने नमाज़ पढ़ाई।

(538) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 639, बुख़ारी, हदीस़: 570, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : मज़ीद फ़वाइद व मसाइल के लिए देखिये, हदीस़: 483, 537.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَنَامُوا وَأَنْتُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لأَمَرْتُ بِهَذِهِ الصَّلاَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ " .

(539) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ नहीं निकले यहाँ तक कि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र गया, फिर आप तशरीफ़ लाये और उन्हें (सहाब-ए-किराम(ﷺ) को) नमाज़ पढ़ाई, फिर फ़रमाया: 'लोग तो नमाज़ पढ़ कर सो गये मगर तुम नमाज़ ही में रहे जब तक नमाज़ का इन्तिज़ार करते रहे और अगर कमज़ोर की कमज़ोरी और बीमार की बीमारी मद्दे नज़र न होती तो मैं इस नमाज़ को निस्फ़ रात तक मुअख़्ख़र करने का हुक्म देता।'

(539) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 693, अबू दाऊद, हदीस़: 422.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلِ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا. قَالَ نَعَمْ أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا " . قَالَ أَنَسٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ . فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ .

(540) हज़रत हुमैद बयान करते हैं कि हज़रत अनस (ﷺ) से पूछा गया: क्या नबी (ﷺ) ने अंगूठी बनवाई? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, आपने एक रात ईशा की नमाज़ तक़रीबन निस्फ़ रात तक मुअख़्ख़र की। जब नमाज़ पढ़ चुके तो आपने अपना चेहरा हमारी तरफ़ किया और फ़रमाया: 'तुम जब तक नमाज़ का इन्तिज़ार करते रहे, नमाज़ ही में रहे।' हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं अब भी आपकी अंगूठी की चमक देख रहा हूँ। अली, यानी इब्ने हजर की हदीस़ के अल्फ़ाज़ हैं: 'निस्फ़ रात तक।'

(540) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 661.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लोग नमाज़ पढ़ कर सो गये।' जब कि तुम ईशा की नमाज़ की वजह से नींद और आराम को मुअख़्ख़र करते हो और सिर्फ़ नमाज़ के इन्तिज़ार में जागते हो, लिहाज़ा मग़रिब से ईशा की नमाज़ तक का वक़्त सवाब के लिहाज़ से नमाज़ की तरह है। अगर नमाज़ से नमाज़े ईशा मुराद है तो लोगों से मुराद मदीना मुनव्वरा की दूसरी मस्जिदों के लोग होंगे जहाँ नमाज़े ईशा जल्दी पढ़ ली जाती थी। इस सूरत में ये मस्जिद नबवी के नमाज़ियों की फ़ज़ीलत है। **(2)** अंगूठी की चमक' नबी(ﷺ) की अंगूठी चाँदी की थी, नगीना भी चाँदी का था। ये अंगूठी आपने मुहर लगाने के लिए बनवाई थी। मालूम हुआ कि मर्द अंगूठी पहन सकता है लेकिन शर्त है कि चाँदी की हो, न कि सोने की। वल्लाहु आलम! **(3)** अंगूठी के नगीने पर नाम वग़ैरह खुदवाया जा सकता है। **(4)** वाज़ व नसीहत करते वक़्त इमाम का मुक़्तदियों की तरफ़ मुतवज्जह होना मसनून अमल है।

बाब : (22)
ईशा की नमाज़ को अतमा (अंधेरे की नमाज़) कहना

باب : (٢٢)
اَلرُّخْصَةُ فِي أَنْ يُقَالَ لِلْعِشَاءِ الْعَتَمَةُ

(541) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर लोग अज़ान कहने और सफ़े अव्वल में खड़े होने की फ़ज़ीलत जान लेते तो फिर क़ुरअ अन्दाज़ी के सिवा कोई चार-ए-कार न पाते और ज़रूर (उन दो चीज़ों के लिए) क़ुरअ अन्दाज़ी करते। और अगर लोग जान लेते कि ज़ुहर की नमाज़ जल्दी पढ़ने में क्या फ़ज़ीलत है तो एक दूसरे से आगे बढ़ते। और अगर अतमा (ईशा) और सुबह की नमाज़ की फ़ज़ीलत जानते तो ज़रूर हाज़िर होते, ख़्वाह घिसट कर आना पड़ता।'

(541) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 615, मुस्लिम, हदीस: 437, मोत्ता: 1/68, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1521.

أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ وَلَوْ عَلِمُوا مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से अज़ान और पहली स़फ़ की फ़ज़ीलत स़ाबित होती है। ज़ाहिर है आदमी स़फ़े अव्वल में तब ही खड़ा हो सकता है जब वह मस्जिद में पहले आयेगा और ये बज़ाते ख़ुद एक फ़ज़ीलत वाला काम है, और इमाम के क़रीब खड़ा होने से उसे क़िराअत अच्छी तरह सुनने का मौक़ा मिलेगा और नमाज़ में उसकी तवज्जह और ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ ज़्यादा होगा। **(2)** इस हदीस़ से नमाज़े ईशा और फ़ज्र की फ़ज़ीलत भी स़ाबित होती है क्योंकि इनमें मशक़्क़त ज़्यादा है, इसलिए कि ये नींद के औक़ात हैं। **(3)** जायज़ उमूर में क़ुरअ अन्दाज़ी दुरुस्त है।

बाब : (23) ईशा की नमाज़ को अतमा कहना मकरूह है

باب: (٢٣) اَلْكَرَاهِيَةُ فِي ذٰلِكَ

(542) हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐराब (बदवी लोग) तुम्हारी इस नमाज़ (ईशा) के नाम के सिलसिले में तुम पर ग़ालिब न आ जायें। वह ऊँटों की वजह से इस नमाज़ को मुअख़्ख़र करते हैं। बिलाशुबहा इस नमाज़ का नाम ईशा है।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، - هُوَ الْحَفَرِيُّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ هَذِهِ فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَلَى الإِبِلِ وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ " .

(542) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 644, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1522.

(543) हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर ये फ़रमाते हुए सुना: 'ये ऐराबी (बदवी लोग) तुम्हारी इस नमाज़ के नाम (के मामले) में तुम पर ग़ालिब न आ जायें। ख़बरदार! बिलाशुब्हा ये ईशा है।'

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ " لاَ تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاَتِكُمْ أَلاَ إِنَّهَا الْعِشَاءُ

(543) तख़रीज : (सनद स़ही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1523, ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) पिछले बाब वाली रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद अतमा फ़रमाया है और इन दो रिवायात में इससे रोका गया है, लिहाज़ा या तो पहली रिवायत नह्य से पहले की होगी या

अतमा कहना जायज़ तो होगा मगर मुनासिब नहीं, यानी मकरूह तन्ज़ीही होगा क्योंकि क़ुर्आन मजीद में इस नमाज़ का नाम सराहतन ईशा है। अगर नाम बदल गया तो ईशा की नमाज़ के अहकाम मज्हूल हो जायेंगे। **(2)** ऐराब (बदवी लोग) सिर्फ़ इसी पर इक्तिफ़ा नहीं करते थे कि ईशा को अतमा कहते थे बल्कि वह मग़रिब की नमाज़ को ईशा कहते थे। ये तो क़तअन दुरुस्त नहीं क्योंकि फिर तो ईशा की नमाज़ के अहकाम मग़रिब पर जा लगेंगे और बहुत पेचीदगी पैदा हो जायेगी। ईशा को अतमा कहना तो वस्फ़ की बिना पर है, इसलिए इसमें कुछ नर्मी है मगर मग़रिब को ईशा कहना क़तअन दुरुस्त नहीं है। **(3)** ऐराब से मुराद वह लोग हैं जो सेहरा में अलग थलग रहते थे। शहरों और बस्तियों से दूर और उनकी तहज़ीब की वजह से उन्हें बदवी भी कहा जाता है। ये लोग फ़साहत व बलाग़त और ख़ालिस अरबी ज़बान के माहिर थे।

बाब : (24) सुबह की नमाज़ का अव्वल वक़्त

باب : (٢٤) أَوَّلُ وَقْتِ الصُّبْحِ

(544) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ पढ़ी जब सुबह आपके लिए वाज़ेह हो गई।

(544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1218, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1525.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ .

फ़ायदा : सुबह की नमाज़ का अव्वल वक़्त बिल इख़्तिलाफ़ सुबहे सादिक़ है। सुबहे सादिक़ से मुराद रोशनी की वह सफ़ेद पट्टी है जो उफ़ुक़ के साथ साथ फैली होती है। फैलने से पहले जब चन्द किरणें नीचे से ऊपर को उड़ती हुई नज़र आती हैं, वह सुबहे काज़िब है। सुबहे काज़िब नमाज़ में मोतबर है न रोज़े में बल्कि सुबहे सादिक़ ही असल सुबह है। रोशनी वाज़ेह होने से यही मुराद है।

(545) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी (ﷺ) के पास आया और आपसे सुबह की नमाज़ के वक़्त के बारे में पूछा। जब अगले दिन सुबह हुई तो जूं ही पौ फटी, आपने हुक्म दिया कि नमाज़ की इक़ामत कही जाये और

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ فَلَمَّا

أَصْبَحْنَا مِنَ الْغَدِ أَمَرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ أَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَسْفَرَ ثُمَّ أَمَرَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ " .

हमें नमाज़ पढ़ाई। जब अगला दिन हुआ तो आपने रोशनी होने दी। फिर आपने हुक्म दिया तो नमाज़ की इक़ामत कही गई और आपने हमें नमाज़ पढ़ाई। फिर आपने फ़रमाया: 'कहाँ है वह शख़्स जो नमाज़ के वक़्त के बारे में सवाल करता था? इन दोनों के दरम्यान वक़्त है।'

(545) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/113, अलक़त्तान (अहमद: 3/182), व मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह (अयज़ा: 3/189) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1526.

फ़ायदा : पौ फटने से मुराद भी सुबहे सादिक़ ही है।

باب : (٢٥) اَلتَّغْلِيسُ فِي الْحَضَرِ

बाब : (25)
हज़र में नमाज़े सुबह अन्धेरे में पढ़नी चाहिए

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

(546) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) सुबह की नमाज़ से फ़ारिग़ होते तो औरतें अपनी चादरों में लिपटी हुई घरों को वापस जाती थीं और अन्धेरे की बिना पर पहचानी न जाती थीं।

(546) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 867, व मुस्लिम, हदीस: 645/232, मोत्ता: 1/5, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1528.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ उमूमी तौर पर अन्धेरे में शुरू फ़रमाते और अन्धेरे ही में मुकम्मल फ़रमा लेते, लिहाज़ा जब औरतें पर्दे में वापस जातीं तो अन्धेरे की वजह से उनकी चाल ढाल का अन्दाज़ा नहीं होता था कि उन्हें पहचाना जा सके। **(2)** औरतों की पहचान उमूमन चाल ढाल से होती है क्योंकि वह हमेशा पर्दे में रहती हैं, लिहाज़ा ये कहना कि वह चादरों की वजह से पहचानी न जाती थीं, ग़लत है। अगर ये वजह हो तो फिर वह दोपहर को भी न पहचानी जायें क्योंकि चादर में तो उस वक़्त भी होंगी। दरअसल वजह अन्धेरा ही है, इसलिए भी कि इस रिवायत में सराहतन यही

इल्लत बयान की गई है। (3) औरतें किसी भी नमाज़ के लिए मस्जिद में आ सकती हैं। कुछ हज़रात का रात और दिन की नमाज़ों और बूढ़ी और जवान औरत में फ़र्क़ करना बेदलील है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فَيَرْجِعْنَ فَمَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ .

(547) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि औरतें रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सुबह की नमाज़ अपनी चादरों में लिपट कर पढ़ती थीं, फिर वापस जातीं तो अन्धेरे की बिना पर कोई उन्हें पहचान नहीं सकता था।

(547) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 645/230, व बुख़ारी, हदीस: 372, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1529.

باب : (٢٦) اَلتَّغْلِيسُ فِي السَّفَرِ

बाब : (26) सफ़र में भी नमाज़े सुबह अन्धेरे में पढ़नी चाहिए

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِغَلَسٍ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُمْ فَأَغَارَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ - مَرَّتَيْنِ - إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ " .

(548) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन सुबह की नमाज़ अन्धेरे में पढ़ी जब कि आप ख़ैबर के यहूदियों से क़रीब थे, फिर आपने उन पर हमला किया और दो दफ़ा फ़रमाया: 'अल्लाहु अकबर! ख़ैबर वीरान हुआ।' (फिर फ़रमाया:) 'बिलाशुबहा जब हम किसी क़ौम के सहन (मैदान) में उतर पड़ते हैं तो उन डराये गये लोगों की सुबह बहुत बुरी हो जाती है।'

(548) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 947, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1529.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) ने हमला सुबह के बाद किया क्योंकि आप सुबह की अज़ान का इन्तिज़ार फ़रमाते थे। अगर अज़ान सुनते तो हमला न करते ताकि वहाँ मुसलमान हमले में न मारे जायें और अगर अज़ान न सुनते तो हमला कर देते कि सब काफ़िर हैं। **(2)** 'ख़ैबर वीरान हुआ।' ये पेशिनगोई

हो सकती है जो वाक़िअतन पूरी हुई। दुआ भी हो सकती है, फिर मानी होंगे 'ख़ैबर वीरान हो जाये।' ये जुम्ला बतौर फ़ाल भी हो सकता है क्योंकि जब नबी (ﷺ) ख़ैबर पहुँचे तो वह आगे से टोकरे और कुदालें लेकर आ रहे थे। **(3)** जिन कुफ़्फ़ार को पहले इस्लाम की दावत दी जा चुकी हो, उन पर चढ़ाई करना जायज़ है। **(4)** दुश्मन का सामना करते वक़्त अल्लाहु अकबर कहना मसनून अमल है।

बाब : (27) फ़ज्र की नमाज़ रोशनी में भी पढ़ी जा सकती है

باب: (٢٧) الإِسْفَارِ

(549) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सुबह (की नमाज़) को रोशनी करो।'

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीसः 424, इब्ने माजा, हदीसः 672, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 1530, व सहीह तिर्मिज़ी, हदीसः 154, इब्ने हिब्बान, हदीसः 525.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ " .

(550) हज़रत महमूद बिन लबीद (رضي الله عنه) ने अपनी क़ौम अन्सार के कई बुज़ुर्गों से बयान किया कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमायाः 'फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते पढ़ते तुम जिस क़द्र भी रोशनी करोगे, वह तुम्हारे लिए सवाब में इज़ाफ़े का ज़रिया है।'

तख़रीज : (सनद सही) तबरानी फ़ी अलकबीरः 4/251, हदीसः 4294, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीसः 1531.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رِجَالٍ، مِنْ قَوْمِهِ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَا أَسْفَرْتُمْ بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بِالأَجْرِ

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रोशनी करो' का एक मतलब तो ये है कि देर कर के पढ़ो। ये अगरचे जायज़ है मगर अफ़ज़ल नहीं क्योंकि अल्लाह के रसूल (ﷺ) का तरीक़ा अन्धेरे में नमाज़ पढ़ने का था जैसा कि ऊपर बयान हुआ, इसलिए इस रिवायत के कुछ और मफ़हूम भी बयान किये गये हैं, जैसेः नमाज़ अन्धेरे में शुरू करके लम्बी क़िराअत की जाये यहाँ तक कि रोशनी हो जाये। दूसरी रिवायत के तर्जुमे में यही मफ़हूम इख़्तियार किया गया है और ये आपके अमल के मुताबिक़ भी है। या रोशनी से मुराद उफ़ुक़ (आसमान के किनारे) पर रोशनी है न कि ज़मीन पर, यानी नमाज़ उस वक़्त पढ़ी जाये जब मशरिक़ी

उफ़ुक़ रोशन हो जाये, अलबत्ता ज़मीन पर अन्धेरा ही होगा। ये मफ़हूम भी आपके तर्ज़े अमल से मुताबिक़त रखता है। या ये हुक्म उन मस्जिदों के लिए है जिनमें बड़ा मजमअ होता है, हर क़िस्म के नमाज़ी होते हैं और वह जल्दी इकट्ठे नहीं हो सकते। या ये हुक्म चाँदनी रातों के लिए है ताकि सुबह के तुलूअ होने का यक़ीन हो जाये। या ये हुक्म छोटी रातों से ख़ास है ताकि लोग आसानी से जमाअत के साथ मिल जायें, जितने मुक़्तदी ज़्यादा होंगे, उतना ही सवाब ज़्यादा होगा। वल्लाहु आलम! **(2)** दूसरी रिवायत का मतलब ये है कि नमाज़ अन्धेरे में शुरू हो जाये, फिर पढ़ते पढ़ते रोशनी हो जाये तो कोई हर्ज नहीं बल्कि ये तो ज़्यादा सवाब वाली बात है, मगर बाद में कम अज़ कम इतना वक़्त सूरज तुलूअ होने तक ज़रूर होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो नया वुज़ू करके मसनून तरीक़े से दोबारा नमाज़ बाजमाअत दोहराई जा सके। मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया मुलाहिज़ा फ़रमायें।

बाब : (28)
जिस शख़्स ने सुबह की नमाज़ से एक रकअत पा ली...?

باب : (٢٨)
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ

(551) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने सुबह की नमाज़ से एक रकअत सूरज तुलूअ होने से पहले पा ली तो उसने नमाज़ पा ली और जिस शख़्स ने अस्र की नमाज़ एक रकअत सूरज ग़ुरूब होने से पहले पा ली तो उसने नमाज़ पा ली।'

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، -وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا".

(551) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/474, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 985, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1535, बुख़ारी, हदीस: 579, व मुस्लिम, हदीस: 608.

(552) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने फ़ज्र की एक रकअत तुलूए आफ़ताब से पहले पा ली तो उसने नमाज़ पा ली और जिस शख़्स ने अस्र की

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .

एक रकअ़त ग़ुरूबे आफ़ताब से पहले पा ली तो उसने नमाज़ पा ली।'

(552) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 609, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1533.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिए हदीस नम्बर 1515 और उसके फ़वाइद व मसाइल मुलाहिज़ा फ़रमाइयें।

باب : (٢٩) آخِرُ وَقْتِ الصُّبْحِ

बाब : (29) सुबह की नमाज़ का आख़िरी वक़्त

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي صَدَقَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ بَيْنَ صَلاَتَيْكُمْ هَاتَيْنِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ - ثُمَّ قَالَ عَلَى إِثْرِهِ - وَيُصَلِّي الصُّبْحَ إِلَى أَنْ يَنْفَسِحَ الْبَصَرُ.

(553) हज़रत अनस बिन मालिक (ؓ) से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते थे जब सूरज ढलता था। और आप अ़स्र की नमाज़ तुम्हारी उन दो (ज़ुहर और अ़स्र की) नमाज़ों के दरम्यान में पढ़ते थे। और मग़रिब की नमाज़ पढ़ते जब सूरज ग़ुरूब होता और ईशा की नमाज़ पढ़ते जब सुर्ख़ी ग़ायब हो जाती। फिर उन्होंने इसके बाद फ़रमाया कि आप सुबह की नमाज़ से उस वक़्त फ़ारिग़ होते जब नज़र दूर तक देखने लगती।

(553) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/129, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1532.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उस दौर में लोग अ़स्र की नमाज़ ताख़ीर से पढ़ने लगे थे, इसलिए फ़रमाया कि आपकी अ़स्र की नमाज़ तुम्हारी आज कल की ज़ुहर और अ़स्र के दरम्यान होती थी, यानी तुम्हारी मौजूदा अ़स्र से बहुत पहले पढ़ लेते थे। **(2)** 'नज़र दूर तक देखने लगती।' ये सुबह की नमाज़ का आख़िरी वक़्त नहीं बल्कि आपकी नमाज़ के इख़्तिताम का वक़्त था, गोया सुबह की नमाज़ का मुख़्तार वक़्त ख़त्म हो जाता।

बाब : (30)
जिसने किसी नमाज़ की एक रकअत पा ली

باب : (٣٠)
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

(554) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ की एक रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली।'

(554) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 580, व मुस्लिम, हदीस: 607, मोत्ता: 1/10, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1537.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .

(555) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ की एक रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली।'

(555) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 607, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1538.

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْعَطَّارُ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ سَمَاعَةَ - عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ "

(556) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ की एक रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली।'

(556) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1538.

(557) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ की एक रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली।'

(557) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1539.

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا " .

(558) हज़रत सालिम अपने बाप (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर) (ﷺ) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने जुमा या किसी और नमाज़ की एक रकअत पा ली तो उसकी नमाज़ पूरी हो गई।'

(558) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1123, 1121.

أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ " .

(559) हज़रत सालिम से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने किसी भी नमाज़ की एक रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली मगर जितनी नमाज़ उससे रह गई है, उसे पूरी करेगा।'

(559) तख़रीज : (सनद सही) हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

اخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقْضِي مَا فَاتَهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे पहले की अहादीस सुबह और अस्र के बारे में थीं। इस बाब के तहत आने वाली अहादीस आम नमाज़ के बारे में हैं कि जिस नमाज़ की भी एक रकअत वक़्त में पढ़ ली जाये और बाक़ी रकअत भी साथ पढ़ ली जाये तो अगरचे बाक़ी रकअत वक़्त के बाद अदा हुई हैं मगर आग़ाज़ का लिहाज़ रखते हुए नमाज़, क़ज़ा की बजाये अदा मोतबर होगी। (2) मज़ीद ये मालूम हुआ कि नमाज़ के आख़िरी वक़्त में जो मुसाफ़िर है, वह सफ़र की नमाज़ अदा करेगा और जो उस वक़्त मुक़ीम है, वह

घर की नमाज़ पढ़ेगा, ख़्वाह बाद ही में पढ़े। उस वक़्त मौत आ जाये तो वह नमाज़ माफ़ हो जायेगी और अगर उस वक़्त कोई बालिग़ हो जाये या हैज़ रुक जाये या मजनूं तन्दुरुस्त हो जाये तो वह नमाज़ उन पर वाजिब होगी, बशर्ते कि एक रकअत का वक़्त बाक़ी हो। (3) जुमा की नमाज़ में अगर कोई शख़्स एक रकअत में मिल जाये तो वह जुमा की नमाज़ पढ़ेगा और अगर एक रकअत से कम में मिले तो इस हदीस़ की रू से जुमे की बजाये ज़ुहर की चार रकअत पढ़ेगा, मगर उलम-ए-अहनाफ़ के नज़दीक अगर जुमा की नमाज़ का सलाम फैरने से पहले किसी वक़्त भी मिल जाये तो जुमा की नमाज़ (दो रकअत) ही पढ़ेगा। मज़कूरा अहादीस़ में एक रकअत की तसरीह है, लिहाज़ा नस़ के मुक़ाबले में अक़्ली दलील ग़ैर मोतबर है। (4) अगर कोई शख़्स जमाअत के साथ एक रकअत पा ले, बाक़ी बाद में पढ़े तो कहा जायेगा कि उसने नमाज़ बाजमाअत पढ़ी है अगरचे शुरू से साथ मिलने वाला और ये शख़्स सवाबे जमाअत में बराबर नहीं हो सकते। (5) अगर कोई शख़्स एक रकअत का वक़्त पाये तो उस पर वह नमाज़ वाजिब होगी अगर कम पाये तो नमाज़ वाजिब न होगी। अहनाफ़ का ख़्याल है कि अगर तकबीरे तहरीमा का वक़्त पा ले, तब भी नमाज़ वाजिब होगी मगर ये क़ौल इन अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। (6) कुछ अहले इल्म ने यहाँ 'रकअत' को रुकूअ के मानी में और 'सलात' को रकअत के मानी में करके ये मफ़हूम निकाला है कि जिस शख़्स ने इमाम के साथ रुकूअ पा लिया उसने रकअत पा ली, मगर सोचने की बात है कि क्या ये मानी एक ख़ाली ज़हन शख़्स की समझ में आता है? हरगिज़ नहीं। तमाम अल्फ़ाज़ के हक़ीक़ी मानी को छोड़ कर मजाज़ी मानी मुराद लेने की दलील क्या है? बग़ैर दलील के तावील दुरुस्त नहीं। कुछ अहादीस़ में (رَكْعَةً وَاحِدَةً) के लफ़्ज़ भी हैं जो इस तावील का सराहतन रद्द करते हैं। बाक़ी रही इस मसले की तहक़ीक़ कि रुकूअ की रकअत मोतबर है या नहीं? तो वह अपने मुक़ाम पर आयेगी। इन्शाअल्लाह!

बाब : (31) वह औक़ात जिनमें नमाज़ पढ़ने से रोका गया है

باب : (٣١)
اَلسَّاعَاتُ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

(560) हज़रत अब्दुल्लाह सुनाबिही (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरज तुलूअ होता है तो उसके साथ शैतान का सींग भी होता है। फिर जब सूरज बुलन्द हो जाता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है। फिर जब सूरज सर पर आ जाता है तो शैतान उसके साथ मिल जाता

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّمْسُ تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ

الشَّيْطَانِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإِذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا " . وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَاتِ .

है और जब सूरज ढल जाता है तो शैतान उससे अलग हो जाता है। फिर जब सूरज ग़ुरूब होने के क़रीब होता है तो शैतान फिर उससे आ मिलता है और जब ग़ुरूब हो जाता है तो शैतान उससे दूर हो जाता है। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन औक़ात में नमाज़ पढ़ने से रोका है।'

तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1253, मोत्ता: 1/219, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1542.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहादीस में पाँच औक़ात में नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत आई है। ● ऐन तुलूअ के वक़्त यहाँ तक कि सूरज बक़द्रे नेज़ा बुलन्द हो जाये। ● निस्फ़ुन्निहार के वक़्त, यानी जब सूरज ऐन सर पर हो। ● सूरज के ज़र्दी माइल होने से लेकर ग़ुरूब तक। ● नमाज़े फ़ज्र के बाद यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये। ● अस्र के बाद। तमाम उलमा इन औक़ात में बिलअस्बाब फ़राइज़ व नवाफ़िल पढ़ने की हुर्मत के क़ाइल हैं। हाँ, अगर कोई सबबी नमाज़ हो, जैसे ज़रूरी नमाज़ जो पढ़ न सका हो, तहिय्यतुल मस्जिद, वुज़ू की सुन्नतें, नमाज़े कुसूफ़, नमाज़े इस्तिस्क़ा (बारिश माँगने की नमाज़), तवाफ़ की दो रकअतें और फ़र्ज़ नमाज़ की दोबारा अदायगी जबकि मस्जिद में मौजूद हो और नमाज़ की इक़ामत हो जाये वग़ैरह तो इसमें उलमा का इख़्तिलाफ़ है। अइम्म-ए-सलासा सिवाए फ़राइज़ के बाक़ी तमाम नवाफ़िल, ख़्वाह सबबी हों या ग़ैर सबबी, की मुमानिअत के क़ाइल हैं और इनकी दलील यही मुमानिअत वाली रिवायात का उमूम है जबकि इमाम शाफ़ेई और एक रिवायत के मुताबिक़ इमाम अहमद (رحمه الله) इन ममनूअ औक़ात में हर उस नफ़्ल की अदायगी के जवाज़ के क़ाइल हैं जिसकी कोई वजह और सबब हो। इनका कहना है कि जब दो उमूम आपस में मुतआरिज़ (मुख़ालिफ़) हों तो देखा जायेगा कि किस उमूम में तख़्सीस हुई है, लिहाज़ा जो उमूम तख़्सीस से महफ़ूज़ है उसे कमज़ोर उमूम, यानी अल्उमूमुल मख़्सूस पर मुक़द्दम किया जायेगा। इस उसूल की रोशनी में देखा जाये तो मालूम होता है कि जब इस मुमानिअत से फ़ौतशुदा नमाज़ मुस्तसना है जो कि याद आने या बेदार होने पर पढ़ ली जाती है, जब भी याद आये या जब भी बेदार हो क्योंकि हदीस में इसकी इजाज़त है। इसी तरह नबी (ﷺ) ने फ़ज्र की दो सुन्नतें तुलूअे शम्स के बाद पढ़ीं और नवाफ़िल की क़ज़ा आप (ﷺ) ने अस्र के बाद अदा की, लिहाज़ा जब इन मकरूह औक़ात में इन मज़कूरा नमाज़ों के पढ़ने की इजाज़त शरीयत में है और इन सूरतों को मुस्तसना कर लिया गया है तो इस क़िस्म के दीगर नवाफ़िल जो अस्बाब की वजह से पढ़े जाते हैं तो

इनकी तख़्सीस़ क्यों नहीं हो सकती? इसलिए इंसान जब भी मस्जिद में दाख़िल हो बिला कराहत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ सकता है, ऐसे ही दीगर ज़रूरियात की बिना पर पढ़ी जाने वाली नमाज़ों को इन ममनूआ औक़ात में पढ़ना जायज़ होगा क्योंकि इनकी अदायगी के वक़्त अस्बाब पेशे नज़र होते हैं, लिहाज़ा किसी वक़्त की क़ैद के बग़ैर जब भी अस्बाब का तक़ाज़ा हो, नवाफ़िल पढ़ने जायज़ हैं क्योंकि अगर अस्बाब को नज़र अन्दाज़ कर दिया जाये तो बहुत से दीनी मस़ालेह तर्क हो जायेंगे और ये शरीयत का मिज़ाज नहीं। इस तरह तमाम दलाइल का तआरूज़ रफ़ा (इख़्तिलाफ़ दूर) हो जाता है और इस मसले में वारिद मुख़्तलिफ़ अहादीस़ पर अ़मल भी मुमकिन है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तावा शैख़ुल इस्लाम: 33/187, शरह बुलूग़ुल मराम: 1/492, वल्फ़िक्हुल इस्लामी व अदिल्लतिही: 1/524, व शरह नसाई लिल्इत्यूबी: 7/299) **(2)** शैतान का तुलूअ और ग़ुरूब के वक़्त सूरज के साथ मिल जाना इसलिए है कि लोग इन औक़ात में सूरज की पूजा करते हैं, हदीस़ में है: 'इस वक़्त कुफ़्फ़ार-सूरज को सज्दा करते हैं।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 832, इरवाउलग़लील: 2/237) शैतान चाहता है कि मेरी भी पूजा हो, लिहाज़ा वह सूरज और उसकी पूजा करने वालों के दरम्यान सूरज के सामने आ खड़ा होता है। और ऐन इस्तवा के वक़्त नमाज़ से मुमानिअ़त की इल्लत (वजह) भी हदीस़ में मन्क़ूल है, फ़रमाया: 'क्योंकि उस वक़्त जहन्नम भड़काई जाती है।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 832) ये तो हक़ीक़ी मानी हैं और इसमें कोई चीज़ ख़िलाफ़े अ़क़्ल या बईद नहीं, अलबत्ता कुछ लोग इसे अस्तआरे पर महमूल करते हैं। **(3)** इन तीन औक़ात में नफ़ल नमाज़ से रोका गया है न कि रह जाने वाली फ़र्ज़ नमाज़ से, वह तो पढ़ी जा सकती है जब भी याद या जाग आ जाये। लेकिन अ़स्र के बाद मुमानिअ़त के वक़्त की एक दूसरी हदीस़ में तख़्सीस़ वारिद है और वह, वह वक़्त है जब सूरज ज़र्दी माइल हो जाये, यानी उस वक़्त कोई नमाज़ बिला वजह पढ़ने से मुमानिअ़त है, हाँ! जब तक अ़स्र के बाद सूरज चमकता और रोशन रहे, ज़र्दी माइल न हुआ हो, मुत्लक़न नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं, इसकी दलील आइन्दा आने वाली हज़रत अ़ली (ﷺ) की स़हीह हदीस़ (574) है। देखिये: (हदीस़: 574, इरवाउलग़लील: 2/237, व शरह सुनन नसाई लिल इत्यूबी: 7/363) **(4)** शैख़ अल्बानी (رحمه الله) के नज़दीक मज़कूरा हदीस़ इन अल्फ़ाज़ (فَإِذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا) के अलावा स़ही है। देखिये: (इरवाउलग़लील: 2/238)

(561) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर जुहनी (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: तीन औक़ात ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ने

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ سَمِعْتُ

أَبِي يَقُولُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

या मय्यत के दफ़नाने से मना किया है: जब सूरज रोशन होकर तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि बुलन्द हो जाये और जब सूरज सर पर खड़ा हो यहाँ तक कि ढल जाये और जब सूरज ग़ुरूब होने के क़रीब हो यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाये।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 831, इब्ने माजा, हदीस: 1519, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1543.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम अहमद (رحمه الله) ने ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की बिना पर कहा है कि इन तीन औक़ात में मय्यत को दफ़न करना मना है, जब कि दीगर अहले इल्म ने इससे जनाज़ा मुराद लिया है क्योंकि नमाज़ से मुनासिबत नमाज़े जनाज़ा की हो सकती है न कि दफ़न करने की, मगर (نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا) के अल्फ़ाज़ से दफ़न के बजाये नमाज़े जनाज़ा मुराद लेना बईद मालूम होता है। **(2)** सूरज का सर पर खड़ा होना उरफ़ी (इस्तिलाही) लिहाज़ से है वरना हक़ीक़त में सूरज नहीं रुकता, बड़ी तेज़ी से हरकत करता रहता है।

بَاب : (٣٢) اَلنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ

बाब : (32) सुबह की नमाज़ के बाद नफ़ल पढ़ना मना है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

(562) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि नबी (ﷺ) ने अस्र (की नमाज़) के बाद नमाज़ पढ़ने से रोका है यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाये और सुबह (की नमाज़) के बाद भी नमाज़ से रोका है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये।

(562) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 825, मोत्ता: 1/221, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1545.

फ़ायदा : नमाज़ से नफ़ल नमाज़ मुराद है, फ़राइज़ और फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा इन औक़ात में दुरुस्त है। मज़ीद देखिये, हदीस: 1519 और उसका फ़ायदा।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ، وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ - وَكَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيَّ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

(563) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने बहुत से अस्हाबुन्नबी (ﷺ) से सुना है, उनमें हज़रत उमर भी शामिल हैं और वह मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा महबूब हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ने से रोका है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये और अस्र की नमाज़ के बाद भी नमाज़ पढ़ने से रोका है यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाये।

(563) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 826, बुख़ारी, हदीस: 581.

बाब : (33) सूरज के तुलूअ होते वक़्त नमाज़ पढ़ना मना है

باب : (٣٣) النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا "

(564) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स जानबूझ कर तुलूअ व ग़ुरूबे शम्स के वक़्त नमाज़ न पढ़े।'

(564) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 585, व मुस्लिम, हदीस: 828, मोत्ता: 1/220.

फ़ायदा : गोया इन औक़ात में जानबूझ कर नमाज़ शुरू करना दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शख़्स पहले से नमाज़ पढ़ रहा है, इसी दौरान में सूरज तुलूअ हो जाये या ग़ुरूब हो जाये या सर पर आ जाये तो नमाज़ फ़ासिद न होगी, वह नमाज़ जारी रखे।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ غُرُوبِهَا .

(565) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि तुलूअ व ग़ुरूबे शम्स के वक़्त नमाज़ पढ़ी जाये।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/29, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1546, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (٣٤) اَلنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ

बाब : (34) ऐन निस्फ़ुन्नहार के वक़्त नमाज़ की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

(566) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: तीन औक़ात ऐसे हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनमें हमें नमाज़ पढ़ने और मय्यत के दफ़न करने से रोका है: जब सूरज रोशन होकर तुलूअ हो रहा हो यहाँ तक कि बुलन्द हो जाये और जब दोपहर के वक़्त सूरज सर पर खड़ा हो यहाँ तक कि ढल जाये और जब वह ग़ुरूब के वक़्त के क़रीब हो यहाँ तक कि ग़ुरूब हो जाये।

(566) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 561 में देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1548.

फ़ायदा : मजमूई तौर पर पाँच वक़्त, नमाज़ के लिए मकरूह हैं: (1) तुलूअ (2) इस्तवा (3) ग़ुरूब (4) बाद अज़ सुबह (5) बाद अज़ अस्र जबकि सूरज ज़र्दी माइल हो चुका हो। तफ़्सील के लिए देखिये फ़वाइद हदीस: 560.

باب : (٣٥) اَلنَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

बाब : (35) अस्र की नमाज़ के बाद (नफ़ल) नमाज़ मना है

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى الطُّلُوعِ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى الْغُرُوبِ .

(567) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है यहाँ तक कि तुलूअ हो जाये और अस्र के बाद ग़ुरूबे शम्स तक नमाज़ से मना फ़रमाया है।

(567) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/706, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1549.

फ़ायदा : अ़स्र और सुबह के बाद मुत्लक़न नफ़ल नमाज़ से रोक दिया गया है क्योंकि अगर इन औक़ात में नफ़ल नमाज़ की इजाज़त होती तो लाज़िमन तुलूअ़ और ग़ुरूब के वक़्त भी नमाज़ पढ़ी जानी थी, इसलिए कि तुलूअ़ और ग़ुरूब की हतमी रूअ्यत तो मस्जिद के अन्दर से (या घरों में भी) मुमकिन नहीं है। ग़ालिबन इसी इम्कान को ख़त्म करने के लिए मुत्लक़न रोक दिया गया।

(568) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, वह फ़रमाते हैं: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फ़ज्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज साफ़ तुलूअ़ हो जाये और न अ़स्र के बाद नमाज़ है यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 586, व मुस्लिम, हदीस: 827, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 465.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .

(569) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसी क़िस्म की रिवायत बयान करते हैं।

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَحْوِهِ .

(570) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने अ़स्र के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(570) **तख़रीज : (सनद सही)** दारमी: 1/115, हदीस: 440, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 369.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(571) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हज़रत उ़मर (ﷺ) को ग़लतफ़हमी हो गई (जो वह लोगों को अ़स्र के बाद नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ

أَبِيهِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها أَوْهَمَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ - إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ "لاَ تَتَحَرَّوْا بِصَلاَتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ "

जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तो ये फ़रमाया था: 'तुम जानबूझ कर तुलूअे शम्स और गुरूबे शम्स के वक़्त नमाज़ न पढ़ो क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान तुलूअ होता है।'

(571) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 833, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 370.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर (ﷺ) का अस्र के बाद लोगों को नमाज़ से रोकना रसूलुल्लाह (ﷺ) की सरीह नह्य (मना) की बिना पर था और वह अस्र के बाद मग़रिब तक के वक़्त में नमाज़ पढ़ना नाजायज़ समझते थे लेकिन अगर दलाइल का जायज़ा लिया जाये तो अस्र के बाद नवाफ़िल पढ़ने के बारे में क़द्रे तफ़्सील है। वह इस तरह कि अस्र से मग़रिब तक के पूरे वक़्त में नवाफ़िल पढ़ना जायज़ नहीं है बल्कि जब सूरज ज़र्दी माइल हो जाये तो उसके बाद गुरूबे आफ़ताब तक का वक़्त, वक़्ते ममनूअ है वरना जब तक सूरज चमक रहा हो अस्र के बाद तो भी जायज़ हैं। हज़रत आयशा (ﷺ) का यही मक़सद था कि सय्यदना उमर (ﷺ) को नह्य का मतलब समझने में ग़लतफ़हमी हुई है, वह इसका मतलब ये समझते हैं कि अस्र से मग़रिब तक का पूरा वक़्त, वक़्ते ममनूअ है, हालांकि ऐसा नहीं बल्कि सूरज ज़र्द होने के बाद से गुरूब तक के वक़्त में नवाफ़िल पढ़ना ममनूअ हैं। हज़रत आयशा (ﷺ) के मौक़फ़ की ताईद आइन्दा बाब में आने वाली सय्यदना अली(ﷺ) की हदीस (574) से भी होती है। **(2)** शैतान के सींगों में सूरज तुलूअ होने की बहस के लिए देखिये हदीस नम्बर 560.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تُشْرِقَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغْرُبَ

(572) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब सूरज की टिकिया तुलूअ होने लगे तो नमाज़ मुअख़्ख़र कर दो यहाँ तक कि ख़ूब रोशन हो जाये और जब सूरज की टिकिया गुरूब होने लगे तो नमाज़ मुअख़्ख़र कर दो यहाँ तक कि गुरूब हो जाये।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 583, व मुस्लिम, हदीस: 829, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1550.

फ़ायदा : किसी वजह और सबब के बग़ैर ऐन तुलूअ और गुरूब के वक़्त नमाज़ शुरू करना दुरुस्त नहीं

है, हाँ! अगर पहले से पढ़ रहा है तो जारी रखे जैसे कि अहादीस: 551 से 559 में ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى، سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ وَضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو طَلْحَةَ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْرَى أَوْ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُهَا قَالَ " نَعَمْ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَبْدِ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ وَهِيَ سَاعَةُ صَلاَةِ الْكُفَّارِ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ وَيَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ الشَّمْسُ اعْتِدَالَ الرُّمْحِ بِنِصْفِ النَّهَارِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَتُسْجَرُ فَدَعِ الصَّلاَةَ حَتَّى يَفِيءَ الْفَىْءُ ثُمَّ الصَّلاَةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى

(573) हज़रत अबू उमामा बाहिली (ﷺ) हज़रत अम्र बिन अबसा (ﷺ) से बयान फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: क्या कोई घड़ी दूसरी घड़ी से ज़्यादा क़ुर्ब वाली है? या कोई ऐसी घड़ी है जिसमें ख़ुसूसन अल्लाह तआला का ज़िक्र किया जाये? आपने फ़रमाया: 'हाँ, तहक़ीक़ अल्लाह तआला अपने बन्दे के सबसे ज़्यादा क़रीब निस्फ़ रात के बाद होता है। अगर तुम ताक़त रखो कि उस वक़्त अल्लाह तआला का ज़िक्र करने वालों में शामिल हो तो ज़रूर ऐसा करो क्योंकि इस नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर और मौजूद होते हैं। ये वक़्त तुलूअ शम्स तक रहता है क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान तुलूअ होता है और ये काफ़िरों कि इबादत का वक़्त है, लिहाज़ा इस वक़्त नमाज़ छोड़ दो यहाँ तक कि सूरज एक नेज़े के बक़द्र ऊँचा हो जाये और उसकी किरणें ख़त्म हो जायें फिर नमाज़ का वक़्त आ जाता है और फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं यहाँ तक कि सूरज दोपहर के वक़्त नेज़े की तरह सीधा सर पर आ जाता है तो उस वक़्त जहन्नम के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और जहन्नम की आग भड़काई जाती है, चुनांचे तुम नमाज़ छोड़ दो यहाँ तक कि साया ढल जाये, फिर नमाज़ का वक़्त आ जाता है और फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाये क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान ग़ुरूब होता है और ये

तَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَهِيَ صَلَاةُ الْكُفَّارِ " .

काफ़िरों की नमाज़ का वक़्त है।'

(573) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 147 में देखें, सुननिल कुबरा,अन्नसाई, हदीस: 1544, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2/182, हदीस: 1147.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगरचे वक़्त होने के लिहाज़ से तमाम औक़ात बराबर हैं मगर अल्लाह तआला की रहमत के क़ुर्ब (करीब) और दूरी के लिहाज़ से इनमें फ़र्क़ पड़ जाता है, जैसे आधी रात के बाद अल्लाह की रहमत क़रीब आ जाती है यहाँ तक कि तिहाई रात बाक़ी रह जाये तो अल्लाह तआला ख़ुद आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाता है, इसलिए ये वक़्त ख़ुसूसी क़ुर्ब का वक़्त है, नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात में क़ियाम किया करो, ये तुमसे पहले भी नेक लोगों की आदत रही है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 3549, व सहीह अत्तर्ग़ीब लिल अल्बानी: 3/399) **(2)** इस रिवायत से नमाज़ के लिए तीन औक़ात मकरूह साबित होते हैं: तुलूअे शम्स, इस्तवा-ए-शम्स और ग़ुरूबे शम्स, जब कि दीगर रिवायात में अस्र के बाद जबकि सूरज ज़र्दी माइल हो चुका हो जैसा कि अगली हदीस में इसकी तहक़ीक़ आ रही है और सुबह के बाद भी नमाज़ से रोका गया है। सब रिवायात पर अमल ज़रूरी है। **(3)** इबादत में कुफ़्फ़ार की मुशाबिहत इख़्तियार करना मना है।

باب : (٣٦)
اَلرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

बाब : (36)
अस्र के बाद नमाज़ की रुख़सत

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً مُرْتَفِعَةً .

(574) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अस्र के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है मगर ये कि सूरज सफ़ेद, साफ़ और बुलन्द हो।

(574) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1274, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 372.

फ़ायदा : ये हदीस इस बात की दलील है कि सूरज के ज़र्दी माइल होने से पहले, जबकि वह रोशनी और चमकदार हो, नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं। हदीस में वारिद ये इस्तिसना 'मगर ये कि सूरज सफ़ेद, साफ़ और बुलन्द हो।' क़ाबिले ऐतबार व हुज्जत है। इससे हदीस: 'अस्र के बाद कोई नमाज़ दुरुस्त नहीं जब

तक कि सूरज गुरूब न हो जाये।' कि तख़्सीस हो जाती है, इसलिए अस्र के बाद नवाफ़िल पढ़ना जायज़ है। ये अमल कुछ सहाबा और कसीर ताबेईन से भी मरवी है। अहादीस व आसार की तफ़्सील के लिए देखिये: (महल्ली इब्ने हज़्म: 2/272-275, व शरह सुनन नसाई लिल्इत्यूबी: 7/364-372) लिहाज़ा इस इस्तिसना को शाज़ क़रार देना दुरुस्त नहीं है और न अहनाफ़ का ये कहना दुरुस्त है कि इस वक़्त क़ज़ा वग़ैरह तो पढ़ी जा सकती है जब कि सूरज के ज़र्द होने के बाद ये भी न पढ़ी जाये, और इस तौजीह की कोई पुख़्ता दलील भी नहीं है और ये फ़र्क़ दीगर उमूमात की रोशनी में नाक़ाबिले अमल ठहरता है। 'जो कोई नमाज़ पढ़ना भूल जाये या उससे सोया रह जाये तो उसका कफ़्फ़ारा यही है कि जब भी याद आये (या बेदार हो) उसी वक़्त पढ़ ले।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 684) लिहाज़ा सूरज चमक रहा हो या ज़र्दी माइल होना शुरू हो जाये, दोनों सूरतों में नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، قَالَتْ عَائِشَةُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ

(575) हज़रत आयशा (﵂) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मेरे यहाँ अस्र के बाद दो रकअतें कभी नहीं छोड़ीं।

(575) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 591, व मुस्लिम, हदीस: 835/299, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1553.

फ़ायदा : इसे रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ास्सह (ख़ुसूसियत) कहा गया है लेकिन ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती क्योंकि कुछ सहाबा और ताबेईन ने भी ये रकअतें पढ़ी हैं, जैसे हज़रत इब्ने ज़ुबैर (﵁) के मुताल्लिक़ मिलता है कि ये भी अस्र के बाद दो रकअत पढ़ा करते थे।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله تعالى عنها مَا دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلاَّهُمَا .

(576) हज़रत आयशा (﵂) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी अस्र की नमाज़ के बाद मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो ये दो रकअतें ज़रूर पढ़ते।

(576) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1554.

خْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ مَسْرُوقًا، وَالأَسْوَدَ، قَالاَ نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَانَ عِنْدِي بَعْدَ الْعَصْرِ صَلاَّهُمَا .

(577) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी अस्र की नमाज़ के बाद मेरे पास होते तो ये दो रकअतें ज़रूर पढ़ते।

(577) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 593, व मुस्लिम, 835/301, ये हदीस: 575 में गुज़र चुका है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1555.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ صَلاَتَانِ مَا تَرَكَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِي سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ .

(578) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि दो नमाज़ें अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मेरे घर में कभी नहीं छोड़ीं, ख़ुफ़िया न ऐलानिया। फ़ज्र से पहले दो रकअतें और अस्र के बाद दो रकअतें।

(578) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 835, बुख़ारी, हदीस: 592, हदीस: 575 में देखें, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 373.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ إِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا أَوْ نَسِيَهُمَا فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَثْبَتَهَا .

(579) हज़रत अबू सलमा से रिवायत है कि उन्होंने (अबू सलमा) ने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से उन दो रकअत के बारे में पूछा जो अल्लाह के रसूल (ﷺ) अस्र के बाद पढ़ा करते थे। तो उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ये दो रकअतें अस्र से पहले पढ़ा करते थे। फिर एक दिन किसी मसरूफ़ियत में आपसे ये दो रकअत रह गईं या आप भूल गये तो आपने अस्र के बाद उन्हें पढ़ा। और आप जब कोई नमाज़ एक दफ़ा पढ़ लेते तो उस पर पाबन्दी फ़रमाते थे।

(579) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1556.

फ़ायदा : अ़स्र के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) के दो रकअ़त पढ़ने की ये तौजीह है कि एक दिन आपकी ज़ुहर के बाद वाली सुन्नतें मसरूफ़ियत की वजह से रह गईं, वह अदा फ़रमाई थीं और बाद में अपनी आ़दते तय्यिबा के मुताबिक़ इस पर दवाम (हमेशगी) फ़रमाया। ये हदीस़ भी उन हज़रात की दलील है जो कहते हैं कि ममनूअ़ औक़ात में कोई भी सबबी नमाज़ पढ़ी जा सकती है जैसा कि नबी (ﷺ) ने ज़ुहर की दो रकअ़तों की अ़स्र के बाद क़ज़ा अदा की। और मुसनद अहमद की रिवायत के आख़िर में जो ये इज़ाफ़ा है: 'क्या हम भी इनकी क़ज़ा अदा कर लिया करें जब ये दो रकअ़तें रह जाया करें' तो फ़रमाया: 'नहीं'। सनदन ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। देखिये: (मुसनद अहमद: 44/277) लिहाज़ा रह जाने वाली नमाज़, अ़स्र के बाद अदा की जा सकती है। ये सिर्फ़ आपही की ख़ुसूसियत नहीं है क्योंकि मज़कूरा अल्फ़ाज़ ज़ईफ़ हैं, मज़ीद बरां ये कि जब तक सूरज रोशन और चमकदार हो तो मुतलक़न नवाफ़िल भी पढ़े जा सकते हैं जैसा कि पीछे तफ़्सील गुज़र चुकी है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " هُمَا رَكْعَتَانِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا حَتَّى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ " .

(580) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उनके घर में सिर्फ़ एक दफ़ा अ़स्र के बाद दो रकअ़तें पढ़ीं। उन्होंने आपसे इसका ज़िक्र किया तो आपने फ़रमाया: 'ये दो रकअ़तें हैं जो मैं ज़ुहर के बाद पढ़ा करता हूँ। आज मैं इनसे मसरूफ़ रहा यहाँ तक कि अ़स्र का वक़्त हो गया और मुझे अ़स्र पढ़नी पड़ी।

(580) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/301, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1557.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ

(581) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) (एक दिन) अ़स्र से पहले (ज़ुहर के बाद) की दो रकअ़तों से मसरूफ़ रहे तो आपने उन्हें अ़स्र के बाद अदा फ़रमाया।

(581) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/306, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1558.

फ़ायदा : अस्र के बाद नवाफ़िल पढ़ना जायज़ है जब तक कि सूरज ज़र्द न हो जैसा कि पीछे तफ़्सील गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 574 और 579 के फ़वाइद व मसाइल।

बाब : (37)
गुरूबे शम्स से पहले नमाज़ की रुख़्सत

باب : (٣٧)
اَلرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

(582) हज़रत इमरान बिन हुदेर ने हज़रत लाहिक़ से गुरूबे शम्स से पहले की दो रकअतों के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ये दो रकअतें पढ़ा करते थे तो हज़रत मुआविया (ﷺ) ने उन्हें पैग़ाम भेजा कि गुरूबे आफ़ताब के वक़्त ये दो रकअतें कैसी हैं? बात हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) तक पहुँची तो उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दो रकअतें अस्र से पहले पढ़ा करते थे। (एक दिन) आप मसरूफ़ियत की बिना पर न पढ़ सके तो आपने गुरूबे शम्स के वक़्त (अस्र के बाद) ये दो रकअतें पढ़ लीं। मैंने उस दिन के सिवा कभी आपको ये दो रकअतें पढ़ते नहीं देखा। उससे पहले, न बाद।

तख़रीज: **(सनद सही)** सुननिल कुबरा अन्नसाई, ह.: 1558

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ لاَحِقًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُصَلِّيهِمَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَاضْطَرَّ الْحَدِيثَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَشُغِلَ عَنْهُمَا فَرَكَعَهُمَا حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ أَرَهُ يُصَلِّيهِمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बात उम्मे सलमा (ﷺ) तक पहुँची।' ये मानी लफ़्ज़ 'अलहदीस' को मरफ़ूअ पढ़ने की सूरत में हैं। जब इसे मन्सूब पढ़े तो मानी ये होंगे कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने ये बात उम्मे सलमा (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब की या उन्हें उम्मे सलमा (ﷺ) की हदीस का सहारा लेना पड़ा या उनसे इस बारे में बात करनी पड़ी वग़ैरह। **(2)** इस रिवायत से बज़ाहिर यही मालूम होता है कि ये रकअतें वह नहीं हैं जो आप अस्र के बाद बिद्दवाम (हमेशगी के साथ) अदा फ़रमाया करते थे जैसा कि हदीस के इन आख़िरी अल्फ़ाज़ से ज़ाहिर होता है: 'मैंने इस दिन के सिवा कभी आपको ये दो रकअतें पढ़ते नहीं देखा, उससे पहले, न बाद।' बल्कि ये दो रकअतें आप (ﷺ) ने किसी और दिन गुरूबे शम्स से पहले

अदा फ़रमाई होंगी जो अ़स्र की नमाज़ की, अ़स्र से पहले की दो रकअ़तें हो सकती हैं। और ये भी एहतिमाल है कि ये नफ़्स वही दो रकअ़तें हों जो आप अ़स्र के बाद बा'क़ायदा पढ़ा करते थे और उम्मे सलमा (ﷺ) का बाद में उनकी अदायगी की नफ़ी करना उनके इल्म की हद तक है, इससे नफ़्स मसले की नफ़ी नहीं होती। लेकिन ज़्यादा सही पहली बात ही मालूम होती है। मज़ीद देखिये: (शरह सुनन नसाई लिल्इत्यूबी: 7/212) क्योंकि इसकी ताईद हज़रत अ़ली (ﷺ) की गुज़िश्ता हदीस़ से भी होती है जिसमें सूरज के रोशन और चमकदार रहने तक नमाज़ की इजाज़त है, लिहाज़ा इब्ने ज़ुबैर(ﷺ) का बाद में इन दो रकअ़तों को बा'क़ायदा इस वक़्त में अदा करना उनका अपना इज्तिहाद ही मालूम होता है क्योंकि नबी (ﷺ) ने तो उ़ज्र की बिना पर अदा की होंगी। वल्लाहु आलम!

बाब : (38) (नमाज़) मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ने की रुख़्सत

باب : (٣٨) اَلرُّخْصَةُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ انْظُرْ إِلَى هَذَا أَىَّ صَلاَةٍ يُصَلِّي فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَرَآهُ فَقَالَ هَذِهِ صَلاَةٌ كُنَّا نُصَلِّيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

(583) अबुल ख़ैर से रिवायत है कि हज़रत अबू तमीम जैशानी मग़रिब (की नमाज़) से पहले दो रकअ़तें पढ़ने के लिए उठे। मैंने हज़रत उ़क़्बा बिन आमिर (ﷺ) से कहा: उन्हें देखिये ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं? उन्होंने (उ़क़्बा) ने उनकी तरफ़ तवज्जह फ़रमाई तो उन्हें (नमाज़ पढ़ते) देखा। तो उन्होंने फ़रमाया कि हम ये नमाज़ रसूलुल्लाह(ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में पढ़ा करते थे।

(583) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 1184, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 374.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन दो रकअ़तों को नमाज़े मग़रिब से पहले वाली सुन्नतें कहा जाता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) इनकी रग़बत दिलाया करते थे और सहाब-ए-किराम (ﷺ) इन्हें कस़रत से पढ़ा करते थे मगर वक़्त कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मतरुक हो गईं, इसलिए अबुल ख़ैर को ताज़ुब

हुआ। अल्लाह तआला तरोताज़ा रखे मुहद्दिसीन और अहले हदीस को जो मतरुक (छोड़ी हुई) सुन्नतों को ज़िन्दा करते हैं। अहनाफ़ बिला वजह इन सुन्नतों के ख़िलाफ़ हैं कि इनके पढ़ने से नमाज़ मुअख़्ख़र हो जायेगी, हालांकि दो हल्की रकअतों से क्या फ़र्क़ पड़ता है? बल्कि तकसीर जमाअत का फ़ायदा हासिल होता है। सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में फ़रमाने रसूलुल्लाह (ﷺ) है: 'हर अज़ान और इक़ामत के दरम्यान नमाज़ है।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 624, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 838) और फ़रमाया: 'नमाज़े मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1183) ये सहीह बुख़ारी की रिवायत है और क्या चाहिए? मज़ीद तफ़्सील के लिए इसी किताब का इब्तिदाइया देखिये।

बाब : (39) सुबह तुलूअ होने के बाद नमाज़ (सुन्नते फ़ज्र)

باب: (٣٩) اَلصَّلَاةُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

(584) हज़रत हफ़सा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि जब फ़ज्र तुलूअ हो जाती तो रसूलुल्लाह (ﷺ) सिर्फ़ दो हल्की रकअतें पढ़ते थे।

(584) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 723, बुख़ारी, हदीस: 618, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1559.

फ़ायदा : ये नमाज़े फ़ज्र की दो सुन्नतें हैं जो इन्तिहाई ताकीद की गई हैं। इन्हें आपने हज़र में छोड़ा न सफ़र में, बल्कि एक दफ़ा फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो आपने दिन चढ़े नमाज़ पढ़ी मगर इन दो सुन्नतों को न छोड़ा। पहले ये पढ़ीं, फिर फ़र्ज़ पढ़े देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 681) याद रहे कि तुलूअे फ़ज्र से तुलूअे शम्स तक इन दो रकअतों के अलावा नफ़ल नमाज़ जायज़ नहीं।

बाब : (40) सुबह की नमाज़ तक नफ़ल नमाज़ पढ़ी जा सकती है

باب: (٤٠) إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ

(585) हज़रत अम्र बिन अबसा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया

مُحَمَّدٍ، قَالَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا وَقَالَ، حَسَنٌ أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَسْلَمَ مَعَكَ قَالَ " حُرٌّ وَعَبْدٌ " . قُلْتُ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أُخْرَى قَالَ " نَعَمْ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَمَا دَامَتْ " . وَقَالَ أَيُّوبُ فَمَا دَامَتْ " كَأَنَّهَا حَجَفَةٌ حَتَّى تَنْتَشِرَ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى يَقُومَ الْعَمُودُ عَلَى ظِلِّهِ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ نِصْفَ النَّهَارِ ثُمَّ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ انْتَهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَتَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ " .

और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (सबसे पहले) आप पर कौन ईमान लाया? आपने फ़रमाया: 'एक आज़ाद (अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ)) और एक गुलाम (हज़रत बिलाल (ﷺ))' मैंने कहा: क्या कोई वक़्त अल्लाह तआला के यहाँ दूसरे वक़्त से ज़्यादा क़ुर्ब वाला है? आपने फ़रमाया: 'हाँ' रात का आख़िरी निस्फ़, लिहाज़ा तुम नमाज़ पढ़ो जिस क़द्र तुम चाहो यहाँ तक कि तुम सुबह की नमाज़ पढ़ो, फिर सूरज तुलूअ होने तक रुक जाओ जब तक कि वह ढाल की तरह रहे। जब वह फैल जाये तो जिस क़द्र चाहो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि सुतून अपने साये पर खड़ा हो जाये। फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज ढल जाये क्योंकि दोपहर के वक़्त जहन्नम भड़काया जाता है, फिर जिस क़द्र चाहो नमाज़ पढ़ो यहाँ तक कि अस्र की नमाज़ पढ़ लो, फिर रुक जाओ यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाये क्योंकि वह शैतान के दो सींगों के दरम्यान तुलूअ व ग़ुरूब होता है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1251, हदीस: 1364, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1560.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िके किताब ने मज़कूरा रिवायत को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है और इसके बाद लिखा है कि इस हदीस के कुछ हिस्से के शाहिद सहीह मुस्लिम में मौजूद हैं जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इन्हीं शवाहिद की बिना पर इसे सही क़रार दिया है, लिहाज़ा मज़कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावुजूद दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। तफ़्सील के लिए देखिये: (इरवाउलग़लील: 2/237, व सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अल्बानी, रक़म: 1158, व

सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1251) याद रहें कुछ अल्फ़ाज़ की ज़रूरी वज़ाहत मुनासिब मालूम होती है। 'जब तक वह ढाल की तरह रहे।' यानी सूरज की टिकिया साफ़ नज़र आये, नज़र न चुंधियाये। (2) फैल जाने से मुराद है, शुआओं (किरणों) का फैलना कि उसकी तरफ़ देखा न जा सके। (3) सुतून के साये पर खड़ा होने का मतलब है: सूरज सर पर आ जाये और साया ख़त्म हो जाये। मक्का मुकर्रमा में सख़्त गर्मियों में ऐसा हो जाता है। (4) 'यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ लो।' इससे मुराद तुलूअे फ़ज्र है या सुबह की नमाज़ के बाद तुलूअे शम्स तक का दरम्यानी वक़्त? इसमें इख़्तिलाफ़ है। अगरचे कुछ रिवायात के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से वाज़ेह होता है कि इससे तुलूअे फ़ज्र के बाद का वक़्त है लेकिन इसमें और इस मफ़हूम की दीगर सही रिवायात में इज्माल (मुख़्तसर) है। तफ़्सीली रिवायात से ये अब्हाम दूर हो जाता है और वह ये है कि ये वक़्त सुबह की नमाज़ के बाद का है जैसा कि इमाम शाफ़ेई (رحمه الله) वग़ैरह का मौक़फ़ है और इसकी दलील इसी हदीस के ये अल्फ़ाज़ हैं: (فَصَلِّ مَا بَدَالَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ) या तुलूअे फ़ज्र के बाद आम नवाफ़िल की मुमानिअत पर दलालत करने वाली रिवायात को नह्य तन्ज़ीहा पर महमूल कर लिया जाये, अगरचे कुछ ने मुमानिअत की इन तमाम रिवायात को नाक़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है और इसके लिए यही मज़कूरा रिवायत क़रीना सारिफ़ा बन जाये, बहरहाल तब भी जवाज़ ही निकलता है। इमाम नसाई (رحمه الله) का तर्जुमा अल्बाब से यही रूझान मालूम होता है। ये तो है जवाज़ का मसला लेकिन अफ़ज़ल ये है कि बिलाज़रूरत व सबब फ़ज्र की हल्की दो सुन्नतों के अलावा कोई और नफ़ल न पढ़ी जायें जैसा कि हदीस: 584 से ज़ाहिर होता है। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (शरह सुनन नसाई, लिल्इत्यूबी: 7/222, 223) (5) सूरज का शैतान के सींगों के दरम्यान तुलूअ होने का मतलब पहले वाज़ेह किया जा चुका है। देखिये: (हदीस: 560)

बाब : (41) मक्का मुकर्रमा में तमाम औक़ात में नमाज़ पढ़ना जायज़ है

باب : (٤١)
إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ

(586) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (رضي الله عنه) से रिवायत है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ बनी अब्दे मनाफ़! तुम किसी को न रोको जो इस घर का तवाफ़ करे और नमाज़ पढ़े, दिन या रात के जिस वक़्त में चाहे।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهْ، يُحَدِّثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " يَا بَنِي

(586) **तख़रीज : (सनद सही)** अबू दाऊद, हदीस:

عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ " .

1894, तिर्मिज़ी, हदीस: 868, इब्ने माजा, हदीस: 1254, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1561, सही हाकिम अला शर्त मुस्लिम: 1/448.

फ़ायदा : फ़ुक़ह-ए-मुहद्दिसीन ने इस रिवायत से इस्तिदलाल किया है कि बैतुल्लाह में नफ़ल नमाज़ के लिए कोई वक़्त मुक़र्ररा नहीं है क्योंकि ये शर्फ़ व अज़मत की जगह है। लोग वहाँ हर वक़्त फ़ायदे उठाते है। वहाँ किसी भी वक़्त की नमाज़ ग़ैर मुस्लिमीन के मुशाबेह नहीं हो सकती, लिहाज़ा सिर्फ़ तवाफ़ के बाद ही दो रकअतों की इजाज़त नहीं बल्कि मुतलक़न नवाफ़िल पढ़ने की रुख़्सत है जैसा कि इस मफ़हूम की मौईद हदीस इब्ने हिब्बान में यहीं अल्फ़ाज़ आते है: 'ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब! अगर तुम्हारे पास कोई इख़्तियार आ जाये तो मैं उनमें से किसी (साहबे इख़्तियार) को न जानूँ जो मना करे उस शख़्स को जो बैतुल्लाह में दिन या रात की किसी घड़ी में नमाज़ पढ़ता है।' (सहीह इब्ने हिब्बान: 4/420, हदीस: 1552) इस हदीस से इन मकरूह औक़ात में आम नवाफ़िल पढ़ने की भी इजाज़त है, लिहाज़ा इस हदीस से नह्य की अहादीस की तख़्सीस की जायेगी। इस तरह सब रिवायात पर अमल हो जायेगा। लेकिन अहनाफ़ ने नह्य की रिवायात की बिना पर इस हदीस और इस मफ़हूम की दीगर अहादीस को छोड़ दिया है। और इस हदीस की ये तावील की है कि आपने हरम के मुतवल्ली हज़रात को नमाज़ियों को मस्जिद में दाख़िल होने से रोकने से मना किया है, न कि नमाज़ियों को हर वक़्त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी है। मगर ये ऊपर की सहीह सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है, और इससे सरीह जवाज़ की रिवायात का तर्क लाज़िम आता है। क्या इससे बेहतर नह्य कि आम नही की रिवायात को इन रिवायात से ख़ास करके सब पर अमल किया जाये? ग़ौर फ़रमायें। अहादीस में चूंकि सिर्फ़ बैतुल्लाह की तख़्सीस है, इसलिए इस इजाज़त में हरम या पूरा मक्का शामिल नहीं है, यहाँ मक्का से बज़ाहिर बैतुल्लाह ही मुराद है जैसा कि अहादीस में आता है और जिस हदीस में पूरे मक्का का इस्तिसना है, वह सनदन ज़ईफ़ है, इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन मोइल ज़ईफ़ रावी है। वल्लाहु आलम!

بَاب : (٤٢) اَلْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

बाब : (42) मुसाफ़िर ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें किस वक़्त इकट्ठी करे?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ

(587) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सूरज ढलने से पहले सफ़र शुरू करते तो ज़ुहर की नमाज़ को

مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ .

अस्र के वक़्त तक मुअख़्ख़र करते, फिर उतरते और दोनों को इकट्ठा करते और अगर सफ़र शुरू करने से पहले सूरज ढल जाता तो ज़ुहर की नमाज़ पढ़ कर सवारी फ़रमाते।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1112, व मुस्लिम, हदीस: 704, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1562.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसाफ़िर अगर ज़ुहर और अस्र और इसी तरह मग़रिब और ईशा को जमा करना चाहे तो इसकी तीन सूरतें हैं: एक जमा तक़दीम है, यानी ज़ुहर की नमाज़ के साथ अस्र को या मग़रिब के साथ ईशा को जमा कर लिया जाये। दूसरी सूरत है जमा ताख़ीर, यानी ज़ुहर को मुअख़्ख़र करके अस्र के साथ और मग़रिब को मुअख़्ख़र करके ईशा के साथ पढ़ा जाये। तीसरी सूरत जमा सूरी है, यानी ज़ुहर की नमाज़ को इसके आख़िरी वक़्त में और अस्र को इसके अव्वल वक़्त में, इसी तरह मग़रिब को इसके आख़िरी वक़्त में और ईशा को अव्वल वक़्त में पढ़ा जाये। ये तीनों सूरतें जायज़ हैं, इसलिए कि नबी (ﷺ) से ये सारी ही सूरतें साबित हैं। याद रहें पहली दो सूरतों का इंकार करके सिर्फ़ जमा सूरी ही पर इसरार करना, इस युस्र (आसानी) को ख़त्म करना है जो शरीयत की तरफ़ से दी गई है। **(2)** मज़कूरा हदीस के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जमा सूरी का बयान है लेकिन अल्फ़ाज़े हदीस इसकी ताईद नहीं करते। इसमें ज़ुहर को अस्र के वक़्त पढ़ने का ज़िक्र है तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि आपने जमा ताख़ीर की है, यानी ज़ुहर को अस्र के वक़्त में अस्र के साथ पढ़ा है। और इससे भी मज़ीद तसरीह के साथ अल्फ़ाज़ आते हैं, फ़रमाया: 'आप (ﷺ) ने ज़ुहर को इस हद तक मुअख़्ख़र किया कि अस्र का वक़्त दाख़िल हो गया।' देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 704) इसी तरह दीगर रिवायात में आता है कि सूरज ढलने के बाद आप सफ़र का आग़ाज़ फ़रमाते तो ज़ुहर के साथ अस्र की नमाज़ भी पढ़ लेते (यानी जमा तक़दीम कर लेते) इस हदीस में इख़्तिसार है जिसकी वज़ाहत दूसरी अहादीस से हो जाती है। अगली अहादीस में इन सारी सूरतों का बयान आ रहा है, अलबत्ता हज के दौरान अरफ़ात में ज़ुहर और अस्र को ज़ुहर के वक़्त में पढ़ना मुत्तफ़क़ अलैह है और ये जमा तक़दीम होगी। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 1218)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ

(588) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मन्क़ूल है कि हम ग़ज़्व-ए-तबूक के साल (9 हिजरी में) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ निकले तो

لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ، خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

अल्लाह के रसूल (ﷺ) ज़ुहर और अस्र को और मग़रिब और ईशा को जमा फ़रमाया करते थे। एक दिन आपने ज़ुहर की नमाज़ को मुअख़्ख़र फ़रमाया, फिर बाहर तशरीफ़ लाये और ज़ुहर और अस्र इकट्ठी पढ़ीं। फिर अन्दर चले गये, फिर तशरीफ़ लाये और मग़रिब और ईशा इकट्ठी करके पढ़ीं।

(588) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 706, मोत्ता इमाम मालिक: 1/143, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1563.

باب : (٤٣) بَيَانُ ذٰلِكَ

बाब : (43)
जमा करने के तरीक़े की वज़ाहत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا، قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلاَةِ، أَبِيهِ فِي السَّفَرِ وَسَأَلْنَاهُ هَلْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ فِي سَفَرِهِ فَذَكَرَ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَتْ تَحْتَهُ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي زَرَّاعَةٍ لَهُ أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ . فَرَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ إِلَيْهَا حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلاَةُ الظُّهْرِ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ يَا أَبَا

(589) जनाब कसीर बिन क़ारवन्दा से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह से उनके वालिद मुहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه)) की दौराने सफ़र की नमाज़ के बारे में पूछा कि क्या वह सफ़र के दौरान में नमाज़ों को जमा करते थे? तो उन्होंने बताया कि हज़रत सफ़िय्या बिन्ते अबी उबैद मेरे वालिद मुहतरम के निकाह में थीं। उन्होंने वालिद मुहतरम को लिखा, जब कि आप अपनी ज़मीन में थे, कि मैं दुनिया के दिनों में से आख़िरी और आख़िरत के दिनों में से पहले दिन में हूँ। (यानी क़रीबुल मर्ग हूँ, आप तशरीफ़ लाये) चुनांचे आप फ़ौरन सवार हुए और बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ़ चले यहाँ तक कि

عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَلَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ . فَقَالَ كَفِعْلِكَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ . ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ ثُمَّ قَالَ لِلْمُؤَذِّنِ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الأَمْرُ الَّذِي يَخَافُ فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ " .

जब नमाज़ ज़ुहर का वक़्त हुआ तो उनसे मुअज़्ज़िन ने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! नमाज़ पढ़ लीजिये। लेकिन आपने तवज्जह न फ़रमाई यहाँ तक कि जब दो नमाज़ों (ज़ुहर और अस्र) का दरम्यान हुआ तो उतरे और फ़रमाया: इक़ामत कहो और जब मैं (ज़ुहर की) नमाज़ से सलाम फेर लूं तो फिर (अस्र की) इक़ामत कह देना। इस तरह नमाज़ें पढ़ीं। फिर दोबारा सवार हुए यहाँ तक कि जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो मुअज़्ज़िन ने आपसे कहा कि नमाज़ पढ़ लीजिये। आपने फ़रमाया: जिस तरह ज़ुहर और अस्र में किया था, उसी तरह अब करना यहाँ तक कि जब तारे गहरे और घने हो गये तो उतरे, फिर मुअज़्ज़िन से कहा: इक़ामत कहो। फिर जब मैं (मग़रिब की नमाज़ से) सलाम फेर लूं तो (ईशा के लिए) इक़ामत कह देना। इसी तरह दोनों नमाज़ें पढ़ीं। फिर फ़ारिग़ हुए तो हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब तुम में से किसी को कोई ऐसा काम पड़ जाये जिसके ज़ाया होने का ख़तरा हो तो वह इस तरह नमाज़ें पढ़े।'

तख़रीज: (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, ह: 596.

फ़ायदा : इस हदीस में एहतिमाल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) ने जमा तक़दीम की या ताख़ीर या फिर सूरी? तीनों का एहतिमाल है, ताहम हदीस: 592 से वाज़ेह होता है कि हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने जमा ताख़ीर की थी।

बाब : (44) जिस वक़्त मुक़ीम भी दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकता है

باب: (٤٤) اَلْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُقِيمُ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا أَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ .

(590) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा में आठ रकअतें इकट्ठी और सात रकअतें इकट्ठी पढीं। आपने ज़ुहर को मुअख़्ख़र किया और अस्र को जल्दी पढ़ा, इसी तरह मग़रिब को मुअख़्ख़र किया और ईशा को जल्दी पढ़ा।

तख़रीज : **(सनद स़ही)** बुख़ारी, हदीस़: 1174, व मुस्लिम, हदीस़: 705/55, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 376.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस़ में वारिद ये अल्फ़ाज़ अख़्ख़रज़ुहर व अ़ज्जलल् इशा दर्ज हैं। ये जाबिर बिन ज़ैद का अपना कलाम है जो उन्होंने अपने गुमान के तौर पर बयान किया है, इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) के अल्फ़ाज़ नहीं हैं जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की तफ़्सीली रिवायात से पता चलता है, और मुहक़्क़िक़े किताब ने भी तख़रीज में इसकी तरफ़ इशारा किया है,लिहाज़ा उन्हें बुनियाद बना कर जमा हक़ीक़ी की नफ़ी नहीं की जा सकती जैसा कि कुछ लोग इसे जमा हक़ीक़ी की बजाये जमा सूरी क़रार देते हैं, ये बात स़ही नहीं, हदीस़ के अल्फ़ाज़ इसकी ताईद नहीं करते। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस़: 2795) नबी (ﷺ) का ये अ़मल हालते इक़ामत, यानी मदीना मुनव्वरा का है। गोया आपने इसी मौक़े पर बग़ैर किसी सबब के दो दो नमाज़ें इकट्ठी करके पढी। इस्तिफ़सार पर आपने इसकी वज़ाहत ये फ़रमाई: 'ताकि मेरी उम्मत को मशक़्क़त न हो।' (स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 705) इससे ये बात स़ाबित होती है कि मुक़ीम शख़्स़ भी ज़रूरत के पेशे नज़र दो नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ सकता है लेकिन तसाहुल, कारोबारी मशाग़िल और आ़दत के तौर पर ऐसा करना कबीरा गुनाह है, आम हालात में इसकी क़तअ़न गुंजाइश नहीं है।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ

(591) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि उन्होंने बस़रा में ज़ुहर और अ़स्र को इस तरह पढ़ा कि उनके दरम्यान कोई फ़ासला नहीं था

جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ الأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ .

और मग़रिब और ईशा को भी इसी तरह पढ़ा कि उनके दरम्यान कोई फ़ासला नहीं था। आपने ये काम किसी मसरूफ़ियत की बिना पर किया था, और उन्होंने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़ुहर और अस्र की आठ रकअत पढ़ीं और उनके दरम्यान कोई फ़ासला नहीं था।

तख़रीज : **(सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 543, व मुस्लिम, ये हदीस गुज़र चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, ह: 1565.

फ़ायदा : इस रिवायत का मफ़हूम भी पहली रिवायत वाला है, यानी ये बज़ाहिर जमा ताख़ीर थी। ऐसा कभी कभार होना चाहिए, बिलख़ुसूस जबकि वाक़ेई मसरूफ़ियत भी हो जैसा कि आपसे भी एक ही दफ़ा साबित है।

بَابٌ : (٤٥) اَلْوَقْتُ الَّذِي يَجْمَعُ فِيهِ الْمُسَافِرُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

बाब : (45) मुसाफ़िर मग़रिब व ईशा की नमाज़ें किस वक़्त जमा करे?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ - قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ هِبْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ الصَّلاَةَ فَسَارَ حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى إِثْرِهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ .

(592) क़ुरैश के एक बुज़ुर्ग इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान ने कहा: मैं हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) के साथ हिमा (मदीना मुनव्वरा से क़रीब एक चारागाह) तक रहा। जब सूरज ग़ुरूब हो गया तो मैं डरता ही रहा कि आपसे कहूँ कि नमाज़ का वक़्त हो गया है। आप चलते रहे यहाँ तक कि मग़रिब किनारे की सफ़ेदी ख़त्म हो गई और ईशा (रात) की स्याही आ गई। फिर आप उतरे और मग़रिब की नमाज़ तीन रकअत पढ़ीं, फिर उसके बाद ईशा की दो रकअत पढ़ीं, फिर फ़रमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को ऐसे करते हुए देखा है।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 2/12, वलहुमैदी, हदीस: 681, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1570.

फ़ायदा : ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि आपने जमा ताख़ीर की है यानी मग़रिब का वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद और ईशा का वक़्त आ जाने पर दोनों नमाज़ें पढ़ी थीं। गोया सफ़र में जमा ताख़ीर भी जायज़ है क्योंकि इसमें सहूलत है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ .

(593) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि जब आपको सफ़र में चलने की जल्दी होती तो मग़रिब की नमाज़ को मुअख़्ख़र करते यहाँ तक कि उसे और ईशा की नमाज़ को इकट्ठा पढ़ते।

(593) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1091, मुस्लिम, हदीस: 703/45.

أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِسَرِفَ .

(594) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि सूरज ग़ुरूब हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का मुकर्रमा में थे मगर आपने दोनों नमाज़ें (मुक़ामे) सरिफ़ में जमा कीं।

(594) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1215, नसाई: 7/74.

फ़ायदा : सरिफ़ एक मक़ाम है जो मक्का मुकर्रमा से दस मील के फ़ासले पर है। ज़ाहिर है कि इतना फ़ासला तय करना मग़रिब के वक़्त के अन्दर तो मुमकिन नहीं, लिहाज़ा ये लाज़िमन जमा ताख़ीर है जो सफ़र में बिला शक जायज़ है।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ

(595) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब चलने की जल्दी होती तो आप ज़ुहर की नमाज़ को अस्र के वक़्त तक

شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .

मुअख़्ख़र करते, फिर दोनों को इकट्ठा पढ़ते। इसी तरह मग़रिब की नमाज़ को मुअख़्ख़र करते यहाँ तक कि जब सुर्ख़ी ग़ायब हो जाती उसे और ईशा की नमाज़ को इकट्ठा पढ़ते।

(595) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 704/48, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1566.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لَمَا بِهَا فَانْظُرْ أَنْ تُدْرِكَهَا . فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُسَايِرُهُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَلَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ وَكَانَ عَهْدِي بِهِ وَهُوَ يُحَافِظُ عَلَى الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَبْطَأَ قُلْتُ الصَّلاَةَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ . فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ الْعِشَاءَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ صَنَعَ هَكَذَا .

(596) हज़रत नाफ़ेअ (رحمه الله) बयान करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) के साथ एक सफ़र में निकला। आप अपनी ज़मीन में जाना चाहते थे। इतने में एक आने वाला आया और उसने कहा: तहक़ीक़ सफ़िय्या बिन्ते अबू उबैद (इब्ने उमर (ﷺ) की बीवी) बहुत तंग (तकलीफ़ में) हैं, जल्दी चलें ताकि आप उन्हें (जिन्दगी में) मिल सकें। इब्ने उमर जल्दी चले और उनके साथ कुरैश के एक और बुज़ुर्ग भी सफ़र कर रहे थे। सूरज गुरूब हो गया मगर उन्होंने (इब्ने उमर (ﷺ)) ने नमाज़ न पढ़ी जब कि मैंने आपको हमेशा देखा था कि आप नमाज़ की बहुत पाबन्दी करते थे। जब आपने ज़्यादा देर की तो मैंने कहा: नमाज़ पढ़ लीजिये, अल्लाह तआला आप पर रहम फ़रमाये! आपने मेरी तरफ़ देखा और चलते रहे यहाँ तक कि जब सुर्ख़ी ग़ायब होने को हुई तो आप उतरे और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर ईशा की इक़ामत कहलवाई जब कि सुर्ख़ी ग़ायब हो चुकी थी और हमें ईशा की नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया:

तहक़ीक़ रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब चलने की जल्दी होती तो आप ऐसे किया करते थे।

(596) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1213, व मुस्लिम, हदीस: 703, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1569.

फ़ायदा : इस रिवायत में बज़ाहिर जमा सूरी का ज़िक्र है जब कि पिछली रिवायात में जमा ताख़ीर का, गोया दोनों जायज़ हैं। हाफ़िज़ इब्ने हजर (رحمه الله) ने भी इन रिवायात को तादादे वाक़िया पर महमूल किया है, यानी कभी नमाज़ें जमा हक़ीक़ी की सूरत में और कभी जमा सूरी की शक्ल में अदा कीं, लिहाज़ा इस तरह रिवायात में कोई तआरूज़ नहीं रहता। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुलबारी: 2/750, 751, हदीस: 1109) और कुछ रिवायात से ज़ाहिर होता है कि इब्ने उमर (رضي الله عنه) की अहलिया मदीने में थीं और आप मक्का में तो इस तरह मदीना पहुँचने तक तीन दिन लगे थे। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिये: (ज़ख़ीरतुल अक़्बा शरह सुनन नसाई लिल्इत्यूबी: 7/274)

(597) हज़रत नाफ़ेअ (رحمه الله) से रिवायत है, उन्होंने कहा: हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(رضي الله عنه) के साथ मक्का मुकर्रमा से आये। उस रात आप चलते रहे यहाँ तक कि शाम हो गई। हमने समझा कि आप नमाज़ भूल गये हैं। हमने आपसे कहा: नमाज़ पढ़िये! आप चुप रहे और चलते रहे यहाँ तक कि क़रीब था कि सुर्ख़ी ग़ायब हो जाती, फिर आप उतरे और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, इतने में सुर्ख़ी भी ग़ायब हो गई, फिर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी। फिर हमारी तरफ़ मुतवज्जह हुए और फ़रमाया कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ऐसे ही किया करते थे जब आप को चलने की जल्दी होती थी।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَ بِنَا حَتَّى أَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ نَسِيَ الصَّلاَةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلاَةَ . فَسَكَتَ وَسَارَ حَتَّى كَادَ الشَّفَقُ أَنْ يَغِيبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هَكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

(597) तख़रीज : (सनद सही) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1578.

(598) हज़रत कसीर बिन क़ारवन्दा ने कहा कि हमने हज़रत सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह से सफ़र की नमाज़ के बारे में पूछा, हमने कहा: क्या हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) सफ़र में नमाज़ों को जमा करते थे? उन्होंने कहा: नहीं सिवाए मुज़दलिफ़ा के। फिर वह चौंके और कहने लगे: उनके निकाह में सफ़िय्या बिन्ते अबू उ़बैद थीं। उन्होंने आपको पैग़ाम भेजा कि मैं दुनिया के आख़िरी दिन और आख़िरत के पहले दिन में हूँ, चुनांचे आप सवार हुएं मैं भी आपके साथ था। वह बहुत तेज़ी से चले यहाँ तक कि नमाज़ का वक़्त आ गया। मुअज़्ज़िन ने आपसे कहा: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! नमाज़ पढ़ लीजिए। आप चलते रहे यहाँ तक कि जब दो नमाज़ों का दरम्यानी वक़्त आ गया तो आप उतरे और मुअज़्ज़िन से कहा कि इक़ामत कहो। जब मैं ज़ुहर की नमाज़ से सलाम फेरूं तो उसी जगह इक़ामत कह देना। उसने इक़ामत कही तो आपने ज़ुहर की नमाज़ दो रकअ़त पढ़ीं, फिर सलाम फेरा, फिर उसी जगह अ़स्र की इक़ामत कहलवाई और अ़स्र की नमाज़ दो रकअ़त पढ़ीं, फिर सवार हो गये और ख़ूब तेज़ चले यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। मुअज़्ज़िन ने कहा: ऐ अबू अ़ब्दुर्रहमान! नमाज़ पढ़िये। आपने फ़रमाया: जिस तरह तूने पहले किया है उसी तरह करना। फिर आप चलते रहे यहाँ तक कि सितारे घने हो गये तो उतरे और फ़रमाया कि इक़ामत कह, फिर जब मैं (नमाज़े मग़रिब से)

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ قَارَوَنْدَا، قَالَ سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاَةِ، فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ شَىْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لاَ إِلاَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ كَانَتْ عِنْدَهُ صَفِيَّةُ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أَنِّي فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ . فَرَكِبَ وَأَنَا مَعَهُ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى حَانَتِ الصَّلاَةُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ نَزَلَ فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ مِنَ الظُّهْرِ فَأَقِمْ مَكَانَكَ . فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ . فَقَالَ كَفِعْلِكَ الأَوَّلِ . فَسَارَ حَتَّى إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ نَزَلَ فَقَالَ أَقِمْ فَإِذَا سَلَّمْتُ فَأَقِمْ . فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلاَثًا ثُمَّ أَقَامَ مَكَانَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ثُمَّ

سَلَّمَ وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ أَمْرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ فَلْيُصَلِّ هَذِهِ الصَّلاَةَ " .

सलाम फेरूं तो फिर तकबीर कहना। उसने इक़ामत कही तो आपने मग़रिब की तीन रकअतें पढ़ीं, फिर उसने उसी जगह इक़ामत कही तो आपने ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर आपने सामने की तरफ़ एक दफ़ा सलाम कहा, फिर कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को ऐसा काम पड़ जाये जिसके ज़ाया होने का उसे ख़तरा हो तो वह इसी तरह नमाज़ पढ़े।'

(598) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 589 में देखें।

फ़ायदा : मज़ीद देखिये हदीस: 589.

باب : (٤٦) اَلْحَالُ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

बाब : (46) किस हालत में दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकता है?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

(599) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को सफ़र पर जाने की जल्दी होती तो मग़रिब और ईशा को जमा फ़रमाते।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 703/42, मोत्ता: 1/114, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1572.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

(600) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को चलने की जल्दी होती या कोई मसला आपको बेचैन करता तो आप मग़रिब और ईशा को जमा फ़रमाते।

(600) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : मज़कूरा रिवायत सही है, अलबत्ता इस रिवायत के अल्फ़ाज़ 'या कोई मसला आपको बेचैन करता।' को मुहक़्क़िक़ीन ने शाज़ क़रार दिया है। मुहक़्क़िक़े किताब ने भी इस तरफ़ इशारा किया है कि जुम्ला सिर्फ़ मुझे यहाँ ही मिला है किसी और जगह नहीं मिला। देखिये: (सहीह सुनन नसाई लिल अल्बानी, हदीस: 598)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

(601) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि मैंने देखा, जब नबी (ﷺ) को चलने की जल्दी होती तो आप मग़रिब और ईशा को जमा फ़रमाते।

(601) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1106, व मुस्लिम, हदीस: 703/44.

फ़ायदा : गोया सफ़र की हालत में आदमी दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ सकता है और ये इत्तिफ़ाक़ी मसला है।

باب: (۴۷)
اَلْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ

बाब : (47)
हज़र में दो नमाज़ें जमा करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ .

(602) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बग़ैर किसी ख़ौफ़ और सफ़र के ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें इकट्ठी पढ़ीं, इसी तरह मग़रिब और ईशा की नमाज़ें भी इकट्ठी पढ़ीं।

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 705/49, मोत्ता: 1/144, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1573.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، - وَاسْمُهُ غَزْوَانُ - قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(603) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मदीना मुनव्वरा में ज़ुहर व अस्र और मग़रिब व ईशा बग़ैर किसी ख़ौफ़ और बारिश के इकट्ठी करके पढ़ीं। कहा गया: क्यों? उन्होंने

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالْمَدِينَةِ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ . قِيلَ لَهُ لِمَ قَالَ لِئَلاَّ يَكُونَ عَلَى أُمَّتِهِ حَرَجٌ .

फ़रमाया: ताकि आपकी उम्मत पर तंगी न हो।

(603) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 705/54, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1574.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيًا جَمِيعًا وَسَبْعًا جَمِيعًا .

(604) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे आठ और सात रकअतें इकट्ठी पढ़ी हैं।

(604) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 590, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 383.

फ़ायदा : इस मफ़हूम की रिवायत पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (٤٨) اَلْجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ

बाब : (48) अरफ़ात में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें जमा करना

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى

(605) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) चलते रहे यहाँ तक कि अरफ़ा पहुँच गये। आपने अपना ख़ैमा वादी-ए-नमिरह में लगा हुआ पाया। आप उसमें उतरे यहाँ तक कि जब सूरज ढल गया तो आपने हुक्म दिया, आपकी ऊँटनी क़स्वा पर पालान कसा गया यहाँ तक कि जब आप वादी के पेट में पहुँच गये तो लोगों को ख़ुत्बा दिया, फिर बिलाल ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही। आपने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर उन्होंने इक़ामत कही तो आपने अस्र की नमाज़ पढ़ाई

الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

और इन दोनों के दरम्यान कुछ नहीं पढ़ा।

(605) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1218, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1575.

फ़ायदा : अरफ़ात में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ें ज़ुहर के वक़्त में जमा करने और मुज़्दलिफ़ा में मग़रिब और ईशा की नमाज़ें ईशा के वक़्त में जमा करने पर सारी उम्मत का हर दौर में इत्तिफ़ाक़ रहा है। इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है।

باب : (٤٩) اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

बाब : (49) मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और ईशा की नमाज़ें जमा करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

(606) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) फ़रमाते हैं: मैंने हज्जतुल विदा के मौक़े पर मुज़दलिफ़ा में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मग़रिब और ईशा की नमाज़ें मिलाकर पढ़ीं।

(606) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4414, व मुस्लिम, हदीस: 1287/285, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1576.

फ़ायदा : मग़रिब का वक़्त अरफ़ात में हो जाता है मगर शरीयत का हुक्म है कि मग़रिब की नमाज़ मुज़दलिफ़ा में पढ़ी जाये न कि अरफ़ात में, और मुज़दलिफ़ा पहुँचते ला'महला ईशा का वक़्त हो जाता है, इसलिए ये दोनों नमाज़ें ईशा के वक़्त में इकट्ठी पढ़ी जाती हैं। ये मसला मुत्तफ़क़ अलैह है।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَلَمَّا أَتَى جَمْعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

(607) हज़रत सईद बिन जुबेर फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) के साथ था जब वह अरफ़ात से वापस लौटे और जब वह मुज़दलिफ़ा आये तो उन्होंने मग़रिब और ईशा को जमा किया। जब फ़ारिग़ हुए तो फ़रमाया: अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने इस मक़ाम पर ऐसे ही

किया था, यानी ये दो नमाज़ें इकट्ठी पढ़ी थीं।

(607) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 412, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1577.

فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا .

(608) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और ईशा इकट्ठी पढ़ीं।

(608) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 703/286, 1287, मोत्ता: 1/400.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ .

(609) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कभी दो नमाज़ें जमा करके पढ़ते नहीं देखा मगर मुज़दलिफ़ा में। आपने इस दिन सुबह की नमाज़ (अपने मामूल के) वक़्त से पहले पढ़ी।

(609) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1682, व मुस्लिम, हदीस: 1289/292, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1578.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ صَلاتَيْنِ إِلاَّ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ وَقْتِهَا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये अजीब बात है क्योंकि नबी (ﷺ) मुज़दलिफ़ा से पहले अरफ़ात में ज़ुहर और अस्र को जमा कर चुके थे। इस पर मुत्तलअ न होना ताज्जुब की बात है। लेकिन इंसान, इंसान है, उनके इल्म में ये बात न आई होगी या ये ज़हूल और निस्यान का नतीजा होगा जो हर इंसान को लाहक़ हो सकता है। इसके अलावा सफर में दो नमाज़ें जमा करना नबी (ﷺ) का मामूल था। कसीर सहाबा से आने वाली रिवायात में इसका ज़िक्र है, लिहाज़ा उनकी नफ़ी यहाँ मोतबर नहीं। फिर ये उसूल है कि नफ़ी पर इस्बात मुक़द्दम होता है। इस लिहाज़ से भी इस नफ़ी का ताल्लुक़ सिर्फ़ उनकी ज़ात की हद तक है क्योंकि दूसरों के पास मज़ीद इल्म की बात है, इसलिए उसे कुबूल किया जायेगा। वल्लाहु आलम! **(2)** 'वक़्त से पहले पढ़ी।' इससे मुराद नबी (ﷺ) का मामूल का वक़्त है क्योंकि उमूमन तुलूअे फ़ज्र और सलाते फज्र के दरम्यान वुज़ू, गुस्ल और फ़ज्र की सुन्नतों का फ़ासला हुआ करता था। उस दिन आपने फ़ज्र की नमाज़ तुलूअे फ़ज्र के साथ ही पढ़ ली ताकि वुकूफ़ के लिए ज़्यादा वक़्त मिल सके। सहीह बुख़ारी और

सहीह मुस्लिम में सराहतन तुलूअे फ़ज्र का ज़िक्र है। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1683, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1218)

बाब : (50) (मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और ईशा को) कैसे जमा किया जाये?

باب : (٥٠) كَيْفَ الْجَمْعُ

(610) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) से रिवायत है और नबी (ﷺ) ने अरफ़ात से वापसी पर उन्हें अपने पीछे ऊँट पर बिठाया हुआ था, कि जब नबी (ﷺ) (अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के दरम्यान आने वाली) घाटी पर पहुँचे तो आप उतरे और पेशाब किया। फिर मैंने लौटे से पानी डाला और आपने हल्का सा वुज़ू फ़रमाया। मैंने आपसे गुज़ारिश की कि नमाज़ पढ़ लीजिये। आपने फ़रमाया: 'नमाज़ आगे होगी।' जब मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाये तो मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर सहाबा (ﷺ) ने सवारियों से पालान वग़ैरह उतारे, फिर आपने ईशा की नमाज़ पढ़ाई।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةَ فَلَمَّا أَتَى الشِّعْبَ نَزَلَ فَبَالَ وَلَمْ يَقُلْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ قَالَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا . فَقُلْتُ لَهُ الصَّلاَةَ . فَقَالَ " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ " . فَلَمَّا أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَزَعُوا رِحَالَهُمْ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/200, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1579, व मुस्लिम, हदीस: 26-27.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि मग़रिब और ईशा की नमाज़ों के दरम्यान अगर कुछ फ़ासला हो जाये, जैसे: पालान उतारना, सामान संभालना या कुछ खा पी लेना तो इससे जमा में हर्ज न होगा जैसा कि हदीस में ज़िक्र है। (2) अगर सवारी का जानवर ताक़तवर हो तो उस पर अपने पीछे किसी को बिठा लेना जायज़ है। अगर जानवर इसकी ताक़त न रखता हो तो फिर दुरुस्त नहीं क्योंकि ये जानवर पर ज़ुल्म होगा। (3) वुज़ू में किसी से इस्तिआनत (मदद) लेना जायज़ है। (4) मुज़दलिफ़ा पहुँचने से पहले रास्ते ही में मग़रिब की नमाज़ अदा करना जायज़ नहीं। (5) अगर दो नमाज़ें इकट्ठी करनी हों तो उनके दरम्यान सुनन रवातिब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़े जायेंगे।

बाब : (51) नमाज़ों को उनके अस़ल औक़ात पर पढ़ने की फ़ज़ीलत

باب : (٥١) فَضْلُ الصَّلَاةِ لِمَوَاقِيتِهَا

(611) हज़रत अबू अम्र शेबानी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) के घर की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया: हमें इस घर के मालिक ने बयान फ़रमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से पूछा: कौन सा अ़मल अल्लाह तआ़ला को ज़्यादा पसन्द है? आपने फ़रमाया: 'वक़्त पर नमाज़ पढ़ना, वालिदैन से हुस्ने सुलूक करना और अल्लाह तआ़ला के रास्ते में जिहाद करना।'

तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 527, व मुस्लिम, हदीस़: 85/139, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस़: 1580.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ، هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى قَالَ " الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ "

फ़ायदा : बाब का मक़सद ये है कि अस़ल यही है कि हर नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ी जाये, सिवाए अ़रफ़ात और मुज़दलिफ़ा के कि वहाँ नमाज़ें जमा करना शरई हुक्म है और सफ़र में भी दो नमाज़ों को जमा करना मशरूअ़ है। सफ़र में भी अफ़ज़ल नमाज़ को वक़्त ही पर पढ़ना है। सफ़र में जमा करना रुख़्सत है, अफ़ज़ल नहीं। इसी तरह हज़र में कभी किसी उ़ज़्र की बिना पर जमा कर लेना भी रुख़्सत है, बहरहाल हर नमाज़ को हस्बे इम्कान अपने वक़्त ही पर अदा करना चाहिए। वल्लाहु आ़लम!

(612) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा: कौन सा अ़मल अल्लाह तआ़ला को ज़्यादा पसन्द है? आपने फ़रमाया: 'वक़्त पर नमाज़ क़ाइम करना, वालिदैन से हुस्ने सुलूक करना और अल्लाह (عزوجل) के रास्ते में जिहाद करना।'

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ " إِقَامُ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، وَعَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَجَعَلُوا يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ . قَالَ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ الأَذَانِ وِتْرٌ قَالَ نَعَمْ وَبَعْدَ الإِقَامَةِ وَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى . وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى .

(613) हज़रत मुहम्मद बिन मुन्तशिर बयान करते हैं कि वह हज़रत अम्र बिन शुरहबील की मस्जिद में थे कि जमाअत के लिए इक़ामत की गई। फिर लोग उनका इन्तिज़ार करने लगे (वह आये तो) उन्होंने फ़रमाया: मैं वित्र पढ़ रहा था। उन्होंने कहा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) से पूछा गया: क्या अज़ाने फ़ज्र के बाद वित्र पढ़ सकते हैं? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, बल्कि इक़ामत के बाद भी, फिर उन्होंने नबी(ﷺ) का वाक़िया बयान फ़रमाया कि एक दिन आप नमाज़े फ़ज्र से सोये रहे यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया, फिर आपने नमाज़ अदा फ़रमाई। ये लफ़्ज़ यहया के हैं।

(613) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 2/480, 481, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1581.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में इमाम नसाई (رحمه الله) के दो उस्ताद हैं: यहया बिन हकीम और अम्र बिन यज़ीद। मज़कूरा सियाक़ यहया बिन हकीम का है जबकि आपके शैख़ अम्र बिन यज़ीद ने इस हदीस को बिलमानी रिवायत किया है। **(2)** साबित हुआ कि अगर वित्र रह जायें तो सुबह की नमाज़ पढ़ने तक उन्हें अदा किया जा सकता है लेकिन इससे वित्र के वुजूब या फ़र्ज़ीयत पर इस्तिदलाल नहीं हो सकेगा क्योंकि क़ज़ा जैसे फ़राइज़ व वाजिबात की अदा होती है ऐसे ही नवाफ़िल और हर मुअक्कदा अमल की भी हो सकती है, जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहर की सुन्नतों की क़ज़ा अस्र के बाद अदा की। सुबह की सुन्नतें सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ीं। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो फ़ज्र की दो रकअतें न पढ़ सके वह सूरज तुलूअ होने के बाद पढ़ ले।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 423, सिलसिलतुल अहादीस अस्सहीहा, रक़्म: 2361) ज़ाहिर है ज़ुहर और फ़ज्र की सुन्नतें वाजिब नहीं मुअक्कदा ही हैं। इसी तरह वित्र बावजूद वाजिब न होने के फ़ज्र की नमाज़ तक पढ़े जा सकते हैं।

बाब : (52)
जो आदमी नमाज़ भूल जाये तो....?

باب : (٥٢)
فِيمَنْ نَسِيَ صَلَاةً

(614) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो आदमी कोई नमाज़ भूल जाये तो जब याद आये पढ़ ले।'

तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 684/314, बुख़ारी हदीस: 597, सुननिल कुबरा अन्नसाई हदीस: 1586.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

फ़ायदा : मालूम हुआ फ़र्ज़ नमाज़ की क़ज़ा के लिए कोई वक़्त मकरूह नहीं है, जब भी याद आये या बेदार हो, नमाज़ पढ़ ले। ये जुम्हूर अहले इल्म का मौक़फ़ है। औक़ाते मकरुहा वाली रिवायत बिला सबब नफ़ल नमाज़ के लिए है, अलबत्ता अहनाफ़ का ख़्याल है कि तुलूअ, गुरूब और इस्तवा के औक़ात में नमाज़ को मुअख़्ख़र किया जाये मगर बहुत सी रिवायात जो पीछे गुज़र चुकी हैं, इन औक़ात में फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने पर दलालत करती हैं।

बाब : (53)
जो आदमी नमाज़ से सोया रहे तो....?

باب : (٥٣)
فِيمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ

(615) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो नमाज़ से सोया रहता है या ग़ाफ़िल हो जाता है (भूल जाता है) आपने फ़रमाया: 'उसका कफ़्फ़ारा ये है कि जब उसे याद आये, नमाज़ पढ़ ले।'

(615) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 695, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1585.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ الأَحْوَلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلاَةِ أَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ " كَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

(616) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि सहाबा ने नबी (ﷺ) से ज़िक्र किया कि कभी हम नमाज़ से सोये रहते हैं। आपने फ़रमाया: 'नींद

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي

قَتَادَةَ، قَالَ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ " إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا " .

आ जाने में क़ुसूर और कोताही नहीं। कोताही तो ये है कि आदमी जागता हुआ नमाज़ न पढ़े, चुनांचे जब तुममें से कोई नमाज़ भूल जाये या उससे सोया रह जाये तो जब उसे याद आये (या जागे) तो उसी वक़्त नमाज़ पढ़ ले।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 177, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1582, मुस्लिम, हदीस: 681.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِيمَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا " .

(617) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नींद आ जाने में कोताही नहीं। कोताही तो उस शख़्स में है जिसने अगली नमाज़ का वक़्त आने तक नमाज़ न पढ़ी, हालांकि वह जाग रहा था।'

(617) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1583.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में नींद आने को कोताही और क़ुसूर शुमार नहीं किया गया जबकि इस बाब की पहली हदीस में 'कफ़्फ़ारा' के अल्फ़ाज़ हैं। ज़ाहिर है कफ़्फ़ारा तो किसी ग़लती के बाद ही होता है, गोया नींद का आना बज़ाते ख़ुद तो कोताही या ग़लती नहीं मगर सुस्ती, ग़फ़लत और अदमे मुहाफ़िज़त जो नींद का सबब हैं, कोताही के ज़ेल में आते हैं। **(2)** 'अगली नमाज़ का वक़्त आने तक' आम तौर पर पिछली नमाज़ का वक़्त अगली नमाज़ का वक़्त आने से ख़त्म होता है, इसलिए यूँ कहा वरना मक़सद नमाज़ का वक़्त ख़त्म होना है, जैसे: सुबह की नमाज़ का वक़्त ख़त्म होता है तो किसी फ़र्ज़ नमाज़ का वक़्त शुरू नहीं होता, चुनांचे वक़्त ख़त्म होने तक सुबह की नमाज़ न पढ़ना जुर्म और गुनाह है, अलबत्ता जहाँ शरीयत ने ताख़ीर की रुख़सत दी है वहाँ ये हदीस लागू नहीं होगी, जैसे: मुसाफ़िर दो नमाज़ें जमा कर सकता है। कभी ताख़ीर वाजिब होती है, जैसे मुज़दलिफ़ा में मग़रिब की नमाज़। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 1675, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1218)

باب: (٥٣) إِعَادَةُ مَا نَامَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ

बाब : (54) जिस नमाज़ से सोया रहा, अगले दिन उस नमाज़ के वक़्त दोबारा पढ़ना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَلْيُصَلِّهَا أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَدِ لِوَقْتِهَا " .

(618) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से रिवायत है कि जब सहाबा सुबह की नमाज़ से सोये रह गये थे यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया था तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया था कि कल को तुम ये नमाज़ इसके वक़्त पर पढ़ना।

तख़रीज : **(सनद सही)** मुसनद अहमद: 5/309, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1584, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 990.

फ़ायदा : इस रिवायत से कुछ उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि अगर कोई नमाज़ क़ज़ा हो गई तो आज क़ज़ा अदा करने के साथ साथ अगले दिन असल वक़्त पर दोबारा क़ज़ा अदा करना होगी, मगर ये इस्तिदलाल कमज़ोर है क्योंकि फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा एक ही दफ़ा होगी। इसकी ताईद दीगर उमूमात और दलाइल से होती है। यानी सोने या भूल जाने की सूरत में आपने याद आने पर सिर्फ़ उसी नमाज़ को पढ़ने का हुक्म दिया है, मज़ीद कुछ नहीं फ़रमाया। कुछ रिवायात में है: 'इसका सिर्फ़ यही कफ़्फ़ारा है।' इस हदीस में हस्र है, यानी मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर मज़ीद ग़ौर किया जाये तो ये बात भी ज़हन में आती है कि दिन रात में बा'क़ायदा सिर्फ़ पाँच नमाज़ें ही फ़र्ज़ हैं, आइन्दा रोज़ उसकी दोबारा क़ज़ा अदा करने से तो छः बन जायेंगी और ये आम मसला उसूले दीन के ख़िलाफ़ है, इसलिए ला'महला ऐसा मफ़हूम मुराद लेना होगा कि जिससे तमाम दलाइल में तत्बीक़ हो जाये। मज़ीद बरां ये कि इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने भी अगले रोज़ उसी नमाज़ की दोबारा क़ज़ा अदा करने की नफ़ी की है जैसा कि दर्ज जेल तर्जुमतुल बाब से ज़ाहिर होता है: लिहाज़ा इन मारूज़ात की रोशनी में इमाम नसाई (رحمه الله) का तर्जुमा अलबाब में बयान करदा इस्तिदलाल महल्ले नज़र है। रहा ये कि दोबारा क़ज़ा की जो सरीह रिवायत आती है जिसमें आपने ये हुक्म दिया: 'लिहाज़ा जिसने तुममें से आइन्दा कल सुबह की नमाज़ आफ़ियत की हालत में पा ली तो वह उसके साथ मज़ीद ऐसी ही नमाज़ अदा कर ले।' (ज़ईफ़ सुनन अबी दाऊद लिल अल्बानी, हदीस: 438) तो वह शाज़ और नाक़ाबिले हुज्जत है। इस रिवायत के सही मानी ये हैं कि कल को तुम नमाज़ वक़्त पर पढ़ना, आज की तरह ताख़ीर न कर देना, यानी लेट पढ़ने की आदत नहीं

होनी चाहिए। मज़ीद तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुलबारी: 2/93)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا نَسِيتَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي } " . قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا بِهِ يَعْلَى مُخْتَصَرًا .

(619) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ भूल जाओ तो जब याद आये पढ़ लो क्योंकि अल्लाह तआला (क़ुर्आन मजीद में) फ़रमाता है: (وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ) 'और मेरी याद आने पर नमाज़ क़ायम करो।'

अब्दुल आला ने कहा: हमें ये रिवायत हज़रत यअला ने इख़्तिसार के साथ बयान की।

(619) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 680.

फ़ायदा : (وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ) (ताहा 20: 14) इसके एक मानी हैं: 'मुझे याद करने के लिए नमाज़ पढ़ो।' दूसरा तर्जुमा हदीस में बयान किया गया है। एक क़िराअत में (لِلذِّكْرٰى) भी पढ़ा गया है। इसके मानी हैं: नमाज़ याद आने पर, या मानी हैं: नसीहत हासिल करने के लिए।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي } " .

(620) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स नमाज़ भूल जाये तो उसे चाहिए कि उसे याद आने पर पढ़ ले क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है: (وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ) 'और मेरी याद आने पर नमाज़ पढ़ो।'

(620) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(621) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स नमाज़ भूल जाये तो उसे जब याद आये, उसी वक़्त पढ़ ले क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है: 'याद

عليه وسلم " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى } " . قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ هَكَذَا قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ .

आने पर नमाज़ क़ायम करो।' (وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ)

मअ्मर कहते हैं कि मैंने इमाम ज़ोहरी से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसी तरह क़िराअत फ़रमाई थी? उन्होंने कहा: हाँ।

तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पीछे गुज़र चुकी है।

باب : (٥٥)
كَيْفَ يَقْضِي الْفَائِتُ مِنَ الصَّلاَةِ

बाब : (55)
फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा कैसे दी जाये?

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَسْرَيْنَا لَيْلَةً فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصُّبْحِ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ وَنَامَ النَّاسُ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ إِلاَّ بِالشَّمْسِ قَدْ طَلَعَتْ عَلَيْنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ حَدَّثَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ .

(622) हज़रत अबू मरयम (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे। हम सारी रात चलते रहे। जब सुबह तुलूअ होने को थी तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) सवारी से उतरे और सो गये और लोग भी सो गये। हमें उस वक़्त जाग (बेदारी) आई जब सूरज हम पर तुलूअ हो चुका था, चुनांचे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया तो उसने अज़ान कही, फिर आपने फ़ज्र की दो सुन्नतें पढ़ीं, फिर आपने उसे हुक्म दिया तो उसने इक़ामत कही, फिर आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई, फिर हमें बयान किया जो कुछ क़यामत तक होने वाला था।

(622) तख़रीज : (सनद सही) तबरानी अलकबीर: 19/273, हदीस: 601, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1587, मजमूअ अज़्ज़वाइद: 3/262.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि अगर मजमूई तौर पर नमाज़ रह जाये, यानी अज़ान हो न जमाअत तो क़ज़ा अज़ान और जमाअत की सूरत में होगी जैसे कि अदा होती है, मगर ये बात ज़हन में

रहे कि ये सहरा का वाक़िया है जहाँ मुताल्लिक़ीन के अलावा कोई अज़ान न सुनता था, अब जब कि जगह जगह मस्जिदें हैं और मस्जिदों में लाऊड स्पीकर भी हैं तो अब क़ज़ा में ऐलानिया अज़ान कहना और जमाअत करवाना ग़लत फ़हमी और मज़ाक़ का सबब होगा, लिहाज़ा आबादी में अगर ऐसा हो जाये तो दूसरी मस्जिद (उसी आबादी या इर्द गिर्द की आबादियों) की अज़ान काफ़ी होगी, हाँ, बग़ैर लाऊड स्पीकर अज़ान कह कर बा'जमाअत नमाज़ पढ़ना, अगर मुमकिन हो तो ये, बेहतर है वरना अलग अलग सिर्फ़ तकबीर कह कर पढ़ी जा सकती है, मगर ये कि कोई आबादी अलग थलग हो, दीगर आबादियों से उसका कोई ताल्लुक़ न हो और न वहाँ की अज़ान की आवाज़ दूसरी आबादियों में सुनी जाती हो तो वहाँ इस हदीस पर अमल हो सकता है, यानी तब अज़ान कहना ज़रूरी है। वल्लाहु आलम! मौक़ा महल का लिहाज़ रखना ज़रूरी है। (2) फ़ज्र की सुन्नतें मुअक्कदा हैं, लिहाज़ा अगर रह जायें तो तुलूअे शम्स से पहले या बाद में उनकी क़ज़ा दी जाये। अगर फ़र्ज़ और सुन्नतें दोनों रह गये हों तो दोनों की क़ज़ा दी जाये। इसी तरह दीगर नमाज़ों के नवाफ़िल या सुनन वग़ैरह की भी वक़्त के बाद क़ज़ा दी जा सकती है, ख़्वाह सोने की वजह से रह जायें या भूलने से जैसा कि अहादीस के ज़ाहिर से मालूम होता है, रही उम्मे सलमा (ﷺ) की मुसनद अहमद वाली हदीस जिसमें क़ज़ा देने से रोका गया है तो वह सनदन ज़ईफ़ है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحُبِسْنَا عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَىَّ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلاَلاً فَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ طَافَ

(623) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ थे। हम ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और ईशा की नमाज़ न पढ़ सकें ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ़देह थी। मैंने अपने दिल में कहा कि हम अल्लाह के रसूल (ﷺ) के साथ और अल्लाह तआला के रास्ते में हैं फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिलाल (ﷺ) को हुक्म दिया। उन्होंने इक़ामत कही तो आपने हमें ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो आपने हमें अस्र की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो आपने हमें मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई, फिर इक़ामत कही तो आपने हमें ईशा की नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'रूए ज़मीन पर

عَلَيْنَا فَقَالَ " مَا عَلَى الأَرْضِ عِصَابَةٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُكُمْ " .

तुम्हारे अलावा कोई जमाअ़त (इस वक़्त) अल्लाह तआला का ज़िक्र नहीं कर रही है।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 179, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1589. हदीस: 1405 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये जंगे खन्दक़ का वाक़िया है। कुफ़्फ़ार के ख़तरे के पेशे नज़र नमाज़ें न पढ़ी जा सकीं एक दिन सिर्फ़ अस्र की नमाज़ फ़ौत हो गई थी, वह और वाक़िया है। ये जंग कई दिन जारी रही थी। **(2)** फ़ौतशुदा नमाज़ की क़ज़ा वाजिब है अगरचे वह किसी दीनी मसरूफ़ियत की बिना पर रह गई हो जैसा कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वग़ैरह।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ " . قَالَ فَفَعَلْنَا فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ .

(624) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि (एक दिन दौराने सफ़र में) हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ आख़िरी रात में पड़ाव डाला और हम न जागे यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो गया। (जागने पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर आदमी अपनी सवारी का सर पकड़े (यहाँ से कूच करे) क्योंकि इस मुक़ाम में शैतान हमारे पास रहा है।' हमने इसी तरह किया (वहाँ से निकल गये) फिर आपने पानी मंगवाया और वुज़ू किया, फिर दो रकअ़तें (सुन्नत फ़ज्र) पढ़ीं, फिर जमाअ़त की इक़ामत कही गई और आपने सुबह की नमाज़ पढ़ाई।

(624) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 780/310, सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 1588.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ

(625) हज़रत जुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक सफ़र में (आख़िरी रात में सोते वक़्त) फ़रमाया: 'इस रात कौन हमारे लिए फ़ज्र की नमाज़ का ख़्याल रखेगा? कहीं हम

جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي سَفَرٍ لَهُ " مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لاَ نَرْقُدَ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ " . قَالَ بِلاَلٌ أَنَا . فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ حَتَّى أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَقَالَ " تَوَضَّئُوا " . ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ .

नमाज़ से सोये ही न रह जायें।' हज़रत बिलाल (ﷺ) ने कहा: मैं। फिर वह तुलूअ़े शम्स की जहत की तरफ़ मुँह करके बैठ गये। अल्लाह तआला ने सबको सुला दिया यहाँ तक कि उन्हें सूरज की गर्मी ने जगाया। तब वह उठे। आपने फ़रमाया: 'वुज़ू करो।' फिर बिलाल (ﷺ) ने अज़ान कही। आपने दो रकअतें पढ़ीं और दूसरे लोगों ने भी फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ीं। फिर सबने फ़ज्र की नमाज़ (बा'जमाअत) पढ़ी।

(625) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/81.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَدْلَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ عَرَّسَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ بَعْضُهَا فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى وَهِيَ صَلاَةُ الْوُسْطَى .

(626) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) शुरू रात में चले, फिर आख़िरी रात आपने पड़ाव डाला। आप बरवक़्त जाग न सके यहाँ तक कि कुछ या सारा सूरज तुलूअ़ हो गया, चुनांचे आपने फ़ौरन नमाज़ न पढ़ी यहाँ तक कि सूरज बुलन्द हो गया तो आपने नमाज़ अदा फ़रमाई और ये (नमाज़े फ़ज्र) सलातुल वुस्ता है।

(626) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुननिल कुबरा अन्नसाई, हदीस: 355.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए इसमें सलातुल वुस्ता की जो तफ़्सीर हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब की गई है, वह सही नहीं है। सही ये है कि इससे मुराद नमाज़े अस्र है। देखिये: (हदीस: 473, 474) बाक़ी बातें दूसरी रिवायात से साबित हैं। **(2)** ज़ाहिर तो ये है कि इस बाब की जुम्ला रिवायात एक ही वाक़िये से मुताल्लिक़ हैं। इज्माल (मुख़्तसर) और तफ़्सील का फ़र्क़ है, सिवाए हदीस: 623 के कि वह जंगे ख़न्दक़ का वाक़िया है, अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि एक से ज़्यादा वाक़ियात हों। वल्लाहु आलम!